

**नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना
के लिए**

**सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड –
("प्राधिकरण" के रूप में)**

और

**नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
("रियायतग्राही" के रूप में)**

के बीच और द्वारा:

दिनांक: 8 जनवरी, 2018 को

रियायत समझौता

विषय-सूची

अनुच्छेद / अनुसूची	विवरण	पृष्ठ
अनुच्छेद 1	परिभाषाएं और व्याख्या	12
1.1	परिभाषाएं	12
1.2	व्याख्या	30
1.3	माप और गणितीय परंपराएं	33
1.4	समझौतों, धाराओं और अनुसूचियों की प्राथमिकता	33
अनुच्छेद 2	परियोजना का दायरा	35
2.1	परियोजना का कार्यक्षेत्र	35
अनुच्छेद 3	रियायत प्रदान करना	36
3.1	रियायत	36
अनुच्छेद 4	सशर्त पूर्व-शर्तें	38
4.1	पूर्व-शर्तें	38
4.2	रियायतग्राही द्वारा देरी के लिए हर्जाना	41
4.3	देरी होने पर माना गया समापन	41
अनुच्छेद 5	रियायतग्राही के दायित्व	43

5.1	रियायतग्राही के दायित्व	43
5.2	परियोजना समझौतों से संबंधित दायित्व	44
5.3	स्वामित्व में परिवर्तन से संबंधित दायित्व	46
5.4	प्राधिकरण के शेयरधारिता से संबंधित दायित्व	47
5.5	डीजीसीए लाइसेंस से संबंधित दायित्व	48
5.6	वस्तुओं और सेवाओं की खरीद से संबंधित दायित्व	49
5.7	विदेशी नागरिकों के नियोजन से संबंधित दायित्व	50
5.8	प्रशिक्षित कर्मियों के नियोजन से संबंधित दायित्व	50
5.9	सुरक्षा मंजूरी से संबंधित दायित्व	50
5.10	गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच से संबंधित दायित्व	50
5.11	चिकित्सा सहायता से संबंधित दायित्व	50
5.12	ध्वनि नियंत्रण से संबंधित दायित्व	50
5.13	रियायतग्राही का एकमात्र उद्देश्य	51
5.14	हवाईअड्डे की ब्राण्डिंग	51
5.15	दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए सुविधाएं	51
अनुच्छेद 6	प्राधिकरण के दायित्व	52

6.1	प्राधिकरण के दायित्व	52
6.2	नियुक्त तिथि से पूर्व रखरखाव दायित्व	52
6.3	आरक्षित सेवाओं से संबंधित दायित्व	53
6.4	पुनर्वित्तपोषण से संबंधित दायित्व	53
अनुच्छेद 7	अभ्यावेदन और वारंटी	54
7.1	रियायतग्राही के अभ्यावेदन और वारंटी	54
7.2	प्राधिकरण के अभ्यावेदन और वारंटी	56
7.3	प्रकटीकरण	56
अनुच्छेद 8	अस्वीकरण	57
8.1	अस्वीकरण	57
अनुच्छेद 9	कार्यान्वयन गारंटी / कार्य-निष्पादन प्रतिभूति	59
9.1	कार्यान्वयन गारंटी	59
9.2	कार्यान्वयन गारंटी का विनियोजन	59
9.3	कार्यान्वयन गारंटी की मुक्ति	59
9.4	माना गया कार्य-निष्पादन प्रतिभूति	60
9.5	माना गया कार्य-निष्पादन प्रतिभूति का विनियोजन	60

9.6	कार्यान्वयन गारंटी के संदर्भ	60
अनुच्छेद 10	मार्गाधिकार	61
10.1	स्थल / साइट	61
10.2	लाइसेंस, पहुंच और मार्गाधिकार	61
10.3	साइट का अधिग्रहण / प्राप्ति	63
10.4	साइट का प्रभार/बाधाओं से मुक्त होना	64
10.5	साइट की बाधाओं से सुरक्षा	64
10.6	विशेष/अस्थायी मार्गाधिकार	64
10.7	प्राधिकरण के लिए पहुंच	65
10.8	भूगर्भीय और पुरातात्विक खोजें	65
10.9	लाइसेंसधारी के अधिकार	65
10.10	संपत्ति कर/सेवा शुल्क एवं अन्य प्रभार	65
अनुच्छेद 11	जनोपयोगी सुविधाएं और वृक्ष	67
11.1	मौजूदा जनोपयोगी सुविधाएं	67
11.2	बाधक सुविधाओं का स्थानांतरण	67
11.3	नई सुविधाएं और परिवहन प्रणालियां	67

11.4	वृक्षों की कटाई	67
अनुच्छेद 12	हवाई अड्डे का निर्माण	68
12.1	निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व के दायित्व	68
12.2	मास्टर प्लान	68
12.3	ड्राइंग/नक्शे	69
12.4	टर्मिनल भवन	70
12.5	हवाई अड्डे का निर्माण	71
12.6	परियोजना सुविधाओं का विकास	72
12.7	हवाई अड्डे का विस्तार	73
12.8	हवाई अड्डा विकास निगरानी समिति	73
12.9	विकास-पूर्व कार्य	73
12.10	एमआरओ सुविधाओं का विकास	75
अनुच्छेद 13	निर्माण की निगरानी	76
13.1	मासिक प्रगति रिपोर्ट	76
13.2	निरीक्षण	76
13.3	परीक्षण	76

13.4	निर्माण के दौरान देरी	77
13.5	असुरक्षित निर्माण कार्यों का निलंबन	77
13.6	वीडियो रिकॉर्डिंग	77
अनुच्छेद 14	चरण की पूर्णता	79
14.1	परीक्षण	79
14.2	पूर्णता	79
14.3	अनंतिम पूर्णता	80
14.4	पंच सूची मदों की पूर्णता	80
अनुच्छेद 15	वाणिज्यिक सेवा में प्रवेश	81
15.1	वाणिज्यिक संचालन तिथि	81
15.2	विलंब हेतु हर्जाना	81
अनुच्छेद 16	दायरे में परिवर्तन	82
16.1	दायरे में परिवर्तन	82
16.2	कार्य-दायरा परिवर्तन की प्रक्रिया	82
16.3	कार्य और सेवाएं शुरू करने की प्राधिकरण की शक्ति	83
16.4	कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के क्रियान्वयन की लागत	83

अनुच्छेद 17	संचालन, रखरखाव और प्रबंधन	84
17.1	रियायतग्राही के प्रचालन एवं रखरखाव दायित्व	84
17.2	रखरखाव की आवश्यकताएं	86
17.3	सुरक्षा, खराबी और दुर्घटनाएं	86
17.4	आपात स्थिति के कारण डिक्मीशनिंग	86
17.5	अनुभाग बंद करना	86
17.6	प्राधिकरण की सर्वोपरि शक्तियां	87
17.7	हवाई अड्डे की क्षति की पुनर्प्राप्ति	87
17.8	हवाई अड्डे में संशोधन	88
17.9	दायित्वों के निष्पादन से छूट	88
17.10	बाधाएं और विपथन/डायवर्जन	88
17.11	रक्षा बलों एवं अन्य आपात स्थितियों में उपयोग	89
17.12	बिजली और पानी की आपूर्ति	90
17.13	पर्यावरण लेखापरीक्षा एवं रिपोर्ट	90
17.14	स्लॉट आवंटन दिशा-निर्देश	91
17.15	सुरक्षा आवश्यकताएं	91

अनुच्छेद 18	प्रचालन एवं रखरखाव सेवाएं	93
18.1	दिक्चालन संपत्तियां	93
18.2	ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं	93
18.3	विमान ईंधन भरने की सेवाएं	93
18.4	कार्गो सुविधाएं	94
18.5	कार्गो सुविधाओं के उपयोग पर प्रतिबंध	94
18.6	टर्मिनल भवन	94
18.7	विशेष सहायता की आवश्यकता वाले उपयोगकर्ता	95
18.8	आरक्षित क्षेत्र	95
18.9	वीआईपी लाउंज	96
18.10	चेक-इन सेवाएं	96
18.11	निर्दिष्ट क्षेत्रों का वाणिज्यिक उपयोग	97
18.12	पार्किंग	97
18.13	एमआरओ सुविधाएं	99
अनुच्छेद 19	आरक्षित सेवाएं	100
19.1	आरक्षित सेवाएं	100

19.2	सीएनएस/एटीएम सेवाएं	100
19.3	हवाई अड्डा सुरक्षा	101
19.4	पुलिस सहायता	101
19.5	मौसम संबंधी सेवाएं	101
19.6	आरक्षित सेवाओं के संबंध में दायित्व	101
19.7	आरक्षित क्षेत्र	102
अनुच्छेद 20	संचालन और रखरखाव की निगरानी	104
20.1	हवाई अड्डा प्रचालक का डेटाबेस	104
20.2	त्रैमासिक और दैनिक स्थिति रिपोर्ट	104
20.3	सेवा स्तर की निगरानी	105
20.4	असाधारण घटनाओं की रिपोर्ट	105
20.5	निरीक्षण	106
20.6	उपचारात्मक उपाय	106
20.7	प्रबंधन तक पहुंच	107
अनुच्छेद 21	यातायात नियमन एवं गणना	108
21.1	रियायतग्राही द्वारा यातायात विनियमन	108

21.2	गणना / सेंसस	108
अनुच्छेद 22	मुख्य प्रदर्शन संकेतक	109
22.1	मुख्य प्रदर्शन संकेतक	109
22.2	विमानन परिसंपत्तियों का संचालन	109
22.3	टर्मिनल भवन का संचालन	109
22.4	पार्किंग का संचालन	109
22.5	कार्गो सुविधाओं का संचालन	110
22.6	आईएसओ प्रमाणन	110
22.7	लक्षित रेटिंग और उपयोगकर्ता सर्वेक्षण	110
22.8	त्रैमासिक स्थिति रिपोर्ट	111
22.9	प्रदर्शन में कमी के लिए हर्जाना	111
22.10	उपयोगकर्ता चार्टर	111
अनुच्छेद 23	स्वतंत्र इंजीनियर	112
23.1	स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति	112
23.2	कर्तव्य और कार्य	112
23.3	पारिश्रमिक	112

23.4	नियुक्ति की समाप्ति	112
23.5	विवाद समाधान	113
23.6	अंतरिम व्यवस्था	113
अनुच्छेद 24	वित्तीय समापन	115
24.1	वित्तीय समापन	115
24.2	वित्तीय समापन में विफलता पर समाप्ति	115
अनुच्छेद 25	वित्तीय मानदंड	116
25.1	प्रीमियम	116
25.2	परिचालन पूर्व व्यय	116
अनुच्छेद 26	रियायत शुल्क	117
26.1	रियायत शुल्क	117
26.2	प्रीमियम	117
26.3	सकल राजस्व का सत्यापन	118
अनुच्छेद 27	शुल्क / प्रभार	119
27.1	रियायतग्राही द्वारा शुल्क का संग्रहण	119
27.2	आरक्षित प्रभारों का संग्रह	119

27.3	विमानन शुल्कों के निर्धारण एवं संशोधन के सिद्धांत	119
27.4	विमानन शुल्कों के संशोधन पर रोक	120
27.5	विमानन शुल्कों की समीक्षा	120
27.6	विमानन शुल्कों में वृद्धि पर कुछ सीमाएं	121
27.7	शुल्क चोरी के लिए दंड	121
27.8	विमानन शुल्कों का प्रदर्शन	121
27.9	मासिक विवरण	121
अनुच्छेद 28	एस्क्रो खाता	122
28.1	एस्क्रो खाता	122
28.2	एस्क्रो खाते में जमा राशि	122
28.3	निकासी	122
28.4	समाप्ति पर निकासी	123
अनुच्छेद 29	बीमा	125
29.1	बीमा दायित्व	125
29.2	बीमा कवर	125
29.3	प्राधिकरण को सूचना	125

29.4	बीमा कवर का प्रमाण	125
29.5	बीमा कराने में विफलता का उपाय	126
29.6	अधिकार-त्याग/सब्रोगेशन की छूट	126
29.7	रियायतग्राही का दावा-त्याग	126
29.8	बीमा आय का उपयोग	126
29.9	बीमा पॉलिसियों की शर्तों का अनुपालन	126
अनुच्छेद 30	लेखा और लेखापरीक्षा	127
30.1	अंकेक्षित खाते	127
30.2	लेखा परीक्षकों की नियुक्ति	127
30.3	वैधानिक परीक्षकों द्वारा दावों का प्रमाणन	128
30.4	समायोजन / सेट-ऑफ	128
30.5	विवाद समाधान	128
अनुच्छेद 31	अपरिहार्य घटना / अप्रत्याशित घटना	130
31.1	अप्रत्याशित घटना / फ़ोर्स मेज्यूर	130
31.2	गैर-राजनीतिक घटना	130
31.3	अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना	130

31.4	राजनीतिक घटना	131
31.5	अप्रत्याशित घटना की रिपोर्ट करने का कर्तव्य	131
31.6	रियायत पर अप्रत्याशित घटना का प्रभाव	132
31.7	अप्रत्याशित घटना से उत्पन्न लागतों का आवंटन	132
31.8	अप्रत्याशित घटना के लिए समाप्ति नोटिस	133
31.9	अप्रत्याशित घटना के लिए समाप्ति भुगतान	133
31.10	विवाद समाधान	134
31.11	दायित्वों के निष्पादन से छूट	134
31.12	अपूर्वदृष्ट घटनाओं के लिए राहत	134
अनुच्छेद 32	समझौते के उल्लंघन के लिए मुआवजा	136
32.1	रियायतग्राही द्वारा चूक के लिए मुआवजा	136
32.2	प्राधिकरण द्वारा चूक के लिए मुआवजा	136
32.3	रियायत अवधि का विस्तार	136
32.4	लागत और नुकसान का शमन	136
अनुच्छेद 33	रियायतग्राही के अधिकारों का निलंबन	137
33.1	रियायतग्राही की चूक पर निलंबन	137

33.2	रियायतग्राही की ओर से कार्य करने का प्राधिकरण	137
33.3	निलंबन की वापसी	137
33.4	रियायतग्राही का प्रतिस्थापन	138
33.5	समाप्ति	138
अनुच्छेद 34	समाप्ति	139
34.1	रियायतग्राही की चूक के कारण समाप्ति	139
34.2	प्राधिकरण की चूक के कारण समाप्ति	142
34.3	समाप्ति भुगतान	142
34.4	समाप्ति भुगतान पर कुछ सीमाएं	144
34.5	रियायत अवधि का विस्तार	144
34.6	प्राधिकरण के अन्य अधिकार और दायित्व	145
34.7	अधिकारों की उत्तरजीविता	145
अनुच्छेद 35	अधिकारों और हितों का विनिवेश	146
35.1	विनिवेश आवश्यकताएं	146
35.2	निरीक्षण और सुधार	147
35.3	परियोजना के हस्तांतरण पर सहयोग और सहायता	147

35.4	निहितता प्रमाणपत्र / वेस्टिंग सर्टिफिकेट	147
35.5	विनिवेश लागत आदि	147
अनुच्छेद 36	समाप्ति के बाद त्रुटियों का दायित्व	149
36.1	समाप्ति के बाद दोषों के लिए दायित्व	149
36.2	एस्करो खाते में प्रतिधारण	149
अनुच्छेद 37	अंकण / समनुदेशन और प्रभार	151
37.1	समनुदेशन और प्रभारों पर प्रतिबंध	151
37.2	अनुमत समनुदेशन और प्रभार	151
37.3	प्रतिस्थापन समझौता	151
37.4	प्राधिकरण द्वारा समनुदेशन	152
37.5	हस्तक्षेप/स्टेप-इन अधिकार	152
अनुच्छेद 38	दायित्व और क्षतिपूर्ति	153
38.1	सामान्य क्षतिपूर्ति	153
38.2	रियायतग्राही द्वारा क्षतिपूर्ति	153
38.3	सूचना और दावों का विरोध	154
38.4	दावों का बचाव	154

38.5	कोई परिणामी दावा नहीं	155
38.6	समाप्ति पर उत्तरजीविता	155
अनुच्छेद 39	विवाद समाधान	156
39.1	विवाद समाधान	156
39.2	सुलह	156
39.3	मध्यस्थता	156
39.4	न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय	157
अनुच्छेद 40	प्रकटीकरण	158
40.1	प्रकटीकरण	158
40.2	सुरक्षा से संबंधित दस्तावेजों का प्रकटीकरण	158
40.3	संरक्षित दस्तावेजों के प्रकटीकरण को रोकना	158
अनुच्छेद 41	जन शिकायतों का निवारण	159
41.1	शिकायत रजिस्टर	159
41.2	शिकायतों का निवारण	159
अनुच्छेद 42	विविध	160
42.1	लागू कानून और क्षेत्राधिकार	160

42.2	उन्मुक्ति का त्याग	160
42.3	कानून में परिवर्तन	160
42.4	मूल्यहास / अवमूल्यन	160
42.5	विलंबित भुगतान	160
42.6	अधिकार-त्याग	161
42.7	दस्तावेजों और ड्राइंगों की समीक्षा का दायित्व	161
42.8	निहित वारंटियों आदि का अपवर्जन	161
42.9	उत्तरजीविता	161
42.10	संपूर्ण समझौता	162
42.11	पृथक्करणीयता	162
42.12	कोई भागीदारी नहीं	162
42.13	तृतीय पक्ष	162
42.14	उत्तराधिकारी और समनुदेशित	162
42.15	सूचनाएं / नोटिस	163
42.16	भाषा	163
42.17	स्टाम्प शुल्क	163

42.18	प्रतिरूप / काउंटरपार्ट्स	163
अनुसूची A	हवाई अड्डे का स्थल / साइट	166
अनुसूची B	हवाई अड्डे का विकास	172
अनुसूची C	परियोजना सुविधाएं	177
अनुसूची D	विनिर्देश और मानक	179
अनुसूची E	लागू परमिट / स्वीकृतियां	181
अनुसूची F	कार्यान्वयन गारंटी	182
अनुसूची G	चरण पूर्णता समय-सारणी	185
अनुसूची H	परीक्षण	186
अनुसूची I	सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं	188
अनुसूची J	सुरक्षा दिशा-निर्देश	192
अनुसूची K	मासिक विवरण	195
अनुसूची L	उपयोगकर्ता चार्टर	198
अनुसूची M	स्वतंत्र इंजीनियर का चयन	202
अनुसूची N	स्वतंत्र इंजीनियर के लिए संदर्भ शर्तें	203
अनुसूची O	एस्करो समझौता	210

अनुसूची P	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स का पैनल	225
अनुसूची Q	निहितता प्रमाणपत्र	227
अनुसूची R	प्रतिस्थापन समझौता	228
अनुसूची S	शेयरधारक समझौता	239
अनुसूची T	सीएनएस/एटीएम समझौता	261
अनुसूची U	समझौता ज्ञापन	290
अनुसूची V	राज्य सरकार सहायता समझौता	307
अनुसूची W	भूमि पट्टा/एलडीएस समझौता	315

भाग-I

प्रारंभ

रियायत समझौता

यह रियायत समझौता ("समझौता") मुंबई में आज दिनांक 8 जनवरी, 2018 को निम्नलिखित के बीच

निष्पादित किया गया:

सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड (*महाराष्ट्र शहर एवं औद्योगिक विकास महामंडल सीमित*), जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी है, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN) U99999MH1970SGC014574 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय निर्मल, दूसरी मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021, महाराष्ट्र में स्थित है, तथा जिसका प्रतिनिधित्व इसके उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कर रहे हैं (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा जाएगा, और इस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और हस्तांतरिती शामिल होंगे),

एवं

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN) U45200MH2007PTC169174 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय हवाईअड्डा निदेशक का कार्यालय, टर्मिनल I-B, सीएसआई एयरपोर्ट, सांताक्रूज़, मुंबई-400 099, महाराष्ट्र में स्थित है (जिसे इसके बाद "रियायतग्राही" कहा जाएगा, और इस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी, अनुमत हस्तांतरिती और स्थानापन्न शामिल होंगे)।

जैसा कि संदर्भ में आवश्यक हो, प्राधिकरण और रियायतग्राही को इसके बाद व्यक्तिगत रूप से "पक्षकार" और सामूहिक रूप से "पक्षकारों" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

जबकि:

- क. भारत सरकार ("भारत सरकार") ने अपने पत्र संख्या एवी24011/1/95-वीबी (Vol. VI) दिनांक 6 जुलाई, 2007 ("भारत सरकार की स्वीकृति") के माध्यम से सार्वजनिक-निजी भागीदारी ("पीपीपी") के जरिए महाराष्ट्र राज्य के नवी मुंबई में सार्वजनिक उपयोग हेतु एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना के लिए उसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन अपनी स्वीकृति प्रदान की थी।
- ख. भारत सरकार की स्वीकृति के आधार पर, महाराष्ट्र सरकार ("महाराष्ट्र सरकार") ने अपने शासन निर्णय संख्या सीआईडी-3307/1541/प्र. क्र.-144/07/न.वि.-10 दिनांक 30 जुलाई, 2008 ("महाराष्ट्र सरकार की स्वीकृति") के माध्यम से परियोजना (जैसा कि नीचे परिभाषित

है) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी, और परियोजना के निर्माण, संचालन और रखरखाव के उद्देश्यों के लिए प्राधिकरण को एक नोडल एजेंसी नियुक्त किया।

- ग. प्राधिकरण द्वारा दिए गए अभ्यावेदन और प्रस्तुतियों के आधार पर, परियोजना के कार्यान्वयन से पूर्व आवश्यक लागू अनुमतियाँ संबंधित सरकारी संस्थाओं/तंत्रों द्वारा प्राधिकरण को प्रदान की गईं।
- घ. भारत सरकार की स्वीकृति, महाराष्ट्र सरकार की स्वीकृति और उपर्युक्त अन्य लागू अनुमतियों के आलोक में, प्राधिकरण ने डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण, संचालन और हस्तांतरण ("डीबीएफओटी") के आधार पर हवाई अड्डे के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए तकनीकी और वाणिज्यिक नियमों और शर्तों को निर्धारित करते हुए, अपने अर्हता अनुरोध (आरएफक्यू) संख्या सीआईडीसीओ/टी एण्ड सी/एनएमआईए/01/2013-14 दिनांक 5 फरवरी, 2014 द्वारा (समय-समय पर यथा संशोधित, सामूहिक रूप से "अर्हता अनुरोध" या "आरएफक्यू") आवेदन आमंत्रित किए।
- ङ. आरएफक्यू के अनुसरण में और आरएफक्यू में निर्धारित तकनीकी, वित्तीय और संचालन एवं रखरखाव मानदंडों की पूर्ति तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार से सुरक्षा मंजूरी (सुरक्षा अनापत्ति) प्राप्त होने के आधार पर, आवेदकों को परियोजना की बोली के अगले चरण में भाग लेने के लिए पूर्व-अर्हित किया गया था।
- च. प्राधिकरण ने ऐसे अर्हित बोलीदाताओं से पत्र संख्या सीआईडीसीओ/टीएण्डसी/एनएमआईए/01/2013-14 दिनांक 4 मई, 2016 द्वारा जारी प्रस्ताव अनुरोध ("प्रस्ताव अनुरोध" या "आरएफपी") में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार अपनी वाणिज्यिक बोली प्रदान करने का आह्वान किया।
- छ. पूर्व-अर्हित बोलीदाताओं से प्राप्त बोलियों के मूल्यांकन के बाद, प्राधिकरण ने बोलीदाता मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ("वरीयता प्राप्त बोलीदाता") की बोली को स्वीकार कर लिया, और वरीयता प्राप्त बोलीदाता को अपना आशय पत्र संख्या सीआईडीसीओ/एमडी/एनएमआईए/051 दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 जारी किया, जिसमें वरीयता प्राप्त बोलीदाता से अन्य बातों के साथ-साथ एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से आरएफपी की शर्तों के अनुसार इस समझौते को निष्पादित करने की अपेक्षा की गई।
- ज. वरीयता प्राप्त बोलीदाता ने कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रियायतग्राही के रूप में एक विशेष प्रयोजन वाहन को प्रवर्तित और निगमित किया है, और प्राधिकरण से रियायतग्राही को उस इकाई के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया है, जो एलओए के तहत वरीयता प्राप्त बोलीदाता के दायित्वों को पूरा करेगी और अधिकारों का प्रयोग करेगी, जिसमें परियोजना के कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव को संभालने के लिए इस समझौते में प्रवेश करने का दायित्व भी शामिल है।

झ. अपने पत्र दिनांक 29 नवंबर, 2017 द्वारा, रियायतग्राही ने यह अभ्यावेदन करते हुए कि उसे इसके उद्देश्यों के लिए वरीयता प्राप्त बोलीदाता द्वारा प्रवर्तित किया गया है, प्राधिकरण से वरीयता प्राप्त बोलीदाता के उस अनुरोध में भागीदारी की, कि रियायतग्राही को उस इकाई के रूप में स्वीकार किया जाए जो एलओए के अनुसरण में इस समझौते में प्रवेश करने के दायित्व सहित वरीयता प्राप्त बोलीदाता के दायित्वों को पूरा करेगी और अधिकारों का प्रयोग करेगी।

ज. प्राधिकरण तदनुसार डीबीएफओटी आधार पर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए रियायतग्राही के साथ इस समझौते को करने के लिए सहमत हो गया है, जो इसके बाद निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन और उनके आधार पर होगा।

अब, इसलिए, पूर्वगामी बातों और इस समझौते में निर्धारित संबंधित वचनों और करारों के एवज में, जिनकी प्राप्ति और पर्याप्तता को इसके द्वारा स्वीकार किया जाता है, और कानूनी रूप से बाध्य होने के इरादे से, पक्षकार निम्नानुसार सहमत होते हैं:

अनुच्छेद 1

परिभाषाएं और अर्थान्वयन)

1.1 परिभाषाएं

बड़े अक्षरों से शुरू होने वाले और इस समझौते में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, वही अर्थ होगा जो उन्हें दिया गया है, और अनुसूचियों में परिभाषित एवं प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अनुसूचियों में दिया गया है:

इस समझौते में, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जब तक कि संदर्भ या अर्थ प्रतिकूल न हो, क्रमशः निम्नलिखित अर्थ होगा:

"एएआई" का अर्थ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत स्थापित है, और इसमें इसके उत्तराधिकारी और हस्तांतरिती शामिल होंगे;

"लेखा वर्ष" का अर्थ किसी भी कैलेंडर वर्ष के अप्रैल के 1 (पहले) दिन से शुरू होकर अगले कैलेंडर वर्ष के मार्च के 31 (इक्कीसवें) दिन को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष है;

बशर्ते कि, प्रथम वर्ष के प्रयोजनों के लिए, ऐसी अवधि नियत तिथि से प्रारंभ होगी और तुरंत आने वाली 31 मार्च को समाप्त होगी; तथा रियायत अवधि के अंतिम कैलेंडर वर्ष के लिए, ऐसी अवधि अप्रैल के प्रथम दिन से प्रारंभ होगी और रियायत अवधि के अंतिम दिन समाप्त होगी;

"अधिनियम" का अर्थ खंड 22.7.1 में यथा निर्धारित अर्थ है;

"अतिरिक्त लेखापरीक्षक" का अर्थ खंड 30.2.3 में पहचाने गए लेखापरीक्षकों से होगा;

"अतिरिक्त समाप्ति भुगतान" का अर्थ विनिर्दिष्ट परिसंपत्तियों के संबंध में समाप्ति पर देय राशि है, यदि कोई हो, जो खंड 31.9 और खंड 34.4.3 के प्रावधानों द्वारा सीमित है;

"समायोजित अवमूल्यित मूल्य" का अर्थ किसी परिसंपत्ति के अवमूल्यित बही मूल्य (रियायतग्राही के लेखा बही में यथा उल्लिखित) को उसकी प्राप्ति की तिथि और हस्तांतरण तिथि के बीच मूल्य सूचकांक में होने वाली भिन्नता को दर्शाने के लिए समायोजित करने के बाद प्राप्त राशि से है;

"समायोजित इक्विटी" का अर्थ भारतीय रुपयों में वित्तपोषित तथा चालू माह के प्रथम दिन ("संदर्भ तिथि"/संदर्भ तिथि) को समायोजित इक्विटी से है, और मूल्यहास तथा मूल्य सूचकांक में भिन्नता के कारण इसके मूल्य में परिवर्तन को दर्शाने के लिए कुल परियोजना लागत के संदर्भ में नीचे दिए गए तरीके से परिकलित किया जाएगा, और किसी भी संदर्भ तिथि के लिए जो:

(क) चरण I सीओडी पर या उससे पहले आती है, समायोजित इक्विटी भारतीय रुपयों में वित्तपोषित और परियोजना पर व्यय की गई इक्विटी के बराबर होगी, जिसे नियत तिथि वाले माह के प्रथम दिन

और संदर्भ तिथि के बीच मूल्य सूचकांक में हुए परिवर्तन के आधे हिस्से की सीमा तक संशोधित किया जाएगा;

(ख) चरण । सीओडी से और उसकी चौथी वर्षगांठ तक, चरण । सीओडी के दिन समायोजित इक्विटी के बराबर राशि को आधार ("आधार समायोजित इक्विटी") माना जाएगा, और इसके तहत समायोजित इक्विटी, आधार समायोजित इक्विटी के बराबर राशि होगी, जिसे चरण । सीओडी के बाद प्रत्येक माह के प्रारंभ में चरण । सीओडी और संदर्भ तिथि के बीच मूल्य सूचकांक में हुए परिवर्तन की सीमा तक संशोधित किया जाएगा; और

(ग) चरण । सीओडी की चौथी वर्षगांठ के बाद, इसके तहत समायोजित इक्विटी, आधार समायोजित इक्विटी के बराबर राशि होगी, जिसमें से चरण । सीओडी की चौथी वर्षगांठ के बाद प्रत्येक माह के प्रारंभ में उसका 0.17% (शून्य दशमलव एक सात प्रतिशत) घटाया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त राशि को चरण । सीओडी और संदर्भ तिथि के बीच मूल्य सूचकांक में हुए परिवर्तन की सीमा तक संशोधित किया जाएगा;

बशर्ते कि उस तिथि और चरण । सीओडी के बीच की अवधि के लिए मूल्य सूचकांक में औसतन 3% (तीन प्रतिशत) प्रति वर्ष से अधिक की वृद्धि होती है, तो पक्षकार यथाशीघ्र व्यावहारिक रूप से बैठक करेंगे और ऊपर निर्दिष्ट राशि के संशोधन पर सहमति व्यक्त करेंगे ताकि 3% (तीन प्रतिशत) से अधिक मूल्य सूचकांक में वृद्धि का प्रभाव कुल परियोजना लागत में दिखाई दे,

तथा समाप्ति की स्थिति में, समायोजित इक्विटी की गणना हस्तांतरण तिथि के ठीक पहले वाली संदर्भ तिथि के अनुसार की जाएगी, बशर्ते कि उस अवधि के बराबर अवधि के लिए समायोजित इक्विटी में कोई कमी नहीं की जाएगी, जिसके लिए रियायत अवधि बढ़ाई गई है, लेकिन मूल्य सूचकांक के कारण संशोधन जारी रहेगा;

"एडीएमसी" का अर्थ विमानपत्तन विकास निगरानी समिति से होगा, जैसा कि खंड 12.8 में प्रदान किया गया है;

"ऐरा" का अर्थ भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण है, जो ऐरा अधिनियम के तहत स्थापित है, और इसमें लागू कानूनों के अनुसार ऐरा के कार्यों और प्राधिकरणों को बदलने या उनका स्थान लेने वाला कोई अन्य नियामक प्राधिकरण शामिल होगा;

"ऐरा अधिनियम" का अर्थ समय-समय पर यथा संशोधित, परिवर्तित एवं प्रतिस्थापित भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 से है;

"विमानन परिसंपत्तियां" का अर्थ उन परिसंपत्तियों से है जो विमानपत्तन पर विमानन सेवाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक या अपेक्षित हैं, और इसमें ऐसी अन्य परिसंपत्तियां शामिल होंगी जिन्हें रियायतग्राही समय-समय पर इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार विमानन सेवाओं के निष्पादन

के लिए या उसके संबंध में प्राप्त कर सकता है, और इसमें गैर-विमानन परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं;

"विमानन प्रभार" का अर्थ ऐरा द्वारा स्वीकृत प्रभारों से है, जिन्हें रियायतग्राही द्वारा विमानन सेवाओं के प्रावधान के लिए लगाया, एकत्र और विनियोजित किया जा सकता है;

"विमानन राजस्व" का अर्थ लागू कानूनों के अनुसार ऐरा द्वारा निर्धारित कुल राजस्व आवश्यकता से है;

"विमानन सेवाएं" का अर्थ विमानपत्तन पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में ऐरा अधिनियम में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"प्रभावित पक्षकार" का अर्थ खंड 31.1 में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"समझौता" या "रियायत समझौता" का अर्थ इस समझौते, इसकी प्रस्तावना, अनुसूचियों और इस समझौते में निहित प्रावधानों के अनुसार किए गए किसी भी संशोधन से होगा;

"विमान ईंधन भरने की सेवाएं" का अर्थ खंड 18.3 में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"एयरफ्रील्ड लाइटिंग सिस्टम" का अर्थ संबंधित आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों में निहित प्रावधानों के अनुसार विमान संचालन के लिए आवश्यक रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एप्रोच के संबंध में विमानपत्तन पर प्रकाश व्यवस्था (लाइटिंग सिस्टम) से है;

"विमानपत्तन/हवाईअड्डा" का अर्थ स्थल पर स्थित विमानपत्तन से है, और इसमें नागरिक, यांत्रिक और विद्युत कार्य, टर्मिनल भवन, कार्गो सुविधाएं, रनवे और विमानपत्तन के संचालन और विस्तार से जुड़ी और आवश्यक सभी परियोजना परिसंपत्तियां शामिल हैं;

"एओडीबी" का अर्थ खंड 20.1 में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"परिशिष्ट" का अर्थ खंड 10.3.1 में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"लागू कानून" का अर्थ भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए सभी कानून हैं, जिनमें दिशानिर्देश, परिपत्र, नियम, विनियम और अधिसूचनाएं, निर्णय, डिक्री, व्यादेश, रिट और किसी भी अभिलेख न्यायालय के आदेश शामिल हैं, जो इस समझौते पर और इसके तहत पक्षकारों के संबंधित अधिकारों और दायित्वों के प्रयोग, निष्पादन और निर्वहन पर लागू होते हैं, जैसा कि इस समझौते के अस्तित्व के दौरान लागू हो सकते हैं;

"लागू अनुमतियां" का अर्थ इस समझौते के अस्तित्व के दौरान विमानपत्तन के निर्माण, विस्तार, संचालन और रखरखाव के संबंध में लागू कानूनों के तहत प्राप्त की जाने वाली या बनाए रखी जाने

वाली सभी मंजूरियां, लाइसेंस, परमिट, प्राधिकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, सहमतियां, अनुमोदन और छूट हैं;

"नियत तिथि" का अर्थ उस तिथि से है जिस दिन इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक शर्त को पूरा किया जाता है या छूट दी जाती है, जैसा भी मामला हो;

"वास्तुकला डिजाइन" का अर्थ खंड 12.4.1 में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"एसएमयू" का अर्थ खंड 17.15.4 में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"एसक्यू" का अर्थ विमानपत्तन सेवा गुणवत्ता से है;

"सहयोगी" या "संबद्ध" (Associate / Affiliate) का अर्थ किसी भी पक्षकार और/या वरीयता प्राप्त बोलीदाता के संदर्भ में, ऐसे व्यक्ति से है जो ऐसे पक्षकार या वरीयता प्राप्त बोलीदाता को नियंत्रित करता है, उसके द्वारा नियंत्रित होता है, या उसके सामान्य नियंत्रण में है (इस परिभाषा में प्रयुक्त "नियंत्रण" शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति के संबंध में जो एक कंपनी या निगम है, ऐसे व्यक्ति के 50% से अधिक मतदान शेयरों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व है, और किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो कंपनी या निगम नहीं है, कानून के संचालन द्वारा या अनुबंध द्वारा या अन्यथा ऐसे व्यक्ति के प्रबंधन और नीतियों को निर्देशित करने की शक्ति से है);

"एटीसी" (ATC) का अर्थ वायु यातायात नियंत्रण (Air Traffic Control) से है;

"एटीसी सुविधा" (ATC Facility) का अर्थ विमानपत्तन पर वायु यातायात सेवा परिसर से है, जिसमें एटीसी टॉवर, तकनीकी ब्लॉक और इसके कर्मियों के लिए संलग्न पार्किंग के साथ कार्यालय स्थान शामिल है, जिसमें वातानुकूलन (एयर-कंडीशनिंग) और बिजली तथा पानी की निरंतर आपूर्ति का प्रावधान है;

"प्राधिकरण" (Authority) का अर्थ पक्षकारों की सूची में ऐसे शब्द के लिए दिए गए अर्थ से है;

"प्राधिकरण की चूक" (Authority Default) का अर्थ खंड 34.2.1 में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"प्राधिकरण का हिस्सा" (Authority's Share) का अर्थ खंड 5.4.1 में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"पंचाट / अवार्ड" (Award) का अर्थ खंड 39.3.3 में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"बैंक" (Bank) का अर्थ भारत में निगमित और न्यूनतम ₹1000,00,00,000/- (एक हजार करोड़ रुपये) की शुद्ध संपत्ति (Net Worth) वाले अनुसूचित बैंक से है, या वरिष्ठ ऋणदाताओं (Senior Lenders) को स्वीकार्य कोई अन्य बैंक है, लेकिन इसमें ऐसा बैंक शामिल नहीं है जिसमें किसी वरिष्ठ ऋणदाता का हित हो;

"बैंक दर" (Bank Rate) का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 49 के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट ब्याज दर या वर्तमान में प्रभावी ऐसी बैंक दर का कोई प्रतिस्थापन है;

"आधार समायोजित इक्विटी" (Base Adjusted Equity) का अर्थ चरण I सीओडी के दिन समायोजित इक्विटी के बराबर राशि से है;

"बीसीएस" (BCAS) का अर्थ नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (Bureau of Civil Aviation Security) या उसका कोई स्थानापन्न या समनुदेशित है;

"बोली" (Bid) का अर्थ वरीयता प्राप्त बोलीदाता द्वारा प्रस्ताव अनुरोध के जवाब में उसके प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई बोली में संपूर्ण रूप से शामिल दस्तावेजों से है;

"बोली सुरक्षा" (Bid Security) का अर्थ प्रस्ताव अनुरोध के अनुसार बोली के साथ रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्रदान की गई सुरक्षा से है, और जिसे प्रदर्शन सुरक्षा (Performance Security) द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक लागू रहना है;

"कार्गो सुविधाएं" (Cargo Facilities) का अर्थ इमारतों, संरचनाओं और उपकरणों, डॉकिंग स्पेस और पार्किंग से है, जैसा भी मामला हो, जो आने वाले और जाने वाले माल/कार्गो को संभालने के लिए आवश्यक है, जिसमें उसका अल्पकालिक भंडारण भी शामिल है;

[पृष्ठ 16]

"स्वामित्व में परिवर्तन" का अर्थ किसी भी शेयर, या शेयरों में परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के प्रत्यक्ष और/या अप्रत्यक्ष कानूनी या लाभकारी स्वामित्व के हस्तांतरण से है, जिसके कारण कुल इक्विटी में वरीयता प्राप्त बोलीदाता की कुल होल्डिंग चरण I सीओडी की 7वीं वर्षगांठ तक उसके 51% (इक्यावन प्रतिशत) से नीचे गिर जाती है, यदि वरीयता प्राप्त बोलीदाता एक एकल बोलीदाता है;

"कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन" का अर्थ खंड 16.1.1 में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"कार्य-क्षेत्र परिवर्तन आदेश" का अर्थ खंड 16.2.3 में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"कार्य-क्षेत्र परिवर्तन नोटिस" का अर्थ खंड 16.2.1 में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"सीएसआईए" का अर्थ मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है;

"चेक-इन सेवाएं" का अर्थ खंड 18.10.1 में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"शिकागो अभिसमय" का अर्थ शिकागो अभिसमय, 1944 से है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित और/या पूरक किया गया है, शिकागो सम्मेलन के एक "अनुबंध" के संदर्भों का अर्थ समय-समय पर यथा संशोधित और/या पूरक ऐसा अनुबंध होगा;

"सीएनएस/एटीएम समझौता" का अर्थ एएआई और रियायतग्राही के बीच मुख्य रूप से अनुसूची न में निर्धारित प्रारूप में सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया समझौता है;

"सीएनएस/एटीएम उपकरण" का अर्थ नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा सीएनएस/एटीएम सेवाओं को निष्पादित करने के लिए आवश्यक सभी उपकरणों से है;

"सीएनएस/एटीएम सेवाएं" का अर्थ विमानपत्तन पर प्रदान की जाने वाली संचार, नेविगेशन और निगरानी, तथा वायु यातायात प्रबंधन सेवाओं से है;

"सीओडी" या "वाणिज्यिक संचालन तिथि" का अर्थ किसी विशेष चरण के संदर्भ में खंड **15.1.1** में यथा निर्धारित अर्थ से है, और चरण **1** के संबंध में, इसका अर्थ चरण **1** सीओडी होगा, और बाद के चरण (चरणों) के संबंध में, ऐसे चरण के लिए संबंधित सीओडी होगा;

"शिकायत रजिस्टर" का अर्थ खंड **41.1.1** में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"शिकायतकर्ता" का अर्थ खंड **41.1.1** में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"पूर्णता" का अर्थ खंड **14.2** में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"पूर्णता प्रमाण पत्र" का अर्थ खंड **14.2** में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"पूर्णता रिपोर्ट" का अर्थ खंड **14.2** में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"रियायत" का अर्थ खंड **3.1.1** में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"रियायतग्राही" का अर्थ पक्षकारों की सूची में इसके लिए दिए गए अर्थ से है;

"रियायत शुल्क" का अर्थ खंड **26.1** में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"रियायत अवधि" का अर्थ नियत तिथि से प्रारंभ होकर हस्तांतरण तिथि पर समाप्त होने वाली अवधि से है;

"रियायत वर्ष" का अर्थ **1** (एक) वर्ष की प्रत्येक अवधि से है, जो नियत तिथि से शुरू होती है और लीप वर्ष को छोड़कर सभी वर्षों के लिए **365** दिनों की समाप्ति पर और लीप वर्ष के लिए **366** दिनों की समाप्ति पर समाप्त होती है, बशर्ते कि ऐसी अवधि अंतिम रियायत वर्ष के लिए हस्तांतरण तिथि पर समाप्त होगी;

"रियायतग्राही की चूक" का अर्थ खंड **34.1.1** में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"शर्तें / पूर्व-अपेक्षित शर्तें" का अर्थ खंड **4.1.1** में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"निर्माण अवधि" का अर्थ चरण I के लिए नियत तिथि से शुरू होकर चरण I सीओडी पर समाप्त होने वाली अवधि से है, और बाद के चरणों के संबंध में, ऐसी अवधि प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित तिथि से शुरू होगी और किसी चरण के लिए संबंधित सीओडी पर समाप्त होगी;

"निर्माण कार्य" का अर्थ इस समझौते के अनुसार विमानपत्तन के एक चरण को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी कार्यों और चीजों से है, और इसमें विमानन परिसंपत्तियां, गैर-विमानन परिसंपत्तियां और परियोजना सुविधाएं शामिल हैं;

"ठेकेदार / ठेकेदारगण" का अर्थ उस व्यक्ति या व्यक्तियों से है, जैसा भी मामला हो, जिसके साथ रियायतग्राही ने ईपीसी अनुबंधों, ओ एंड एम अनुबंधों या निर्माण, संचालन और/या विमानपत्तन के रखरखाव या उससे जुड़े मामलों के लिए कोई अन्य महत्वपूर्ण समझौता या अनुबंध किया है, लेकिन इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जिसने रियायतग्राही को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए समझौता किया है;

"अनुबंध" का अर्थ खंड 5.6.2 में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"अंगीकार / नियम" का अर्थ खंड 5.2.5 में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"सीपीआई (आईडब्ल्यू)" का अर्थ श्रम ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से है और इसमें सीपीआई (आईडब्ल्यू) को प्रतिस्थापित करने वाला कोई भी सूचकांक शामिल होगा, और सीपीआई (आईडब्ल्यू) के किसी भी संदर्भ का अर्थ, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, पिछली तिमाही के साथ समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रकाशित सीपीआई (आईडब्ल्यू) के संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा;

"उपचार अवधि" का अर्थ ऐसे उल्लंघन या चूक के लिए जिम्मेदार पक्षकार द्वारा इस समझौते के किसी भी प्रावधान के किसी भी उल्लंघन या चूक को ठीक करने के लिए इस समझौते में निर्दिष्ट अवधि से है और यह:

(क) उस तिथि से प्रारंभ होगी जिस दिन एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को एक नोटिस दिया जाता है जिसमें बाद वाले पक्षकार से ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट उल्लंघन या चूक को ठीक करने के लिए कहा जाता है;

(ख) किसी भी पक्षकार को इस समझौते के प्रावधानों के तहत या लागू कानूनों के तहत नुकसान या मुआवजे का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी; और

(ग) इस समझौते के तहत निलंबन की किसी भी अवधि द्वारा किसी भी तरह से नहीं बढ़ाई जाएगी;

बशर्ते कि यदि रियायतग्राही द्वारा किसी उल्लंघन के उपचार के लिए रियायतग्राही द्वारा किसी तर्कसंगत कार्रवाई की आवश्यकता होती है जिसे इसके तहत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, तो लागू उपचार अवधि प्राधिकरण द्वारा अपना अनुमोदन देने में लिए गए समय तक बढ़ा दी जाएगी;

"डीबीएफओटी" का अर्थ प्रस्तावना घ में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"नुकसान / क्षतिपूर्ति" का अर्थ खंड 1.2.1 के उप-खंड (म) में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"देय ऋण" का अर्थ हस्तांतरण तिथि पर बकाया भारतीय रुपयों में व्यक्त निम्नलिखित राशियों के योग से है, और इसकी गणना हर समय कुल परियोजना लागत के संदर्भ में की जाएगी:

(क) कुल परियोजना लागत के वित्तपोषण के लिए वित्तीय समझौतों के तहत वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा प्रदान किए गए ऋण की मूल राशि ("मूलधन"), लेकिन मूलधन के किसी भी ऐसे हिस्से को छोड़कर जो हस्तांतरण तिथि से 2 (दो) वर्ष पहले पुनर्भुगतान के लिए देय हो गया था;

(ख) हस्तांतरण तिथि तक, उप-खंड (क) में संदर्भित ऋण पर या उसके संबंध में वित्तीय समझौतों के तहत देय सभी अर्जित ब्याज, वित्तपोषण शुल्क और प्रभार, लेकिन इन्हें छोड़कर: (i) कोई भी ब्याज, शुल्क या प्रभार जो हस्तांतरण तिथि से 1 (एक) वर्ष पहले देय हो गया था, (ii) किसी भी वरिष्ठ ऋणदाता को वित्तीय समझौतों के तहत देय कोई दंडात्मक ब्याज या प्रभार, और (iii) ऋण के त्वरित पुनर्भुगतान के संबंध में कोई पूर्व-भुगतान प्रभार, सिवाय इसके कि जहां प्राधिकरण की चूक के कारण ऐसे प्रभार उत्पन्न हुए हैं; और

(c) कोई भी अधीनस्थ ऋण जो वित्तीय पैकेज में शामिल है और कुल परियोजना लागत को वित्तपोषित करने के लिए ऋणदाताओं द्वारा वितरित किया गया है,

बशर्ते कि यदि देय ऋण का संपूर्ण या कोई भाग वरिष्ठ ऋणदाताओं और/या रियायतग्राही के विकल्प पर इकिटी में परिवर्तनीय है, तो इस समझौते के उद्देश्यों के लिए इसे ऐसे परिवर्तन के बाद भी देय ऋण माना जाएगा और इसके मूलधन के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा मानो ऐसा परिवर्तन न किया गया हो,

बशर्ते आगे कि, चरण I सीओडी पर या उसके बाद देय ऋण किसी भी स्थिति में विमानपत्तन के चरण 1 के लिए कुल परियोजना लागत के 70% (सत्तर प्रतिशत) से अधिक नहीं होगा;

"ऋण सेवा" का अर्थ वित्तीय समझौतों की शर्तों के अनुसार उनके तहत वरिष्ठ ऋणदाताओं को एक लेखा वर्ष में देय और भुगतान योग्य मूलधन, ब्याज, वित्तपोषण शुल्क और प्रभार के मद में सभी भुगतानों के योग से है;

"मानित प्रदर्शन सुरक्षा" का अर्थ खंड 9.4 में निर्धारित अर्थ से है;

"रक्षा क्षेत्र" का अर्थ अनुसूची ख में निर्धारित अर्थ से है;

"रक्षा बल" का अर्थ भारतीय सेना, नौसेना या वायु सेना से है, और इसमें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अर्धसैनिक बल भी शामिल हैं;

"नामित भारत सरकार एजेंसी" का अर्थ भारत सरकार के नियंत्रण के तहत एक विभाग या अन्य इकाई से है और जिसे विमानपत्तन के कार्यान्वयन, संचालन और प्रबंधन के संबंध में सीमा शुल्क नियंत्रण, अप्रवासन (इमिग्रेशन) नियंत्रण, संगरोध (क्वारेन्टाइन), वायु यातायात नियंत्रण, विमानपत्तन सुरक्षा, मौसम विज्ञान, स्वास्थ्य आदि जैसे वैधानिक कार्य सौंपे गए हैं;

"विकास योजना" का अर्थ अनुसूची क के अनुलग्नक-II के पैरा 3 में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"विकास अवधि" का अर्थ इस समझौते की तिथि से नियत तिथि तक की अवधि से है;

"डीजीसीए" का अर्थ नागर विमानन महानिदेशालय या उसका कोई स्थानापन्न है;

"विवाद" का अर्थ खंड 39.1.1 में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"विवाद समाधान प्रक्रिया" का अर्थ अनुच्छेद 39 में निर्धारित विवादों के समाधान की प्रक्रिया से है;

"विनिवेश आवश्यकताएं" का अर्थ खंड 35.1 में निर्धारित समाप्ति के लिए और उसके संबंध में रियायतग्राही के दायित्वों से है;

"दस्तावेज़" या **"दस्तावेज़ीकरण"** का अर्थ मुद्रित या लिखित रूप में, या टेप, डिस्क, आरेख, कंप्यूटर प्रोग्राम, लेखन, रिपोर्ट, फोटो, फिल्म, कॅसेट में, या किसी अन्य लिखित, इलेक्ट्रॉनिक, ऑडियो या दृश्य रूप में व्यक्त दस्तावेज़ीकरण से है;

"आरेख" का अर्थ खंड 12.3 में निर्धारित विमानपत्तन से संबंधित सभी आरेखों, गणनाओं और दस्तावेजों से है, और इसमें विमानपत्तन के 'एज-बिल्ट' आरेख शामिल होंगे;

"ईपीसी अनुबंध" का अर्थ इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार विमानपत्तन के इंजीनियरिंग और निर्माण के लिए रियायतग्राही द्वारा एक या अधिक ठेकेदारों के साथ किए गए इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण अनुबंध या अनुबंधों से है;

"ईपीसी ठेकेदार" का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसके साथ रियायतग्राही ने ईपीसी अनुबंध किया है;

"आपात स्थिति" का अर्थ ऐसी स्थिति से है जिससे विमानपत्तन पर या उसके आसपास जीवन या संपत्ति की सुरक्षा को खतरा होने की संभावना है या जो किसी भी परियोजना परिसंपत्ति को भौतिक नुकसान का तत्काल खतरा पैदा करती है, और इसमें सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा शामिल है;

"प्रभार / विबंध" का अर्थ विमानपत्तन के संबंध में किसी भी प्रभार जैसे गिरवी रखने, प्रभार, गिरवी, धारणाधिकार, हाइपोथेकेशन, सुरक्षा हित, समनुदेशन, विशेषाधिकार या किसी भी प्रकार की प्राथमिकता जिसका प्रभाव सुरक्षा या अन्य ऐसे दायित्वों से है, और इसमें विमानपत्तन से संबंधित किसी भी बीमा पॉलिसी के तहत नुकसान पाने वालों या लाभार्थियों का कोई भी पदनाम या कोई समान व्यवस्था शामिल होगी, जैसा कि यहाँ लागू हो, लेकिन खंड 11.1 में संदर्भित मौजूदा उपयोगिताओं को छोड़कर;

"इक्विटी" का अर्थ रियायतग्राही की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय रुपयों में व्यक्त राशि से है, और इस समझौते के उद्देश्यों के लिए इसमें परिवर्तनीय साधन या पूंजी के अन्य समान रूप शामिल होंगे, जो अनिवार्य रूप से रियायतग्राही की इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तित हो जाएंगे। हालांकि, शर्त यह है कि प्राधिकरण की इक्विटी पूंजी अर्क के रूप में खंड 12.9.2 में निर्दिष्ट राशि को इस समझौते के उद्देश्यों के लिए इक्विटी माना जाएगा;

"एस्क्रो खाता" का अर्थ एक ऐसे खाते से है जिसे रियायतग्राही एक बैंक के साथ खोलेगा और बनाए रखेगा जिसमें पूंजीगत और राजस्व प्राप्तियों और व्यय के मद में सभी नकद अंतर्वाह और बहिर्वाह को इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार जमा और डेबिट किया जाएगा, और इसमें ऐसे एस्क्रो खाते के उप-खाते शामिल हैं;

"एस्क्रो समझौता" का अर्थ खंड 28.1.2 में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"एस्क्रो बैंक" का अर्थ खंड 28.1.1 में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"एस्क्रो चूक" का अर्थ अनुसूची 7 में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"छूट प्राप्त व्यक्ति" का अर्थ नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नागरिक विमानपत्तनों पर बोर्डिंग-पूर्व सुरक्षा जांच से छूट प्राप्त व्यक्तियों/व्यक्तियों की श्रेणियों के रूप में अधिसूचित व्यक्तियों से है;

"शुल्क" का अर्थ किसी भी या सभी: (क) ऐरा अधिनियम और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार ऐरा द्वारा निर्धारित या संशोधित और स्वीकृत दरों के अनुसार विमानन सेवाओं; और (ख) गैर-विमानन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक उपयोगकर्ता पर लगाए गए और देय शुल्क से है;

"वित्तीय क्षमता" का अर्थ आरएफव्यू में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"वित्तीय समापन" का अर्थ चरण 1 के संबंध में वित्तीय समझौतों के तहत धन की शुरुआती उपलब्धता के लिए सभी पूर्व-अपेक्षित शर्तों की पूर्ति से है;

"वित्तीय चूक" का अर्थ अनुसूची 6 में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"वित्तीय मॉडल" का अर्थ वित्तीय समझौतों के एक भाग के रूप में प्रदान किए गए वित्तीय मॉडल से है, जो परियोजना के प्रत्येक चरण की पूंजीगत और परिचालन लागतों और उससे होने वाले राजस्व को निर्धारित करता है, जिसके आधार पर वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा परियोजना के संबंधित चरण की वित्तीय व्यावहारिकता निर्धारित की गई है, और इसमें गणना और अनुमान लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली धारणाओं और मापदंडों का विवरण शामिल है;

"वित्तीय पैकेज" का अर्थ विमानपत्तन के प्रत्येक चरण की कुल पूंजीगत लागत और उसके वित्तपोषण के साधनों को दर्शाने वाले वित्तीय पैकेज से है, जैसा कि वित्तीय मॉडल में निर्धारित किया गया है और वरिष्ठ

ऋणदाताओं द्वारा अनुमोदित किया गया है, और इसमें इकिटी, वित्तीय समझौतों में निर्दिष्ट सभी वित्तीय सहायता और अधीनस्थ ऋण, यदि कोई हो, शामिल हैं;

"वित्तीय समझौते" का अर्थ ऋण, गारंटी, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के अंशदान और ऋण समझौतों, गारंटी, नोट्स, डिबेंचर, बॉन्ड और अन्य ऋण साधनों, सुरक्षा समझौतों सहित अन्य ऋण साधनों के माध्यम से वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के संबंध में रियायतग्राही द्वारा निष्पादित समझौतों से है, और परियोजना के वित्तपोषण (पुनर्वित्तपोषण सहित) से संबंधित अन्य दस्तावेज शामिल हैं, और इसमें खंड 5.2.3 के अनुसार किए गए संशोधन या रूपांतरण शामिल हैं;

"अपरिहार्य घटना/फ़ोर्स मेज्योर" का अर्थ खंड 31.1 में इसके लिए दिए गए अर्थ से है;

"फ़ोर्स मेज्योर लागत" का अर्थ खंड 31.7.2 में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"जीडीसीआर" का अर्थ प्राधिकरण के सामान्य विकास नियंत्रण विनियम से है;

"भारत सरकार" का अर्थ प्रस्तावना क में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"भारत सरकार की स्वीकृति" का अर्थ प्रस्तावना क में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"महाराष्ट्र सरकार" का अर्थ प्रस्तावना ख में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"महाराष्ट्र सरकार की स्वीकृति" का अर्थ प्रस्तावना ख में यथा निर्धारित अर्थ से है;

"उत्कृष्ट उद्योग कार्य-प्रणाली" का अर्थ उन प्रथाओं, तरीकों, तकनीकों, डिजाइनों, मानकों, कौशलों, लगन, दक्षता, विश्वसनीयता और दूरदर्शिता से है, जो इस समझौते के तहत परिकल्पित एक ही प्रकार के व्यवसाय में लगे एक उचित रूप से कुशल और अनुभवी ऑपरेटर से सामान्य रूप से और उचित रूप से अपेक्षित हैं और जिससे यह उम्मीद की जाएगी कि रियायतग्राही विश्वसनीय, सुरक्षित, किफायती और कुशल तरीके से तथा सुरक्षित, आर्थिक, विश्वसनीय और कुशल विमानन सेवाएं और गैर-विमानन सेवाएं प्रदान करने के लिए इस समझौते, लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के अनुसार अपने दायित्वों का निष्पादन करेगा।

"सरकार") "सरकार" से नागर विमानन एवं संबंधित विषयों हेतु राज्य सरकार अभिप्रेत है;

"सरकारी क्षतिपूरित व्यक्ति" "सरकारी क्षतिपूरित व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो खंड 38.1.1 में निर्धारित किया गया है;

"सरकारी तंत्र / एजेंसी" "सरकारी तंत्र" से भारत सरकार या महाराष्ट्र सरकार का कोई भी विभाग, प्रभाग या उप-प्रभाग अभिप्रेत है और इसमें भारत सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कोई आयोग, बोर्ड, प्राधिकरण, एजेंसी या नगर पालिका और अन्य स्थानीय प्राधिकरण या सांविधिक निकाय (पंचायत सहित) शामिल हैं, जिनका हवाई अड्डे के सभी या किसी भाग पर अथवा इस समझौते के अनुसरण में या इसके तहत रियायतग्राही की सभी या किसी भी सेवा या दायित्व के निष्पादन पर अधिकार क्षेत्र है;

"सरकारी संकल्प" परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के संबंध में महाराष्ट्र सरकार के नगर विकास विभाग द्वारा जारी संकल्प संख्या सीआईडी-1812/फाइल संख्या 274/यूडी-10 दिनांक 1 मार्च 2014, सहपठित संकल्प संख्या सीआईडी-1812/फाइल संख्या 274/यूडी-10 दिनांक 28 मई 2014, तथा राजस्व एवं वन विभाग द्वारा जारी संकल्प संख्या एलक्यूएन-05/2014/फाइल संख्या 39/ए-2 दिनांक 16 जून 2014 एवं आरपीए 2014/फाइल संख्या 52/आर-3 दिनांक 25 जून 2014 अभिप्रेत है;

"सकल राजस्व" सकल राजस्व से तात्पर्य इस समझौते के तहत या इसके अनुसरण में, इस समझौते के निष्पादन की तिथि से लेकर अंतरण तिथि (Transfer Date) तक किसी भी समय रियायतग्राही द्वारा अर्जित सभी कर-पूर्व सकल राजस्व से है, और इसमें उप-लाइसेंसधारियों तथा अन्य व्यक्तियों से जमा (प्रतिदेय या अन्यथा) के रूप में प्राप्त राशि शामिल होगी, किंतु निम्नलिखित को बाहर रखा जाएगा:

- (क) रियायतग्राही को प्राप्त बीमा प्राप्तियां जो (i) उस व्यक्ति को भुगतान की गई या दी जाने वाली तृतीय पक्ष देयता बीमा से संबंधित हैं जिसका दावा बीमित जोखिम या देयता का निर्माण करता है, और (ii) परिसंपत्तियों के किसी भी प्रकार के भौतिक नुकसान से संबंधित हैं, और रियायतग्राही ने ऐसी परिसंपत्तियों की त्वरित और लगन से मरम्मत, पुनर्स्थापना या प्रतिस्थापन हेतु प्राप्त प्राप्तिओं के बराबर या उससे अधिक व्यय किया है या करेगा;
- (ख) रियायतग्राही द्वारा किसी सरकारी तंत्र के अधिकृत एजेंट के रूप में उसके लिए या उसकी ओर से प्राप्त की गई कोई भी धनराशि; और
- (ग) किसी विशेष लेखा वर्ष (Accounting Year) में संबंधित उप-लाइसेंसधारी या प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को लौटाई गई जमा राशियां, बशर्ते कि ये पूर्व जमा से संबंधित हों जिस पर प्राधिकरण को प्रीमियम का भुगतान किया जा चुका है।

यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाता है कि:

- (i) ऊपर (क) में उल्लिखित बीमा प्राप्तिओं में राजस्व हानि और/या व्यवसाय में व्यवधान हेतु प्राप्त बीमा प्राप्तियां शामिल नहीं होंगी;
- (ii) ऊपर (ख) में उल्लिखित धनराशि को केवल तभी बाहर रखा जाएगा जब रियायतग्राही द्वारा उसे प्रासंगिक सरकारी तंत्र के खाते में त्वरित एवं निष्ठापूर्वक जमा कर दिया गया हो या जमा कर दिया जाएगा। लागू कानूनों के तहत ऐसी धनराशि का भुगतान न करने या विलंब से भुगतान के परिणामस्वरूप अर्जित कोई भी जुर्माना, शास्ति या समान प्रकृति की अन्य राशियां बाहर नहीं की जाएंगी;
- (iii) सकल राजस्व की गणना 31 मार्च 2016 को लागू भारतीय सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (GAAP) के अनुसार लेखा वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर की जाएगी;
- (iv) सकल राजस्व की गणना और/या अर्थ से संबंधित किसी भी विवाद, विसंगति, अस्पष्टता, संदेह या अन्यथा के मामले में, प्राधिकरण का निर्णय, उसके एकमात्र विवेक पर, अंतिम होगा;

"ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं" खंड 18.2 में यथा-निर्धारित अर्थ होगा;

"आईएटीए" आईएटीए से इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ) अभिप्रेत है;

"इकाओ" इकाओ से शिकागो कन्वेंशन द्वारा गठित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन और उसका कोई भी उत्तराधिकारी अभिप्रेत है;

"इकाओ दस्तावेज और परिशिष्ट" समय-समय पर यथा-संशोधित और प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के दस्तावेज और परिशिष्ट अभिप्रेत हैं;

"क्षतिपूरित पक्ष" खंड 38.3 के अनुसार क्षतिपूर्ति का लाभ प्राप्त करने का हकदार पक्ष अभिप्रेत है;

"क्षतिपूर्तिदाता पक्ष" खंड 38.3 के अनुसार दूसरे पक्ष को क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य पक्ष अभिप्रेत है;

"स्वतंत्र इंजीनियर" खंड 23.1.1 में यथा-निर्धारित अर्थ होगा;

"अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना" खंड 31.3 में यथा-निर्धारित अर्थ होगा;

"निरीक्षण रिपोर्ट" खंड 13.2 के अनुसार स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट अभिप्रेत होगी;

"बीमा कवर" अनुच्छेद 29 के अनुसरण में रियायतग्राही द्वारा ली गई बीमा पॉलिसियों के तहत बीमित अधिकतम राशियों का योग अभिप्रेत है, और इसमें खंड 29.2 के तहत ली जाने वाली लेकिन वास्तव में न ली गई सभी बीमा पॉलिसियां शामिल हैं;

"बौद्धिक संपदा" सभी पेटेंट, ट्रेड-मार्क, सर्विस मार्क, लोगो, ट्रेड नाम, इंटरनेट डोमेन नाम, डिजाइन अधिकार, ब्लू प्रिंट, प्रोग्राम और मैनुअल, ड्राइंग, कॉपीराइट (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अधिकार सहित), डेटाबेस अधिकार, नो-हाउ में अधिकार और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार अभिप्रेत हैं;

"मुख्य प्रबंधकीय कर्मी" रियायतग्राही के संबंध में निम्नलिखित अभिप्रेत हैं:

(क) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक;

(ख) पूर्णकालिक निदेशक;

(ग) मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO), मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी (CCO), मुख्य परिचालन अधिकारी (COO), कंपनी सचिव (Company Secretary);

(घ) वे व्यक्ति जिनके पास रियायतग्राही की गतिविधियों के नियोजन, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार एवं उत्तरदायित्व है;

"मुख्य निष्पादन सूचक" खंड 22.1 में यथा-निर्धारित अर्थ होगा;

"भूमि विकास कार्य" विकास-पूर्व कार्यों का हिस्सा बनने वाले भूमि विकास से संबंधित कार्य अभिप्रेत हैं;

"एलडीएस समझौता" अनुसूची ब में दिए गए प्रारूप में निष्पादित किया जाने वाला अनुबंध अभिप्रेत है;

"आशय पत्र"/"एलओए" प्रस्तावना छ में संदर्भित आशय पत्र अभिप्रेत है;

"ऋणदाता प्रतिनिधि" वरिष्ठ ऋणदाताओं (Senior Lenders) द्वारा इस समझौते से उत्पन्न या इसके संबंध में मामलों के लिए उनकी ओर से कार्य करने हेतु विधिवत अधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है;

"प्रमुख योजना" अनुसूची क में निर्धारित रीति से रियायतग्राही द्वारा तैयार की गई हवाई अड्डे के चरणबद्ध निर्माण की योजना अभिप्रेत है;

"महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव" किसी भी ऐसे कार्य या घटना का प्रतिकूल प्रभाव जो किसी भी पक्ष द्वारा इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित करता है और वित्तीय बोझ का कारण बनता है;

"मासिक विवरण" रियायतग्राही द्वारा प्रत्येक माह की समाप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण;

"एमआरओ" रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल अभिप्रेत है;

"एमआरओ सुविधाएं" खंड 12.10 के प्रावधानों के अनुसार विमान के एमआरओ के लिए आवश्यक भवन, संरचनाएं और उपकरण अभिप्रेत हैं;

"नामित कंपनी" स्थानापन्न समझौते के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने के लिए ऋणदाता प्रतिनिधि द्वारा चुनी गई और प्राधिकरण को प्रस्तावित कंपनी अभिप्रेत है;

"गैर-विमानन परिसंपत्तियां" वे परिसंपत्तियां जो हवाई अड्डे पर गैर-विमानन सेवाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक हैं;

"गैर-विमानन सेवाएं" विमानन सेवाओं के अलावा अन्य सेवाएं अभिप्रेत हैं;

"गैर-राजनीतिक घटना" खंड 31.2 में यथा-निर्धारित अर्थ होगा;

"प्रचालन एवं रखरखाव" / "ओएंडएम" हवाई अड्डे का संचालन और रखरखाव अभिप्रेत है;

"ओएंडएम अनुबंध" ओएंडएम दायित्वों के निष्पादन के लिए रियायतग्राही और ओएंडएम ठेकेदारों के बीच किए गए संचालन और रखरखाव अनुबंध अभिप्रेत हैं;

"ओएंडएम व्यय" संचालन और रखरखाव के लिए रियायतग्राही द्वारा या उसकी ओर से किया गया व्यय;

"प्रचालन अवधि" चरण 1 सीओडी से प्रारंभ होकर अंतरण तिथि तक की अवधि;

"यात्री यातायात" एक लेखा वर्ष के दौरान हवाई अड्डे का उपयोग करने वाले यात्रियों (प्रस्थान, आगमन और पारगमन) की कुल संख्या;

"व्यस्ततम समय" पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के उस घंटे के आधार पर निर्धारित घंटा जिसमें यात्री यातायात 30वां सबसे व्यस्त घंटा था;

"व्यस्ततम समय यातायात" से तात्पर्य प्रत्येक व्यस्ततम घंटे के दौरान यातायात से है;

"प्रदर्शन प्रतिभूति" खंड 9.1.1 में यथा-निर्धारित अर्थ होगा;

"प्रदर्शन गारंटी" खंड 36.2.3 में यथा-निर्धारित अर्थ होगा;

"चरण" का अर्थ है मास्टर प्लान के अनुसार ऐसे चरण के लिए निर्दिष्ट वार्षिक यात्री थ्रूपुट को संभालने के लिए समझौते की शर्तों के अनुसार हवाई अड्डे का हिस्सा बनाने वाले कार्य से है;

"चरण-I" का अर्थ है प्रमुख योजना के अनुसार इस समझौते की शर्तों के अनुसार न्यूनतम 10 (दस) मिलियन यात्रियों की वार्षिक यात्री थ्रूपुट और न्यूनतम 260000 टन प्रति वर्ष की कार्गो हैंडलिंग क्षमता के लिए हवाई अड्डे का हिस्सा बनाने वाले सभी कार्य से है;

"चरण समापन अनुसूची" से तात्पर्य हवाई अड्डे के संबंधित चरण के निर्धारित समापन तिथि पर या उससे पहले पूरा करने हेतु प्रगतिशील चरण मील के पथरों से है;

"चरण माइलस्टोन" से तात्पर्य खंड 12.5.2 और अनुसूची 'छ' में यथा-परिभाषित प्रगतिशील मील के पथरों से है;

"पुलिस" से तात्पर्य कानून प्रवर्तन एजेंसी से है, जिसमें राज्य पुलिस या लागू कानूनों के तहत सुरक्षा, अपराध रोकथाम या कानून एवं व्यवस्था के रखरखाव से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त कोई अन्य संगठन शामिल है;

"पुलिस सहायता चौकी" का वही अर्थ है जो खंड 19.4 में दिया गया है;

"राजनीतिक घटना" का वही अर्थ है जो खंड 31.4 में दिया गया है;

"विकास-पूर्व कार्य" का वही अर्थ है जो खंड 12.9.1 में दिया गया है;

"प्राथमिकता प्राप्त बोलीदाता" का वही अर्थ है जो प्रस्तावना छ में दिया गया है;

"संरक्षण लागत" का वही अर्थ है जो खंड 13.5.3 में दिया गया है;

"प्रीमियम" का वही अर्थ है जो खंड 26.2.1 में दिया गया है;

"मूल्य सूचकांक" में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) थोक मूल्य सूचकांक का 70% (सत्तर प्रतिशत); और

(ख) औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक [CPI (IW)] का 30% (तीस प्रतिशत) जिन घटकों को पक्षकारों द्वारा पारस्परिक सहमति से निर्धारित ऐसे वैकल्पिक सूचकांक या सूचकांकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है;

"परियोजना" से तात्पर्य इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे के डिजाइन, निर्माण, परिचालन और रखरखाव से है, और इसमें घरेलू यात्रियों तथा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अलग-अलग पहचाने गए क्षेत्रों के साथ प्रति वर्ष न्यूनतम 60 मिलियन (6 करोड़) यात्री हैंडलिंग क्षमता तथा प्रति वर्ष न्यूनतम 1.5 मिलियन टन कार्गो (माल) हैंडलिंग क्षमता के लिए परियोजना के दायरे से संबंधित सभी कार्य, सेवाएं और उपकरण शामिल हैं;

"परियोजना प्रभावित व्यक्ति" से तात्पर्य परियोजना के विकास और कार्यान्वयन के कारण प्रभावित उन व्यक्तियों से है, जिनकी भूमि और संरचनाएं स्थल के अंतर्गत आती हैं तथा प्राधिकरण द्वारा उसके संबंध में अधिग्रहित या प्रभावित की गई हैं, और जो सरकार के प्रस्तावों के नियमों के अनुसार 100 (एक सौ) इकिटी शेयर (अनुसूची 5 (शेयरधारक समझौते) में यथा-परिभाषित) के लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं;

"परियोजना समझौते" से तात्पर्य इस समझौते, वित्तपोषण समझौते, ईपीसी अनुबंध, परिचालन एवं रखरखाव अनुबंध, गैर-प्रकटीकरण समझौता, शेयरधारकों का समझौता, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन, सीएनएस-एटीएम समझौता, महाराष्ट्र सरकार के साथ राज्य सरकार सहायता समझौता, भूमि विकास साझीदार समझौता (समझौते), हवाई अड्डा परिचालक का समझौता और उप-लाइसेंस तथा रियायतग्राही द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ परियोजना से संबंधित, उससे उत्पन्न होने वाले या प्रासंगिक मामलों के संबंध में किए जाने वाले किसी भी अन्य महत्वपूर्ण समझौते या अनुबंध से है, जिनका मूल्य वार्षिक या संचयी रूप से ₹25,00,00,000/- (पच्चीस करोड़ रुपये) से अधिक है, लेकिन इसमें एस्करो समझौता और प्रतिस्थापन समझौता (शामिल नहीं हैं);

"परियोजना परिसंपत्तियां" से तात्पर्य स्थल से संबंधित और उसका हिस्सा बनने वाली सभी भौतिक और अन्य परिसंपत्तियों से है, जिनमें शामिल हैं:

(क) लाइसेंस, मार्ग का अधिकार या अन्यथा के रूप में स्थल पर अधिकार;

(ख) वैमानिक परिसंपत्तियां और गैर-वैमानिक परिसंपत्तियां;

(ग) मूर्त (भौतिक) परिसंपत्तियां जैसे सिविल कार्य और उपकरण, जिनमें नींव, जल निकासी कार्य, विद्युत प्रणाली, संचार प्रणाली और प्रशासनिक कार्यालय शामिल हैं;

(घ) स्थल पर स्थित परियोजना सुविधाएं;

(ङ) परियोजना समझौतों के तहत रियायतग्राही के सभी अधिकार;

(च) वित्तीय परिसंपत्तियां, जैसे प्राप्त राशि, सुरक्षा जमा आदि;

(छ) बीमा की प्राप्तियां; और

(ज) हवाईअड्डे से संबंधित या उसके संबंध में लागू स्वीकृतियां और प्राधिकरण;

"परियोजना सुविधाएं" से तात्पर्य स्थल पर स्थित उन सभी सुख-सुविधाओं और सुविधाओं से है, जैसा कि अनुसूची 'ग' में वर्णित है;

"प्रवर्तक एसपीवी" का वही अर्थ है जो खंड 5.3.3 में दिया गया है;

"संरक्षित दस्तावेज" से तात्पर्य उन दस्तावेजों, लिखतों और सूचनाओं से है, जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के प्रावधानों या समय-समय पर प्रतिस्थापित, संशोधित और परिवर्तित प्रावधानों के तहत छूट दी गई है;

"अनंतिम समापन" का वही अर्थ है जो खंड 14.3 में दिया गया है;

"पंच लिस्ट/त्रुटि सूची" का वही अर्थ है जो खंड 14.3.1 में दिया गया है;

"संदर्भ तिथि" से तात्पर्य चालू माह के प्रथम दिन से है;

"संदर्भ विनिमय दर" से तात्पर्य इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार किसी एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में परिवर्तित की जाने वाली दर से है, जो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिल्ली में संबंधित तिथि को दोपहर 12.00 (बारह) बजे उद्धृत विनिमय दर होगी, और ऐसी दर के अभाव में, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा दिल्ली में उद्धृत समान दरों का औसत होगा;

"संबंधित पक्षकार" से तात्पर्य रियायतग्राही के संदर्भ में, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत ऐसे शब्द के लिए निर्दिष्ट अर्थ से है;

"संबंधित पक्षकार लेनदेन" से तात्पर्य संबंधित पक्षकारों के बीच लीज, सब-लीज, लाइसेंस, सब-लाइसेंस, कार्यों, संसाधनों या दायित्वों के हस्तांतरण या आवंटन के किसी भी लेनदेन से है, चाहे मूल्य लिया गया हो या नहीं, और यह हर समय खंड 5.6.2 में निर्धारित अनुबंध सिद्धांतों का अनुपालन करेगा;

"प्रस्ताव हेतु अनुरोध" या "आरएफपी" का वही अर्थ है जो प्रस्तावना च में दिया गया है।

"योग्यता हेतु अनुरोध" या "आरएफव्यू" का वही अर्थ है जो प्रस्तावना घ में दिया गया है;

"आरक्षित क्षेत्र" से तात्पर्य खंड 18.8 और खंड 19.7 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण और निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसियों के लिए आरक्षित स्थान और क्षेत्र से है;

"आरक्षित पार्किंग" का वही अर्थ है जो खंड 18.12.4 में दिया गया है;

"आरक्षित सेवाएं" का वही अर्थ है जो खंड 19.1.1ड में दिया गया है;

"मार्ग का अधिकार / पहुंच अधिकार" से तात्पर्य हवाई अड्डे के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक स्थल के रचनात्मक कब्जे के साथ-साथ सभी मार्ग-अनुमतियों, सुखाधिकारों, अबाध पहुंच और मार्ग के अन्य अधिकारों से है, चाहे उन्हें किसी भी रूप में वर्णित किया गया हो;

"मार्ग नौवहन सुविधा प्रभार" से तात्पर्य लागू कानूनों के अनुसार मार्ग नौवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण या किसी अन्य निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसी द्वारा एयरलाइंस और/या विमान परिचालकों से ली जाने वाली राशियों से है;

"रु." या "रुपये" या "भारतीय रुपये" से तात्पर्य भारत गणराज्य की वैध मुद्रा से है;

"नियम" से तात्पर्य वैकल्पिक विवाद समाधान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली के मध्यस्थता नियमों से है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित या परिवर्तित किया गया हो;

"रनवे" से तात्पर्य हवाई अड्डे पर भूमि की उस पट्टी से है, जिस पर विमान उड़ान भरेंगे और उतरेंगे, और यह डामर, कंक्रीट या दोनों के मिश्रण के उपयोग सहित एक मानव निर्मित सतह हो सकती है;

"सुरक्षा आवश्यकताएं" का वही अर्थ है जो खंड 17.15 में दिया गया है;

"निर्धारित समापन तिथि" का वही अर्थ है जो चरण I के लिए खंड 12.5.1 में दिया गया है, और अन्य चरणों के संबंध में, निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ऐसे चरण के लिए स्वतंत्र इंजीनियर के परामर्श से प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा;

"परियोजना का दायरा" का वही अर्थ है जो खंड 2.1 में दिया गया है;

"वरिष्ठ ऋणदाता" से तात्पर्य वित्तीय संस्थानों, बैंकों, बहुपक्षीय ऋण एजेंसियों, न्यासों, निधियों और डिबेंचर धारकों के एजेंटों या न्यासियों से है, जिनमें उनके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल हैं, जो किसी भी वित्तपोषण समझौते के तहत रियायतग्राही को गारंटी देने या वित्त प्रदान करने के लिए सहमत हुए हैं और जो इसके नियमों के अनुसार रियायतग्राही की परिसंपत्तियों, अधिकारों, स्वत्व और हितों पर सम-प्राधिकृत प्रभार रखते हैं;

"सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं" का वही अर्थ है जो अनुसूची के अनुलग्नक I में दिया गया है;

"शेयरधारकों का समझौता" का वही अर्थ है जो खंड 5.4.1 में दिया गया है;

"स्थल" का वही अर्थ है जो खंड 10.1 में दिया गया है;

"सॉफ्ट लोन / रियायती ऋण" से तात्पर्य खंड 12.9.1 में उल्लिखित राशि के ब्याज मुक्त ऋण से है, जो प्राधिकरण द्वारा विकास-पूर्व कार्यों पर खर्च किया गया है;

"विशिष्टताएं और मानक" से तात्पर्य हवाई अड्डे की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता और अन्य आवश्यकताओं से संबंधित विशिष्टताओं और मानकों से है, जैसा कि अनुसूची घ में निर्धारित किया गया है, और उसमें कोई भी संशोधन या परिवर्धन शामिल है;

"निर्दिष्ट परिसंपत्तियां" से तात्पर्य खंड 12.7 और मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे के विस्तार के भाग के रूप में बनने वाली परिसंपत्तियों से है और इसमें शामिल है, लेकिन किसी भी स्थिति में भूमि शामिल नहीं होगी;

"राज्य" से तात्पर्य उस राज्य से है जिसमें प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है;

"राज्य सरकार" से तात्पर्य उस राज्य की सरकार से है;

"सांविधिक लेखा परीक्षक" से तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों (इसके किसी भी पुनरध्ययन या संशोधन सहित) के तहत रियायतग्राही के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने वाली और खंड 30.2.1 के अनुसार नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक प्रतिष्ठित फर्म से है;

"अधीनस्थ ऋण" से तात्पर्य हस्तांतरण तिथि तक बकाया, यथास्थिति, भारतीय रुपये में या ऋण की मुद्रा में व्यक्त निम्नलिखित राशियों के योग से है:

(क) परियोजना लागत को पूरा करने के लिए ऋणदाताओं या रियायतग्राही के शेयरधारकों द्वारा प्रदान की गई तथा वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता के अधीन ऋण की मूल राशि; और

(ख) उप-खंड (क) में संदर्भित ऋण पर सभी उपार्जित ब्याज, लेकिन भारतीय रुपये में व्यक्त ऋणों के मामले में वास्तविक ब्याज दर और बैंक दर से 5% (पांच प्रतिशत) अधिक की दर में से जो भी कम हो, तथा विदेशी मुद्रा में व्यक्त ऋणों के मामले में वास्तविक ब्याज दर और 6 (छह) महीने के लिबोर प्लस 2% (दो प्रतिशत) में से जो भी कम हो, तक सीमित होगा, लेकिन इसमें हस्तांतरण तिथि से 1 (एक) वर्ष पूर्व देय कोई ब्याज शामिल नहीं है;

बशर्ते कि यदि अधीनस्थ ऋण का पूरा या कोई भाग ऋणदाताओं और/या रियायतग्राही के शेयरधारकों के विकल्प पर इक्विटी में परिवर्तनीय है, तो इस समझौते के उद्देश्यों के लिए ऐसे परिवर्तन के बाद भी इसे अधीनस्थ ऋण माना जाएगा और इसके मूलधन का निपटान इस प्रकार किया जाएगा मानो ऐसा परिवर्तन न किया गया हो;

"प्रतिस्थापन समझौता" का वही अर्थ है जो खंड 37.3.1 में दिया गया है;

"निलंबन" का वही अर्थ है जो खंड 33.1 में दिया गया है;

"कर" से तात्पर्य हवाई अड्डे में शामिल और उसके भाग के रूप में माल, सामग्री, उपकरण और सेवाओं पर किसी भी सरकारी निकाय द्वारा लगाए गए, वसूल किए गए या अधिरोपित किसी भी भारतीय कर से है, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित कर, बिक्री कर, स्थानीय कर, उपकर और समान प्रकृति का कोई भी प्रभार या अधिभार (चाहे केंद्रीय, राज्य या स्थानीय हो) शामिल है, लेकिन किसी भी कारण से अधिरोपित ब्याज, जुर्माना और अन्य राशियों को छोड़कर। करों में कॉर्पोरेट आय पर कर शामिल नहीं होंगे;

"तकनीकी क्षमता" का वही अर्थ है जो आरएफक्यू में दिया गया है;

"टर्मिनल" से तात्पर्य टर्मिनल भवन, पार्किंग, पहुंच मार्ग, कार्गो (माल) सुविधाएं और उससे संलग्न भूमि से है और इसमें ये शामिल हैं;

"टर्मिनल भवन" से तात्पर्य स्थल पर घरेलू यात्रियों और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अलग से पहचाने गए क्षेत्रों तथा उससे संलग्न भूमि, जिसमें कर्वसाइड और पहुंच मार्ग शामिल हैं, वाले यात्री टर्मिनल भवन से है, जैसा कि मास्टर प्लान में वर्णित और सीमांकित किया गया है;

"समापन" से तात्पर्य इस समझौते और इसके तहत दी गई रियायत की समाप्ति या समापन से है;

"समापन नोटिस / समाप्ति सूचना" से तात्पर्य इस समझौते के अनुसार एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को इस समझौते को समाप्त करने के लिए जारी किए गए पत्र/सूचना से है;

"समापन भुगतान" से तात्पर्य इस समझौते के प्रावधानों के तहत और उनके अनुसार, समाप्ति पर प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को देय राशि से है;

"परीक्षण" से तात्पर्य इस समझौते के प्रावधानों, प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों एवं अनुलग्नकों तथा डीजीसीए द्वारा निर्धारित लागू दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य पूरा होने का निर्धारण करने के लिए अनुसूची ज में निर्धारित परीक्षणों से है, और इसमें यथोचित परिवर्तनों सहित इस समझौते और मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे के विस्तार के पूरा होने का निर्धारण करने के लिए समान परीक्षण शामिल होंगे;

"कुल परियोजना लागत" से तात्पर्य चरण 1 के निर्माण और वित्तपोषण पर खर्च की गई पूंजीगत लागत से है (यदि कोई मेट्रो/मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है तो उसे छोड़कर), जिसमें चरण 1 का हिस्सा बनने वाली वैमानिक परिसंपत्तियां और गैर-वैमानिक परिसंपत्तियां शामिल हैं, और यह निम्नलिखित में से जो भी सबसे कम हो, तक सीमित होगी:

(क) निर्माण, कार्यान्वयन और चालू करने के संबंध में किए गए निर्माण कार्यों की वास्तविक पूंजीगत लागत;

(ख) वित्तीय पैकेज में निर्धारित पूंजीगत लागत; और

(ग) ₹55,34,00,00,000/- (पांच हजार पांच सौ चौतीस करोड़ रुपये) की राशि;

बशर्ते कि समाप्ति की स्थिति में, कुल परियोजना लागत को इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार समायोजन इक्विटी और देय ऋण के संबंध में मूल्य सूचकांक या संदर्भ विनिमय दर में होने वाले परिवर्तन की सीमा तक संशोधित माना जाएगा; यह भी

बशर्ते कि कुल परियोजना लागत चरण-1 के पूरा होने पर निर्माण कार्यों की वास्तविक पूंजीगत लागत से अधिक नहीं होगी;

"हस्तांतरण तिथि" से तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन यह समझौता और इसके तहत दी गई रियायत इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार समाप्त हो जाती है या समाप्ति सूचना द्वारा समाप्त कर दी जाती है;

"अप्रत्याशित घटना" का वही अर्थ है जो खंड 31.12.1 में दिया गया है;

"उपयोगकर्ता" से तात्पर्य एयरलाइन, यात्री, आगंतुक या अन्य व्यक्ति सहित उस व्यक्ति से है, जो शुल्क के भुगतान पर या इस समझौते और लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे या उसके किसी भाग का उपयोग करता है या उपयोग करने का इरादा रखता है, जिसमें कोई भी या सभी वैमानिक सेवाएं या गैर-वैमानिक सेवाएं शामिल हैं;

"उपयोगकर्ता चार्टर" का वही अर्थ है जो खंड 22.10 में दिया गया है;

"उपयोगकर्ता सर्वेक्षण" का वही अर्थ है जो खंड 22.7.3 में दिया गया है;

"निहिती प्रमाण पत्र" का वही अर्थ है जो खंड 35.4 में दिया गया है

"डब्ल्यूपीआई" का अर्थ है उद्योग मंत्रालय, जीओआई द्वारा प्रकाशित सभी वस्तुओं के लिए थोक मूल्य सूचकांक और इसमें कोई भी सूचकांक शामिल होगा जो डब्ल्यूपीआई को प्रतिस्थापित करता है, और डब्ल्यूपीआई का कोई भी संदर्भ, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो, पिछले महीने के साथ समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रकाशित डब्ल्यूपीआई के संदर्भ के रूप में गठित किया जाएगा।

1.2. निर्वचन (Interpretation)

1.2.1 इस समझौते में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) किसी भी विधान या उसके किसी प्रावधान के संदर्भ में ऐसे विधान या प्रावधान का संशोधन या पुनः अधिनियमन शामिल होगा;

(ख) लागू कानूनों के संदर्भ में भारत के क्षेत्र में कानून का बल रखने वाले कानून, अधिनियम, अध्यादेश, नियम, नियमन, उप-नियम या अधिसूचनाएं शामिल होंगी;

(ग) "व्यक्ति" के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, निगम, समाज, ट्रस्ट, सरकार, राज्य या राज्य की एजेंसी का संदर्भ शामिल होगा;

(घ) इस समझौते में विषय-सूची, शीर्षक या उप-शीर्षक केवल संदर्भ की सुविधा के लिए हैं;

(ङ) "शामिल हैं" और "शामिल करते हुए" शब्दों का अर्थ बिना किसी सीमा के समझा जाएगा;

(च) "निर्माण" या "भवन" के संदर्भ में जांच, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, खरीद, वितरण, परिवहन, स्थापना, प्रसंस्करण, परीक्षण और चालू करना शामिल होगा;

(छ) "विकास" के संदर्भ में निर्माण, विस्तार, नवीनीकरण, सुदृढीकरण और उन्नयन शामिल होगा;

(ज) समय की किसी भी अवधि का संदर्भ भारतीय मानक समय के अनुसार माना जाएगा;

(झ) "घंटे" के संदर्भ का अर्थ 60 (साठ) मिनट की अवधि होगी।

(ञ) 'दिवस' का कोई भी संदर्भ कैलेंडर दिवस के संदर्भ में माना जाएगा;

(ट) 'कारोबारी दिवस' के संदर्भ का अर्थ ऐसे दिवस (रविवार को छोड़कर) से लगाया जाएगा जिस दिन राज्य में बैंक सामान्य रूप से व्यवसाय के लिए खुले रहते हैं;

(ठ) 'माह' के किसी भी संदर्भ का अर्थ ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कैलेंडर माह से होगा;

(ड) किसी तिथि, अवधि या चरणबद्ध माइल स्टोन के संदर्भ में इस करार के अनुसरण में विस्तारित ऐसी तिथि, अवधि या चरणबद्ध मील के पथर शामिल होंगे;

(ण) किसी निर्दिष्ट दिवस या तिथि 'से' तथा किसी निर्दिष्ट दिवस या तिथि 'तक' या 'जब तक' प्रारंभ होने वाली किसी भी अवधि के संदर्भ में दोनों दिवस या तिथियां शामिल होंगी; शर्त यह है कि यदि इस करार के तहत गणना की गई किसी अवधि का अंतिम दिन कारोबारी दिवस नहीं है, तो वह अवधि अगले कारोबारी दिवस के अंत तक लागू रहेगी;

(त) एकवचन वाले शब्दों में बहुवचन शामिल होगा और इसके विपरीत भी लागू होगा;

(थ) किसी भी लिंग के संदर्भ में अन्य लिंग और तटस्थ लिंग शामिल होंगे;

(द) 'लाख' का अर्थ एक सौ हजार (100,000) से है और 'करोड़' का अर्थ दस मिलियन (10,000,000) से है;

(ध) 'ऋणग्रस्तता/ऋणभार' का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा ताकि उसमें धन के भुगतान या पुनर्भुगतान के लिए किसी भी दायित्व (चाहे वह मूलधन या जमानत के रूप में लिया गया हो), चाहे वह वर्तमान हो या भावी, वास्तविक हो या आकस्मिक, को शामिल किया जा सके;

(न) किसी कंपनी या निगम के 'समापन', 'विघटन', 'दिवाला', या 'पुनर्गठन' के संदर्भों का अर्थ उस अधिकार क्षेत्र के कानून के तहत समकक्ष या समरूप कार्यवाहियों को शामिल करना माना जाएगा जिसमें ऐसी कंपनी या निगम निगमित है या किसी भी अधिकार क्षेत्र में जिसमें ऐसी कंपनी या निगम व्यवसाय संचालित करता है, जिसमें परिसमापन, समापन, पुनर्गठन, विघटन, व्यवस्था, देनदारों के संरक्षण या राहत की मांग करना शामिल है;

(प) इस करार में अन्यथा प्रदान किए गए के अलावा और उसके सिवाय, किसी भी समय, किसी भी करार, विलेख, लिखत, लाइसेंस या किसी भी विवरण के दस्तावेज़ के संदर्भ को उस करार, विलेख, लिखत, लाइसेंस या अन्य दस्तावेज़ के रूप में अर्थान्वित किया जाएगा जैसा कि ऐसे संदर्भ के समय संशोधित, परिवर्तित, संपूरित, रूपांतरित या निलंबित किया गया है; शर्त यह है कि यह उप-खंड (न) इस प्रकार संचालित नहीं होगा जिससे कि प्राधिकरण की देनदारियों या दायित्वों में किसी भी तरीके से वृद्धि हो;

(फ) इस करार के तहत या इसके अनुसरण में किसी भी पक्षकार द्वारा आवश्यक कोई भी करार, सहमति, अनुमोदन, प्राधिकरण, सूचना, संचार, सूचना या रिपोर्ट केवल तभी वैध और प्रभावी होगी जब वह इस संबंध में ऐसे पक्षकार के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षरों के तहत लिखित रूप में हो, अन्यथा नहीं;

(ब) इस करार की अनुसूचियां और प्रस्तावनाएं इस करार का एक अभिन्न अंग हैं और पूर्ण रूप से लागू होंगी मानो कि वे इस करार के मुख्य भाग में स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई थीं;

(भ) इस करार में प्रस्तावनाओं, आलेखों, खंडों, उप-खंडों, परंतुक या अनुसूचियों के संदर्भ, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस करार की या उससे संबंधित प्रस्तावनाओं, आलेखों, खंडों, उप-खंडों, परंतुक और अनुसूचियों के संदर्भ माने जाएंगे;

(म) किसी संलग्नक का संदर्भ, उसमें निर्दिष्ट किसी भी विपरीत बात के अधीन, उस अनुसूची के संलग्नक का संदर्भ माना जाएगा जिसमें ऐसा संदर्भ आता है; और किसी पैराग्राफ का संदर्भ, उसमें निर्दिष्ट किसी भी विपरीत बात के अधीन, अनुसूची या संलग्नक, जैसा भी मामला हो, के पैराग्राफ का संदर्भ माना जाएगा, जिसमें ऐसा संदर्भ दिखाई देता है;

(य) इस करार में निर्धारित किए अनुसार, किसी भी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को देय क्षतिपूर्ति, चाहे प्रति दिन के आधार पर हो या अन्यथा, पारस्परिक रूप से सहमत वास्तविक पूर्व-अनुमानित हानि और क्षति है जो इसे प्राप्त करने के हकदार पक्षकार द्वारा सहन की जाने और भुगतान की संभावना है और यह दंड के रूप में नहीं है ('क्षतिपूर्ति');

(र) 'इसके', 'इसमें', 'इससे' और 'इसके अधीन' शब्द और इसी प्रकार के अर्थ वाले शब्दों का उपयोग, जब इस करार या किसी अन्य परियोजना करारों में किया जाता है, तो इस करार या ऐसे अन्य परियोजना करार, जैसा भी मामला हो, को समग्र रूप में संदर्भित किया जाएगा, न कि केवल इस करार या ऐसे अन्य परियोजना करार के किसी विशेष प्रावधान को;

(ल) जब तक कि इसमें अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, यहाँ उपयोग किए गए सभी लेखांकन शब्दों की व्याख्या की जाएगी, और वित्तीय मामलों के संबंध में आवश्यक सभी वित्तीय विवरण और प्रमाण पत्र तथा रिपोर्ट भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए जाएंगे, और सभी तकनीकी शब्दों और बयानों की व्याख्या और अनुप्रयोग 'उत्कृष्ट उद्योग प्रथाओं' के अनुसार किया जाएगा;

(व) कोई विशेष प्रावधान, प्रतिनिधित्व या वारंटी किसी अधिक सामान्य प्रावधान, प्रतिनिधित्व या वारंटी की प्रयोज्यता को सीमित नहीं करेगी, और पक्षकारों का इरादा यह है कि इस करार में निहित प्रत्येक प्रतिनिधित्व, वारंटी, प्रतिज्ञा, शर्त और करार को पूर्ण, पृथक और स्वतंत्र प्रभाव दिया जाएगा और ऐसे प्रावधान संचयी हैं; और

(स) पक्षकारों के संबंधित दायित्वों के प्रदर्शन में समय अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। यदि इसमें निर्दिष्ट किसी समय अवधि को बढ़ाया जाता है, तो ऐसी विस्तारित अवधि भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।

1.2.2 जब तक कि इस करार में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान न किया गया हो, रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्रदान किए जाने वाले या प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी दस्तावेज़ को निःशुल्क और 3 (तीन) प्रतियों में प्रदान किया जाएगा, और यदि प्राधिकरण को अपनी टिप्पणियों और/या अनुमोदन के साथ ऐसा कोई दस्तावेज़ वापस करने की आवश्यकता होती है, तो वे उसकी दो प्रतियां अपने पास बनाए रखने के हकदार होंगे।

1.2.3 निर्माण का नियम, यदि कोई हो, कि किसी अनुबंध की व्याख्या उसके प्रारूपण और तैयारी के लिए जिम्मेदार पक्षकारों के विरुद्ध की जानी चाहिए, लागू नहीं होगा।

1.2.4 ऊपर खंड 1.2 में निहित व्याख्या के नियमों के अधीन, इस करार में प्रयुक्त किसी भी शब्द या अभिव्यक्ति का, जब तक कि इस करार में अन्यथा परिभाषित या अर्थान्वित न किया गया हो, उसका सामान्य अंग्रेजी अर्थ होगा और, इन प्रयोजनों के लिए, साधारण खंड अधिनियम, 1897 लागू नहीं होगा।

1.3 माप और गणितीय परंपराएं:

सभी माप और गणनाएँ मीट्रिक प्रणाली में होंगी और गणनाएँ 2 (दो) दशमलव स्थानों तक की जाएँगी, जिसमें 5 (पांच) या उससे अधिक का तीसरा अंक पूर्णांकित किया जाएगा तथा 5 (पांच) से नीचे का अंक कम किया जाएगा।

1.4 करारों, खंडों और अनुसूचियों की प्राथमिकता

1.4.1 यह करार, और इस करार का हिस्सा बनने वाले या इसमें संदर्भित अन्य सभी करार और दस्तावेज़ परस्पर व्याख्यात्मक माने जाएंगे और, जब तक कि इस करार में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान न किया गया हो, उनके बीच किसी भी संघर्ष की स्थिति में इस करार और अन्य दस्तावेज़ों एवं करारों की प्राथमिकता का क्रम निम्नलिखित होगा:

(क) यह करार; तथा

(ख) इसका हिस्सा बनने वाले या इसमें संदर्भित अन्य सभी करार और दस्तावेज़,

अर्थात् ऊपर (क) पर स्थित करार (ख) पर स्थित करारों और दस्तावेज़ों पर अधिभावी होगा।

1.4.2 खंड 1.4.1 के प्रावधानों के अधीन, इस करार के भीतर अस्पष्टताओं या विसंगतियों के मामले में, निम्नलिखित लागू होंगे:

(क) इस करार के दो या अधिक खंडों के बीच, विचाराधीन मुद्दे से संबंधित विशिष्ट खंड के प्रावधान अन्य खंडों के प्रावधानों पर अधिभावी होंगे;

(ख) इस करार के खंडों और अनुसूचियों के बीच, खंड अधिभावी होंगे और अनुसूचियों और संलग्नकों के बीच, अनुसूचियां अधिभावी होंगी;

(ग) किन्हीं दो अनुसूचियों के बीच, मुद्दे से संबंधित अनुसूची अधिभावी होगी;

(घ) आलेखनों पर लिखित विवरण और विनिर्देशों तथा मानकों के बीच, अंतिम अधिभावी होंगे;

(ङ) आलेखन से मापे गए आयाम और उसके विशिष्ट लिखित आयाम के बीच, लिखित आयाम अधिभावी होगा; और

(च) अंकों में लिखे गए किसी भी मूल्य और शब्दों में लिखे गए मूल्य के बीच, शब्दों वाला मूल्य अधिभावी होगा।

भाग-॥

रियायत

अनुच्छेद 2: परियोजना का विस्तार

2.1 परियोजना का विस्तार:

परियोजना के विस्तार का अर्थ और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) भूमि विकास कार्यों के निष्पादन का बीड़ा उठाना और भूमि विकास समझौता के अनुसार उन्हें पूरा करना सुनिश्चित करना;
- (ख) स्थल पर और अनुसूची A तथा अनुसूची B में मोटे तौर पर निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार चरणबद्ध तरीके से हवाई अड्डे का डिजाइन, विकास, निर्माण और विस्तार करना, साथ ही अनुसूची ग में निर्दिष्ट अनुसार संबंधित परियोजना सुविधाओं का प्रावधान करना और अनुसूची घ में निर्धारित विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप तथा लागू कानूनों और लागू परमिटों के अनुसार कार्य करना;
- (ग) इस करार के प्रावधानों, लागू कानूनों और लागू परमिटों के अनुसार हवाई अड्डे का संचालन, रखरखाव और प्रबंधन करना; तथा
- (घ) इस करार, लागू कानूनों और लागू परमिटों के प्रावधानों के अनुसार, इस करार के तहत रियायतग्राही के दायित्वों में से किसी या सभी के प्रदर्शन के लिए प्रासंगिक या आवश्यक अन्य सभी दायित्वों और मामलों का निष्पादन और पूर्ति करना।

अनुच्छेद 3

रियायत प्रदान करना

3.1 रियायत

3.1.1 इस करार के प्रावधानों, भारत सरकार के अनुमोदन, लागू कानूनों और लागू परमिटों के अधीन और उनके अनुसार, प्राधिकरण एतद्वारा रियायतग्राही को नियत तिथि से प्रारंभ होने वाली 30 (तीस) वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए हवाई अड्डे का विकास, संचालन और रखरखाव करने का अनन्य अधिकार, लाइसेंस और प्राधिकार ('रियायत') प्रदान करता है, और रियायतग्राही एतद्वारा इस रियायत को स्वीकार करता है तथा इसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन परियोजना को लागू करने के लिए सहमत होता है:

बशर्ते कि रियायतग्राही, नियत तिथि की 25वीं (पच्चीसवीं) वर्षगांठ से पहले नहीं और नियत तिथि की 27वीं (सत्ताईसवीं) वर्षगांठ के बाद नहीं, अपनी रुचि की सूचना प्राधिकरण को देगा और इस रियायत की अवधि को 10 (दस) वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने का अनुरोध करेगा। ऐसा अनुरोध करते समय, रियायतग्राही निम्नलिखित में से प्रत्येक दस्तावेज़ जमा करेगा:

- (क) एक प्रमाण पत्र जो यह पुष्टि करता हो कि इस करार के तहत रियायतग्राही द्वारा कोई गंभीर चूक नहीं हुई है (मुख्य प्रदर्शन संकेतकों से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन सहित), जिसके परिणामस्वरूप प्राधिकरण के पक्ष में ऐसी किसी घटना को रियायतग्राही की चूक के रूप में चिन्हित करने का अधिकार उत्पन्न हुआ हो;
- (ख) एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल या समान अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाली किसी अन्य समकक्ष एजेंसी से एक प्रमाण पत्र, जो यह पुष्टि करता हो कि हवाई अड्डा आवेदन की तिथि तक पिछले 5 (पांच) वर्षों की निरंतर अवधि के लिए विश्व में अपनी श्रेणी के सभी हवाई अड्डों के शीर्ष 20 (बीस) प्रतिशत में रहा है; तथा
- (ग) एक वचनबद्धता कि रियायतग्राही शेष रियायत अवधि के लिए अपने पूर्ण रूप और प्रभाव में करार के नियमों और शर्तों का अनुपालन करना जारी रखेगा।

बशर्ते यह भी कि रियायतग्राही, नियत तिथि की 35वीं (पैंतीसवीं) वर्षगांठ से पहले नहीं और नियत तिथि की 37वीं (सैंतीसवीं) वर्षगांठ से बाद नहीं, प्राधिकरण को अपनी रुचि के बारे में सूचित करेगा और इस रियायत की अवधि को 20 (बीस) वर्षों की एक और अवधि के लिए नवीनीकृत/बढ़ाने का अनुरोध करेगा। ऐसा अनुरोध करते समय, रियायतग्राही एक पुष्टि प्रस्तुत करेगा कि वह अतिरिक्त 20 (बीस) वर्षों की अवधि के लिए प्रीमियम के निर्धारण हेतु अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सहमत है, जैसा कि उस समय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के ऐसे किसी भी मामले में: (i) रियायतग्राही को उच्चतम बोली का मिलान करने का अधिकार होगा, यदि उसकी बोली उस समय जारी किए गए बोली दस्तावेजों के नियमों और शर्तों के अनुसार दी जा सकने वाली उच्चतम बोली के 05.00% के भीतर है, और (ii) रियायतग्राही के सहबद्ध ऐसी किसी भी बोली प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।

बशर्ते यह भी कि यदि इस करार के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही द्वारा हवाई अड्डे का विस्तार नहीं किया जाता है या रियायतग्राही द्वारा इस करार के प्रावधानों का उल्लंघन/चूक की गई है, तो प्राधिकरण इस खंड 3.1 के तहत रियायत अवधि को बढ़ाने के लिए किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होगा।

किसी भी स्थिति में, हर समय, रियायत अवधि के विस्तार से संबंधित कोई भी निर्णय प्राधिकरण के पास निहित होगा।

3.1.2 इस करार के प्रावधानों, भारत सरकार के अनुमोदन, लागू कानूनों और लागू परमिटों के अधीन और उनके अनुसार, एतद्वारा प्रदान की गई रियायत, रियायतग्राही को निम्नलिखित के लिए बाध्य या हकदार (जैसा भी मामला हो) करेगी:

- (क) इस करार के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त सीमा तक और उद्देश्य के लिए स्थल तक मार्ग का अधिकार, पहुँच और लाइसेंस;
- (ख) हवाईअड्डे का वित्तपोषण और विकास करना;
- (ग) हवाईअड्डे का संचालन, प्रबंधन और रखरखाव करना तथा तृतीय पक्षों द्वारा इसके उपयोग को विनियमित करना;
- (घ) हवाईअड्डे या उसके किसी भाग का उपयोग करने के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी उपयोगकर्ताओं से शुल्क की मांग करना, संग्रह करना और विनियोजित करना तथा बकाया शुल्क का भुगतान न करने पर किसी भी उपयोगकर्ता के प्रवेश से इंकार करना;
- (ङ) इस करार के तहत और इसके अनुसार रियायतग्राही के सभी दायित्वों का निष्पादन और पूर्ति करना;

(च) इस करार में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान किए गए के अलावा, इस करार के तहत रियायतग्राही के दायित्वों के निष्पादन से जुड़े या प्रासंगिक सभी लागतों, खर्चों और शुल्कों का वहन और भुगतान करना; तथा

(छ) इस करार या स्थानापन्न करार द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति के अलावा, न तो इस करार या इसके द्वारा प्रदान की गई रियायत को या हवाई अड्डे के पूरे या किसी हिस्से को सौंपना, स्थानांतरित करना या उस पर कोई गृहणाधिकार या विबंध बनाना, और न ही उसके कब्जे को स्थानांतरित करना, पट्टे पर देना या अलग करना।

अनुच्छेद 4

पूर्ववर्ती शर्तें

4.1 पूर्ववर्ती शर्तें:

- 4.1.1 अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 42 में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए के अलावा, या जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस करार के तहत पक्षकारों के संबंधित अधिकार और दायित्व इस खंड 4.1 में निर्दिष्ट पूर्ववर्ती शर्तों के पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के अधीन होंगे। बशर्ते, हालांकि, एक पक्षकार खंड 4.1.2 या खंड 4.1.3 के प्रावधानों के अनुसार, जैसा भी मामला हो, दूसरे पक्षकार द्वारा किसी भी पूर्ववर्ती शर्त की संतुष्टि से छूट प्रदान कर सकता है, और ऐसी छूट की सीमा तक, उस पूर्ववर्ती शर्त को इस खंड 4.1.1 के उद्देश्यों के लिए पूरा माना जाएगा।
- 4.1.2 रियायतग्राही, अनुच्छेद 9 के अनुसार प्राधिकरण को कार्य निष्पादन प्रतिभूति प्रदान करने पर, इस करार की तारीख से 60 (साठ) दिनों के बाद किसी भी समय, नोटिस द्वारा प्राधिकरण से इस खंड 4.1.2 में निर्धारित पूर्ववर्ती शर्तों में से किसी भी या सभी को ऐसे नोटिस में निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करने की अपेक्षा कर सकता है और ऐसी अवधि रियायतग्राही के लिए नियत तिथि प्राप्त करने के लिए उपलब्ध अवधि से कम नहीं होगी, और प्राधिकरण द्वारा पूरी की जाने वाली पूर्ववर्ती शर्तों को तब पूरा माना जाएगा जब प्राधिकरण निम्नलिखित कार्य कर चुका होगा:
- (क) खंड 10.3 के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही के लिए स्थल का मार्ग का अधिकार प्राप्त कर लिया हो और अनुसूची ब में दिए गए प्रपत्र में भूमि विकास समझौता निष्पादित किया हो;
 - (ख) निर्माण पूर्व गतिविधियों से संबंधित लागू परमिट प्राप्त किए हों, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाना आवश्यक है, और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - (i) रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से रक्षा मंजूरी सं. 1(5)/07/डी(एआईआर-II/एचएन) दिनांक 11 अक्टूबर, 2010;
 - (ii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पर्यावरण और सीआरजेड मंजूरी एफ. सं. 10-53/2009-Iए.III दिनांक 22 नवंबर, 2010;

- (iii) वन्यजीव प्रभाग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से वन्यजीव मंजूरी एफ. सं. 6-43/2007 डब्ल्यूएल दिनांक 1 अगस्त, 2013;
- (iv) माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 के अनुसरण में मैग्नोव हटाने की अनुमति;
- (v) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से वन मंजूरी सं. 8-95/2012-FC दिनांक 17 दिसंबर, 2013 (चरण I);
- (vi) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से वन मंजूरी सं. 8-95/2012-FC दिनांक 24 अप्रैल, 2017 (चरण II);
- (vii) परियोजना के चरण I के निर्माण के लिए स्थापना हेतु सहमति सं. फार्मेट 1.0/बीओ/सीएसी-सैल/ईआईसी-आरडी-3154-15/सीई/सीएसी-12995 दिनांक 14 अक्टूबर, 2015।

(ग) निम्नलिखित प्रासंगिक करारों का निष्पादन करवाया हो:

- (i) अनुसूची ण में प्रदान किए गए प्रपत्र में एस्क्रो करार,
- (ii) अनुसूची द में प्रदान किए गए प्रपत्र में स्थानापन्न करार,
- (iii) अनुसूची ध में प्रदान किए गए प्रपत्र में शेयरधारक करार,
- (iv) अनुसूची न में प्रदान किए गए प्रपत्र में सीएनएस-एटीएम करार,
- (v) अनुसूची प में प्रदान किए गए प्रपत्र में समझौता ज्ञापन,
- (vi) अनुसूची फ में प्रदान किए गए प्रपत्र में राज्य सरकार सहायता करार, और
- (vii) अनुसूची ब में प्रदान किए गए प्रपत्र में एलडीएस करार,

(घ) स्वयं, भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार या संबंधित सरकारी एजेंसियों द्वारा, जैसा भी मामला हो, रियायतग्राही से उसकी विधिवत निष्पादित प्रति प्राप्त होने पर और उसके तहत क्रमशः सभी शर्तों का अनुपालन करने पर, जो इसके निष्पादन के लिए आवश्यक हो सकती हैं, इसके अनुच्छेद 23 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति प्राप्त की हो।

बशर्ते कि रियायतग्राही को लिखित सूचना देने पर, प्राधिकरण इस खंड 4.1.2 के तहत रियायतग्राही द्वारा प्रदान किए गए नोटिस में निर्धारित तिथि की समाप्ति के बाद 120 (एक सौ बीस) दिनों की विस्तारित अवधि के भीतर इस खंड 4.1.2 में निर्धारित अपनी पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा कर सकता है।

4.1.3 इस करार में जैसा कि विशेष रूप से अन्यथा प्रदान किया गया हो, रियायतग्राही द्वारा इस करार की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जाने वाली पूर्ववर्ती शर्तों को तब संतुष्ट माना जाएगा जब रियायतग्राही, प्राधिकरण की संतुष्टि के अधीन निम्नलिखित कार्य कर चुका हो:

- (क) खंड 9.1 के अनुसार प्राधिकरण को कार्य निष्पादन प्रतिभूति प्रदान की हो;
- (ख) चरण I के लिए निर्माण कार्यों के प्रारंभ के लिए आवश्यक सभी लागू परमिट प्राप्त कर लिए हों, जिसमें अनुसूची ड के भाग I में निर्दिष्ट बिना शर्त लागू परमिट शामिल हैं, लेकिन वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, या यदि शर्तों के अधीन हैं, तो उसमें निर्दिष्ट तिथि तक पूरी की जाने वाली ऐसी सभी शर्तों को पूर्ण रूप से संतुष्ट किया गया हो, और ऐसे लागू परमिट पूर्ण रूप से प्रभावी हों;
- (ग) मास्टर प्लान को रियायतग्राही द्वारा खंड 12.2 के अनुसार अंतिम रूप दे दिया गया हो और प्रस्तुत कर दिया गया हो;
- (घ) अनुसूची ण में दिए गए प्रपत्र में एस्को करार को निष्पादित और निष्पादन प्राप्त किया हो तथा वह उसकी शर्तों के अनुसार प्रभावी हो गया हो;
- (ङ) अनुसूची द में दिए गए प्रपत्र में स्थानापन्न करार को निष्पादित और निष्पादन प्राप्त किया हो तथा वह उसकी शर्तों के अनुसार प्रभावी हो गया हो;
- (च) अनुसूची ध में दिए गए प्रपत्र में शेयरधारकों के करार को निष्पादित और निष्पादन प्राप्त किया हो तथा वह उसकी शर्तों के अनुसार प्रभावी हो गया हो;
- (छ) अनुसूची न में दिए गए प्रपत्र में सीएनएस-एटीएम करार को निष्पादित और निष्पादन प्राप्त किया हो तथा वह उसकी शर्तों के अनुसार प्रभावी हो गया हो;
- (ज) अनुसूची प में दिए गए प्रपत्र में समझौता ज्ञापन को निष्पादित और निष्पादन प्राप्त किया हो तथा वह उसकी शर्तों के अनुसार प्रभावी हो गया हो;
- (झ) अनुसूची फ में दिए गए प्रपत्र में राज्य सरकार सहायता करार को निष्पादित और निष्पादन प्राप्त किया हो तथा वह उसकी शर्तों के अनुसार प्रभावी हो गया हो;
- (ञ) अनुसूची ब में दिए गए प्रपत्र में एलडीएस करार को निष्पादित और निष्पादन प्राप्त किया हो तथा वह उसकी शर्तों के अनुसार प्रभावी हो गया हो;
- (ट) चरण I के लिए वित्तपोषण करारों को निष्पादित किया हो और रियायतग्राही के एक निदेशक द्वारा विधिवत प्रामाणित उसकी 3 (तीन) सही प्रतियां प्राधिकरण को सौंपी हों;
- (ठ) वित्तीय समापन प्राप्त कर लिया हो;

- (ड) प्राथमिकता प्राप्त बोलीदाता ने रियायतग्राही द्वारा वरिष्ठ ऋणदाताओं से कोई ऋण लेने से पहले, रियायतग्राही में चरण 1 के लिए कुल परियोजना लागत का कम से कम 10% (दस प्रतिशत) निवेश किया हो;
- (ढ) प्राधिकरण को प्राथमिकता प्राप्त बोलीदाता से वित्तीय पैकेज और वित्तीय मॉडल की 3 (तीन) सही प्रतियां, जो रियायतग्राही के एक निदेशक द्वारा विधिवत प्रामाणित हों, एमएस एक्सेल संस्करण या उसके किसी भी विकल्प में वित्तीय मॉडल की 3 (तीन) सॉफ्ट प्रतियों के साथ सौंपी हों, जो वरिष्ठ ऋणदाताओं को स्वीकार्य हों;
- (ण) प्राथमिकता प्राप्त बोलीदाता से प्राधिकरण को इस करार के खंड 7.1 के उप-खंड (ग), (घ), (छ), (ज), (ट), (ठ), (ड), (त) और (ध) में निर्धारित अभ्यावेदन और वारंटियों की शुद्धता की पुष्टि सौंपी हो;
- (त) हवाई अड्डा संचालक करार को निष्पादित और निष्पादन प्राप्त किया हो, यदि लागू हो, और वह उसकी शर्तों के अनुसार प्रभावी हो गया हो;
- (थ) इसके अनुच्छेद 23 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति प्राप्त की हो; और
- (द) प्राधिकरण में प्रवेश करने के लिए रियायतग्राही के अधिकार और इसके प्रावधानों की प्रवर्तनीयता के संबंध में रियायतग्राही के कानूनी वकील से एक कानूनी राय प्राधिकरण को सौंपी हो।

बशर्ते कि रियायतग्राही द्वारा लिखित अनुरोध पर, प्राधिकरण, अपने विवेक से, नियत तिथि प्राप्त करने के उद्देश्यों के लिए इस खंड 4.1.3 में निर्धारित पूर्ववर्ती शर्तों में से किसी को भी छूट दे सकता है। प्राधिकरण, अपने विवेकाधिकार में, ऐसी शर्तों के साथ छूट प्रदान कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

- 4.1.4** प्रत्येक पक्ष निर्धारित समय के भीतर पूर्ववर्ती शर्तों (Conditions Precedent) को पूरा करने के लिए सभी उचित प्रयास करेगा तथा दूसरे पक्ष को उस पक्ष द्वारा उत्तरदायी पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने में सहायता हेतु आवश्यक उचित सहयोग प्रदान करेगा।
- 4.1.5** पक्ष पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने में हुई प्रगति के संबंध में महीने में कम से कम एक बार एक-दूसरे को लिखित रूप में सूचित करेंगे। प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को तुरंत सूचित करेगा जब उसकी जिम्मेदारी वाली कोई भी पूर्ववर्ती शर्त पूरी हो जाएगी।

4.2 रियायतग्राही द्वारा विलंब के लिए हर्जाना

इस घटना में कि (क) रियायतग्राही खंड 4.1.3 में निर्धारित किसी या सभी पूर्ववर्ती शर्तों को उस खंड में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा करने या छूट प्राप्त करने में विफल रहता है, और (ख) यह विलंब प्राधिकरण द्वारा खंड 4.1.2 के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफलता या प्राधिकरण द्वारा इस समझौते के अन्य उल्लंघन या अनिवार्य बल के कारण नहीं हुआ है, तो रियायतग्राही प्राधिकरण को ऐसी पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति तक विलंब के प्रत्येक दिन के लिए कार्यनिष्पादन प्रतिभूति के 0.3% (शून्य दशमलव तीन प्रतिशत) की दर से परिकलित हर्जाना चुकाएगा, जो बोली प्रतिभूति के बराबर अधिकतम राशि के अधीन होगा। ऐसी अधिकतम राशि तक पहुंचने पर, प्राधिकरण अपने एकमात्र विवेक पर और खंड 9.2 के प्रावधानों के अधीन, समझौते को समाप्त कर सकता है। प्रतिबंधित यह कि प्राधिकरण द्वारा खंड 4.1.2 में निर्दिष्ट पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति में विलंब की स्थिति में, जिसका खंड 4.1.3 के तहत रियायतग्राही द्वारा पूरी की जाने वाली पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, रियायतग्राही द्वारा इस खंड 4.2 के तहत तब तक कोई हर्जाना देय नहीं होगा जब तक कि वह तारीख न आ जाए जिस पर प्राधिकरण ने खंड 4.1.2 में निर्दिष्ट पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति प्राप्त न कर ली हो। इस खंड 4.2 के अनुसार हर्जाने का भुगतान इस समझौते के किसी भी अन्य प्रावधान के तहत रियायतग्राही के दायित्वों से स्वतंत्र है।

4.3 विलंब पर माना गया समापन

- 4.3.1** खंड 4.2 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, और खंड 9.1 तथा खंड 9.2 के प्रावधानों के अधीन, पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि यदि नियत तिथि (Appointed Date), किसी भी कारणवश, इस समझौते के निष्पादन की तिथि से 360 (तीन सौ साठ) दिनों की समाप्ति या इस समझौते की शर्तों के अनुसार अथवा पक्षों के बीच अन्यथा सहमत किसी विस्तारित अवधि से पहले घटित नहीं होती है, तो इस समझौते के तहत या इससे उत्पन्न होने वाले रियायतग्राही के सभी अधिकार, विशेषाधिकार, दावे और स्वत्व रियायतग्राही की सहमति से समाप्त और समाप्त माने जाएंगे, और यह समझौता पक्षों की परस्पर सहमति से समाप्त माना जाएगा।

परंतु, यदि नियत तिथि घटित होने में विलंब रियायतग्राही के कारणों से है, तो ऊपर खंड 4.2 के प्रावधानों के बावजूद, रियायतग्राही की कार्यनिष्पादन प्रतिभूति (Performance Security) को प्राधिकरण द्वारा भुनाया और हर्जाने के रूप में विनियोजित किया जाएगा।

4.3.2 ऐसे समापन पर:

(क) वरीयता प्राप्त बोलीदाता ऐसे समापन के 7 (सात) दिनों के भीतर, किसी भी रूप में निर्मित सभी देनदारियों, यदि कोई हो, का निपटान करेगा;

(ख) वरीयता प्राप्त बोलीदाता समापन के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, अपनी लागत पर, रियायतग्राही में अपनी संपूर्ण शेयरधारिता प्राधिकरण या उसके किसी नामित व्यक्ति को स्थानांतरित करेगा, और रियायतग्राही तथा वरीयता प्राप्त बोलीदाता में से प्रत्येक ऐसे हस्तांतरण को पूरा करने के लिए लागू कानूनों के तहत आवश्यक सभी कार्रवाई और कार्यवाही करेंगे;

(ग) रियायतग्राही, समापन के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर समापन भुगतान के एवज में, प्राधिकरण या उसके नामितों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले निदेशकों को छोड़कर, रियायतग्राही के बोर्ड के सभी निदेशकों से बोर्ड से त्यागपत्र दिलवाएगा, और ऐसा प्रत्येक त्यागपत्र देने वाला निदेशक इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लागू कानूनों के तहत आवश्यक सभी कार्रवाई और कार्यवाही करेगा।

अनुच्छेद 5 रियायतग्राही के दायित्व

5.1 रियायतग्राही के दायित्व

- 5.1.1** इस समझौते के नियमों और शर्तों के अधीन और उनके अनुसार, रियायतग्राही भारत सरकार की स्वीकृति, लागू अनुमतियों, लागू कानूनों और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार हवाईअड्डे के डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए वित्त जुटाएगा और उसका निष्पादन करेगा, तथा इस समझौते में निर्धारित या इसके तहत उत्पन्न होने वाले अपने सभी दायित्वों का पालन, पूर्ति और निष्पादन करेगा।
- 5.1.2** रियायतग्राही इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन में सभी लागू कानूनों और लागू अनुमतियों (आवश्यकतानुसार नवीनीकरण सहित) का अनुपालन करेगा।
- 5.1.3** रियायतग्राही इस समझौते के बने रहने के दौरान हर समय निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक लागू अनुमतियों में निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन करेगा।
- 5.1.4** जैसा कि इस समझौते या लागू कानूनों में अन्यथा प्रदान किया गया है, उसके अलावा, रियायतग्राही, इस समझौते के तहत अपने सभी दायित्वों के निर्वहन में, हर समय उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुरूप कार्य करेगा और उनका पालन करेगा।
- 5.1.5** रियायतग्राही समय-समय पर इस समझौते के प्रावधानों और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार वैमानिक परिसंपत्तियों और गैर-वैमानिक परिसंपत्तियों का विस्तार या संवर्धन करेगा।
- 5.1.6** जैसा कि इस समझौते में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है, उसके अलावा, रियायतग्राही इस समझौते के बने रहने के दौरान हर समय हवाई अड्डे, किसी भी वैमानिक सेवाओं, गैर-वैमानिक सेवाओं और अन्य सेवाओं के संबंध में देय सभी करों, लेवी, शुल्कों, उपकरणों और अन्य सभी सांविधिक प्रभारों, देयों, कर-निर्धारणों या भुगतानों का भुगतान करेगा जो किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा लगाए जा सकते हैं।
- 5.1.7** रियायतग्राही, अपने स्वयं के खर्च पर, इस समझौते में अन्यत्र निर्धारित दायित्वों के अतिरिक्त और उनके न्यूनीकरण के बिना:
- (क) खंड 4.1.2 में निर्धारित अनुमतियों के अलावा अन्य लागू अनुमतियां प्राप्त करने के लिए आवश्यक विवरणों और ब्यौरों के साथ प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों को आवश्यक आवेदन करेगा, और लागू कानूनों के अनुरूप ऐसी लागू अनुमतियों को प्राप्त करेगा तथा लागू एवं प्रभावी बनाए रखेगा;

- (ख) आवश्यकतानुसार, हवाई अड्डे में उपयोग की जाने वाली या शामिल की जाने वाली सामग्रियों, पद्धतियों, प्रक्रियाओं, नो-हाउ और प्रणालियों के लिए उपयुक्त स्वामित्व अधिकार लाइसेंस, समझौते और अनुमतियां प्राप्त करेगा;
- (ग) वित्तपोषण समझौतों के तहत अपने दायित्वों का निष्पादन और पूर्ति करेगा;
- (घ) इस समझौते के तहत दायित्वों के निष्पादन के संबंध में अपने या अपने ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मियों के बीच सद्भाव और अच्छे औद्योगिक संबंधों को बनाए रखने के लिए उचित प्रयास करेगा;
- (ङ) यह सुनिश्चित और प्राप्त करेगा कि उसके ठेकेदार रियायतग्राही के किसी भी दायित्व के निष्पादन में सभी लागू अनुमतियों और लागू कानूनों का अनुपालन करें;
- (च) सदैव इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेगा और ऐसा कोई कार्य, विलेख या कार्य-लोप नहीं करेगा, चाहे जानबूझकर या अन्यथा, जो किसी भी रीति से इस समझौते के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता हो;
- (छ) यह सुनिश्चित करेगा कि हवाई अड्डे के भीतर सभी सुविधाओं और सुख-सुविधाओं का संचालन और रखरखाव इस समझौते और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार किया जाए और यह सुनिश्चित करेगा कि उपयोगकर्ताओं को इस समझौते, लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के प्रावधानों के अनुसार उनके उपयोग के लिए गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच प्राप्त हो;
- (ज) यह सुनिश्चित करेगा कि उपयोगकर्ताओं के साथ उचित सौजन्य और विचारशीलता के साथ व्यवहार किया जाए और उन्हें सेवाओं एवं जानकारी तक त्वरित पहुंच प्रदान की जाए;
- (झ) इस समझौते, लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे पर वैमानिक सेवाएं और गैर-वैमानिक सेवाएं प्रदान करेगा या प्रदान करवाएगा;
- (ञ) हवाई अड्डे पर आरक्षित सेवाओं के प्रावधान और संचालन के लिए यथास्थिति प्राधिकरण या निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी को सभी सहायता और सहयोग प्रदान करेगा;
- (ट) ग्रिड से हवाई अड्डे के लिए बिजली की आपूर्ति प्राप्त करेगा, जिसमें आउटेज या ग्रिड से बिजली की विफलता की स्थिति में वैमानिक सेवाओं और गैर-वैमानिक सेवाओं के रखरखाव के लिए आवश्यक बिजली की आपूर्ति के लिए स्टैंडबाय व्यवस्था प्राप्त करना शामिल है, और विद्युत अधिनियम, 2003 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं और विभिन्न वैमानिक सेवाओं एवं गैर-वैमानिक सेवाओं के लिए बिजली की उपलब्धता की व्यवस्था भी करेगा;
- (ठ) इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन और संचालन में प्राधिकरण का समर्थन, सहयोग और सुविधा प्रदान करेगा; और

(ड) इस समझौते के समापन पर इसके प्रावधानों के अनुसार परियोजना परिसंपत्तियों को प्राधिकरण को स्थानांतरित करेगा।

5.2 परियोजना समझौतों से संबंधित दायित्व

5.2.1 रियायतग्राही, इस समझौते की अवधि के दौरान हर समय, परियोजना समझौतों या किसी अन्य समझौते में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस समझौते के तहत अपने सभी दायित्वों के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होगा, और किसी भी परियोजना समझौते या किसी अन्य समझौते के तहत कोई भी व्यतिक्रम रियायतग्राही को इसके तहत उसके दायित्वों या देनदारी से मुक्त नहीं करेगा।

5.2.2 उन परियोजना समझौतों को छोड़कर जो इस समझौते की अनुसूची के रूप में संलग्न हैं, रियायतग्राही समीक्षा और टिप्पणियों के लिए सभी परियोजना समझौतों के प्रारूप, या उसमें किसी भी संशोधन या प्रतिस्थापन को प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा, और प्राधिकरण को ऐसे प्रारूपों की प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर समीक्षा करने और रियायतग्राही को अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हों, प्रदान करने का अधिकार है, लेकिन बाध्यता नहीं है। किसी भी परियोजना समझौते या उसमें संशोधन के निष्पादन के 7 (सात) दिनों के भीतर, रियायतग्राही अपने रिकॉर्ड के लिए प्राधिकरण को रियायतग्राही के एक निदेशक द्वारा विधिवत सत्यापित एक सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा। यह सहमति व्यक्त की जाती है कि इसके तहत समीक्षा और टिप्पणियां इस समझौते की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने तक सीमित होंगी। यह आगे सहमति व्यक्त की जाती है कि इसके तहत समीक्षा करने और/या टिप्पणी करने में प्राधिकरण की कोई भी विफलता या लोप प्राधिकरण द्वारा ऐसे किसी भी समझौते या दस्तावेज़ की स्वीकृति के रूप में नहीं माना जाएगा। प्राधिकरण की कोई भी समीक्षा और/या अवलोकन और/या किसी दस्तावेज़ पर अपने अवलोकनों की समीक्षा करने और/या संप्रेषित करने में उसकी विफलता रियायतग्राही को किसी भी रीति से इस समझौते के तहत उसके दायित्वों और देनदारियों से मुक्त नहीं करेगी और न ही प्राधिकरण किसी भी रीति से इसके लिए उत्तरदायी होगा।

5.2.3 रियायतग्राही प्राधिकरण की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी वित्तपोषण समझौते में कोई जोड़, प्रतिस्थापन या संशोधन नहीं करेगा, यदि ऐसे जोड़, प्रतिस्थापन या संशोधन का प्रभाव प्राधिकरण पर कोई वित्तीय देनदारी या दायित्व थोपने या बढ़ाने का है या हो सकता है। प्राधिकरण स्वीकार करता है और सहमत होता है कि वह रियायतग्राही के ऋण के पुनर्गठन या पुनर्नियोजन के लिए अपनी सहमति अनुचित रूप से नहीं रोकेगा।

5.2.4 वैमानिक सेवाओं और गैर-वैमानिक सेवाओं सहित हवाई अड्डे के निर्माण और संचालन के उद्देश्यों के लिए इस समझौते में अन्यथा निहित के अलावा, रियायतग्राही प्राधिकरण के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना किसी भी परियोजना परिसंपत्ति पर कोई प्रभार/विबंध हस्तांतरित नहीं करेगा या किसी भी रीति से निर्मित नहीं करेगा, जिसे स्वीकृत करना प्राधिकरण के विवेक पर निर्भर है।

5.2.5 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि, उन परियोजना समझौतों को छोड़कर जिनमें प्राधिकरण या कोई भी सरकारी एजेंसी एक पक्ष है, प्रत्येक परियोजना समझौते में ऐसे प्रावधान शामिल हों जो प्राधिकरण को समापन या निलंबन ('प्रतिज्ञा/वचनबद्धता') की स्थिति में रियायतग्राही के प्रतिस्थापन के रूप में अपने एकमात्र विवेक पर ऐसे समझौते में प्रवेश करने का अधिकार देते हैं। यह स्पष्ट रूप से सहमत है कि यदि प्राधिकरण हस्तांतरण तिथि से 90 (नब्बे) दिनों से अधिक न होने वाली अवधि के भीतर प्रतिस्थापन के ऐसे अधिकारों का प्रयोग नहीं करता है, तो परियोजना समझौते प्राधिकरण पर बिना किसी दायित्व के हस्तांतरण तिथि पर समाप्त और प्रभावी नहीं माने जाएंगे और वचनबद्धता में स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति के लिए प्रावधान होगा। रियायतग्राही ऐसे सभी परियोजना समझौतों में वचनबद्धता को शामिल करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत है और वचन देता है कि वह ऐसे प्रत्येक परियोजना समझौते के संबंध में, प्राधिकरण को स्वीकार्य प्रारूप में, ऐसे प्रत्येक परियोजना समझौते के प्रतिपक्ष से एक स्वीकृति और वचनबद्धता प्राप्त करेगा और प्रस्तुत करेगा, जिसके तहत ऐसा प्रतिपक्ष वचनबद्धता को स्वीकार करेगा और उससे बाध्य होने का वचन देगा तथा समापन या निलंबन की स्थिति में प्राधिकरण से कोई राहत या उपचार नहीं मांगेगा।

5.2.6 इस समझौते में इसके विपरीत किसी भी बात के बावजूद, रियायतग्राही सहमत है और स्वीकार करता है कि किसी भी या सभी ईपीसी ठेकेदारों या ओएंडएम ठेकेदारों का चयन या प्रतिस्थापन और सभी ईपीसी अनुबंधों या ओएंडएम अनुबंधों का निष्पादन जनहित के दृष्टिकोण से प्राधिकरण के और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से नामित भारत सरकार एजेंसी के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगा। इस संबंध में प्राधिकरण और नामित भारत सरकार एजेंसी का निर्णय अंतिम, निर्णायक और रियायतग्राही पर बाध्यकारी होगा, और रियायतग्राही वचन देता है कि वह ऐसा पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना ऐसे किसी भी चयन या अनुबंध को प्रभावी नहीं करेगा। यह स्पष्ट रूप से सहमत है कि इसके तहत प्राधिकरण या नामित भारत सरकार एजेंसी का अनुमोदन क्रमशः जनहित के दृष्टिकोण और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण तक सीमित होगा। यह भी सहमति व्यक्त की जाती है कि प्राधिकरण ऐसे अनुमोदन के प्रदान करने या अन्यथा के कारण किसी भी रीति से उत्तरदायी नहीं होगा और ऐसा अनुमोदन या उसका इनकार रियायतग्राही या उसके ईपीसी ठेकेदारों या ओएंडएम ठेकेदारों को इस समझौते के तहत किसी भी दायित्व या देनदारी से किसी भी रीति से मुक्त नहीं करेगा।

5.3 स्वामित्व में परिवर्तन से संबंधित दायित्व

5.3.1 रियायतग्राही प्राधिकरण के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं करेगा और न ही इसकी अनुमति देगा।

5.3.2 इस समझौते में इसके विपरीत किसी भी बात के बावजूद, रियायतग्राही सहमत है और स्वीकार करता है कि:

(क) एक अधिग्रहणकर्ता द्वारा, या तो स्वयं द्वारा या किसी व्यक्ति के साथ मिलकर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, रियायतग्राही की कुल इक्विटी का कुल मिलाकर 25% (पच्चीस प्रतिशत) या अधिक इक्विटी का अधिग्रहण (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कानूनी या लाभकारी स्वामित्व या नियंत्रण के हस्तांतरण द्वारा शामिल); या

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं या उसके साथ मिलकर कार्य करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ रियायतग्राही के निदेशक मंडल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नियंत्रण प्राप्त करना,

स्वामित्व में ऐसा परिवर्तन माना जाएगा जिसके लिए जनहित के दृष्टिकोण से प्राधिकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से नामित भारत सरकार एजेंसी से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इस संबंध में प्राधिकरण और नामित भारत सरकार एजेंसी का निर्णय अंतिम, निर्णायक और रियायतग्राही पर बाध्यकारी होगा, और रियायतग्राही वचन देता है कि वह प्राधिकरण के ऐसे पूर्व अनुमोदन के बिना इक्विटी या रियायतग्राही के निदेशक मंडल के नियंत्रण के ऐसे किसी भी अधिग्रहण को प्रभावी नहीं करेगा। इसके तहत प्राधिकरण और नामित भारत सरकार एजेंसी का अनुमोदन जनहित के दृष्टिकोण और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण तक सीमित होगा, और प्राधिकरण तथा नामित भारत सरकार एजेंसी इस पर त्वरित निर्णय देने का प्रयास करेंगे। प्राधिकरण ऐसे अनुमोदन के प्रदान करने, विलंब या अन्यथा के कारण किसी भी रीति से उत्तरदायी नहीं होगा और ऐसा अनुमोदन, विलंब, इनकार या अन्यथा रियायतग्राही को इस समझौते के तहत किसी भी देनदारी या दायित्व से मुक्त नहीं करेगा।

इस खंड 5.3.2 के प्रयोजनों के लिए:

- (i) 'अधिग्रहणकर्ता' (acquirer), 'नियंत्रण' और 'मिलकर कार्य करने वाला व्यक्ति' अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011 या इसके किसी सांविधिक पुनःअधिनियमन में दिया गया है जो यथास्थिति इक्विटी या रियायतग्राही के निदेशक मंडल के नियंत्रण के अधिग्रहण की तिथि पर लागू हो;
- (ii) इक्विटी के कानूनी या लाभकारी स्वामित्व के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण या नियंत्रण का अर्थ भारत में या विदेशों में किसी भी कंपनी या कंपनियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभकारी स्वामित्व या नियंत्रण का हस्तांतरण होगा जिसके परिणामस्वरूप अधिग्रहणकर्ता रियायतग्राही के शेयरों या शेयरों के मतदान अधिकारों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है; और
- (iii) अनुबंध द्वारा या नियंत्रण के आधार पर या प्रत्यक्ष रूप से या एक या अधिक कंपनियों के माध्यम से (चाहे भारत में स्थित हों या विदेशों में) रियायतग्राही की इक्विटी का कम से कम आधा हिस्सा धारण करने वाली किसी भी कंपनी के शेयरों के अधिग्रहण द्वारा, रियायतग्राही के निदेशक मंडल या किसी भी कंपनी के निदेशक मंडल में आधे से कम निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चाहे भारत में स्थित हो या विदेश में, जिसके पास रियायतग्राही की 25% (पच्चीस प्रतिशत) या अधिक इक्विटी का

अंतिम नियंत्रण है, रियायतग्राही के निदेशक मंडल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण का अधिग्रहण माना जाएगा।

5.3.3 रियायतग्राही इसके द्वारा सहमत होता है कि यदि वरीयता प्राप्त बोलीदाता मुख्य रूप से रियायतग्राही में इक्विटी धारण करने के उद्देश्यों के लिए स्थापित एक विशेष उद्देश्य वाहन है, तो ऐसे प्रमोटर एसपीवी में किसी भी शेयरधारिता का हस्तांतरण इस समझौते के प्रयोजनों के लिए प्रमोटर एसपीवी द्वारा इक्विटी का एक अप्रत्यक्ष हस्तांतरण माना जाएगा और यह इस समझौते और शेयरधारक समझौते में निर्धारित शेयरों के हस्तांतरण पर प्रतिबंधों के अधीन होगा।

5.3.4 रियायतग्राही इसके द्वारा निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए आगे सहमत होता है:

(क) यदि वरीयता प्राप्त बोलीदाता एकल बोलीदाता है, तो वरीयता प्राप्त बोलीदाता चरण I के सीओडी की 7वीं (सातवीं) वर्षगांठ तक रियायतग्राही की स्वीकृत और चुकता इक्विटी का कम से कम 51% (पचपन प्रतिशत) धारण करता है;

(ख) [विलोप किया गया]

(ग) रियायत अवधि के दौरान किसी भी समय:

- (i) कोई भी अनुसूचित एयरलाइन, कार्गो एयरलाइन और/या उनके संबंधित सहयोगी, रियायतग्राही की स्वीकृत और चुकता इक्विटी के 26% (छब्बीस प्रतिशत) से अधिक नहीं रख सकते हैं;
- (ii) अनुसूचित एयरलाइन, कार्गो एयरलाइन और उनके सहयोगियों द्वारा रियायतग्राही में किसी भी शेयरधारिता के बावजूद, ऐसी किसी भी संस्था को रियायतग्राही के निदेशक मंडल में किसी निदेशक या रियायतग्राही में किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

5.3.5 रियायतग्राही इसके द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए भी सहमत होता है कि ओएंडएम सहयोगी चरण I सीओडी से कम से कम 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए वरीयता प्राप्त बोलीदाता का सहयोगी बना रहेगा। यदि ऐसी संस्था ओएंडएम सहयोगी में अपनी शेयरधारिता को इस तरह से कम करने का इरादा रखती है कि वह अब सहयोगी नहीं रहती है, तो रियायतग्राही ऐसी किसी भी कमी को प्रभावी करने से पहले, प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रारूप और तरीके से ओएंडएम सहयोगी के साथ सेवा प्रदर्शन अनुबंध/हवाई अड्डा संचालक समझौते का निष्पादन करेगा।

5.4 प्राधिकरण की शेयरधारिता से संबंधित दायित्व

5.4.1 रियायतग्राही और वरीयता प्राप्त बोलीदाता अनुसूची D ('शेयरधारक समझौता') में निर्दिष्ट प्रारूप में प्राधिकरण के साथ एक समझौते का निष्पादन करेंगे, जिसमें प्राधिकरण और/या उसके नामित व्यक्ति

के पक्ष में रियायतग्राही की 26% (छब्बीस प्रतिशत) इक्विटी ('प्राधिकरण का शेयर') के निर्गमन और आवंटन का प्रावधान होगा, और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का भी प्रावधान होगा:

(क) प्राधिकरण के शेयर के अनुपात में रियायतग्राही के निदेशक मंडल में प्राधिकरण के नामित व्यक्ति (व्यक्तियों) की नियुक्ति;

(ख) परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को रियायतग्राही में उसके द्वारा धारित इक्विटी में लाभकारी हित प्रदान करने के प्राधिकरण के पक्ष में अधिकार की स्वीकृति, जिस रूप और तरीके से वह उचित समझे;

(ग) एक अपरिवर्तनीय वचनबद्धता कि प्राधिकरण और परियोजना प्रभावित व्यक्तियों में निहित अधिकारों को रियायतग्राही या उसके किसी भी सहयोगी या संबद्ध संस्थाओं द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य द्वारा संक्षिप्त, निरस्त या किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं किया जाएगा;

(घ) एक अपरिवर्तनीय वचनबद्धता कि रियायतग्राही में इक्विटी का कोई भी विनिवेश इसमें प्राधिकरण के अधिकारों को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करेगा और वरीयता प्राप्त बोलीदाता तथा रियायतग्राही के उत्तराधिकारी, समनुदेशिनी और प्रतिस्थानी ऐसी वचनबद्धता से बाध्य होंगे; और

(ङ) पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत कोई अन्य मामला।

5.4.2 पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि शेयरधारक समझौते में आगे यह प्रावधान होगा कि, जब तक प्राधिकरण 'प्राधिकरण का शेयर' धारण करता है, रियायतग्राही की सामान्य बैठक या उसके निदेशक मंडल की बैठक द्वारा, यथास्थिति, उन सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान करने वाले किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा नियुक्त निदेशक का सकारात्मक वोट आवश्यक और अनिवार्य होगा, जिन्हें शेयरधारकों के समझौते में इस रूप में पहचाना गया है या वे इसके प्रासंगिक या आनुषंगिक हैं।

5.4.3 पक्ष सहमत हैं कि शेयरधारक समझौते में यह प्रावधान होगा कि जब तक प्राधिकरण 'प्राधिकरण का शेयर' धारण करता है, वह रियायतग्राही में अपनी शेयरधारिता के अनुपात में रियायतग्राही के बोर्ड में गैर-सेवानिवृत्त निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी पसंद के व्यक्तियों को नामित करने का हकदार होगा, और ऐसे नामांकन पर, रियायतग्राही लागू कानूनों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त करेगा।

5.4.4 रियायतग्राही में पूंजी प्रवाह से संबंधित कोई भी आवश्यकता रियायतग्राही और वरीयता प्राप्त बोलीदाता की एकमात्र और अनन्य जिम्मेदारी होगी, और ऐसी सभी आवश्यकताएं शेयरधारक समझौते के प्रावधानों द्वारा शासित होंगी।

5.4.5 प्राधिकरण रियायत अवधि के दौरान किसी भी समय, रियायतग्राही के शेयरधारक के रूप में या अन्यथा, रियायतग्राही की किसी भी पूंजीगत आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी भी रूप में सहायता या गारंटी प्रदान नहीं करेगा।

5.4.6 वरीयता प्राप्त बोलीदाता करेगा, और रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि वरीयता प्राप्त बोलीदाता और प्राधिकरण (या उसके नामित) को छोड़कर रियायतग्राही के सभी शेयरधारक, इस समझौते के समापन पर, इसके नियमों के अनुसार समापन भुगतान की प्राप्ति के एवज में, रियायतग्राही में अपनी संपूर्ण शेयरधारिता प्राधिकरण को हस्तांतरित करें।

5.5 डीजीसीए लाइसेंस से संबंधित दायित्व

5.5.1 रियायतग्राही डीजीसीए से लागू अनुमतियां प्राप्त करेगा और उन्हें अद्यतन रखेगा, और यदि ऐसी लागू अनुमतियां शर्तों के अधीन जारी की जाती हैं, तो रियायतग्राही हर समय ऐसी सभी शर्तों का अनुपालन करेगा।

5.5.2 रियायतग्राही के अनुरोध पर, प्राधिकरण रियायतग्राही द्वारा डीजीसीए के पास उचित और पूर्ण आवेदन दाखिल करने की तिथि से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर डीजीसीए से लागू अनुमतियां प्राप्त करने के लिए रियायतग्राही को आवश्यक सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा, शर्त यह है कि ऐसे आवेदन की तिथि पर रियायतग्राही ने इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे का निर्माण पूरा कर लिया हो और निम्नलिखित का अनुपालन किया हो: (क) विमान नियम, 1937 के नियम 83 की आवश्यकताएं; (ख) विमान नियम, 1937 के नियम 133A के तहत डीजीसीए द्वारा जारी कोई भी विशेष निर्देश या दिशानिर्देश; और (ग) हवाई अड्डा लाइसेंस जारी करने के संबंध में डीजीसीए की कोई अन्य आवश्यकता।

5.5.3 खंड 5.5.1 और खंड 5.5.2 के प्रावधान, आवश्यक परिवर्तनों सहित, इस समझौते के समापन तक लागू अनुमतियों के नवीनीकरण पर लागू होंगे।

5.6 वस्तुओं और सेवाओं की खरीद से संबंधित दायित्व

5.6.1 रियायतग्राही सहमत होता है और वचन देता है कि वह हवाई अड्डे के निर्माण और संचालन के लिए अनुबंध, वस्तुएं और सेवाएं निष्पक्ष, पारदर्शी और कुशल तरीके से तथा इस संबंध में किसी भी अनुचित पक्षपात या भेदभाव के बिना प्राप्त करेगा। इसके अनुसरण में, वह वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए अनुबंध प्रदान करने में अपनाई जाने वाली सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करते हुए एक खरीद नीति तैयार करेगा, और आम जनता तथा सभी इच्छुक पक्षों की जानकारी के लिए नीति को अपनी वेबसाइट पर रखेगा। इस नीति में हवाईअड्डे पर निजी संस्थाओं को किसी भी स्थान, भवन, अधिकार या विशेषाधिकार के उप-लाइसेंसिंग या आवंटन के लिए अपनाई जाने वाली सिद्धांत और प्रक्रियाएं भी शामिल होंगी।

5.6.2 वस्तुओं, कार्यों, सेवाओं, उप-लाइसेंसों या किसी अन्य अधिकार या विशेषाधिकार की खरीद के लिए जहां प्रतिफल (इसके संबंध में किसी भी रूप में जमा सहित) किसी भी लेखा वर्ष में 25,00,00,000/-

रुपये (पच्चीस करोड़ रुपये) से अधिक है (सामूहिक रूप से, 'अनुबंध'), रियायतग्राही ई-टेंडरिंग के माध्यम से खुली प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित करेगा और खंड 5.6.1 के तहत निर्दिष्ट नीति के अनुसार पुरस्कार विजेताओं का चयन करेगा। पक्ष सहमत हैं कि रियायतग्राही को यह सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आवेदकों को पूर्व-योग्य और संक्षिप्त सूची में सूचीबद्ध करना चाहिए कि केवल अनुभवी और योग्य आवेदकों का अंतिम रूप से व्यावसायिक रूप से विवेकपूर्ण तरीके से चयन किया जाए जो उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करता हो। पक्ष आगे सहमत हैं कि रियायतग्राही किसी भी संबंधित पक्ष लेनदेन या किसी संबंधित पक्ष के साथ कोई अनुबंध दर्ज नहीं करेगा, सिवाय: (क) शेयरधारक समझौते की शर्तों के अनुसार आरक्षित वस्तु/सकारात्मक कार्रवाई के रूप में प्राधिकरण के पूर्व लिखित अनुमोदन के बाद; और (ख) ऐसा लेनदेन निष्पक्ष सौदेबाजी के आधार पर है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में है। पक्ष यह भी सहमत हैं कि इसके तहत कोई भी सहमति देने से पहले, प्राधिकरण अनुबंध और उस संबंधित पक्ष के संबंध में किसी भी जानकारी की मांग करने का हकदार होगा जिसके साथ अनुबंध निष्पादित करने का प्रस्ताव है, जिसमें ऐसे अनुबंध से संबंधित वाणिज्यिक जानकारी शामिल है लेकिन सीमित नहीं है; और यदि प्राधिकरण आवश्यक जानकारी प्रदान किए जाने की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर प्रस्ताव को अनुमोदित या अस्वीकृत नहीं करता है, तो यह माना जाएगा कि प्राधिकरण को ऐसे अनुबंध पर कोई आपत्ति नहीं है।

5.6.3 अन्यत्र इसके विपरीत किसी भी बात के बावजूद, रियायतग्राही किसी भी संबंधित पक्ष लेनदेन के संबंध में निम्नलिखित अनुबंध सिद्धांतों का पालन करेगा:

(क) रियायतग्राही का कोई भी शेयरधारक, और/या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक जिसका अनुबंध में हित है, अनुबंध के डिजाइन, या अनुबंध प्रक्रिया या निर्णय लेने में शामिल नहीं हो सकता है।

(ख) जहां रियायतग्राही का कोई शेयरधारक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या कोई संबंधित पक्ष अनुबंध के लिए निविदा देने का इरादा रखता है, वहां पूर्ण निष्पक्ष व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निविदा की समीक्षा और निगरानी के लिए एक स्वतंत्र सत्यनिष्ठा लेखा परीक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि स्वतंत्र सत्यनिष्ठा लेखा परीक्षक रियायतग्राही या उसके किसी शेयरधारक का संबंधित पक्ष नहीं होगा। रियायतग्राही प्राधिकरण द्वारा निर्धारित स्वतंत्र सत्यनिष्ठा लेखा परीक्षक के संदर्भ की उचित शर्तों और चयन प्रक्रिया पर सहमति व्यक्त करेगा।

(ग) रियायतग्राही प्राधिकरण के एक नामित व्यक्ति की अध्यक्षता में एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करेगा जो सभी संबंधित पक्ष लेनदेन का ऑडिट करने के लिए जिम्मेदार होगी। रियायतग्राही का बोर्ड इसके गठन के समय लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें प्रदान करेगा। रियायतग्राही केवल लिखित रूप में लेखा परीक्षा समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही संबंधित पक्ष लेनदेन में प्रवेश करेगा। संबंधित पक्ष लेनदेन के नियमों और शर्तों में कोई भी संशोधन/परिवर्तन के लिए लेखा परीक्षा समिति के पूर्व अनुमोदन की भी आवश्यकता होगी।

5.7 विदेशी नागरिकों के नियोजन से संबंधित दायित्व

रियायतग्राही स्वीकार करता है, सहमत होता है और वचन देता है कि रियायतग्राही और/या उसके ठेकेदारों और उनके उप-ठेकेदारों द्वारा विदेशी कर्मियों का नियोजन आवश्यक नियामक परमिट और अनुमोदनों के अधीन होगा, जिसमें रोजगार/आवासीय वीजा और कार्य परमिट और सुरक्षा मंजूरी, यदि आवश्यक हो, शामिल है। ऐसे अनुमोदनों और अनुमतियों के लिए आवेदन करने और प्राप्त करने का दायित्व हमेशा रियायतग्राही का होगा और इस समझौते में इसके विपरीत किसी भी बात के बावजूद, रियायतग्राही या उसके किसी ठेकेदार या उप-ठेकेदार द्वारा ऐसे किसी भी अनुमोदन और अनुमतियों को प्राप्त करने में इनकार या असमर्थता अनिवार्य बल घटना (Force Majeure Event) का गठन नहीं करेगी, और किसी भी तरह से रियायतग्राही को इस समझौते के तहत अपने दायित्वों और देनदारियों के निष्पादन और निर्वहन से मुक्त नहीं करेगी।

5.8 प्रशिक्षित कर्मियों के नियोजन से संबंधित दायित्व

रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन में उसके द्वारा लगे कर्मचारी हर समय अपने संबंधित कार्यों के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित हों। रियायतग्राही स्थानीय कर्मियों की काम पर रखने के संबंध में लागू कानूनों और लागू अनुमतियों का अनुपालन करेगा, और परियोजना के कार्यान्वयन, विकास और संचालन के दौरान परियोजना प्रभावित व्यक्तियों और/या उनके परिवार के किसी भी सदस्य सहित अधिक से अधिक स्थानीय कर्मियों को रोजगार देने का प्रयास करेगा।

5.9 सुरक्षा मंजूरी से संबंधित दायित्व

इस समझौते में इसके विपरीत किसी भी बात के बावजूद, रियायतग्राही और उसके ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों के कर्मचारियों, कर्मचारियों और कर्मियों का नियोजन हमेशा नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा सुरक्षा मंजूरी के अधीन होगा और केवल वैध सुरक्षा मंजूरी वाले व्यक्तियों को ही स्थल पर जाने की अनुमति होगी। यह सहमति व्यक्त की जाती है कि रियायतग्राही या उसके किसी ठेकेदार या उप-ठेकेदार द्वारा ऐसी कोई भी अनुमति और अनुमोदन प्राप्त करने में इनकार या असमर्थता अनिवार्य बल घटना नहीं मानी जाएगी, और किसी भी रीति से रियायतग्राही को इस समझौते के तहत अपने दायित्वों और देनदारियों के निष्पादन और निर्वहन से मुक्त नहीं करेगी।

5.10 गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच से संबंधित दायित्व

लागू अनुमतियों के अधीन, रियायतग्राही सामान्य उपयोगकर्ता आधार पर हवाई अड्डे का संचालन और प्रबंधन करेगा और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार सभी एयरलाइंस, विमानों और अन्य व्यक्तियों को गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच प्रदान करेगा तथा इसके किसी भी उपयोगकर्ता या संभावित उपयोगकर्ता के खिलाफ कोई अनुचित या भेदभावपूर्ण प्रथा अपनाने से परहेज करेगा।

5.11 चिकित्सा सहायता से संबंधित दायित्व

उपयोगकर्ताओं को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए, रियायतग्राही आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए हवाई अड्डे पर एक चिकित्सा सहायता पोस्ट स्थापित और संचालित

करेगा, जो प्राथमिक उपचार प्रदान करने और आसपास के अस्पतालों से आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में सहायता के लिए सुसज्जित होगी।

5.12 ध्वनि नियंत्रण से संबंधित दायित्व

रियायतग्राही ऐसे सभी उपाय करेगा जो इसके अनुसार आवश्यक और हवाईअड्डे और इसके उपयोगकर्ताओं तथा आसपास के क्षेत्र पर पड़ने वाले इसके प्रभाव से उत्पन्न होने वाले शोर को नियंत्रित और कम करने के लिए लागू कानूनों तथा उत्कृष्ट उद्योग पद्धतियों (Good Industry Practice) का पालन करने संबंधी उपाय भी करेगा।

5.13 रियायतग्राही का एकमात्र उद्देश्य

रियायतग्राही का गठन केवल इस समझौते के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करने और अपने दायित्वों तथा देनदारियों का पालन एवं निष्पादन करने के उद्देश्य से किया गया है, अर्थात् परियोजना का डिज़ाइन, विकास, कार्यान्वयन, संचालन और प्रबंधन। रियायतग्राही इसके द्वारा यह सहमति व्यक्त करता है कि वह किसी भी संस्था में कोई शेयरधारिता हित या अन्यथा नहीं रखेगा, या किसी व्यक्ति के साथ किसी अन्य रूप में कोई व्यवस्था नहीं करेगा, जो उसे कोई अन्य व्यावसायिक गतिविधि करने या निष्पादित करने की अनुमति दे। रियायतग्राही इसके द्वारा यह सहमति व्यक्त करता है कि उसकी कोई सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम या किसी अन्य रूप में कोई व्यवस्था नहीं होगी, या वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यवसाय में शामिल, संबंधित या इच्छुक नहीं होगा।

5.14 हवाईअड्डे की ब्रांडिंग

5.14.1 प्राधिकरण को छोड़कर, रियायतग्राही या उसके शेयरधारकों के नाम या पहचान को विज्ञापित, प्रदर्शित या प्रतिबिंबित करने के लिए हवाई अड्डे या उसके किसी भी भाग को किसी भी तरीके से ब्रांडेड नहीं किया जाएगा। व्यवसाय के सामान्य क्रम में आवश्यक होने तथा हमेशा प्राधिकरण के नाम के साथ होने के अलावा, रियायतग्राही यह वचन देता है कि वह अपनी स्वयं की पहचान, ब्रांड इकिटी या व्यावसायिक हितों (उसके शेयरधारकों सहित) को विज्ञापित या प्रदर्शित करने के लिए हवाई अड्डे के नाम या पहचान का किसी भी तरीके से उपयोग नहीं करेगा।

5.14.2 हवाईअड्डे को उस नाम से जाना जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा, विज्ञापित किया जाएगा और ब्रांडेड किया जाएगा जिस पर पक्षों के बीच सहमति होगी और वाणिज्यिक संचालन तिथि (COD) से पूर्व संबंधित सरकारी एजेंसी/निकाय (Government Instrumentality) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। रियायतग्राही हर समय, किसी भी विज्ञापन, प्रदर्शन, प्रतिबिंब, ब्रांडिंग या अन्यथा के उद्देश्य से, हवाई अड्डे को इसी रूप में प्रदर्शित करेगा। यदि इसका इरादा उन स्थानों पर अपना नाम या अपने शेयरधारकों का नाम प्रदर्शित करने का है जहाँ व्यवसाय के सामान्य क्रम में उपयोगकर्ताओं के लिए अन्य सार्वजनिक सूचनाएं प्रदर्शित की जाती हैं, तो उसके पूर्व प्राधिकरण का नाम होना अनिवार्य होगा।

5.15 दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं

रियायतग्राही, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या उसके स्थानापन्न द्वारा समय-समय पर जारी नियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन में, हवाई अड्डे का उपयोग करने वाले दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बाधा मुक्त वातावरण सुनिश्चित करेगा।

अनुच्छेद 6

प्राधिकरण के दायित्व

6.1 प्राधिकरण के दायित्व

- 6.1.1 प्राधिकरण अपने स्वयं के खर्च और लागत पर, इस समझौते में निर्धारित या इसके तहत उत्पन्न होने वाले अपने सभी दायित्वों का पालन, अनुपालन और निष्पादन करेगा।
- 6.1.2 प्राधिकरण रियायतग्राही को सहायता प्रदान करने के लिए सहमत है और इस समझौते के प्रावधानों तथा लागू कानूनों के अधीन और उनके अनुसार, निम्नलिखित का अनुपालन करने और निष्पादित करने का वचन देता है:
- (क) रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर, और रियायतग्राही द्वारा लागू कानूनों के अनुपालन के अधीन, रियायतग्राही के खर्च और लागत पर हवाई अड्डे के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए किसी भी सरकारी एजेंसी/निकाय से आवश्यक लागू अनुमतियाँ प्राप्त करने के लिए उचित सहायता प्रदान करना;
 - (ख) रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर, रियायतग्राही को पानी और बिजली सहित सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं और उपयोगिताओं तक पहुँच प्राप्त करने में उचित सहायता प्रदान करना, जो रियायतग्राही के लिए उन दरों और शर्तों पर होगी जो मोटे तौर पर समान सेवाएं प्राप्त करने वाले समान उपयोगिता ग्राहकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध दरों और शर्तों से कम अनुकूल न हों;
 - (ग) यह सुनिश्चित करना कि सुरक्षा आवश्यकताओं, आपात स्थिति, राष्ट्रीय सुरक्षा, या कानून और व्यवस्था के कारणों को छोड़कर, किसी भी सरकारी एजेंसी/निकाय या इसके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा हवाई अड्डे पर या उसके आसपास कोई बाधाएं न खड़ी की जाएं;
 - (घ) लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के अधीन और उनके अनुसार, रियायतग्राही को स्थल और हवाई अड्डे पर उपयोगकर्ताओं को विनियमित करने का अधिकार प्रदान करना;
 - (ङ) उपयोगकर्ताओं के विनियमन, अनाधिकृत प्रवेशकर्ताओं को हटाने और हवाई अड्डे पर सुरक्षा के लिए नामित भारत सरकार की एजेंसी से सहायता प्राप्त करने में रियायतग्राही की सहायता करना;
 - (च) ऐसा कोई कार्य, विलेख या वस्तु न करना या करने से न चूकना जो किसी भी तरह से इस समझौते के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता हो;
 - (छ) लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के अनुसार इस समझौते के प्रावधानों के तहत परियोजना के विकास, संचालन और रखरखाव में रियायतग्राही का समर्थन, सहयोग और सुविधा प्रदान करना; और
 - (ज) रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर और खंड 5.7 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही और रियायतग्राही या उसके ठेकेदारों के किसी भी विदेशी कर्मियों को इस समझौते और परियोजना

समझौतों के तहत उनके संबंधित दायित्वों का निर्वहन करने के लिए लागू वीजा और कार्य परमिट प्राप्त करने में उचित सहायता प्रदान करना।

6.2 नियत तिथि से पूर्व रखरखाव संबंधी दायित्व

विकास अवधि के दौरान स्थल का रखरखाव खंड 12.9 के प्रावधानों के अधीन होगा। विकास अवधि के दौरान, भूमि उपयोग विलेख समझौते के निष्पादन तक, प्राधिकरण अपनी लागत और खर्च पर स्थल की सुरक्षा, प्रबंधन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा। हालांकि, विकास अवधि के दौरान भूमि उपयोग विलेख समझौते के निष्पादन पर, स्थल की सुरक्षा, प्रबंधन और रखरखाव के ऐसे सभी दायित्व भूमि उपयोग विलेख समझौते के निष्पादन की तिथि से तत्काल प्रभाव से रियायतग्राही को हस्तांतरित हो जाएंगे, और प्राधिकरण को स्थल सौंपने के संबंध में खंड 4.1.2, खंड 10.2 और खंड 10.3 के तहत अपने दायित्वों का पालन किया हुआ माना जाएगा।

6.3 आरक्षित सेवाओं से संबंधित दायित्व

- 6.3.1 इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के अधीन और उनके अनुसार, प्राधिकरण नामित भारत सरकार की एजेंसी के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं, अनुच्छेद 19 के प्रावधानों के अनुसार सीएनएस/एटीएम सेवाओं (संचार, नेविगेशन और निगरानी/हवाई यातायात प्रबंधन सेवाएं) को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा, और हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि हवाई यातायात को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए अधिकृत नामित भारत सरकार की एजेंसी लागू कानूनों, लागू अनुमतियों और उत्कृष्ट उद्योग पद्धतियों के अनुसार रनवे (Runway) पर विमानों की आवाजाही को सक्षम बनाए।
- 6.3.2 अनुच्छेद 19 के प्रावधानों के अधीन, प्राधिकरण इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के अनुसार सभी आरक्षित सेवाओं (Reserved Services) के निष्पादन के लिए सहायता प्रदान करेगा।
- 6.3.3 प्राधिकरण सहमत है और वचन देता है कि रियायतग्राही को इस समझौते, लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए, प्राधिकरण अपने कार्यों का कुशलतापूर्वक और उत्कृष्ट उद्योग पद्धतियों के अनुसार निर्वहन करेगा।

6.4 पुनर्वित्तपोषण से संबंधित दायित्व

रियायतग्राही द्वारा इस आशय का अनुरोध किए जाने पर, प्राधिकरण भारत सरकार या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाने वाले नियमों या दिशानिर्देशों के अनुपालन में, रियायतग्राही को देय ऋण के पूर्ण या आंशिक पुनर्वित्तपोषण को सुरक्षित करने की अनुमति देगा और सक्षम बनाएगा, जैसा कि रियायतग्राही और ऐसा पुनर्वित्तपोषण प्रदान करने वाली संस्था के बीच सहमति हो सकती है; हालांकि, इसके तहत पुनर्वित्तपोषण हमेशा प्राधिकरण की पूर्व सहमति के अधीन होगा, जिस सहमति को अनुचित रूप से नहीं रोका जाएगा, और ऐसा पुनर्वित्तपोषण उस तिथि को बकाया देय ऋण को कम करता है। इसके तहत पुनर्वित्तपोषित ऋण

की अवधि वरिष्ठ उधारदाताओं और रियायतग्राही के बीच परस्पर निर्धारित की जा सकती है, लेकिन इसका पुनर्भुगतान रियायत अवधि की समाप्ति से कम से कम 1 (एक) वर्ष पूर्व पूरा किया जाएगा, और यह हमेशा उस समय मौजूद शर्तों से बेहतर शर्तों पर होगा, तथा उपयोगकर्ताओं के लाभ और हित में होगा।

अनुच्छेद 7

अभ्यावेदन और वारंटियां

7.1 रियायतग्राही के अभ्यावेदन और वारंटियां

रियायतग्राही प्राधिकरण को अभ्यावेदन देता है और वारंटी देता है कि:

- (क) यह भारत के कानूनों के तहत विधिवत गठित और वैध रूप से अस्तित्व में है, और इसके पास इस समझौते को निष्पादित करने और इसके तहत अपने दायित्वों को पूरा करने तथा इसके द्वारा परिकल्पित लेनदेन को करने का पूर्ण अधिकार और शक्ति है;
- (ख) इसने इस समझौते के निष्पादन और वितरण को अधिकृत करने तथा अपने अधिकारों का वैध रूप से प्रयोग करने और इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन करने के लिए लागू कानूनों के तहत सभी आवश्यक कॉर्पोरेट और अन्य कार्रवाई की है;
- (ग) पसंदीदा बोलीदाता (इसके सदस्यों सहित, यदि कोई हो) के पास इस समझौते की शर्तों के अनुसार परियोजना को शुरू करने के लिए वित्तीय क्षमता और तकनीकी क्षमता (संचालन एवं रखरखाव अनुभव सहित) सह-सीमा तक वित्तीय स्थिति और क्षमता है;
- (घ) इसके पास किसी भी अनुसूचित एयरलाइन, कार्गो एयरलाइन या उनके किसी भी सहयोगी का इक्विटी स्वामित्व नहीं है, जो रियायतग्राही की कुल इक्विटी के 26% (छब्बीस प्रतिशत) से अधिक हो;
- (ङ) यह समझौता इसके कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्व का गठन करता है, जो इसकी शर्तों के अनुसार इसके खिलाफ लागू करने योग्य है;
- (च) यह भारत के कानूनों के अधीन है, और इसके द्वारा इस समझौते या इसके तहत उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में किसी भी क्षेत्राधिकार में किसी भी छूट/उन्मुक्ति का स्पष्ट रूप से और अपरिवर्तनीय रूप से त्याग करता है;
- (छ) पसंदीदा बोलीदाता द्वारा बोली में प्रस्तुत की गई और इस समझौते की तिथि पर या उससे पहले अद्यतन की गई जानकारी इस समझौते की तिथि के अनुसार सभी मामलों में सत्य और सटीक है;
- (ज) इस समझौते का निष्पादन, वितरण और प्रदर्शन इसके ज्ञापन और नियमावली या पसंदीदा बोलीदाता के किसी सदस्य की शर्तों या किसी लागू कानून या किसी अनुबंध, समझौते, व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करेगा;
- (झ) इसके खिलाफ किसी भी अदालत या किसी अन्य न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष कोई भी कार्रवाई, वाद, कार्यवाही या जांच लंबित नहीं है या इसकी जानकारी में आने की धमकी नहीं दी गई है, जिसका परिणाम इस समझौते का उल्लंघन हो सकता है;

- (ज) इसे किसी भी अदालत या सरकारी एजेंसी के किसी भी आदेश, रिट, निषेधाज्ञा या डिक्री के संबंध में किसी उल्लंघन या चूक की जानकारी नहीं है, जिसका इसके दायित्वों को पूरा करने की क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है;
- (ट) न तो यह और न ही पसंदीदा बोलीदाता और उनके संबंधित सहयोगी किसी कानून की अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए हैं या किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा प्रतिकूल आदेश पारित किए गए हैं जो परियोजना को शुरू करने की इसकी क्षमता पर संदेह पैदा कर सकते हैं;
- (ठ) न तो इसके और न ही पसंदीदा बोलीदाता और उनके संबंधित सहयोगियों के खिलाफ भारत की सुरक्षा और अखंडता से संबंधित मामलों के संबंध में किसी सरकारी एजेंसी द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया गया है या किसी अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है;
- (ड) न तो इसके या पसंदीदा बोलीदाता और उनके संबंधित सहयोगियों के खिलाफ, और न ही उनके किसी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी या किसी भी निदेशक, प्रबंधक या कर्मचारियों के खिलाफ किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा कोई जांच लंबित है;
- (ढ) इसने सभी महत्वपूर्ण मामलों में लागू कानूनों का अनुपालन किया है और इस पर कोई जुर्माना, दंड या अन्य नागरिक या आपराधिक देनदारियां नहीं लगाई गई हैं जो इसके दायित्वों को पूरा करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं;
- (ण) यह खंड 5.3 के प्रावधानों के अनुसार छोड़कर किसी भी समय स्वामित्व में परिवर्तन नहीं करेगा या अनुमति नहीं देगा;
- (त) पसंदीदा बोलीदाता और उसके सहयोगियों के पास इस समझौते के अनुसार आवश्यक इक्विटी को वित्तपोषित करने और परियोजना को शुरू करने के लिए आवश्यक ऋण जुटाने की वित्तीय स्थिति और संसाधन हैं;
- (थ) पसंदीदा बोलीदाता अपने निगमन या पंजीकरण के क्षेत्राधिकार के कानूनों के तहत विधिवत गठित और वैध रूप से अस्तित्व में है, और उसने पुरस्कार पत्र के अनुसरण में प्राधिकरण से रियायतग्राही के साथ इस समझौते को करने का अनुरोध किया है;
- (द) हवाई अड्डे में इसके सभी अधिकार और हित हस्तांतरण तिथि पर लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के अनुसार प्राधिकरण में निहित होंगे, जो सभी ग्रहणाधिकारों, दावों और बंधकों/प्रभारों से मुक्त होंगे;
- (ध) इसके द्वारा प्राधिकरण या किसी भी सरकारी एजेंसी को प्रस्तुत की गई किसी भी जानकारी में कोई असत्य या भ्रामक कथन शामिल नहीं है;
- (न) रियायत प्राप्त करने या इस समझौते में प्रवेश करने या प्राधिकरण या किसी सरकारी एजेंसी के किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्रभावित करने के लिए फीस, कमीशन या अन्यथा इसके द्वारा या इसकी ओर से कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा;

(न) योग्यता अनुरोध और प्रस्ताव अनुरोध के उत्तर में पसंदीदा बोलीदाता द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी इसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सभी महत्वपूर्ण मामलों में सत्य और सटीक है; और

(प) आरएफक्यू और आरएफपी से उत्पन्न होने वाले रियायतग्राही के सभी वचन और दायित्व रियायतग्राही पर इस प्रकार बाध्यकारी होंगे मानो वे इस समझौते का हिस्सा हैं।

7.2 प्राधिकरण के अभ्यावेदन और वारंटियां

प्राधिकरण रियायतग्राही को अभ्यावेदन देता है और वारंटी देता है कि:

(क) भारत सरकार के अनुमोदन और अन्य लागू अनुमतियों के अनुसरण में इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को निष्पादित करने, देने और निभाने का पूर्ण अधिकार और शक्ति उसके पास है;

(ख) इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को निभाने की वित्तीय स्थिति और क्षमता उसके पास है;

(ग) यह समझौता इसके खिलाफ लागू करने योग्य एक कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्व का गठन करता है;

(घ) उसे किसी अदालत के किसी आदेश, रिट या सरकारी एजेंसी के किसी कानूनी रूप से बाध्यकारी आदेश के उल्लंघन की कोई जानकारी नहीं है जिससे प्राधिकरण की दायित्वों को निभाने की क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े;

(ङ) उसने सभी महत्वपूर्ण मामलों में लागू कानूनों का अनुपालन किया है; और

(च) स्थल पर उसका अच्छा और वैध अधिकार है, और रियायतग्राही को इसके संबंध में लाइसेंस देने का अधिकार और शक्ति है।

7.3 प्रकटीकरण

यदि किसी भी पक्ष के ध्यान में कोई ऐसी घटना या परिस्थिति आती है जो उसके उपरोक्त अभ्यावेदन या वारंटी को असत्य या गलत बनाती है, तो वह पक्ष तुरंत दूसरे पक्ष को सूचित करेगा। इस तरह की अधिसूचना का प्रभाव किसी भी उल्लंघन को सुधारने का नहीं होगा और न ही यह किसी भी पक्ष के अधिकार या उपाय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित या समाप्त करेगा।

अनुच्छेद 8

अस्वीकरण

8.1 अस्वीकरण

- 8.1.1 रियायतग्राही अपनी ओर से और पसंदीदा बोलीदाता की ओर से स्वीकार करता है कि इस समझौते के निष्पादन से पूर्व, उसने योग्यता अनुरोध, प्रस्ताव अनुरोध, परियोजना के दायरे, विनिर्देशों और मानकों, स्थल, लागू अनुमतियों की आवश्यकताओं, मौजूदा संरचनाओं, स्थानीय स्थितियों, भू-वैज्ञानिक स्थितियों और यातायात की मात्रा की स्वतंत्र जांच की है। प्राधिकरण अपनी ओर से प्रदान की गई किसी भी जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता या पूर्णता के संबंध में कोई अभ्यावेदन नहीं करता है।
- 8.1.2 रियायतग्राही स्वीकार करता है कि उपरोक्त खंड 8.1.1 में निर्धारित किसी भी मामले से संबंधित किसी भी अपर्याप्तता, गलती या त्रुटि का जोखिम वह स्वयं वहन करेगा और प्राधिकरण इसके लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।
- 8.1.3 पक्ष सहमत हैं कि उपरोक्त खंड 8.1.1 में निर्धारित किसी भी मामले में कोई गलती या त्रुटि इस समझौते को अमान्य या शून्यकरणीय नहीं बनाएगी।
- 8.1.4 यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्त खंड 8.1.1 में वर्णित किसी गलती या त्रुटि का पता चलता है, तो वह तुरंत दूसरे पक्ष को सूचित करेगा।
- 8.1.5 इस समझौते में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, परियोजना से संबंधित सभी जोखिम रियायतग्राही द्वारा वहन किए जाएंगे और प्राधिकरण ऐसे जोखिमों या उनके परिणामों के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग III

विकास और संचालन

अनुच्छेद 9

कार्य-निष्पादन गारंटी

9.1 कार्य-निष्पादन गारंटी

- 9.1.1 रियायतग्राही, चरण 1 के संबंध में अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए, इस समझौते की तिथि से 60 (साठ) दिनों के भीतर, अनुसूची च में निर्धारित प्रारूप में ₹ 100,00,00,000/- (रु. एक सौ करोड़) के बराबर राशि के लिए बैंक से एक अपरिवर्तनीय और बिना शर्त बैंक गारंटी प्राधिकरण को प्रदान करेगा ("कार्य-निष्पादन गारंटी")। जब तक कार्य-निष्पादन गारंटी प्रदान नहीं की जाती, बोली गारंटी लागू रहेगी।
- 9.1.2 इस समझौते में निहित किसी भी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यदि कार्य-निष्पादन गारंटी 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के भीतर प्रदान नहीं की जाती है, तो प्राधिकरण बोली गारंटी को भुना सकता है और राशि को नुकसान/क्षतिपूर्ति के रूप में जब्त कर सकता है, और यह समझौता समाप्त माना जाएगा।
- 9.1.3 रियायतग्राही उत्तरवर्ती चरणों में से किसी भी चरण के निर्माण कार्यों को शुरू करने से पूर्व, प्रत्येक ऐसे चरण की स्वीकृत लागत के 2% (दो प्रतिशत) के बराबर राशि के लिए पृथक कार्य-निष्पादन गारंटी प्रदान करेगा।

9.2 कार्य-निष्पादन गारंटी की जब्ती/विनियोजन

रियायतग्राही द्वारा चूक होने या पूर्व-शर्तों को पूरा करने में विफल रहने पर, प्राधिकरण कार्य-निष्पादन गारंटी से देय राशि को भुनाने और विनियोजित करने का हकदार होगा। आंशिक जब्ती की स्थिति में, रियायतग्राही को 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर इसकी पूर्ति करनी होगी, अन्यथा प्राधिकरण अनुच्छेद 34 के अनुसार इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा।

9.3 कार्य-निष्पादन गारंटी की मुक्ति/रिलीज़

कार्य-निष्पादन गारंटी परियोजना के संबंधित चरणों की वाणिज्यिक संचालन तिथि से 7 (सात) वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगी और इस अवधि की समाप्ति के 3 (तीन) महीने बाद रिलीज़ की जाएगी, बशर्ते रियायतग्राही ने समझौते का उल्लंघन न किया हो।

9.4 मानित कार्य-निष्पादन गारंटी

9.4 पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि खंड 9.3 के अनुसार कार्य-निष्पादन गारंटी के रिलीज़ होने पर, समान राशि के लिए एक स्थानापन्न कार्य-निष्पादन गारंटी इस खंड 9.4 के तहत रियायत

अवधि के लिए निर्मित मानी जाएगी ("मानी गई कार्य-निष्पादन गारंटी")। यह एस्करो अकाउंट (Escrow Account) में समकक्ष शेष राशि पर पहला और अनन्य प्रभार होगी।

9.5 मानी गई कार्य-निष्पादन गारंटी का विनियोजन

रियायतग्राही की चूक होने पर, प्राधिकरण क्षतिपूर्ति के रूप में मानी गई कार्य-निष्पादन गारंटी से प्रासंगिक राशि को विनियोजित करने का हकदार होगा। विनियोजित की गई राशि की पूर्ति के संबंध में खंड 9.2 के प्रावधान लागू होंगे।

9.6 कार्य-निष्पादन गारंटी के संदर्भ

इस समझौते में कार्य-निष्पादन गारंटी के संदर्भ, गारंटी प्रस्तुत करने से पूर्व या उसकी समाप्ति/रिलीज़ के बाद की अवधि के लिए, केवल रियायतग्राही द्वारा देय क्षतिपूर्ति राशि की गणना के उद्देश्य से समझे जाएंगे।

अनुच्छेद 10 मार्गाधिकार

10.1 विमानक्षेत्र का स्थल

विमानक्षेत्र (एयरपोर्ट) का स्थल अनुसूची 'क' (Schedule A) में वर्णित है, जिसके संबंध में प्राधिकारी (Authority) द्वारा इस समझौते के तहत और इसके अनुसार रियायतग्राही (Concessionaire) को एक अनुज्ञप्तिधारी (licensee) के रूप में मार्गाधिकार (Right of Way) प्रदान किया जाएगा ("स्थल")।

10.2 अनुज्ञप्ति, पहुँच और मार्गाधिकार

10.2.1 प्राधिकारी इसके द्वारा, सुरक्षा प्रतिबंधों और इस समझौते की अन्य शर्तों के अधीन, विकास अवधि (Development Period) के दौरान रियायतग्राही द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी सर्वेक्षण, अन्वेषण और मृदा परीक्षण (soil tests) को करने के लिए तथा इसके खंड 12.9 के अनुसरण में आवश्यक अन्य कार्यों को निष्पादित करने के लिए स्थल तक पहुँच प्रदान करता है। यह स्पष्ट रूप से सहमत और समझा गया है कि समापन (Termination) की स्थिति में या अन्यथा, इसके अनुसरण में स्थल पर या उसके आसपास रियायतग्राही द्वारा किए गए सर्वेक्षण, अन्वेषण और परीक्षणों या किए गए कार्यों के संबंध में प्राधिकारी का कोई दायित्व नहीं होगा।

10.2.2 रियायत शुल्क (Concession Fees) और प्रीमियम के प्रतिफल में, तथा इस समझौते एवं इसमें अंतर्विष्ट रियायतग्राही के वचनों और वारंटियों के एवज में, प्राधिकारी, निरंतर जारी पूर्व-विकास कार्यों (Pre-development Works) सहित इसमें निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार, इसके द्वारा रियायतग्राही को अनुसूची 'क' में स्थल के रूप में वर्णित, रेखांकित और दर्शाई गई समस्त भूमि (उस पर स्थित किसी भी भवन, निर्माण या अचल परिसंपत्तियों, यदि कोई हो, के साथ) के संबंध में, सभी प्रकार के विबंधनों/प्रभारों (Encumbrances) से मुक्त, स्थल का विकास, संचालन और रखरखाव करने का अनुज्ञप्ति अधिकार (licence rights) प्रदान करता है; साथ ही उक्त स्थल, वंशानुगत संपत्ति या परिसर अथवा उसके किसी भाग से संबंधित या किसी भी तरह से उससे जुड़े या उपभोग किए जाने वाले समस्त अधिकार, स्वतंत्रताएं, विशेषाधिकार, सुखचार (easements) और सह-सुविधाएं, इस समझौते के तहत अनुमत प्रयोजनों के लिए, और किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं, संपूर्ण रियायत अवधि (Concession Period) हेतु प्रदान करता है।

10.2.3 रियायतग्राही स्वीकार करता है कि उसने पूर्ण और सावधानीपूर्वक जांच के बाद, संपूर्ण स्थल का स्वतंत्र मूल्यांकन किया है और इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाली या सामना की जाने वाली कठिनाइयों, उन्नयनों (upgradations), इनपुट, लागतों, समय, संसाधनों, जोखिमों और खतरों की प्रकृति एवं सीमा तथा आवश्यक प्रयासों की सीमा और

तरीके का निर्धारण कर लिया है। रियायतग्राही आगे स्वीकार करता है कि यदि बाद की तारीख में यह पाया जाता है कि स्थल किसी भी तरह से त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण है, तो प्राधिकारी के विरुद्ध उसका कोई अधिकार/दावा नहीं होगा। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है, तो रियायतग्राही इसके द्वारा स्वीकार करता है और सहमत होता है कि वह प्राधिकारी को बिना किसी लागत के, अपने स्वयं के खर्च पर, उसे ठीक करने के लिए सभी उपयुक्त उपाय करेगा।

10.2.4 इस समझौते के प्रयोजनों के लिए, रियायतग्राही ने:

- (क) स्थल और उसके आसपास के परिवेश का निरीक्षण कर लिया है;
- (ख) स्थल की जलवायु, जलविज्ञान और सामान्य भौतिक स्थितियों की प्रकृति, भूमि और उपमृदा की प्रकृति, स्थल के रूप और स्वरूप, तथा इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए आवश्यक डिजाइन, कार्य और सामग्रियों की प्रकृति के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है;
- (ग) विमानक्षेत्र पर संचार के साधनों, पहुँच और आवास, जिसकी उसे आवश्यकता हो सकती है या जो इस समझौते के तहत उसके दायित्वों के निष्पादन के लिए अन्यथा आवश्यक हो, के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है;
- (घ) भूमि विकास कार्यों के आवंटन और कार्यान्वयन से संबंधित दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लिया है, और उसमें अंतर्विष्ट निबंधनों और शर्तों से स्वयं को संतुष्ट कर लिया है, जिनका इस समझौते के तहत उसके दायित्वों के निष्पादन पर प्रभाव पड़ सकता है;
- (ङ) भूमि विकास कार्यों के कार्यान्वयन के संबंध में प्राधिकारी के सलाहकारों, जिनमें परियोजना प्रबंधन सलाहकार, प्राधिकारी के इंजीनियर आदि शामिल हैं, द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के आवंटन एवं निष्पादन से संबंधित दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लिया है, और उसमें अंतर्विष्ट निबंधनों और शर्तों से स्वयं को संतुष्ट कर लिया है, जिनका इस समझौते के तहत उसके दायित्वों के निष्पादन पर प्रभाव पड़ सकता है;
- (च) पूर्व-विकास कार्यों की प्रगति से स्वयं को संतुष्ट कर लिया है और इसके द्वारा पुष्टि करता है कि ऐसे पूर्व-विकास कार्यों को जारी रखने से इस समझौते के तहत उसके दायित्वों के निष्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा;
- (छ) जोखिमों, आकस्मिकताओं और अन्य सभी परिस्थितियों के संबंध में अपने लिए सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ली है जो रियायतग्राही और इसके तहत उसके अधिकारों और दायित्वों तथा इस समझौते के तहत या इसके अनुसार उसके अन्य अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित या संचालित कर सकती हैं।

10.2.5 इस समझौते द्वारा रियायतग्राही को प्रदान की गई अनुज्ञप्ति, पहुँच और मार्गाधिकार हमेशा पूर्व-विकास कार्यों को निष्पादित करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों के अधीन रहेंगे, जब तक कि वह सफलतापूर्वक पूरा न हो जाए और रियायतग्राही अपने दायित्वों का निष्पादन इस प्रकार करेगा कि विमानक्षेत्र रियायत अवधि के दौरान हर समय उपयोगकर्ताओं के लिए खुला रहे, सिवाय उन घंटों के जिनके लिए प्राधिकारी या किसी सरकारी निकाय/एजेंसी द्वारा इसे बंद करने की अनुमति दी गई हो।

10.2.6 रियायतग्राही स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि इस अनुच्छेद 10 के पूर्वगामी प्रावधानों के संबंध में रियायतग्राही द्वारा की गई किसी भूल या गलतफहमी की स्थिति में प्राधिकारी के विरुद्ध उसकी कोई शमन/दावा याचिका नहीं होगी और प्राधिकारी इसके द्वारा इसके संबंध में किसी भी दायित्व का स्पष्ट रूप से खंडन करता है।

10.2.7 इसके तहत प्रदान की गई अनुज्ञप्ति, किसी भी कारण से इस समझौते के समापन पर, प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति को समाप्त करने के लिए किसी कार्रवाई की आवश्यकता के बिना, स्वतः और तत्काल समाप्त हो जाएगी। रियायतग्राही या उसके उप-अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा स्थल पर निर्मित किसी भी अस्थायी या स्थायी संरचनाओं के बावजूद, विमानक्षेत्र के संबंध में स्थल से संबंधित अनुज्ञप्ति, पक्षों के किसी और कार्य के बिना, इस समझौते के समापन पर स्वतः समाप्त हो जाएगी।

10.2.8 रियायतग्राही इसके द्वारा प्राधिकारी को (प्रत्यक्ष रूप से या किसी नामिती के माध्यम से कार्य करने के लिए) अपना वास्तविक और वैध अटॉर्नी/प्रतिनिधि नियुक्त करता है, ताकि रियायत अवधि समाप्त होने के बाद या इसके निबंधनों के तहत समय से पहले समाप्त होने पर किसी भी समय, यदि उस समय लागू कानूनों के अनुसार आवश्यक हो, रियायतग्राही के नाम पर इसके तहत प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के हस्तांतरण या समर्पण पर हस्ताक्षर और निष्पादन किया जा सके; प्राधिकारी के किसी भी विधिवत अधिकृत अधिकारी की घोषणा इसका पर्याप्त प्रमाण होगी, और रियायतग्राही इस प्रयोजन के लिए इसके पंजीकृत होने की सहमति देता है।

10.2.9 यह स्पष्ट रूप से सहमत है कि स्थल पर स्थित वृक्ष प्राधिकारी की संपत्ति हैं, इसके अलावा कि रियायतग्राही रियायत अवधि के दौरान और लागू परमिटों के अनुसार उन पर उपभोग्याधिकार का प्रयोग करने का हकदार होगा।

10.2.10 इस समझौते में कहीं और निहित किसी भी प्रतिकूल बात के बावजूद, रियायतग्राही इसके द्वारा स्वीकार करता है, मंजूर करता है और सहमत होता है कि उसने पूर्व-विकास कार्यों के दायरा और निष्पादन को समझ लिया है और उसका निरीक्षण कर लिया है, और इसके द्वारा निम्नानुसार पुष्टि करता है:

(क) पूर्व-विकास कार्य किसी भी तरह से इस समझौते के तहत रियायतग्राही के निष्पादन दायित्वों को प्रभावित या बाधित नहीं करते हैं;

(ख) एलडीएस समझौते के खंड 2.4 में विशेष रूप से दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, न तो पूर्व-विकास कार्यों के पूरा होने में किसी देरी के संबंध में और न ही निर्माण कार्यों के पूरा होने में देरी पर इसके किसी प्रभाव के संबंध में उसका कोई दावा होगा, और न ही प्राधिकारी किसी भी तरह से इस संबंध में उत्तरदायी होगा;

(ग) एलडीएस समझौते के खंड 2.4 में विशेष रूप से दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, पूर्व-विकास कार्यों के पूरा होने में हुई किसी भी देरी के कारण इस समझौते के तहत रियायत अवधि को बढ़ाया नहीं जाएगा।

10.3 स्थल का अधिप्राप्ति/प्राप्ति

10.3.1 खंड 4.1.2 में निर्दिष्ट नोटिस के अनुसरण में, प्राधिकारी और रियायतग्राही, एक परस्पर सहमत तिथि और समय पर, स्थल का निरीक्षण करेंगे और स्थल की एक सूची (inventory) युक्त एक ज्ञापन (memorandum) तैयार करेंगे जिसमें प्रभार-मुक्त भूमि, भवन, संरचनाएं, सड़क कार्य, वृक्ष और स्थल पर स्थित या उससे जुड़ी कोई अन्य अचल संपत्ति शामिल होगी, साथ ही एलडीएस समझौते का निष्पादन भी किया जाएगा। ऐसे ज्ञापन में एक परिशिष्ट ("Appendix") संलग्न किया जाएगा, जिसमें स्थल के उन भागों का उचित विवरण दिया जाएगा जिन पर रियायतग्राही को रिक्त पहुँच और मार्गाधिकार प्रदान नहीं किया गया है। दोनों पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा 2 (दो) प्रतियों (जिनमें से प्रत्येक एक मूल प्रति मानी जाएगी) में ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना, खंड 10.2.2 के प्रावधानों के अधीन, इस समझौते के प्रावधानों के तहत और उसके अनुसार रियायत अवधि के दौरान प्रभार-मुक्त स्थल के निःशुल्क और अप्रतिबंधित उपयोग और विकास के लिए रियायतग्राही के लिए एक वैध अनुज्ञप्ति और मार्गाधिकार का गठन माना जाएगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। यह सहमत है कि परिशिष्ट में यथा निर्धारित स्थल के भागों के संबंध में वैध अनुज्ञप्ति और मार्गाधिकार प्राधिकारी द्वारा रियायतग्राही को उसकी पहुँच प्रदान किए जाने पर प्रदान किया गया माना जाएगा।

10.3.2 खंड 10.3.1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इसके पक्षकार सहमत हैं कि नियत तिथि को या उससे पूर्व, प्राधिकारी ने इस प्रकार रिक्त पहुँच और मार्गाधिकार प्रदान कर दिया होगा कि परिशिष्ट में विमानक्षेत्र के लिए आवश्यक एवं अपेक्षित स्थल के कुल क्षेत्रफल के 10% (दस प्रतिशत) से अधिक शामिल न हो; और यदि केवल इस प्रकार की पहुँच और मार्गाधिकार प्रदान करने में देरी के कारण वित्तीय समापन में विलंब होता है, तो वित्तीय समापन प्राप्त करने की अवधि को प्राधिकारी द्वारा खंड 4.1.2 के प्रावधानों के अनुसार बढ़ाया जाएगा। परिशिष्ट में ऐसी कोई भी भूमि शामिल नहीं होगी जो वैमानिकी परिसंपत्तियों और टर्मिनल भवन के निर्माण को रोकती या विलंबित करती हो, जिसके बिना पूर्णता या अनंतिम पूर्णता प्रदान नहीं की जा सकती है।

10.3.3 खंड 10.3.1 में संदर्भित ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तिथि से और स्थानांतरण तिथि तक, रियायतग्राही स्थल पर चौबीसों घंटे निगरानी रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उस पर कोई अतिक्रमण या अवैध कब्जा न हो; और उसके किसी भी भाग पर किसी भी अतिक्रमण या कब्जे की स्थिति में, रियायतग्राही तुरंत प्राधिकारी को ऐसे अतिक्रमण या कब्जे की रिपोर्ट करेगा और अपनी लागत एवं खर्च पर उसे हटाने का कार्य करेगा।

10.3.4 प्राधिकारी नियत तिथि से 120 (एक सौ बीस) दिनों के भीतर परिशिष्ट में शामिल समस्त भूमि के संबंध में रियायतग्राही को मार्गाधिकार प्राप्त करने और प्रदान करने के लिए उचित प्रयास करेगा; और अप्रत्याशित घटनाओं या रियायतग्राही द्वारा इस समझौते के उल्लंघन के अलावा किसी अन्य कारण से देरी की स्थिति में, और यदि ऐसी कोई देरी निर्माण कार्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है, तो प्राधिकारी, रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर, निर्माण अवधि और रियायत अवधि में उचित विस्तार देने पर विचार करेगा। शर्त यह है कि, ऐसे किसी भी मामले में, निर्माण अवधि और रियायत अवधि का विस्तार विलंबित अवधि से अधिक नहीं होगा। शर्त यह भी है कि, मार्गाधिकार प्रदान करने में ऐसी किसी भी देरी के होने से, इस समझौते के तहत और इसके अनुसार प्राधिकारी के अधिकारों, हितों, पात्रताओं, लाभों आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

10.3.5 परिशिष्ट में शामिल किसी भी भूमि के संबंध में मार्गाधिकार प्राप्त होने पर, रियायतग्राही उत्कृष्ट उद्योग प्रथाओं के अनुसार प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाने वाली उचित अवधि के भीतर उस पर निर्माण कार्य पूरा करेगा; शर्त यह है कि अनंतिम पूर्णता इस कारण से प्रभावित या विलंबित नहीं होगी कि स्थल के किसी भाग पर रिक्त पहुँच रियायतग्राही को प्रदान नहीं की गई है या ऐसी पहुँच में देरी या इनकार के कारण परीक्षण की तिथि पर स्थल के ऐसे भाग पर कोई निर्माण अधूरा रहता है। यह स्पष्ट रूप से सहमत है कि नियत तिथि के 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर जिन सभी भूमियों के लिए मार्गाधिकार प्रदान किया गया है, उन पर निर्माण कार्य अनुसूचित पूर्णता तिथि को या उससे पहले पूरा किया जाएगा।

10.4 स्थल का प्रभार-मुक्त होना

10.4 खंड 10.2 और खंड 10.3 के प्रावधानों के अधीन, प्राधिकारी द्वारा इसके अनुसार रियायतग्राही को स्थल सभी विबंधनों/प्रभारों से मुक्त उपलब्ध कराया जाएगा, और रियायत अवधि के दौरान ऐसे स्थल के अधिग्रहण और उपयोग के लिए किसी भी लागत, मुआवजे, व्यय और प्रभार के मद में रियायतग्राही द्वारा प्राधिकारी को कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल उस सीमा को छोड़कर जहाँ इस समझौते में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है। यह सहमत है कि स्थल पर मौजूदा मार्गाधिकार, सुखचार, विशेषाधिकार, स्वतंत्रताएं और सह-सुविधाएं विबंधन/प्रभार मानी जाएंगी। यह सहमत है कि रियायतग्राही स्थल की अपर्याप्तता या भौतिक स्थिति से उत्पन्न होने वाले किसी भी और सभी जोखिमों को स्वीकार करता है और उन्हें वहन करने का वचन देता है।

10.5 विबंधनों से स्थल की सुरक्षा

10.5 रियायत अवधि के दौरान, रियायतग्राही स्थल को किसी भी और सभी कब्जों, अतिक्रमणों या विबंधनों/प्रभारों से बचाएगा, और इस समझौते में स्पष्ट रूप से निर्धारित स्थिति को छोड़कर, रियायतग्राही के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले किसी भी ठेकेदार या अन्य व्यक्ति को संपूर्ण या स्थल के किसी भाग या परियोजना परिसंपत्तियों पर, या उसमें रियायतग्राही के किसी भी अधिकार पर या इस समझौते के तहत कोई विबंधन या सुरक्षा हित रखने या बनाने की अनुमति नहीं देगा।

10.6 विशेष/अस्थायी मार्गाधिकार

10.6 रियायतग्राही स्थल तक पहुँच के संबंध में अपने द्वारा अपेक्षित किसी भी विशेष या अस्थायी मार्गाधिकार के लिए सभी लागत और प्रभार वहन करेगा। रियायतग्राही विमानक्षेत्र के प्रयोजनों और इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए यथा आवश्यक स्थल पर या स्थल के बाहर ऐसी सुविधाएं अपने खर्चे पर प्राप्त करेगा।

10.7 प्राधिकारी की पहुँच

10.7.1 रियायतग्राही प्राधिकारी, वरिष्ठ ऋणदाताओं और स्वतंत्र इंजीनियर के अधिकृत प्रतिनिधियों, तथा किसी भी सरकारी निकाय/एजेंसी या नामित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्तियों और उनके संबंधित कर्मचारियों, एजेंटों और सलाहकारों को निर्माण कार्यों, विमानक्षेत्र का निरीक्षण करने तथा उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी मामले की जाँच करने के लिए हर समय स्थल पर निःशुल्क पहुँच की अनुमति देगा; और रियायतग्राही ऐसे सभी व्यक्तियों को उनके संबंधित कर्तव्यों और कार्यों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक उचित सहायता प्रदान करेगा।

10.7.2 रियायतग्राही अनुच्छेद 11 में निर्दिष्ट किसी भी उपयोगिता सड़क के संचालन और रखरखाव के प्रयोजन के लिए, ऐसी उपयोगिता या सड़क के नियंत्रक निकाय के अधिकृत व्यक्तियों और वाहनों के लिए हर समय स्थल पर निःशुल्क पहुँच प्रदान करेगा।

10.8 भूगर्भीय और पुरातात्विक खोजें

10.8 यह स्पष्ट रूप से सहमत है कि खनन, भूगर्भीय या पुरातात्विक अधिकार इस समझौते के तहत रियायतग्राही को दी गई अनुज्ञप्ति का हिस्सा नहीं हैं और रियायतग्राही इसके द्वारा स्वीकार करता है कि उसके पास अंतर्निहित खनिजों, जीवाश्मों, पुरावशेषों, संरचनाओं या विशेष भूगर्भीय या पुरातात्विक महत्व की अन्य अवशेषों या वस्तुओं में कोई खनन अधिकार या हित नहीं होगा; तथा स्थल पर या उसके नीचे ऐसे अधिकार, हित और संपत्ति प्राधिकारी या संबंधित सरकारी निकाय/एजेंसी में निहित होंगे और उनसे संबंधित होंगे। रियायतग्राही अपने श्रमिकों या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे हित या संपत्ति को हटाने या क्षतिग्रस्त करने से रोकने के लिए सभी उचित

सावधानियां बरतेगा और प्राधिकारी को इसकी खोज के बारे में तुरंत सूचित करेगा तथा ऐसी संपत्ति को हटाने के लिए प्राधिकारी या संबंधित सरकारी निकाय/एजेंसी द्वारा दिए जाने वाले उचित निर्देशों का पालन करेगा। यह सहमत है कि इसके तहत रियायतग्राही द्वारा किए गए किसी भी उचित व्यय की भरपाई प्राधिकारी द्वारा की जाएगी। यह भी सहमत है कि प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित सरकारी निकाय/एजेंसी द्वारा उचित अवधि के भीतर निर्देश जारी किए जाएं ताकि रियायतग्राही अपने निर्माण कार्यों को आवश्यक समझे जाने वाले संशोधनों के साथ जारी रखने में सक्षम हो सके।

10.9 अनुज्ञप्तिधारी के अधिकार

10.9 इस समझौते के प्रयोजन के लिए, रियायतग्राही के पास इस समझौते के अधीन और इसके अनुसार एकमात्र अनुज्ञप्तिधारी के रूप में स्थल के उपयोग के अधिकार होंगे, और इस उद्देश्य के लिए, वह इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार और उसके अधीन तृतीय पक्षों द्वारा विमानक्षेत्र में प्रवेश और उपयोग को विनियमित कर सकता है।

10.10 संपत्ति कर/सेवा शुल्क एवं अन्य प्रभार

10.10.1 संपत्ति कर (वर्तमान में, सेवा शुल्क के रूप में, जिसे लागू कानूनों के अनुसार स्थल के नगरपालिका की सीमा में शामिल होने पर संपत्ति कर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा), एलडीएस समझौते के निष्पादन की तिथि से प्रभावी, भुगतान के समय प्रचलित दरों के अनुसार रियायतग्राही द्वारा प्राधिकारी/संबंधित नगरपालिका निकाय को देय होगा।

10.10.2 स्थल के संबंध में कोई भी प्रभार और कर, यदि प्राधिकारी द्वारा लागू कानूनों के अनुसार भुगतान किया गया है, तो प्राधिकारी से आवश्यक विवरणों के साथ नोटिस प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर रियायतग्राही द्वारा प्राधिकारी को पुनर्पूर्त किया जाएगा।

10.10.3 स्थल पर उपलब्ध निर्मित क्षेत्र के लिए जीडीसीआर और एनएमडीएलआर सहित लागू कानूनों के तहत प्राधिकारी द्वारा वसूल योग्य सभी प्रभारों के भुगतान के लिए रियायतग्राही जिम्मेदार होगा। बशर्ते, हालांकि, लागू कानूनों के अनुसार ऐसे प्रभारों का एक हिस्सा बनने वाले 'जल संसाधन विकास प्रभार' का भुगतान रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर नियत तिथि से अधिकतम 10 (दस) वर्षों की अवधि तक के लिए आस्थगित किया जा सकता है। यदि रियायतग्राही 'जल संसाधन विकास प्रभार' के भुगतान में ऐसे किसी स्थगन के लिए अनुरोध करता है, तो रियायतग्राही को नियत तिथि से 11वें वर्ष के प्रारंभ होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, वार्षिक 3% (तीन प्रतिशत) प्लस बैंक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धित ब्याज के साथ ऐसे आस्थगित प्रभारों का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

अनुच्छेद 11 **उपयोगिताएं और वृक्ष**

11.1 मौजूदा उपयोगिताएं

11.1 इसमें अंतर्विष्ट किसी भी प्रतिकूल बात के बावजूद, रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि स्थल के ऊपर, नीचे या उस पर स्थित उपयोगिताओं के स्वामित्व वाली संबंधित संस्थाएं, उस उपयोगिता के नियंत्रक निकाय के अधिकार के साथ उपयुक्त अस्थायी या स्थायी विपथन प्रदान करके, यदि आवश्यक हो, ऐसी उपयोगिताओं का निरंतर संतोषजनक उपयोग बनाए रखने में सक्षम हों; और प्राधिकारी, रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर, ऐसे विपथन के लिए आवश्यक किसी भी मार्गाधिकार के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही शुरू और निष्पादित करेगा।

11.2 बाधा डालने वाली उपयोगिताओं का स्थानांतरण

11.2 रियायतग्राही, लागू कानूनों के अधीन और प्राधिकारी की सहायता से, बिजली की लाइनों, पानी के पाइपों और टेलीफोन केबल सहित किसी भी उपयोगिता को स्थल के भीतर या बाहर किसी उपयुक्त स्थान या संरक्षण पर स्थानांतरित करने का कार्य केवल और केवल तब करेगा यदि ऐसी उपयोगिता विमानक्षेत्र के विकास, संचालन या रखरखाव पर एक सारभूत प्रतिकूल प्रभाव डालती है या डालेगी। ऐसे स्थानांतरण की लागत प्राधिकारी द्वारा या ऐसी उपयोगिता के स्वामित्व वाली संस्था द्वारा वहन की जाएगी, यदि प्राधिकारी ऐसा निर्देश देता है; और इसके स्थानांतरण में किसी भी देरी की स्थिति में, रियायतग्राही को इसके तहत अपने किसी भी दायित्व का पालन न करने के लिए छूट दी जाएगी यदि ऐसा पालन न करना ऐसी बिजली लाइनों, पानी के पाइप या टेलीफोन केबल के स्वामित्व वाली संस्था की ओर से देरी का प्रत्यक्ष परिणाम है।

11.3 नई उपयोगिताएं और परिवहन प्रणालियां

11.3.1 रियायतग्राही, ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें प्राधिकारी निर्दिष्ट कर सकता है, टेलीफोन लाइनें, पानी के पाइप, बिजली के केबल या अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं को बिछाने के लिए स्थल तक पहुँच और उपयोग की अनुमति देगा; बशर्ते कि ऐसी टेलीफोन लाइनें, पानी के पाइप, बिजली के केबल या अन्य सार्वजनिक उपयोगिताएं बिछाने से विमानक्षेत्र के संचालन पर किसी भी तरह से प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। जहाँ पहुँच या उपयोग से रियायतग्राही को कोई वित्तीय हानि होती है, वह स्थल के उपयोगकर्ता से लागू कानूनों के अनुसार मुआवजा या क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। यह सहमत है कि इस खंड 11.3 के तहत स्थल के उपयोग से रियायतग्राही को इस समझौते और लागू परमिटों के अनुसार विमानक्षेत्र का विकास और रखरखाव करने के उसके दायित्व से किसी भी तरह से राहत नहीं मिलेगी और ऐसे उपयोग से होने वाले किसी भी नुकसान को तुरंत ठीक किया जाएगा।

11.3.2 प्राधिकारी, नोटिस द्वारा रियायतग्राही से मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम / मेट्रो रेल, पहुँच मार्ग, ओवरब्रिज / अंडरब्रिज, ओवर-पास या अंडर-पास सहित किसी भी निकटवर्ती परिवहन प्रणाली को स्थल से जोड़ने में सुविधा प्रदान करने की अपेक्षा कर सकता है। इसके तहत नोटिस प्राप्त होने पर, स्थल के भीतर आने वाले उसके जोड़ने वाले हिस्से का निर्माण रियायतग्राही द्वारा अपनी लागत पर किया जाएगा, और उसका रखरखाव खंड 17.1.3 के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही द्वारा किया जाएगा।

11.4 वृक्षों की कटाई

11.4 प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिए प्राधिकारी द्वारा चिन्हित किए जाने वाले वृक्षों की कटाई के लिए लागू परमिट प्राप्त करने में रियायतग्राही की सहायता करेगा, केवल और केवल तब यदि ऐसे वृक्ष विमानक्षेत्र के विकास, संचालन या रखरखाव पर सारभूत प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। रियायतग्राही के नियंत्रण से परे कारणों से उनकी कटाई में देरी होने की स्थिति में, उसे इसके तहत अपने दायित्वों को पूरा न करने के लिए छूट दी जाएगी यदि ऐसा निष्पादित न कर पाना वृक्षों की कटाई में देरी का प्रत्यक्ष परिणाम है। वृक्षों की कटाई के संबंध में लागत और खर्च रियायतग्राही द्वारा वहन किए जाएंगे और उससे प्राप्त कोई भी राजस्व प्राधिकारी को दिया जाएगा।

अनुच्छेद 12 विमानक्षेत्र का निर्माण

12.1 निर्माण प्रारंभ होने से पूर्व दायित्व

12.1 निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व, रियायतग्राही:

- (क) प्राधिकारी को संबंधित चरण के पूरा होने के लिए अपना मास्टर प्लान, विकास योजना, विस्तृत डिजाइन, आरेखण और निर्माण समय-सारणी प्रस्तुत करेगा;
- (ख) इस समझौते के तहत या उससे उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्राधिकारी और स्वतंत्र इंजीनियर के साथ व्यवहार करने के लिए विधिवत अधिकृत अपना प्रतिनिधि नियुक्त करेगा;
- (ग) इस समझौते, जीडीसीआर सहित लागू कानूनों और लागू परमिटों के तहत और उनके अनुसार निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक या अपेक्षित ऐसे सभी कार्य, विलेख और कार्य निष्पादित करेगा;
- (घ) संबंधित नगर योजना प्राधिकारी, जो फिलहाल प्राधिकारी ही है, को आवेदन करेगा और चरण-1 के लिए प्रारंभ प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा, और बाद के चरणों के लिए, टर्मिनल भवन के विस्तार और अन्य परियोजना परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए विकास अनुमति मांगेगा; और
- (ङ) लागू कानूनों और लागू परमिटों के तहत और उनके अनुसार विमानक्षेत्र के लिए आवश्यक सामग्रियों के उत्खनन और अधिप्राप्ति के लिए अपनी व्यवस्था करेगा।

12.2 मास्टर प्लान

12.2.1 रियायतग्राही हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि विमानक्षेत्र का निर्माण और विकास मास्टर प्लान के अनुसार किया गया है। मास्टर प्लान तैयार करने के दिशा-निर्देश अनुसूची 'क' के अनुबंध II में दिए गए हैं।

12.2.2 विमानक्षेत्र के लिए मास्टर प्लान सभी नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। मास्टर प्लान लागू कानूनों और इस समझौते की शर्तों के अनुसार, सभी प्रमुख हितधारकों के साथ पूर्ण परामर्श के बाद बनाया जाएगा।

12.2.3 वरीयता प्राप्त बोलीदाता ने एलओए जारी होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर प्राधिकारी को प्रारंभिक मास्टर प्लान प्रस्तुत कर दिया है। रियायतग्राही इसके द्वारा वचन देता है कि वह वरीयता प्राप्त बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक मास्टर प्लान के आधार पर अद्यतन मास्टर प्लान, इस

समझौते के निष्पादन की तिथि से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर या उससे पहले समीक्षा और टिप्पणियों के लिए स्वतंत्र इंजीनियर और प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

12.2.4 खंड 12.2.3 के अनुसार मास्टर प्लान प्रस्तुत करने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, प्राधिकारी मास्टर प्लान पर अपनी कोई भी टिप्पणी या सुझाव रियायतग्राही को प्रदान करेगा। यदि प्राधिकारी मास्टर प्लान पर कोई टिप्पणी और/या सुझाव प्रदान करता है, तो रियायतग्राही उसकी प्राप्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर प्राधिकारी द्वारा सुझावित ऐसी टिप्पणियों और/या परिवर्तनों को उपयुक्त रूप से शामिल करके एक संशोधित मास्टर प्लान प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। हालांकि, यदि प्राधिकारी उक्त समय अवधि के भीतर कोई टिप्पणी या परिवर्तन का सुझाव नहीं देता है, तो यह माना जाएगा कि प्राधिकारी के पास मास्टर प्लान के लिए सुझाव देने हेतु कोई टिप्पणी और/या परिवर्तन नहीं है और प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया मास्टर प्लान अंतिम मास्टर प्लान माना जाएगा। मास्टर प्लान तदनुसार रियायतग्राही द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा और चरणबद्ध तरीके से विमानक्षेत्र के निर्माण, विकास, संचालन और प्रबंधन को विनियमित करेगा।

12.2.5 इस समझौते में अंतर्विष्ट किसी भी विपरीत बात के बावजूद, इसके पक्षकार स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि इस खंड 12.2 की कोई भी बात रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत मास्टर प्लान (या उसके किसी भाग) का प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन नहीं मानी जाएगी। यह सुनिश्चित करना रियायतग्राही की एकमात्र जिम्मेदारी और दायित्व होगा कि अंतिम मास्टर प्लान लागू कानूनों और इस समझौते की आवश्यकताओं के पूर्ण अनुपालन में है, और इसके अलावा, अन्य परियोजना समझौते में निर्धारित मापदंडों के अनुसार है; और इस समझौते की कोई भी बात, किसी भी तरह से, रियायतग्राही को यह सुनिश्चित करने के उसके दायित्व से मुक्त नहीं करेगी कि अंतिम मास्टर प्लान किसी भी परियोजना समझौते के तहत प्रावधानों और अन्य सभी दायित्वों के अनुसार है।

12.2.6 यदि रियायतग्राही खंड 12.2.3 के अनुसार प्राधिकारी को प्रारंभिक मास्टर प्लान प्रस्तुत नहीं करता है, तो प्राधिकारी को देरी के प्रत्येक दिन के लिए रु 10,00,000/- (दस लाख रुपये) की दर से रियायतग्राही पर परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति (liquidated damages) लगाने का अधिकार है, बशर्ते हालांकि, ऐसे मामले में रियायतग्राही का कुल दायित्व रु 5,00,00,000/- (पाँच करोड़ रुपये) से अधिक नहीं होगा।

12.2.7 रियायतग्राही समीक्षा और टिप्पणियों के लिए प्राधिकारी को प्रत्येक 5 (पाँच) वर्षों में समय-समय पर मास्टर प्लान को अद्यतन करने और पुनः प्रस्तुत करने के लिए सहमत होता है।

12.2.8 चरण। और उसके बाद के चरणों के लिए विकास योजना रियायतग्राही द्वारा इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों और लागू परमिटों के अनुसार तैयार की जाएगी।

12.2.9 रियायतग्राही, प्राधिकारी की पूर्व लिखित सहमति से, विमानक्षेत्र के भावी विस्तार के लिए चिन्हित किसी भी क्षेत्र का उपयोग विमानक्षेत्र के आनुषंगिक या उससे जुड़े अन्य प्रयोजनों के लिए कर सकता है, जब तक कि मास्टर प्लान में निर्दिष्ट विस्तार के लिए उसकी आवश्यकता न हो; शर्त यह है कि ऐसे क्षेत्र में

केवल अस्थायी संरचनाओं का निर्माण किया जा सकता है और उसका उपयोग हर समय लागू कानूनों, लागू परमिटों और उत्कृष्ट उद्योग प्रथाओं के अनुरूप होगा।

12.2.10 रियायतग्राही, रियायत अवधि के दौरान किसी भी समय, वैमानिकी सेवाओं (Aeronautical Services) में सुधार या वृद्धि करने के लिए या भीड़भाड़ (congestion) को कम या समाप्त करने के लिए विमानक्षेत्र के किसी भी हिस्से का विस्तार करने हेतु मास्टर प्लान में संशोधनों के लिए प्राधिकारी के अनुमोदन की मांग कर सकता है, और इसके तहत कोई अनुरोध प्राप्त होने पर, प्राधिकारी इसके लिए उचित रूप से आवश्यक सीमा तक स्वीकृति प्रदान करेगा।

12.3 आरेखण/ड्राइंग्स

12.3.1 रियायतग्राही उचित तत्परता के साथ और चरण पूर्णता अनुसूची के अनुरूप क्रम में समीक्षा के लिए लागू कानूनों और लागू परमिटों के अनुसार स्वतंत्र इंजीनियर, प्राधिकारी और/या किसी सरकारी निकाय/एजेंसी को सभी आरेखणों की 1 (एक) सॉफ्ट कॉपी और 1 (एक) हार्ड कॉपी प्रस्तुत करेगा।

12.3.2 स्वतंत्र इंजीनियर और प्राधिकारी को समीक्षा के लिए आरेखण प्रस्तुत करके, रियायतग्राही को यह अभ्यावेदन माना जाएगा कि उसने यह निर्धारित और सत्यापित कर लिया है कि डिजाइन और इंजीनियरिंग, जिसमें उससे संबंधित क्षेत्रीय निर्माण मानदंड शामिल हैं, परियोजना के दायरे, विशिष्टताओं और मानकों, लागू कानूनों, लागू परमिटों और उत्कृष्ट उद्योग प्रथाओं के अनुरूप हैं।

12.3.3 स्वतंत्र इंजीनियर और प्राधिकारी, आरेखणों की प्राप्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर, उनकी समीक्षा करेंगे और रियायतग्राही को विशेष रूप से परियोजना के दायरे, विशिष्टताओं और मानकों या अन्यथा के साथ उनके अनुपालन के संबंध में अपनी-अपनी टिप्पणियों से अवगत कराएंगे। रियायतग्राही उक्त 30 (तीस) दिनों की अवधि से परे प्रस्तुत आरेखणों पर स्वतंत्र इंजीनियर या प्राधिकारी की टिप्पणियों की प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य नहीं होगा और अपने विवेक एवं जोखिम पर निर्माण कार्य शुरू या जारी रख सकता है।

12.3.4 यदि स्वतंत्र इंजीनियर या प्राधिकारी की उपरोक्त टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि आरेखण परियोजना के दायरे या विशिष्टताओं और मानकों के अनुरूप नहीं हैं, तो ऐसे आरेखणों को रियायतग्राही द्वारा संशोधित किया जाएगा और समीक्षा के लिए पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। स्वतंत्र इंजीनियर और प्राधिकारी संशोधित आरेखण प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हों, देंगे।

12.3.5 स्वतंत्र इंजीनियर या प्राधिकारी की किसी भी समीक्षा और/या टिप्पणी और/या किसी भी आरेखण पर समीक्षा करने और/या अपनी टिप्पणियां देने में उनकी विफलता से रियायतग्राही को किसी भी तरह से इस समझौते के तहत उसके दायित्वों और देनदारियों से राहत नहीं मिलेगी और न ही स्वतंत्र इंजीनियर या प्राधिकारी इसके लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी होंगे।

12.3.6 पूर्वगामी प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही समीक्षा और टिप्पणियों के लिए वैमानिकी परिसंपत्तियों और गैर-वैमानिकी परिसंपत्तियों (Non-Aeronautical Assets) से संबंधित अपने आरेखण स्वतंत्र इंजीनियर और प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा और स्वतंत्र इंजीनियर तथा प्राधिकारी को ऐसी समीक्षा करने और ऐसे आरेखणों की प्राप्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हो, प्रदान करने का अधिकार है लेकिन दायित्व नहीं है। इस खंड 12.3 के प्रावधान इसके तहत समीक्षा और टिप्पणियों पर यथोचित परिवर्तन सहित (mutatis mutandis) लागू होंगे।

12.3.7 चरण। सीओडी सहित संबंधित सीओडी (वाणिज्यिक परिचालन तिथि) के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर, रियायतग्राही प्राधिकारी को 'यथा-निर्मित आरेखणों' का एक पूरा सेट, 2 (दो) हार्ड प्रतियों में और इसके संपादन योग्य डिजिटल प्रारूप में या ऐसे अन्य माध्यम और तरीके से प्रस्तुत करेगा जो प्राधिकारी को स्वीकार्य हो, जिसमें वास्तव में डिजाइन, इंजीनियर और निर्मित विमानक्षेत्र को दर्शाया गया हो, जिसमें विमानक्षेत्र के लेआउट और परियोजना सुविधाओं का हिस्सा बनने वाले भवनों और संरचनाओं की सेटबैक लाइनों (यदि कोई हो) को दर्शाया गया एक यथा-निर्मित सर्वेक्षण शामिल हो।

12.4 टर्मिनल भवन

12.4.1 रियायतग्राही, टर्मिनल भवन और/या विमानक्षेत्र के किसी भी हिस्से का निर्माण शुरू करने से पहले, प्राधिकारी और स्वतंत्र इंजीनियर को स्थापत्य मापदंड, नियंत्रण, भवन प्रोफाइल, अग्रभाग, आयाम, डिजाइन, निर्माण सामग्री, विशिष्टताएं, परिमाण सूची और लागत अनुमान ("स्थापत्य डिजाइन") प्रस्तुत करेगा। एक बार जब स्वतंत्र इंजीनियर और/या प्राधिकारी द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है और टिप्पणी दी जाती है, तभी रियायतग्राही इसे लागू कानूनों, लागू परमिटों के तहत अपने अनुपालन के प्रयोजनों के लिए और/या प्रासंगिक लागू परमिट प्राप्त करने के लिए किसी भी सरकारी निकाय/एजेंसी को किसी भी सहायक प्रस्तुति के रूप में या अन्यथा उपलब्ध कराएगा।

12.4.2 स्थापत्य डिजाइन प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, प्राधिकारी और/या स्वतंत्र इंजीनियर रियायतग्राही को अपनी टिप्पणियों से अवगत कराएंगे। यदि प्राधिकारी या स्वतंत्र इंजीनियर (प्राधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत) की टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि स्थापत्य डिजाइन परियोजना के दायरे या विशिष्टताओं और मानकों के अनुरूप नहीं है, तो रियायतग्राही द्वारा प्राधिकारी की टिप्पणियों की प्राप्ति की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर इसे संशोधित किया जाएगा और समीक्षा के लिए प्राधिकारी और स्वतंत्र इंजीनियर को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकारी और/या स्वतंत्र इंजीनियर संशोधित स्थापत्य डिजाइन प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हों, देंगे।

12.4.3 यदि खंड 12.4.1 के तहत और उसके अनुसार स्थापत्य डिजाइन (Architectural Design) में कोई संशोधन निर्धारित किया जाता है, तो स्थापत्य डिजाइन को उस सीमा तक संशोधित माना जाएगा।

12.4.4 लागू अनुमतियां (Applicable Permits) प्राप्त करने के अधीन, रियायतग्राही (Concessionaire) इसके अनुसार प्रस्तुत स्थापत्य डिजाइन पर प्राधिकारी (Authority) की टिप्पणियों की प्रतीक्षा खंड 12.4.2 में निर्दिष्ट 30 (तीस) दिनों की अवधि से अधिक करने के लिए बाध्य नहीं होगा, और अपने स्वयं के विवेक एवं जोखिम पर निर्माण कार्य (Construction Works) शुरू कर सकता है। प्राधिकारी या स्वतंत्र इंजीनियर (Independent Engineer) द्वारा की गई किसी भी समीक्षा और/या टिप्पणी, अथवा स्थापत्य डिजाइन पर अपनी समीक्षा/टिप्पणियां प्रस्तुत करने में उनकी विफलता से, रियायतग्राही किसी भी तरह से इस करार के तहत अपने दायित्वों और देनदारियों से मुक्त नहीं होगा, न ही प्राधिकारी या स्वतंत्र इंजीनियर इसके लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी होंगे।

12.4.5 यदि खंड 12.4.1 या खंड 12.4.2 के अनुसार रियायतग्राही या प्राधिकारी के बीच कोई असहमति उत्पन्न होती है, और वह दूसरी पार्टी को अपने आशय की सूचना देता है, तो एक विवाद (Dispute) उत्पन्न हुआ माना जाएगा और इसके समाधान के लिए अनुच्छेद 39 (ARTICLE 39) के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों सहित (mutatis mutandis) लागू होंगे; शर्त यह है कि खंड 39.3 के प्रावधानों के तहत नियुक्त किए जाने वाले मध्यस्थों (arbitrators) में केवल अंतरराष्ट्रीय ख्याति के प्रतिष्ठित स्थापत्यविद (architects) शामिल होंगे। ऐसे मध्यस्थों को प्राधिकारी द्वारा देय शुल्क का पुनर्भुगतान, यदि संशोधन रियायतग्राही द्वारा प्रस्तावित किया गया है, तो रियायतग्राही द्वारा अधिकतम ₹5,00,000/- (पांच लाख रुपये) प्रति दिन की सीमा के अधीन किया जाएगा।

12.5 हवाई अड्डे का निर्माण

12.5.1 रियायतग्राही नियत तिथि से अनुसूची ख और अनुसूची ग में यथा निर्दिष्ट हवाई अड्डे का निर्माण कार्य प्रारंभ करेगा, जो अनुसूची घ में निर्धारित विशिष्टताओं और मानकों तथा अनुसूची क में निर्दिष्ट स्थल पर मास्टर प्लान के अनुरूप होगा। रियायतग्राही चरण I के निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक सभी लागू अनुमतियां प्राप्त करेगा, जिसमें अनुसूची ड के भाग II में निर्दिष्ट लागू अनुमतियां बिना शर्त शामिल हैं, या यदि शर्तों के अधीन हैं, तो उन सभी शर्तों को उसमें निर्दिष्ट तिथि, रूप और तरीके से पूर्णतः पूरा करेगा। इस करार की शर्तों और/या एलडीएस करार के खंड 2.4 के अनुसार निर्माण अवधि में स्वीकृत विस्तार (विस्तारों) के अधीन, नियत तिथि से 1245वां (एक हजार दो सौ पैतालीसवां) दिन परियोजना के चरण I के पूरा होने की निर्धारित तिथि होगी ("अनुसूचित पूर्णता तिथि") और रियायतग्राही यह स्वीकार करता है तथा वचन देता है कि हवाई अड्डे के चरण I का निर्माण अनुसूचित पूर्णता तिथि को या उससे पहले पूरा कर लिया

जाएगा। उत्तरवर्ती चरणों के लिए अनुसूचित पूर्णता तिथियां इस संबंध में रियायतग्राही से प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

- 12.5.2 रियायतग्राही अनुसूची छ में निर्धारित चरण पूर्णता समय-सारणी के अनुसार हवाई अड्डे का निर्माण करेगा। हालांकि, शर्त यह है कि ऐसी कोई भी चरण पूर्णता समय-सारणी इस करार की शर्तों और/या एलडीएस करार के खंड 2.4 के अनुसार निर्माण अवधि में स्वीकृत विस्तार के अधीन होगी और चरण I के लिए ऐसी कोई भी चरण पूर्णता समय-सारणी निम्नलिखित अनुसूची का भी पालन करेगी:

मानदंड (स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा प्रमाणित)		चरण पूर्णता समय-सारणी
भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	
चरण I का 10% (दस प्रतिशत)	कुल परियोजना लागत के 10% का व्यय या वित्तीय पैकेज में उल्लेख के अनुसार चरण I के कार्यान्वयन की कुल लागत का 10%, जो भी अधिक हो।	नियत तिथि के 10 (दस) माह के भीतर
चरण I का 20% (बीस प्रतिशत)	कुल परियोजना लागत के 20% का व्यय या वित्तीय पैकेज में उल्लेख के अनुसार चरण I के कार्यान्वयन की कुल लागत का 20%, जो भी अधिक हो।	नियत तिथि के 14 (चौदह) माह के भीतर
चरण I का 30% (तीस प्रतिशत)	कुल परियोजना लागत के 30% का व्यय या वित्तीय पैकेज में उल्लेख के अनुसार चरण I के कार्यान्वयन की कुल लागत का 30%, जो भी अधिक हो।	नियत तिथि के 17 (सत्रह) माह के भीतर
चरण I का 40% (चालीस प्रतिशत)	कुल परियोजना लागत के 40% का व्यय या वित्तीय पैकेज में उल्लेख के अनुसार चरण I के कार्यान्वयन की कुल लागत का 40%, जो भी अधिक हो।	नियत तिथि के 20 (बीस) माह के भीतर

(जारी) यदि रियायतग्राही अनुसूची छ में ऐसे चरण माइल स्टोन के लिए निर्धारित तिथि से 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के भीतर चरण मील के पथर के अनुसार किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहता है, जब तक कि ऐसी विफलता अप्रत्याशित घटना या प्राधिकारी के कारणों से या एलडीएस करार के खंड 2.4 की शर्तों के अनुसार विशेष रूप से स्वीकृत किसी अन्य कारण से न हुई हो, तो यह चरण पूर्णता समय-सारणी के अनुसार मील का पथर प्राप्त होने तक प्रत्येक दिन की देरी के लिए कार्यप्रदर्शन प्रतिभूति की राशि के 0.1% (शून्य दशमलव एक प्रतिशत) की दर से परिकलित हर्जाना प्राधिकारी को भुगतान करेगा; शर्त यह है कि यदि चरण पूर्णता समय-सारणी या अनुसूचित पूर्णता तिथि के लिए कोई भी या सभी मील के पथर इस करार या एलडीएस करार के खंड 2.4 के प्रावधानों के अनुसार विस्तारित किए जाते हैं, तो अनुसूची छ में निर्धारित तिथियों को तदनुसार संशोधित माना जाएगा और इस करार के प्रावधान लागू होंगे जैसे कि अनुसूची छ को

उपरोक्तानुसार संशोधित किया गया हो; आगे शर्त यह है कि यदि संबंधित चरण के लिए वाणिज्यिक परिचालन तिथि उस चरण की अनुसूचित पूर्णता तिथि को या उससे पहले प्राप्त कर ली जाती है, तो इस खंड 12.5.2 के तहत भुगतान किए गए हर्जाने को प्राधिकारी द्वारा रियायतग्राही को वापस कर दिया जाएगा, लेकिन उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यह सहमति व्यक्त की जाती है कि इस खंड 12.5.2 के तहत हर्जाने की वसूली इस करार के तहत प्राधिकारी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी, जिसमें समाप्ति का अधिकार भी शामिल है।

12.5.3 यदि हवाईअड्डे का चरण 1 पूरा नहीं होता है और अनुसूचित पूर्णता तिथि से 365 (तीन सौ पैंसठ) दिनों के भीतर चरण 1 सीओडी प्राप्त नहीं होती है, जब तक कि देरी प्राधिकारी के कारणों या अप्रत्याशित घटना के कारण न हुई हो, प्राधिकारी इस करार को समाप्त करने का हकदार होगा।

12.6 परियोजना सुविधाओं का विकास

12.6.1 खंड 12.5 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही अनुसूची ख में यथा निर्दिष्ट परियोजना सुविधाओं का विकास अनुसूची ग में निर्दिष्ट प्रावधानों के साथ, तथा अनुसूची घ में निर्धारित विशिष्टताओं और मानकों, लागू विधियों और लागू अनुमतियों के अनुरूप करेगा।

12.6.2 परियोजना सुविधाओं में कोई भी विकास, परिवर्धन या संशोधन मास्टर प्लान और डिजाइन के अनुसार होगा, और हवाई अड्डे के समग्र डिजाइन एवं पर्यावरण के सामंजस्य में होगा, लेकिन किसी भी स्थिति में, यह लागत प्रभावी और हवाई अड्डे के सर्वोत्तम हितों में होगा।

12.7 हवाईअड्डे का विस्तार

12.7.1 जब और जैसे हवाई अड्डे के मौजूदा चरण (चरणों) में मास्टर प्लान, लागू विधियों (नागर विमानन महानिदेशालय - के दिशानिर्देशों और विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण - द्वारा निर्धारित विनियमों सहित), उत्तम उद्योग आचरण और इस करार के प्रावधानों में निर्दिष्ट यातायात ट्रिगर प्राप्त कर लिया जाता है, या अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के दस्तावेजों और अनुबंधों द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों और मानकों में कमी आती है, तो रियायतग्राही ऐसी कमी और/या भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षमता वृद्धि और विस्तार करेगा, जैसा कि मास्टर प्लान, अनुसूची क, अनुसूची ख और इस करार की अन्य शर्तों में वर्णित है। इस संबंध में, रियायतग्राही ऐसे किसी भी विस्तार को करने के लिए आवश्यक सभी लागू अनुमतियां बिना शर्त प्राप्त करेगा, या यदि शर्तों के अधीन हैं, तो उसमें निर्दिष्ट तिथि और तरीके से पूर्णतः उन सभी शर्तों को पूरा करेगा।

12.7.2 इस अनुच्छेद 12 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही यह सुनिश्चित और प्राप्त करेगा कि परियोजना सुविधाओं का विस्तार स्थापत्य डिजाइन और मास्टर प्लान के अनुसार होगा, तथा हवाई अड्डे के समग्र डिजाइन एवं पर्यावरण के सामंजस्य में होगा।

12.7.3 खंड 12.7.1 के प्रावधानों के अनुसरण में निर्मित की जाने वाली आवश्यक अतिरिक्त परिसंपत्तियां और सुविधाएं मास्टर प्लान में उस विशिष्ट सुविधा के लिए तय की गई लक्ष्य तिथि को या उससे पहले पूरी की जाएंगी और परिचालन में लाई जाएंगी, लेकिन उस तिथि से 3 (तीन) वर्षों के बाद नहीं, जिस पर उसमें निर्दिष्ट कमी हुई थी। इस खंड 12.7 के तहत निर्मित कोई भी परिसंपत्तियां और सुविधाएं परियोजना परिसंपत्तियों का हिस्सा मानी जाएंगी।

12.7.4 इस करार के प्रावधान, जहां तक वे निर्माण कार्यों से संबंधित हैं (समाप्ति के अधिकार के संबंध में भी शामिल है), यथोचित परिवर्तनों सहित, हवाई अड्डे के विस्तार पर लागू होंगे, सिवाय इसके कि जहां इसके विपरीत स्पष्ट प्रावधान किए गए हों।

12.8 हवाई अड्डा विकास निगरानी समिति

इसके अनुच्छेद 6 के बावजूद, इसके तहत अपने दायित्वों का पालन करने के लिए, प्राधिकारी इस करार की तारीख के 30 (तीस) दिनों के भीतर, प्राधिकारी के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में और ऐसे अन्य सदस्यों के साथ जिन्हें प्राधिकारी तय कर सकता है, एक अलग समर्पित इकाई का गठन करेगा। एडीएमसी इस करार से संबंधित सभी मामलों के लिए रियायतग्राही के लिए 'एकल संपर्क बिंदु' होगी। एडीएमसी रियायतग्राही के प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर, जितनी बार यथोचित रूप से आवश्यक हो, बैठक करेगी और उभरते मुद्दों एवं चिंताओं की संयुक्त समीक्षा करेगी तथा हवाई अड्डे के निर्माण, विकास और परिचालन की निगरानी रखेगी।

12.9 पूर्व-विकास कार्य

12.9.1 रियायतग्राही स्वीकार करता है कि प्राधिकारी ने स्थल पर अनुसूची ख के संलग्नक में निर्दिष्ट कुछ पूर्व-विकास कार्य ("पूर्व-विकास कार्य") किए हैं, और रियायतग्राही इसके द्वारा खंड 10.2 के तहत ऐसे पूर्व-विकास कार्यों के जारी रहने के अधीन स्थल की प्राप्ति को स्वीकार करता है। खंड 12.9.2 के प्रावधानों के अधीन, पूर्व-विकास कार्यों के कार्यान्वयन के लिए प्राधिकारी द्वारा ₹34,20,00,00,000/- (तीन हजार चार सौ बीस करोड़ रुपये) की राशि तक भुगतान की गई/देय राशि को इस करार के उद्देश्यों के लिए एक सॉफ्ट लोन ("सॉफ्ट लोन") माना जाएगा। प्राधिकारी स्वीकार करता है, सहमति व्यक्त करता है और वचन देता है कि वह इस खंड 12.9 के प्रावधानों के अनुसार सॉफ्ट लोन प्रदान करेगा।

12.9.2 सॉफ्ट लोन में से ₹430,00,00,000/- (चार सौ तीस करोड़ रुपये) की राशि को प्राधिकारी के शेयर के सब्सक्रिप्शन के एवज में रियायतग्राही में प्राधिकारी के इक्विटी पूंजी निवेश के रूप में माना जाएगा, और सॉफ्ट लोन तदनुसार पुनर्भुगतान से ऐसी राशि की कमी के अधीन होगा।

12.9.3 रियायतग्राही सहमति व्यक्त करता है और वचन देता है कि पूर्व-विकास कार्यों के हिस्से के रूप में भूमि विकास कार्यों के संबंध में कोई भी राशि या अतिरिक्त व्यय, जो इसकी शर्तों के अनुसार इसे सौंपे गए हैं और जो रियायतग्राही के कारण कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन से हुए हैं, सीधे, पूरी तरह से और केवल रियायतग्राही द्वारा वहन किए जाएंगे तथा प्राधिकारी किसी भी ऐसे आधिकार्य के लिए

अतिरिक्त सॉफ्ट लोन या अन्यथा के रूप में कोई मुआवजा, लागत या राशि प्रदान नहीं करेगा। अन्यथा भूमि विकास कार्यों के कार्यान्वयन पर हुए किसी भी अतिरिक्त लागत का भुगतान प्राधिकारी द्वारा एलडीएस करार में दिए गए रूप और तरीके से किया जाएगा। प्राधिकारी द्वारा भुगतान की जा सकने वाली ऐसी कोई भी अतिरिक्त राशि सॉफ्ट लोन का हिस्सा नहीं मानी जाएगी।

12.9.4 सॉफ्ट लोन खंड 12.9.1 और खंड 12.9.3 में निर्दिष्ट राशि के बराबर होगा, और प्राधिकारी द्वारा इस करार की शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। पक्षकार स्वीकार करते हैं कि सॉफ्ट लोन को न तो कुल परियोजना लागत की कुल राशि में शामिल किया गया है और न ही यह किसी भी समय इसका हिस्सा बनेगा।

12.9.5 भूमि विकास कार्य, जो इसकी शर्तों के अनुसार रियायतग्राही को सौंपे जाते हैं, रियायतग्राही द्वारा ऐसे किए जाएंगे मानो वे परियोजना का हिस्सा बनने वाले निर्माण कार्य हैं, और इस करार के प्रावधान ऐसे भूमि विकास कार्यों पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे, जैसा कि इस खंड 12.9 में अन्यथा प्रदान किया गया है।

12.9.6 सॉफ्ट लोन का पुनर्भुगतान रियायतग्राही द्वारा प्राधिकारी को प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ के 7 (सात) दिनों के भीतर 5 (पांच) समान वार्षिक किस्तों में निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:

- (क) नियत तिथि की 11वीं (ग्यारहवीं) वर्षगांठ से शुरू होकर ₹23,58,00,00,000/- (दो हजार तीन सौ अठ्ठावन करोड़ रुपये) में से उपरोक्त खंड 12.9.2 के अनुसार समायोजन पर कम की गई राशि,
- (ख) नियत तिथि की 16वीं (सोलहवीं) वर्षगांठ से शुरू होकर सॉफ्ट लोन की शेष राशि ₹10,62,00,00,000/- (एक हजार बासठ करोड़ रुपये)।

12.9.6 (परंतु) हालांकि, शर्त यह है कि रियायतग्राही के पास सॉफ्ट लोन के पुनर्भुगतान के लिए जुड़ाव तिथि को नियत तिथि से ऐसी अन्य तिथि तक स्थगित करने का विकल्प है जो चरण I सीओडी तक किसी भी समय हो सकती है। सॉफ्ट लोन के पुनर्भुगतान के लिए जुड़ाव तिथि का ऐसा कोई स्थगन चरण I सीओडी के बाद नहीं हो सकता है। यदि रियायतग्राही इस खंड 12.9.6 के तहत अपने विकल्प का उपयोग करने का इच्छुक है, तो वह:

- (i) नियत तिथि के घटित होने से कम से कम 15 (पंद्रह) दिन पहले प्राधिकारी को इस आशय की सूचना देगा, जबकि यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी आस्थगित तिथि केवल चरण I सीओडी तक ही घटित हो रही है;
- (ii) ऐसी राशि का भुगतान करेगा, जो नियत तिथि की स्थिति के अनुसार सॉफ्ट लोन के शुद्ध वर्तमान मूल्य के बराबर हो, जिसे बैंक दर से 2% (दो प्रतिशत) अधिक की दर से बढ़ा लगाकर निकाला गया हो; और

(iii) इस करार की शर्तों के अनुसार रियायतग्राही द्वारा नियत तिथि से आस्थगित और अधिसूचित की जाने वाली तिथि के 11वें और 16वें वर्ष से शुरू होने वाली किस्तों की संख्या और भुगतान की प्रकृति सहित अन्य सभी नियमों और शर्तों का अनुपालन करेगा।

12.9.7 पूर्व-विकास कार्यों का हिस्सा बनने वाली और सॉफ्ट लोन द्वारा वित्तपोषित परिसंपत्तियों को आईआरए द्वारा वैमानिक शुल्कों के निर्धारण के उद्देश्यों के लिए पूंजीगत व्यय का हिस्सा माना जाएगा।

12.10 एमआरओ सुविधाओं का विकास

12.10.1 इस खंड 12.10 और खंड 18.13 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही अनुसूची ग में यथा निर्दिष्ट परियोजना सुविधाओं के प्रावधान के साथ अनुसूची ख में निर्दिष्ट एमआरओ (रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल) सुविधाओं का विकास अनुसूची घ में निर्धारित विशिष्टताओं और मानकों के अनुरूप तथा इस करार के प्रावधानों, लागू विधियों, संबंधित आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों, नागर विमानन अपेक्षाओं और उत्तम उद्योग आचरण के अनुसार करेगा।

12.10.2 मास्टर प्लान में एमआरओ सुविधाओं के लिए चिह्नित क्षेत्र का उपयोग किसी अन्य सुविधा के लिए तब तक किया जा सकता है जब तक कि कोई पूछताछ नहीं आती और रियायतग्राही किसी तीसरे पक्ष के साथ कोई व्यवस्था नहीं करता या रियायतग्राही स्वयं एमआरओ सुविधाओं और उससे जुड़ी गतिविधियों के विकास और संचालन का निर्णय नहीं लेता।

12.10.3 एमआरओ सुविधाओं और इसके आसपास के क्षेत्रों में कोई भी विकास, परिवर्धन या संशोधन मास्टर प्लान के अनुसार होगा और हवाई अड्डे के समग्र डिजाइन एवं पर्यावरण के सामंजस्य में होगा।

अनुच्छेद 13

निर्माण की निगरानी

13.1 मासिक प्रगति रिपोर्ट

13.1 निर्माण अवधि के दौरान, रियायतग्राही प्रत्येक माह की समाप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर, प्राधिकारी को निष्पादित निर्माण कार्यों की प्रगति (भौतिक और वित्तीय दोनों) पर एक मासिक रिपोर्ट और अगले माह की निर्माण योजना के साथ प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत करेगा।

13.2 निरीक्षण

13.2 निर्माण अवधि के दौरान, स्वतंत्र इंजीनियर, रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत मासिक प्रगति रिपोर्टों पर विचार करते हुए, महीने में कम से कम एक बार हवाई अड्डे के कार्यों का निरीक्षण करेगा और एक निरीक्षण रिपोर्ट ("निरीक्षण रिपोर्ट") तैयार करेगा, जिसमें विशेष रूप से चरण पूर्णता समय-सारणी, परियोजना के कार्य-क्षेत्र, विशिष्टताओं और मानकों, लागू विधियों और लागू अनुमतियों के संदर्भ में दोषों या कमियों (यदि कोई हो) का उचित विवरण दिया जाएगा। वह निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति प्राधिकारी को भेजेगा और यदि आवश्यक हो तो प्राधिकारी रियायतग्राही को निरीक्षण रिपोर्ट में पहचाने गए दोषों या कमियों (यदि कोई हो) को सुधारने और दूर करने के लिए अधिसूचित करेगा, और रियायतग्राही प्राधिकारी से ऐसी अधिसूचना प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर दोषों या कमियों को सुधारेगा और दूर करेगा। स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा ऐसा निरीक्षण या निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना रियायतग्राही को इसके तहत उसके दायित्वों और देनदारियों से किसी भी प्रकार से मुक्त नहीं करेगा।

13.3 परीक्षण

13.3.1 यह निर्धारित करने के लिए कि निर्माण कार्य विशिष्टताओं और मानकों के अनुरूप हैं, स्वतंत्र इंजीनियर गुणवत्ता आश्वासन के लिए उत्तम उद्योग आचरण, लागू विधियों, लागू अनुमतियों और इस करार के अनुसार रियायतग्राही से ऐसे समय, आवृत्ति और तरीके से परीक्षण करने या करवाने की अपेक्षा करेगा जैसा कि समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए। ऐसे परीक्षणों के लिए नमूने का आकार, जहां तक संभव हो, निष्पादित कुल कार्यों के परीक्षणों की मात्रा और/या संख्या के 10% (दस प्रतिशत) से अधिक नहीं होगा। रियायतग्राही सम्यक तत्परता से स्वतंत्र इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार ऐसे सभी परीक्षण करेगा या करवाएगा और उनके परिणाम स्वतंत्र इंजीनियर को प्रस्तुत करेगा। हालांकि, शर्त यह है कि स्वतंत्र इंजीनियर इसके तहत निर्दिष्ट परीक्षणों को करने के बजाय, अपने विकल्प पर, उत्तम उद्योग आचरण, लागू विधियों, लागू अनुमतियों और इस करार के अनुसार अपने स्वयं के गुणवत्ता आश्वासन के लिए रियायतग्राही द्वारा किए जाने वाले किसी भी परीक्षण को देखने या उसमें भाग लेने का निर्णय ले सकता है, और ऐसी स्थिति में,

रियायतग्राही इसके तहत अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए स्वतंत्र इंजीनियर का सहयोग करेगा और आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

13.3.2 यदि इस खंड 13.3 के तहत आयोजित किसी परीक्षण के परिणाम निर्माण कार्यों में किसी भी दोष या कमी को स्थापित करते हैं, तो रियायतग्राही उपचारात्मक उपाय करेगा और इस संबंध में स्वतंत्र इंजीनियर को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। स्वतंत्र इंजीनियर रियायतग्राही से यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण करने या करवाने की अपेक्षा करेगा कि ऐसे उपचारात्मक उपायों से निर्माण कार्य विशिष्टताओं और मानकों के अनुपालन में आ गए हैं, और इस खंड 13.3 में निर्धारित प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि निर्माण कार्य विशिष्टताओं और मानकों के अनुरूप न हो जाएं।

13.3.3 यह सहमति व्यक्त की जाती है कि इस खंड 13.3 के अनुसार परीक्षण उत्तम उद्योग आचरण, लागू विधियों और लागू अनुमतियों के अनुसार अपने स्वयं के गुणवत्ता आश्वासन के लिए रियायतग्राही द्वारा किए जाने वाले परीक्षणों के अतिरिक्त और स्वतंत्र रूप से आयोजित किए जाएंगे। यह भी सहमति व्यक्त की जाती है कि ऐसे परीक्षणों के परिणामों की एक प्रति रियायतग्राही द्वारा तुरंत स्वतंत्र इंजीनियर को भेजी जाएगी।

13.4 निर्माण के दौरान देरी

13.4 खंड 12.5.2 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि रियायतग्राही किसी भी चरण मील का पत्थर को प्राप्त नहीं करता है या स्वतंत्र इंजीनियर ने यथोचित रूप से यह निर्धारित किया है कि निर्माण कार्य की प्रगति की दर ऐसी है कि अनुसूचित पूर्णता तिथि तक हवाई अड्डे के पूरा होने की संभावना नहीं है, तो वह प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा और प्राधिकारी बदले में रियायतग्राही को इस आशय के लिए अधिसूचित करेगा, और रियायतग्राही ऐसे नोटिस के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, एक संचार द्वारा प्राधिकारी और स्वतंत्र इंजीनियर को प्रगति में तेजी लाने के लिए प्रस्तावित कदमों और उस अवधि के बारे में विस्तार से सूचित करेगा जिसके भीतर वह चरण। सीओडी प्राप्त करेगा।

13.5 असुरक्षित निर्माण कार्यों का निलंबन

13.5.1 इस आशय की स्वतंत्र इंजीनियर की सिफारिश पर, प्राधिकारी नोटिस द्वारा रियायतग्राही से निर्माण कार्य के पूरे या किसी भी हिस्से को तुरंत निलंबित करने की अपेक्षा कर सकता है यदि प्राधिकारी की उचित राय में, ऐसा कार्य उपयोगकर्ताओं या हवाई अड्डे पर या उसके आसपास किसी जीवन या संपत्ति की सुरक्षा को खतरा पहुंचाता है। हालांकि, शर्त यह है कि आपात स्थिति के मामले में, प्राधिकारी स्वतः संज्ञान लेते हुए ऊपर संदर्भित नोटिस जारी कर सकता है।

13.5.2 रियायतग्राही, खंड 13.5.1 के तहत नोटिस के अनुसरण में, निर्माण कार्यों या उसके किसी हिस्से को ऐसे समय के लिए और ऐसे तरीके से निलंबित करेगा जैसा कि प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया

जाए और उसके बाद निलंबित कार्यों तथा जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक उपाय करेगा। रियायतग्राही नोटिस द्वारा स्वतंत्र इंजीनियर से तुरंत ऐसे उपचारात्मक उपायों का निरीक्षण करने और प्राधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जिसमें सिफारिश की गई हो कि इसके तहत निलंबन को रद्द किया जा सकता है या नहीं। स्वतंत्र इंजीनियर की सिफारिशें प्राप्त होने पर, प्राधिकारी या तो ऐसे निलंबन को रद्द कर देगा या रियायतग्राही को ऐसे अन्य और आगे के उपचारात्मक उपाय करने का निर्देश देगा जो प्राधिकारी की उचित राय में आवश्यक हों, और इस खंड 13.5 में निर्धारित प्रक्रिया को तब तक दोहराया जाएगा जब तक कि इसके तहत निलंबन रद्द नहीं कर दिया जाता।

13.5.3 खंड 31.7 के प्रावधानों के अधीन, निलंबन की अवधि के दौरान निर्माण कार्यों या उसके हिस्से के रखरखाव और सुरक्षा के लिए किए गए सभी उचित खर्च ("संरक्षण लागत") रियायतग्राही द्वारा वहन किए जाएंगे; शर्त यह है कि यदि निलंबन प्राधिकारी द्वारा इस करार के किसी उल्लंघन के परिणामस्वरूप हुआ है, तो संरक्षण लागत प्राधिकारी द्वारा वहन की जाएगी। संरक्षण लागत को ऐसा द्वारा निर्धारित किए जाने वाले वैमानिक शुल्कों के निर्धारण के उद्देश्यों से विशेष रूप से बाहर रखा जाएगा।

13.5.4 यदि निर्माण कार्यों का निलंबन रियायतग्राही के कारणों से नहीं है, तो प्राधिकारी, स्वतंत्र इंजीनियर की सिफारिश पर, चरण पूर्णता समय-सारणी में निर्धारित तिथियों के किसी भी विस्तार का निर्धारण करेगा जिसके लिए रियायतग्राही यथोचित रूप से हकदार है। यदि अनुसूचित पूर्णता तिथि को इसके अनुसरण में बढ़ाया जाता है, तो रियायत अवधि को अनुसूचित पूर्णता तिथि के विस्तार की अवधि के बराबर अवधि से बढ़ाया गया माना जाएगा।

13.6 वीडियो रिकॉर्डिंग

13.6.1 निर्माण अवधि के दौरान, रियायतग्राही प्रत्येक कैलेंडर तिमाही के लिए प्राधिकारी को एक वीडियो रिकॉर्डिंग प्रदान करेगा, जिसे 3 (तीन) घंटे की डिजिटल वीडियो डिस्क या इसके किसी विकल्प में संकलित किया जाएगा, जिसमें उस तिमाही में निर्माण कार्यों की स्थिति और प्रगति शामिल होगी। पहली ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग नियत तिथि के 7 (सात) दिनों के भीतर और उसके बाद प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकारी को प्रदान की जाएगी।

13.6.2 इसके खंड 13.6 के अनुसार रियायतग्राही द्वारा प्रदान की जाने वाली वीडियो रिकॉर्डिंग में समान साप्ताहिक वितरण के आधार पर रियायतग्राही द्वारा की गई गतिविधियों को शामिल किया जाएगा, और यह संबंधित रिकॉर्डिंग अवधि के दौरान रियायतग्राही द्वारा की गई और निष्पादित गतिविधियों का एक सच्चा प्रतिबिंब होगा।

अनुच्छेद 14
चरण की पूर्णता

14.1 परीक्षण

14.1.1 हवाई अड्डे के संबंधित चरण के संभावित पूरा होने से कम से कम 90 (नब्बे) दिन पहले, रियायतग्राही प्राधिकारी और स्वतंत्र इंजीनियर को हवाई अड्डे को परीक्षणों के अधीन करने के अपने आशय की सूचना देगा। प्रत्येक परीक्षण की तिथि और समय रियायतग्राही द्वारा स्वतंत्र इंजीनियर के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा, और प्राधिकारी को अधिसूचित किया जाएगा जो परीक्षणों को देखने के लिए अपने प्रतिनिधि को नामित कर सकता है। यदि रियायतग्राही और स्वतंत्र इंजीनियर परीक्षण आयोजित करने की तिथियों पर परस्पर सहमत होने में विफल रहते हैं, तो रियायतग्राही स्वतंत्र इंजीनियर को कम से कम 15 (पंद्रह) दिनों का नोटिस देकर तिथियां तय करेगा।

14.1.2 सभी परीक्षण अनुसूची H (Schedule H) के अनुसार रियायतग्राही की लागत और व्यय पर आयोजित किए जाएंगे। स्वतंत्र इंजीनियर विशिष्टताओं और मानकों तथा लागू अनुमतियों के साथ हवाई अड्डे के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए परीक्षणों के परिणामों का अवलोकन, निगरानी और समीक्षा करेगा और यदि किसी परीक्षण के दौरान स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा यह यथोचित रूप से अनुमानित या निर्धारित किया जाता है कि हवाई अड्डे या उसके किसी भाग का प्रदर्शन विशिष्टताओं और मानकों को पूरा नहीं करता है, तो उसे ऐसे परीक्षण को निलंबित करने या देरी करने तथा रियायतग्राही से दोषों या कमियों को सुधारने और ठीक करने की अपेक्षा करने का अधिकार है। प्रत्येक परीक्षण के पूरा होने पर, रियायतग्राही स्वतंत्र इंजीनियर और प्राधिकारी को विस्तृत परीक्षण परिणामों सहित सभी परीक्षण डेटा की प्रतियां प्रदान करेगा।

14.1.3 प्राधिकारी और/या स्वतंत्र इंजीनियर रियायतग्राही से उत्तम उद्योग आचरण के अनुसार, विशिष्टताओं और मानकों, लागू विधियों और लागू अनुमतियों के साथ हवाई अड्डे के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए अतिरिक्त परीक्षण करने या करवाने की अपेक्षा कर सकते हैं, या निम्नलिखित में से किसी भी कारण से रनवे, टैक्सिवे, एप्रन, एटीसी सुविधा और टर्मिनल भवन के भौतिक ढांचे की ताकत की पर्याप्तता के बारे में उचित संदेह है:

- (क) कंक्रीट टेस्ट क्यूब्स पर संपीड़ित शक्ति के परिणाम निर्दिष्ट शक्ति से कम होना;
- (ख) फॉर्मवर्क (शटरिंग) को समय से पहले हटाना;
- (ग) कंक्रीट की अपर्याप्त तराई;
- (घ) संरचना या उसके हिस्से के निर्माण के दौरान अत्यधिक भार;
- (ङ) मधुमक्खी के छत्ते जैसी या क्षतिग्रस्त कंक्रीट की मौजूदगी जो डिजाइन भार को सहन करने के लिए संरचना की स्थिरता को प्रभावित कर सकती है, या

(च) कोई अन्य कारण जिसके परिणामस्वरूप संरचना या उसका कोई हिस्सा अपेक्षित शक्ति से कम हो सकता है।

14.2 पूर्णता

14.2 इस करार के प्रावधानों के अनुसार निर्माण कार्यों के पूरा होने ("पूर्णता") और स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा परीक्षणों को सफल निर्धारित करने पर, रियायतग्राही स्वतंत्र इंजीनियर को एक प्रति के साथ प्राधिकारी को एक पूर्णता रिपोर्ट ("पूर्णता रिपोर्ट") प्रस्तुत करेगा। पूर्णता रिपोर्ट में परीक्षण डेटा, पालन की गई प्रक्रियाएं, परीक्षण परिणाम शामिल होंगे और स्वतंत्र इंजीनियर रियायतग्राही की पूर्णता रिपोर्ट के सत्यापन पर, इस करार की शर्तों के अनुसार हवाई अड्डे के संबंधित चरण के भौतिक निर्माण के पूरा होने के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र ("पूर्णता प्रमाण पत्र") जारी करने के लिए प्राधिकारी को सिफारिश करेगा, और रियायतग्राही लागू विधियों के अनुसार वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने से पहले सभी आवश्यक लागू अनुमतियां प्राप्त करने के लिए बाध्य रहेगा।

14.3 अनंतिम पूर्णता

14.3.1 प्राधिकारी, रियायतग्राही के अनुरोध पर और स्वतंत्र इंजीनियर की सिफारिशों तथा डीजीसीए लाइसेंस सहित सभी आवश्यक लागू अनुमतियों को प्राप्त करने के अधीन, हवाई अड्डे के संचालन की अनुमति दे सकता है यदि परीक्षण सफल होते हैं और हवाई अड्डे को सुरक्षित और मज़बूती से वाणिज्यिक संचालन में रखा जा सकता है, भले ही इसका हिस्सा बनने वाले कुछ कार्य या चीजें बकाया हों और अभी तक पूरी न हुई हों ("अनंतिम पूर्णता")। ऐसी स्थिति में, स्वतंत्र इंजीनियर रियायतग्राही के परामर्श से, प्राधिकारी को बकाया मदों की एक सूची प्रस्तुत करेगा जिस पर बाद में प्राधिकारी, स्वतंत्र इंजीनियर और रियायतग्राही द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे ("पंच लिस्ट")।

14.3.2 इसके पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि इस खंड 14.3 के तहत संचालन की अनुमति, रियायतग्राही के इस आशय के अनुरोध पर, हवाई अड्डे के आंशिक भाग के संचालन के लिए दी जा सकती है, यदि इसे खंड 14.3.1 के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षित और मज़बूती से वाणिज्यिक संचालन में रखा जा सकता है। इस खंड 14.3 के तहत संचालन की अनुमति मिलने पर, इस करार के प्रावधान हवाई अड्डे के ऐसे पूर्ण हिस्से पर लागू होंगे, और हवाई अड्डे के ऐसे पूर्ण हिस्से के लिए और उसके संबंध में रियायतग्राही के अधिकारों और दायित्वों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

14.3.3 रियायतग्राही निर्धारित अवधि के भीतर पंच लिस्ट की मदों को पूरा करने और लागू विधियों के अनुसार सभी आवश्यक लागू अनुमतियों को प्राप्त करने के लिए बाध्य रहेगा।

14.4 पंच लिस्ट की मदों की पूर्णता

14.4.1 पंच लिस्ट की सभी मदें अनुसूचित पूर्णता तिथि से पहले रियायतग्राही द्वारा पूरी की जाएंगी और उसके बाद किसी भी देरी के लिए, केवल प्राधिकारी के कारणों या अप्रत्याशित घटना के अलावा,

प्राधिकारी रियायतग्राही से हर्जाना वसूलने का हकदार होगा, जिसका परिकलन और भुगतान सभी मदों के पूरा होने तक देरी के प्रत्येक दिन के लिए किया जाएगा, जो कि निम्नलिखित में से कम होगा: (क) कार्यप्रदर्शन प्रतिभूति का 0.1% (शून्य दशमलव एक प्रतिशत), और (ख) स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा अनुमानित ऐसी मदों को पूरा करने की लागत का 0.2% (शून्य दशमलव दो प्रतिशत)। ऐसे हर्जाने के भुगतान के अधीन, रियायतग्राही पंच लिस्ट की मदों को पूरा करने के लिए 120 (एक सौ बीस) दिनों से अधिक की अतिरिक्त अवधि का हकदार होगा। यदि किसी मद को पूरा करने में केवल प्राधिकारी के कारणों से या अपरिहार्य घटना के कारण देरी होती है, तो उसकी पूर्णता तिथि स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा उत्तम उद्योग आचरण के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

- 14.4.2 पंच लिस्ट की सभी मदों के पूरा होने पर, रियायतग्राही, यदि आवश्यक हो, तो स्वतंत्र इंजीनियर की उपस्थिति में लागू परीक्षण करेगा और रियायतग्राही प्राधिकारी और स्वतंत्र इंजीनियर को अपनी पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अपरिहार्य घटना या केवल प्राधिकारी के कारणों को छोड़कर किसी भी कारण से खंड 14.4.1 में निर्धारित समय के भीतर पंच लिस्ट की सभी मदों को पूरा करने में रियायतग्राही की विफलता प्राधिकारी को इस करार को समाप्त करने का अधिकार देगी।

अनुच्छेद 15

वाणिज्यिक परिचालन में प्रवेश

15.1 वाणिज्यिक परिचालन तिथि

15.1.1 हवाईअड्डे के प्रत्येक चरण को तब पूर्ण माना जाएगा जब अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के तहत यथास्थिति, समापन या अनंतिम समापन प्राप्त कर लिया गया हो। तदनुसार, हवाई अड्डे के संबंधित चरण की वाणिज्यिक परिचालन तिथि वह तिथि होगी जिस दिन रियायतग्राही ने लागू अनुमतियाँ प्राप्त कर ली हों, जिसमें नागरिक विमानन महानिदेशालय से हवाई अड्डे के संबंधित चरण को संचालित करने का लाइसेंस भी शामिल है ("सीओडी")। परंतु शर्त यह है कि, और इस समझौते में इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, यदि रियायतग्राही की यह राय है कि अनुसूचित समापन तिथि से पूर्व किसी भी समय, चरण I के पूर्ण रूप से समापन या अनंतिम समापन के बावजूद, चरण I के किसी भी भाग को वाणिज्यिक परिचालन के लिए शुरू किया जा सकता है, तो रियायतग्राही, इस संबंध में प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के अधीन, सभी आवश्यक लागू अनुमतियाँ प्राप्त करके तथा इस समझौते की अन्य सभी शर्तों एवं लागू कानूनों का पालन करते हुए, चरण I के ऐसे भाग को वाणिज्यिक परिचालन में ला सकता है। चरण I के इस प्रकार के आंशिक चालूकरण का, अनुसूचित समापन तिथि तक चरण मील के पत्थर के अनुसार चरण I को पूरा करने के रियायतग्राही के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हवाई अड्डा उपर्युक्त अनुसार चरण I सीओडी या चरण I के आंशिक चालूकरण पर वाणिज्यिक सेवा में प्रवेश करेगा, जिसके पश्चात रियायतग्राही अनुच्छेद 27 के प्रावधानों के अनुसार शुल्क की मांग करने और एकत्र करने का हकदार होगा।

15.1.2 इस स्थिति में कि प्राधिकरण या कोई निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी (जो हवाई अड्डे पर आरक्षित सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है और ऐसी आरक्षित सेवाएं सीओडी प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं) समापन या अनंतिम समापन प्राप्त करने के बाद, हवाई अड्डे के वाणिज्यिक सेवा में प्रवेश को रोकती है, या रोके जाने का कारण बनती है, या किसी भी तरीके से विलंब करती है, या जहां प्राधिकरण के कारण ऐसा विलंब होता है, तो रियायतग्राही संबंधित सीओडी की घोषणा कर सकता है और प्राधिकरण को तत्काल सूचित कर सकता है। इसके तहत संबंधित सीओडी की घोषणा से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में, विवाद समाधान प्रक्रिया लागू होगी।

15.2 विलंब के लिए क्षतिपूर्ति

खंड 12.5 के प्रावधानों के अधीन, यदि चरण I सीओडी अनुसूचित समापन तिथि के 91वें (इक्यानवेवें) दिन से पहले नहीं होता है, जब तक कि विलंब प्राधिकरण के कारणों से या अप्रत्याशित घटना के कारण न हुआ हो, रियायतग्राही चरण I सीओडी प्राप्त होने तक प्रत्येक दिन के विलंब के लिए कार्य-निष्पादन प्रतिभूति की राशि के 0.1% (शून्य दशमलव एक प्रतिशत) की दर से परिकलित राशि प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करेगा।

अनुच्छेद 16

कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन

16.1 कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन

16.1.1 इस समझौते में इसके विपरीत निहित किसी भी बात के बावजूद, अतिरिक्त कार्यों और सेवाओं का कोई भी प्रावधान जो अनुसूची 'क' में निर्धारित मास्टर प्लान में निर्दिष्ट नहीं हैं और जो वैमानिक सेवाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक हैं, उन्हें कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन माना जाएगा। कार्य-क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन इस अनुच्छेद 16 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

16.1.2 यदि रियायतग्राही किसी भी समय यह निर्धारित करता है कि उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित और बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन आवश्यक है, तो वह लिखित नोटिस द्वारा प्राधिकरण से ऐसे कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन पर विचार करने की अपेक्षा करेगा। प्राधिकरण, ऐसा नोटिस प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, या तो संशोधनों (यदि कोई हो) के साथ ऐसे कार्य-क्षेत्र के परिवर्तन को स्वीकार करेगा और इस अनुच्छेद 16 के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगा या रियायतग्राही को ऐसे कार्य-क्षेत्र के परिवर्तन को स्वीकार न करने के कारणों से लिखित में सूचित करेगा।

16.1.3 इस अनुच्छेद 16 के अनुसार कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन के रूप में निष्पादित कोई भी कार्य या सेवाएं हवाई अड्डे का हिस्सा बनेंगी और इस समझौते के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों सहित ऐसे कार्यों या सेवाओं पर लागू होंगे।

16.2 कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन की प्रक्रिया

16.2.1 प्राधिकरण द्वारा यह निर्धारित किए जाने की स्थिति में कि कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन आवश्यक है, वह रियायतग्राही को एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उसके तहत परिकल्पित कार्यों और सेवाओं का उचित विवरण दिया जाएगा।

16.2.2 कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन का नोटिस प्राप्त होने पर, रियायतग्राही सम्यक तत्परता के साथ प्राधिकरण को आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा, साथ ही निम्नलिखित के समर्थन में प्रारंभिक दस्तावेज़ भी उपलब्ध कराएगा:

(क) यदि निर्माण अवधि के दौरान कार्य या सेवाएं निष्पादित की जानी आवश्यक हैं, तो चरण समापन अनुसूची पर कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है (यदि कोई हो); तथा

(ख) प्रस्तावित कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन को लागू करने के विकल्प और प्रत्येक ऐसे विकल्प का उसकी लागत और समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा (यदि कोई हो)।

16.2.3 खंड 16.2.2 में उल्लिखित जानकारी प्राप्त होने पर, यदि प्राधिकरण कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेता है, तो वह अपने पसंदीदा विकल्प के बारे में रियायतग्राही को सूचित

करेगा, और तत्पश्चात दोनों पक्ष, स्वतंत्र इंजीनियर की सहायता से, कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन के कार्यान्वयन के तरीके पर सहमति बनाने के लिए सद्भावपूर्वक प्रयास करेंगे। सहमति बनने पर, प्राधिकरण एक आदेश जारी करेगा जिसमें रियायतग्राही को उसका निष्पादन शुरू करने की आवश्यकता होगी। यदि पक्ष सहमति बनाने में असमर्थ रहते हैं, तो प्राधिकरण, कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन का आदेश जारी करके, विवाद के समाधान होने तक रियायतग्राही को उसका निष्पादन जारी रखने की अपेक्षा कर सकता है।

16.2.4 इस समझौते के प्रावधान, जहां तक वे निर्माण कार्यों और परीक्षणों से संबंधित हैं, इस अनुच्छेद 16 के तहत कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन के रूप में रियायतग्राही द्वारा किए गए कार्यों पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

16.2.5 ऐसा कोई भी कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन इस अनुच्छेद 16 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

16.3 कार्यों और सेवाओं को निष्पादित करने की प्राधिकरण की शक्ति

16.3.1 इस अनुच्छेद 16 में इसके विपरीत निहित किसी भी बात के बावजूद, प्राधिकरण, रियायतग्राही को नोटिस देने और उसके उत्तर पर विचार करने के पश्चात, कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन के हिस्से के रूप में किसी भी कार्य या सेवा को खुली प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सौंप सकता है; शर्त यह है कि रियायतग्राही के पास प्राधिकरण को ऐसे कार्यों या सेवाओं की अनुमानित लागत के 2.50% (दो दशमलव पांच शून्य प्रतिशत) के भुगतान के अधीन, बोली प्रक्रिया में भाग लेने का विकल्प होगा। रियायतग्राही ऐसे एकमुश्त विकल्प का प्रयोग करने का हकदार केवल तभी होगा यदि उसने बोली प्रक्रिया में भाग लिया हो और उसकी बोली प्रथम स्थान प्राप्त बोली के 10% (दस प्रतिशत) के भीतर हो। यदि रियायतग्राही ऐसे किसी कार्य या सेवा को लागू नहीं कर रहा है, तो रियायतग्राही उस व्यक्ति को पहुंच, सहायता और सहयोग प्रदान करेगा जो इसके तहत कार्य या सेवाएं प्रदान करता है।

16.3.2 इस खंड 16.3 के अनुसार किए गए कार्य या सेवाएं विशिष्टताओं और मानकों के अनुरूप होंगी तथा इस तरीके से की जाएंगी कि हवाई अड्डे के कार्यान्वयन, परिचालन और प्रबंधन में व्यवधान न्यूनतम हो। इस समझौते के प्रावधान, जहां तक वे निर्माण कार्यों और परीक्षणों से संबंधित हैं, इस खंड 16.3 के तहत किए गए कार्यों पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

16.4 **कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन के कार्यान्वयन की लागत**

इस अनुच्छेद 16 के अनुसरण में या अन्यथा रियायतग्राही को कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन के हिस्से के रूप में कार्यों या सेवाओं के आवंटन के बावजूद, प्राधिकरण द्वारा इसमें किए गए किसी भी खर्च की जानकारी ऐसे कार्यों या सेवाओं के समापन पर प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को दी जाएगी। रियायतग्राही विमानन आर्थिक नियामक प्राधिकरण को वैमानिक शुल्कों के निर्धारण के अपने आवेदन के साथ ऐसे खर्चों का विवरण प्रस्तुत करेगा, और प्राधिकरण को ऐसी सभी राशियों का भुगतान 12 (बारह) समान मासिक किस्तों में करेगा।

अनुच्छेद 17

परिचालन, रखरखाव और प्रबंधन

17.1 रियायतग्राही के परिचालन एवं रखरखाव दायित्व

17.1.1 परिचालन अवधि के दौरान, रियायतग्राही स्वयं या प्रचालन एवं रखरखाव ठेकेदारों के माध्यम से, इस समझौते, लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के अनुसार हवाई अड्डे का परिचालन और रखरखाव करेगा, और यदि आवश्यक हो, तो इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों और लागू अनुमतियों का पालन करने के लिए हवाई अड्डे में संशोधन, मरम्मत या अन्यथा सुधार करेगा, और विशिष्टताओं, मानकों तथा उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुरूप कार्य करेगा। इसके तहत रियायतग्राही के दायित्वों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) वैमानिक सेवाएं, गैर-वैमानिक सेवाएं और ऐसी अन्य सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करना, जो इस समझौते की शर्तों और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार आवश्यक हैं;
- (ख) सामान्य परिचालन स्थितियों के दौरान, हवाई अड्डे पर उपयोगकर्ताओं के सुरक्षित, सुगम और अबाध आवागमन तथा यातायात के प्रवाह की अनुमति देना, जिसमें होने वाले नुकसान या क्षति की रोकथाम शामिल है;
- (ग) शुल्क का संग्रह और विनियोजन करना;
- (घ) त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया प्रदान करके तथा राज्य की आपातकालीन सेवाओं के साथ संपर्क बनाए रखकर हवाई अड्डे के सुरक्षा एवं उपयोग को प्रभावित करने वाली दुर्घटनाओं या अन्य घटनाओं की स्थिति में, एयरसाइड, टर्मिनल और लैंडसाइड सहित हवाई अड्डे के परिचालन में व्यवधान को न्यूनतम करना;
- (ङ) हवाई अड्डे का आवधिक निवारक रखरखाव करना;
- (च) यह सुनिश्चित करना कि रनवे, टैक्सीवे, अप्रैन और एप्रोच क्षेत्रों सहित वैमानिक परिसंपत्तियों का रखरखाव और परिचालन लागू कानूनों, लागू अनुमतियों और संबंधित आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाए;
- (छ) यह सुनिश्चित करना कि रनवे के स्ट्रिप्स, शोल्डर्स, स्टॉपवे और रनवे एंड सेफ्टी एरिया तथा टैक्सीवे एवं आइसोलेशन बे के लिए स्ट्रिप्स और शोल्डर्स का रखरखाव लागू कानूनों, लागू अनुमतियों और संबंधित आईसीएओ दस्तावेजों एवं अनुबंधों के अनुसार किया जाए;
- (ज) यह सुनिश्चित करना कि हवाई अड्डे के बाधा सीमा क्षेत्र तथा एप्रोच एवं टेक-ऑफ क्षेत्र बाधाओं से मुक्त हों या बाधाएं लागू कानूनों, लागू अनुमतियों तथा संबंधित आईसीएओ दस्तावेजों एवं अनुबंधों में निर्दिष्ट स्वीकार्य सीमाओं तक सीमित रहें;

- (झ) रूटीन रखरखाव करना जिसमें दरारों, जोड़ों, जल निकासी प्रणालियों, तटबंधों, संरचनाओं, भवनों, पेवमेंट मार्किंग, सिग्नलिंग सिस्टम, संचार प्रणालियों, प्रकाश व्यवस्था, संकेतकों और अन्य उपकरणों की तत्काल मरम्मत शामिल है;
- (ञ) प्रमुख रखरखाव करना जैसे संरचनाओं की मरम्मत, उपकरणों की मरम्मत और जीर्णोद्धार, सिग्नलिंग एवं संचार प्रणाली तथा उपकरणों की प्रमुख ओवरहाउलिंग;
- (ट) यह सुनिश्चित करना कि सीएनएस/एटीएम उपकरणों और सुविधाओं के परिचालन के लिए, यथास्थिति प्राधिकरण या निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी द्वारा चिन्हित संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को किसी भी बाधा से मुक्त रखा जाए तथा ऐसी किसी भी बाधा की अनुमति न दी जाए जो इन उपकरणों और सुविधाओं की सुरक्षा या कामकाज में बाधा डाल सकती हो या विमान परिचालन की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती हो;
- (ठ) यह सुनिश्चित करना कि लागू कानूनों और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार हवाई अड्डे के भीतर और आसपास पक्षियों और जानवरों के उपद्रव को रोकने के लिए हवाई अड्डे पर उपयुक्त व्यवस्थाएं और सावधानियां बरती गई हैं;
- (ड) लागू कानूनों और संबंधित आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों में निर्धारित मानकों के अनुसार एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम और मुख्य तथा स्टैंडबाय बिजली आपूर्ति प्रणालियों का रखरखाव करना;
- (ढ) संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता से, हवाई अड्डे पर किसी भी अतिक्रमण, अनधिकृत प्रवेश या अनधिकृत उपयोग को रोकना;
- (ण) पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा उसके लिए उपकरण और सामग्री का प्रावधान करना;
- (त) वैमानिक सेवाओं और गैर-वैमानिक सेवाओं के कुशल परिचालन और प्रबंधन के लिए आवश्यक सभी संचार, नियंत्रण और प्रशासनिक प्रणालियों का परिचालन और रखरखाव;
- (थ) आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए लागू कानूनों के अनुसार उपयोगकर्ताओं, सरकारी संस्थाओं, मीडिया और अन्य एजेंसियों के सुझावों पर ध्यान देने और उनसे संपर्क साधने हेतु एक जनसंपर्क इकाई (public relations unit) बनाए रखना;
- (द) अनुच्छेद 18 के अनुसार सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करना;
- (ध) सभी परियोजना परिसंपत्तियों का परिचालन और रखरखाव लगन से, कुशलतापूर्वक और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार करना;
- (न) हवाई अड्डे के संचालन में समय की पाबंदी और विश्वसनीयता बनाए रखना;
- (न) हवाई अड्डे पर स्वच्छता और स्वच्छता का उच्च मानक बनाए रखना;
- (प) संबंधित आईसीएओ मानकों या उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों, लागू कानूनों, लागू अनुमतियों और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार अग्नि सावधानियों से संबंधित सभी उपाय करना;

(फ) प्राधिकरण, किसी भी सरकारी संस्था, डीजीसीए, महाराष्ट्र सरकार या भारत सरकार द्वारा समय-समय पर मांगी जाने वाली सभी आवश्यक जानकारी, डेटा, परिचालन आंकड़े आदि प्रदान करना।

17.1.2 रियायतग्राही हवाई अड्डे से सभी अतिरिक्त निर्माण मशीनरी और सामग्री, अपशिष्ट सामग्री (खतरनाक सामग्री और अपशिष्ट जल सहित), कचरा और अन्य मलबा (बिना किसी सीमा के, दुर्घटना मलबा सहित) तुरंत हटाएगा और हवाई अड्डे को स्वच्छ, व्यवस्थित स्थिति में तथा लागू कानूनों, लागू अनुमतियों और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुरूप रखेगा।

17.1.3 रियायतग्राही उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुरूप, स्थल (Site) पर स्थित एप्रोच सड़कों, ओवर-ब्रिज/अंडर-ब्रिज, ओवर-पास, अंडर-पास या अन्य संरचनाओं या उपयोगिताओं (utilities) के सभी हिस्सों का रखरखाव अनुच्छेद 11 के अनुसार करेगा।

17.2 रखरखाव की आवश्यकताएं

रियायतग्राही हवाई अड्डे के रखरखाव में हर समय लागू कानून का पालन करेगा और लागू कानूनों, लागू अनुमतियों, संबंधित आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों में निर्धारित मानकों और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार हवाई अड्डे को अच्छी परिचालन स्थिति एवं मरम्मत में रखेगा, या उचित रूप से आवश्यक सीमा तक हवाई अड्डे का नवीनीकरण, प्रतिस्थापन और उन्नयन करेगा। सभी रखरखाव, मरम्मत और अन्य कार्य इस प्रकार किए जाएंगे जिससे हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं की असुविधा न्यूनतम हो।

17.3 सुरक्षा, खराबी और दुर्घटनाएं

17.3.1 रियायतग्राही उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित स्थितियां सुनिश्चित करेगा, और असुरक्षित स्थितियों, रनवे या टैक्सीवे को नुकसान, एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम में व्यवधान, खराबी और दुर्घटनाओं की स्थिति में, वह संबंधित परिचालन प्रक्रियाओं का पालन करेगा और बिना किसी विलंब के बाधाओं और मलबे को हटाने का कार्य करेगा। ऐसी प्रक्रियाएं इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों, लागू अनुमतियों, संबंधित आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों में निर्धारित मानकों तथा उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुरूप होंगी। इस संबंध में, रियायतग्राही अनुसूची 'ज' में सुरक्षा के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों का भी पालन करेगा।

17.3.2 हवाई अड्डे पर खोज एवं बचाव अभियानों के लिए रियायतग्राही की जिम्मेदारी में किसी भी विशेष घटना के प्रति प्रारंभिक प्रतिक्रिया के रूप में प्रभावित क्षेत्र से सभी उपयोगकर्ताओं और कर्मचारियों की सुरक्षित निकासी शामिल होगी और मलबे या किसी अन्य बाधा को तुरंत हटाना भी शामिल होगा, जिससे यातायात के सुचारू प्रवाह और उपयोगकर्ताओं के आवागमन को खतरा हो सकता है या बाधा आ सकती है।

17.4 आपातस्थिति के कारण डि-कमिशनिंग

17.4.1 यदि कोई ऐसी आपातस्थिति उत्पन्न होती है जो पूरे हवाई अड्डे या उसके किसी भाग को डि-कमिशन करने और बंद करने का औचित्य सिद्ध करती है, तो रियायतग्राही, प्राधिकरण या निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी की सलाह के अनुसार, पूरे हवाई अड्डे या उसके किसी भी भाग को उपयोगकर्ताओं के लिए तब तक डि-कमिशन और बंद करने का हकदार होगा जब तक कि ऐसी आपातस्थिति और उसके परिणाम इसका औचित्य सिद्ध करते हैं; शर्त यह है कि ऐसी डि-कमिशनिंग और उसके विवरण की सूचना रियायतग्राही द्वारा बिना किसी विलंब के प्राधिकरण को दी जाएगी, और रियायतग्राही ऐसी आपातस्थिति से निपटने के लिए प्राधिकरण द्वारा दिए जाने वाले किसी भी उचित निर्देशों का लगन से पालन करेगा।

17.4.2 रियायतग्राही हवाई अड्डे या उसके प्रभावित हिस्से को डि-कमिशनिंग और बंद करने का कारण बनने वाली परिस्थितियां समाप्त होने या कम होने के बाद जितनी जल्दी हो सके व्यावहारिक रूप से पुनः चालू करेगा ताकि रियायतग्राही हवाई अड्डे को पुनः चालू करने में सक्षम हो सके और बिना किसी विलंब के प्राधिकरण को सूचित करेगा।

17.4.3 हवाई अड्डे के किसी भी भाग का कोई भी डि-कमिशनिंग या बंद होना और उसे पुनः चालू करना, जैसे ही व्यावहारिक हो, सार्वजनिक घोषणाओं/नोटिस के माध्यम से प्रभावित व्यक्तियों के ध्यान में लाया जाएगा।

17.4.4 आपातस्थिति के दौरान या राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित के कारणों से हवाई अड्डे या उसके किसी भाग के डि-कमिशनिंग या प्रतिबंधित उपयोग के कारण रियायतग्राही को कोई दावा या मुआवजा देय नहीं होगा।

17.5 अनुभाग बंद करना

खंड 17.6 में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, रियायतग्राही नियमित एवं निवारक रखरखाव या मरम्मत कार्य करने के लिए हवाई अड्डे के किसी भी अनुभाग को बंद नहीं करेगा, सिवाय प्राधिकरण के पूर्व लिखित अनुमोदन के और उन निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में जो प्रभावित अनुभाग में आरक्षित सेवाएं प्रदान कर रही हैं। ऐसा अनुमोदन रियायतग्राही द्वारा ऐसे अनुभाग के प्रस्तावित बंद होने से कम से कम 7 (सात) दिन पहले प्राधिकरण को किए जाने वाले लिखित अनुरोध के माध्यम से मांगा जाएगा और उसके साथ विवरण भी संलग्न होगा। ऐसा अनुरोध प्राप्त होने के 3 (तीन) दिनों के भीतर, प्राधिकरण, स्वतंत्र इंजीनियर के परामर्श से, ऐसे संशोधनों के साथ अनुमति प्रदान करेगा जो वह उचित और आवश्यक समझे तथा ऐसी अनुमति की एक प्रति रियायतग्राही को भेजी जाएगी। वैमानिकों को नोटिस (NOTAM - Notice to Airmen) जारी करने की आवश्यकता पर किसी भी ऐसी परिस्थिति में विचार किया जाएगा जो विमान के संचालन को प्रभावित कर सकती है। आवश्यकता पड़ने पर रियायतग्राही वैमानिकों को नोटिस जारी करने के लिए आवश्यक समय प्रदान करेगा।

17.6 प्राधिकरण की अध्यारोपी शक्तियां

- 17.6.1 यदि प्राधिकरण की उचित राय में, रियायतग्राही इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के भौतिक उल्लंघन में है और ऐसा उल्लंघन उपयोगकर्ताओं के लिए भौतिक कठिनाई या खतरा पैदा कर रहा है या पैदा करने की संभावना है, तो प्राधिकरण, इस समझौते के तहत अपने किसी भी अधिकार (इसके समापन सहित) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नोटिस द्वारा रियायतग्राही से यथास्थिति ऐसी कठिनाई या खतरे को तुरंत सुधारने या हटाने के लिए उचित उपाय करने की अपेक्षा कर सकता है।
- 17.6.2 इस स्थिति में कि रियायतग्राही, खंड 17.6.1 के तहत नोटिस मिलने पर, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित अवधि के भीतर किसी भी कठिनाई या खतरे को सुधारने या हटाने में विफल रहता है, प्राधिकरण इस खंड 17.6 के तहत अध्यारोपी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और ऐसी कठिनाई या खतरे को सुधारने या हटाने के लिए अपने द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक रियायतग्राही के किसी भी या सभी दायित्वों के निष्पादन को अपने हाथ में ले सकता है; शर्त यह है कि प्राधिकरण द्वारा ऐसी अध्यारोपी शक्तियों का प्रयोग इसके तहत उचित रूप से आवश्यक सीमा और अवधि से अधिक नहीं होगा; शर्त यह भी है कि इसके तहत अपने दायित्वों के निर्वहन में प्राधिकरण द्वारा किए गए किसी भी लागत और खर्च को O&M खर्च माना जाएगा, और प्राधिकरण इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही से उन्हें वसूल करने का हकदार होगा। इस प्रकार वसूल की गई राशि पर वैमानिक शुल्कों के निर्धारण में पास-थ्रू के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- 17.6.3 राष्ट्रीय आपातस्थिति, नागरिक अशांति या खंड 31.3 में निर्दिष्ट किसी अन्य कार्य की स्थिति में, प्राधिकरण अपने द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक रियायतग्राही के किसी भी या सभी दायित्वों के निष्पादन को स्वयं संभाल सकता है या किसी निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी से संभालवा सकता है, और हवाई अड्डे पर ऐसा नियंत्रण कर सकता है या रियायतग्राही को ऐसे निर्देश दे सकता है जो आवश्यक समझे जाएं; शर्त यह है कि प्राधिकरण द्वारा ऐसी अध्यारोपी शक्तियों का प्रयोग उन परिस्थितियों में उचित रूप से आवश्यक सीमा और अवधि से अधिक नहीं होगा जिनके कारण प्राधिकरण द्वारा ऐसी अध्यारोपी शक्ति का प्रयोग किया गया था। यह सहमति व्यक्त की जाती है कि ऐसी कार्यवाही के परिणामों से अनुच्छेद 31 के प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा। यह भी सहमति व्यक्त की जाती है कि रियायतग्राही ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो प्राधिकरण इस खंड 17.6 के प्रावधानों के अनुसरण में जारी कर सकता है, और इसके तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए सर्वोत्तम प्रयासों के आधार पर प्राधिकरण को सहायता और सहयोग प्रदान करेगा।

17.7 हवाई अड्डे के नुकसान या क्षति की पुनर्स्थापना

इस समझौते में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान किए गए मामलों को छोड़कर, यदि रियायत अवधि के दौरान हवाई अड्डे या उसके किसी हिस्से को किसी भी कारण से कोई नुकसान या क्षति होती है, तो रियायतग्राही, अपनी लागत और खर्च पर, ऐसे नुकसान या क्षति को तुरंत ठीक करेगा और उसका सुधार करेगा ताकि हवाई अड्डा इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप हो जाए। यदि ऐसा नुकसान या क्षति इस समझौते के तहत रियायतग्राही के प्रदर्शन दायित्वों में किसी उल्लंघन या व्यतिक्रम के कारण हुई है, तो रियायतग्राही द्वारा ऐसे नुकसान या क्षति की मरम्मत या सुधार पर किए गए खर्च को वैमानिक शुल्कों के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

17.8 हवाई अड्डे में संशोधन

17.8.1 हवाई अड्डे के चरणबद्ध विकास और ऐसे विकासात्मक कार्यों के कारण आवश्यक हो सकने वाले तथा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आनुषंगिक परिवर्तनों के संबंध में इस समझौते में अन्यथा प्रदान किए गए मामलों को छोड़कर, रियायतग्राही हवाई अड्डे में कोई भौतिक संशोधन नहीं करेगा। हालांकि, रियायतग्राही ऐसे कोई भी संशोधन कर सकता है, जहां हवाई अड्डे को मास्टर प्लान, विशिष्टताओं और मानकों, उत्तम उद्योग प्रथाओं, लागू कानूनों, लागू अनुमतियों और इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप संचालित करने के लिए ऐसे संशोधन आवश्यक हों; शर्त यह है कि रियायतग्राही ऐसे संशोधनों पर काम शुरू करने से कम से कम 30 (तीस) दिन पहले प्रस्तावित संशोधनों के विवरण के साथ प्राधिकरण को सूचित करेगा और रियायतग्राही के प्रस्ताव को प्राप्त करने के 30 (तीस) दिनों के भीतर प्राधिकरण द्वारा दिए जाने वाले किसी भी सुझाव पर उचित रूप से विचार करेगा। इसके तहत किए गए सभी संशोधन सुरक्षा आवश्यकताओं, विशिष्टताओं और मानकों, लागू कानूनों, लागू अनुमतियों, उत्तम उद्योग प्रथाओं और इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप होंगे।

17.8.2 किसी भी समय ऐसे संशोधन हवाई अड्डे के मौजूदा और परिचालन भागों और/या उपयोगकर्ताओं के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

17.8.3 इस समझौते के प्रावधान, जहां तक वे निर्माण कार्यों और परीक्षणों से संबंधित हैं, हवाई अड्डे के संशोधन का हिस्सा बनने वाले सभी निर्माण कार्यों पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

17.9 दायित्वों के निष्पादन से छूट

रियायतग्राही को इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के उल्लंघन में नहीं माना जाएगा यदि हवाई अड्डे का कोई भी हिस्सा निम्नलिखित में से किसी के कारण उसकी अवधि के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है:

(क) अप्रत्याशित घटना की स्थिति;

- (ख) हवाई अड्डे के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय, केवल तब को छोड़कर जब असुरक्षित स्थितियां इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को निभाने में रियायतग्राही की विफलता के कारण उत्पन्न हुई हों; या
- (ग) प्राधिकरण के अनुरोध या किसी सरकारी संस्था के निर्देशों का पालन, जिसका प्रभाव पूरे हवाई अड्डे या उसके किसी भाग को बंद करना है।
- (घ) शर्त यह है कि ऐसी किसी भी अनुपलब्धता और उसके विवरण की सूचना रियायतग्राही द्वारा बिना किसी विलंब के प्राधिकरण को दी जाएगी।
- शर्त यह भी है कि रियायतग्राही हवाई अड्डे के सभी अप्रभावित भागों को सामान्य परिचालन के लिए खुला रखेगा, बशर्ते उन्हें सुरक्षित रूप से संचालित किया जा सके।

17.10 बाधाएं और परिवर्तन

प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि परिचालन अवधि के दौरान, आपातस्थिति, राष्ट्रीय सुरक्षा, या कानून और व्यवस्था के कारणों को छोड़कर, हवाई अड्डे पर किसी भी सरकारी संस्था द्वारा कोई बाधा या रुकावट खड़ी या रखी न जाए। प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास करेगा कि कोई भी सरकारी संस्था, आपातस्थिति, राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून और व्यवस्था के कारणों को छोड़कर, हवाई अड्डे के एप्रोच मार्गों में कोई परिवर्तन या बंदी न करे, जिससे हवाई अड्डे तक और वहां से आवागमन पर कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो।

17.11 रक्षा बलों द्वारा तथा कुछ अन्य आपातस्थितियों के दौरान हवाई अड्डे का उपयोग

17.11.1 रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत होता है कि रक्षा बलों को हर समय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित हवाई अड्डे और उसकी सभी सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार होगा, बिना किसी प्रकृति के प्रतिबंध या बाधा के।

17.11.2 खंड 17.3.1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आपातस्थिति के दौरान हवाई क्षेत्र के आवंटन और बंद होने तथा हवाई अड्डे के उपयोग के संबंध में रक्षा बलों के प्रति रियायतग्राही के दायित्व भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएंगे, और उस सीमा तक, रियायतग्राही को हवाई अड्डे के नागरिक उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के उसके दायित्वों से मुक्त कर दिया जाएगा।

17.11.3 इसके विपरीत कहीं भी शामिल किसी भी बात के बावजूद, रियायतग्राही:

- (क) भारत सरकार की यूनियन वॉर बुक के प्रावधानों के अनुसार युद्ध, प्राकृतिक आपदा/आपदाओं, आंतरिक अशांति आदि जैसी आपातस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक सीमा तक हवाई अड्डे और परियोजना सुविधाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराएगा;

- (ख) रक्षा और अन्य अर्धसैन्य विमानों के लिए लैंडिंग और पार्किंग शुल्कों से मुक्त, निर्बाध लैंडिंग और पार्किंग सुविधाएं प्रदान करेगा, और रक्षा अभियानों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा सुविधाएं और उपकरण भी प्रदान करेगा;
- (ग) आवधिक और आकस्मिक निरीक्षणों के लिए सुरक्षा एजेंसियों को हवाई अड्डे तक पहुंच उपलब्ध कराएगा;
- (घ) मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों के किसी भी पद पर वरिष्ठ निर्णय लेने वाले पदों के लिए विदेशी नागरिकों की भर्ती के लिए संबंधित सरकारी संस्थाओं का अनुमोदन प्राप्त करेगा;
- (ङ) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और डीजीसीए द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन करेगा;
- (च) स्थल और हवाई अड्डे पर निर्माण, ग्राउंड हैंडलिंग या अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए लगाई जाने वाली विदेशी फर्मों की साख का पूर्व सत्यापन प्राप्त करेगा;
- (छ) यदि आवश्यक हो, तो संबंधित सरकारी संस्थाओं से हवाई अड्डे के विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमाओं से संबंधित मंजूरी प्राप्त करेगा, और नियंत्रण या स्वामित्व में कोई भी परिवर्तन राष्ट्रीय सुरक्षा कोण से सुरक्षा मंजूरी के अधीन होगा;
- (ज) अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और कू को संभालने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करेगा जिन्हें इमिग्रेशन और सीमा शुल्क से गुजरना होगा; तथा
- (झ) हवाई अड्डे पर स्वास्थ्य सेवाओं और पादप संगरोध के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

17.11.4 रियायतग्राही मास्टर प्लान में इस उद्देश्य के लिए चिह्नांकित क्षेत्र में प्राधिकरण या उसके नामितों के विमानों के लिए 2 (दो) विमानों (हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर) के लिए नि शुल्क पार्किंग बे और हैंगर के लिए स्थान प्रदान करेगा। रियायतग्राही हवाई अड्डे पर विमान के आवागमन में प्राधिकरण या उसके नामितों को सहयोग करने और सहायता करने तथा प्राथमिकता के आधार पर हवाई अड्डे के उपयोग को सुगम बनाने के लिए सहमत होता है और वचन देता है।

17.11.5 रियायतग्राही अपने मास्टर प्लान में अधिमानतः उत्तर-पश्चिम कोने में, अनुसूची 'ख' में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार (क) जब भी आवश्यक हो, उपयोग के लिए सैन्य विमानों के लिए एक अलग पार्किंग क्षेत्र, और (ख) रक्षा बलों की रणनीतिक आवश्यकता के लिए 16.42 हेक्टेयर भूमि की एक पॉकेट तैयार करेगा। रक्षा बलों को अपनी लागत पर चिह्नांकित क्षेत्र के भीतर अपने उपयोग के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माण करने का अधिकार होगा।

17.12 बिजली और पानी की आपूर्ति

17.12.1 रियायतग्राही लागू कानूनों के अनुसार शुल्कों के भुगतान पर संबंधित स्थानीय उपयोगिताओं से हवाई अड्डे के संचालन के लिए आवश्यक पानी और बिजली प्राप्त करेगा। यह सहमति व्यक्त की जाती है कि रियायतग्राही हवाई अड्डे के संचालन के लिए आवश्यक बिजली की स्टैंडबाय आपूर्ति के लिए अपना स्वयं का संयंत्र स्थापित करेगा।

17.12.2 रियायतग्राही परियोजना के प्रयोजनों के लिए बिजली प्राप्त करने, उत्पन्न करने या वितरित करने के प्रयोजनों के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा।

17.13 पर्यावरण लेखापरीक्षा और रिपोर्ट

17.13.1 रियायतग्राही प्राधिकरण को यह सहमति देता है और आश्वासन देता है कि वह पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अपनी पर्यावरण मंजूरी संख्या एफ. सं. 10-53/2009-IA.III दिनांक 22 नवंबर 2010, वन मंजूरी संख्या 8-95/2012-एफसी दिनांक 17 दिसंबर 2013 (चरण I), वन मंजूरी संख्या 8-95/2012-एफसी दिनांक 24 अप्रैल 2017 (चरण II) में निर्धारित हवाई अड्डे और स्थल से संबंधित सभी शर्तों और हवाई अड्डे के विकास, संचालन और प्रबंधन के दौरान समय-समय पर जारी की जाने वाली अन्य अनुमतियों और अनुमोदनों का पालन करेगा। रियायतग्राही प्राधिकरण को त्रैमासिक आधार पर उसमें उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसार सभी डेटा और रिपोर्टों के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

17.13.2 रियायतग्राही समय-समय पर संबंधित सरकारी संस्था द्वारा यथा आवश्यक वायु गुणवत्ता, ध्वनि और अन्य पर्यावरणीय मापदंडों को मापने के लिए सुविधाएं और सेवाएं प्राप्त करेगा तथा संबंधित सरकारी संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रपत्र में उक्त डेटा का रखरखाव और अद्यतनीकरण भी करेगा।

17.13.3 रियायतग्राही चरण I सीओडी के 1 (एक) वर्ष के भीतर, यह सुनिश्चित करेगा कि एक स्वतंत्र विशेषज्ञ हवाई अड्डे का पूर्ण पर्यावरणीय लेखापरीक्षा करे और प्राधिकरण को ऐसे लेखापरीक्षा की एक प्रति प्रदान करे। ऐसा स्वतंत्र विशेषज्ञ प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से नियुक्त किया जाएगा।

17.13.4 पर्यावरण लेखापरीक्षा से प्राप्त जानकारी के आधार पर, रियायतग्राही, 6 (छह) महीने की आगे की अवधि के भीतर हवाई अड्डे के लिए एक पर्यावरण प्रबंधन रणनीति तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा, जिसमें हवाई अड्डे की पर्यावरणीय स्थिति को प्रबंधित करने के लिए रणनीतियों और कार्रवाइयों को निर्धारित किया जाएगा और एक पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम जो समय के साथ हवाई अड्डे की पर्यावरणीय स्थिति का आकलन करता है।

17.13.5 रियायतग्राही प्रतिवर्ष या संबंधित सरकारी संस्था द्वारा निर्धारित अंतराल पर, पर्यावरण प्रबंधन रणनीति के तहत प्रगति की समीक्षा करेगा और समय-समय पर उक्त पर्यावरण प्रबंधन रणनीति को अद्यतन करेगा।

17.13.6 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि समाप्ति के समय और हस्तांतरण तिथि पर, हवाई अड्डे की पर्यावरणीय स्थिति पर्यावरण मंजूरी और वन मंजूरी में दिए गए कथनों सहित सभी वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करती हो।

17.14 स्लॉट आवंटन दिशा-निर्देश

रियायतग्राही हवाई अड्डे पर विमान के उतरने और समय-सारणी स्लॉट का प्रबंधन और आवंटन करेगा, तथा ऐसे स्लॉट का आवंटन एयरलाइंस के परामर्श से और आईएटीए स्लॉट आवंटन दिशा-निर्देशों एवं संबंधित नामित भारत सरकार की एजेंसी, प्राधिकरण द्वारा जारी तथा समय-समय पर अद्यतन किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार निष्पक्ष, उचित और न्यायसंगत तरीके से करेगा।

17.15 सुरक्षा आवश्यकताएं

17.15.1 रियायतग्राही हवाई अड्डे पर या उसके आसपास उपयोगकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों और लागू अनुमतियों का पालन करेगा तथा उत्तम उद्योग पद्धतियों के अनुरूप कार्य करेगा। वह किसी भी व्यक्ति की गलती के बावजूद, हवाई अड्डे पर या उसके आसपास दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाली चोटों, जीवन की हानि या जीवन या संपत्ति के नुकसान को शून्य या न्यूनतम सुनिश्चित करेगा। विशेष रूप से, रियायतग्राही उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा से संबंधित सीमा तक हवाई अड्डे पर या उसके आसपास एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए एक निगरानी और सुरक्षा कार्यक्रम विकसित, कार्यान्वित और प्रशासित करेगा, जिसमें सुरक्षित आवाजाही, सुरक्षा प्रबंधन, सुरक्षा उपकरण, अग्निशमन सुरक्षा, प्रवर्तन और आपातकालीन प्रतिक्रिया से जुड़े उपाय शामिल होंगे। वह उत्तम उद्योग पद्धतियों के अनुसार निम्नलिखित में निर्धारित सुरक्षा आवश्यकताओं ("सुरक्षा आवश्यकताएं") का पालन करेगा:

- (क) लागू कानून और लागू अनुमतियां;
- (ख) इस समझौते के प्रावधान; और
- (ग) प्रासंगिक दस्तावेज और अनुलग्नक, डीजीसीए के लागू दिशा-निर्देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत संहिताओं में निहित अन्य प्रासंगिक मानक/दिशा-निर्देश।

17.15.2 सुरक्षा आवश्यकताएं निर्माण, संचालन और रखरखाव के सभी चरणों पर लागू होंगी, जिसमें दुर्घटनाओं से जुड़े कारकों की पहचान, उन पर विचार करने और उपयुक्त उपचारात्मक उपायों को लागू करने पर जोर दिया जाएगा।

17.15.3 रियायतग्राही उपयोगकर्ताओं के लिए एक निगरानी और सुरक्षा कार्यक्रम विकसित, कार्यान्वित और प्रशासित करेगा, जिसमें विमान के अपहरण की स्थिति में प्रतिक्रिया, सुरक्षा उल्लंघनों और कमियों का सुधार, तथा इस समझौते के अनुसार एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक सभी अन्य कार्रवाइयां शामिल हैं।

17.15.4 रियायतग्राही चरण। सीओडी पर और उसके बाद कार्यात्मक होने के लिए एक हवाई अड्डा सुरक्षा प्रबंधन इकाई ("एसएमयू") की स्थापना करेगा, और अपने अधिकारियों में से एक को एसएमयू का प्रभारी नामित करेगा। ऐसे अधिकारी के पास विषय पर किसी प्रतिष्ठित संगठन

द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम में भाग लेकर हवाई अड्डा प्रणाली सुरक्षा में विशेषज्ञ ज्ञान और प्रशिक्षण होना चाहिए।

- 17.15.5 रियायतग्राही हवाई अड्डे पर होने वाली किसी भी दुर्घटना के संबंध में पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति रखेगा। इसके अलावा, रियायतग्राही पुलिस द्वारा दर्ज न किए गए दुर्घटनाओं के सभी मामलों के आंकड़े भी एकत्र करेगा। इस प्रकार एकत्र की गई जानकारी को इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संक्षेपित किया जाएगा। रियायतग्राही मार्ग मानचित्र पर प्रत्येक दुर्घटना के सटीक स्थान को भी दर्ज करेगा। उपरोक्त आंकड़े प्रत्येक तिमाही के अंत में प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाएंगे।
- 17.15.6 रियायतग्राही प्रत्येक वर्ष 31 मई से पहले प्राधिकरण को एक वार्षिक रिपोर्ट (दस प्रतियों में) प्रस्तुत करेगा, जिसमें बिना किसी सीमा के, पूर्ववर्ती लेखा वर्ष की सभी दुर्घटनाओं की विस्तृत सूची और विश्लेषण तथा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को टालने या कम करने के लिए रियायतग्राही द्वारा किए गए उपायों का विवरण होगा।
- 17.15.7 सुरक्षा आवश्यकताओं से उत्पन्न या उससे संबंधित सभी लागतों और व्ययों का वहन रियायतग्राही द्वारा किया जाएगा, और इस समझौते, लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के अनुसार, विमानन शुल्कों को निर्धारित या संशोधित करते समय ऐसा द्वारा इसे हवाई अड्डे के उद्देश्यों के लिए रियायतग्राही द्वारा किए गए व्यय के एक भाग के रूप में माना जा सकता है।

अनुच्छेद 18

प्रचालन एवं रखरखाव सेवाएं

18.1 विमानन परिसंपत्तियां

18.1.1 इस समझौते में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों, लागू अनुमतियों और उत्तम उद्योग पद्धतियों के अनुसार विमानन परिसंपत्तियों के संचालन और प्रबंधन का दायित्व संभालेगा।

18.1.2 रियायतग्राही अनुसूची घ में निर्धारित विनिर्देशों और मानकों तथा डीजीसीए और इकाओ या इसके किसी भी उत्तराधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट मानकों के अनुसार विमानन परिसंपत्तियों का संचालन करेगा। इस अनुच्छेद 18 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि विमानन परिसंपत्तियां हर समय स्थल पर उपयोगकर्ता, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित नियमों का अनुपालन करती हों।

18.1.3 इस समझौते में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, रियायतग्राही तृतीय पक्षों द्वारा विमानन परिसंपत्तियों के उपयोग को विनियमित करेगा और लागू कानूनों, लागू अनुमतियों और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार सभी उपयोगकर्ताओं को गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच प्रदान करेगा। उपयोगकर्ताओं की पहचान की गई श्रेणियों के लिए सेवाओं के विभिन्न स्तरों का प्रावधान यहां भेदभाव नहीं माना जाएगा।

18.1.4 रियायतग्राही हर समय विमानों के संचालन और उपयोग के लिए बने सभी क्षेत्रों को बाधाओं से मुक्त रखेगा।

18.1.5 रियायतग्राही, इकाओ द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट सांकेतिकता के मानकों के अनुपालन के अधीन, विमानन परिसंपत्तियों के सुरक्षित और कुशल उपयोग के लिए दिशा-निर्देश, संकेत और सिग्नल प्रदान करेगा।

18.1.6 आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक स्थान और पहुंच रियायतग्राही द्वारा क्लॉज़ 19.7 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

18.2 ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं

रियायतग्राही हवाई अड्डे पर उपयोगकर्ताओं जैसे विमान, यात्रियों और कार्गो के लिए और उनके संबंध में आवश्यक ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा या करवाएगा, जिसमें रैंप हैंडलिंग, ट्रैफिक हैंडलिंग, एयरक्राफ्ट हैंडलिंग, एयरक्राफ्ट सफाई, लोडिंग और अनलोडिंग ("ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं") शामिल होंगी। इस तरह के बुनियादी ढांचे में इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों और उत्तम उद्योग पद्धतियों के अनुसार सामान कन्वेयर बेल्ट, कंप्यूटर टर्मिनल, सूचना प्रौद्योगिकी बैकबोन और संबंधित सुविधाएं शामिल होंगी।

18.3 विमान ईंधन भरने की सेवाएं

रियायतग्राही पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से हवाई अड्डे पर सभी विमानों के लिए समान पहुंच के आधार पर ईंधन भरने की सेवाओं के संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा या करवाएगा ("विमान ईंधन भरने की सेवाएं")। ऐसे बुनियादी ढांचे में इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों और उत्तम उद्योग पद्धतियों के अनुसार टैंक फार्म, सामान्य हाइड्रेंट फ़्यूल प्रणाली और संबंधित सुविधाएं शामिल होंगी।

18.4 कार्गो सुविधाएं

18.4.1 लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के अधीन, रियायतग्राही कार्गो सुविधाओं का विकास, संचालन और रखरखाव करेगा या करवाएगा, जिसमें इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों, प्रासंगिक ICAO दस्तावेजों और अनुलग्नकों तथा उत्तम उद्योग पद्धतियों के अनुसार आने वाले और जाने वाले कार्गो के प्रबंधन के लिए आवश्यक भवन, संरचनाएं और उपकरण (उनके अल्पकालिक भंडारण/वेयरहाउसिंग सहित) शामिल होंगे।

18.4.2 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि इसके तहत प्रदान की जाने वाली कार्गो सुविधाओं में पर्याप्त कार्गो और पार्सल स्थान, हैंडलिंग उपकरण, शीघ्र नष्ट होने वाले सामान और खतरनाक सामानों का भंडारण और हैंडलिंग, कार्गो एजेंटों और ग्राहकों के लिए स्थान, निरीक्षण क्षेत्र, कार्यालय स्थान, स्वचालन प्रणाली, स्क्रीनिंग उपकरण, भंडारण सुविधाएं, तथा इस समझौते के प्रावधानों और उत्तम उद्योग पद्धतियों के अनुसार मेल हैंडलिंग और कूरियर शिपमेंट की सुविधाएं शामिल हों।

18.4.3 रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों और उत्तम उद्योग पद्धतियों के अनुसार कार्गो सुविधाओं का संचालन और रखरखाव करेगा या करवाएगा तथा एयरलाइनों और प्रेषकों को संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा।

18.4.4 रियायतग्राही अपने वैधानिक कार्यों के निर्वहन के लिए सीमा शुल्क, सुरक्षा, संगरोध और अन्य नामित भारत सरकार की एजेंसियों को, यथास्थिति, उत्तम उद्योग पद्धतियों के अनुसार निःशुल्क परिचालन स्थान और अन्य सुविधाएं प्रदान करेगा।

18.4.5 रियायतग्राही सभी रणनीतिक स्थानों पर वेब-कैम स्थापित करेगा और उन्हें अच्छी कार्य स्थिति में चालू रखेगा, जहां कहीं भी कार्गो सुविधाओं को संभाला जाता है या किसी भी तरीके से निपटा जाता है।

18.5 कार्गो सुविधाओं के उपयोग पर प्रतिबंध

18.5.1 मास्टर प्लान में कार्गो सुविधाओं के लिए चिह्नित क्षेत्र का उपयोग केवल कार्गो के प्रबंधन और संबंधित गतिविधियों के लिए ही किया जाएगा।

18.5.2 खंड 5.2 के प्रावधानों के अनुसार छोड़कर, रियायतग्राही कार्गो सुविधाओं के किसी भी हिस्से पर अधिकार हस्तांतरित नहीं करेगा या किसी भी तरह से प्रभार/भार उत्पन्न नहीं करेगा।

18.6 टर्मिनल भवन

- 18.6.1 रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों, लागू अनुमतियों और उत्तम उद्योग पद्धतियों के अनुसार टर्मिनल भवन का संचालन और प्रबंधन करेगा। इस अनुच्छेद 18 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि टर्मिनल भवन के भीतर के स्थानों का उपयोग अनुसूची ख और अनुसूची ग में निर्दिष्ट संबंधित उद्देश्यों के लिए किया जाए।
- 18.6.2 रियायतग्राही अनुसूची घ में निर्धारित विनिर्देशों और मानकों तथा आईएटीए या इसके किसी उत्तराधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट मानकों के अनुसार टर्मिनल भवन का संचालन करेगा।
- 18.6.3 रियायतग्राही टर्मिनल भवन के उपयोग को विनियमित करेगा और लागू कानूनों और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार सभी उपयोगकर्ताओं को गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच प्रदान करेगा। उपयोगकर्ताओं की पहचान की गई श्रेणियों के लिए सेवाओं के विभिन्न स्तरों का प्रावधान यहां भेदभाव नहीं माना जाएगा।
- 18.6.4 रियायतग्राही उपयोगकर्ताओं द्वारा संचालन और उपयोग के लिए बने सभी क्षेत्रों को हर समय बाधाओं से मुक्त रखेगा।
- 18.6.5 रियायतग्राही सामान दावा क्षेत्रों की आसान पहुँच के भीतर और टर्मिनल भवन के प्रवेश बिंदुओं पर कुशल सामान ट्रॉलियों की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करेगा और बनाए रखेगा। पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि ट्रॉलियों पर विज्ञापन प्रदर्शित किए जा सकते हैं।
- 18.6.6 रियायतग्राही, मांग के आधार पर, भुगतान पर उपयोगकर्ताओं के लिए पोर्टर सेवाओं (कुली सेवाओं) की उपलब्धता प्राप्त करेगा।
- 18.6.7 रियायतग्राही मास्टर प्लान के अनुसार टर्मिनल भवन के भीतर मुफ्त पीने का पानी, बैठने की जगह, प्रतीक्षा क्षेत्र, अधिकतम खुदरा मूल्य पर बोतलबंद पानी और लोकप्रिय पेय पदार्थों के वितरण के लिए वेंडिंग मशीन आदि से संबंधित सुविधाएं हर समय प्रदान करेगा या करवाएगा।
- 18.6.8 रियायतग्राही, इकाओ द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट सांकेतिकता के मानकों के अनुपालन के अधीन, दिशा-निर्देश, संकेत, सिग्नल, सार्वजनिक घोषणा प्रणाली और पूछताछ काउंटर प्रदान करेगा ताकि उपयोगकर्ताओं को सुविधा हो और उन्हें एयरलाइंस काउंटरों, यात्रा सुविधाओं, सुख-सुविधाओं और कार्गो सुविधाओं तक अपना रास्ता खोजने में सहायता मिल सके।
- 18.6.9 रियायतग्राही सहमत होता है और वचन देता है कि व्यस्ततम समय के दौरान टर्मिनल भवन में सेवा का स्तर आईएटीए द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट 'सेवा स्तर-ग' (इष्टतम मानक) से कमतर नहीं होगा। यदि यह देखा जाता है कि किसी भी तिमाही में व्यस्त समय के दौरान सेवा का स्तर आईएटीए 'सेवा स्तर-ग' (इष्टतम मानक) से कमतर है और किसी भी रियायत वर्ष में सेवा स्तर में इस तरह की गिरावट की घटना के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर इसमें सुधार नहीं होता है, तो

रियायतग्राही प्राधिकरण को हर्जाना देगा जो ठीक पूर्ववर्ती तिमाही के शुल्क (Fees) से प्राप्त कुल राजस्व के 0.5% (शून्य दशमलव पांच प्रतिशत) की दर से निर्धारित किया जाएगा।

18.6.10 रियायतग्राही क्लॉज़ 22.10 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता चार्टर प्रकाशित और कार्यान्वित करेगा।

18.7 विशेष सहायता की आवश्यकता वाले उपयोगकर्ता

18.7.1 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि टर्मिनल भवन बुजुर्गों, और शारीरिक या दृष्टि रूप से दिव्यांग उपयोगकर्ताओं और आगंतुकों की यात्रा संबंधी जरूरतों को पूरा करे, जिसमें रैंप मार्ग, संशोधित शौचालय, व्हील चेयर और विशेष सहायता की आवश्यकता वाले उपयोगकर्ताओं के लिए चिह्नित पार्किंग स्लॉट शामिल हैं, जो उत्तम उद्योग पद्धतियों के अनुरूप हों और ऐसे उपयोगकर्ताओं और आगंतुकों के लिए बिना किसी शुल्क के हों।

18.7.2 रियायतग्राही उपयोगकर्ताओं के लिए बिना किसी शुल्क के, टर्मिनल भवन के भीतर बाल देखभाल कक्ष और सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करेगा।

18.7.3 रियायतग्राही क्लॉज़ 5.11 में निर्दिष्ट तरीके से टर्मिनल भवन के भीतर प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं की स्थापना और संचालन करेगा।

18.8 आरक्षित क्षेत्र

18.8.1 निम्नलिखित संस्थाओं या उद्देश्यों के लिए स्थान, टर्मिनल भवन में आरक्षित क्षेत्र का गठन करेगा:

- (क) प्राधिकरण;
- (ख) सुरक्षा;
- (ग) वीआईपी लाउंज;
- (घ) आब्रजन;
- (ङ) सीमा शुल्क ;
- (च) संगरोध और
- (छ) स्वास्थ्य।

18.8.2 आरक्षित क्षेत्र पर नियंत्रण संबंधित प्राधिकरण या नामित भारत सरकार की एजेंसियों में निहित होगा जो उन कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार हैं जिनके लिए स्थान क्लॉज़ 18.8.1 के तहत चिह्नित किया जाएगा या क्लॉज़ 18.8.1 में निर्दिष्ट उद्देश्यों के समान किसी अन्य उद्देश्य के लिए होगा। आरक्षित क्षेत्रों और उसके प्रवेश के संबंध में रियायतग्राही के दायित्व आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा बनने वाले सिविल कार्यों, संरचनाओं और उपकरणों के रखरखाव तक सीमित होंगे, शर्त यह है कि आपात स्थिति, आग या अन्य इसी तरह की घटना के मामले में उसे वहां अप्रतिबंधित प्रवेश प्राप्त होगा।

18.8.3 रियायतग्राही टर्मिनल भवन के भीतर आरक्षित क्षेत्र में प्रभार्य आधार पर बिजली और पानी की आपूर्ति करेगा।

18.8.4 जिस सीमा तक टर्मिनल भवन में केंद्रीय वातानुकूलन स्थापित और संचालित है, रियायतग्राही आरक्षित क्षेत्र को इसके लाभ से वंचित नहीं करेगा, शर्त यह है कि यह दायित्व उन घंटों तक विस्तारित नहीं होगा जब टर्मिनल भवन के भीतर लाउंज और अन्य सामान्य क्षेत्रों के लिए सामान्य वातानुकूलन बंद रहता है।

18.8.5 इस क्लॉज़ 18.8 में निहित इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण और/या नामित भारत सरकार की एजेंसियां, यथास्थिति, रियायतग्राही की सहमति से, आरक्षित क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे नियमों और शर्तों पर रियायतग्राही को हस्तांतरित कर सकती हैं जैसा कि आपस में सहमति हो। ऐसी स्थिति में, रियायतग्राही आरक्षित क्षेत्र में एक सुरक्षित और कुशल वातावरण प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण और/या नामित भारत सरकार की एजेंसियों (इसके द्वारा नामित एजेंसियों सहित) के साथ सहयोग करने का सर्वोत्तम प्रयास करेगा।

18.9 वीआईपी लाउंज

रियायतग्राही भारत सरकार, नामित भारत सरकार की एजेंसियों, महाराष्ट्र सरकार और/या प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर रियायतग्राही को अधिसूचित किए जाने वाले मेहमानों और कर्मियों के उपयोग और आराम के लिए टर्मिनल भवन में हर समय वीआईपी लाउंज प्रदान करेगा और बनाए रखेगा।

18.10 चेक-इन सेवाएं

18.10.1 रियायतग्राही प्रस्थान करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए और उनके संबंध में हवाई अड्डे पर चेक-इन सेवाओं के संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा या करवाएगा ("चेक-इन सेवाएं")। इस तरह के बुनियादी ढांचे में इस समझौते के प्रावधानों, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए लागू डीजीसीए नियमों सहित लागू कानूनों, प्रासंगिक इकाओं दस्तावेजों और अनुलग्नकों तथा उत्तम उद्योग पद्धतियों के अनुसार काउंटर, स्वयं-सेवा चेक-इन कियोस्क, सामान कन्वेयर बेल्ट, कंप्यूटर टर्मिनल, आईटी बैकबोन और संबंधित सुविधाएं शामिल होंगी।

18.10.2 रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों और उत्तम उद्योग पद्धतियों के अनुसार, एयरलाइंस की ओर से और उनके लिए, उपयोगकर्ताओं को चेक-इन सेवाएं प्रदान करेगा या करवाएगा।

18.10.3 इस क्लॉज़ 18.10 में निहित इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, रियायतग्राही प्रत्येक एयरलाइन को, उस एयरलाइन के विकल्प पर, आपस में सहमत राशि पर रियायतग्राही को सेवा शुल्क के भुगतान पर उस एयरलाइन के उपयोगकर्ताओं को चेक-इन सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।

18.11 निर्दिष्ट क्षेत्रों का व्यावसायिक उपयोग

- 18.11.1 इस समझौते के प्रावधानों और लागू कानूनों के अधीन, रियायतग्राही व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए टर्मिनल भवन का उपयोग कर सकता है, जैसे यात्रा सुविधाएं, उपयोगकर्ताओं के लिए सुख-सुविधाएं, रेस्तरां, आवास और खुदरा।
- 18.11.2 खंड 5.2 के प्रावधानों के अनुसार छोड़कर, रियायतग्राही हवाई अड्डे के किसी भी हिस्से पर अधिकार हस्तांतरित नहीं करेगा या किसी भी तरह से प्रभार/भार उत्पन्न नहीं करेगा।
- 18.11.3 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि उसके उप-लाइसेंसधारी सार्वजनिक उपद्रव न फैलाएं, जिसमें अत्यधिक शोर या खाना पकाने की गंध शामिल है; व्यापार के लिए अवैध दलाली न करें; और बिक्री के लिए नकली सामान की पेशकश न करें, तथा वे लागू कानूनों, लागू अनुमतियों और उत्तम उद्योग पद्धतियों के अनुसार अपनी संबंधित गतिविधियों का निष्पादन करें।

18.12 पार्किंग

- 18.12.1 रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों, लागू अनुमतियों और उत्तम उद्योग पद्धतियों के अनुसार पार्किंग का विकास, संचालन और रखरखाव करेगा या करवाएगा।
- 18.12.2 रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ताओं या हवाई अड्डे के आगंतुकों द्वारा पार्किंग के उपयोग को विनियमित करेगा और सभी यात्रियों और आगंतुकों को इसके गैर-भेदभावपूर्ण उपयोग की अनुमति देगा, शर्त यह है कि रियायतग्राही पार्किंग के उपयोग के लिए शुल्क लगा सकता है।
- 18.12.3 **रियायतग्राही:**
- (क) यात्री की आसानी और सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाहन पार्किंग स्थान की योजना बनाएगा और प्रवेश और निकास इस तरह से डिजाइन किए जाएंगे कि वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित हो सके;
 - (ख) यह सुनिश्चित करेगा कि दोपहिया वाहनों, कारों, निजी टैक्सियों, नियमित टैक्सियों, बसों, ऑटो-रिक्शा आदि के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थान प्रदान किया जाए;
 - (ग) अल्पकालिक, दीर्घकालिक और रात भर पार्किंग जैसे विभिन्न उपयोगों के लिए पार्किंग प्रदान करेगा;
 - (घ) आरक्षित पार्किंग और हवाई अड्डे या उसके किसी भाग में काम करने वाले कर्मचारियों की पार्किंग के लिए अलग पार्किंग स्थान प्रदान करेगा।
 - (ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि पार्किंग का उपयोग केवल मोटर वाहनों की पार्किंग के लिए किया जाए और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं, केवल विज्ञापन, दुकानों और उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाओं और सुख-सुविधाओं के प्रावधान को छोड़कर; और

(च) क्लॉज़ 5.2 के प्रावधानों के अनुसार छोड़कर, पार्किंग के किसी भी हिस्से पर प्रभार/भार उत्पन्न नहीं करेगा।

18.12.4 रियायतग्राही एक आरक्षित पार्किंग ("आरक्षित पार्किंग") का विकास, संचालन और रखरखाव करेगा, और छूट प्राप्त व्यक्तियों और वीआईपी लाउंज का उपयोग करने के हकदार व्यक्तियों द्वारा इसके मुफ्त उपयोग की सुविधा प्रदान करेगा। छूट प्राप्त व्यक्तियों के साथ, निम्नलिखित व्यक्ति भी मुफ्त पार्किंग के हकदार होंगे:

(क) कानून और व्यवस्था के रखरखाव में लगे व्यक्ति और जो ड्यूटी पर अपनी आधिकारिक क्षमता में हवाई अड्डे या उसके किसी भाग का दौरा कर रहे हैं,

(ख) अग्निशमन कर्मी और आपातकालीन चिकित्सा सेवा में लगे व्यक्ति, ड्यूटी पर अपनी आधिकारिक क्षमता में, और

(ग) इसके निरीक्षण, सर्वेक्षण, निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए अपनी आधिकारिक क्षमता में टर्मिनल भवन में प्रवेश करने वाले व्यक्ति।

18.12.5 रियायतग्राही कार पार्क में हर समय निम्नलिखित सभी की न्यूनतम व्यवस्था प्रदान करेगा या करवाएगा:

(क) सुविधाजनक स्थानों पर मुफ्त पीने के पानी के आउटलेट,

(ख) बोटलबंद पानी और लोकप्रिय पेय पदार्थों (गर्म और ठंडे) के लिए सुविधाजनक स्थानों पर स्थापित फूड स्टॉल/वेंडिंग मशीनें, ऐसी कीमत पर जो हवाई अड्डे के बाहर बाजार में प्रचलित ऐसे प्रत्येक उत्पाद के अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक न हो।

18.12.6 रियायतग्राही, पार्किंग के प्रवेश या निकास बिंदु के निकट, पार्किंग में पर्याप्त बैठने की सुविधाओं और शौचालयों के साथ ड्राइवरो के लिए एक प्रतीक्षालय प्रदान करेगा और यात्रियों और आगंतुकों के लिए टर्मिनल भवन में निर्दिष्ट बिंदुओं पर अपने संबंधित ड्राइवरो को बुलाने के लिए एक सार्वजनिक घोषणा प्रणाली भी प्रदान करेगा। ऐसे प्रतीक्षालय और शौचालय सुविधाजनक स्थानों पर स्थित होंगे और ऐसे प्रतीक्षालय, शौचालय और अन्य सुविधाओं का उपयोग करने वाले आगंतुकों/ड्राइवरो से ऐसे उपयोग के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा।

18.12.7 रियायतग्राही किसी भी ऐसे वाहन को हटा सकता है जो पार्किंग के लिए चिन्हित या अधिकृत न किए गए स्थान पर खड़ा है, और ऐसे वाहन को पार्किंग में पार्क कर सकता है। यदि रियायतग्राही किसी कारण से वाहन को पार्किंग में स्थानांतरित करने में असमर्थ है, तो वह वाहन को उस स्थान पर या उसके पास (अचल क्लैप) कर सकता है जहाँ वह पार्क है। रियायतग्राही ऐसे वाहन के लिए शुल्क वसूलने का हकदार होगा और वाहन को अचल करने या पार्किंग में ले जाने की पूर्व-निर्धारित और सहमत लागत के रूप में शुल्क के 5 (पांच) गुना के बराबर राशि भी वसूल कर सकता है। रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि इस क्लॉज़ के प्रावधानों के तहत वाहनों का

कोई भी स्थानांतरण या अचल करना इस तरीके से किया जाए जिससे ऐसे वाहनों को नुकसान न पहुंचे।

18.12.8 रियायतग्राही प्रवेश बाधा से निकास बिंदु तक 1000 मीटर तक के अग्रभाग सड़क लंबाई वाले टर्मिनल भवन के लिए, 8 (आठ) मिनट से अधिक समय में गुजरने के लिए पहुँच सड़कों (प्रस्थान और आगमन के लिए) का उपयोग करने वाले वाहनों (निजी और वाणिज्यिक) की आवाजाही को नहीं रोकेगा या उनसे कोई शुल्क नहीं लेगा। यदि सड़क की लंबाई की ऐसी दूरी 1,000 (एक हजार) मीटर से अधिक है, तो रियायतग्राही 8 मिनट से अधिक 1,000 (एक हजार) मीटर से ऊपर की दूरी में प्रत्येक 4 (चार) मीटर की वृद्धि के लिए 1 (एक) सेकंड के अतिरिक्त समय की अनुमति देगा, और इसे निकटतम मिनट तक पूर्णकृत किया जाएगा।

18.12.9 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि पार्किंग में प्रदान किए गए पार्किंग स्लॉट उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। इस घटना में कि लगातार 3 (तीन) महीनों की किसी भी अवधि के लिए सबसे अधिक पार्क किए गए वाहनों वाले 24 घंटे की अवधि में औसतन किसी भी 8 (आठ) घंटों के दौरान 80% (अस्सी प्रतिशत) पार्किंग स्लॉट भरे रहते हैं, तो पार्किंग की क्षमता को अपर्याप्त माना जाएगा और रियायतग्राही उत्तम उद्योग पद्धतियों और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार तुरंत क्षमता वृद्धि और विस्तार करेगा तथा अतिरिक्त पार्किंग स्थान का निर्माण करेगा।

18.13 एमआरओ सुविधाएं

जब भी विकसित या विकसित करवाई जाती हैं, रियायतग्राही एमआरओ सुविधाओं (रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल सुविधाएं) का संचालन और रखरखाव करेगा या करवाएगा, और अनुसूची ख में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार तथा इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों और उत्तम उद्योग पद्धतियों के अनुसार एयरलाइनों और प्रेषकों को संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा या करवाएगा।

अनुच्छेद 19

आरक्षित सेवाएं

19.1 आरक्षित सेवाएं

19.1.1 रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत होता है कि केवल नामित भारत सरकार की एजेंसियां ही हवाई अड्डे पर निम्नलिखित सेवाएं ("आरक्षित सेवाएं") करने के लिए अधिकृत हैं:

(क) सीएनएस/एटीएम सेवाएं ;

(ख) सुरक्षा सेवाएं;

(ग) मौसम संबंधी सेवाएं;

(घ) अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाएं;

(ङ) सीमा शुल्क नियंत्रण;

(च) आव्रजन सेवाएं;

(छ) संगरोध सेवाएं;

(ज) कोई भी अन्य सेवाएं, जो भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं;

बशर्ते कि, लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के अधीन, इस समझौते की कोई भी बात प्राधिकरण को रियायतग्राही से पक्षकारों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर किसी भी या सभी आरक्षित सेवाओं को करने की आवश्यकता से नहीं रोकेगी।

19.1.2 प्राधिकरण समय-समय पर लागू कानूनों और उत्तम उद्योग पद्धतियों के अनुसार आरक्षित सेवाओं के निष्पादन के लिए रियायतग्राही को किसी भी या सभी नामित भारत सरकार की एजेंसियों के साथ द्विपक्षीय समझौतों में प्रवेश करने की आवश्यकता प्रस्तुत कर सकता है।

19.2 सीएनएस/एटीएम सेवाएं

19.2.1 प्राधिकरण, रियायतग्राही द्वारा लागू नियमों और शर्तों की पूर्ति पर, रियायतग्राही के अनुरोध पर, एएआई (AAI - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण) और रियायतग्राही के बीच एक समझौते के निष्पादन को प्राप्त करेगा, जो मुख्य रूप से अनुसूची T में निर्धारित प्रारूप में होगा, जब तक कि AAI द्वारा कोई विशिष्ट प्रारूप निर्धारित न किया गया हो ("CNS/ATM समझौता")। यह शिकागो कन्वेंशन के तहत समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित प्रथाओं के अनुसार और भारत के अन्य हवाई अड्डों पर समान सेवाओं पर लागू समान शर्तों पर, तथा DGCA के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, रियायत अवधि (Concession Period) के दौरान हर समय हवाई अड्डे पर CNS/ATM सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित करेगा। यदि CNS/ATM समझौते का प्रारूप इस समझौते की तिथि के बाद लेकिन रियायतग्राही द्वारा इसके निष्पादन से पहले किसी भी समय AAI

द्वारा अपने स्वविवेक से बदला या संशोधित किया जाता है, तो रियायतग्राही ऐसे बदले या संशोधित प्रारूप में CNS/ATM समझौते को निष्पादित करेगा।

19.2.2 नामित भारत सरकार की एजेंसी, अपनी लागत पर, हवाई मार्ग और टर्मिनल हवाई नौवहन सेवाएं (enroute and terminal air navigation services) प्रदान करने के लिए आवश्यक कोई भी रडार, उपकरण या सुविधाएं हवाई अड्डे पर स्थापित कर सकती है और रियायतग्राही इसके द्वारा सभी आवश्यक सिविल बुनियादी ढांचा और इसके संबंध में आवश्यक सहायता प्रदान करने का वचन देता है।

19.3 हवाई अड्डा सुरक्षा

19.3.1 रियायतग्राही (Concessionaire), लागू विधियों (Applicable Laws) के अनुसार, निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी (Designated GOI Agency) के माध्यम से हवाई अड्डे पर आतंकवाद, अपहरण (hijacking), तोड़-फोड़ (sabotage) एवं/या इसी प्रकार के अन्य कृत्यों या घटनाओं की रोकथाम सहित सुरक्षा का प्रावधान प्राप्त करेगा।

19.3.2 रियायतग्राही यह स्वीकार करता है और वचन देता है कि हवाई अड्डे, उपयोगकर्ताओं (Users), हवाई अड्डे पर कार्यरत व्यक्तियों तथा हवाई अड्डे पर अन्य व्यक्तियों या संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियाँ और प्रक्रियाएं, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) या निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगी।

19.3.3 निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी को हवाई अड्डे के संचालन में अनुचित या अकारण बाधा डाले बिना, हवाई अड्डे का निरीक्षण व तलाशी लेने तथा स्थल (Site) में प्रवेश करने वाले या वहाँ से बाहर निकलने वाले किसी भी व्यक्ति या वाहन की तलाशी लेने का अधिकार होगा।

19.3.4 रियायतग्राही, निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी की कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप होने वाले संचालन के व्यवधान या हानि/क्षति के लिए किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा, केवल उन मामलों को छोड़कर जो निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी के जानबूझकर (wilful) या घोर लापरवाही (grossly negligent) वाले कृत्यों या चूक से उत्पन्न हुए हों।

19.4 पुलिस सहायता

लागू विधियों और इस समझौते के अनुसार हवाई अड्डे के उपयोग को विनियमित करने के लिए, प्राधिकरण (Authority) रियायतग्राही द्वारा हवाई अड्डे पर एक पुलिस सहायता चौकी ("पुलिस सहायता चौकी" / Police Aid Post) स्थापित करने सहित पुलिस से सहायता प्राप्त करने में रियायतग्राही की सहायता करेगा।

19.5 मौसम संबंधी सेवाएं

रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि हवाई अड्डे पर सीएनएस/एटीएम सेवाएं (CNS/ATM Services) प्रदान करने के लिए मौसम संबंधी सुविधाएं और सेवाएं निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी द्वारा शिकागो कन्वेंशन के अनुसार समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित प्रथाओं के अनुसार और उन्हीं शर्तों पर प्रदान की जाएं, जिन पर भारत के अन्य समान हवाई अड्डों पर प्रदान की जा रही हैं।

19.6 आरक्षित सेवाओं के संबंध में दायित्व

रियायतग्राही सहमत होता है और वचन देता है कि वह रियायत अवधि (Concession Period) के दौरान हर समय:

- (क) सीएनएस/एटीएम सेवाओं (CNS/ATM Services) के प्रावधान के लिए निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी को एटीसी सुविधा (ATC Facility) उपलब्ध कराएगा;
- (ख) इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित सेवाओं (Reserved Services) के प्रावधान के लिए आरक्षित क्षेत्र (Reserved Area) उपलब्ध कराएगा;
- (ग) हवाई अड्डे की सुरक्षा के संबंध में बीसीएस (BCAS) या निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी द्वारा निर्धारित सभी नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों का पालन करेगा और हवाई अड्डे के चारों ओर परिधि बाड़ लगाने (perimeter fencing) या अन्य उपयुक्त सुरक्षा उपाय प्रदान करेगा एवं उसका रख-रखाव करेगा;
- (घ) बीसीएस या निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी द्वारा समय-समय पर यथोचित रूप से अपेक्षित सभी सुरक्षा उपकरण प्रदान करेगा और उनका रखरखाव करेगा;
- (ङ) हवाई अड्डे के भीतर और आसपास सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्राधिकरण और/या निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी के किसी भी निर्देश का पालन करेगा और लागू करेगा तथा प्राधिकरण और/या निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी को हवाई अड्डे के संचालन में अनुचित या अकारण बाधा डाले बिना, उनके द्वारा यथोचित रूप से आवश्यक समझे जाने वाले कदम उठाने की अनुमति देगा;
- (च) यह सुनिश्चित और प्राप्त करेगा कि निम्नलिखित घटनाओं के लिए प्रभावी और कुशल प्रतिक्रिया हेतु आवश्यक उपकरण और जनशक्ति (manpower) लागू विधियों और उत्तम उद्योग पद्धतियों (Good Industry Practice) के अनुसार उपलब्ध हों:
 - (i) रनवे (धावन-पट्टी) से अक्षम/विकलांग विमान को हटाना;
 - (ii) किसी विमान या हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी;
 - (iii) हवाई अड्डे और उसके आसपास विमान दुर्घटनाएं;
 - (iv) गैर-अनुसूचित (non-scheduled) विमान का हवाई अड्डे पर उतरने के लिए मजबूर होना;
 - (v) हवाई अड्डे पर आग लगना;

- (vi) प्राकृतिक आपदाएं और विपदाएं;
 - (vii) हवाई अड्डे पर हड़ताल;
 - (viii) नागरिक उड्डयन में गैर-कानूनी हस्तक्षेप; तथा
 - (ix) हवाई अड्डे पर कोई अन्य आपात स्थिति।
- (छ) इस अनुच्छेद 19 के तहत अपने दायित्वों के निर्वहन में निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसियों को सहायता और सहयोग प्रदान करेगा;
- (ज) ऐसी जानकारी प्रदान करेगा जिसकी प्राधिकरण और निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी को आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए यथोचित आवश्यकता हो सकती है;
- (i) आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसियों द्वारा अपेक्षित बिजली और पानी की निरंतर आपूर्ति प्रदान करेगा; और
- (झ) आपात स्थिति के मामले को छोड़कर, पार्टियों के बीच समय-समय पर पारस्परिक रूप से सहमत होने वाली परिचालन प्रक्रियाओं के अनुसार, हवाई अड्डे पर किसी भी बुनियादी ढांचे या सुविधाओं के किसी भी प्रस्तावित बंद होने या वापस लेने के बारे में 7 (सात) दिन पहले प्राधिकरण और निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी को सूचित करेगा।

19.7 आरक्षित क्षेत्र

19.7.1 खंड 18.8 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही यह वचन देता है कि वह रियायत अवधि के दौरान हर समय, प्राधिकरण या उसके नामांकित व्यक्तियों (nominees) को हवाई अड्डे पर ऐसा आरक्षित क्षेत्र, पहुँच (access) और सुविधाएं प्रदान करेगा जो उन्हें इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित सेवाओं का निष्पादन करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों। उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही प्राधिकरण के लिए टर्मिनल भवन (Terminal Building) में निर्मित क्षेत्र/कार्यालय स्थान के 3,000 वर्ग फुट क्षेत्र को अलग से चिह्नांकित और प्रदान करेगा।

19.7.2 आरक्षित क्षेत्र का उपयोग प्राधिकरण या उसके नामांकित व्यक्तियों द्वारा उस रूप और प्रकृति में किया जाएगा जैसा वे उचित समझें, और रियायत अवधि के दौरान किसी भी समय रियायतग्राही द्वारा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग या उपलब्धता नहीं होगी। आरक्षित क्षेत्र पर नियंत्रण और प्रबंधन प्राधिकरण या उसके नामांकित व्यक्तियों में निहित होगा, जो उन कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार होंगे जिनके लिए ऐसा क्षेत्र चिह्नांकित किया गया है या ऐसे कार्यों के समान किसी अन्य उद्देश्य के लिए है। आरक्षित क्षेत्रों और वहाँ तक पहुँच के संबंध में रियायतग्राही के दायित्व केवल आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा बनने वाले सिविल कार्यों, संरचनाओं और उपकरणों के रखरखाव तक सीमित होंगे, बशर्ते कि आपात स्थिति, आग या अन्य इसी तरह की घटना के मामले में उसे अप्रतिबंधित पहुँच प्राप्त होगी।

- 19.7.3** रियायतग्राही, प्राधिकरण या उसके नामांकित व्यक्तियों की पूर्व सहमति के बिना, आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकरण या उसके नामांकित व्यक्तियों को प्रदान की गई पहुँच, स्थान और सुविधाओं को कम या प्रतिबंधित नहीं करेगा।
- 19.7.4** इस खंड 19.7 में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, प्राधिकरण, रियायतग्राही की सहमति से, आरक्षित क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे नियमों और शर्तों पर रियायतग्राही को हस्तांतरित कर सकता है जो सहमत हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में, रियायतग्राही आरक्षित क्षेत्र में एक सुरक्षित और कुशल वातावरण प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट एजेंसियों सहित प्राधिकरण के साथ सहयोग करने का सर्वोत्तम प्रयास करेगा।
- 19.7.5** हवाई अड्डे के किसी भी विस्तार की स्थिति में जिसमें आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी स्थान या सुविधाओं के स्थानांतरण या पुनर्गठन की आवश्यकता होती है, रियायतग्राही यथास्थिति प्राधिकरण या उसके नामांकित व्यक्तियों को सूचित करेगा और उसके संबंध में आवश्यक संशोधनों को पारस्परिक रूप से निर्धारित करेगा।
- 19.7.6** यदि आरक्षित क्षेत्र में निर्दिष्ट कार्यों के निर्वहन के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता होती है, तो प्राधिकरण या उसके नामांकित व्यक्ति, रियायतग्राही की सहमति से, आरक्षित क्षेत्र के स्थान में वृद्धि कर सकते हैं।

अनुच्छेद 20:

संचालन और रखरखाव की निगरानी

20.1 एयरपोर्ट ऑपरेशन डेटाबेस

रियायतग्राही एक एयरपोर्ट ऑपरेशन डेटाबेस ("AODB") स्थापित करेगा, जिसमें एक हवाई अड्डा संचालन डेटाबेस, संचार परत (communications layer) और विजुअल प्रणाली शामिल होगी जो हवाई अड्डे की विभिन्न प्रणालियों को एक साथ जोड़ेगी। एओडीबी को वस्तुनिष्ठ सेवा गुणवत्ता आवश्यकता और मापदंडों (टर्मिनल भवन और अन्य ऐसी जानकारी जो इस समझौते के अनुसार प्राधिकरण और/या किसी निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी द्वारा अपेक्षित हो) से संबंधित हवाई अड्डे पर सभी संचालन डेटा प्रदान करने होंगे।

एओडीबी इस समझौते की आवश्यकताओं के अनुसार दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा। एओडीबी प्रणाली रणनीतिक निर्णय लेने में सहायता के साथ-साथ विभिन्न अनुपालन आवश्यकताओं के लिए रियायतग्राही की मदद करने के लिए ऐतिहासिक (historical) एवं वास्तविक समय (real-time) का डेटा प्रदान करने में सक्षम होनी चाहिए। रियायतग्राही आवधिक समीक्षा और रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्राधिकरण को AODB पहुँच (access) प्रदान करेगा।

20.2 त्रैमासिक और दैनिक स्थिति रिपोर्ट

20.2.1 संचालन अवधि (Operation Period) के दौरान हर समय, रियायतग्राही, प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के 7 (सात) दिनों के भीतर, प्राधिकरण को स्वीकार्य प्रारूप में एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुपालन या अन्यथा सुरक्षा आवश्यकताओं और किसी भी घटना के घटने के विवरण सहित हवाई अड्डे की स्थिति को यथोचित विवरण के साथ बताया जाएगा, और प्राधिकरण द्वारा आवश्यक अन्य प्रासंगिक जानकारी तुरंत प्रदान करेगा। विशेष रूप से, ऐसी रिपोर्ट में उन त्रुटियों और कमियों की अलग से पहचान की जाएगी और उचित विवरण में बताया जाएगा जिनके लिए सुधार/सुधार कार्य (rectification) की आवश्यकता है।

20.2.2 संचालन अवधि के दौरान हर समय, रियायतग्राही, प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के 10 (दस) दिनों के भीतर प्राधिकरण को एक त्रैमासिक प्रबंधन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो निम्नलिखित का सारांश होगी:

- (क) तिमाही में प्राप्त किए गए मुख्य प्रदर्शन संकेतक (Key Performance Indicators), विफलता के कारणों के विश्लेषण (यदि कोई हो) और उन्हें ठीक करने के प्रस्तावों के साथ;
- (ख) आगामी तिमाही में अपेक्षित मुख्य परिचालन बाधाएं और डिलिवरेबल्स (deliverables), उनके समाधान और हवाई अड्डे के परिचालन प्रदर्शन में सुधार के रणनीतियों के साथ;
- (ग) तिमाही के मुख्य वित्तीय मापदंड, जैसा कि त्रैमासिक बजट के मुकाबले बेंचमार्क किया गया है, कमी के कारण (यदि कोई हो), और उन्हें ठीक करने के प्रस्ताव; तथा

(घ) आगामी तिमाही के लिए त्रैमासिक बजट, हवाई अड्डे के वित्तीय प्रदर्शन में सुधार की रणनीतियों के साथ।

20.2.3 रियायतग्राही नियमित आधार पर प्राधिकरण को निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा:

- (क) त्रैमासिक गतिविधि रिपोर्ट (यात्री यातायात, विमान की आवाजाही, कार्गो आदि);
- (ख) त्रैमासिक वित्तीय खाते;
- (ग) वार्षिक बजट;
- (घ) व्यावसायिक योजना (business plan) का अद्यतन विवरण;
- (ङ) वार्षिक रखरखाव कार्यक्रम;
- (च) अन्य परिचालन आँकड़े जो भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation), डीजीसीए या एएआई (AAI) सहित किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा अपेक्षित हों;
- (छ) हवाई अड्डे के विकास, निर्माण, संचालन और रखरखाव के संबंध में ऐसी अन्य रिपोर्ट/जानकारी (या उसका विश्लेषण) जिसकी प्राधिकरण समय-समय पर मांग करे।

20.3 सेवा स्तर की निगरानी

रियायतग्राही:

- (क) संपूर्ण रियायत अवधि के दौरान, टर्मिनल भवन में आईएटीए (IATA) सेवा के स्तर को निर्धारित करने के उद्देश्य से नियमित रूप से हवाई अड्डे पर यातायात प्रवाह की निगरानी करेगा और हवाई अड्डे पर संचालन की जांच करेगा;
- (ख) चरण I सीओडी (Phase I COD) प्राप्त करने के बाद, हवाई अड्डे पर विमान से चढ़ने (enplaning) और उतरने (deplaning) वाले पीक आवर (Peak Hour) यात्रियों की नियमित रूप से निगरानी और गणना करेगा;
- (ग) प्रत्येक तिमाही के अंत के बाद 7वें (सातवें) दिन तक, प्राधिकरण को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करेगा:
 - (i) यह पुष्टि करते हुए कि पिछली तिमाही (या उसके भाग) में हवाई अड्डे पर IATA सेवा का स्तर कभी भी **IATA लेवल ऑफ सर्विस-C** से नीचे नहीं गिरा या उन तारीखों या समय की अवधि का वर्णन करेगा जिसके दौरान सेवा का स्तर 'लेवल ऑफ सर्विस-C' (इष्टतम मानक) से नीचे गिरा; तथा
 - (ii) रिपोर्टिंग तिमाही के दौरान हवाई अड्डे पर प्रत्याशित IATA सेवा स्तर का अपना विश्लेषण (सभी सहायक डेटा के साथ) प्रस्तुत करेगा, जिसमें कोई भी समय अवधि शामिल है जब IATA सेवा का स्तर 'लेवल ऑफ सर्विस-C' से नीचे गिरने का अनुमान है; एवं

- (घ) प्राधिकरण को तुरंत लिखित रूप में सूचित करेगा यदि वह यह निर्धारित करता है कि हवाई अड्डे पर IATA सेवा का स्तर किसी भी समय **IATA लेवल ऑफ सर्विस-C** (इष्टतम मानक) से नीचे गिरने का अनुमान है या गिर गया है, और ऐसी कमी की शमन योजना (mitigation plan) के साथ प्राधिकरण को डेटा प्रदान करेगा।

20.4 असामान्य घटना की रिपोर्ट

रियायतग्राही, प्रत्येक दिन की समाप्ति से पहले, फैक्स और ई-मेल द्वारा प्राधिकरण और निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी को एक रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें उपयोगकर्ताओं और हवाई अड्डे की सुरक्षा से संबंधित दुर्घटनाओं और असामान्य घटनाओं का विवरण होगा। ऐसी रिपोर्टों का एक त्रैमासिक सारांश भी प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के 3 (तीन) दिनों के भीतर भेजा जाएगा। इस खंड 20.4 के उद्देश्यों के लिए, हवाई अड्डे पर दुर्घटनाओं और असामान्य घटनाओं में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोट;
- (ख) क्षतिग्रस्त या उखड़े हुए अचल उपकरण (fixed equipment);
- (ग) हवाई अड्डे पर कोई भी क्षति या रुकावट, जिसके परिणामस्वरूप उपयोगकर्ताओं को प्रदान की जा रही सेवाओं में मंदी आती है;
- (घ) रनवे (धावन-पट्टी), एप्रन या टैक्सीवे पर कोई क्षति या रुकावट;
- (ङ) हवाई अड्डे पर हवाई यातायात की भीड़ जिसके कारण निर्धारित विमान परिचालनों में अत्यधिक देरी होती है या टर्मिनल भवन में भीड़ होती है;
- (च) एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम (Airfield Lighting System) में कोई विफलता या खराबी;
- (छ) आरक्षित सेवाओं के प्रावधान में कोई रुकावट या अनुचित भीड़;
- (ज) हवाई अड्डे पर बिजली आपूर्ति या जलापूर्ति का ठप होना या ठप हो जाना;
- (झ) टर्मिनल भवन में वातानुकूलन (air-conditioning) सुविधाओं का बंद होना या खराब होना;
- (ञ) हवाई अड्डे पर किसी भी क्लोज-सर्किट टेलीविजन (CCTV) प्रणाली का निष्क्रिय होना;
- (ट) हवाई अड्डे के संचालन को प्रभावित करने वाली संचार विफलता;
- (ठ) परिचालन क्षेत्र, रनवे और टैक्सीवे के आसपास पक्षी टकराने (bird hits), पक्षी टकराने के निकट मामलों या जानवरों के उपद्रव की कोई घटना;
- (ड) हवाई अड्डे पर चोरी या डकैती की कोई घटना;
- (ढ) हवाई अड्डे पर सुरक्षा उल्लंघन की कोई घटना;
- (ण) धुआं या आग, हवाई अड्डे पर बाढ़ की स्थिति;

(त) परियोजना सुविधाओं (Project Facilities) में से किसी को काफी नुकसान या विनाश; तथा
(थ) ऐसी अन्य प्रासंगिक जानकारी जो प्राधिकरण द्वारा यथोचित रूप से अपेक्षित हो।

20.5 निरीक्षण

प्राधिकरण या उसकी निर्दिष्ट एजेंसी, यदि आवश्यक हो, रियायतग्राही को पूर्व सूचना देकर वर्ष में कम से कम एक बार हवाई अड्डे का निरीक्षण कर सकती है। वह ऐसी निरीक्षण रिपोर्ट ("**ओएंडएम निरीक्षण रिपोर्ट**" / **O&M Inspection Report**) तैयार करेगी जिसमें इस समझौते की आवश्यकताओं, लागू विधियों, लागू परमिटों, प्रासंगिक आईसीएओ (ICAO) और आईएटीए (IATA) मानकों, आईआरए (AERA) द्वारा निर्धारित सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं और उत्तम उद्योग पद्धतियों (Good Industry Practices) के अनुपालन का यथोचित विवरण दिया जाएगा और उसकी एक प्रति ऐसे निरीक्षण के 7 (सात) दिनों के भीतर रियायतग्राही को भेजी जाएगी।

20.6 उपचारात्मक उपाय

20.6.1 रियायतग्राही O&M निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर त्रुटियों या कमियों को ठीक करेगा या मरम्मत करेगा और प्राधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। बशर्ते कि जहाँ ऐसी त्रुटियों या कमियों को ठीक करने में 15 (पंद्रह) दिनों से अधिक समय लगने की संभावना हो, वहाँ रियायतग्राही मरम्मत कार्यों की प्रगति रिपोर्ट हर सप्ताह में एक बार जमा करेगा जब तक कि कार्य इस समझौते के अनुरूप पूरा न हो जाए।

20.6.2 प्राधिकरण रियायतग्राही से अपने स्वयं के खर्चे पर यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण कराने की मांग करेगा कि उपचारात्मक उपायों से हवाई अड्डा इस समझौते के अनुपालन में आ गया है या नहीं।

20.7 प्रबंधन तक पहुँच

प्राधिकरण रियायतग्राही को उचित सूचना देकर समय-समय पर हवाई अड्डे के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारियों और अन्य प्रासंगिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों तक यथोचित पहुँच प्राप्त करने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 21

यातायात विनियमन और जनगणना

21.1 रियायतग्राही द्वारा यातायात विनियमन

21.1.1 रियायतग्राही लागू विधियों के अनुसार और इस संबंध में सशक्त निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसियों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन हवाई अड्डे के भीतर और हवाई अड्डे की ओर आने वाली सड़कों पर वाहनों के आवागमन (vehicular traffic) को विनियमित करेगा।

21.1.2 रियायतग्राही उत्तम उद्योग पद्धति के आधार पर एक प्रणाली विकसित और प्रसारित करेगा, ताकि हवाई अड्डे के उपयोग में किसी भी उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ताओं की श्रेणी के साथ भेदभाव न किया जाए या अनुचित पक्षपात न किया जाए।

21.1.3 रियायतग्राही को सभी व्यक्तियों को गैर-भेदभावपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हुए कॉमन कैरियर आधार पर हवाई अड्डे का प्रबंधन, संचालन और विनियमन करने का अधिकार और दायित्व है।

21.2 जनगणना

रियायतग्राही हवाई अड्डे के माध्यम से एयरसाइड (airside) और लैंडसाइड (landside) यात्रियों तथा कार्गो यातायात से संबंधित डेटा एकत्र करेगा। ऐसे डेटा का एक मासिक विवरण रियायतग्राही द्वारा तुरंत प्राधिकरण को स्वीकार्य प्रारूप में तैयार और प्रस्तुत किया जाएगा। प्रत्येक मासिक यातायात विवरण में दैनिक आधार पर पीक आवर यात्रियों की संख्या, विमान की आवाजाही और कार्गो टन भार शामिल होगा।

अनुच्छेद 22

मुख्य प्रदर्शन संकेतक

22.1 मुख्य प्रदर्शन संकेतक

22.1.1 इस समझौते में निर्दिष्ट दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही हवाई अड्डे का संचालन इस तरह करेगा कि वह इस अनुच्छेद 22 और अनुसूची 1 में निर्धारित प्रदर्शन संकेतकों ("मुख्य प्रदर्शन संकेतक") को प्राप्त करे या उससे अधिक प्रदर्शन करे।

22.1.2 रियायतग्राही इसके अनुसूची 1 के तहत पहचाने गए मापदंडों पर सेवा की गुणवत्ता की निगरानी और माप करेगा। रियायतग्राही मापन तंत्र और मापन आवृत्ति/आवधिकता पर विवरण प्रदान करने वाली एक प्रदर्शन मापन योजना प्रस्तुत करेगा। प्रदर्शन मापन योजना लागू विधियों के तहत प्रदान किए गए मार्गदर्शन के अनुसार तैयार की जाएगी।

22.2 वैमानिक परिसंपत्तियों का संचालन

22.2.1 रियायतग्राही वैमानिक परिसंपत्तियों का संचालन इस प्रकार करेगा कि वह इस खंड 22.2 और अनुसूची 1 में निर्दिष्ट मुख्य प्रदर्शन संकेतकों के अनुरूप हो।

22.2.2 संचालन अवधि के दौरान हर समय, रियायतग्राही प्रासंगिक ICAO मानकों, DGCA के दिशा-निर्देशों, लागू विधियों, लागू परमिटों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम का रखरखाव करेगा।

22.3 टर्मिनल भवन का संचालन

22.3.1 रियायतग्राही टर्मिनल भवन का संचालन और रखरखाव इस प्रकार करेगा कि वह इस खंड 22.3 में निर्दिष्ट मुख्य प्रदर्शन संकेतकों के अनुरूप हो।

22.3.2 संचालन अवधि के दौरान हर समय, रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि:

(क) टर्मिनल भवन और उसके शौचालय साफ, स्वच्छ और गंधमुक्त हों;

(ख) अनुसूची घ के अनुसार विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप टर्मिनल भवन के भीतर पर्याप्त प्रकाश (lighting) हो;

(ग) टर्मिनल भवन के भीतर सामान्य क्षेत्रों में तापमान बाहरी तापमान के संबंध में उत्तम उद्योग पद्धतियों के अनुसार आरामदायक स्तर पर बनाए रखा जाए;

(घ) सभी प्रवेश और निकास बिंदु, मार्ग, परिसंचरण क्षेत्र और वाहन यातायात को इस तरह से प्रबंधित किया जाए कि 95% समय 5 (पांच) मिनट से अधिक प्रतीक्षा समय वाली कतार न हो; तथा

(ङ) सभी लिफ्ट, एस्केलेटर, वॉकलेटर, उड़ान सूचना प्रणाली (Flight Information Systems), पब्लिक एट्रेस सिस्टम और लाइटिंग सिस्टम कुशलतापूर्वक काम करें और उनकी उपलब्धता 98% (अठानवे प्रतिशत) से कम न हो।

22.4 पार्किंग का संचालन

- 22.4.1** रियायतग्राही पार्किंग का संचालन और प्रबंधन इस प्रकार करेगा कि यह इस अनुसूची 1 ("मुख्य प्रदर्शन संकेतक") में निर्दिष्ट मुख्य प्रदर्शन संकेतकों के अनुरूप हो।
- 22.4.2** रियायतग्राही संचालन अवधि के दौरान हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि स्थान और उपकरणों का प्रावधान और उनका उपयोग ऐसा हो कि वाहनों की हैंडलिंग उत्तम उद्योग पद्धति के अनुरूप सुरक्षित और कुशल हो।
- 22.4.3** रियायतग्राही पार्किंग को साफ और पर्याप्त रोशनी से युक्त रखेगा।
- 22.4.4** रियायतग्राही पार्किंग में सुविधाजनक स्थानों पर पर्याप्त संख्या में शौचालय प्रदान करेगा और उन्हें स्वच्छ और स्वच्छ स्थिति में रखेगा।

22.5 कार्गो सुविधाओं का संचालन

- 22.5.1** रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि कार्गो सुविधाओं को साफ और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के साथ रखा जाए।
- 22.5.2** रियायतग्राही उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (EDI) सुविधा प्रदान करेगा और उसका संचालन करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि कार्गो सुविधाओं के उपयोगकर्ताओं को उत्तम उद्योग पद्धतियों के तुलनीय कुशल और किफायती सेवाएं प्राप्त हों।
- 22.5.3** रियायतग्राही कार्गो सुविधाओं में पर्याप्त संख्या में शौचालय प्रदान करेगा और उन्हें स्वच्छ और स्वच्छ स्थिति में रखेगा।

22.6 आईएसओ प्रमाणन

- 22.6.1** रियायतग्राही, चरण I सीओडी से 24 (चौबीस) महीनों के भीतर, रियायत अवधि के दौरान हवाई अड्डे की उन सभी सुविधाओं के लिए जो रियायतग्राही द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित हैं, **QMS ISO 9001:2008**, **EMS ISO 14001:2004** और **OHSAS ISO 18001:2007** प्रमाणन और अन्य लागू प्रमाणन प्राप्त करेगा और बनाए रखेगा तथा उसकी एक प्रमाणित प्रति तुरंत प्राधिकरण को प्रदान करेगा।
- 22.6.2** प्रमाणन प्राप्त करने में चूक (default) होने की स्थिति में, रियायतग्राही 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण को एक कार्य योजना जमा करेगा जिसमें अपनी कमियों को दूर करने और हवाई अड्डे की सभी सुविधाओं के लिए ऐसा प्रमाणन प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित कार्यों की रूपरेखा दी जाएगी।
- 22.6.3** यदि आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने में चूक की अवधि लगातार 3 (तीन) महीने की अवधि से अधिक हो जाती है, तो रियायतग्राही 3 महीने की उक्त अवधि से अधिक चूक के प्रत्येक 1 (एक) महीने के लिए शुल्क (Fee) से कुल मासिक राजस्व के 0.1% (शून्य दशमलव एक प्रतिशत) के बराबर राशि का नुकसान/हर्जाना (Damages) प्राधिकरण को भुगतेंगा।

22.7 लक्ष्य रेटिंग और उपयोगकर्ता सर्वेक्षण

22.7.1 रियायतग्राही एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल या उसके किसी विकल्प द्वारा प्रत्येक तिमाही में आयोजित **एएसक्यू के उपयोगकर्ता सर्वेक्षण** में भाग लेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि हवाई अड्डा कम से कम **4.5 (चार दशमलव पांच) / 5.0 (पांच)** की रेटिंग प्राप्त करे और बनाए रखे और/या चरण I सीओडी से 5 (पांच) वर्षों के भीतर दुनिया में अपनी श्रेणी के सभी हवाई अड्डों के शीर्ष 20 (बीस) प्रतिशत (top 20 percentile) के भीतर दिखाई दे और शेष रियायत अवधि के दौरान इसे बनाए रखे।

22.7.2 रियायतग्राही, प्रत्येक कैलेंडर तिमाही के अंत के 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर, प्राधिकरण को ASQ के उपयोगकर्ता सर्वेक्षण के परिणामों पर एक लिखित रिपोर्ट प्रदान करेगा।

22.7.2 तत्काल पूर्ववर्ती तिमाही का विवरण, परिणामों के उसके विश्लेषण और उपयोगकर्ता संतुष्टि में सुधार के लिए यदि कोई कार्रवाई प्रस्तावित है, तो उसके साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

22.7.3 खंड 22.7.1 में निर्दिष्ट उपयोगकर्ता सर्वेक्षण के अतिरिक्त, प्राधिकरण, अपने स्वयं के लागत और व्यय पर, रियायतग्राही (Concessionaire) द्वारा इस **अनुच्छेद 22** के प्रावधानों के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक कैलेंडर तिमाही में एक बार उपयोगकर्ता संतुष्टि का एक नमूना सर्वेक्षण ("उपयोगकर्ता सर्वेक्षण") आयोजित करने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी को नियुक्त कर सकता है। उपयोगकर्ता सर्वेक्षण की प्रकृति और सामग्री प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के परामर्श से निर्धारित की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिणाम निष्पक्ष हो और उपयोगकर्ताओं के एक प्रतिनिधि वर्ग (cross-section) का प्रतिनिधित्व करता हो। यह सहमति व्यक्त की जाती है कि उपयोगकर्ता सर्वेक्षण को तैयार करने में, प्राधिकरण उत्तम उद्योग प्रथाओं (Good Industry Practice) पर भरोसा करेगा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर वर्तमान में आयोजित किए जा रहे एसक्यू (ASQ) सर्वेक्षणों जैसे समय-समय पर किए जाने वाले समान सर्वेक्षणों के अनुरूप होगा।

22.7.4 यदि उपयोगकर्ता सर्वेक्षण से यह प्रकट होता है कि सर्वेक्षण किए गए 20% (बीस प्रतिशत) से अधिक उपयोगकर्ता रियायतग्राही के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं और सेवाओं को खराब या सामान्य (poor or fair) श्रेणी में रखते हैं, तो प्राधिकरण उचित कार्रवाई करने के लिए उपयोगकर्ता सर्वेक्षण के निष्कर्षों की रिपोर्ट रियायतग्राही को दे सकता है। इस मामले में ऐसे सर्वेक्षण की लागत का पुनर्भुगतान (reimbursement) रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को किया जाएगा।

22.8 त्रैमासिक स्थिति रिपोर्ट

संचालन अवधि (Operation Period) के दौरान, रियायतग्राही, प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर, इस **अनुच्छेद 22** और **अनुसूची 1** में निर्दिष्ट सभी मुख्य प्रदर्शन संकेतकों (Key Performance Indicators) के अनुपालन का विवरण देने वाली एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें विफलता के कारणों (यदि कोई हो) का विश्लेषण और उन्हें संबोधित करने एवं हवाई अड्डे के परिचालन प्रदर्शन में सुधार करने की रणनीतियाँ शामिल होंगी। त्रैमासिक रिपोर्ट में खंड 22.9 के अनुसार परिकलित हर्जना (Damages) का परिमाणीकरण (quantification) शामिल होगा।

22.9 प्रदर्शन में कमी के लिए हर्जना

रियायतग्राही इस **अनुच्छेद 22** में निर्दिष्ट मुख्य प्रदर्शन संकेतकों में से प्रत्येक के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा और प्राप्त करेगा, तथा किसी तिमाही के दौरान औसत प्रदर्शन में किसी भी कमी के लिए, वह हर्जना भुगतने कादायी होगा। ऐसा कोई भी हर्जना ऐरा (विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण) के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा और निर्दिष्ट अवधि के लिए वैमानिक शुल्कों (Aeronautical Charges) के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

22.10 उपयोगकर्ता चार्टर

रियायतग्राही उपयोगकर्ताओं के अधिकारों और अपेक्षाओं को स्पष्ट करते हुए एक चार्टर ("उपयोगकर्ता चार्टर") प्रकाशित और कार्यान्वित करेगा, जो मुख्य रूप से **अनुसूची ठ** में निर्दिष्ट प्रपत्र में होगा। रियायतग्राही उपयोगकर्ता चार्टर के प्रावधानों और लागू कानूनों (Applicable Laws) के अनुसार हर समय उपयोगकर्ताओं के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी होगा।

अनुच्छेद 23

स्वतंत्र इंजीनियर

23.1 स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति

23.1.1 प्राधिकरण और रियायतग्राही, इस समझौते के तहत स्वतंत्र सलाहकार ("स्वतंत्र इंजीनियर") बनने के लिए **अनुसूची ड** में निर्धारित चयन मानदंडों के मुख्य रूप से अनुसार एक परामर्श इंजीनियरिंग फर्म की नियुक्ति करेंगे। स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति **अनुसूची ड** के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

23.1.2 स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति इस समझौते के निष्पादन की तिथि के 30 (तीस) दिनों के भीतर की जाएगी, और ऐसी नियुक्ति चरण I सीओडी (Phase I सीओडी - वाणिज्यिक संचालन तिथि) तक मान्य होगी। उक्त नियुक्ति की समाप्ति या निरसन (termination) पर या उससे पहले, प्राधिकरण **अनुसूची ड** के प्रावधानों के अनुसार 3 (तीन) वर्षों की आगे की अवधि के लिए एक स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति करेगा, और प्रत्येक नियुक्ति की समाप्ति के बाद यह प्रक्रिया दोहराई जाएगी।

23.2 कर्तव्य और कार्य

23.2.1 स्वतंत्र इंजीनियर मुख्य रूप से **अनुसूची ढ** में निर्धारित संदर्भ शर्तों (terms of reference) के अनुसार अपने कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करेगा।

23.2.2 स्वतंत्र इंजीनियर **अनुसूची ढ** में निर्धारित अपने कर्तव्यों और कार्यों के संबंध में प्राधिकरण को नियमित आवधिक रिपोर्ट (कम से कम महीने में एक बार) प्रस्तुत करेगा।

23.2.3 प्राधिकरण द्वारा स्वतंत्र इंजीनियर को तथा स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा प्राधिकरण को भेजे गए सभी पत्राचारों (communications) की एक सत्य प्रतिलिपि स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा तुरंत रियायतग्राही को भेजी जाएगी।

23.2.4 स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा रियायतग्राही को भेजे जाने के लिए आवश्यक सभी पत्राचार प्राधिकरण के माध्यम से किए जाएंगे।

23.3 पारिश्रमिक

23.3.1 स्वतंत्र इंजीनियर के पारिश्रमिक, लागत और व्यय का भुगतान प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा, और ऐसे सभी पारिश्रमिक, लागत और व्यय का पुनर्भुगतान प्राधिकरण से व्यय का विवरण प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को किया जाएगा।

23.3.2 स्वतंत्र इंजीनियर को भुगतान की गई कोई भी राशि ऐरा द्वारा वैमानिक शुल्कों के निर्धारण के लिए पास-थ्रू होगी।

23.4 नियुक्ति की समाप्ति

23.4.1 प्राधिकरण, अपने विवेक से, किसी भी समय स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति को समाप्त कर सकता है, लेकिन केवल खंड 23.1 के अनुसार किसी अन्य स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति के बाद ही।

23.4.2 यदि रियायतग्राही के पास यह विश्वास करने का कारण है कि स्वतंत्र इंजीनियर निष्पक्ष, कुशल और मेहनती तरीके से अपने कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो वह प्राधिकरण को एक लिखित अभ्यावेदन (written representation) दे सकता है और स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति की समाप्ति की मांग कर सकता है। ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, प्राधिकरण विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए रियायतग्राही और स्वतंत्र इंजीनियर के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करेगा और प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच कोई भी अंतर या असहमति अनसुलझी रहती है, तो विवाद का निपटारा विवाद निवारण प्रक्रिया (Dispute Resolution Procedure) के अनुसार किया जाएगा। यदि इसके तहत स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति समाप्त कर दी जाती है, तो प्राधिकरण खंड 23.1 के अनुसार तुरंत एक अन्य स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति करेगा।

23.5 विवाद निवारण

यदि कोई भी पक्ष स्वतंत्र इंजीनियर की किसी सलाह, निर्देश, निर्णय या दिशा-निर्देश, या जैसा भी मामला हो, क्षेत्राधिकार के दावे या दावा करने में विफलता का विवाद करता है, तो विवाद को विवाद निवारण प्रक्रिया के अनुसार हल किया जाएगा।

23.6 अंतरिम व्यवस्था

यदि प्राधिकरण ने स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति नहीं की है, या इस प्रकार नियुक्त स्वतंत्र इंजीनियर ने अपने कार्यों को छोड़ दिया है या उनके निर्वहन में व्यतिक्रम (default) किया है, तो प्राधिकरण, अंतरिम रूप से, इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र इंजीनियर के कार्यों का निर्वहन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नामित और अधिकृत कर सकता है, इसके अलावा कि ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र इंजीनियर के लिए और उसके संबंध में इस समझौते में यथा निर्दिष्ट अनुमोदन से संबंधित किसी भी कार्य का प्रयोग नहीं करेगा, और ऐसे कार्यों का निर्वहन तब किया जाएगा जब इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार एक स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति की जाती है। बशर्ते, हालांकि, इस खंड 23.6 में निहित कुछ भी प्राधिकरण के इस समझौते के प्रावधानों के अनुपालन को लागू करने के अधिकारों को किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं करेगा।

भाग IV
वित्तीय प्रसंविदाएं

अनुच्छेद 24

वित्तीय समापन

24.1 वित्तीय समापन

24.1.1 रियायतग्राही इसके द्वारा सहमति व्यक्त करता है और वचन देता है कि वह इस समझौते की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर वित्तीय समापन (Financial Close) प्राप्त कर लेगा और देरी के मामले में, वह कम से कम 15 (पंद्रह) दिन पहले ऐसा विस्तार मांगने के कारणों का वर्णन करते हुए एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करने और प्राधिकरण को देरी के प्रत्येक दिन के लिए कार्यप्रदर्शन प्रतिभूति (Performance Security) के 0.05% (शून्य दशमलव शून्य पांच प्रतिशत) की दर से परिकलित हर्जना के भुगतान के अधीन, 60 (साठ) दिनों से अधिक न होने वाली अतिरिक्त अवधि का हकदार होगा; बशर्ते कि यहां निर्दिष्ट हर्जना अग्रिम रूप से प्रत्येक सप्ताह देय होगा और उक्त 180 (एक सौ अस्सी) दिनों से परे की अवधि केवल इस प्रकार भुगतान किए गए हर्जना की सीमा तक ही दी जाएगी; इसके अलावा बशर्ते कि यदि वित्तीय समापन में ऐसी देरी खंड 4.1.2 में निर्दिष्ट पूर्ववर्ती शर्तों (Conditions Precedent) की संतुष्टि प्राप्त करने में प्राधिकरण द्वारा किसी व्यतिक्रम या देरी के परिणामस्वरूप या अपरिहार्य घटना (Force Majeure) के कारण हुई है, तो कोई हर्जना देय नहीं होगा। इसके तहत रियायतग्राही द्वारा देय हर्जना, खंड 4.2 के प्रावधानों के तहत देय और बकाया हर्जना (यदि कोई हो) के अतिरिक्त होगा।

24.1.2 वित्तीय समापन होने पर, रियायतग्राही तुरंत प्राधिकरण को सूचित करेगा, और वित्तीय समापन से कम से कम 2 (दो) दिन पहले, प्राधिकरण को रियायतग्राही के एक निदेशक द्वारा विधिवत सत्यापित वित्तीय पैकेज (Financial Package) और वित्तीय मॉडल (Financial Model) की 3 (तीन) सत्य प्रतियां, एमएस एक्सेल संस्करण या इसके किसी विकल्प में वित्तीय मॉडल की 3 (तीन) सॉफ्ट प्रतियों के साथ प्रदान करेगा, जो वरिष्ठ ऋणदाताओं (Senior Lenders) के लिए स्वीकार्य हो।

24.2 वित्तीय समापन प्राप्त करने में विफलता के कारण निरसन

24.2.1 इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, लेकिन खंड 31.6.1 के अधीन, यदि वित्तीय समापन, किसी भी कारण से, खंड 24.1.1 में निर्धारित अवधि या इसके तहत प्रदान की गई विस्तारित अवधि के भीतर नहीं होता है या जब तक कि पक्षों के बीच अन्यथा सहमति न हो, इस समझौते के तहत या इससे उत्पन्न होने वाले रियायतग्राही के सभी अधिकार, विशेषाधिकार, दावे और हकदारियाँ रियायतग्राही की सहमति से त्यागी गई और समाप्त मान ली जाएंगी तथा यह समझौता पक्षों की आपसी सहमति से समाप्त मान लिया जाएगा। बशर्ते, हालांकि, यदि पक्षों ने, आपसी सहमति से, नियुक्त तिथि (Appointed Date) को वित्तीय समापन से पहले निर्धारित किया है, तो इस खंड 24.2.1 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

24.2.2 खंड 24.2.1 के तहत निरसन पर, प्राधिकरण बोली प्रतिभूति (Bid Security) या कार्यप्रदर्शन प्रतिभूति (Performance Security), जो भी उपलब्ध हो, को भुनाने और उसकी आय को हर्जना के रूप में विनियोजित (appropriate) करने का हकदार होगा; बशर्ते, हालांकि, यदि अपरिहार्य घटना (Force Majeure) के कारण या खंड 4.2 के तहत प्राधिकरण के अपने दायित्वों के किसी व्यतिक्रम में होने के परिणामस्वरूप वित्तीय समापन नहीं हुआ है, तो निरसन पर, प्राधिकरण तुरंत बोली प्रतिभूति या कार्यप्रदर्शन प्रतिभूति, जैसा भी मामला हो, को खंड 4.2 के तहत देय हर्जना के साथ जारी कर देगा। यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि यदि बोली प्रतिभूति को कार्यप्रदर्शन प्रतिभूति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, तो प्राधिकरण उसमें से बोली प्रतिभूति के बराबर राशि भुनाने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 25

वित्तीय पैरामीटर

25.1 प्रीमियम

रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमति व्यक्त करता है कि बोली (Bid) में निर्धारित अनुसार, वह इस समझौते के निष्पादन की तिथि से रियायत अवधि की समाप्ति तक, प्रत्येक वर्ष के लिए प्राधिकरण को एक प्रीमियम का भुगतान खंड 26.2 में निर्धारित प्रपत्र और तरीके से करेगा।

25.2 पूर्व-परिचालन व्यय

25.2.1 रियायतग्राही इस समझौते के निष्पादन तक परियोजना पर प्राधिकरण द्वारा किए गए पूर्व-परिचालन व्यय के लिए ₹110,00,00,000/- (रुपये एक सौ दस करोड़) का भुगतान करेगा।

25.2.2 पूर्व-परिचालन व्यय का भुगतान रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को चरण I सीओडी (Phase I COD) के 30 (तीस) दिनों के भीतर एकमुश्त राशि (one-time lump-sum amount) के रूप में किया जाएगा।

25.2.3 इस खंड 25.2 के अनुसार रियायतग्राही द्वारा भुगतान किए गए पूर्व-परिचालन व्यय को परियोजना परिसंपत्तियों (Project Assets) पर पूंजीकृत (capitalised) किया जाएगा, जो वैमानिक शुल्कों के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए विनियमित परिसंपत्ति आधार (regulated asset base) का हिस्सा बनेगी।

अनुच्छेद 26
रियायत शुल्क

26.1 रियायत शुल्क

26.1.1 रियायत के अनुदान के एवज में, रियायतग्राही प्राधिकरण को रियायत शुल्क ("रियायत शुल्क") के रूप में वार्षिक आधार पर प्राधिकरण को निम्नलिखित राशियों का भुगतान करेगा:

रियायत अवधि (Concession Period)	रियायत शुल्क (रुपये करोड़ में)	रियायत अवधि (Concession Period)	रियायत शुल्क (रुपये करोड़ में)
वर्ष 1	5	वर्ष 21	130
वर्ष 2	5	वर्ष 22	135
वर्ष 3	5	वर्ष 23	140
वर्ष 4	5	वर्ष 24	750
वर्ष 5	5	वर्ष 25	790
वर्ष 6	5	वर्ष 26	825
वर्ष 7	5	वर्ष 27	870
वर्ष 8	5	वर्ष 28	910
वर्ष 9	5	वर्ष 29	955
वर्ष 10	10	वर्ष 30	1005
वर्ष 11	10	वर्ष 31	1250
वर्ष 12	10	वर्ष 32	1315

रियायत अवधि (Concession Period)	रियायत शुल्क (रुपये करोड़ में)	रियायत अवधि (Concession Period)	रियायत शुल्क (रुपये करोड़ में)
वर्ष 13	10	वर्ष 33	1380
वर्ष 14	10	वर्ष 34	1445
वर्ष 15	10	वर्ष 35	1520
वर्ष 16	100	वर्ष 36	1595
वर्ष 17	105	वर्ष 37	1675
वर्ष 18	110	वर्ष 38	1760
वर्ष 19	115	वर्ष 39	1845
वर्ष 20	120	वर्ष 40	1940

26.1.2 20 (बीस) वर्षों की आगामी अवधि के लिए रियायत शुल्क ऊपर खंड 3.1.1 के अनुसार जारी किए जाने वाले बोली दस्तावेजों में निर्धारित किए जाने वाले नियमों और शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। बशर्ते कि, 20 (बीस) वर्षों की उक्त अवधि के लिए देय ऐसा कोई भी रियायत शुल्क 31 मार्च 2016 के वर्तमान मूल्य पर ₹29,61,00,00,000/- (रुपये दो हजार नौ सौ एकसठ करोड़) से कम नहीं होगा।

26.1.3 रियायत शुल्क रियायत अवधि के दौरान प्रत्येक रियायत वर्ष के प्रारंभ के 7 (सात) दिनों के भीतर अग्रिम रूप से देय होगा।

26.1.4 वैमानिक शुल्कों के निर्धारण के उद्देश्य से रियायत शुल्क को परिचालन व्यय के एक हिस्से के रूप में माना जाएगा।

26.2 प्रीमियम

26.2.1 खंड 26.1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लेकिन खंड 26.2.2 के अधीन, रियायतग्राही इस समझौते के निष्पादन की तिथि से शुरू होने वाले प्रत्येक वर्ष के लिए प्राधिकरण को उस वर्ष के दौरान सकल राजस्व (Gross Revenue) के 12.60% (बारह दशमलव छह शून्य

प्रतिशत) के बराबर प्रीमियम ("प्रीमियम") का भुगतान इस खंड 26.2 में दिए गए प्रपत्र और तरीके से करने के लिए सहमत होता है।

26.2.2 इस खंड 26.2 के तहत देय प्रीमियम रियायत शुल्क के अतिरिक्त होगा।

26.2.3 प्रीमियम वार्षिक किश्तों में देय और बकाया होगा। प्रत्येक लेखा वर्ष (Accounting Year) के समाप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, रियायतग्राही तत्काल पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के लिए उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर परिकलित एक अनंतिम (provisional) राशि का भुगतान प्रीमियम के मद में प्राधिकरण को करेगा, और रियायतग्राही के लेखापरीक्षित खातों के आधार पर उसका अंतिम निपटान संबंधित लेखा वर्ष के पूरा होने के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि रियायत अवधि के अंत के समय प्रीमियम की अंतिम किश्त का भुगतान, जो उद्भूत (accrue) तो होगा लेकिन देय और बकाया नहीं हुआ होगा, तुरंत देय और बकाया हो जाएगा और रियायत अवधि के अंत के 30 (तीस) दिनों के भीतर रियायतग्राही द्वारा भुगतान किया जाएगा।

26.2.4 इस समझौते के नियमों और शर्तों के तहत और उनके अनुसरण में रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को भुगतान किया गया/देय प्रीमियम वैमानिक सेवाओं के प्रावधान के लिए लागत के एक हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा और इसके संबंध में कोई पास-थ्रू उपलब्ध नहीं होगा।

26.3 सकल राजस्व का सत्यापन

26.3.1 प्राधिकरण, खुद को यह संतुष्ट करने के लिए कि रियायतग्राही ईमानदारी से अपने सकल राजस्व की रिपोर्ट कर रहा है, हवाई अड्डे और रियायतग्राही के कार्यालयों में अपने प्रतिनिधियों को प्रतिनियुक्त कर सकता है, और रियायतग्राही के वास्तविक राजस्व का पता लगाने के लिए ऐसे अन्य उपाय और कार्रवाइयां कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे। प्राधिकरण रियायतग्राही द्वारा अर्जित राजस्व के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त और आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी डेटा, सूचना, लॉग, शीट, दस्तावेज या विवरण की मांग कर सकता है।

26.3.2 रियायतग्राही अपने वैधानिक लेखा परीक्षकों (Statutory Auditors) या प्राधिकरण को स्वीकार्य किसी अन्य प्रतिष्ठित लेखा परीक्षा फर्म से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा, जो इस समझौते की शर्तों के अनुसार सकल राजस्व की गणना को प्रमाणित करता हो।

अनुच्छेद 27

शुल्क

27.1 रियायतग्राही द्वारा शुल्क का संग्रहण

27.1.1 चरण I सीओडी (Phase I COD) से और हस्तांतरण तिथि (Transfer Date) तक, रियायतग्राही के पास ऐरा अधिनियम (AERA Act), वर्तमान ऐरा दिशानिर्देशों और **अनुसूची U** (समझौता ज्ञापन) में निर्धारित शर्तों सहित इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार, एयरलाइंस और यात्रियों सहित वैमानिक सेवाओं और गैर-वैमानिक सेवाओं के प्रावधान के लिए उपयोगकर्ताओं से शुल्क की मांग करने, संग्रह करने और विनियोजित (appropriate) करने का एकमात्र और अनन्य अधिकार है; बशर्ते कि रियायतग्राही लागू कानूनों और लागू परमिटों के अनुसार उपयोगकर्ताओं या उपयोगकर्ताओं की किसी भी श्रेणी के साथ सहमति के अनुसार कम दरों पर शुल्क निर्धारित और एकत्र कर सकता है। किसी भी या सभी वैमानिक सेवाओं के उपयोग के लिए वैमानिक शुल्क लागू कानूनों, लागू परमिटों और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार ऐरा (AERA) द्वारा निर्धारित और संशोधित दरों के अनुसार होंगे।

27.1.2 रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमति व्यक्त करता है कि शुल्क के भुगतान पर, कोई भी उपयोगकर्ता हवाई अड्डे पर संबंधित निर्दिष्ट सुविधा का उपयोग करने का हकदार होगा, और रियायतग्राही किसी भी लागू कानून, लागू परमिट या इस समझौते के प्रावधानों में निर्दिष्ट सीमा को छोड़कर, ऐसे उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा, या नहीं लगवाएगा।

27.1.3 रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमति व्यक्त करता है कि कोई भी उपयोगकर्ता, जो शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है, किसी भी लागू कानून, लागू परमिट या इस समझौते के प्रावधानों में निर्दिष्ट सीमा को छोड़कर बिना किसी प्रतिबंध के हवाई अड्डे का उपयोग करने का हकदार होगा। इसके अतिरिक्त, रियायतग्राही लागू कानूनों, लागू परमिटों और इस समझौते के प्रावधानों के अधीन, हवाई अड्डे में मुफ्त प्रवेश के लिए अपने स्वयं के कर्मचारियों और ठेकेदारों, उप-ठेकेदारों, एजेंटों और अन्य व्यक्तियों के कर्मचारियों को पास जारी कर सकता है।

27.1.4 पक्ष सहमत हैं कि लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण या एक नामित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा हवाई अड्डा सुरक्षा सेवाओं के प्रावधान के शुल्क यात्रियों से रियायतग्राही द्वारा वसूल किए जाएंगे और नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार प्राधिकरण या नामित भारत सरकार की एजेंसी को भुगतान किए जाएंगे।

27.2 आरक्षित शुल्कों का संग्रहण

27.2.1 नामित भारत सरकार की एजेंसी लागू कानूनों के अनुसार एयरलाइंस से प्रदान की गई सुविधाओं और सेवाओं के लिए शुल्क लगाने, एकत्र करने और विनियोजित करने की हकदार होगी। किसी भी एयरलाइन द्वारा ऐसे शुल्कों का भुगतान न करने की स्थिति में, नामित भारत

सरकार की एजेंसी एयरलाइन को ऐसी सेवा के प्रावधान को निलंबित करने और ऐसी एयरलाइन से शुल्कों की वसूली के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले कदम उठाने की हकदार होगी।

27.2.2 रियायतग्राही इसके द्वारा स्वीकार करता है और सहमति व्यक्त करता है कि वह खंड 27.2.1 के प्रावधानों के अनुपालन को लागू करने के लिए नामित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा, जिसमें किसी भी अनुसूचित या गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन परिचालक (air transport operator) को ऐसी सेवा के प्रावधान के निलंबन के संबंध में भी शामिल है।

27.3 वैमानिक शुल्कों के निर्धारण और संशोधन के सिद्धांत

27.3.1 इसके पक्ष स्वीकार करते हैं और सहमति व्यक्त करते हैं कि रियायतग्राही द्वारा किसी उपयोगकर्ता से लगाए जाने वाले, एकत्र किए जाने वाले और विनियोजित किए जाने वाले सभी वैमानिक शुल्क ऐरा द्वारा ऐरा अधिनियम, वर्तमान ऐरा दिशानिर्देशों और **अनुसूची प** (समझौता ज्ञापन) में निर्धारित शर्तों सहित इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार ऐरा के एक आदेश के माध्यम से निर्धारित और संशोधित किए जाएंगे।

27.3.2 वैमानिक शुल्कों को नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार के शेयर-टिल (shared-till) अनुमोदन पत्र संख्या F. No. AV.24011/1/95-VB दिनांक 8 दिसंबर, 2014, लागू कानूनों और **अनुसूची U** (समझौता ज्ञापन) में निर्धारित शर्तों सहित इस समझौते की शर्तों के अनुसार विनियमित और निर्धारित/पुनर्निर्धारित (set/re-set) किया जाएगा।

27.3.3 वैमानिक शुल्कों के निर्धारण, उद्ग्रहण (levy), वसूली (कम या अधिक वसूली सहित) या विनियोजन के संबंध में किसी भी पहलू के बारे में रियायतग्राही का प्राधिकरण के खिलाफ कोई सहारा नहीं होगा।

27.4 वैमानिक शुल्कों के संशोधन पर प्रतिबंध

रियायतग्राही इसके द्वारा स्वीकार करता है और सहमति व्यक्त करता है कि वह ऐरा अधिनियम, वर्तमान ऐरा दिशानिर्देशों और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार छोड़कर प्राधिकरण, ऐरा या किसी भी सरकारी निकाय से किसी भी रूप या तरीके से वैमानिक शुल्कों में किसी भी संशोधन या किसी अन्य राहत का हकदार नहीं है। इसके अनुसरण में, रियायतग्राही ऐरा से या अन्यथा वैमानिक शुल्कों में किसी भी संशोधन की मांग न करने का स्वीकार करता है, सहमति देता है और वचन देता है, और यदि लागू कानूनों और/या इस समझौते के किसी प्रावधान के अनुसार ऐसा कोई संशोधन मांगा जाता है, तो यह हर समय उसमें निर्दिष्ट सीमा तक ही सीमित रहेगा।

27.5 वैमानिक शुल्कों की समीक्षा

27.5.1 **अनुच्छेद 27** के प्रावधानों के अनुसार लगाए जाने वाले, एकत्र किए जाने वाले और विनियोजित किए जाने वाले वैमानिक शुल्कों की समीक्षा ऐरा द्वारा ऐरा अधिनियम, वर्तमान ऐरा दिशानिर्देशों और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी, बशर्ते, हालांकि, ऐसी समीक्षा

में ऐसी किसी भी घटना, परिस्थिति या आधार पर भरोसा, परीक्षा या विचार नहीं किया जाएगा जिसके लिए और जिसके संबंध में वैमानिक शुल्कों, रियायत अवधि में संशोधन या किसी अन्य रूप में राहत या उपाय इस समझौते में प्रदान किए गए हैं।

27.5.2 कार्यक्षेत्र के परिवर्तन (Change of Scope), विनिर्देशों और मानकों में परिवर्तन (Change in Specifications and Standards), सुरक्षा आवश्यकताओं या लागू कानून का बल रखने वाले नए अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुपालन से उत्पन्न होने वाली कोई भी अतिरिक्त लागत (यदि कोई हो) या उसमें कमी की समीक्षा वैमानिक शुल्कों के संशोधन के प्रयोजनों के लिए ऐरा द्वारा की जा सकती है। ऐरा द्वारा ऐसी किसी भी समीक्षा में परियोजना के लिए जारी लागू परमितों के अनुसार वैमानिक सेवाओं के लिए और उनके संबंध में राजस्व पर विचार करना शामिल होगा।

27.5.3 खंड 27.5.1 के प्रावधानों के तहत वैमानिक शुल्कों की किसी भी समीक्षा में उन राजस्वों, समायोजन, वसूलियों या भुगतानों ध्यान रखा जाएगा (यदि कोई हो) जो पक्षों ने इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त किए हैं या किए हैं, और ऐरा यह निर्धारित कर सकता है कि क्या कोई आगे की वसूली या भुगतान, जैसा भी मामला हो, रियायतग्राही को देय है, या उससे प्राप्त योग्य है। ऐरा, जहां तक हो सके, ऐरा अधिनियम, वर्तमान ऐरा दिशानिर्देशों और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार वैमानिक शुल्कों की दर में और ऐसी अवधि के लिए, जैसा कि वह निर्दिष्ट कर सकता है, उचित वृद्धि या कमी द्वारा अपने निर्धारण को प्रभावी बना सकता है।

27.5.4 पक्ष स्वीकार करते हैं कि इस खंड 27.5 के प्रावधानों के तहत वैमानिक शुल्कों की कोई भी समीक्षा लागू कानूनों के अनुसार की जाएगी और तदनुसार विनियमित और आगे बढ़ाई जाएगी।

27.6 वैमानिक शुल्कों में वृद्धि पर कतिपय सीमाएं

27.6.1 खंड 27.5.2 के प्रावधानों के अनुपालन में किसी पूंजीगत लागत को वहन करने की आवश्यकता होने पर, रियायतग्राही (Concessionaire) उसकी विशिष्टियों (specifications) और लागत को जांच हेतु प्राधिकरण (Authority) के समक्ष प्रस्तुत करेगा और लागू कानूनों (Applicable Laws) के अनुसार प्रभावित उपयोगकर्ताओं (Users) या उनके प्रतिनिधि निकायों के साथ परामर्श भी करेगा।

27.6.2 रियायतग्राही प्राधिकरण तथा अन्य सरकारी निकायों (Government Instrumentality) द्वारा दी गई स्वीकृति और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार आगामी चरणों के निर्माण कार्यों (Construction Works) को पूरा करेगा, और निर्माण कार्यों के संबंध में इस समझौते के प्रावधान इस खंड 27.6 के अनुसरण में किए जाने वाले निर्माण कार्यों पर यथोचित परिवर्तनों सहित (mutatis mutandis) लागू होंगे।

27.6.3 इस खंड 27.6 के अनुसार रियायतग्राही द्वारा वहन की गई पूंजीगत लागत को, संबंधित निर्माण कार्य पूरा होने पर, लागू कानूनों तथा इस समझौते की शर्तों (ऐरा - AERA के लागू टैरिफ दिशानिर्देशों सहित) के अनुसार रियायतग्राही द्वारा वसूल किया जाएगा।

27.7 शुल्क अपवंचन हेतु शास्ति

यदि कोई उपयोगकर्ता देय शुल्क का भुगतान किए बिना हवाई अड्डे का उपयोग करता है, तो रियायतग्राही लागू कानूनों और लागू परमिटों के अधीन रहते हुए, ऐसे व्यक्ति से देय शुल्क तथा हवाई अड्डे का अनाधिकृत उपयोग करने के प्रयास हेतु हर्जना (Damages) के रूप में उसकी दुगुनी राशि तक निर्धारित और एकत्र करने का हकदार होगा; बशर्ते कि ऐसे शुल्क तथा हर्जना का निर्धारण और संग्रहण रियायतग्राही के जोखिम और लागत पर होगा और प्राधिकरण किसी भी तरह से इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

27.8 वैमानिक शुल्कों का प्रदर्शन

27.8.1 रियायतग्राही उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए अपनी वेबसाइट और कार्यालय में लागू वैमानिक शुल्कों की दरें बनाए रखेगा और उपलब्ध कराएगा।

27.8.2 रियायतग्राही समय-समय पर लागू वैमानिक शुल्कों के बारे में प्राधिकरण को सूचित करेगा।

27.8.3 रियायतग्राही ऐरा (AERA) द्वारा स्वीकृत वैमानिक शुल्कों की दरों से अधिक किसी भी राशि का संशोधन, प्रदर्शन या संग्रहण नहीं करेगा।

27.8.4 मासिक विवरण (Monthly Statement) रियायतग्राही चरण I सीओडी (Phase I COD) से प्रभावी रूप से, प्रत्येक माह के पूरा होने के 7 (सात) दिनों के भीतर, अनुसूची K में निर्धारित

प्रपत्र में एक विवरण ("मासिक विवरण") अन्य सभी विवरणों के साथ प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा तर्कसंगत रूप से अनुरोध किया जाए।

अनुच्छेद 28

एस्करो खाता

28.1 एस्करो खाता

28.1.1 रियायतग्राही, नियुक्त तिथि (Appointed Date) से पूर्व, एस्करो समझौते (Escrow Agreement) के साथ पठित इस समझौते के अनुसार किसी बैंक ("एस्करो बैंक") के साथ एक एस्करो खाता (Escrow Account) खोलेगा और स्थापित करेगा।

28.1.2 एस्करो खाते की प्रकृति और दायरा उस समझौते ("एस्करो समझौता") में पूरी तरह से वर्णित है जो रियायतग्राही, प्राधिकरण, एस्करो बैंक और ऋणदाता प्रतिनिधि (Lenders Representative) के माध्यम से वरिष्ठ ऋणदाताओं (Senior Lenders) के बीच किया जाएगा, जो मुख्य रूप से अनुसूची O में निर्धारित प्रपत्र में होगा।

28.2 एस्करो खाते में जमा राशि

रियायतग्राही एस्करो खाते में निम्नलिखित आवक (inflows) और प्राप्तियों को जमा करेगा या करवाएगा: (क) बैंकों, अन्य ऋणदाताओं, शेयरधारकों, बीमा कंपनियों या किसी अन्य व्यक्ति या अन्यथा परियोजना के संबंध में प्राप्त सभी धनराशियां; (ख) हवाई अड्डे, परियोजना, परियोजना सुविधाओं और/या परियोजना परिसंपत्तियों से या उनके संबंध में प्राप्त सभी शुल्क और अन्य सभी राजस्व, जिनमें किसी भी किराए, जमा राशि, पूंजीगत प्राप्तियों, बीमा दावों आदि से प्राप्त आय शामिल है; (ग) इस समझौते के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण द्वारा एकत्र किया गया संपूर्ण शुल्क; और (घ) किसी भी बकाया प्रीमियम की कटौती के बाद प्राधिकरण द्वारा किए गए सभी भुगतान; निरसन भुगतान (Termination Payments); बशर्ते कि वरिष्ठ ऋणदाता वित्तपोषण समझौतों (Financing Agreements) में इस संबंध में निहित स्पष्ट प्रावधानों के अनुसार ईपीसी ठेकेदार (EPC Contractor) को प्रत्यक्ष संवितरण कर सकते हैं।

28.3 निकासी

28.3.1 रियायतग्राही, एस्करो खाता खोलते समय, एस्करो समझौते के माध्यम से एस्करो बैंक को अपरिवर्तनीय निर्देश देगा कि एस्करो खाते में जमा राशि का विनियोग प्रत्येक माह, या आवश्यकतानुसार कम अंतराल पर, निम्नलिखित क्रम में किया जाएगा, और यदि किसी माह में देय न हो तो उस माह में आनुपातिक रूप से विनियोजित कर एस्करो खाते में रखा जाएगा और देय होने वाले माह में भुगतान किया जाएगा:

(क) वैधानिक भुगतान, हवाई अड्डे के संबंध में रियायतग्राही द्वारा देय सभी कर;

(ख) हवाई अड्डे के विकास से संबंधित सभी भुगतान, जो वित्तपोषण समझौतों में निर्धारित शर्तों (यदि कोई हो) के अधीन और उनके अनुसार होंगे;

- (ग) लागू कानूनों, लागू परमिटों और उत्तम उद्योग प्रथाओं (Good Industry Practice) के अनुसार वित्तपोषण समझौतों में निर्धारित सीमा (यदि कोई हो) के अधीन ओएंडएम व्यय (O&M Expenses);
- (घ) प्राधिकरण या किसी नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार वहन किए गए ओएंडएम व्यय और अन्य लागत एवं व्यय, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा देय के रूप में प्रमाणित किया गया हो;
- (ङ) प्राधिकरण को देय रियायत शुल्क (Concession Fee) और प्रीमियम;
- (च) एक लेखा वर्ष (Accounting Year) में देय ऋण सेवा (Debt Service) का मासिक आनुपातिक प्रावधान;
- (छ) खंड 12.9 के अनुसार सॉफ्ट लोन (Soft Loan) की समान किश्त;
- (ज) इस समझौते के अनुसरण में देय सभी भुगतान और/या प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित हर्जना जो रियायतग्राही द्वारा देय हो;
- (झ) अधीनस्थ ऋण (Subordinated Debt) के संबंध में लेखा वर्ष में देय ऋण सेवा भुगतानों का मासिक आनुपातिक प्रावधान;
- (ञ) वित्तपोषण समझौतों में निर्धारित कोई भी आरक्षित आवश्यकताएं; और
- (ट) शेष राशि (यदि कोई हो), रियायतग्राही के निर्देशों के अनुसार।

28.3.2 रियायतग्राही, प्राधिकरण के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना, खंड 28.3.1 में निर्दिष्ट भुगतान के क्रम में किसी भी तरीके से संशोधन नहीं करेगा।

28.4 निरसन पर निकासी

28.4.1 इस समझौते में किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, निरसन (Termination) पर एस्क्रो खाते में जमा सभी राशियों का विनियोग निम्नलिखित क्रम में किया जाएगा:

- (क) पे-रोल देनदारियां और वैधानिक भुगतान, हवाई अड्डे के संबंध में रियायतग्राही द्वारा देय सभी कर;
- (ख) अधीनस्थ ऋण और बीमा कवर को छोड़कर बकाया ऋण (Debt Due) का 90% (नब्बे प्रतिशत);
- (ग) बकाया रियायत शुल्क और प्रीमियम;
- (घ) बकाया सॉफ्ट लोन और अन्य सभी राशियां जो निरसन की तिथि पर रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को भुगतान के लिए बकाया हैं;
- (ङ) इस समझौते के अनुसरण में देय सभी भुगतान और/या प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित हर्जना;

- (च) इस समझौते के **अनुच्छेद 36** में निर्धारित त्रुटियों और कमियों के दायित्व से उत्पन्न या उसके संबंध में प्रतिधारण (retention) और भुगतान;
- (छ) बकाया ऋण सेवा, जिसमें बकाया ऋण का शेष हिस्सा शामिल है;
- (ज) बकाया अधीनस्थ ऋण;
- (झ) वहन किए गए या उपगत (accrued) ओएंडएम व्यय;
- (ञ) इस समझौते के तहत आवश्यक कोई भी अन्य भुगतान; और
- (ट) शेष राशि (यदि कोई हो), रियायतग्राही के निर्देशों के अनुसार: बशर्ते कि इस खंड 28.4.1 के उप-खंड
- (ठ) के तहत तब तक कोई विनियोग नहीं किया जाएगा जब तक कि प्राधिकरण द्वारा **अनुच्छेद 35** के प्रावधानों के तहत निहितीकरण प्रमाण पत्र (Vesting Certificate) जारी न कर दिया गया हो।

28.4.2 इस **अनुच्छेद 28** के प्रावधान और एस्क्रो समझौते में निहित निर्देश तब तक पूरी तरह से लागू रहेंगे जब तक कि खंड 28.4.1 में निर्धारित दायित्व पूरी तरह से डिस्चार्ज (पूर्ण) न हो जाएं।

अनुच्छेद 29

बीमा

29.1 बीमा दायित्व

रियायतग्राही, रियायत अवधि के दौरान, अपने स्वयं के खर्च पर, वित्तपोषण समझौतों और लागू कानूनों के तहत आवश्यक अधिकतम राशियों के लिए बीमा कराएगा और बनाए रखेगा, तथा ऐसे बीमा कराएगा जो उत्तम उद्योग प्रथाओं (Good Industry Practice) के अनुसार आवश्यक या बुद्धिमानीपूर्ण हों। रियायतग्राही ऐसे बीमा भी कराएगा जो रियायतग्राही के किसी कृत्य या चूक के परिणामस्वरूप प्राधिकरण पर आने वाले जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक हों। रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बीमा पॉलिसी में प्राधिकरण एक सह-बीमाकृत (co-assured) हो और बीमाकर्ता बीमा की राशि एस्क्रो खाते में जमा करे। पक्ष सहमत हैं कि वरिष्ठ ऋणदाताओं की बकाया राशि के पूर्ण भुगतान के बाद रियायतग्राही द्वारा बनाए रखे जाने वाले बीमा का स्तर उन्हीं सिद्धांतों पर निर्धारित किया जाएगा जो वरिष्ठ ऋणदाताओं के भुगतान से पहले बीमा स्तर निर्धारित करने के लिए लागू होते हैं।

29.2 बीमा कवर

खंड 29.1 में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही, रियायत अवधि के दौरान निम्नलिखित सहित (लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) बीमा कवर प्राप्त करेगा और बनाए रखेगा:

- (क) परियोजना परिसंपत्तियों (जिसमें प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को सौंपी गई परिसंपत्तियां शामिल हैं) की पुनर्स्थापना मूल्य पर क्षति या विनाश का बीमा;
- (ख) व्यापक तृतीय पक्ष दायित्व बीमा (third party liability insurance), जिसमें प्राधिकरण के कर्मियों या हवाई अड्डे में प्रवेश करने वाले अन्य व्यक्तियों की चोट या मृत्यु शामिल है;
- (ग) रियायत से उत्पन्न होने वाला रियायतग्राही का सामान्य दायित्व;
- (घ) माल या संपत्ति के नुकसान के लिए तृतीय पक्ष के प्रति दायित्व;
- (ङ) कर्मकार क्षतिपूर्ति बीमा (workmen's compensation insurance); और
- (च) कोई भी अन्य बीमा जो रियायतग्राही और उसके कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो, जिसमें सभी अपरिहार्य घटनाएँ (Force Majeure Events) शामिल हैं जो उपर्युक्त (a) से (e) में शामिल नहीं हैं।

29.3 प्राधिकरण को नोटिस

रियायत अवधि शुरू होने से कम से कम 30 (तीस) दिन पहले, रियायतग्राही नोटिस द्वारा प्राधिकरण को उन बीमों के संबंध में आवश्यक विवरण प्रदान करेगा जिन्हें वह इस अनुच्छेद 29 के अनुसार कराने और बनाए रखने का प्रस्ताव करता है। ऐसा नोटिस प्राप्त होने के 30 (तीस)

दिनों के भीतर, प्राधिकरण रियायतग्राही से अन्य आवश्यक बीमा कराने की मांग कर सकता है, और ऐसे किसी भी बीमा से संबंधित मतभेद या असहमति की स्थिति में, विवाद निवारण प्रक्रिया (Dispute Resolution Procedure) लागू होगी।

29.4 बीमा कवर का प्रमाण

रियायतग्राही द्वारा इस **अनुच्छेद 29** के अनुसार प्राप्त सभी बीमा उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुरूप शर्तों पर बीमाकर्ताओं के पास बनाए रखे जाएंगे। किसी भी बीमा कवर प्राप्त करने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, रियायतग्राही प्राधिकरण को बीमा प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्रों) की नोटरीकृत सत्य प्रतियां, बीमा पॉलिसियों की प्रतियां और ऐसे बीमा के प्रीमियम भुगतान की रसीदें प्रस्तुत करेगा, और ऐसा कोई भी बीमा तब तक रद्द, संशोधित या समाप्त नहीं होने दिया जाएगा जब तक कि ऐसे प्रस्तावित रद्दीकरण, संशोधन या गैर-नवीनीकरण का नोटिस रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को दिए जाने के बाद कम से कम 45 (पैंतालीस) दिन न बीत गए हों।

29.5 बीमा कराने में विफलता का उपाय

यदि रियायतग्राही उन सभी बीमों को कराने और प्रभावी रखने में विफल रहता है जिनके लिए वह इसके अनुसार जिम्मेदार है, तो प्राधिकरण के पास यह विकल्प होगा कि वह या तो ऐसे बीमों को प्रभावी रखे और प्रीमियम का भुगतान करे तथा रियायतग्राही से उसकी लागत वसूल करे, या निरसन भुगतान की गणना के मामले में, बीमा कवर के बराबर राशि को रियायतग्राही द्वारा प्राप्त माना मान ले।

29.6 प्रतिस्थापन का अधिकार त्याग

इस **अनुच्छेद 29** के अनुसार रियायतग्राही द्वारा प्राप्त बीमा से संबंधित सभी बीमा पॉलिसियों में प्राधिकरण, उसके समनुदेशितियों (assigns), उत्तराधिकारियों, उपक्रमों और उनकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों, कर्मचारियों, बीमाकर्ताओं और अंडरराइटर्स के खिलाफ बीमाकर्ताओं के प्रतिस्थापन (subrogation) या वसूली के किसी भी और सभी अधिकारों का त्याग शामिल होगा।

29.7 रियायतग्राही द्वारा अधिकार त्याग

रियायतग्राही इसके द्वारा प्राधिकरण और उसके समनुदेशितियों, उपक्रमों और उनकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों, कर्मचारियों, उत्तराधिकारियों, बीमाकर्ताओं के खिलाफ प्रतिस्थापन या वसूली के किसी भी और सभी अधिकारों को जारी करता है, सौंपता है और त्यागता है, जो रियायतग्राही के पास इस समझौते के अनुसार बनाए रखी जाने वाली बीमा पॉलिसियों द्वारा कवर किए गए किसी भी नुकसान या दायित्व के संबंध में हो सकते हैं।

29.8 मा प्राप्ति का अनुप्रयोग

जीवन और चोट को छोड़कर, सभी बीमा दावों से प्राप्त राशि रियायतग्राही को एस्क्रो खाते में जमा करके दी जाएगी और वह खंड 28.3 में निहित किसी विपरीत बात के बावजूद, ऐसी प्राप्ति का उपयोग हवाई अड्डे के किसी भी आवश्यक मरम्मत, पुनर्निर्माण, प्रतिस्थापन या सुधार के लिए

करेगा, और शेष बची राशि (यदि कोई हो) का उपयोग वित्तपोषण समझौतों में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

29.9 बीमा पॉलिसियों की शर्तों का अनुपालन

रियायतग्राही स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार की गई बीमा पॉलिसियों के तहत लगाई गई शर्तों का अनुपालन करने में रियायतग्राही की विफलता से उत्पन्न होने वाले सभी नुकसानों और दावों से प्राधिकरण को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति (indemnify) करने का वचन देता है।

अनुच्छेद 30

लेखा और लेखा परीक्षा

30.1 लेखापरीक्षित खाते

30.1.1 रियायतग्राही इस समझौते, उत्तम उद्योग प्रथाओं, लागू कानूनों और लागू परमिटों के अनुसार अपनी सभी प्राप्तियों (हवाई अड्डे और/या इसके उपयोग से/के कारण प्राप्त सकल राजस्व और अन्य राजस्व सहित), आय, व्यय, भुगतानों (एस्क्रो खाते से भुगतान सहित), परिसंपत्तियों और देनदारियों को दर्ज करने वाली खाता पुस्तकें बनाए रखेगा। रियायतग्राही संबंधित लेखा वर्ष के बंद होने के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर अपने वैधानिक लेखा परीक्षकों (Statutory Auditors) की एक रिपोर्ट के साथ बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और लाभ और हानि खाते की 2 (दो) प्रतियां प्रदान करेगा। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि सकल राजस्व (Gross Revenue), प्रीमियम और हर्जना की गणना के प्रयोजनों के लिए, उपयोग किए जाने वाले लेखांकन मानक सकल राजस्व की परिभाषा में उल्लिखित मानकों के अनुसार होंगे। प्राधिकरण को कार्यालय समय के दौरान रियायतग्राही के अभिलेखों का निरीक्षण करने और भुगतानों के आधार के सत्यापन के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित खाता पुस्तकों के आवश्यक उद्धरणों की प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार है।

30.1.2 रियायतग्राही किसी लेखा वर्ष की प्रत्येक तिमाही समाप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा त्रैमासिक परिणामों के प्रकाशन के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) द्वारा निर्धारित रीति और प्रपत्र में प्राधिकरण को पूर्ववर्ती तिमाही के संबंध में अपने अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करेगा।

30.1.3 प्रत्येक वर्ष मई के 31वें (इकत्तीसवें) दिन या उससे पहले, रियायतग्राही पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के लिए प्राधिकरण को अपने वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित एक विवरण प्रदान करेगा, जिसमें (क) हवाई अड्डे का उपयोग करने वाले तथा शुल्क भुगतान के लिए उत्तरदायी उपयोगकर्ताओं की प्रत्येक श्रेणी के लिए यातायात संख्या, (ख) प्रभारित और प्राप्त शुल्क, सकल राजस्व और हवाई अड्डे से प्राप्त अन्य राजस्व, और (ग) ऐसी अन्य जानकारी शामिल होगी जो प्राधिकरण द्वारा तर्कसंगत रूप से मांगी जाए।

30.2 लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

30.2.1 रियायतग्राही चार्टर्ड अकाउंटेंट की 5 (पांच) प्रतिष्ठित फर्मों की आपस में सहमत सूची ("चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का पैनल") में से चुनी गई एक फर्म को अपने वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करेगा, ऐसी सूची मुख्य रूप से अनुसूची त में निर्धारित मानदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। वैधानिक लेखा परीक्षकों की सभी फीस और व्यय रियायतग्राही द्वारा वहन किए जाएंगे।

30.2.2 रियायतग्राही कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपने वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति समाप्त कर सकता है, बशर्ते कि प्रतिस्थानी वैधानिक लेखा परीक्षक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पैनल में से ही नियुक्त किया जाए।

30.2.3 इस समझौते में निहित किसी विपरीत बात के बावजूद, प्राधिकरण के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पैनल में से किसी अन्य फर्म ("अतिरिक्त लेखा परीक्षक" - Additional Auditors) को समय-समय पर अपने खर्च पर नियुक्त करने का अधिकार (दायित्व नहीं) होगा, जो उन सभी मामलों, व्ययों, लागतों, वसूलियों की जांच और सत्यापन करेगी जिन्हें वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा इस समझौते के अनुसरण में करना आवश्यक है।

30.2.4 इसके अलावा, रियायतग्राही कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए समय-समय पर वैधानिक लेखा परीक्षक को बदलेगा।

30.3 वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा दावों का प्रमाणन

रियायतग्राही द्वारा प्राप्तियों, आय, भुगतानों, लागतों, व्ययों, खातों या लेखा परीक्षा तथा उससे जुड़े किसी भी मामले के संबंध में प्राधिकरण को प्रदान किया गया कोई भी दावा या दस्तावेज केवल तभी वैध और प्रभावी होगा जब वह उसके वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित हो। खंड 27.9 के तहत मासिक विवरण जमा करने सहित व्यवसाय के सामान्य क्रम में सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए ऐसे प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होगी।

30.4 मुजरा/समायोजन

यदि प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को कोई राशि देय है, तो वह रियायतग्राही द्वारा उसे देय किसी भी राशि का मुजरा (set-off) कर सकता है और शेष राशि का भुगतान कर सकता है। इस खंड 30.4 के तहत प्राधिकरण द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग इस समझौते के तहत उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार या उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

30.5 विवाद निवारण

अतिरिक्त लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों और वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणन के बीच कोई अंतर होने की स्थिति में, लेखा परीक्षक मतभेदों को दूर करने के लिए बैठक करेंगे और यदि वे इसे सुलझाने में असमर्थ रहते हैं, तो ऐसे विवाद का समाधान प्राधिकरण द्वारा विवाद निवारण प्रक्रिया का सहारा लेकर किया जाएगा।

भाग V

अप्रत्याशित घटना और निरसन

अनुच्छेद 31

अप्रत्याशित घटना

31.1 अप्रत्याशित घटना

जैसा कि इस समझौते में प्रयोग किया गया है, अभिव्यक्ति "अपरिहार्य घटना" (Force Majeure) या "अपरिहार्य घटना की स्थिति" का अर्थ भारत में क्रमशः खंड 31.2, खंड 31.3 और खंड 31.4 में यथा परिभाषित गैर-राजनीतिक घटना, अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना और राजनीतिक घटना की घटना से होगा, यदि यह अपरिहार्य घटना का दावा करने वाले पक्ष ("प्रभावित पक्ष") के दायित्वों के प्रदर्शन को प्रभावित करती है और जो कृत्य या घटना: (a) प्रभावित पक्ष के उचित नियंत्रण से परे है, (b) प्रभावित पक्ष उचित सतर्कता बरतकर और उत्तम उद्योग प्रथाओं का पालन करके टाल या दूर नहीं कर सकता था, और (c) प्रभावित पक्ष पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव (Material Adverse Effect) डालती है।

31.2 गैर-राजनीतिक घटना

एक गैर-राजनीतिक घटना का अर्थ निम्नलिखित कृत्यों या घटनाओं में से एक या अधिक होगा:

(क) दैवीय कृत्य (act of God), महामारी, अत्यधिक प्रतिकूल मौसम की स्थिति, आकाशीय बिजली, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, रासायनिक या रेडियोधर्मी संदूषण या आयनकारी विकिरण, आग या विस्फोट;

(ख) हड़ताल या बहिष्कार (रियायतग्राही, ठेकेदारों या उनके संबंधित कर्मचारियों/प्रतिनिधियों को शामिल करने वाले, या उनमें से किसी के कृत्य या चूक के कारण होने वाले मामलों को छोड़कर) जो एक लेखा वर्ष में लगातार 24 (चौबीस) घंटे और कुल मिलाकर 7 (सात) दिनों से अधिक अवधि के लिए हवाई अड्डे की आपूर्ति और सेवाओं को बाधित करते हैं;

(ग) सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी न्यायालय या वैधानिक प्राधिकरण का कोई निर्णय या आदेश जो रियायतग्राही के विरुद्ध दिया गया हो;

(घ) स्थल (Site) पर भूवैज्ञानिक स्थितियों, जहरीले संदूषण या पुरातात्विक अवशेषों की खोज; या

(ङ) पूर्वगामी में से किसी के समान प्रकृति की कोई घटना या परिस्थिति।

31.3 अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना

एक अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना का अर्थ निम्नलिखित कृत्यों या घटनाओं में से एक या अधिक से होगा:

- (क) युद्ध का कृत्य (चाहे घोषित हो या अघोषित), आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी दुश्मन का कृत्य, नाकाबंदी, नाकाबंदी का प्रयास, दंगा, नागरिक उपद्रव, आतंकवादी या सैन्य कार्रवाई, नागरिक अशांति या राजनीतिक रूप से प्रेरित तोड़फोड़;
- (ख) कोई भी राजनीतिक या आर्थिक उथल-पुथल, उपद्रव, आंदोलन, संघर्ष या इसी तरह की घटना जिसे किसी विवेकशील व्यक्ति द्वारा अनुमानित या पूर्वदृष्ट नहीं किया जा सकता था...
- (ग) जिससे परियोजना का विकास या संचालन वित्तीय रूप से अलाभकारी या अन्यथा व्यवहार्य न रह जाए, एक लेखा वर्ष में लगातार 24 (चौबीस) घंटे की अवधि के लिए और कुल मिलाकर 7 (सात) दिनों से अधिक अवधि के लिए उद्योग-व्यापी या राज्य-व्यापी हड़ताल या औद्योगिक कार्रवाई;
- (घ) कोई भी नागरिक अशांति, बहिष्कार या राजनीतिक आंदोलन जो रियायतग्राही (Concessionaire) द्वारा एक लेखा वर्ष में कुल मिलाकर 7 (सात) दिनों से अधिक की अवधि के लिए वैमानिक शुल्कों (Aeronautical Charges) के संग्रहण को रोकता है;
- (ङ) किसी भूवैज्ञानिक या पुरातात्विक खोजों के बाद कार्यों के रुकने की स्थिति में, संशोधनों के साथ या बिना, रियायतग्राही को निर्माण कार्य जारी रखने की अनुमति देने में प्राधिकरण (Authority) की विफलता;
- (च) किसी अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना के कारण ठेकेदार (Contractor) की कोई विफलता या देरी जो ऐसी स्थिति उत्पन्न न करे जिसके तहत ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से रियायतग्राही को कोई क्षतिपूरक मुआवजा देय हो;
- (छ) कोई भी अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना जो गैर-राजनीतिक घटना का कारण बनती है; या
- (ज) पूर्वगामी में से किसी के समान प्रकृति की कोई घटना या परिस्थिति।

31.4 राजनीतिक घटना (Political Event)

एक राजनीतिक घटना का अर्थ किसी सरकारी निकाय (Government Instrumentality) द्वारा या उसके कारण किए गए निम्नलिखित कृत्यों या घटनाओं में से एक या अधिक से होगा:

- (क) राष्ट्रीय हित में अनिवार्य अधिग्रहण या किसी परियोजना परिसंपत्ति (Project Assets) या रियायतग्राही या ठेकेदारों के अधिकारों का जब्ती/अधिग्रहण;
- (ख) इस समझौते और परियोजना समझौतों के तहत अपने-अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए रियायतग्राही या किसी भी ठेकेदार द्वारा अपेक्षित किसी भी मंजूरी, लाइसेंस, परमिट, प्राधिकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, सहमति, अनुमोदन या छूट का गैर-कानूनी या अनाधिकृत या बिना क्षेत्राधिकार के रद्दीकरण, या वैध कारण के बिना नवीनीकरण या प्रदान करने से इनकार; बशर्ते कि ऐसी देरी, संशोधन, इनकार या रद्दीकरण ऐसी मंजूरी, लाइसेंस, प्राधिकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, छूट, सहमति, अनुमोदन या परमिट को प्रदान करने, बनाए रखने या नवीनीकरण से संबंधित

किसी शर्त का अनुपालन करने में रियायतग्राही या किसी ठेकेदार की असमर्थता या विफलता का परिणाम न हो;

(ग) किसी ठेकेदार की कोई विफलता या देरी, लेकिन केवल उस सीमा तक जो किसी अन्य राजनीतिक घटना के कारण हुई हो और जिसके परिणामस्वरूप ऐसे ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से रियायतग्राही को कोई क्षतिपूरक मुआवजा देय न होता हो; या

(घ) पूर्वगामी में से किसी के समान प्रकृति की कोई घटना या परिस्थिति।

31.5 अपरिहार्य घटना की रिपोर्ट करने का कर्तव्य

31.5.1 अपरिहार्य घटना घटने पर, प्रभावित पक्ष (Affected Party) नोटिस द्वारा ऐसी घटना की रिपोर्ट तुरंत दूसरे पक्ष को देगा। इसके अनुसार किसी भी नोटिस में निम्नलिखित का पूरा विवरण शामिल होगा: (a) इस **अनुच्छेद 31** के तहत राहत के किसी भी दावे का विषय बनने वाली प्रत्येक अपरिहार्य घटना की प्रकृति और सीमा, जिसके समर्थन में साक्ष्य संलग्न हों; (b) अनुमानित अवधि और वह प्रभाव या संभावित प्रभाव जो ऐसी अपरिहार्य घटना का इस समझौते के तहत प्रभावित पक्ष के दायित्वों के निष्पादन पर पड़ रहा है या पड़ेगा; (c) वे उपाय जो प्रभावित पक्ष ऐसी अपरिहार्य घटना के प्रभाव को कम करने के लिए कर रहा है या करने का प्रस्ताव करता है; और (d) प्रभावित पक्ष के दावे से संबंधित कोई अन्य जानकारी।

31.5.2 प्रभावित पक्ष अपरिहार्य घटना के संबंध में किसी भी राहत का हकदार तब तक नहीं होगा जब तक कि उसने अपरिहार्य घटना के घटने की सूचना यथाशीघ्र व्यावहारिक रूप से दूसरे पक्ष को न दी हो, और किसी भी स्थिति में प्रभावित पक्ष द्वारा घटना की जानकारी होने या तर्कसंगत रूप से जानकारी होनी चाहिए थी, के बाद 7 (सात) दिनों से अधिक विलंब न किया गया हो, और उस संभावित महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण दिया गया हो जो अपरिहार्य घटना के इस समझौते के तहत उसके दायित्वों के निष्पादन पर पड़ने की संभावना है।

31.5.3 जब तक प्रभावित पक्ष ऐसी अपरिहार्य घटना से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होने का दावा करता रहता है, वह दूसरे पक्ष को नियमित (और साप्ताहिक से कम नहीं) रिपोर्ट प्रदान करेगा जिसमें खंड 31.5.1 द्वारा यथा-अपेक्षित जानकारी, और ऐसी अन्य जानकारी शामिल होगी जो दूसरा पक्ष तर्कसंगत रूप से प्रभावित पक्ष से प्रदान करने का अनुरोध करे।

31.6 रियायत पर अपरिहार्य घटना का प्रभाव

31.6.1 नियुक्त तिथि (Appointed Date) से पूर्व किसी भी अपरिहार्य घटना के घटने पर, वित्तीय समापन (Financial Close) प्राप्त करने के लिए खंड 24.1.1 में निर्धारित अवधि को अपरिहार्य घटना की अवधि के बराबर अवधि तक बढ़ाया जाएगा।

31.6.2 नियुक्त तिथि के बाद किसी भी समय, यदि कोई अपरिहार्य घटना घटित होती है:

(क) किसी चरण के सीओडी (COD) से पहले, तो ऐसे चरण के लिए निर्माण अवधि (Construction Period) को उस अवधि के बराबर बढ़ाया जाएगा जितने समय तक ऐसी अपरिहार्य घटना बनी रहती है; या

(ख) किसी चरण के सीओडी के बाद, जिसके परिणामस्वरूप रियायतग्राही सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वैमानिक शुल्क एकत्र करने में असमर्थ है या प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय द्वारा ऐसी अपरिहार्य घटना के बने रहने के दौरान इसके संग्रहण को निलंबित करने का निर्देश दिया जाता है, तो ऐरा (AERA) ऐसी किसी भी अपरिहार्य घटना के प्रभाव पर विचार करेगा और लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त उपाय प्रदान करेगा।

31.7 अपरिहार्य घटना से उत्पन्न लागतों का आवंटन

31.7.1 नियुक्त तिथि से पूर्व किसी भी अपरिहार्य घटना के घटने पर, पक्ष अपनी-अपनी लागत वहन करेंगे और किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष को उसकी कोई लागत देने की आवश्यकता नहीं होगी।

31.7.2 नियुक्त तिथि के बाद अपरिहार्य घटना घटने पर, ऐसी घटना के कारण उपगत और सीधे परियोजना से संबंधित लागतों ("अपरिहार्य घटना लागत") का आवंटन और भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) गैर-राजनीतिक घटना घटने पर, पक्ष अपनी-अपनी अपरिहार्य घटना लागत वहन करेंगे और किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष को उसकी कोई लागत देने की आवश्यकता नहीं होगी;

(ख) अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना घटने पर, ऐसी अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना के कारण होने वाली सभी अपरिहार्य घटना लागतें, जो ऐसी अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना के बीमा कवर से अधिक न हों, रियायतग्राही द्वारा वहन की जाएंगी, और जिस सीमा तक अपरिहार्य घटना लागत ऐसे बीमा कवर से अधिक होती है, उस अतिरिक्त राशि का आधा हिस्सा प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को प्रतिपूर्ति (reimburse) किया जाएगा; और

(ग) राजनीतिक घटना घटने पर, ऐसी राजनीतिक घटना के कारण होने वाली सभी अपरिहार्य घटना लागतों की प्रतिपूर्ति प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को की जाएगी।

अपरिहार्य घटना लागतों में ऋण पर ब्याज भुगतान, ओएंडएम् व्यय, मुद्रास्फीति के कारण निर्माण कार्यों की लागत में वृद्धि और अपरिहार्य घटना से सीधे तौर पर जुड़ी अन्य सभी लागतें शामिल हो सकती हैं, लेकिन इसमें वैमानिक शुल्कों से राजस्व का नुकसान या ऋण पुनर्भुगतान दायित्व शामिल नहीं होंगे, और ऐसी लागतों को निर्धारित करने के लिए, वित्तीय पैकेज (Financial Package) में निहित जानकारी पर उस सीमा तक भरोसा किया जा सकता है जिस सीमा तक वह जानकारी प्रासंगिक हो।

31.7.3 इस अनुच्छेद 31 में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए के अलावा, कोई भी पक्ष किसी भी अपरिहार्य घटना के घटने या अस्तित्व में रहने या इसके अनुसरण में किसी अधिकार के प्रयोग से

संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, लागत, व्यय, दावों, मांगों और कार्यवाही के संबंध में दूसरे पक्ष के प्रति किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

31.8 अपरिहार्य घटना के लिए निरसन नोटिस

यदि कोई अपरिहार्य घटना 365 (तीन सौ पैसठ) दिनों की निरंतर अवधि के भीतर 180 (एक सौ अस्सी) दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए बनी रहती है, तो कोई भी पक्ष अपने विवेक से दूसरे पक्ष को निरसन नोटिस (Termination Notice) जारी करके इस समझौते को समाप्त कर सकता है, बिना किसी भी तरह से उत्तरदायी हुए, जैसा कि इस **अनुच्छेद 31** में प्रदान किया गया है, और ऐसा निरसन नोटिस जारी होने पर, यह समझौता तुरंत समाप्त हो जाएगा; बशर्ते कि ऐसा निरसन नोटिस जारी करने से पहले, निरसन नोटिस जारी करने का इरादा रखने वाला पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसे इरादे की सूचित करेगा और अभ्यावेदन (representation) देने के लिए 15 (पंद्रह) दिनों का समय देगा, और ऐसे 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद, चाहे उसे ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हो या न हुआ हो, वह अपने एकमात्र विवेक में निरसन नोटिस जारी कर सकता है।

31.9 अपरिहार्य घटना के लिए निरसन भुगतान

31.9.1 यदि निरसन गैर-राजनीतिक घटना के कारण होता है, तो प्राधिकरण रियायतग्राही को बकाया ऋण (Debt Due) के 90% (नब्बे प्रतिशत) के बराबर राशि का निरसन भुगतान करेगा, जिसमें से बीमा कवर का हिस्सा बनने वाले बीमा दावे को घटा दिया जाएगा।

31.9.2 यदि निरसन अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना के कारण होता है, तो प्राधिकरण रियायतग्राही को निम्नलिखित के बराबर निरसन भुगतान करेगा:

(क) बकाया ऋण घटाव बीमा कवर का हिस्सा बनने वाला बीमा दावा; बशर्ते कि यदि बीमा कवर का हिस्सा बनने वाले किसी भी बीमा दावे को स्वीकार और भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऐसे अवैतनिक दावों का 80% (अस्सी प्रतिशत) बकाया ऋण की गणना में शामिल किया जाएगा।

(ख) समायोजित इक्विटी (Adjusted Equity) का 110% (एक सौ दस प्रतिशत); और (c) अतिरिक्त निरसन भुगतान के बराबर राशि घटाव बीमा कवर का हिस्सा बनने वाला बीमा दावा, बशर्ते कि यदि बीमा कवर का हिस्सा बनने वाले किसी भी बीमा दावे को स्वीकार और भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऐसे अवैतनिक दावों का 80% (अस्सी प्रतिशत) इसके तहत देय राशि की गणना में शामिल किया जाएगा।

31.9.3 यदि निरसन किसी राजनीतिक घटना के कारण होता है, तो प्राधिकरण रियायतग्राही को उतनी राशि का निरसन भुगतान करेगा जो खंड 34.3.2 के तहत देय होगी जैसे कि यह प्राधिकरण की चूक (Authority Default) हो।

31.10 विवाद निवारण

यदि पक्ष अपरिहार्य घटना के घटने या अस्तित्व के बारे में सद्भाव से सहमत होने में असमर्थ हैं, तो ऐसे विवाद का अंतिम निपटान विवाद निवारण प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसी

अपरिहार्य घटना के घटने या अस्तित्व का सबूत देने का भार उस पक्ष पर होगा जो ऐसी अपरिहार्य घटना के कारण राहत और/या छूट का दावा कर रहा है।

31.11 दायित्वों के निष्पादन से छूट

यदि प्रभावित पक्ष अपरिहार्य घटना के कारण इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन करने में पूर्ण या आंशिक रूप से असमर्थ हो जाता है, तो उसे उस सीमा तक अपने दायित्वों के पालन से छूट दी जाएगी जिस सीमा तक वह ऐसी अपरिहार्य घटना के कारण पालन करने में असमर्थ है, बशर्ते कि:

- (क) निष्पादन का निलंबन अपरिहार्य घटना द्वारा तर्कसंगत रूप से आवश्यक सीमा से अधिक व्यापक और लंबी अवधि का नहीं होगा;
- (ख) प्रभावित पक्ष ऐसी अपरिहार्य घटना के अस्तित्व या घटने के परिणामस्वरूप या उससे उत्पन्न होने वाले दूसरे पक्ष के नुकसान को कम करने या सीमित करने तथा उचित तत्परता के साथ उसे ठीक करने के लिए सभी तर्कसंगत प्रयास करेगा; और
- (ग) जब प्रभावित पक्ष इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन को फिर से शुरू करने में सक्षम हो जाता है, तो वह दूसरे पक्ष को उस आशय का नोटिस देगा और तुरंत इसके तहत अपने दायित्वों का निष्पादन फिर से शुरू करेगा।

31.12 अप्रत्याशित घटनाओं के लिए राहत

31.12.1 इस समझौते में विचार न की गई या संदर्भित न की गई किसी अप्रत्याशित घटना, स्थिति या समान परिस्थितियों के घटने और बने रहने पर, जिसे किसी विवेकशील और सतर्क व्यक्ति द्वारा पूर्वाभासित न किया जा सकता था ("अप्रत्याशित घटना"), कोई भी पक्ष नोटिस द्वारा दूसरे पक्ष को ऐसी अप्रत्याशित घटना के घटने की जानकारी उसके विवरण और परियोजना की लागत, व्यय और राजस्व पर इसके प्रभावों के साथ दे सकता है। ऐसे नोटिस के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, पक्ष मिलेंगे और सद्भाव से यह निर्धारित करने का प्रयास करेंगे कि क्या ऐसी अप्रत्याशित घटना घटी है और जारी है, और इसके घटने पर सहमति बनने पर इस खंड 31.12 के प्रावधानों के अनुसार इससे निपटेंगे।

31.12.2 अप्रत्याशित घटना के घटने और बने रहने के निर्धारण पर, पक्ष एक सुलह अधिकरण (Conciliation Tribunal) को संदर्भ देंगे, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे व्यक्तियों में से नामित एक-एक सदस्य शामिल होगा और इस प्रकार नामित मध्यस्थ एक ऐसे अध्यक्ष का चयन करेंगे जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो।

31.12.3 खंड 31.12.2 में निर्दिष्ट सुलह अधिकरण अपनी कार्यवाही **अनुच्छेद 39** के प्रावधानों के अनुसार संचालित करेगा, मानो यह उस अनुच्छेद के तहत एक मध्यस्थता कार्यवाही है, जैसा कि इस खंड 31.12 में प्रदान किया गया है।

31.12.4 इस खंड 31.12 में निर्दिष्ट सुलह अधिकरण प्रारंभिक कार्यवाही यह सुनिश्चित करने के लिए संचालित करेगा कि:

- (क) एक अप्रत्याशित घटना घटी है;
- (ख) ऐसी अप्रत्याशित घटना के प्रभावों को ऐसे उपाय या राहत के बिना कम नहीं किया जा सकता है जिसका समझौते में विचार नहीं किया गया है; और
- (ग) अप्रत्याशित घटना या इसके प्रभाव किसी भी पक्ष द्वारा अपनी ओर से किए गए किसी कृत्य या चूक के कारण नहीं हुए हैं, और यदि सुलह अधिकरण संतुष्ट है कि ऊपर निर्दिष्ट प्रत्येक शर्त पूरी होती है, तो वह इस आशय का एक आदेश जारी करेगा और इस खंड 31.12 के तहत आगे की कार्यवाही संचालित करेगा।

31.12.5 इस खंड 31.12 में निर्दिष्ट सुलह कार्यवाही के पूरा होने पर, सुलह अधिकरण एक सकारण आदेश द्वारा सिफारिशें कर सकता है और संदर्भ की शर्तें (terms of reference) निर्धारित कर सकता है, जो:

- (क) निष्पक्ष और पारदर्शी औचित्य पर आधारित होंगी,
- (ख) दायरे में अप्रत्याशित घटना के प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक सीमा से अधिक नहीं होंगी,
- (ग) अवधि में अप्रत्याशित घटना के प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक सीमा से अधिक नहीं होंगी, और
- (घ) राहत या उपाय के संदर्भ में परिमाणित (quantified) और प्रतिबंधित होंगी।

31.12.6 खंड 31.12.5 में निर्दिष्ट आदेश और संदर्भ की शर्तें प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, पक्ष मिलेंगे और अप्रत्याशित घटना के प्रभावों को कम करने के लिए सुलह अधिकरण द्वारा अनुशंसित राहत या उपाय को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने और एक समझौता समझौते (Settlement Agreement) में प्रवेश करके इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सद्भाव से प्रयास करेंगे। ऐसे समझौता समझौते की शर्तों का वही प्रभाव होगा मानो वे इस समझौते का हिस्सा हैं, और यदि कोई हो, तो इस समझौते की संबंधित शर्तों को संशोधित माना जाएगा।

अनुच्छेद 32

समझौते के उल्लंघन के लिए मुआवजा

32.1 रियायतग्राही द्वारा चूक के लिए मुआवजा

खंड 32.4 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, रियायतग्राही द्वारा इस समझौते के महत्वपूर्ण उल्लंघन या चूक की स्थिति में, वह आवश्यक विवरणों के साथ मांग प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर मुआवजा के रूप में प्राधिकरण को ऐसे महत्वपूर्ण उल्लंघन या चूक के परिणामस्वरूप प्राधिकरण द्वारा उठाए गए या उपगत सभी प्रत्यक्ष लागतों का भुगतान करेगा; बशर्ते कि इस खंड 32.1 के तहत किसी ऐसे महत्वपूर्ण उल्लंघन या चूक के लिए कोई मुआवजा देय नहीं होगा जिसके संबंध में इस समझौते के तहत हर्जना (Damages) स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट और देय है या प्राधिकरण द्वारा उपगत किसी भी परिणामी नुकसान के लिए मुआवजा देय नहीं होगा।

32.2 प्राधिकरण द्वारा चूक के लिए मुआवजा

खंड 32.4 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, नियुक्त तिथि के बाद किसी भी समय प्राधिकरण द्वारा इस समझौते के महत्वपूर्ण उल्लंघन या चूक की स्थिति में, वह रियायतग्राही को मुआवजे के रूप में आवश्यक विवरणों के साथ मांग प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर ऐसे महत्वपूर्ण उल्लंघन या चूक के परिणामस्वरूप रियायतग्राही द्वारा उठाए गए या उपगत सभी प्रत्यक्ष लागतों का भुगतान करेगा; बशर्ते कि ऐसे किसी भी महत्वपूर्ण उल्लंघन या चूक के लिए कोई मुआवजा देय नहीं होगा जिसके संबंध में इस समझौते में स्पष्ट रूप से हर्जना निर्दिष्ट किया गया है।

32.3 रियायत अवधि का विस्तार

खंड 32.4 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, खंड 32.2 में निर्धारित इस समझौते के किसी महत्वपूर्ण उल्लंघन या चूक के कारण किसी भी चरण के सीओडी प्राप्त करने में देरी होती है या निलंबन होता है, तो प्राधिकरण खंड 32.2 के तहत मुआवजे के भुगतान के बदले रियायत अवधि को बढ़ाने पर विचार कर सकता है। रियायत अवधि में ऐसे विस्तार की अवधि पर प्राधिकरण द्वारा उस समय विचार और निर्धारण किया जाएगा।

32.4 लागत और क्षति को कम करना

प्रभावित पक्ष दूसरे पक्ष द्वारा समझौते के उल्लंघन के कारण या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली लागतों और क्षति को कम करने या सीमित करने के लिए सभी तर्कसंगत प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 33

रियायतग्राही के अधिकारों का निलंबन

33.1 रियायतग्राही की चूक पर निलंबन

रियायतग्राही की चूक घटने पर, प्राधिकरण, इस समझौते के तहत अपने अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना (इसके तहत निरसन के अपने अधिकारों सहित), निम्नलिखित का हकदार होगा: (a) इस समझौते के तहत रियायतग्राही के सभी अधिकारों को निलंबित करना, जिसमें इसके अनुसरण में किसी भी शुल्क और अन्य राजस्व को एकत्र करने का रियायतग्राही का अधिकार शामिल है, और (b) ऐसे निलंबन ("निलंबन") के दौरान स्वयं इन अधिकारों का प्रयोग करना और दायित्वों का निष्पादन करना या किसी अन्य व्यक्ति को उसकी ओर से इनका प्रयोग या निष्पादन करने के लिए अधिकृत करना।

इसके तहत निलंबन प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को नोटिस जारी किए जाने पर तुरंत प्रभावी होगा और ऐसा नोटिस जारी होने की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों से अधिक न होने वाली अवधि तक विस्तारित हो सकता है, बशर्ते कि रियायतग्राही और ऋणदाता प्रतिनिधि (Lenders' Representative) के लिखित अनुरोध पर, प्राधिकरण उपरोक्त 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि को 90 (नब्बे) दिनों से अधिक न होने वाली अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाएगा।

33.2 रियायतग्राही की ओर से कार्य करने का प्राधिकरण (Authority to act on behalf of Concessionaire)

33.2.1 निलंबन की अवधि के दौरान, प्राधिकरण, रियायतग्राही की ओर से, इस समझौते के तहत और इसके अनुसार सभी शुल्क और राजस्व एकत्र करेगा और उन्हें एस्करो खाते (Escrow Account) में जमा करेगा। प्राधिकरण ओएंडएम व्यय को पूरा करने और निलंबन के कारण को सुधारने और ठीक करने के लिए उपगत लागतों को पूरा करने के लिए, और उसके बाद खंड 28.3 में निर्दिष्ट व्यय को चुकाने के लिए एस्करो खाते से निकासी करने का हकदार होगा।

33.2.2 इसके तहत निलंबन की अवधि के दौरान, इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही में निहित सभी अधिकार और देनदारियां रियायतग्राही में निहित रहेंगी और इस समझौते और परियोजना समझौतों के तहत रियायतग्राही के दायित्वों को डिस्चार्ज करने के लिए प्राधिकरण द्वारा उपगत व्यय सहित किए गए सभी कार्य या की गई कार्रवाइयां रियायतग्राही के लिए और उसकी ओर से की गई मानी जाएंगी और रियायतग्राही ऐसी अवधि के दौरान उपगत सभी लागतों के लिए प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। रियायतग्राही इसके द्वारा प्राधिकरण या खंड 33.1 के तहत इसके द्वारा अधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति को निलंबन के दौरान हवाई अड्डे और उसके डिजाइन, इंजीनियरिंग, विकास, संचालन और रखरखाव के संबंध में रियायतग्राही के स्वामित्व वाली या लाइसेंस प्राप्त सभी बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) का उपयोग करने के लिए क्रमशः लाइसेंस और उप-लाइसेंस देता है, जिसका उपयोग या निर्माण रियायतग्राही द्वारा समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन करने में किया जाता है।

33.3 निलंबन का रद्दीकरण

33.3.1 इस घटना में कि प्राधिकरण खंड 33.1 में निर्धारित अवधि से अधिक न होने वाली अवधि के भीतर निलंबन के कारण को ठीक या दूर कर देता है, वह तुरंत निलंबन को रद्द कर देगा और इस समझौते के तहत रियायतग्राही के सभी अधिकारों को बहाल कर देगा। पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि प्राधिकरण अपने विवेक से किसी भी समय निलंबन को रद्द कर सकता है, चाहे इसके तहत निलंबन का कारण ठीक किया गया हो या दूर किया गया हो या नहीं।

33.3.2 निलंबन की तिथि से 90 (नब्बे) दिनों से अधिक न होने वाली अवधि के भीतर रियायतग्राही द्वारा रियायतग्राही की चूक को ठीक करने पर, प्राधिकरण तुरंत निलंबन को रद्द कर देगा और इस समझौते के तहत रियायतग्राही के सभी अधिकारों को बहाल कर देगा।

33.4 रियायतग्राही का प्रतिस्थापन

खंड 37.5 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा अपने स्टेप-इन (step-in) अधिकारों के प्रयोग के अधीन रहते हुए, निलंबन की अवधि के दौरान किसी भी समय, वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से ऋणदाता प्रतिनिधि, प्रतिस्थापन समझौते (Substitution Agreement) के तहत और उसके अनुसार रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने का हकदार होगा, और ऋणदाता प्रतिनिधि से इसके तहत नोटिस प्राप्त होने पर, प्राधिकरण वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से प्रतिस्थापन के अपने अधिकारों का प्रयोग करने में ऋणदाता प्रतिनिधि को सक्षम बनाने के लिए निलंबन की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों से अधिक न होने वाली अवधि और खंड 33.1 के तहत इसके किसी भी विस्तार के लिए निरसन को रोके रखेगा।

33.5 निरसन

33.5.1 इस अनुच्छेद 33 के तहत निलंबन की अवधि के दौरान किसी भी समय, रियायतग्राही नोटिस द्वारा प्राधिकरण से निलंबन को रद्द करने और एक निरसन नोटिस जारी करने की मांग कर सकता है। इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार और खंड 33.4 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रतिस्थापन करने के लिए ऋणदाता प्रतिनिधि के अधिकारों के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण ऐसा नोटिस प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर खंड 34.1 के तहत रियायतग्राही की चूक मानते हुए अनुच्छेद 34 के तहत और उसके अनुसार इस समझौते को समाप्त कर देगा।

33.5.2 इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, इस घटना में कि इसके तहत निलंबन को निलंबन की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर या खंड 33.1 में निर्धारित विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के भीतर रद्द नहीं किया जाता है, तो यह समझौता उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर पक्षों की पारस्परिक सहमति से समाप्त माना जाएगा और इस समझौते के सभी प्रावधान, यथोचित परिवर्तनों सहित (mutatis mutandis), ऐसे निरसन पर लागू होंगे मानो रियायतग्राही की चूक घटने पर प्राधिकरण द्वारा एक निरसन नोटिस जारी किया गया था।

अनुच्छेद 34

निरसन

34.1 रियायतग्राही की चूक के लिए निरसन

34.1.1 इस समझौते में अन्यथा प्रदान किए गए के अलावा, यदि नीचे निर्दिष्ट चूकों में से कोई भी घटित होती है, और रियायतग्राही नीचे निर्धारित उपचार अवधि (Cure Period) के भीतर चूक को ठीक करने में विफल रहता है, या जहां कोई उपचार अवधि निर्दिष्ट नहीं है, तो 60 (साठ) दिनों की उपचार अवधि के भीतर चूक को ठीक करने में विफल रहता है, तो रियायतग्राही को इस समझौते की चूक में माना जाएगा ("रियायतग्राही की चूक"), जब तक कि चूक प्राधिकरण द्वारा इस समझौते के किसी उल्लंघन या अपरिहार्य घटना के कारण न हुई हो। इसमें संदर्भित चूकों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) कार्य-निष्पादन प्रतिभूति (Performance Security) को खंड 9.2 के अनुसार भुनाया और विनियोजित किया गया है और रियायतग्राही 15 (पंद्रह) दिनों की उपचार अवधि के भीतर कार्य-निष्पादन प्रतिभूति को पुनः भरने या नई कार्य-निष्पादन प्रतिभूति प्रदान करने में विफल रहता है;
- (ख) खंड 9.2 के अनुसार नई कार्य-निष्पादन प्रतिभूति को भरने या प्रस्तुत करने के बाद, रियायतग्राही 120 (एक सौ बीस) दिनों की उपचार अवधि के भीतर किसी भी पूर्ववर्ती शर्त (Condition Precedent) को पूरा करने या रियायतग्राही की चूक को ठीक करने में विफल रहता है, जैसा भी मामला हो, जिसके लिए पूरी या आंशिक कार्य-निष्पादन प्रतिभूति विनियोजित की गई थी;
- (ग) रियायतग्राही खंड 12.5.2 और अनुसूची छ के प्रावधानों के अनुसार देय नवीनतम बकाया चरण मील के पथर (Phase Milestone) को प्राप्त नहीं करता है और 120 (एक सौ बीस) दिनों की उपचार अवधि के दौरान चूक में रहता है;
- (घ) रियायतग्राही प्राधिकरण की पूर्व लिखित सहमति के बिना हवाई अड्डे के निर्माण या संचालन को छोड़ देता है या छोड़ने का इरादा प्रकट करता है;
- (ङ) चरण I सीओडी खंड 12.5.3 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं होता है, या बाद के चरणों के लिए सीओडी इस समझौते की शर्तों के अनुसार नहीं होता है;
- (च) पंच सूची (Punch List) के मदों को खंड 14.4.1 में निर्धारित अवधि के भीतर पूरा नहीं किया गया है;
- (छ) खंड 18.6.9 के अनुसार 'आईएटीए सेवा स्तर ग (इष्टतम)' के उल्लंघन के कारण रियायत वर्ष के लिए रियायतग्राही द्वारा भुगतान किए जाने वाले हर्जना की राशि पूर्ववर्ती रियायत वर्ष के प्रीमियम के 2% (दो प्रतिशत) के बराबर या उससे अधिक है;

- (ज) रियायत अवधि के दौरान किसी भी निरंतर 6 (छह) महीनों की अवधि में अनुसूची 1 में निर्दिष्ट मुख्य प्रदर्शन सूचकों (Key Performance Indicators) की महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं के 2/3 (दो-तिहाई) से अधिक के उल्लंघन में रियायतग्राही शामिल है;
- (झ) रियायतग्राही चरण 1 सीओडी से 3 (तीन) वर्ष की अवधि के भीतर खंड 22.6 के अनुसार आईएसओ और अन्य प्रमाणन प्राप्त करने में विफल रहता है;
- (ञ) रियायतग्राही इस समझौते में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राधिकरण को कोई भी भुगतान करने में विफल रहा है;
- (ट) एक एस्करो चूक (Escrow Default) घटी है और रियायतग्राही 15 (पंद्रह) दिनों की उपचार अवधि के भीतर चूक को ठीक करने में विफल रहता है;
- (ठ) वित्तीय चूक (Financial Default) घटने पर, ऋणदाता प्रतिनिधि ने प्रतिस्थापन समझौते के अनुसार प्राधिकरण को निलंबन या निरसन, जो भी मामला हो, करने की आवश्यकता का नोटिस दिया है और रियायतग्राही ऊपर निर्दिष्ट उपचार अवधि के भीतर चूक को ठीक करने में विफल रहता है;
- (ड) रियायतग्राही द्वारा किसी परियोजना समझौते का उल्लंघन महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव (Material Adverse Effect) का कारण बना है;
- (ढ) शेयरधारक समझौते (Shareholders' Agreement) के प्रावधानों का उल्लंघन, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 (या इसके किसी वैधानिक संशोधन, निरसन आदि) के तहत आरक्षित मामले (Reserved Matter) के रूप में पहचाने गए किसी भी मद पर प्राधिकरण की पूर्व विशिष्ट लिखित स्वीकृति के बिना कार्य करना शामिल है, लेकिन यह इसी तक सीमित नहीं है;
- (ण) रियायतग्राही इस समझौते के उल्लंघन में कोई प्रभार/बोजा (Encumbrance) बनाता है;
- (त) रियायतग्राही इस समझौते का खंडन करता है या अन्यथा कोई कार्रवाई करता है या साक्ष्य देता है या समझौते से बाध्य न होने का इरादा व्यक्त करता है;
- (थ) खंड 5.3 के प्रावधानों के उल्लंघन में स्वामित्व में परिवर्तन (Change in Ownership) या कोई अन्य परिवर्तन हुआ है;
- (द) कानून के अनुसार (i) किसी भी परियोजना समझौते के तहत रियायतग्राही के अधिकारों और/या दायित्वों का, या (ii) रियायतग्राही की परिसंपत्तियों या उपक्रम के सभी या आंशिक हिस्से का स्थानांतरण होता है, और ऐसा स्थानांतरण महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का कारण बनता है;
- (ध) रियायतग्राही की किसी भी परिसंपत्ति पर निष्पादित कुर्की/कार्रवाई ने महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डाला है;

- (न) रियायतग्राही को दिवालिया या शोधन-अक्षम घोषित किया जाता है, या यदि रियायतग्राही के लिए या उसकी परिसंपत्तियों के संपूर्ण या महत्वपूर्ण हिस्से के लिए एक ट्रस्टी या रिसीवर नियुक्त किया जाता है जिसका परियोजना पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है;
- (न) रियायतग्राही का परिसमापन, विघटन, समापन, समामेलन या पुनर्गठन इस तरीके से किया गया है या किया जा रहा है जिससे प्राधिकरण की तर्कसंगत राय में महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;
- (प) रियायतग्राही के समापन का प्रस्ताव पारित किया जाता है, या रियायतग्राही के समापन की कोई याचिका सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा स्वीकार की जाती है और एक अंतरिम परिसमापक या रिसीवर नियुक्त किया जाता है और ऐसा आदेश उसकी तिथि से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर रद्द नहीं किया गया है या समामेलन या पुनर्गठन के उद्देश्य को छोड़कर न्यायालय द्वारा रियायतग्राही के समापन का आदेश दिया जाता है, बशर्ते कि, ऐसे समामेलन या पुनर्गठन के हिस्से के रूप में, रियायतग्राही की संपूर्ण संपत्ति, परिसंपत्तियां और उपक्रम समामेलित या पुनर्गठित संस्था को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं और समामेलित या पुनर्गठित संस्था ने इस समझौते और परियोजना समझौतों के तहत रियायतग्राही के दायित्वों को बिना शर्त स्वीकार कर लिया है, और बशर्ते कि: (i) समामेलित या पुनर्गठित संस्था के पास इसके तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए आवश्यक क्षमता और परिचालन अनुभव है...

34.1.2 इस समझौते के तहत प्राधिकरण के पास मौजूद किसी भी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही की चूक (Concessionaire's Default) होने पर, प्राधिकरण रियायतग्राही को समाप्ति नोटिस जारी करके इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा; शर्त यह है कि समाप्ति नोटिस जारी करने से पहले, प्राधिकरण एक नोटिस द्वारा रियायतग्राही को ऐसा समाप्ति नोटिस जारी करने के अपने इरादे से अवगत कराएगा और रियायतग्राही को अभ्यावेदन (representation) देने के लिए 15 (पंद्रह) दिनों का समय प्रदान करेगा, और ऐसे 15 (पंद्रह) दिनों की समाप्ति के बाद, चाहे उसे ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हो या नहीं, खंड 34.1.3 के प्रावधानों के अधीन, समाप्ति नोटिस जारी कर सकता है।

34.1.3 यदि वरिष्ठ ऋणदाता (Senior Lenders) हैं, तो प्राधिकरण खंड 34.1.2 में संदर्भित समाप्ति नोटिस जारी करने के अपने इरादे के नोटिस की एक प्रति ऋणदाताओं के प्रतिनिधि (Lenders' Representative) को सूचित करने के लिए भेजेगा और ऋणदाताओं के प्रतिनिधि को स्थानापन्न समझौते (Substitution Agreement) के अनुसार रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने के इरादे का उल्लेख करते हुए वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से अभ्यावेदन करने के लिए 15 (पंद्रह) दिनों का समय प्रदान करेगा। इस स्थिति में, यदि प्राधिकरण को वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त होता है, तो वह अपने विवेक से, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि को स्थानापन्न समझौते के अनुसार वरिष्ठ ऋणदाताओं के प्रतिस्थापन अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए, ऐसे अभ्यावेदन की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों से अनधिक की अवधि के लिए समाप्ति को रोक सकता है या निलंबन (Suspension) के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है, जैसा भी मामला हो:

बशर्ते कि ऋणदाताओं के प्रतिनिधि, वरिष्ठ ऋणदाताओं के प्रतिस्थापन के अधिकार का प्रयोग करने के बजाय, यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि नोटिस में निर्दिष्ट चूक को उक्त 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि के भीतर ठीक (cure) कर दिया जाए, और इसके ठीक होने पर, प्राधिकरण ऊपर संदर्भित अपने नोटिस को वापस ले लेगा और रियायतग्राही के सभी अधिकारों को बहाल कर देगा।

बशर्ते यह भी कि ऋणदाताओं के प्रतिनिधि और रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर, प्राधिकरण उक्त 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि को 90 (नब्बे) दिनों से अनधिक की ऐसी आगे की अवधि के लिए बढ़ाएगा, जैसा कि प्राधिकरण उचित समझे।

बशर्ते यह भी कि, इस खंड 34.1.3 के तहत कोई भी अधिकार ऋणदाताओं के प्रतिनिधि को उपलब्ध नहीं होगा, यदि रियायतग्राही की चूक रियायतग्राही द्वारा खंड 12.5.2 के अनुसार चरण I के 40% तक के चरण मील के पत्थर (Phase Milestone) को प्राप्त न करने के कारण हुई है, जो कि उसके कारण या उससे संबंधित किसी कारण से हुआ है, और ऐसे किसी भी मामले में, प्राधिकरण पर ऋणदाताओं के प्रतिनिधि को ऐसा कोई भी नोटिस तामील करने की कोई बाध्यता नहीं होगी।

34.2 प्राधिकरण की चूक के कारण समाप्ति

34.2.1 यदि नीचे निर्दिष्ट चूकों में से कोई भी चूक होती है, और प्राधिकरण 90 (नब्बे) दिनों की उपचार अवधि (Cure Period) या इस समझौते में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई लंबी अवधि के भीतर ऐसी चूक को ठीक करने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण को इस समझौते में चूककर्ता ("प्राधिकरण की चूक" / Authority Default) माना जाएगा, जब तक कि यह चूक रियायतग्राही द्वारा इस समझौते के किसी उल्लंघन या अपरिहार्य घटना (Force Majeure) के कारण न हुई हो। इसमें निम्नलिखित चूकें शामिल होंगी:

- (क) प्राधिकरण इस समझौते के किसी भी प्रावधान का पालन करने में महत्वपूर्ण चूक करता है और ऐसी चूक का रियायतग्राही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है,
- (ख) प्राधिकरण इस समझौते में निर्दिष्ट अवधि के भीतर रियायतग्राही को कोई भुगतान करने में विफल रहा है;
- (ग) प्राधिकरण हवाई अड्डे के विकास के लिए आवश्यक और अनिवार्य स्थल के कुल क्षेत्रफल के कम से कम 90% (नब्बे प्रतिशत) भाग पर राइट ऑफ वे (Right of Way) प्रदान करने में विफल रहता है; या
- (घ) प्राधिकरण इस समझौते का परित्याग करता है या अन्यथा कोई ऐसी कार्रवाई करता है जो इस समझौते से बाध्य न होने के उसके अपरिवर्तनीय इरादे को दर्शाती है।

34.2.2 इस समझौते के तहत रियायतग्राही के पास मौजूद किसी भी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण की चूक होने पर, रियायतग्राही, स्थानापन्न समझौते के प्रावधानों के अधीन, प्राधिकरण को समाप्ति नोटिस जारी करके इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा; शर्त यह है कि समाप्ति नोटिस जारी करने से पहले, रियायतग्राही एक नोटिस द्वारा प्राधिकरण को समाप्ति नोटिस जारी करने के अपने इरादे से अवगत कराएगा और प्राधिकरण को अभ्यावेदन करने के लिए 15 (पंद्रह) दिनों का समय देगा, और ऐसे 15 (पंद्रह) दिनों की समाप्ति के बाद, चाहे उसे ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हो या नहीं, समाप्ति नोटिस जारी कर सकता है।

34.3 समाप्ति भुगतान

34.3.1 संचालन अवधि (Operation Period) के दौरान रियायतग्राही की चूक के कारण समाप्ति पर, प्राधिकरण रियायतग्राही को समाप्ति भुगतान के रूप में निम्नलिखित के बराबर राशि का भुगतान करेगा:

- (क) देय ऋण (Debt Due) का 90% (नब्बे प्रतिशत), जिसमें से बीमा कवर का हिस्सा बनने वाले बीमा दावे को घटा दिया जाएगा,
- (ख) अतिरिक्त समाप्ति भुगतान (Additional Termination Payment) का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि का 70% (सत्तर प्रतिशत)।

बशर्ते कि यदि बीमा कवर का हिस्सा बनने वाले किसी बीमा दावे को स्वीकार और भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऐसे असंशोधित/अदत्त दावों का 80% (अस्सी प्रतिशत) देय ऋण की गणना में शामिल किया जाएगा। रियायतग्राही इसके द्वारा स्वीकार करता है कि चरण I सीओडी (COD) से पहले होने वाली रियायतग्राही की चूक के कारण कोई समाप्ति भुगतान देय या देय योग्य नहीं होगा, सिवाय इसके कि जैसा खंड 34.3.3 में प्रदान किया गया है।

34.3.2 प्राधिकरण की चूक के कारण समाप्ति पर, प्राधिकरण रियायतग्राही को समाप्ति भुगतान के रूप में निम्नलिखित के बराबर राशि का भुगतान करेगा:

(क) देय ऋण (Debt Due) घटाव उपलब्ध बीमा कवर से प्राप्त राशि; और

(ख) समायोजित इक्विटी (Adjusted Equity) का 150% (एक सौ पचास प्रतिशत); और

(ग) अतिरिक्त समाप्ति भुगतान का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि का 115% (एक सौ पंद्रह प्रतिशत)।

34.3.3 निर्माण अवधि (Construction Period) के दौरान रियायतग्राही की चूक के कारण समाप्ति पर, कुल परियोजना लागत (Total Project Cost) के पहले 40% (चालिस प्रतिशत) के व्यय के संबंध में कोई समाप्ति भुगतान देय नहीं होगा, और यदि व्यय ऐसे 40% से अधिक होता है और देय ऋण का हिस्सा बनता है, तो खंड 34.3.1 के प्रावधान देय ऋण पर लागू होने की सीमा तक, ऐसे 40% से अधिक के व्यय के संबंध में लागू होंगे। उदाहरण के रूप में, पक्षकार सहमत हैं कि यदि समाप्ति से पहले किया गया कुल व्यय कुल परियोजना लागत का 90% (नब्बे प्रतिशत) है, तो इसके तहत समाप्ति भुगतान की गणना के लिए पात्र व्यय कुल परियोजना लागत का 50% (पचास प्रतिशत) होगा और ऐसी स्थिति में देय समाप्ति भुगतान कुल परियोजना लागत के 45% (पैंतालीस प्रतिशत) से अधिक नहीं होगा। पक्षकार आगे सहमत हैं कि इस खंड 34.3.3 के उद्देश्यों के लिए, कुल परियोजना लागत का अर्थ कुल परियोजना लागत की परिभाषा के उप-खंड (ख) में निर्दिष्ट राशि होगी। पक्षकार यह भी सहमत हैं कि इस खंड 34.3.3 के तहत समाप्ति भुगतान निर्धारित करने के लिए, नवीनतम चरण मील के पथर (Phase Milestone) तक के व्यय की गणना की जाएगी।

34.3.4 रियायतग्राही द्वारा आवश्यक विवरणों के साथ प्राधिकरण से मांग किए जाने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर समाप्ति भुगतान रियायतग्राही को देय और भुगतान योग्य हो जाएगा, और किसी भी देरी के मामले में, प्राधिकरण समाप्ति भुगतान की अदत्त राशि पर बैंक दर से 3% (तीन प्रतिशत) अधिक की दर से ब्याज का भुगतान करेगा, बशर्ते कि ऐसी देरी 90 (नब्बे) दिनों से अधिक न हो। यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की गई है कि समाप्ति भुगतान इसके तहत इसके संबंध में प्राधिकरण के भुगतान दायित्वों का पूर्ण निपटान माना जाएगा।

34.3.5 समय बीत जाने (efflux of time) के कारण रियायत अवधि की समाप्ति पर और यदि हवाई अड्डे के कुशल, आर्थिक और सुरक्षित संचालन के लिए आवश्यक या इस समझौते की आवश्यकताओं के अनुसार कोई परियोजना परिसंपत्तियां (Project Assets), नियत तिथि की 25वीं (पच्चीसवीं) वर्षगांठ के बाद प्राधिकरण की पूर्व लिखित सहमति से अधिग्रहित और स्थापित

की गई हैं, जिस सहमति को अनुचित रूप से अस्वीकार नहीं किया जाएगा, तो खंड 34.4.1 के प्रावधानों के बावजूद, ऐसी परियोजना परिसंपत्तियों के समायोजित अवमूल्यित मूल्य (Adjusted Depreciated Value) के 80% (अस्सी प्रतिशत) के बराबर समाप्ति भुगतान प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को किया जाएगा। बशर्ते कि ऐसे किसी भी समाप्ति भुगतान को उस राशि से समायोजित और कम किया जाएगा जिस पर आईआरए (AERA - विमानन आर्थिक नियामक प्राधिकरण) द्वारा वैमानिक शुल्कों (Aeronautical Charges) के निर्धारण में विचार किया गया होगा।

34.3.6 रियायतग्राही स्पष्ट रूप से सहमत है कि इस अनुच्छेद 34 के तहत समाप्ति भुगतान किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति के कारण रियायतग्राही के सभी दावों का पूर्ण और अंतिम निपटान होगा और रियायतग्राही या उसके किसी भी शेयरधारक का किसी भी कानून, संधि, सम्मेलन, अनुबंध या अन्यथा के तहत कोई और अधिकार या दावा नहीं होगा।

34.4 समाप्ति भुगतान पर कुछ सीमाएं

34.4.1 इस समझौते के तहत देय और देय योग्य समाप्ति भुगतान (अतिरिक्त समाप्ति भुगतान न होना) की गणना इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार, यथास्थिति, देय ऋण और समायोजित इक्विटी के संदर्भ में की जाएगी। पक्षकार सहमत हैं कि चरण 1 सीओडी के 60 (साठ) दिनों की अवधि के भीतर, रियायतग्राही प्राधिकरण को चरण 1 सीओडी के अनुसार कुल परियोजना लागत और देय ऋण एवं इक्विटी के बीच इसके पृथक्करण (disaggregation) के बारे में सूचित करेगा। पक्षकार आगे सहमत हैं कि यदि ऐसे पृथक्करण की सूचना प्राधिकरण को नहीं दी जाती है, तो इक्विटी को कुल परियोजना लागत में से देय ऋण घटाकर प्राप्त की गई राशि माना जाएगा। पक्षकार यह भी सहमत हैं कि समाप्ति भुगतान की गणना के उद्देश्यों के लिए, देय ऋण किसी भी समय कुल परियोजना लागत के 70% (सत्तर प्रतिशत) से अधिक नहीं होगा।

34.4.2 विदेशी मुद्रा में व्यक्त किसी भी देय ऋण के संबंध में देय राशि की गणना समाप्ति भुगतान की तिथि पर संबंधित विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संदर्भ विनिमय दर (Reference Exchange Rate) पर की जाएगी। बशर्ते, हालांकि, इस खंड 34.4.2 के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि रियायतग्राही ऐसे विदेशी मुद्रा ऋणों को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने की तिथि से 60 (साठ) दिनों के भीतर विवरण प्रस्तुत नहीं करता है। बशर्ते यह भी कि विदेशी मुद्रा में सभी उधार कुल परियोजना लागत के वित्तपोषण तक सीमित रहेंगे और उससे अधिक का कोई भी उधार समाप्ति भुगतान की गणना के लिए योग्य नहीं होगा।

34.4.3 खंड 12.7 और मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे के विस्तार के संबंध में देय और देय योग्य अतिरिक्त समाप्ति भुगतान, और निर्दिष्ट परिसंपत्तियों (Specified Assets) का हिस्सा बनने वाली राशि निम्नलिखित में से सबसे कम तक सीमित होगी:

- (क) उसका समायोजित अवमूल्यित मूल्य (Adjusted Depreciated Value),
- (ख) वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा स्वीकृत हवाई अड्डे के विस्तार की पूंजीगत लागत;

- (ग) निर्माण पूरा होने पर चरण I के बाद हवाई अड्डे के विस्तार की वास्तविक लागत, और
- (घ) निर्माण शुरू होने से पहले और स्वतंत्र इंजीनियर के परामर्श से प्राधिकरण द्वारा यथोचित रूप से निर्दिष्ट हवाई अड्डे के विस्तार की अनुमानित पूंजीगत लागत।

34.5 रियायत अवधि का विस्तार

34.5.1 रियायत अवधि को खंड 3.1.1 के परंतु (Proviso) के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। ऐसे विस्तार की स्थिति में, खंड 34.3.5 में निर्दिष्ट समाप्ति भुगतान रियायतग्राही को देय नहीं होगा।

34.5.2 इसके तहत विस्तारित रियायत अवधि की समाप्ति पर, हवाई अड्डा इस समझौते के प्रावधानों के तहत और उनके अनुसार प्राधिकरण में निहित हो जाएगा, और इसके तहत प्राधिकरण को हवाई अड्डे के हस्तांतरण के संबंध में रियायतग्राही को कोई समाप्ति भुगतान देय नहीं होगा। बशर्ते, हालांकि, यदि इसके तहत विस्तार नहीं दिया जाता है, तो प्राधिकरण रियायतग्राही को खंड 34.3.5 के प्रावधानों के अनुसार गणना किए गए समाप्ति भुगतान का भुगतान करेगा।

34.6 प्राधिकरण के अन्य अधिकार और दायित्व

किसी भी कारण से समाप्त होने पर, प्राधिकरण:

- (क) तुरंत हवाई अड्डे का कब्जा और नियंत्रण अपने हाथ में लेगा;
- (ख) स्थल (Site) पर या उसके आसपास की सभी सामग्रियों, भंडारों, औजारों, निर्माण संयंत्रों और उपकरणों का कब्जा और नियंत्रण अपने हाथ में लेगा;
- (ग) रियायतग्राही और रियायतग्राही के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को स्थल या परियोजना के किसी भी हिस्से में प्रवेश करने से रोकने का हकदार होगा;
- (घ) रियायतग्राही को खंड 35.1 में निर्धारित विनिवेश आवश्यकताओं (Divestment Requirements) का पालन करने की आवश्यकता होगी; और
- (ङ) प्राधिकरण द्वारा चयन किए जाने पर, रियायतग्राही द्वारा किसी भी आगे की कार्रवाई की आवश्यकता के बिना, ऐसे परियोजना समझौतों के तहत रियायतग्राही के अधिकारों का उत्तराधिकारी बनेगा जिन्हें प्राधिकरण अपने विवेक से उचित समझता है, और ऐसे चयन पर ठेकेदारों (Contractors) के लिए केवल उस क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा जो प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के अधिकारों को ग्रहण करने की तिथि से उनके संबंधित परियोजना समझौतों की शर्तों के तहत देय होती है। रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत होता है कि ऐसे ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों और सेवाओं के लिए बकाया या ऐसी तिथि से पहले किसी भी कार्य, चूक या घटना के कारण होने वाली सभी राशियां रियायतग्राही और ऐसे ठेकेदारों के बीच ऋण का हिस्सा होंगी, और

प्राधिकरण किसी भी तरह से ऐसी राशियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यह आगे सहमति व्यक्त की जाती है कि यदि प्राधिकरण ऐसे परियोजना समझौतों के तहत किसी भी बकाया चूक को ठीक करने का विकल्प चुनता है, तो प्राधिकरण द्वारा इस उद्देश्य के लिए खर्च की गई राशि समाप्ति भुगतान से काट ली जाएगी।

34.7 अधिकारों का अस्तित्व

इस समझौते में इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, लेकिन खंड 34.3.6 के प्रावधानों के अधीन, इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार कोई भी समाप्ति किसी भी पक्षकार के अर्जित अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी, जिसमें मौद्रिक क्षतिपूर्ति, बीमा प्राप्तियों, सुरक्षा जमा (security deposits) का दावा करने और वसूल करने का अधिकार, तथा अन्य अधिकार और उपचार शामिल हैं जो कानून या अनुबंध के तहत उसके पास हो सकते हैं। इस समझौते के तहत किसी भी पक्षकार के सभी अधिकार और दायित्व, जिसमें समाप्ति भुगतान और विनिवेश आवश्यकताएं शामिल हैं, समाप्ति के बाद भी उस सीमा तक जीवित रहेंगे जिस सीमा तक ऐसे अधिकारों और दायित्वों को प्रभावी बनाने के लिए उनका अस्तित्व में रहना आवश्यक है।

अनुच्छेद 35 (ARTICLE 35)
अधिकारों और हितों का विनिवेश

35.1 विनिवेश आवश्यकताएं

35.1.1 समाप्ति पर, रियायतग्राही निम्नलिखित विनिवेश आवश्यकताओं का पालन और अनुपालन करेगा:

- (क) प्राधिकरण को सभी परियोजना परिसंपत्तियों के स्थान और विवरण के बारे में तुरंत सूचित करेगा;
- (ख) स्थानापन्न समझौते में निर्धारित सीमा को छोड़कर, सभी बाधाओं (Encumbrances) से मुक्त और स्पष्ट, हवाई अड्डे का वास्तविक या रचनात्मक कब्जा तुरंत सौंपेगा;
- (ग) सभी परियोजना परिसंपत्तियों के सभी दोषों और कमियों को ठीक करेगा ताकि हवाई अड्डा इस समझौते के अनुरूप हो, बशर्ते कि निर्माण अवधि के दौरान समाप्ति की स्थिति में, सभी परियोजना परिसंपत्तियों को सुरक्षित स्थिति में लाने के बाद 'जैसा है जहाँ है' ('as is where is') के आधार पर सौंपा जाएगा;
- (घ) हस्तांतरण तिथि (Transfer Date) तक पूर्ण 'एज़ बिल्ट' ड्राइंग (Drawings) सहित Master Plan और उससे संबंधित सभी कार्यक्रमों और नियमावलियों सहित हवाई अड्डे और उसके डिजाइन, इंजीनियरिंग, विकास, संचालन और रखरखाव से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड, रिपोर्ट, बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) और अन्य लाइसेंस प्रदान करेगा और स्थानांतरित करेगा। रियायतग्राही यह प्रतिनिधित्व और वारंटी देता है कि इसके तहत दी गई बौद्धिक संपदा हवाई अड्डे के डिजाइन, इंजीनियरिंग, विकास, संचालन और रखरखाव के लिए पर्याप्त और पूर्ण होगी और प्राधिकरण को किसी भी बाधा से मुक्त सौंपी जाएगी;
- (ङ) लागू कानूनों (Applicable Laws) के तहत अनुमत सीमा तक सभी लागू अनुमतियों (Applicable Permits) को स्थानांतरित और/या प्रदान करेगा;
- (च) पसंदीदा बोलीदाता (Preferred Bidder) और/या रियायतग्राही के किसी भी और सभी अन्य शेयरधारकों (प्राधिकरण और उसके नामित व्यक्तियों को छोड़कर) को समाप्ति भुगतान के बदले में समाप्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर रियायतग्राही में अपनी पूरी शेयरहोल्डिंग प्राधिकरण या उसके किसी भी नामित व्यक्ति को स्थानांतरित करने का कारण बनेगा, और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति लागू कानूनों के तहत आवश्यक सभी कार्रवाइयां और कार्यवाहियां करेगा;

(छ)रियायतग्राही के बोर्ड के सभी निदेशकों (उन निदेशकों को छोड़कर जो प्राधिकरण या उसके नामित व्यक्तियों द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं) को समाप्ति भुगतान के बदले में समाप्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर बोर्ड से त्यागपत्र देने का कारण बनेगा, और ऐसा प्रत्येक त्यागपत्र देने वाला निदेशक ऐसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लागू कानूनों के तहत आवश्यक सभी कार्रवाइयां करेगा;

(ज)हस्तांतरण पत्र, दस्तावेज़ और अन्य लेख निष्पादित करेगा जो प्राधिकरण को रियायतग्राही के सभी अधिकारों, स्वामित्व और हितों को परियोजना परिसंपत्तियों में स्थानांतरित करने, विनिवेश करने और सौंपने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, जिसमें किसी भी संयंत्र या उपकरण के संबंध में निर्माताओं की वारंटी और प्राधिकरण को देय बकाया बीमा दावों को प्राप्त करने का अधिकार शामिल है; और

(झ)हवाई अड्डे में रियायतग्राही के सभी अधिकारों, स्वामित्व और हितों के विनिवेश और हस्तांतरण को सभी बाधाओं से मुक्त, पूरी तरह से प्राधिकरण या उसके नामित व्यक्ति को सौंपने को पूरा करने के लिए लागू कानूनों के तहत यथा निर्धारित या आवश्यक अन्य सभी आवश्यकताओं का पालन करेगा।

35.1.2 इस समझौते के तहत या किसी भी परियोजना समझौते के तहत रियायतग्राही के किसी भी दायित्व को तीसरे पक्ष द्वारा निष्पादित करने या निष्पादित कराने के प्राधिकरण के अधिकारों के अधीन, पक्षकार इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन करना जारी रखेंगे, किसी भी समाप्ति नोटिस जारी होने के बावजूद, जब तक कि इस समझौते की समाप्ति इसकी शर्तों के अनुसार प्रभावी न हो जाए।

35.2 निरीक्षण और सुधार

समाप्ति से 90 (नब्बे) दिन पहले से कम नहीं लेकिन ऐसी समाप्ति की प्रभावी तिथि से 15 (पंद्रह) दिन पहले से बाद में नहीं, प्राधिकरण या उसका कोई भी नामित व्यक्ति रियायतग्राही को ऐसे सत्यापन और/या निरीक्षण के समय, तिथि और स्थान को निर्दिष्ट करते हुए उचित नोटिस देने के बाद, इस समझौते की शर्तों के साथ रियायतग्राही द्वारा किए गए अनुपालन का सत्यापन करेगा, और यदि आवश्यक हो, तो इस उद्देश्य के लिए रियायतग्राही की लागत पर उचित परीक्षण करवाएगा। चूक, यदि कोई हो, तो उसे रियायतग्राही द्वारा अपनी लागत पर ठीक किया जाएगा और इस **अनुच्छेद 35** के तहत दोषों या कमियों को ठीक करने के संबंध में **अनुच्छेद 36** के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित (mutatis mutandis) लागू होंगे।

35.3 परियोजना के हस्तांतरण पर सहयोग और सहायता

35.3.1 पक्षकार सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर सहयोग करेंगे और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार परियोजना के सुचारू हस्तांतरण को प्राप्त करने के लिए सद्भावपूर्वक सभी आवश्यक उपाय

करेंगे ताकि सुरक्षा की रक्षा की जा सके और उपयोगकर्ताओं (Users), जनता के अन्य सदस्यों या स्थल के किसी भी हिस्से के वैध अधिवक्ताओं को अनावश्यक देरी या असुविधा से बचाया जा सके।

35.3.2 समय बीत जाने के कारण समाप्ति की स्थिति में हस्तांतरण तिथि से 9 (नौ) महीने पहले और किसी भी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को समाप्ति नोटिस जारी करने के अपने इरादे से अवगत कराने की स्थिति में तुरंत, पक्षकार एक-दूसरे को हस्तांतरण तिथि के बाद हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए प्रस्तावित व्यवस्थाओं के संबंध में व्यावहारिक रूप से यथासंभव जानकारी और सलाह प्रदान करेंगे। रियायतग्राही ऐसी उचित सलाह और सहायता प्रदान करेगा जो प्राधिकरण, उसका रियायतग्राही या एजेंट हस्तांतरण तिथि के 6 (छह) महीने की समाप्ति तक परियोजना के संचालन के लिए यथोचित रूप से मांग सकता है।

35.4 निहितीकरण प्रमाण पत्र

हवाई अड्डे में सभी अधिकारों, स्वामित्व और हितों का विनिवेश उस तिथि पर पूर्ण माना जाएगा जब विनिवेश की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, और प्राधिकरण, बिना किसी अनुचित देरी के, अनुसूची Q ("निहितीकरण प्रमाण पत्र" / Vesting Certificate) में निर्धारित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिसका प्रभाव रियायतग्राही द्वारा हवाई अड्डे में अपने सभी अधिकारों, स्वामित्व और हितों के विनिवेश का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि विनिवेश आवश्यकताओं में किसी भी दोष या कमी को किसी भी तरह से प्राधिकरण या उसके नामित व्यक्ति द्वारा हवाई अड्डे पर अधिकारों के प्रयोग को प्रतिबंधित करने के रूप में नहीं समझा जाएगा।

35.5 विनिवेश लागत आदि

35.5.1 रियायतग्राही समाप्ति पर प्राधिकरण के पक्ष में परियोजना परिसंपत्तियों में अपने सभी अधिकारों, स्वामित्व और हितों के विनिवेश से जुड़े सभी खर्चों का वहन और भुगतान करेगा, सिवाय इसके कि ऐसे विनिवेश के संबंध में निष्पादित किसी भी विलेख या दस्तावेज़ पर देय सभी स्टाम्प शुल्क रियायतग्राही द्वारा वहन किए जाएंगे।

35.5.2 इस अनुच्छेद 35 के अंतर्गत आने वाले मामलों से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में, विवाद समाधान प्रक्रिया (Dispute Resolution Procedure) लागू होगी।

अनुच्छेद 36

समाप्ति के बाद दोष उत्तरदायित्व

36.1 समाप्ति के बाद दोषों के लिए उत्तरदायित्व

रियायतग्राही समाप्ति के बाद 120 (एक सौ बीस) दिनों की अवधि के लिए हवाई अड्डे में सभी दोषों और कमियों के लिए जिम्मेदार होगा, और उसकी यह बाध्यता है कि वह उक्त अवधि के दौरान प्राधिकरण द्वारा हवाई अड्डे में देखे गए सभी दोषों और कमियों की मरम्मत या सुधार अपनी लागत पर करे। यदि रियायतग्राही इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि के भीतर ऐसे दोष या कमी की मरम्मत या सुधार करने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण रियायतग्राही के जोखिम और लागत पर इसे ठीक कराने का हकदार होगा ताकि हवाई अड्डा मुख्य प्रदर्शन संकेतकों (Key Performance Indicators) और इस समझौते की शर्तों के अनुरूप हो सके। इसके तहत प्राधिकरण द्वारा किए गए सभी खर्चों की प्रतिपूर्ति रियायतग्राही द्वारा मांग प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण को की जाएगी, और ऐसी लागतों की प्रतिपूर्ति में चूक की स्थिति में, प्राधिकरण खंड 36.2 के प्रावधानों के तहत एस्करो खाता (Escrow Account) में रखी गई धनराशि से या इसके तहत प्रदान की गई कार्य निष्पादन गारंटी (Performance Guarantee) से इसे वसूल करने का हकदार होगा।

36.2 एस्करो खाते में प्रतिधारण

36.2.1 इस समझौते में इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, लेकिन खंड 36.2.3 के प्रावधानों के अधीन, हस्तांतरण तिथि से ठीक पहले के वर्ष के लिए कुल सकल राजस्व (Gross Revenue) के 5% (पांच प्रतिशत) के बराबर राशि खंड 36.1 के प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले दायित्वों को पूरा करने के लिए समाप्ति के बाद 120 (एक सौ बीस) दिनों की अवधि के लिए एस्करो खाते में रखी जाएगी।

36.2.2 खंड 36.2.1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण स्वयं, या अपने नामित व्यक्ति के माध्यम से, समाप्ति से 210 (दो सौ दस) और 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के बीच किसी भी समय हवाई अड्डे का निरीक्षण करेगा, और यदि यह सिफारिश की जाती है कि हवाई अड्डे की स्थिति ऐसी है कि खंड 36.2.1 में निर्धारित राशि से अधिक राशि एस्करो खाते में और उक्त 120 (एक सौ बीस) दिनों से अधिक अवधि के लिए रखी जानी चाहिए, तो प्राधिकरण या उसके स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा अनुशंसित राशि उसके द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए एस्करो खाते में रखी जाएगी।

36.2.3 रियायतग्राही इस अनुच्छेद 36 के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए, प्राधिकरण को बैंक से खंड 36.2.1 या खंड 36.2.2 के तहत निर्धारित राशि के बराबर राशि के लिए एक गारंटी प्रदान कर सकता है, जैसा भी मामला हो, और उसमें निर्दिष्ट अवधि के लिए, जो अनुसूची F ("कार्य निष्पादन गारंटी" / Performance Guarantee) में निर्धारित प्रारूप में होगी, और प्राधिकरण इस अनुच्छेद 36 के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही के जोखिम और लागत पर

मरम्मत या सुधार करने के लिए कार्य निष्पादन गारंटी से आवश्यक राशियों को भुनाने और उपयोग करने का हकदार होगा। इस खंड 36.2.3 के तहत कार्य निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने पर, खंड 36.2.1 या खंड 36.2.2 के संदर्भ में एस्करो खाते में धनराशि का प्रतिधारण समाप्त कर दिया जाएगा।

भाग VI
अन्य प्रावधान

अनुच्छेद 37

हस्तांतरण और प्रभार

37.1 हस्तांतरण और प्रभार पर प्रतिबंध

37.1.1 खंड 37.2 और खंड 37.3 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही (Concessionaire) द्वारा यह समझौता किसी भी व्यक्ति को तब तक हस्तांतरित (assign) नहीं किया जाएगा, जब तक कि इसके लिए प्राधिकरण (Authority) की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त न कर ली गई हो। प्राधिकरण बिना कोई कारण बताए ऐसी सहमति देने से इनकार करने का हकदार होगा।

37.1.2 खंड 37.2 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही प्राधिकरण की पूर्व लिखित सहमति के बिना न तो कोई विबंधन/बाधा (Encumbrance) उत्पन्न करेगा और न ही बने रहने देगा, या अन्यथा इस समझौते या किसी अन्य परियोजना समझौते (Project Agreement), जिसमें रियायतग्राही एक पक्षकार है, के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार और लाभों को स्थानांतरित या निपटाएगा। प्राधिकरण बिना कोई कारण बताए ऐसी सहमति देने से इनकार करने का हकदार होगा।

37.2 अनुमत हस्तांतरण और प्रभार

खंड 37.1 में निर्धारित प्रतिबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

(क) हवाई अड्डे के सामान्य व्यवसाय के दौरान लागू कानूनों (Applicable Laws) के संचालन द्वारा (या उसी का साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले समझौते द्वारा) उत्पन्न होने वाले धारणाधिकार (liens);

(ख) हवाई अड्डे के सामान्य व्यवसाय के दौरान उत्पन्न या बनाए गए परियोजना परिसंपत्तियों (Project Assets) (प्राप्य राशियों को छोड़कर) और उनके संबंधित स्वत्व दस्तावेजों के अलावा अन्य सामानों/परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक/गिरवी (hypothecation/pledge), जो केवल वित्तपोषण समझौतों (Financing Agreements) के तहत वरिष्ठ ऋणदाताओं (Senior Lenders) के प्रति देनदारियों के लिए सुरक्षा के रूप में और/या हवाई अड्डे के लिए कार्यशील पूंजी व्यवस्थाओं (working capital arrangements) के रूप में हो। वरिष्ठ ऋणदाता इस समझौते के तहत प्राधिकरण के अधिकारों के अधीन और बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के, एस्करो खाते (Escrow Account) पर धारणाधिकार बनाने के हकदार होंगे; और

(ग) वित्तपोषण समझौतों के तहत वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा प्रदान किए गए वित्तपोषण की सुरक्षा के रूप में स्थानापन्न समझौते (Substitution Agreement) के अनुसार और उसकी सीमा तक, वरिष्ठ ऋणदाताओं के लाभ के लिए और उनके नामित व्यक्ति के रूप में ऋणदाताओं के प्रतिनिधि (Lenders' Representative) के पक्ष में या उसके नाम रियायतग्राही के अधिकारों, हितों और दायित्वों का हस्तांतरण।

37.3 स्थानापन्न समझौता (Substitution Agreement)

37.3.1 ऋणदाताओं के प्रतिनिधि, वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से, अनुसूची R (Schedule R) में निर्धारित प्रारूप में रियायतग्राही, प्राधिकरण और ऋणदाताओं के प्रतिनिधि (वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से) के बीच किए जाने वाले रियायतग्राही के प्रतिस्थापन समझौते ("स्थानापन्न समझौता") के अनुसार रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि, शर्त यह है कि यदि ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के माध्यम से कार्य करने वाले वरिष्ठ ऋणदाता, स्थानापन्न समझौते की शर्तों के अनुसार किसी नामित कंपनी (Nominated Company) के साथ रियायतग्राही की पहचान करने या प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो प्राधिकरण को रियायतग्राही को इस प्रकार प्रतिस्थापित करने का अधिकार होगा कि स्थानापन्न समझौते के उद्देश्यों के लिए प्राधिकरण एक नामित कंपनी होगी, और नामित कंपनी के किसी भी संदर्भ का अर्थ प्राधिकरण होगा तथा स्थानापन्न समझौते के अन्य सभी नियमों और शर्तों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

37.3.2 स्थानापन्न समझौते के तहत और उसके अनुसार रियायतग्राही के प्रतिस्थापन पर, रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने वाली नामित कंपनी को इस समझौते के तहत रियायतग्राही माना जाएगा और वह सभी अधिकारों का आनंद लेगी तथा इस समझौते के तहत रियायतग्राही के सभी दायित्वों के लिए जिम्मेदार होगी मानो वह रियायतग्राही हो, बशर्ते कि जहाँ ऐसे प्रतिस्थापन की तिथि पर रियायतग्राही इस समझौते का उल्लंघन कर रहा हो, वहाँ प्राधिकरण एक नोटिस द्वारा रियायतग्राही को ऐसे उल्लंघन को ठीक करने के लिए 120 (एक सौ बीस) दिनों की उपचार अवधि (Cure Period) प्रदान करेगा।

37.4 प्राधिकरण द्वारा हस्तांतरण

इस समझौते में इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण, रियायतग्राही को 60 (साठ) दिनों का नोटिस देने के बाद, इस समझौते के तहत अपने किसी भी अधिकार, लाभ और/या दायित्व को किसी ऐसे हस्तांतरिती (assignee) को हस्तांतरित और/या स्थानांतरित कर सकता है, जो प्राधिकरण की उचित राय में, इस समझौते के तहत प्राधिकरण के उस समय के सभी बकाया दायित्वों को पूरा करने में सक्षम हो।

37.5 हस्तक्षेप अधिकार

37.5.1 किसी आपात स्थिति के मामले में (जैसा कि प्राधिकरण द्वारा अपने एकमात्र विवेक में, लिखित रूप में सूचित किया गया है), प्राधिकरण को रियायतग्राही के स्थान पर हवाई अड्डे का नियंत्रण अस्थायी रूप से स्वयं या किसी नामित सरकारी संस्था (Government Instrumentality) के माध्यम से अपने हाथ में लेने का अधिकार है। जिस अवधि के दौरान हवाई अड्डे का नियंत्रण प्राधिकरण या नामित सरकारी संस्था द्वारा ग्रहण किया जाता है, उस सीमित अवधि के लिए इस समझौते के तहत रियायतग्राही के दायित्वों का निर्वहन करने के उद्देश्य से प्राधिकरण को रियायतग्राही माना जाएगा। ऐसी अवधि के दौरान रियायतग्राही के कर्तव्यों और दायित्वों को

निलंबित रखा जाएगा और प्राधिकरण या उसकी नामित सरकारी संस्था इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे का संचालन और रखरखाव करेगी। हालांकि, शर्त यह है कि उपर्युक्त आपात स्थिति और उसके किसी भी प्रभाव के समाप्त होने के 7 (सात) दिनों के भीतर, या आपात स्थिति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित समय-अवधि के भीतर, प्राधिकरण या उसकी नामित सरकारी संस्था, जैसा भी मामला हो, हवाई अड्डे को (जैसा कि वह उस तिथि को मौजूद है) इसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार संचालित और प्रबंधित करने के लिए रियायतग्राही को वापस सौंप देगी।

37.5.2 ऐसी अवधि के दौरान प्राधिकरण या उसकी नामित सरकारी संस्था द्वारा वैमानिक सेवाओं (Aeronautical Services) या गैर-वैमानिक सेवाओं (Non-Aeronautical Services) के प्रावधान के संबंध में वसूला गया और एकत्र किया गया कोई भी प्रभार, रियायतग्राही के लिए और उसकी ओर से रखा जाएगा और नीचे दिए गए खंड 37.5.3 के अधीन रियायतग्राही को दिया जाएगा।

37.5.3 रियायतग्राही, हस्तक्षेप (step-in) की अवधि के दौरान हवाई अड्डे के संचालन और रखरखाव से संबंधित प्राधिकरण या उसकी नामित सरकारी संस्था द्वारा किए गए किसी भी और सभी लागतों एवं व्ययों के लिए, जैसा भी मामला हो, प्राधिकरण या उसकी नामित सरकारी संस्था की प्रतिपूर्ति (reimburse) करेगा और उसे क्षतिपूर्ति (indemnify) प्रदान करेगा। इन लागतों और व्ययों को प्राधिकरण या उसकी नामित सरकारी संस्था द्वारा ऊपर खंड 37.5.2 के तहत प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को देय राशियों में से समायोजित (set-off) किया जा सकता है।

37.5.4 यदि हस्तक्षेप की अवधि 3 (तीन) महीने से अधिक हो जाती है, तो इसे खंड 31.4 के तहत अपरिहार्य घटना की राजनीतिक घटना (Political Event of Force Majeure) माना जाएगा और तदनुसार निपटा जाएगा।

अनुच्छेद 38

दायित्व और क्षतिपूर्ति

38.1 सामान्य क्षतिपूर्ति

38.1.1 रियायतग्राही, प्राधिकरण और उसके अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों, सरकारी संस्थाओं, भारत सरकार की नामित एजेंसियों (Designated GOI Agencies) तथा प्राधिकरण के स्वामित्व वाली और/या नियंत्रित संस्थाओं/उद्यमों ("सरकारी क्षतिपूरित व्यक्ति" / Government Indemnified Persons) को तृतीय पक्ष (third parties) के किसी भी और सभी दावों, मुकदमों, कार्यवाहियों, मांगों, नुकसान, क्षति, लागत और व्यय से सुरक्षित रखेगा, उनका बचाव करेगा और उन्हें क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा, चाहे वे इस समझौते या किसी संबंधित समझौते के तहत रियायतग्राही द्वारा अपने किसी भी दायित्व के उल्लंघन से उत्पन्न हुए हों, या रियायतग्राही द्वारा दायित्वों के निष्पादन में किसी त्रुटि या कमी के कारण हों, या अनुबंध या अपकृत्य (tort) के तहत रियायतग्राही की किसी लापरवाही से, या कपट (fraud) या लापरवाही के आधार पर हों, या किसी अन्य आधार पर हों; सिवाय उस सीमा के जहाँ ऐसे मुकदमे, कार्यवाहियां, कार्रवाइयां, मांगे और दावे सरकारी क्षतिपूरित व्यक्तियों की ओर से किसी जानबूझकर किए गए लापरवाहीपूर्ण कार्य या चूक, या इस समझौते के उल्लंघन या चूक के कारण उत्पन्न हुए हों।

38.1.2 प्राधिकरण, रियायतग्राही को तृतीय पक्ष के किसी भी और सभी मुकदमों, कार्यवाहियों, कार्रवाइयों, मांगों और दावों से सुरक्षित रखेगा, उसका बचाव करेगा और क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा, जो निम्नलिखित से उत्पन्न होते हैं: (a) स्थल (Site) में शामिल भूमि में प्राधिकरण के स्वत्व (title) और/या अधिकारों में दोष, और/या (b) प्राधिकरण द्वारा इस समझौते या किसी संबंधित समझौते के तहत अपने किसी दायित्व का उल्लंघन, जो रियायतग्राही द्वारा इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन को महत्वपूर्ण और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है; बशर्ते कि जहाँ ऐसा कोई दावा, मुकदमा, कार्यवाही, कार्रवाई और/या मांग रियायतग्राही, उसकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों, ठेकेदारों, कर्मचारियों या एजेंटों की ओर से किसी लापरवाहीपूर्ण कार्य या चूक, या इस समझौते या किसी संबंधित समझौते के किसी प्रावधान के तहत अपने किसी दायित्व के उल्लंघन और/या अपने वैधानिक कर्तव्य के उल्लंघन के कारण उत्पन्न हुई है, तो उसकी जिम्मेदारी रियायतग्राही की होगी।

38.2 रियायतग्राही द्वारा क्षतिपूर्ति

38.2.1 खंड 38.1 की व्यापकता को सीमित किए बिना, रियायतग्राही निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित किसी भी और सभी नुकसान और/या क्षति से प्राधिकरण और सरकारी क्षतिपूरित व्यक्तियों को पूरी तरह से क्षतिपूरित रखेगा, सुरक्षित रखेगा और उनका बचाव करेगा:

(क) लागू कानूनों और लागू अनुमतियों (Applicable Permits) का पालन करने में रियायतग्राही की विफलता

(ख) रियायतग्राही के ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और प्रतिनिधियों की आय या अन्य करों के संबंध में रियायतग्राही द्वारा किए जाने वाले करों का भुगतान; या

(ग) रियायतग्राही या उसके किसी ठेकेदार को दी गई सामग्री या सेवाओं के परिणामस्वरूप देय राशियों का भुगतान न करना जो रियायतग्राही या उसके किसी ठेकेदार द्वारा देय हैं।

38.2.2 इस **अनुच्छेद 38** के प्रावधानों की व्यापकता को सीमित किए बिना, रियायतग्राही सरकारी क्षतिपूरित व्यक्तियों को किसी भी और सभी मुकदमों, कार्यवाहियों, कार्रवाईयों, दावों, मांगों, देनदारियों और क्षतियों से पूरी तरह क्षतिपूरित रखेगा, सुरक्षित रखेगा और उनका बचाव करेगा, जो सरकारी क्षतिपूरित व्यक्तियों को इसके बाद रियायतग्राही द्वारा या रियायतग्राही के दायित्वों का पालन करने में रियायतग्राही के ठेकेदारों द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री, सूचना, डिजाइन या प्रक्रिया के संबंध में किसी भी घरेलू या विदेशी पेटेंट अधिकारों, कॉपीराइट या अन्य बौद्धिक संपदा, स्वामित्व या गोपनीयता अधिकारों के उल्लंघन के दावों से उत्पन्न होने वाली मांगों, दावों, मुकदमों या कार्यवाहियों के कारण भुगतानी पड़ सकती हैं या भुगतान करना पड़ सकता है।

यदि ऐसे किसी मुकदमे, कार्रवाई, दावे या कार्यवाही में, कोई अस्थायी रोक आदेश या प्रारंभिक व्यादेश (preliminary injunction) दिया जाता है, तो रियायतग्राही एक संतोषजनक बॉण्ड देकर या अन्यथा, व्यादेश या रोक आदेश को रद्द करने या निलंबित करने के लिए हर उचित प्रयास करेगा। यदि, ऐसे किसी मुकदमे, कार्रवाई, दावे या कार्यवाहियों में, हवाई अड्डे, या उसके किसी हिस्से को उल्लंघन माना जाता है और उसके उपयोग को स्थायी रूप से रोक दिया जाता है, तो रियायतग्राही प्राधिकरण के लिए बिना किसी लागत के, उल्लंघनकारी कार्य के निरंतर उपयोग को अधिकृत करने वाला लाइसेंस प्राप्त करने के लिए तुरंत हर उचित प्रयास करेगा। यदि रियायतग्राही निर्धारित समय के भीतर ऐसा लाइसेंस प्राप्त करने में असमर्थ है, तो रियायतग्राही, अपने खर्च पर, और विनिर्देशों और मानकों (Specifications and Standards) को प्रभावित किए बिना, या तो प्रभावित कार्य, या हिस्से, या प्रक्रिया को गैर-उल्लिखित कार्य या हिस्से या प्रक्रिया से बदल देगा, या उसमें इस प्रकार संशोधन करेगा कि वह गैर-उल्लिखित हो जाए।

38.3 नोटिस और दावों का प्रतिवाद

इस स्थिति में कि किसी भी पक्षकार को किसी तृतीय पक्ष से ऐसा दावा या मांग प्राप्त होती है जिसके संबंध में वह इस **अनुच्छेद 38** के तहत क्षतिपूर्ति का हकदार है ("क्षतिपूरित पक्षकार" / Indemnified Party), तो वह दावा या मांग प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर दूसरे पक्षकार ("क्षतिपूर्तिदाता पक्षकार" / Indemnifying Party) को सूचित करेगा और क्षतिपूर्तिदाता पक्षकार की पूर्व स्वीकृति के बिना दावे का निपटारा या भुगतान नहीं करेगा, जिसकी स्वीकृति अनुचित रूप से नहीं रोकी जाएगी या विलंबित नहीं की जाएगी। यदि क्षतिपूर्तिदाता पक्षकार दावे या मांग का प्रतिवाद या विवाद करना चाहता है, तो वह क्षतिपूरित पक्षकार के नाम पर कार्यवाही का संचालन कर सकता है, जो कि क्षतिपूरित पक्षकार को उसके उचित संतोष के अनुसार शामिल किसी भी लागत के विरुद्ध सुरक्षित रखने के अधीन होगा।

38.4 दावों का बचाव

38.4.1 क्षतिपूरित पक्षकार को किसी भी मामले के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले तृतीय पक्ष द्वारा उस पक्षकार के खिलाफ आरोपित किसी भी दावे, कार्रवाई, मुकदमे या कार्यवाही का प्रतिवाद करने, बचाव करने और मुकदमा लड़ने का अधिकार है, लेकिन बाध्यता नहीं है, जिसके लिए वह इसके तहत क्षतिपूर्ति का हकदार है, और इसकी उचित लागत और व्यय क्षतिपूर्तिदाता पक्षकार द्वारा क्षतिपूरित किए जाएंगे। यदि क्षतिपूर्तिदाता पक्षकार इस **अनुच्छेद 38** द्वारा प्रदान की गई पूरी सीमा तक नुकसान के संबंध में क्षतिपूरित पक्षकार को क्षतिपूरित करने के अपने दायित्व को लिखित रूप में स्वीकार करता है, तो क्षतिपूर्तिदाता पक्षकार, अपने विकल्प पर, अपने खर्च पर और अपनी पसंद के वकील के माध्यम से क्षतिपूरित पक्षकार के नाम पर (यदि आवश्यक हो) ऐसे दावे, कार्रवाई, मुकदमे या कार्यवाही, देनदारियों, भुगतानों और दायित्वों का बचाव करने और उन्हें नियंत्रित करने का हकदार होगा; बशर्ते कि वह ऐसा करने के अपने इरादे का त्वरित नोटिस क्षतिपूरित पक्षकार को दे और क्षतिपूर्तिदाता पक्षकार द्वारा ऐसे बचाव को संभालने से पहले क्षतिपूरित पक्षकार द्वारा किए गए उचित लागत और व्यय की भरपाई क्षतिपूरित पक्षकार को करे। क्षतिपूर्तिदाता पक्षकार क्षतिपूरित पक्षकार की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी दावे, मांग, कार्रवाई, मुकदमे या कार्यवाही का निपटारा या समझौता करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि क्षतिपूर्तिदाता पक्षकार क्षतिपूरित पक्षकार को ऐसी सुरक्षा प्रदान न करे जो क्षतिपूरित पक्षकार द्वारा इसके तहत क्षतिपूर्ति किए जाने वाले नुकसान को सुरक्षित करने के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हो।

38.4.2 यदि क्षतिपूर्तिदाता पक्षकार ने खंड 38.3 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग किया है, तो क्षतिपूरित पक्षकार क्षतिपूर्तिदाता पक्षकार की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी दावे, कार्रवाई, मुकदमे या कार्यवाही का निपटारा या समझौता करने का हकदार नहीं होगा (जिस सहमति को अनुचित रूप से रोका या विलंबित नहीं किया जाएगा)।

38.4.3 यदि क्षतिपूर्तिदाता पक्षकार खंड 38.3 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, तो क्षतिपूरित पक्षकार को फिर भी अपना वकील नियुक्त करने का अधिकार होगा, और ऐसा वकील ऐसी कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन ऐसे वकील की फीस और खर्च क्षतिपूरित पक्षकार के खर्च पर होंगे, जब और जैसे ही वे होंगे, जब तक कि:

(क) उस पक्षकार द्वारा वकील की नियुक्ति को क्षतिपूर्तिदाता पक्षकार द्वारा लिखित रूप में अधिकृत न किया गया हो;

(ख) क्षतिपूरित पक्षकार ने यथोचित रूप से यह निष्कर्ष निकाला हो कि ऐसी कार्रवाई के बचाव के संचालन में क्षतिपूर्तिदाता पक्षकार और क्षतिपूरित पक्षकार के बीच हितों का टकराव (conflict of interest) हो सकता है;

(ग) क्षतिपूर्तिदाता पक्षकार ने वास्तव में, ऐसी कार्रवाई का बचाव करने के लिए क्षतिपूरित पक्षकार को यथोचित रूप से संतोषजनक स्वतंत्र वकील नियुक्त न किया हो और क्षतिपूरित पक्षकार द्वारा उसे सूचित न किया गया हो; या

(घ) क्षतिपूरित पक्षकार ने यथोचित रूप से निष्कर्ष निकाला हो और विशेष रूप से क्षतिपूर्तिदाता पक्षकार को सूचित किया हो कि या तो: (i) उसके पास विशिष्ट बचाव उपलब्ध हो सकते हैं जो क्षतिपूर्तिदाता पक्षकार के पास उपलब्ध बचावों से भिन्न या अतिरिक्त हैं; या (ii) ऐसा दावा, कार्रवाई, मुकदमा या कार्यवाही इस समझौते के दायरे से परे उस पर प्रतिकूल प्रभाव (Material Adverse Effect) डालती है या डाल सकती है:

बशर्ते कि यदि इस खंड 38.4.3 के उप-खंड (ख), (ग) या (घ) लागू होते हैं, तो क्षतिपूरित पक्षकार के वकील को क्षतिपूरित पक्षकार की ओर से ऐसे दावे, मांग, कार्रवाई, मुकदमे या कार्यवाही के बचाव का निर्देशन करने का अधिकार है, और ऐसे वकील की उचित फीस और संवितरण (disbursements) इसके तहत कानूनी या अन्य व्यय का हिस्सा होंगे।

38.5 कोई परिणामी दावा नहीं

इस **अनुच्छेद 38** में इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, यहाँ प्रदान की गई क्षतिपूर्ति में अप्रत्यक्ष, आकस्मिक या परिणामी प्रकृति के किसी भी लागत, व्यय, नुकसान या क्षति के संबंध में कोई दावा या वसूली शामिल नहीं होगी, जिसमें लाभ की हानि भी शामिल है, जैसा कि इस समझौते में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है।

38.6 समाप्ति पर अस्तित्व

इस **अनुच्छेद 38** के प्रावधान समझौते की समाप्ति (Termination) के बाद भी लागू रहेंगे।

अनुच्छेद 39

विवाद समाधान

39.1 विवाद समाधान

39.1.1 पक्षकारों के बीच इस समझौते (इसके अर्थानुवचन/व्याख्या सहित) के तहत या उससे उत्पन्न या उससे संबंधित किसी भी प्रकृति का कोई भी विवाद, मतभेद या विवाद, और जिसे किसी भी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को लिखित रूप में सूचित किया गया है ("विवाद" / Dispute), प्रथमतया, खंड 39.2 में निर्धारित सुलह प्रक्रिया (conciliation procedure) के अनुसार सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास किया जाएगा।

39.1.2 पक्षकार इस समझौते के तहत या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को तुरंत, न्यायसंगत और सद्भावपूर्वक हल करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करने के लिए सहमत होते हैं, और आगे किसी भी विवाद से संबंधित सभी गैर-विशेषाधिकार प्राप्त रिकॉर्ड, सूचना और डेटा तक सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान एक-दूसरे को उचित पहुंच प्रदान करने के लिए सहमत होते हैं।

39.2 सुलह

पक्षकारों के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में, कोई भी पक्षकार निर्माण अवधि (Construction Period) के दौरान स्वतंत्र इंजीनियर (Independent Engineer) को और संचालन अवधि (Operation Period) के दौरान किसी उद्योग विशेषज्ञ (industry expert) को मध्यस्थता करने और सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचने में पक्षकारों की सहायता करने के लिए बुला सकता है। स्वतंत्र इंजीनियर या उद्योग विशेषज्ञ, जैसा भी मामला हो, द्वारा मध्यस्थता में विफलता पर, या ऐसे स्वतंत्र इंजीनियर या उद्योग विशेषज्ञ के हस्तक्षेप के बिना, कोई भी पक्षकार ऐसे विवाद को सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (Vice Chairman & Managing Director) और रियायतग्राही के निदेशक मंडल के अध्यक्ष (Chairman of the Board of Directors) के पास भेजने की आवश्यकता रख सकता है, और ऐसे संदर्भ पर, उक्त व्यक्ति चर्चा करने और विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करने के लिए संदर्भ की तिथि से 7 (सात) दिनों के भीतर बैठक करेंगे। यदि ऐसी बैठक 7 (सात) दिनों की अवधि के भीतर नहीं होती है या बैठक के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर विवाद का सौहार्दपूर्ण निपटारा नहीं होता है या खंड 39.1.1 में संदर्भित लिखित नोटिस के 30 (तीस) दिनों के भीतर निपटारे की लिखित शर्तों पर हस्ताक्षर द्वारा साक्ष्यांकित विवाद हल नहीं होता है, या पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत किसी लंबी अवधि के भीतर हल नहीं होता है, तो कोई भी पक्षकार खंड 39.3 के प्रावधानों के अनुसार विवाद को मध्यस्थता (arbitration) के लिए भेज सकता है।

39.3 मध्यस्थता

39.3.1 ईआरए अधिनियम (AERA Act) के प्रावधानों के तहत विवादों पर निर्णय लेने की ईआरए (AERA - विमानन आर्थिक नियामक प्राधिकरण) की शक्ति और अधिकार क्षेत्र के अधीन, कोई भी अन्य विवाद जो खंड 39.2 में प्रदान किए गए अनुसार सुलह द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं होता है, खंड 39.3.2 के अनुसार मध्यस्थता न्यायाधिकरण (arbitral tribunal) द्वारा मध्यस्थता के संदर्भ द्वारा अंतिम रूप से तय किया जाएगा। ऐसी मध्यस्थता नियमों (Rules) के अनुसार आयोजित की जाएगी, और मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) के प्रावधानों के अधीन होगी। ऐसी मध्यस्थता का स्थान राज्य की राजधानी होगा और मध्यस्थता कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी।

39.3.2 एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण होगा जिसमें 3 (तीन) मध्यस्थ शामिल होंगे, जिनमें से प्रत्येक पक्षकार 1 (एक) मध्यस्थ का चयन करेगा, और 3रे (तीसरे) मध्यस्थ की नियुक्ति इस प्रकार चयनित 2 (दो) मध्यस्थों द्वारा की जाएगी, और दोनों मध्यस्थों के बीच असहमति की स्थिति में, नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी।

39.3.3 मध्यस्थता न्यायाधिकरण एक सकारण निर्णय ("पंचाट" / Award) देगा। इस **अनुच्छेद 39** के अनुसार आयोजित किसी भी मध्यस्थता में दिया गया कोई भी पंचाट पक्षकारों पर इसके जारी होने की तिथि से अंतिम और बाध्यकारी होगा, और रियायतग्राही एवं प्राधिकरण बिना किसी देरी के ऐसे पंचाट को निष्पादित करने के लिए सहमत और वचनबद्ध होते हैं।

39.3.4 रियायतग्राही और प्राधिकरण सहमत हैं कि एक पंचाट को रियायतग्राही और/या प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, और उनकी संबंधित परिसंपत्तियों के खिलाफ, चाहे वे कहीं भी स्थित हों, लागू किया जा सकता है।

39.3.5 यह समझौता और पक्षकारों के अधिकार एवं दायित्व इसके तहत किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही में पंचाट के लंबित रहने तक पूर्ण रूप से लागू और प्रभावी रहेंगे।

39.4 न्यायाधिकरण द्वारा न्यायनिर्णयन

इस **अनुच्छेद 39** में इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, विशेष रूप से रियायतग्राही और प्राधिकरण के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन करने की शक्तियों के साथ एक वैधानिक न्यायाधिकरण या अन्य मंच के गठन की स्थिति में या सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership - PPP) ढांचे से उत्पन्न होने वाले विवादों से निपटने के लिए, ऐसे गठन के बाद उत्पन्न होने वाले सभी विवादों का न्यायनिर्णयन, खंड 39.3 के तहत मध्यस्थता के संदर्भ के बजाय, लागू कानूनों के अनुसार ऐसे न्यायाधिकरण या अन्य मंच द्वारा किया जाएगा और विवाद समाधान प्रक्रिया (Dispute Resolution Procedure) के सभी संदर्भों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 40

प्रकटीकरण

40.1 प्रकटीकरण

रियायतग्राही किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए, रियायतग्राही के पंजीकृत कार्यालय और हवाई अड्डे पर सभी कार्य दिवसों में सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान, इस समझौते और सुरक्षा आवश्यकताओं की प्रतियां निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। रियायतग्राही टर्मिनल भवन में प्रमुखता से सार्वजनिक नोटिस प्रदर्शित करेगा, जिसमें ऐसे निरीक्षण के लिए इस समझौते की उपलब्धता का उल्लेख होगा, और 'बिना लाभ बिना हानि' के आधार पर फोटोकॉपी शुल्क के भुगतान पर किसी भी व्यक्ति को इसकी प्रतियां प्रदान करेगा।

40.2 सुरक्षा से संबंधित दस्तावेजों का प्रकटीकरण

रियायतग्राही किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए हवाई अड्डे की सुरक्षा से संबंधित सभी दस्तावेजों और डेटा की प्रतियां, निःशुल्क, सभी कार्य दिवसों में सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान, रियायतग्राही के पंजीकृत कार्यालय और हवाई अड्डे पर उपलब्ध कराएगा। रियायतग्राही 'बिना लाभ बिना हानि' के आधार पर फोटोकॉपी शुल्क के भुगतान पर किसी भी व्यक्ति को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराएगा।

40.3 संरक्षित दस्तावेजों का प्रकटीकरण रोकना

खंड 40.1 और खंड 40.2 के प्रावधानों के बावजूद, प्राधिकरण समय-समय पर रियायतग्राही को उपर्युक्त खंडों के अनुसरण में किसी भी व्यक्ति को संरक्षित दस्तावेजों (Protected Documents) के प्रकटीकरण को रोकने का निर्देश देने का हकदार होगा, जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) के प्रावधानों के तहत प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।

अनुच्छेद 41

जन शिकायत निवारण

41.1 शिकायत रजिस्टर

41.1.1 रियायतग्राही हवाई अड्डे पर एक जनसंपर्क कार्यालय बनाए रखेगा, जहाँ वह किसी भी व्यक्ति ("शिकायतकर्ता") द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए हर समय जनता की पहुँच के लिए एक रजिस्टर ("शिकायत रजिस्टर") खुला रखेगा। शिकायत रजिस्टर की उपलब्धता और उस तक पहुँच से संबंधित जानकारी रियायतग्राही द्वारा टर्मिनल भवन में प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी ताकि इसे सभी उपयोगकर्ताओं (Users) के ध्यान में लाया जा सके।

41.1.2 शिकायत रजिस्टर पक्के बाइंडिंग वाला होगा और उसका प्रत्येक पृष्ठ विधिवत क्रमांकित होगा। इसमें शिकायत संख्या, तिथि, शिकायतकर्ता का नाम और पता, शिकायत का सार और रियायतग्राही द्वारा की गई कार्रवाई सहित उपयुक्त कॉलम होंगे। शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद, रियायतग्राही शिकायतकर्ता को तिथि और शिकायत संख्या बताते हुए एक रसीद देगा।

41.1.3 खंड 41.1.1 और खंड 41.1.2 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण, रियायतग्राही के परामर्श से, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शिकायत करने और उस पर प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया निर्दिष्ट कर सकता है।

41.2 शिकायतों का निवारण

41.2.1 रियायतग्राही प्रतिदिन शिकायत रजिस्टर का निरीक्षण करेगा और प्रत्येक शिकायत के निवारण के लिए त्वरित और उचित कार्रवाई करेगा। की गई कार्रवाई को शिकायत रजिस्टर में संक्षेप में नोट किया जाएगा और उसका विवरण देते हुए एक उत्तर रियायतग्राही द्वारा डाक प्रमाण पत्र (certificate of posting) के तहत शिकायतकर्ता को भेजा जाएगा।

41.2.2 प्रत्येक माह की समाप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर, रियायतग्राही प्राधिकरण को शिकायत रजिस्टर के उन सभी पृष्ठों की एक-एक सत्य प्रतिलिपि (photocopy) भेजेगा, जिन पर ऐसे महीने के दौरान कोई प्रविष्टि दर्ज की गई है, और उसके अवलोकन पर, प्राधिकरण, अपने विवेक से, किसी भी शिकायत के निष्पक्ष और न्यायसंगत निवारण के लिए रियायतग्राही को ऐसी आगे की कार्रवाई करने की सलाह दे सकता है जिसे प्राधिकरण उपयुक्त समझे। रियायतग्राही ऐसी सलाह पर विचार करेगा और उस पर अपने निर्णय की सूचना प्राधिकरण को देगा, और यदि प्राधिकरण की राय है कि शिकायतकर्ता आगे की राहत का हकदार है, तो वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (Consumer Protection Act, 1986) के तहत इसके निपटान के लिए मामले को सक्षम मंच को संदर्भित कर सकता है, और शिकायतकर्ता को अपने जोखिम और लागत पर शिकायत को आगे बढ़ाने की सलाह दे सकता है।

अनुच्छेद 42

विविध

42.1 शासी कानून और अधिकार क्षेत्र

यह समझौता भारत के कानूनों के अनुसार अर्थान्वित (construed) और व्याख्यायित किया जाएगा और उन्हीं से शासित होगा, तथा राज्य के न्यायालयों के पास इस समझौते से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित मामलों पर अनन्य अधिकार क्षेत्र (exclusive jurisdiction) होगा।

42.2 उन्मुक्ति का त्याग

प्रत्येक पक्षकार बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से:

- (क) सहमत होता है कि उसके द्वारा इस समझौते का निष्पादन, वितरण और प्रदर्शन व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किए गए व्यावसायिक कृत्यों का गठन करता है;
- (ख) सहमत होता है कि, यदि इस समझौते या इस समझौते द्वारा परिकल्पित किसी भी लेनदेन के संबंध में किसी भी अधिकार क्षेत्र में उसके या उसकी परिसंपत्तियों, संपत्ति या राजस्व के खिलाफ कोई कार्यवाही लाई जाती है, तो पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से अपनी परिसंपत्तियों के संबंध में ऐसी कार्यवाहियों से कोई उन्मुक्ति (चाहे संप्रभुता के कारण हो या अन्यथा) का दावा नहीं किया जाएगा;
- (ग) उन्मुक्ति के किसी भी अधिकार का त्याग करता है जो उसके या उसकी परिसंपत्तियों, संपत्ति या राजस्व के पास अब है, भविष्य में प्राप्त हो सकता है या जो किसी भी अधिकार क्षेत्र में उसे दिया जा सकता है; और
- (घ) ऐसी कार्यवाहियों के संबंध में किसी भी राहत देने या किसी भी अधिकार क्षेत्र में किसी भी प्रक्रिया को जारी करने के संबंध में अपने खिलाफ किसी भी फैसले या पंचाट के प्रवर्तन के संबंध में सामान्य रूप से सहमति देता है (जिसमें इसके संबंध में दिए गए किसी भी आदेश या फैसले के उपयोग या इच्छित उपयोग की परवाह किए बिना किसी भी परिसंपत्ति, संपत्ति या राजस्व के खिलाफ या उसके संबंध में निष्पादन शामिल है)।

42.3 कानून में बदलाव

इस समझौते की अवधि के दौरान किसी भी समय कोई भी घटना या घटनाक्रम जो 'कानून में बदलाव' या कथित 'कानून में बदलाव' का गठन कर सकता है, इसके किसी भी नियम में या रियायतग्राही के पक्ष में इस समझौते से उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार और दायित्व में किसी भी परिवर्तन या संशोधन का आधार नहीं होगा। इसके तहत अधिकार और दायित्व किसी भी ऐसी घटना से प्रभावित नहीं होंगे जो 'कानून में बदलाव' या किसी समरूप घटना या परिस्थिति का गठन कर सकती है।

42.4 अवमूल्यन/मूल्यहास

लागू कानूनों के तहत मूल्यहास के उद्देश्यों के लिए, परियोजना परिसंपत्तियों में रियायतग्राही द्वारा किए गए पूंजीगत निवेश का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्ति को रियायतग्राही द्वारा अधिग्रहित और स्वामित्व वाला माना जाएगा। लागू कानूनों के तहत रियायतग्राही द्वारा किए जाने वाले मूल्यहास के किसी भी दावे के संबंध में प्राधिकरण किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

42.5 विलंबित भुगतान

42.5.1 इसके पक्षकार सहमत हैं कि इस समझौते के प्रावधानों के तहत एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार को देय भुगतान उसमें निर्धारित अवधि के भीतर किए जाएंगे, और यदि ऐसी कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई है, तो आवश्यक विवरणों के साथ मांग प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर विवरण प्रस्तुत किए जाने पर। जब तक कि इस समझौते में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान न किया गया हो, ऐसी अवधि से अधिक की देरी की स्थिति में, चूक करने वाला पक्षकार बैंक दर (Bank Rate) से 2% (दो प्रतिशत) अधिक की दर से परिकलित देरी की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करेगा, और उसकी वसूली इस समझौते के तहत पक्षकारों के अधिकारों, जिसमें इसकी समाप्ति (Termination) भी शामिल है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

42.5.2 जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, इस समझौते के तहत देय कोई भी ब्याज दैनिक बकाया आधार पर अर्जित होगा और त्रैमासिक विश्राम (quarterly rests) के आधार पर चक्रवृद्धित (compounded) किया जाएगा।

42.6 त्याग

42.6.1 किसी भी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार द्वारा इस समझौते के किसी प्रावधान या दायित्वों के पालन और निष्पादन में की गई किसी भी चूक का त्याग (Waiver), जिसमें आंशिक या सशर्त त्याग शामिल है:

(क) इसके किसी अन्य या आगामी चूक या इस समझौते के अन्य प्रावधानों या दायित्वों के त्याग के रूप में संचालित या अर्थान्वित नहीं होगा;

(ख) तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि यह लिखित रूप में न हो और पक्षकार के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित न किया गया हो; और

(ग) किसी भी रीति से इस समझौते की वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगा।

42.6.2 किसी भी अवसर पर किसी भी पक्षकार द्वारा इस समझौते के नियमों, शर्तों और प्रावधानों या इसके तहत किसी दायित्व के निष्पादन पर जोर देने में विफलता, और न ही एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दी गई समय या अन्य छूट को ऐसे उल्लंघन का त्याग या किसी भिन्नता की स्वीकृति या इसके तहत ऐसे किसी अधिकार के परित्याग के रूप में माना या समझा जाएगा।

42.7 दस्तावेजों और आरेखों की समीक्षा के लिए दायित्व

इस समझौते में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई सीमा को छोड़कर: (क) रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत किसी भी परियोजना समझौते, दस्तावेज या आरेख (Drawing) की प्राधिकरण द्वारा कोई समीक्षा, टिप्पणी या अनुमोदन, और न ही हवाई अड्डे के विकास, संचालन या रखरखाव का कोई अवलोकन या निरीक्षण, और न ही इसके तहत समीक्षा, अनुमोदन, टिप्पणी, अवलोकन या निरीक्षण करने में विफलता, रियायतग्राही को इस समझौते, लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के तहत उसके दायित्वों, कर्तव्यों और देनदारियों से मुक्त या दोषमुक्त करेगी; और (ख) प्राधिकरण उप-खंड (क) में संदर्भित किसी भी समीक्षा, टिप्पणी, अनुमोदन, अवलोकन या निरीक्षण के कारण रियायतग्राही के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

42.8 विवक्षित वारंटियों आदि का अपवर्जन

यह समझौता कानून द्वारा या रीति-रिवाज से विवक्षित (implied) किसी भी वारंटी, शर्त या अन्य उपक्रम को या अन्यथा पक्षकारों के बीच किसी अन्य समझौते या किसी भी पक्षकार द्वारा किए गए किसी ऐसे प्रतिनिधित्व को स्पष्ट रूप से अपवर्जित (exclude) करता है जो दोनों पक्षकारों द्वारा निष्पादित किसी बाध्यकारी कानूनी समझौते में शामिल नहीं है।

42.9 अस्तित्व में रहना

42.9.1 समाप्ति (Termination): (क) रियायतग्राही या प्राधिकरण को, जैसा भी मामला हो, इसके तहत किसी भी ऐसे दायित्व से मुक्त नहीं करेगी जो स्पष्ट रूप से या विवक्षा द्वारा इसके समाप्त होने के बाद भी अस्तित्व में रहते हैं; और (ख) इस समझौते के किसी भी प्रावधान में अन्यथा प्रदान किए गए के अलावा जो स्पष्ट रूप से किसी भी पक्षकार के दायित्व को सीमित करता है, किसी भी पक्षकार को ऐसे समाप्ति के प्रभावी होने से पहले ऐसे पक्षकार के कृत्यों या चूकों से उत्पन्न होने वाले, या ऐसी समाप्ति से उत्पन्न होने वाले दूसरे पक्षकार के नुकसान या क्षति के दायित्वों या देनदारियों से मुक्त नहीं करेगी।

42.9.2 समाप्ति के बाद भी अस्तित्व में रहने वाले सभी दायित्व ऐसी समाप्ति की तिथि के बाद केवल 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए ही अस्तित्व में रहेंगे।

42.10 संपूर्ण समझौता

यह समझौता और अनुसूचियां (Schedules) मिलकर इसके विषय पर पक्षकारों के बीच समझौते की शर्तों का एक संपूर्ण और अनन्य विवरण प्रस्तुत करते हैं, और इसमें कोई भी संशोधन या रूपांतरण तब तक वैध और प्रभावी नहीं होगा जब तक कि ऐसा रूपांतरण या संशोधन पक्षकारों द्वारा लिखित रूप में सहमत न हो और संबंधित पक्षकारों द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त व्यक्तियों द्वारा विधिवत निष्पादित न किया गया हो। इस समझौते से संबंधित हर प्रकार की सभी पूर्व लिखित या मौखिक समझ, प्रस्ताव या अन्य संचार रद्द और वापस लिए जाते हैं। इसके पक्षकार सहमत हैं कि योग्यता के लिए अनुरोध (RFQ) या प्रस्ताव के लिए अनुरोध (RFP), जैसा भी मामला हो, से उत्पन्न होने वाले रियायतग्राही के किसी भी दायित्व को इस समझौते का हिस्सा माना जाएगा।

42.11 पृथक्करणीयता

यदि किसी भी कारण से, इस समझौते का कोई भी प्रावधान अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय है या बन जाता है या किसी सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय या किसी अन्य निकाय द्वारा अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय घोषित किया जाता है, तो शेष प्रावधानों की वैधता, legal/वैधता या प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी, और पक्षकार सद्भावपूर्वक बातचीत करेंगे ताकि एक या अधिक ऐसे प्रावधानों पर सहमति हो सके जिन्हें ऐसे अमान्य, अप्रवर्तनीय या अवैध प्रावधानों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सके, जो व्यावहारिक रूप से ऐसे अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय प्रावधान के निकटतम हों। ऐसे किसी भी प्रावधान पर सहमत होने में विफलता इस समझौते के तहत निर्धारित विवाद समाधान प्रक्रिया या अन्यथा के अधीन नहीं होगी।

42.12 कोई भागीदारी नहीं

इस समझौते की व्याख्या या अर्थ पक्षकारों के बीच एक संघ, संयुक्त उद्यम (joint venture) या भागीदारी बनाने के लिए, या किसी भी पक्षकार पर कोई भागीदारी दायित्व या देनदारी थोपने के लिए नहीं किया जाएगा, और किसी भी पक्षकार के पास दूसरे पक्षकार के लिए या उसकी ओर से कार्य करने, या उसके एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने, या अन्यथा दूसरे पक्षकार को बाध्य करने के लिए कोई अधिकार, शक्ति या अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

42.13 तृतीय पक्ष

यह समझौता केवल पक्षकारों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और अनुमत हस्तांतरितियों के लाभ के लिए है, और इस समझौते में किसी भी बात का अर्थ इस समझौते के पक्षकार न होने वाले किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में किसी कर्तव्य, देखभाल के मानक, या किसी देनदारी को बनाने के रूप में नहीं लगाया जाएगा।

42.14 उत्तराधिकारी और हस्तांतरिती

यह समझौता पक्षकारों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और अनुमत हस्तांतरितियों पर बाध्यकारी होगा और उनके लाभ के लिए लागू होगा।

42.15 नोटिस

इस समझौते द्वारा परिकल्पित मामलों के तहत या उसके संबंध में किसी भी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जाने वाला कोई भी नोटिस या अन्य संचार लिखित रूप में होगा और:

(क) रियायतग्राही के मामले में, नीचे दिए गए पते पर फैक्स या ई-मेल द्वारा और हाथ से दिए गए पत्र द्वारा दिया जाएगा तथा नीचे दिए गए व्यक्ति के ध्यानार्थ चिह्नित किया जाएगा या ऐसे अन्य व्यक्ति को दिया जाएगा जिसे रियायतग्राही समय-समय पर प्राधिकरण को नोटिस देकर नामित करे, बशर्ते कि नीचे उप-खंड (ख) में निर्दिष्ट शहर के बाहर किसी पते पर दिए जाने वाले नोटिस या अन्य संचार, यदि बाद में पंजीकृत डाक (पावती सहित), हवाई डाक या कूरियर द्वारा उसकी एक प्रति भेजकर पुष्टि की जाती है, तो

फैक्स या ई-मेल द्वारा उस नंबर पर भेजे जा सकते हैं जिसे रियायतग्राही समय-समय पर प्राधिकरण को नोटिस देकर नामित करे।

ध्यानार्थ (Attention): प्रबंध निदेशक (Managing Director)

पता (Address): टर्मिनल 1, जे फ़्लोर, सीएसआई एयरपोर्ट, सांताक्रूज़ (पूर्व), मुंबई - 400 099

फैक्स नं. (Fax No): +91-22-66851618

ई-मेल (Email): sanjayreddy@gvk.com

(ख) प्राधिकरण के मामले में, फैक्स या ई-मेल द्वारा और नीचे दिए गए पते पर हाथ से दिए गए पत्र द्वारा दिया जाएगा और नीचे नामित व्यक्ति को संबोधित किया जाएगा, जिसकी एक प्रति प्राधिकरण को या ऐसे अन्य व्यक्ति को वितरित की जाएगी जिसे प्राधिकरण समय-समय पर रियायतग्राही को नोटिस देकर नामित करे, बशर्ते कि यदि रियायतग्राही का कार्यालय प्राधिकरण के समान शहर में नहीं है, तो वह ऐसा नोटिस फैक्स या ई-मेल द्वारा और पंजीकृत डाक (पावती सहित), हवाई डाक या कूरियर द्वारा भेज सकता है।

ध्यानार्थ (Attention): उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (Vice Chairman & Managing Director)

पता (Address): दूसरी मंजिल, निर्मल, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021, महाराष्ट्र

फैक्स नं. (Fax No): +91-22-22022509

ई-मेल (Email): cidcomdoffice@gmail.com

(ग) एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया गया कोई भी नोटिस या संचार, इसके अनुसार दिए जाने पर, डाक के सामान्य क्रम में तब वितरित माना जाएगा जब इसे वितरित किया जाना चाहिए था, और अन्य सभी मामलों में, इसे वितरण की वास्तविक तिथि और समय पर वितरित माना जाएगा, बशर्ते कि फैक्स या ई-मेल के मामले में, इसे इसके वितरण की तिथि के अगले कार्य दिवस पर वितरित माना जाएगा।

42.16 भाषा

एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिए जाने वाले सभी आवश्यक नोटिस और अन्य सभी संचार, दस्तावेज़ीकरण और कार्यवाहियां जो इस समझौते से किसी भी तरह से प्रासंगिक हैं, लिखित रूप में और अंग्रेजी भाषा में होंगे।

42.17 स्टाम्प शुल्क

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958 (Maharashtra Stamp Act, 1958) के प्रावधानों के तहत, इस समझौते के निष्पादन या वितरण पर कोई स्टाम्प शुल्क देय नहीं होगा।

42.18 प्रतिरूप

यह समझौता दो प्रतिरूपों (counterparts) में निष्पादित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक, निष्पादित और वितरित होने पर, इस समझौते का एक मूल रूप गठित करेगा।

इसके साक्ष्य के रूप में, पक्षकारों ने ऊपर उल्लिखित तिथि के अनुसार, अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं:

की ओर से हस्ताक्षरित एवं वितरित:

सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड

(महाराष्ट्र शहर एवं औद्योगिक विकास महामंडल सीमित - सिडको)

एक विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा:

(हस्ताक्षर)

श्री भूषण गगरानी

उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

साक्षी के हस्ताक्षर:

(हस्ताक्षर)

श्री सोमा विजयकुमार

मुख्य महाप्रबंधक (परिवहन एवं हवाई अड्डा)

सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड

की ओर से हस्ताक्षरित एवं वितरित:

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड

एक विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा:

(हस्ताक्षर)

डॉ. जी.वी.के. रेड्डी

अध्यक्ष

साक्षी के हस्ताक्षर:

(हस्ताक्षर)

जी. संजय रेड्डी

निदेशक

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड

अनुसूचियां

अनुसूची क
हवाईअड्डा स्थल
(खंड 10.1 देखें)

1. स्थल

- 1.1 हवाईअड्डे के स्थल का विवरण इस अनुसूची क के अनुलग्नक I में दिया गया है।
- 1.2 स्थल की एक सूची, जिसमें भूमि, भवन, संरचनाएं, सड़क कार्य, वृक्ष और स्थल पर या उससे संलग्न कोई अन्य अचल संपत्ति शामिल है, प्राधिकरण और रियायतग्राही द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जाएगी, और ऐसी सूची करार के खंड 10.3.1 में संदर्भित ज्ञापन का भाग बनेगी।
- 1.3 स्थल के लिए मास्टर प्लान का विवरण इस अनुसूची क के अनुलग्नक II में दिया गया है।
- 1.4 हवाईअड्डे के लिए निर्धारित स्थल, वैमानिकी परिसंपत्तियों (Aeronautical Assets) और गैर-वैमानिकी परिसंपत्तियों (Non-Aeronautical Assets) के संबंध में सभी भूमि उपयोग को समाहित करता है।
- 1.5 रियायतग्राही एतद्वारा यह स्वीकार करता है, पुष्टि करता है और मानता है कि स्थल का भाग बनने वाली भूमि परियोजना के विकास और कार्यान्वयन को क्रियान्वित करने के लिए सभी मापदंडों से अच्छी और पर्याप्त है।

2. हवाईअड्डे के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि

- 2.1 प्राधिकरण न तो किसी बाध्यता के अधीन है और न ही रियायतग्राही रियायत अवधि के दौरान परियोजना के किसी भी भाग के विकास या कार्यान्वयन हेतु किसी अतिरिक्त भूमि की मांग करने का हकदार होगा।

अनुलग्नक I
(अनुसूची क)
हवाईअड्डा स्थल

1. स्थल की लोकेशन

- 1.1 प्रस्तावित हवाईअड्डे के लिए स्थल नवी मुंबई में लगभग 1160 हेक्टेयर क्षेत्रफल में स्थित है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4बी पर, मौजूदा सीएसआईए से लगभग 35 किमी की दूरी पर स्थित है। स्थल निम्नलिखित डब्ल्यूजीएस84 निर्देशांकों के भीतर सीमाबद्ध है, जो स्थल सीमांकन के अनुसार मामूली भिन्नता के अधीन है:

कोना सं.	निर्देशांक बिंदु	निर्देशांक	हवाईअड्डा भूमि ऊंचाई (औसत समुद्र तल से ऊपर)
1	दक्षिण-पश्चिम कोना	18° 58' 45.82" / 73° 2' 19.12"	7.00 AMSL
2	दक्षिण-पूर्व कोना	18° 59' 8.67" / 73° 5' 18.38"	8.00 AMSL
3	उत्तर-पूर्व कोना (1)	18° 59' 33.23" / 73° 5' 35.71"	8.00 AMSL
4	उत्तर-पूर्व कोना (2)	19° 0' 11.13" / 73° 4' 58.72"	8.00 AMSL
5	उत्तर-पूर्व कोना (3)	19° 0' 2.51" / 73° 3' 50.90"	8.0 AMSL
6	उत्तर-पश्चिम कोना (1)	19° 0' 12.18" / 73° 3' 41.02"	8.00 AMSL
7	उत्तर-पश्चिम कोना (2)	18° 59' 57.55" / 73° 2' 8.60"	7.00 AMSL

1.2 राष्ट्रीय राजमार्ग 4बी और आम्रा मार्ग स्थल तक पूर्व और पश्चिम से मुख्य सड़क पहुंच प्रदान करते हैं। हवाईअड्डे को खांडेश्वर रेलवे स्टेशन से विद्यमान मानखुर्द-बेलापुर-पनवेल उपनगरीय रेल गलियारे तथा नेरुल-उरण रेलवे लाइन पर प्रस्तावित तारघर रेलवे स्टेशन, जो वर्तमान में निर्माणाधीन है, से भी सुलभ बनाने का प्रस्ताव है। हवाईअड्डे को NH-4B से निर्देशांक 18° 59' 59.60", 73° 5' 56.92" वाले बिंदु पर और आम्रा मार्ग से निर्देशांक 18° 59' 17.47", 73° 2' 12.52" वाले बिंदु पर पहुंच प्राप्त होगी। इन पहुंच मार्गों के अतिरिक्त, रियायतग्राही प्राधिकरण के परामर्श से उत्तरी धमनी सड़क (Northern Arterial Road) या SH54 राज्य राजमार्ग से पहुंच की संभावना तलाश सकता है।

1.3 स्थल तथा स्थल तक पहुंच सड़कों का स्थान दर्शाने वाला एक संदर्भ रेखांकन नीचे प्रदान किया गया है:

अनुलग्नक II

(अनुसूची क) (खंड 12.2.1 देखें)

स्थल के लिए मास्टर प्लान

1. मास्टर प्लान

1.1 हवाईअड्डे की परिकल्पना घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों तथा कार्गो दोनों के लिए मॉड्यूलर और स्केलेबल सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक (state-of-the-art) रूप में की गई है।

1.2 मास्टर प्लान को परियोजना के विकास और कार्यान्वयन हेतु चरणबद्ध तरीके से, रियायत अवधि के दौरान न्यूनतम 60 मिलियन वार्षिक यात्री हैंडलिंग क्षमता और न्यूनतम 1.5 मिलियन टन वार्षिक कार्गो हैंडलिंग क्षमता के लिए विकसित किया जाएगा।

1.3 रियायतग्राही इस करार के निष्पादन के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर हवाईअड्डे के लिए मास्टर प्लान तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा, जिसमें रियायत अवधि में नियोजित संपूर्ण हवाईअड्डे के लिए प्रस्तावित विकास निर्धारित होगा। मास्टर प्लान में अल्पकालिक और दीर्घकालिक यातायात पूर्वानुमान शामिल होंगे और सभी नियोजित प्रमुख विकास को इन पूर्वानुमानों से जोड़ा जाएगा। मास्टर प्लान निम्नलिखित के अनुसार तैयार किया जाएगा और इसमें शामिल होगा:

(क) समग्र विकास रणनीति और दर्शन का विवरण;

(ख) यातायात पूर्वानुमानों का विवरण और प्रत्येक परियोजना सुविधा के बाद के विकास हेतु यातायात ट्रिगर बिंदु, जो यातायात वृद्धि से जुड़े हों, यह दर्शाते हुए कि किस यातायात स्तर पर अगले चरण आरंभ और पूर्ण किए जाएंगे;

(ग) मास्टर प्लान तैयार करने का दृष्टिकोण वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुकूलन के दर्शन के अनुसार होगा;

(घ) प्रत्येक चरण में हवाईअड्डा और उसके प्रत्येक परिक्षेत्र (precinct) कैसे दिखेंगे इसकी दृष्टि, तथा जब हवाईअड्डा अपनी क्षमता तक पहुंचेगा, तब अवधि के अंत में उसकी अंतिम परिकल्पना;

(ङ) मास्टर प्लान की आवश्यकताएं अनुसूची क, अनुसूची ख, अनुसूची ग और अनुसूची घ में निर्धारित हैं;

(च) हवाईअड्डे तथा पहुंच व टेक-ऑफ क्षेत्रों के लिए बाधा सीमा सतहें (Obstacle Limitation Surfaces);

(छ) चरणबद्ध तरीके से हवाईअड्डे के विकास का ग्राफिक प्रस्तुतिकरण प्रदान करना;

(ज) अवधारणाओं और विकल्पों की तकनीकी, आर्थिक और पर्यावरणीय जांच के माध्यम से प्रस्तावित विकास;

(झ) उपयोगकर्ताओं, समुदाय, व्यवसायों और सरकार के साथ परामर्श के परिणाम पर रिपोर्ट;

(ञ) मास्टर प्लान में प्रस्तावित विकास के कार्यान्वयन हेतु यथार्थवादी अनुसूची;

(ट) कार्यान्वयन अनुसूची का समर्थन करने हेतु एक प्राप्य वित्तीय योजना प्रस्तावित करना;

(ठ) प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट की जा सकने वाली अन्य ऐसी बातें।

1.4 मास्टर प्लान डीजीसीए द्वारा निर्धारित नागर विमानन अपेक्षाओं (Civil Aviation Requirements - CAR), आईसीएओ दिशानिर्देशों के अनुरूप और अच्छी उद्योग परिपाटी (Good Industry Practice) के अनुरूप होना चाहिए।

1.5 विकास हेतु निर्धारित क्षेत्र और हवाईअड्डे का कार्यान्वयन, जिसमें इसका विस्तार भी शामिल है, परियोजना परिसंपत्तियों के संबंध में स्थान और भूमि उपयोग मास्टर प्लान में निर्दिष्ट किया जाएगा।

1.6 मास्टर प्लान में यातायात ट्रिगर बिंदुओं या अन्यथा से जुड़ी व्यक्तिगत सुविधाओं के निर्माण हेतु लक्ष्य तिथियां ("लक्ष्य") शामिल होंगी। रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक लक्ष्य पूर्ण रूप से और समय पर पूरा किया जाए। चरण 1 सीओडी के बाद किसी भी समय, यदि रियायतग्राही को लगता है कि मास्टर प्लान में निर्धारित कोई चरण, या कोई यातायात ट्रिगर या अन्य ट्रिगर तकनीकी उन्नयन, प्रक्रियात्मक सुधार या अन्य ऐसे सुधारों के कारण संशोधित किए जाने की आवश्यकता है, तो वह निर्धारित ट्रिगर की संभावित घटना से कम से कम 3 (तीन) माह पूर्व पूर्ण रूप से तर्कसंगत और स्पष्ट विचलन हेतु अनुरोध प्रस्तुत करेगा। अनुरोध प्राप्त होने पर, प्राधिकरण उपयोगकर्ताओं और हितधारकों के विचार मांग सकता है और अनुरोध प्राप्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर अपनी सहमति या अन्यथा सूचित करेगा।

2. मास्टर प्लान और विकास का चरणबद्धीकरण

2.1 चरण 1 विकास

2.1.1 रियायतग्राही हवाईअड्डे के चरण 1 की योजना बनाएगा और विकसित करेगा ताकि न्यूनतम 10 मिलियन यात्रियों (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय) की न्यूनतम वार्षिक यात्री थ्रूपुट हैंडलिंग क्षमता और न्यूनतम 260,000 टन वार्षिक कार्गो हैंडलिंग क्षमता को सभी सहायक सुविधाओं के साथ पूरा किया जा सके।

2.1.2 रियायतग्राही अनुसूची क, अनुसूची ख, अनुसूची ग और अनुसूची घ के प्रावधानों के आधार पर विकास योजना तैयार करेगा, जिसे खंड 12.2.4 के अनुसार संशोधित/अंतिम मास्टर प्लान प्रस्तुत करने के 60 (साठ) दिनों के भीतर प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाना है।

2.2 उत्तरवर्ती चरणों के दौरान विकास

2.2.1 उत्तरवर्ती चरणों हेतु विकास योजनाएं, अन्य बातों के साथ-साथ, यातायात ट्रिगर से जुड़ी विशिष्ट पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रावधान करेंगी और यातायात से जुड़े क्षमता विस्तार का प्रावधान करेंगी। रियायतग्राही चरण 1 के बाद के चरणों के लिए, मास्टर प्लान में परिभाषित अनुसार ऐसे चरण हेतु निर्माण कार्यों की नियोजित आरंभ तिथि से कम से कम 3 (तीन) माह पूर्व विकास योजना प्रस्तुत करेगा।

2.2.2 रियायतग्राही चरण 1 के बाद के चरणों हेतु निर्माण कार्य निम्नलिखित में से किसी भी यातायात ट्रिगर की पहले घटित होने वाली घटना पर, 3 (तीन) माह के भीतर आरंभ करेगा:

(क) वास्तविक पीक ऑवर यात्री, 6 (छह) माह की रोलिंग अवधि में 50% (पचास प्रतिशत) समय के लिए डिज़ाइन पीक ऑवर यात्रियों से अधिक हों;

(ख) किसी लेखा वर्ष में वार्षिक यात्री यातायात, पूर्ववर्ती 6 (छह) माह की अवधि में देखी गई यातायात वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए, हवाईअड्डे की डिज़ाइन थ्रूपुट क्षमता के 75% (पचहत्तर प्रतिशत) से अधिक होने का अनुमान हो।

2.2.3 उपरोक्त खंड 2.2.2 में उल्लिखित आवश्यकताओं का पालन करते हुए, रियायतग्राही किसी भी चरण हेतु अपनी विकास गतिविधियों और निर्माण कार्यों की योजना इस प्रकार बनाएगा कि किसी भी स्थिति में, मुख्य प्रदर्शन संकेतकों (Key Performance Indicators), आईएटीए सेवा स्तर – C (इष्टतम मानक), सुरक्षा आवश्यकताओं और लागू कानूनों के अंतर्गत हवाईअड्डे के संचालन हेतु अपेक्षित किसी अन्य वैधानिक और विनियामक आवश्यकता का उल्लंघन न हो।

3. विकास योजना

रियायतग्राही परियोजना के प्रत्येक चरण के लिए एक विस्तृत विकास योजना ("विकास योजना") तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा, जो निम्नानुसार होगी:

(क) विकास योजना निम्नलिखित के अनुपालन में होगी:

(i) मास्टर प्लान;

(ii) अनुसूची क, अनुसूची ख, अनुसूची ग और अनुसूची घ में निर्धारित आवश्यकताएं;

(ख) विकास योजना में शामिल होगा:

(i) प्रत्येक पहचानी गई परियोजना सुविधा हेतु अभियांत्रिकी डिज़ाइन और रेखांकन;

(ii) मात्रा और लागत अनुमान;

(iii) विनिर्देश और मानक, आवश्यक सामग्री, उपकरण, मशीनरी आदि;

(iv) चरण पूर्णता अनुसूची;

(v) वित्तपोषण योजना; और

(vi) प्राधिकरण या किसी संबंधित सरकारी साधन (Government Instrumentality) द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कोई अन्य मानदंड।

4. मास्टर प्लान रेखांकन

अंतिम मास्टर प्लान, जिसमें समय-समय पर इसके संशोधन, परिवर्धन, परिमार्जन और अद्यतन शामिल हैं, इस करार का भाग बनेगा।

अनुसूची ख हवाईअड्डे का विकास

(खंड 2.1 देखें)

मास्टर प्लान के विकास हेतु न्यूनतम आवश्यकताएं/मापदंड, जिनका रियायतग्राही को कड़ाई से पालन करना है, निम्नानुसार हैं:

1. सामान्य

1.1 पूर्व-विकास कार्यों (Pre-development Works) का भाग बनने वाले शेष भूमि विकास कार्य (Land Development Works) रियायतग्राही द्वारा एलडीएस करार(करारों) की शर्तों और मास्टर प्लान की आवश्यकताओं के अनुसार किए जाएंगे।

1.2 मास्टर प्लान की सभी सुविधाएं 24/7 सभी मौसम संचालन (All-Weather Operations) में सक्षम होंगी।

1.3 मेट्रो रेल/मास रैपिड ट्रांजिट कनेक्टिविटी का प्रावधान होगा, जिसका निर्माण, जिसमें स्टेशन और लाइन शामिल हैं, स्थल के भीतर रियायतग्राही की लागत पर किया जाएगा, और यह विनियामक परिसंपत्ति आधार (Regulatory Asset Base) का भाग बनेगा। यदि प्राधिकरण और/या उसके नामितियों द्वारा कोई निर्माण या रखरखाव कार्य किया जा रहा है, तो रियायतग्राही उनके द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित नियमित और उचित पहुंच सुनिश्चित करेगा और सुविधाजनक बनाएगा, तथा प्राधिकरण और/या उसके नामितियों को ऐसे निर्माण या रखरखाव कार्यों की लागत की प्रतिपूर्ति करेगा।

1.4 अनुसूची क के अनुलग्नक 1 के अनुसार हवाईअड्डे तक दोनों ओर (पूर्व और पश्चिम) से पहुंच होगी।

2. हवाई क्षेत्र आवश्यकताएं

2.1 आईसीएओ एयरोड्रोम संदर्भ कोड – 4एफ;

2.2 क्रिटिकल एयरक्राफ्ट - ए380

2.3 दोनों समानांतर रनवे के बीच 1,580 मी. की निश्चित पृथक्करण दूरी;

2.4 रनवे का स्थान निम्नानुसार निश्चित है:

2.4.1 रनवे उत्तर

रनवे अभिविन्यास	08 L	26 R
-----------------	------	------

दिशा	083°	263°
अक्षांश	18°59'47.58" N	19°00'03.56" N
देशांतर	73°02'45.39" E	73°04'50.76" E
डब्ल्यूजीएस 84 निर्देशांक	2101587.9910 / 294300.8914	2102038.9076 / 297973.3122

2.4.2 रनवे दक्षिण

रनवे अभिविन्यास	08 R	26 L
दिशा	083°	263°
अक्षांश	18°58'56.66" N	18°59'12.63" N
देशांतर	73°02'52.56" E	73°04'57.92" E
डब्ल्यूजीएस 84 निर्देशांक	2100019.6123 / 294492.1734	2100470.529 / 298164.5942

एप्रन सेवा के प्रकार और अनुमानित दीर्घकालिक क्रिटिकल एयरक्राफ्ट आकार पर आधारित होने चाहिए।

3. टर्मिनल भवन

- 3.1 टर्मिनल भवन हेतु सेवा स्तर – आईएटीए सेवा स्तर "सी" (इष्टतम मानक) अनुपालक।
- 3.2 अंतरराष्ट्रीय और घरेलू विमान गेटों में से प्रत्येक के 80% (अस्सी प्रतिशत) बोर्डिंग ब्रिजों द्वारा सेवित होंगे।
- 3.3 टर्मिनल भवन का इकाई क्षेत्रफल (सभी विविध और सहायक स्थानों सहित), प्रति पीक ऑवर यात्री (आगमन और प्रस्थान सहित), न्यूनतम 30 वर्ग मी. होगा।
- 3.4 खुदरा और अन्य यात्री सेवाओं की अंतरराष्ट्रीय मानक श्रृंखला प्रदान करना।
- 3.5 टर्मिनल डिज़ाइन विद्यमान संचालन पर न्यूनतम प्रभाव के साथ वृद्धिशील विस्तार में सक्षम होना चाहिए।

4. रक्षा क्षेत्र

4.1 रियायतग्राही, मास्टर प्लान में, (क) सैन्य विमान के उपयोग हेतु, जब भी आवश्यक हो, एक पृथक पार्किंग क्षेत्र और (ख) रक्षा बलों की सामरिक आवश्यकता हेतु 16.42 हेक्टेयर भूमि का एक भाग ("**रक्षा क्षेत्र**") चिह्नित और अलग करेगा।

4.2 रक्षा क्षेत्र वरीयतः स्थल की उत्तरी सीमा के साथ रनवे 08L-26 R के उत्तर में स्थित होना चाहिए।

4.3 रियायतग्राही पहुँच प्रदान करेगा।

4.4 मास्टर प्लान तैयार करते समय, रियायतग्राही पर्याप्त टैक्सीवे प्रणाली के साथ रनवे 08L-26 R से रक्षा विमान एप्रन तक पहुँच प्रदान करने पर भी विचार करेगा।

5. हवाईअड्डे का विस्तार

5.1 हवाईअड्डे का विस्तार चरणों में होगा।

5.2 रियायतग्राही मास्टर प्लान में पहचाने गए यातायात ट्रिगर से जुड़े उत्तरवर्ती चरण के माध्यम से हवाईअड्डे के विस्तार की प्रक्रिया आरंभ और पूर्ण करेगा।

5.3 चरणों में हवाईअड्डे का विस्तार रियायतग्राही द्वारा अनुसूची घ में निर्धारित विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप पूर्ण किया जाएगा।

6. विकास नियंत्रण

6.1 मास्टर प्लान नवी मुंबई क्षेत्र पर लागू GDCR और नवी मुंबई निपटान भूमि विनियम ("NMDLR") के अनुरूप, समय-समय पर यथासंशोधित, विकसित किया जाएगा।

6.2 रियायतग्राही मास्टर प्लान की संबंधित सरकारी साधनों से स्वीकृति प्राप्त करेगा।

6.3 रियायतग्राही स्थल के भीतर सभी भवनों के निर्माण, विकास और विस्तार हेतु संबंधित सरकारी साधनों से पूर्व विकास अनुमति प्राप्त करेगा।

6.4 संबंधित सरकारी साधन प्रत्येक चरण में जारी विकास अनुमतियों हेतु निर्मित क्षेत्र (Built-up Area) और निर्मित क्षेत्र उपभोग की निगरानी हेतु उत्तरदायी होंगे। हवाईअड्डे का विकास प्राधिकरण के सामान्य विकास नियंत्रण विनियमों ("GDCR"), समय-समय पर यथासंशोधित, हवाईअड्डा और संबद्ध गतिविधि क्षेत्र के संबंध में, के अनुसार किया जाएगा। GDCR के अनुसार, स्थल हेतु अधिकतम अनुमेय FSI 1.0 है। हवाईअड्डे के विकास हेतु कुल उपलब्ध निर्मित क्षेत्र 575 हेक्टेयर होगा। तथापि, रियायतग्राही को प्रारंभिक रूप से उपलब्ध अनुमेय निर्मित क्षेत्र 250 हेक्टेयर होगा। यदि रियायतग्राही 250 हेक्टेयर से अधिक कोई निर्मित क्षेत्र उपयोग करना चाहता है, तो वह इस संबंध में प्राधिकरण से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा और ऐसे समय पर प्रचलित दरों पर प्राधिकरण को शुल्क का भुगतान करेगा। प्राधिकरण 575 हेक्टेयर के निर्मित क्षेत्र की समग्र सीमा, लागू कानूनों और लागू परमिटों के अधीन ऐसी कोई भी अनुमति प्रदान करेगा। ऐसे किसी भी अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र हेतु कोई स्थानांतरण विकास अधिकार (Transfer Development Rights) उपलब्ध नहीं होंगे।

7. एमआरओ सुविधाएं

7.1 रियायतग्राही हवाईअड्डे में एमआरओ सुविधा के विकास हेतु स्थल के भीतर न्यूनतम 13 हेक्टेयर भूमि चिह्नित करेगा।

7.2 एमआरओ सुविधा, रियायत करार के खंड 12.10 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अधीन, 1 (एक) CODE 'E' विमान या 2 (दो) CODE 'C' विमानों को सेवा प्रदान करते हुए विकसित की जाएगी, जिसमें "भारी रखरखाव विज़िट (Heavy Maintenance Visit)" करने हेतु विमान सेवा क्षेत्र द्वारा आवश्यक भवन, संरचनाएं और उपकरण शामिल होंगे। यह इस करार, लागू कानूनों, संबंधित आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों, डीजीसीए सीएआर दिशानिर्देशों और अच्छी उद्योग प्रथा के प्रावधानों के अनुसार निर्मित की जाएगी।

7.3 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि यहां प्रदान की जाने वाली एमआरओ सुविधाओं में 1 (एक) CODE 'E' विमान या 2 (दो) CODE 'C' विमानों के लिए संपूर्ण विमान हेतु 'नोज़-इन' (Nose-in) अभिविन्यास में कवरेज के साथ रखरखाव से निपटने हेतु डिज़ाइन किए गए हैंगर शामिल हों। रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि एमआरओ सुविधाएं विमान के मुख्य घटकों, जिसमें पंख, प्रवेश द्वार, लैंडिंग गियर, इंजन और एम्पेनेज शामिल हैं, को मौसम से संरक्षित होने दें, उस समय जब कोई रखरखाव या मरम्मत कार्य किया जा रहा हो। 1 (एक) CODE 'E' विमान या 2 (दो) CODE 'C' विमानों की, हवाईअड्डे के जीवनकाल के दौरान अपेक्षित, आवास, मरम्मत और रखरखाव गतिविधियों को समायोजित करने हेतु एक उच्च आयतन बे की योजना बनाई जानी चाहिए। 1 (एक) CODE 'E' विमान या 2 (दो) CODE 'C' विमानों के फुटप्रिंट लिफाफे से परे रखरखाव उपकरण की पहुंच और स्टेजिंग हेतु पर्याप्त बे क्षेत्र, लंबाई और चौड़ाई आवश्यक है। यह इस करार और अच्छी उद्योग प्रथा के प्रावधानों के अनुसार निर्मित की जाएगी।

8. आरक्षित सेवाएं प्रदान करने वाले कार्मिकों हेतु आवास

8.1 रियायतग्राही, हवाईअड्डे पर आरक्षित सेवाएं (Reserved Services) प्रदान करने और सक्रिय चैनल ड्यूटी निष्पादित करने हेतु अनुबंध करने वाली नामित GOI एजेंसियों द्वारा तैनात कार्मिकों हेतु 200 फ्लैट ("आरक्षित सेवा आवास") प्रदान और अनुरक्षित करेगा। रियायतग्राही स्थल के भीतर उपयुक्त भूमि चिह्नित करेगा और हवाईअड्डे में आरक्षित सेवा आवास विकसित और अनुरक्षित करेगा।

8.2 रियायतग्राही आरक्षित सेवा आवास क्षेत्र के भीतर सभी भवनों के निर्माण, विकास और विस्तार हेतु संबंधित सरकारी साधनों से पूर्व विकास अनुमति प्राप्त करेगा।

8.3 रियायतग्राही आरक्षित सेवा आवास तक पहुंच प्रदान करेगा।

अनुलग्नक

(अनुसूची ख)

(खंड 12.9 देखें)

पूर्व-विकास कार्य

पूर्व-विकास कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. भूमि विकास कार्य

भूमि विकास कार्यों में स्थल के भीतर और बाहर भूमि विकास के कार्य शामिल हैं, और इनमें मुख्यतः निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) स्थल पर और उसके आसपास औसत समुद्र तल से ऊपर 8 मी. के स्तर तक पहाड़ियों की कटाई;
- (ख) भूमि सुधार कार्य;
- (ग) स्थल की सीमा के साथ समुद्री दीवार/रिटेंनिंग दीवार का निर्माण;
- (घ) उपयोगिताओं (Utilities) का स्थानांतरण/पुनर्स्थापन।

अपवर्जन: भूमि विकास कार्यों का कोई भी भाग, जो स्थल के बाहर पड़ता है, LDS करार के प्रयोजनों हेतु शेष भूमि विकास कार्यों का भाग नहीं बनेगा।

2. स्थल से होकर बहने वाली उल्वे नदी हेतु डाइवर्जन चैनल का निर्माण

इस कार्य में शामिल है:

- (क) हवाईअड्डे की दक्षिणी सीमा के साथ, उल्वे नदी के डाइवर्जन हेतु, SH – 54 पर पुल के पास से मोहा क्रीक तक 3.5 किमी लंबाई का 120 मी. / 200 मी. चौड़ा चैनल काटना, जिसमें चैनल के दोनों ओर 10 मी. बंड का निर्माण और चैनल की लाइनिंग शामिल है;
- (ख) आम्रा मार्ग पर कलवर्ट/पुल द्वारा क्रॉसिंग।

3. स्थल से होकर गुजरने वाली अतिरिक्त उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों का पुनर्मार्गीकरण

स्थल से होकर गुजरने वाली टाटा पावर और MSETCL की अतिरिक्त उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों को भूमिगत/ग्रेड केबलिंग तथा हवाईअड्डे की परिधि के निकट कीचड़ फ्लैट, पुश-थ्रू कलवर्ट और नदी/क्रीक क्रॉसिंग के ऊपर पुलों के माध्यम से पुनर्मार्गित किया जा रहा है। विद्युत कार्य संबंधित ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा निष्पादित किए जाएंगे।

अनुसूची ग
परियोजना सुविधाएं

(खंड 2.1 देखें)

1. परियोजना सुविधाएं

रियायतग्राही इस करार के प्रावधानों के अनुसार परियोजना सुविधाओं का निर्माण करेगा या निर्माण या स्थापना करवाएगा।

2. हवाईअड्डे हेतु परियोजना सुविधाएं

हवाईअड्डे का भाग बनने वाली और संबंधित सीओडी से पूर्व पूर्ण की जाने वाली परियोजना सुविधाओं का वर्णन इस अनुसूची ग के अनुलग्नक I में किया गया है।

अनुलग्नक I

(अनुसूची ग)

हवाईअड्डे हेतु परियोजना सुविधाएं

रियायतग्राही इस अनुलग्नक I में वर्णित परियोजना सुविधाओं का निर्माण करेगा या निर्माण करवाएगा ताकि वे हवाईअड्डे का भाग बनें। परियोजना सुविधाओं में शामिल होंगे:

- (क) डीजीसीए सीएआर और आईसीएओ कोड 4F संचालन मानकों के अनुपालन हेतु एयरसाइड अवसंरचना;
- (ख) आईएटीए सेवा स्तर "सी" (इष्टतम मानक) आवश्यकताओं हेतु आवश्यक सभी सेवाओं और सुविधाओं के साथ यात्री टर्मिनल भवन;
- (ग) हवाई यातायात नियंत्रण और मौसम विज्ञान सुविधाएं;
- (घ) एयरसाइड और लैंडसाइड पहुंच सड़कें और फोरकोर्ट, जिसमें कर्ब-साइड, यातायात संकेत, उपयुक्त संकेतकों के माध्यम से मार्ग-निर्देशन शामिल है;
- (ङ) प्रसंस्करण और भंडारण हेतु कार्गो टर्मिनल और सहायक सुविधाएं;
- (च) विमान बचाव और अग्निशमन सुविधाएं (Aircraft Rescue & Fire Fighting Facilities);
- (छ) विमान ईंधन भरने संबंधी सेवाओं हेतु अवसंरचना;
- (ज) आरक्षित सेवाएं;

- (झ) आपातकालीन सेवाएं;
- (ञ) गंदा और सतही जल निकासी;
- (ट) विमान ग्राउंड सेवा उपकरण रखरखाव सुविधाएं;
- (ठ) सामान्य विमानन सेवाएं;
- (ड) हैंगर;
- (ढ) उड़ान खानपान सेवाएं;
- (ण) वाहन पार्किंग;
- (त) पुलिस सहायता चौकी, पुलिस स्टेशन और सीमा शुल्क भवन;
- (थ) हवाईअड्डे पर यात्री सेवाओं से संबंधित अन्य गतिविधियां;
- (द) रखरखाव मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा (जब भी विकसित हो);
- (ध) इसके अतिरिक्त, आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों, लागू कानूनों और प्राधिकरण के अनुसार अपेक्षित कोई भी सुविधा।

अनुसूची घ विनिर्देश और मानक

(खंड 2.1 देखें)

हवाईअड्डा

रियायतग्राही हवाईअड्डे के निर्माण हेतु इस अनुसूची घ के अनुलग्नक 1 में निर्धारित विनिर्देशों और मानकों का अनुपालन करेगा।

अनुलग्नक 1

(अनुसूची घ)

हवाईअड्डे हेतु विनिर्देश और मानक

1. अनिवार्य मानक और आवश्यकताएं

रियायतग्राही समय-समय पर यथासंशोधित और परिमार्जित तथा तत्समय निर्दिष्ट निर्माण मानकों और अन्य आवश्यकताओं का निम्नलिखित रूप में अनुपालन करेगा:

(क) खंड 4, श्रृंखला बी (भाग I), नागर विमानन आवश्यकताएं (CAR), एयरोड्रोम मानक और वायु यातायात सेवाएं (नवंबर 2009);

(ख) डीजीसीए सीएआर खंड 4 – एयरोड्रोम मानक और वायु यातायात सेवाएं; श्रृंखला 'F' भाग I एयरोड्रोम लाइसेंस की स्वीकृति के संबंध में;

(ग) डीजीसीए सीएआर 145 - रखरखाव संगठनों की स्वीकृति;

(घ) आईसीएओ – अंतरराष्ट्रीय मानक और अनुशंसित प्रथाएं, एयरोड्रोम, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन कन्वेंशन का अनुलग्नक 14: खंड I एयरोड्रोम डिज़ाइन और संचालन – छठा संस्करण, 2013;

(ङ) आईसीएओ एयरोड्रोम डिज़ाइन मैनुअल (दस्तावेज़ 9157);

(च) आईसीएओ एयरपोर्ट सर्विसेज मैनुअल (दस्तावेज़ 9137);

(छ) आईसीएओ एयरपोर्ट प्लानिंग मैनुअल (दस्तावेज़ 9184-AN/902);

(ज) लागू कोई अन्य आईसीएओ मैनुअल और मानक;

(झ) एयरपोर्ट टर्मिनल भवनों, फ्यूलिंग रैंप ड्रेनेज और लोडिंग वॉकवे पर यूएस राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा संघ (NFPA) मानक;

- (ज) अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) एयरपोर्ट विकास संदर्भ मैनुअल, 10वां संस्करण, मार्च 2014;
- (ट) राष्ट्रीय भवन संहिता (The National Building Code);
- (ठ) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित संबंधित भारतीय मानक संहिताएं;
- (ड) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता, 2007, समय-समय पर यथासंशोधित;
- (ढ) वैधानिक एजेंसी आवश्यकताएं, जिसमें डीजीसीए, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, रक्षा मंत्रालय, सीमा शुल्क और आप्रवासन प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शामिल हैं;
- (ण) लागू कानून;
- (त) गुणवत्ता मानकों के संबंध में, हवाईअड्डे की किसी भी सुविधा के संबंध में, बेंचमार्किंग दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के समान आकार और पैमाने के शीर्ष पांच अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों (ACI या समान रेटिंग द्वारा रैंक किए गए) में देखे गए प्रचलित गुणवत्ता मानक होंगे;
- (थ) उपर्युक्त सूचीबद्ध न किए गए कोई अन्य लागू मैनुअल, मानक, विनिर्देश, दिशानिर्देश।

अनुसूची ड

लागू परमिट

(खंड 4.1.3 देखें)

भाग I

1. नियत तिथि (Appointed Date) से पूर्व लागू परमिट

रियायतग्राही लागू कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित, हवाईअड्डे के निर्माण हेतु डीजीसीए की 'सैद्धांतिक' स्वीकृति, नियत तिथि को या उससे पूर्व प्राप्त करेगा।

भाग II

2. चरण I सीओडी से पूर्व लागू परमिट

रियायतग्राही संबंधित गतिविधि आरंभ होने से पूर्व, लागू कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित, निम्नलिखित लागू परमिट प्राप्त करेगा:

- (क) बीसीएस और डीजीसीए की स्वीकृति;
- (ख) हवाईअड्डा संचालन हेतु डीजीसीए लाइसेंस;
- (ग) खदान से पत्थरों (Boulders) की निकासी हेतु राज्य सरकार की अनुमति;
- (घ) क्रशर की स्थापना हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति;
- (ङ) विस्फोटकों के उपयोग हेतु लाइसेंस;
- (च) विभिन्न श्रेणियों के पेट्रोलियम के भंडारण, उपयोग, परिवहन हेतु लाइसेंस;
- (छ) नदी/जलाशय से जल निकासी हेतु राज्य सरकार की अनुमति;
- (ज) बैचिंग प्लांट की स्थापना हेतु कारखाना निरीक्षक या अन्य सक्षम प्राधिकारी से लाइसेंस;
- (झ) बैचिंग प्लांट की स्थापना हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मंजूरी;
- (ञ) डामर संयंत्र (Asphalt Plant) हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मंजूरी;
- (ट) डीज़ल जनरेटर सेट की स्थापना हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मंजूरी;
- (ठ) टर्मिनल भवन, कार्गो कॉम्प्लेक्स, विमान ईंधन भरने और अन्य संरचनाओं जैसे अग्नि, बीसीएस, पेट्रोलियम आदि के निर्माण, संचालन और रखरखाव हेतु आवश्यक मंजूरियां;

- (ड) वृक्षों की कटाई हेतु राज्य सरकार की अनुमति; और
- (ढ) लागू कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित कोई अन्य परमिट या मंजूरी।

अनुसूची च
निष्पादन प्रतिभूति (Performance Security)

(खंड 9.1 देखें)

[उपयुक्त मूल्य के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित की जाने वाली]

सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड,

निर्मल, दूसरी मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400 021, महाराष्ट्र

जबकि:

क. नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ("रियायतग्राही") और सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड ("प्राधिकरण") ने दिनांक 8 जनवरी, 2018 को एक रियायत करार ("करार") किया है, जिसके द्वारा प्राधिकरण ने रियायतग्राही को महाराष्ट्र राज्य में नवी मुंबई में नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण, संचालन, रखरखाव और प्रबंधन को DBFOT आधार पर, करार के प्रावधानों के अधीन और उनके अनुसार, क्रियान्वित करने हेतु प्राधिकृत किया है।

ख. करार में यह अपेक्षित है कि रियायतग्राही प्राधिकरण को Rs. []/- (रुपये []) ("गारंटी धनराशि") की राशि में निष्पादन प्रतिभूति प्रदान करे, जो परियोजना के चरण [] हेतु सीओडी से 7 (सात) वर्ष की अवधि के लिए, करार के अनुसार और उसके अनुरूप, अपने दायित्वों के उचित और सद्भावनापूर्ण निष्पादन हेतु प्रतिभूति के रूप में होगी।

ग. हम, [] अपनी शाखा [] के माध्यम से ("बैंक") निष्पादन प्रतिभूति की शर्तों में यह बैंक गारंटी निष्पादन प्रतिभूति के रूप में प्रदान करने हेतु सहमत हुए हैं।

अतः, बैंक एतद्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से निम्नानुसार गारंटी और पुष्टि करता है:

1. बैंक एतद्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से गारंटी देता है और प्राधिकरण को भुगतान करने का वचन देता है, करार के प्रावधानों के अनुसार और उसके अनुरूप रियायतग्राही के सभी या किन्हीं दायित्वों के उचित और सद्भावनापूर्ण निष्पादन में किसी भी विफलता या व्यतिक्रम की स्थिति में, अपनी पहली लिखित मांग पर, और बिना किसी आपत्ति, आरक्षण, पुनराश्रय, विवाद या प्रतिवाद के, और रियायतग्राही के किसी संदर्भ के बिना, गारंटी राशि की कुल राशि तक की ऐसी राशि या राशियां जो प्राधिकरण दावा करे, बिना प्राधिकरण को अपनी मांग को साबित करने या उसके लिए आधार या कारण दिखाने की आवश्यकता के तथा/अथवा उसमें निर्दिष्ट राशि हेतु।

2. प्राधिकरण से संयुक्त प्रबंध निदेशक के पद से नीचे न होने वाले किसी अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत एक पत्र, जिसमें यह कहा गया हो कि रियायतग्राही से कोई राशि देय और बकाया है या रियायतग्राही

ने करार के अंतर्गत और उसके अनुसार अपने किसी दायित्व के उचित और सद्भावनापूर्ण निष्पादन में व्यतिक्रम किया है, बैंक पर निर्णायक, अंतिम और बाध्यकारी होगा। बैंक आगे सहमत है कि प्राधिकरण ही यह निर्णय करने हेतु एकमात्र निर्णायक होगा कि रियायतग्राही करार के अंतर्गत अपने दायित्वों के उचित और सद्भावनापूर्ण निष्पादन में व्यतिक्रमी है या नहीं और इस संबंध में उसका निर्णय बैंक पर अंतिम और बाध्यकारी होगा, चाहे प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच कोई मतभेद हों, या उनके बीच किसी न्यायालय, अधिकरण, मध्यस्थों या किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के समक्ष लंबित कोई विवाद हो, या रियायतग्राही की किसी भी कारण से मुक्ति हो जाए।

3. इस गारंटी को प्रभावी करने हेतु, प्राधिकरण इस प्रकार कार्य करने का हकदार होगा मानो बैंक ही मूल देनदार हो और रियायतग्राही की संरचना में और/अथवा बैंक की संरचना में कोई परिवर्तन, चाहे वह किसी अन्य निकाय या निगम के साथ उनके विलय द्वारा हो या अन्यथा, इस गारंटी के अंतर्गत बैंक के दायित्व या बाध्यता को किसी भी प्रकार या तरीके से प्रभावित नहीं करेगा।

4. यह आवश्यक नहीं होगा, और बैंक एतद्वारा इस गारंटी के अंतर्गत अपनी मांग बैंक को प्रस्तुत करने से पूर्व प्राधिकरण के लिए रियायतग्राही के विरुद्ध आगे बढ़ने की किसी भी आवश्यकता को माफ करता है।

5. प्राधिकरण को यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि, इस गारंटी के अंतर्गत बैंक के दायित्व को किसी भी प्रकार से प्रभावित किए बिना, वह किसी भी समय करार की शर्तों और शर्तों में परिवर्तन करे या रियायतग्राही के करार में निहित सभी या किसी दायित्व के अनुपालन, पूर्ति और/अथवा निष्पादन हेतु समय या अवधि बढ़ाए या किसी भी समय, समय-समय पर, प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के विरुद्ध प्रयोज्य किसी भी अधिकार और शक्ति को स्थगित करे, तथा या तो करार में निहित शर्तों और शर्तों और/अथवा प्राधिकरण को उपलब्ध प्रतिभूतियों को प्रवर्तित करे या उनके प्रवर्तन से परहेज करे, और बैंक उपरोक्त बातों के संबंध में प्राधिकरण द्वारा स्वतंत्रता के किसी भी प्रयोग द्वारा, या रियायतग्राही को समय दिए जाने के कारण, या रियायतग्राही या किसी अन्य पक्ष की ओर से किसी अन्य परिहार, भोग, कार्य या चूक के कारण, या प्राधिकरण की किसी अन्य बात या वस्तु के कारण जो प्रतिभू और गारंटर्स से संबंधित किसी कानून के अंतर्गत, किंतु इस प्रावधान के अभाव में, बैंक को इस गारंटी के अंतर्गत अपने दायित्वों और बाध्यताओं से मुक्त करने का प्रभाव रखती हो, इन उपस्थित दस्तावेजों के अंतर्गत अपने दायित्व और बाध्यता से मुक्त नहीं होगा, और बैंक एतद्वारा ऐसे किसी भी कानून के अंतर्गत अपने सभी अधिकारों का त्याग करता है।

6. यह गारंटी करार से संबंधित या उससे जुड़ी किसी अन्य गारंटी या प्रतिभूति के अतिरिक्त है, न कि उसके स्थान पर, जो प्राधिकरण के पास अब है या भविष्य में हो सकती है, या रियायतग्राही के करार के अंतर्गत सभी या किन्हीं दायित्वों की पूर्ति, अनुपालन और/अथवा निष्पादन हेतु।

7. यहां पूर्व में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, इस गारंटी के अंतर्गत बैंक का दायित्व गारंटी राशि तक सीमित होगा और यह गारंटी परियोजना के चरण [] हेतु सीओडी से 7 (सात) वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी, तथा जब तक प्राधिकरण द्वारा इस गारंटी की समाप्ति की तिथि से 3 (तीन) माह के

भीतर बैंक से लिखित रूप में इस गारंटी के अंतर्गत कोई मांग या दावा नहीं किया जाता, प्राधिकरण के इस गारंटी के अंतर्गत सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और बैंक इसके अंतर्गत अपनी बाध्यताओं से मुक्त हो जाएगा।

8. निष्पादन प्रतिभूति परियोजना के चरण [] हेतु सीओडी से 7 (सात) वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद, तत्पश्चात 3 (तीन) माह की दावा अवधि के साथ, प्रभावी और बल में रहना बंद कर देगी। रियायतग्राही द्वारा निष्पादन प्रतिभूति की रिहाई हेतु, आवश्यक विवरणों के साथ, रियायतग्राही के सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित, अनुरोध प्रस्तुत करने पर, प्राधिकरण इस गारंटी की समाप्ति तिथि से 3 (तीन) माह की अवधि के बाद तुरंत निष्पादन प्रतिभूति जारी करेगा।

9. बैंक इस गारंटी को इसकी वैधता अवधि के दौरान रद्द न करने का वचन देता है, सिवाय प्राधिकरण की पूर्व स्पष्ट लिखित सहमति के, और घोषणा और आश्वासन देता है कि उसे यह गारंटी जारी करने की शक्ति प्राप्त है तथा हस्ताक्षरकर्ता को बैंक की ओर से ऐसा करने की पूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं।

10. अनुरोध, मांग या अन्यथा द्वारा कोई सूचना यहां के अंतर्गत बैंक को उसकी उपरोक्त संदर्भित शाखा पर पते पर डाक द्वारा भेजी जा सकती है, जिसे ऐसी सूचना प्राप्त करने और तदनुसार भुगतान करने हेतु विधिवत प्राधिकृत माना जाएगा, और यदि डाक द्वारा भेजी जाए तो यह माना जाएगा कि यह उस समय दी गई थी जब सामान्य क्रम में डाक के माध्यम से इसे वितरित हो जाना चाहिए था, और ऐसी सूचना को साबित करने में, जब डाक द्वारा दी गई हो, यह साबित करना पर्याप्त होगा कि सूचना युक्त लिफाफा डाक किया गया था और प्राधिकरण के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र, कि लिफाफा इस प्रकार डाक किया गया था, निर्णायक होगा।

इस दिन, 20... को पर हस्ताक्षरित और मुद्रांकित।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित और वितरित

बैंक की ओर से और उसके लिए:

(हस्ताक्षर) (नाम) (पदनाम) (कोड नंबर) (पता)

(हस्ताक्षर)

(नाम)

(पदनाम)

(कोड नंबर)

(पता)

नोट्स:

(क) बैंक गारंटी में गारंटी पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी(यों) का नाम, पदनाम और कोड नंबर होना चाहिए।

(ख) जारी करने वाली शाखा के कवरींग लेटर पर बैंक के प्रधान कार्यालय के साथ-साथ जारी करने वाली शाखा का पता, टेलीफोन नंबर और अन्य विवरण उल्लिखित होने चाहिए।

अनुसूची छ चरण पूर्णता अनुसूची

(खंड 12.5.2 देखें)

1. चरण पूर्णता अनुसूची

1.1 निर्माण अवधि के दौरान, रियायतग्राही प्रत्येक चरण माइलस्टोन (Phase Milestone) हेतु इस अनुसूची छ में निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करेगा।

1.2 प्रत्येक चरण के संबंध में चरण माइलस्टोन और निर्धारित पूर्णता तिथि, ऐसे प्रत्येक चरण हेतु निर्माण कार्यों के आरंभ से कम से कम 30 (तीस) दिन पूर्व प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत, निर्धारित और स्वीकृत की जाएगी।

1.3 रियायतग्राही निर्माण अवधि के दौरान निष्पादित किए जाने वाले संपूर्ण निर्माण कार्यों को मापने योग्य समय इकाई (दिन/सप्ताह/माह/वर्ष) में विभाजित करेगा ("चरण पूर्णता अनुसूची"), और इसे निर्माण अवधि के दौरान पूर्ण की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों से जोड़ेगा। इन प्रमुख गतिविधियों को विभिन्न कार्यों में उप-विभाजित किया जा सकता है और प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने हेतु समय अवधि परिभाषित की जाएगी।

1.4 समय अवधि के साथ निर्माण कार्यों का विभाजन बार चार्ट या किसी अन्य उपयुक्त आरेख के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो कार्यों और गतिविधियों के बीच संबंधों और अंतर-निर्भरता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता हो।

1.5 रियायतग्राही, विकास योजना के भाग के रूप में, प्रत्येक चरण के संबंध में चरण पूर्णता अनुसूची प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

2. चरण माइलस्टोन

रियायतग्राही परियोजना के प्रत्येक चरण हेतु निर्माण कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति के संदर्भ में ("चरण माइलस्टोन") पालन किए जाने वाले प्रमुख माइलस्टोन की पहचान करेगा, जिन्हें प्रत्येक चरण हेतु निर्धारित पूर्णता तिथि को या उससे पूर्व पूर्ण किया जाना है। तथापि, रियायतग्राही चरण । हेतु चरण माइलस्टोन अनुसूची को अंतिम रूप देते समय करार के खंड 12.5.2 में निर्धारित शर्तों का पालन करेगा। चरण माइलस्टोन की स्वतंत्र अभियंता द्वारा समीक्षा और स्वीकृति की जाएगी। रियायतग्राही प्रत्येक चरण के संबंध में प्राधिकरण को चरण पूर्णता अनुसूची प्रदान करेगा।

3. निर्धारित पूर्णता तिथि

3.1 चरण I की निर्धारित पूर्णता तिथि नियत तिथि से 1245वें (एक हजार दो सौ पैतालीसवें) दिन को होगी।

3.2 चरण I की निर्धारित पूर्णता तिथि को या उससे पूर्व, रियायतग्राही इस करार के अनुसार हवाईअड्डे के चरण I को पूर्ण कर चुका होगा।

4. अवधि का विस्तार

इस करार के प्रावधानों के अंतर्गत और उसके अनुसार, किसी भी या सभी चरण माइलस्टोन या निर्धारित पूर्णता तिथि, जैसा भी मामला हो, के विस्तार पर, चरण पूर्णता अनुसूची को तदनुसार संशोधित माना जाएगा।

अनुसूची ज

परीक्षण

(खंड 14.1.2 देखें)

1. परीक्षणों हेतु अनुसूची

1.1 रियायतग्राही, हवाईअड्डे के संबंधित चरण की संभावित पूर्णता से 90 (नब्बे) दिन पूर्व से बाद में नहीं, स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण को हवाईअड्डे के संबंधित चरण को परीक्षणों के अधीन करने के अपने आशय की सूचना देगा, और परीक्षणों की वास्तविक तिथि से 15 (पंद्रह) दिन पूर्व से बाद में नहीं, स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण को हवाईअड्डे का भाग बनने वाले सभी कार्यों और उपकरणों की विस्तृत सूची और विवरण प्रस्तुत करेगा।

1.2 रियायतग्राही स्वतंत्र अभियंता को हवाईअड्डे के संबंधित चरण को ऐसी सूचना की तिथि से 7 (सात) दिन बाद किसी भी समय परीक्षणों के अधीन करने हेतु अपनी तत्परता की सूचना देगा, और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, स्वतंत्र अभियंता, रियायतग्राही के परामर्श से, प्रत्येक परीक्षण हेतु तिथि और समय निर्धारित करेगा और उसकी सूचना प्राधिकरण को देगा, जो परीक्षणों को देखने हेतु अपने प्रतिनिधि को नामित कर सकता है। रियायतग्राही तदुपरांत अनुच्छेद 14 और इस अनुसूची ज के अनुसार स्वतंत्र अभियंता की उपस्थिति में परीक्षण आयोजित करेगा।

2. परीक्षण

इस करार के खंड 14.1.2 के प्रावधानों के अनुसरण में, रियायतग्राही, स्वतंत्र अभियंता की उपस्थिति में, निम्नलिखित परीक्षण आयोजित करेगा:

2.1 दृश्य और भौतिक परीक्षण:

2.1.1 रियायतग्राही यह निर्धारित करने हेतु कि सभी कार्य और उपकरण, जो इसका भाग हैं, इस करार के प्रावधानों के अनुरूप हैं, हवाईअड्डे की दृश्य और भौतिक जाँच करेगा।

2.1.2 रनवे, टैक्सीवे, एप्रन, एटीसी सुविधा और टर्मिनल भवन को पूर्ण संरचनाओं या उनके किसी भाग के गैर-विनाशकारी परीक्षण (Non-Destructive Testing) के अधीन किया जाएगा, जो (IS-13311) में वर्णित प्रक्रिया, संबंधित आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों तथा डीजीसीए के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित किया जाएगा।

2.2 उपकरण हेतु परीक्षण:

रियायतग्राही, सभी उपकरणों की विनिर्देशों और मानकों तथा सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुपालन का निर्धारण करने हेतु, संबंधित आईसीएओ दस्तावेजों और परिशिष्टों, डीजीसीए के लागू दिशानिर्देशों और अच्छी उद्योग प्रथा के अनुसार परीक्षण आयोजित करेगा।

2.3 संचालन तत्परता हेतु परीक्षण:

रियायतग्राही द्वारा एटीसी सुविधा को नामित भारत सरकार की एजेंसी को सीओडी से कम से कम 120 (एक सौ बीस) दिन पूर्व सौंपे जाने और नामित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा सीएनएस/एटीएम सेवाओं के प्रावधान हेतु एटीसी सुविधा को सीएनएस/एटीएम उपकरण से सीओडी से कम से कम 90 (नब्बे) दिन पूर्व सुसज्जित किए जाने के अधीन, रियायतग्राही हवाईअड्डे का, जिसमें वैमानिकी परिसंपत्तियां, टर्मिनल भवन और गैर-वैमानिकी परिसंपत्तियां शामिल हैं, विनिर्देश और मानकों, रखरखाव आवश्यकताओं, संबंधित आईसीएओ दस्तावेजों और परिशिष्टों, डीजीसीए के लागू दिशानिर्देशों और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुपालन का निर्धारण करने हेतु परीक्षण रन (Trial Run) आयोजित करेगा।

2.4 पर्यावरणीय संपरीक्षा:

रियायतग्राही लागू कानूनों और लागू परमिटों में निर्धारित पर्यावरणीय आवश्यकताओं के साथ हवाईअड्डे की अनुरूपता का निर्धारण करने हेतु जाँच करेगा।

2.5 अन्य अनिवार्य परीक्षण:

रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि डीजीसीए द्वारा हवाईअड्डा लाइसेंस के अनुदान हेतु लागू कानूनों के अंतर्गत आवश्यक सभी वैधानिक परीक्षण सीओडी से 15 (पंद्रह) दिन पूर्व लेकिन बाद में नहीं, किए जाएं।

3 परीक्षण आयोजित करने हेतु एजेंसी

इस अनुसूची ज में निर्धारित सभी परीक्षण रियायतग्राही द्वारा या रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण के परामर्श से निर्दिष्ट ऐसी अन्य एजेंसी या व्यक्ति द्वारा, स्वतंत्र अभियंता और/अथवा प्राधिकरण की उपस्थिति में आयोजित किए जाएंगे।

4 सुरक्षा प्रमाणन हेतु परीक्षण

सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ हवाईअड्डे की अनुरूपता का निर्धारण करने हेतु परीक्षण अच्छी उद्योग प्रथा के अनुसार और लागू कानूनों तथा लागू परमिटों के अनुरूप आयोजित किए जाएंगे।

5 पूर्णता/अनंतिम रिपोर्ट

परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर, स्वतंत्र अभियंता अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के अनुसार, पूर्णता या अनंतिम पूर्णता, जैसा भी मामला हो, के संबंध में प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

6 निर्माण के दौरान परीक्षण

इस अनुसूची ज के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निर्माण कार्यों के निष्पादन के दौरान परीक्षण खंड 13.3.1 के प्रावधानों के अनुसार आयोजित किए जाएंगे।

अनुसूची झ
सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं

(खंड 22.1.1 देखें)

1. सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं

रियायतग्राही, सभी समय, यह सुनिश्चित करेगा कि वह इस अनुसूची झ के अनुलग्नक 1 में निर्धारित सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं को प्राप्त करता है।

2. मासिक अनुपालन रिपोर्ट

रियायतग्राही, प्रत्येक कैलेंडर माह की समाप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर, सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं के अनुपालन पर एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

3. अनुसूची झ का प्रदर्शन

रियायतग्राही इस अनुसूची झ की एक प्रति टर्मिनल भवन में, अनुच्छेद 41 में निर्धारित शिकायत रजिस्टर के साथ, प्रदर्शित करेगा।

अनुच्छेद 1

(अनुसूची 1)

सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं

रियायतग्राही सभी समय यह सुनिश्चित करेगा कि हवाईअड्डे पर प्रदान की जाने वाली सेवाएं इस अनुसूची 1 के अनुच्छेद 1 में निर्दिष्ट मुख्य प्रदर्शन संकेतकों ("सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं") के अनुरूप हों।

1. सेवा पैरामीटर और बेंचमार्क की ऑब्जेक्टिव गुणवत्ता

प्रदर्शन संकेतक	प्रदर्शन माप	न्यूनतम प्रदर्शन मानक	क्रिटिकल (हाँ/नहीं)
ट्रांसफर प्रक्रिया	80% ट्रांसफर यात्रियों हेतु न्यूनतम कनेक्ट समय	घरेलू/अंतरराष्ट्रीय: 75 मिनट तक; अंतरराष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय: 60 मिनट तक; घरेलू/घरेलू: 60 मिनट तक	नहीं
टर्मिनल सेवाएं	शिकायतों का निपटान	2 कार्य दिवसों के भीतर 100% शिकायतों का जवाब	नहीं

	फोन कॉल का जवाब	60 सेकंड के भीतर 90% कॉल का जवाब	नहीं	
	उड़ान जानकारी की उपलब्धता	98% उपलब्धता	नहीं	
	स्वचालित सेवाएं	98% उपलब्धता	नहीं	
	लिफ्ट, एस्केलेटर और ट्रेवलेटर आदि	98% उपलब्धता	नहीं	
	मरम्मत पूर्णता समय	4 घंटे में 95% उच्च प्राथमिकता शिकायतें, 24 घंटे में अन्य शिकायतों का 95%	नहीं	
	सामान ट्रॉली	100% उपलब्धता	नहीं	
	स्वच्छता	सभी निरीक्षणों में से 95% हेतु संतोषजनक रेटिंग	हां	
	व्हील चेयर की उपलब्धता	5 मिनट के भीतर 100% समय	नहीं	
	दिव्यांग यात्रियों हेतु सुविधाएं	5 मिनट के भीतर 100% समय	नहीं	
चेक-इन	अधिकतम प्रतीक्षा समय	पारंपरिक बोर्डिंग पास – बिज़नेस	5 मिनट (अधिकतम कतार समय)	हां
		पारंपरिक बोर्डिंग पास – इकोनॉमी	20 मिनट	हां
		सेल्फ सर्विस बोर्डिंग पास – बिज़नेस	3 मिनट	नहीं
		सेल्फ सर्विस बोर्डिंग पास – इकोनॉमी	5 मिनट	नहीं
		सेल्फ सर्विस सामान ड्रॉप – बिज़नेस	2 मिनट	नहीं
		सेल्फ सर्विस सामान ड्रॉप –	5 मिनट	नहीं

	इकोनॉमी		
सुरक्षा जाँच	कतार में प्रतीक्षा समय	95% यात्री सुरक्षा जांच बिंदु पर 45 सेकंड औसत डवेल समय सहित 5 मिनट से कम प्रतीक्षा करें	हां
आप्रवासन	कतार में प्रतीक्षा समय	95% यात्री आप्रवासन काउंटर पर 120 सेकंड औसत डवेल समय सहित 10 मिनट से कम प्रतीक्षा करें	हां
सामान वितरण	विमान आगमन से सामान वितरण का समय	घरेलू – पहला बैग 10 मिनट, अंतिम बैग 30 मिनट (ऑन-ब्लॉक्स समय से); अंतरराष्ट्रीय – पहला बैग 15 मिनट, अंतिम बैग 40 मिनट	हां
यात्री आगमन प्रक्रिया	विमान आगमन से कर्बसाइड तक लिया गया समय	अंतरराष्ट्रीय – 95% यात्री 45 मिनट से कम; घरेलू – 95% यात्री 35 मिनट से कम	हां
यात्री बोर्डिंग ब्रिज	एयरलाइन अनुरोध पूर्ति हेतु सेवित विमान आवागमन का %	अंतरराष्ट्रीय – वार्षिक यात्रियों का 90%; घरेलू – A/C B737/A320 या बड़े पर यात्रा करने वाले वार्षिक यात्रियों का 90%	हां
पार्किंग बे	उपलब्ध समय का %	99%	हां
रनवे प्रणाली	आगमन/प्रस्थान विमान हेतु विलंब	औसत वार्षिक विलंब प्रति विमान: 4 मिनट या बेहतर (सीएनएस/एटीएम करार के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मानक एटीसी प्रक्रियाओं व उपकरण के आधार पर)	हां
वाहन पार्किंग	पार्किंग स्थान खोजने हेतु औसत समय (भुगतान/टिकट संग्रह सहित)	95% ड्राइवर 5 मिनट से कम लें	नहीं
	पार्किंग स्लॉट से निकास गेट	95% ड्राइवर 5 मिनट से कम लें	नहीं

	तक का औसत समय		
टैक्सी	अधिकतम प्रतीक्षा समय	95% यात्री 5 मिनट से कम प्रतीक्षा करें	नहीं
गेट लाउंज	बैठने की उपलब्धता	विमान क्षमता का 80%	नहीं
लैंडसाइड	यात्रा समय	95% वाहनों का यात्रा समय निर्धारित सीमा से कम हो	हां

निष्पादन संकेतक	निष्पादन मापन	न्यूनतम निष्पादन मानक	क्रांतिक (हां/नहीं)
पहुँच (access)	टर्मिनल फ्रंटेज रोड	टर्मिनल फ्रंटेज रोड की 1,000 (एक हजार) मीटर तक की दूरी हेतु प्रवेश बैरियर और निकास बैरियर के बीच की दूरी के लिए 8 (आठ) मिनट से अधिक नहीं। यदि टर्मिनल फ्रंटेज रोड की ऐसी लंबाई 1,000 (एक हजार) मीटर से अधिक हो, तो 1,000 (एक हजार) मीटर की दूरी में प्रत्येक 4 मीटर की वृद्धि के लिए 8 (आठ) मिनट में 1 (एक) सेकंड की वृद्धि की जाएगी, जिसे निकटतम मिनट तक पूर्णांकित किया जाएगा।	

2. सेवा पैरामीटर और बेंचमार्क की सब्जेक्टिव गुणवत्ता

गुणवत्तापूर्ण सेवा के सब्जेक्टिव पहलू को प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जाने वाली ACI ASQ सर्वेक्षण में "एयरपोर्ट के साथ समग्र संतुष्टि" (Overall satisfaction with the airport) के मानदंड पर मापा जाएगा। "एयरपोर्ट के साथ समग्र संतुष्टि" के मानदंड हेतु बेंचमार्क स्कोर कम से कम इतना होना चाहिए कि एयरपोर्ट को विश्व में अपनी श्रेणी के सभी एयरपोर्टों में शीर्ष 20 (बीस) परसेंटाइल के भीतर पहचाना जाए। रियायतग्राही (Concessionaire) अनुच्छेद 20 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली मासिक विवरणी (Monthly Statement) के भाग के रूप में ACI ASQ सर्वेक्षण के सभी मापे गए मानदंडों पर प्रदर्शन भी प्रदान करेगा।

निम्नलिखित मदों का आकलन रियायतग्राही के व्यक्तिगत नियंत्रण या प्रभाव के अंतर्गत माना जाएगा और रेटिंग की गणना हेतु उपयोग किया जाएगा। नीचे दी गई सूची ACI ASQ सर्वेक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार परिवर्तन के अधीन है:

क. दिशा-निर्देशन संबंधी मदें (Navigational Items)

- (i) एयरपोर्ट के माध्यम से मार्ग खोजने में सरलता/साइनपोस्टिंग
- (ii) उड़ान सूचना स्क्रीन (Flight Information Screens)
- (iii) पैदल चलने की दूरी

ख. संपर्क संबंधी मदें (Connectivity Items)

- (i) अन्य उड़ानों के साथ संपर्क बनाने में सरलता
- (ii) एयरपोर्ट से/तक जमीनी परिवहन

ग. सेवा सुविधाएं (Service Facilities)

- (i) बैगेज कार्ट की उपलब्धता
- (ii) रेस्तरां/भोजन सुविधाएं
- (iii) शॉपिंग सुविधाएं
- (iv) व्यावसायिक सुविधाएं
- (v) प्रसाधन (वॉशरूम)
- (vi) पार्किंग सुविधाएं

घ. मूल्य के अनुरूप लाभ (Value for money)

- (i) रेस्तरां/भोजन सुविधाएं
- (ii) शॉपिंग सुविधाएं
- (iii) पार्किंग सुविधाएं

अनुसूची ज
सुरक्षा दिशानिर्देश
(देखें खंड 17.3.1)

1 सुरक्षित संचालन (Safe movement)

एयरपोर्ट के डिज़ाइन, निर्माण और संचालन में उपयोगकर्ताओं (Users) की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसमें आपातकाल की स्थिति में सुरक्षित एवं कुशल निकासी हेतु सुविधाएं शामिल होंगी।

2 प्रणाली अखंडता (System integrity)

विद्युत आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था, संकेत प्रणाली (signalling), संचार एवं सुरक्षा उपकरणों के डिज़ाइन में विफलता की संभावित घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा।

3 सेवा की पुनर्स्थापना (Restoration of service)

एयरपोर्ट को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाएगा कि किसी दोष (fault) की स्थिति में, यथासंभव, प्रभावित क्षेत्र या उपकरण को पृथक करके कुछ ही मिनटों में सीमित सेवा प्रदान की जा सके।

4 आकस्मिकता एवं सुरक्षा प्रबंधन (Contingency and Safety management)

4.1

रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि निम्नलिखित घटनाओं से निपटने हेतु संबंधित आईसीएओ दस्तावेज़ों एवं अनुबंधों (Annexes) तथा डीजीसीए के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार एयरपोर्ट पर उपयुक्त आकस्मिक व्यवस्थाएं मौजूद हों:

- (क) रनवे एवं टैक्सीवे से अक्षम विमान को हटाना;
- (ख) विमान या एयरपोर्ट को बम की धमकी, या आतंकवाद के किसी भी कृत्य;
- (ग) एयरपोर्ट के आसपास एवं परिसर में विमान दुर्घटनाएं;
- (घ) एयरपोर्ट पर उतरने के लिए बाध्य गैर-अनुसूचित विमान;
- (ङ) एयरपोर्ट पर आग;
- (च) प्राकृतिक आपदाएं एवं विपत्तियां;
- (छ) एयरपोर्ट पर हड़तालें;

(ज) नागरिक विमानन में गैरकानूनी हस्तक्षेप; और

(झ) एयरपोर्ट पर कोई अन्य आपात स्थिति।

4.2

रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि आपातकालीन अलार्म घंटियां स्थापित एवं संचालित हों जो ATC सुविधा को एयरपोर्ट प्रबंधक तथा एयरपोर्ट पर स्थित अग्निशमन सेवाओं, चिकित्सा सेवाओं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (Central Industrial Security Force) एवं पुलिस सहित सभी आपातकालीन सेवाओं से जोड़ें।

4.3

रियायतग्राही द्वारा प्रत्येक तिमाही में एक बार सुरक्षा विवरण (safety statement) तैयार किया जाएगा जिसमें विभिन्न परिसंपत्तियों हेतु जांच एवं रखरखाव सहनशीलता (maintenance tolerances) के प्रबंधन की प्रणाली तथा उसके अनुपालन को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा। इस विवरण में ऐसी जांच एवं सहनशीलताओं से निपटने में स्टाफ प्रशिक्षण एवं जागरूकता की प्रकृति एवं सीमा को भी दर्शाया जाएगा। निर्माण अवधि (Construction Period) के दौरान, विवरण की दो प्रतियां प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर स्वतंत्र अभियंता (Independent Engineer) को भेजी जाएंगी।

5 सुरक्षा उपकरण (Safety equipment)

एयरपोर्ट पर निम्नलिखित सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे:

(क) एयरपोर्ट पर उपयुक्त स्थानों पर अग्निशामक यंत्र (fire extinguishers) एवं अग्नि अलार्म;

(ख) पर्याप्त संख्या में स्ट्रेचर एवं मानक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स; और

(ग) संबंधित आईसीएओ दस्तावेजों एवं अनुबंधों, डीजीसीए के लागू दिशानिर्देशों तथा उत्तम उद्योग व्यवहार (Good Industry Practice) के अनुरूप आवश्यक अन्य उपकरण।

6 आपातकाल (Emergency)

विभिन्न आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए आपातकालीन प्रक्रियाओं का एक समुच्चय तैयार किया जाएगा और संचालन स्टाफ को ऐसी आपात स्थिति के दौरान आवधिक अनुरूपित अभ्यासों (periodic simulated exercises) के माध्यम से उचित प्रतिक्रिया हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा, जैसा कि आपदा प्रबंधन हेतु एक मैनुअल ("आपदा प्रबंधन मैनुअल") में निर्धारित किया गया है, जिसे रियायतग्राही द्वारा सीओडी से पूर्व तैयार एवं प्रकाशित किया जाएगा। रियायतग्राही सीओडी से 30 (तीस) दिन पूर्व तक प्राधिकरण (Authority) को आपदा प्रबंधन मैनुअल की 5 (पांच)-पांच प्रतियां प्रदान करेगा।

7 अग्नि सुरक्षा (Fire safety)

7.1

रियायतग्राही एयरपोर्ट टर्मिनल भवनों, ईंधन भरने की रैंप (Fuelling Ramp) जल निकासी एवं लोडिंग वॉकवे पर यूएस राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा संघ (US National Fire Protection Association) द्वारा निर्दिष्ट मानकों का अनुपालन करेगा।

7.2

यात्री क्षेत्रों में आग को रोकने हेतु, रियायतग्राही निर्माण में अग्नि प्रतिरोधी सामग्री का उपयोग करेगा और ऐसी सामग्रियों के उपयोग से बचेगा जो कुछ हद तक ज्वलनशील हों या जलने पर धुआं एवं हानिकारक गैसों उत्सर्जित करती हों।

7.3

आपातकालीन निकास बिना किसी अवरोध के सुगम्य होना चाहिए और सामान्यतः निकास द्वार बंद (locked) नहीं रखे जाने चाहिए। आपातकाल की स्थिति में टर्मिनल भवन के अंदर से निकास द्वारों को आसानी से खोला जा सकना चाहिए।

7.4

निकासी मार्गों (Escape routes) को सही दिशा में तीरों द्वारा स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा और किसी गूढ़ (cryptic) प्रतीकों का उपयोग नहीं किया जाएगा। इस खंड 7.4 के प्रावधानों का अनुपालन करते समय, धुएं के कारण खराब दृश्यता की संभावना को समुचित रूप से ध्यान में रखा जाएगा। सभी सूचनाएं एवं संकेतक (signages) एकरूप एवं मानकीकृत होंगे।

7.5

संबंधित ICAO दस्तावेजों एवं अनुबंधों के प्रावधानों के अनुसार बचाव एवं अग्निशमन सेवाओं की उपयुक्त श्रेणियां उपलब्ध कराई जाएंगी एवं बनाए रखी जाएंगी।

8 उपयोगकर्ता सुरक्षा एवं सूचना प्रणाली (User safety and information system)

8.1

रियायतग्राही यात्री क्षेत्रों एवं टर्मिनल भवन की निगरानी हेतु आवश्यक सुविधाओं सहित एसएमयू (ASMU) को उपलब्ध कराएगा, तथा उपयोगकर्ताओं को दृश्य सूचना प्रदान करेगा। रियायतग्राही सार्वजनिक उद्घोषणा (Public Announcement) प्रणाली के माध्यम से टर्मिनल भवन में उपयोगकर्ताओं को एकतरफा संचार भी उपलब्ध कराएगा। उपयोगकर्ता कॉल पॉइंट सुविधाजनक स्थानों पर स्थित होने चाहिए ताकि उपयोगकर्ता आपातकाल में ASMU से संपर्क कर सकें।

8.2

उपयोगकर्ता सूचना प्रणाली में गतिशील दृश्य प्रदर्शन (dynamic visual displays) एवं लाउडस्पीकर शामिल होंगे।

अनुसूची ट
मासिक विवरणियां (MONTHLY STATEMENTS)

(देखें खंड 27.9)

एयरपोर्ट: [एयरपोर्ट का नाम] माह: []

अनुसूचित एवं गैर-अनुसूचित विमान संचलन, यात्री, स्थानांतरण यात्री एवं कार्गो विवरण

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष के माह हेतु	पूर्ववर्ती वर्ष के संगत माह हेतु	प्रतिशत परिवर्तन (%)
	अनुसूचित विमान संचलन (संख्या में)			
1.				
2.				
	कुल अनुसूचित विमान संचलन			
	गैर-अनुसूचित विमान संचलन (संख्या में)			
	कुल गैर-अनुसूचित विमान संचलन			
	यात्री (संख्या में)			
3.	घरेलू			
4.	अंतर्राष्ट्रीय			
	कुल यात्री			
	स्थानांतरण यात्री (संख्या में)			
5.	घरेलू			
6.	अंतर्राष्ट्रीय			

	कुल स्थानांतरण यात्री			
	कार्गो (मीट्रिक टन में)			
7.	निर्यात			
8.	आयात			
9.	घरेलू आवक (Inbound)			
10.	घरेलू जावक (Outbound)			
11.	पारगमन (Transshipment)			
	कुल कार्गो			

टिप्पणी, यदि कोई हो:

शुल्क का प्रकार एवं उद्देश्य

एयरपोर्ट: [एयरपोर्ट का नाम] माह: []

शुल्क का प्रकार एवं उद्देश्य	पिछले वर्ष के संगत माह हेतु (उपयोगकर्ता/शुल्क रु. करोड़ में)	पूर्ववर्ती माह हेतु	रिपोर्ट किए गए माह हेतु
क. लैंडिंग			
ख. पार्किंग			
ग. हाउसिंग			
घ. उपयोगकर्ता विकास शुल्क (User Development Fee)			
ङ. मुख्य कार्गो खंडों के अंतर्गत विभाजित कार्गो सुविधाएं			
च. ग्राउंड हैंडलिंग			
छ. अन्य वैमानिकी राजस्व			
ज. मुख्य खंडों के अंतर्गत विभाजित गैर-			

वैमानिकी राजस्व			
झ. प्रदान की गई निःशुल्क सेवाओं का विवरण			
कुल			

टिप्पणी, यदि कोई हो:

परिचालन व्यय

एयरपोर्ट: [एयरपोर्ट का नाम] माह: []

क्र.सं.	परिचालन व्यय का प्रकार एवं उद्देश्य	पिछले वर्ष के संगत माह हेतु (रु. करोड़ में)	पूर्ववर्ती माह हेतु (रु. करोड़ में)	चालू माह हेतु (रु. करोड़ में)
1.	वेतन लागत (Payroll Costs)			
2.	प्रशासनिक एवं सामान्य लागत			
3.	उपयोगिता एवं आउटसोर्सिंग लागत			
4.	मरम्मत एवं रखरखाव			
5.	अन्य व्यय			
	कुल			

टिप्पणी, यदि कोई हो:

अनुसूची ठ उपयोगकर्ता चार्टर (USER CHARTER)

(देखें खंड 22.10)

[एयरपोर्ट का नाम]

1 सुरक्षा के साथ सेवा (Service with Safety)

हमारा उद्देश्य अत्याधुनिक अवसंरचना के माध्यम से एयरपोर्ट प्रबंधन में सुरक्षा एवं गुणवत्ता प्रदान करना है ताकि ग्राहकों की समग्र संतुष्टि सुनिश्चित हो सके। यह चार्टर हमारे एयरपोर्ट के उपयोगकर्ताओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धताओं तथा वे हमसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं, इसे स्पष्ट करता है।

2 विषय-सूची (Contents)

- (क) परिचय
- (ख) यात्री सेवा हेतु हमारे मानक
- (ग) सूचना की उपलब्धता
- (घ) सहायता की आवश्यकता वाले यात्री
- (ङ) टिकट खरीदना
- (च) खोई हुई संपत्ति
- (छ) आपके विचार सुनना
- (ज) हमारे वादाबद्ध प्रतिक्रिया समय

2.1 परिचय

ग्राहकों की संतुष्टि हमारा आदर्श वाक्य है! एयरपोर्ट प्रबंधन का उद्देश्य अपने प्रशिक्षित जनशक्ति एवं ठेकेदारों के माध्यम से इस एयरपोर्ट के उपयोगकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करना है। हमारा लक्ष्य निम्नलिखित प्रदान करना है:

- (क) एयरपोर्ट के उपयोगकर्ताओं हेतु सुरक्षा एवं संरक्षा
- (ख) स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर वातावरण
- (ग) विश्वसनीय एवं सरलता से समझ में आने वाली सूचना
- (घ) विनम्र, ग्राहक-अनुकूल एवं सहायक स्टाफ

(ड) आनंददायक एवं उचित मूल्य पर खरीदारी एवं भोजन का अनुभव

(च) आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता

2.2 यात्री सेवा हेतु हमारे मानक

हम अपने एयरपोर्ट पर आपको विश्वसनीय एवं आरामदायक सेवा प्रदान करने हेतु अपने प्रदर्शन में सुधार लाने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे।

2.2.1 एयरपोर्ट तक पहुंच (Approach to the Airport)

हम एयरपोर्ट क्षेत्र में आपके प्रवेश को सुगम एवं आरामदायक बनाने हेतु हरसंभव प्रयास करेंगे। हमारी यातायात योजनाएं इस प्रकार बनाई जाएंगी कि एयरपोर्ट क्षेत्र में आसानी से प्रवेश एवं निकास संभव हो सके। आपकी पहुंच को आरामदायक बनाने हेतु, हम एयरपोर्ट क्षेत्र के भीतर पहुंच मार्ग पर अनधिकृत रूप से खड़े वाहनों को टो करके हटाएंगे।

2.2.2 टर्मिनल भवन में प्रवेश (Entry to the Terminal Building)

हम सुनिश्चित करेंगे कि टर्मिनल भवन में प्रवेश परेशानी-मुक्त हो और जहां अनेक प्रवेश द्वार उपलब्ध हों, वहां विशिष्ट एयरलाइनों हेतु समर्पित प्रवेश द्वारों पर सूचना उपयुक्त रूप से प्रदर्शित की जाएगी।

टर्मिनल भवन में प्रवेश गैर-भेदभावपूर्ण होगा। हालांकि, यात्रियों के साथ आने वाले आगंतुकों को निर्धारित प्रवेश शुल्क देना होगा। सुरक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार आगंतुकों के प्रवेश को समय-समय पर सीमित या निलंबित किया जा सकता है।

2.2.3 सामान (Luggage)

हम आवश्यकतानुसार सभी यात्रियों को सामान ट्रॉली की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। आपकी सुविधा हेतु सशुल्क पोटरिज सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

2.2.4 वाहनों की पार्किंग (Parking of vehicles)

कार, स्कूटर, बस आदि विभिन्न वाहनों की पार्किंग हेतु पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध कराना हमारा प्रयास होगा। पार्किंग सुविधाओं का उपयोग निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध होगा, जो वाहन एवं पार्किंग के प्रकार के अनुसार भिन्न हो सकता है। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आपको अपने वाहन की पार्किंग/निकासी हेतु 5 मिनट से अधिक समय न लगे।

2.2.5 कतार की लंबाई (Length of queue)

कतारों में व्यतीत समय को न्यूनतम रखने हेतु पर्याप्त संख्या में चेक-इन काउंटर, एक्स-रे बैगेज मशीनें, कन्वेयर बेल्ट आदि उपलब्ध कराए जाएंगे।

2.2.6 सुविधाएं (Facilities)

आप शौचालय, स्वच्छ पेयजल, तरल साबुन, कागज़ के गिलास एवं शिशु देखभाल कक्ष जैसी निःशुल्क सुविधाओं के हकदार हैं। अन्य सभी सुविधाएं भुगतान के आधार पर उपलब्ध होंगी। यात्रियों की आवश्यकतानुसार भोजन, पेय एवं खरीदारी हेतु सभी आवश्यक सुविधाएं सुखद वातावरण में उपलब्ध होंगी। उचित मूल्य पर बुनियादी पेय एवं खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु, सुविधाजनक स्थानों पर वेंडिंग मशीनें स्थापित की जाएंगी। हम सुनिश्चित करेंगे कि विक्रेता एमआरपी संबंधी कानूनों के अनुसार अपनी वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करें। यात्रियों को प्रतिस्पर्धा एवं विकल्प उपलब्ध कराने हेतु प्रतिस्पर्धी विक्रेताओं की वेंडिंग मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। हम टर्मिनल भवन की स्वच्छता एवं स्वास्थ्यकर स्थिति भी सुनिश्चित करेंगे ताकि आप अपना समय एक स्वच्छ एवं सुखद वातावरण में व्यतीत कर सकें।

हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिकांश सेवाओं हेतु आपको 5 मिनट से अधिक कतार में खड़ा न होना पड़े तथा आपके सामान/बैगेज हेतु 20 मिनट से अधिक न लगे।

2.2.7 बैठने की व्यवस्था (Seating)

उपयोगकर्ताओं हेतु प्रतीक्षा क्षेत्र की योजना इस प्रकार बनाई जाएगी कि पीक ऑवर क्षमता के कम से कम 40% (चालीस प्रतिशत) हेतु आरामदायक सीटें उपलब्ध हों।

आपके आराम हेतु पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी और जब बाहरी तापमान 40°C से कम हो, तो टर्मिनल भवन के अंदर का तापमान 25°C पर बनाए रखा जाएगा। अन्य स्थितियों में, टर्मिनल भवन के बाहर एवं अंदर के तापमान के बीच का अंतर 15°C से कम नहीं होगा। शीत ऋतु के दौरान, तापमान 15°C से कम नहीं होगा।

2.2.8 टैक्सी (Taxis)

हम सुनिश्चित करेंगे कि आपके आगमन पर टैक्सी उपलब्ध हों। कम से कम 95% (पिछ्यानवे प्रतिशत) यात्रियों हेतु अधिकतम प्रतीक्षा समय 5 मिनट से अधिक नहीं होगा।

2.2.9 नियोजित/अनियोजित अभियांत्रिकी कार्य (Planned/Unplanned Engineering Works)

हम सुनिश्चित करेंगे कि जब भी कोई संशोधन/मरम्मत कार्य किया जाए, तो वह क्षेत्र समुचित रूप से घेरा गया हो, स्पष्ट संकेतक उपलब्ध हों तथा एयरपोर्ट का सामान्य कामकाज किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो।

2.3 सूचना की उपलब्धता (Availability of information)

सूचना ही शक्ति है।

हम उड़ानों के आगमन एवं प्रस्थान समय संबंधी समयबद्ध सूचना प्रदान करेंगे। यह सूचना टर्मिनल भवन में प्रवेश से पहले भी उपलब्ध होगी ताकि किसी विलंब की स्थिति में आप अपने संबंधियों/मित्रों के साथ

अधिक समय व्यतीत कर सकें। हम टर्मिनल भवन के भीतर स्पष्ट एवं सरलता से समझ में आने वाले सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत संकेतक (signages) भी उपलब्ध कराएंगे ताकि आप बिना किसी की सहायता मांगे सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

तथापि, यदि आपको किसी सहायता की आवश्यकता हो, तो हमारा प्रशिक्षित स्टाफ आपकी मदद हेतु उपलब्ध रहेगा। उड़ान समय की सटीकता एवं असामान्य विलंब काफी हद तक एयरलाइनों के सहयोग पर निर्भर करते हैं। हम एयरलाइनों के साथ समन्वय स्थापित करने तथा सूचना प्राप्त होते ही उसे तुरंत अद्यतन करने हेतु हरसंभव प्रयास करेंगे।

2.4 सहायता की आवश्यकता वाले यात्री (Passengers who require assistance)

हम दिव्यांग (differently abled) यात्रियों की आवश्यकताओं के प्रति चिंतित हैं। हम निम्नलिखित प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध हैं:

2.4.1 यात्रियों को सहायता (Assistance to Passengers)

जैसे ही आप अपनी आवश्यकता हमारे प्रशिक्षित स्टाफ के संज्ञान में लाएंगे, वे आपकी सहायता हेतु तैयार रहेंगे।

2.4.2 वॉशरूम (Wash rooms)

हम दिव्यांग-अनुकूल वॉशरूम उपलब्ध कराएंगे जिनका उपयोग करना आसान हो।

2.4.3 रैंप (Ramps)

जहां भी संभव हो, व्हील चेयर वाले यात्रियों हेतु रैंप उपलब्ध कराए जाएंगे।

2.4.4 प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं (First Aid Facilities)

किसी भी अप्रत्याशित चिकित्सा आपातकाल से निपटने हेतु सुविधाएं उपलब्ध होंगी और योग्य पेशेवर द्वारा प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की जाएगी।

2.5 टिकट खरीदना (Buying a ticket)

हमारे एयरपोर्ट पर टिकट खरीदना बहुत आसान एवं सुविधाजनक है। एयरपोर्ट पर सभी प्रमुख एयरलाइनों हेतु पर्याप्त संख्या में टिकटिंग काउंटर उपलब्ध कराए जाएंगे। ये उन उपयोगकर्ताओं के लिए खुले रहेंगे जो हवाई मार्ग से आ रहे हों और किसी अन्य गंतव्य हेतु आगे बढ़ रहे हों, वे टर्मिनल भवन से बाहर गए बिना अपने टिकट खरीद सकते हैं।

2.6 खोई हुई संपत्ति (Lost Property)

एयरपोर्ट पर कुछ खो गया? आप उसे टर्मिनल भवन में स्थित खोई हुई संपत्ति कार्यालय (Lost Property Office) से वापस प्राप्त कर सकते हैं।

सभी खोई एवं पाई गई वस्तुएं खोई हुई संपत्ति प्रभारी अधिकारी (Lost Property Officer in-charge) को भेजी जाएंगी। आप अपनी खोई हुई वस्तुओं की वापसी हेतु उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनसे उनके ईमेल पते के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है, अर्थात् [जारी करने के समय विवरण दर्ज किए जाएंगे]।

2.7 आपके विचार सुनना (Listening to your views)

ग्राहक सदैव सही होता है। ग्राहक संतुष्टि हमारा आदर्श वाक्य है। निरंतर सुधार हमारा लक्ष्य है।

हमारी सेवा के विभिन्न पहलुओं पर उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण (User Satisfaction Survey) का आवधिक विश्लेषण किया जाएगा। आपके सुझावों/शिकायतों को दर्ज करने हेतु, विभिन्न स्थानों पर सुझाव पुस्तिकाएं (suggestion books) उपलब्ध कराई गई हैं। आप पत्राचार, हमारी फोन लाइनों या हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं।

2.8 हमारे वादाबद्ध प्रतिक्रिया समय (Our promised response times)

जब आप हमें लिखेंगे, तो आपको सात कार्य दिवसों के भीतर हमसे उत्तर प्राप्त होना चाहिए।

(क) यदि पूर्ण उत्तर देने में अधिक समय लगे, तो हम आपको 7 (सात) कार्य दिवसों के भीतर एक स्वीकृति (acknowledgement) भेजेंगे और 25 (पच्चीस) कार्य दिवसों के भीतर उत्तर देंगे।

(ख) यदि 25 कार्य दिवसों के भीतर पूर्ण उत्तर नहीं दिया जा सकता, तो हम आपसे संपर्क करेंगे तथा आपको अद्यतन जानकारी देंगे।

(ग) एयरपोर्ट पर विभिन्न सेवाएं प्रदान करने में कई एजेंसियां शामिल हैं। ऊपर वादा की गई कुछ सेवाओं में उन एजेंसियों के साथ बातचीत एवं समन्वय शामिल हो सकता है जो सेवा प्रदान करने हेतु प्राथमिक रूप से उत्तरदायी हैं। ऐसी स्थिति में, हम आपकी चिंताओं का समाधान करने हेतु हरसंभव प्रयास करेंगे।

यदि आप हमारे उत्तर से असंतुष्ट हैं, तो हम आपको हमारी प्रतिक्रिया से संतुष्ट करने हेतु हरसंभव प्रयास करेंगे। कृपया हमें सूचित करें। इससे हमें कमजोर बिंदुओं की पहचान करने तथा अपने प्रदर्शन में निरंतर सुधार लाने में सहायता मिलेगी।

अनुसूची ड

स्वतंत्र अभियंता का चयन (SELECTION OF INDEPENDENT ENGINEER)

(खंड 23.1 देखें)

1 स्वतंत्र अभियंता का चयन (Selection of Independent Engineer)

1.1

रियायत समझौते (Concession Agreement) के अंतर्गत स्वतंत्र अभियंता के चयन हेतु प्राधिकरण (Authority) के भीतर समान कार्य हेतु अभियंता के चयन की प्रक्रिया लागू होगी। बशर्ते कि स्वतंत्र अभियंता के रूप में चयनित की जाने वाली संस्था एक अनुभवी फर्म हो तथा रियायत समझौते के अंतर्गत परिकल्पित कार्य एवं कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम हो। बशर्ते आगे यह भी कि प्राधिकरण के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कोई भी संस्था स्वतंत्र अभियंता के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगी।

1.2

पैराग्राफ 1.1 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त स्वतंत्र अभियंता की समाप्ति (termination) की स्थिति में, प्राधिकरण तत्काल किसी अन्य तकनीकी परामर्शदाता फर्म को नियुक्त करेगा या इस अनुसूची ड के पैराग्राफ 4 के प्रावधानों के अनुसार किसी सरकारी स्वामित्व वाली संस्था को नियुक्त कर सकता है।

1.3

रियायतग्राही, अपने विवेकाधिकार पर, इस अनुसूची ड के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले चयन की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु एक प्रतिनिधि नामित कर सकता है।

1.4

स्वतंत्र अभियंता हेतु संदर्भ की शर्तें (Terms of Reference) मूल रूप से अनुसूची N के अनुरूप होंगी।

2 शुल्क एवं व्यय (Fee and expenses)

2.1

विकास अवधि (Development Period), निर्माण अवधि (Construction Period) एवं परिचालन अवधि (Operation Period) के दौरान स्वतंत्र अभियंता द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों एवं सेवाओं की प्रकृति एवं मात्रा निर्धारित करते समय, प्राधिकरण यह प्रयास करेगा कि स्वतंत्र अभियंता को शुल्क एवं व्यय के रूप में किए जाने वाले भुगतान प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के आधार पर निर्धारित हों।

2.2

स्वतंत्र अभियंता का पारिश्रमिक, लागत एवं व्यय प्राधिकरण द्वारा भुगतान किया जाएगा, तथा ऐसा सभी पारिश्रमिक, लागत एवं व्यय रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण से व्यय विवरण (statement of expenditure) प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति (reimburse) किया जाएगा।

2.3

स्वतंत्र अभियंता को किया गया कोई भी भुगतान AERA द्वारा वैमानिकी शुल्क (Aeronautical Charges) के निर्धारण हेतु पास-थ्रू (pass-through) माना जाएगा।

3 चयन अवधि (Selection tenure)

फेज़ 1 सीओडी की प्राप्ति से पूर्व या उससे पहले, और उसके पश्चात प्रत्येक 3 (तीन) वर्ष में, प्राधिकरण इस अनुसूची ड में निर्धारित मानदंडों के अनुसार किसी अन्य फर्म को नियुक्त करेगा, जो स्वतंत्र अभियंता के रूप में कार्य करेगी।

4 स्वतंत्र अभियंता के रूप में सरकारी संस्था की नियुक्ति (Appointment of government entity as Independent Engineer)

इस अनुसूची में विपरीत निहित किसी भी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण अपने विवेकाधिकार पर एक सरकारी स्वामित्व वाली संस्था को स्वतंत्र अभियंता के रूप में नियुक्त कर सकता है, बशर्ते कि ऐसी संस्था एक निगमित निकाय (corporate body) हो, जिसका प्राथमिक कार्यों में से एक अभियांत्रिकी परियोजनाओं हेतु परामर्श, सलाह एवं पर्यवेक्षण सेवाएं प्रदान करना हो, बशर्ते आगे यह भी कि राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कोई भी सरकारी स्वामित्व संस्था स्वतंत्र अभियंता के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगी।

अनुसूची ढ

स्वतंत्र अभियंता हेतु संदर्भ की शर्तें (TERMS OF REFERENCE FOR INDEPENDENT ENGINEER)

(खंड 23.2.1 देखें)

1 कार्यक्षेत्र (Scope)

1.1

स्वतंत्र अभियंता हेतु ये संदर्भ की शर्तें ("TOR") 8 जनवरी, 2018 को हस्ताक्षरित रियायत समझौते ("समझौता") के अनुसरण में निर्दिष्ट की जा रही हैं, जो प्राधिकरण एवं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ("रियायतग्राही") के बीच नवी मुंबई शहर में DBFOT आधार पर एयरपोर्ट हेतु संपन्न हुआ है, तथा जिसकी एक प्रति इसके साथ संलग्नक क के रूप में संलग्न है तथा इस TOR का भाग बनती है।

1.2

यह टीओआर (TOR) परियोजना के विकास, निर्माण, संचालन एवं रखरखाव पर लागू होगा।

2 परिभाषाएं एवं व्याख्या (Definitions and Interpretation)

2.1

इस टीओआर (TOR) में बड़े अक्षरों से आरंभ होने वाले या बड़े अक्षरों में प्रयुक्त शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का, जो यहां परिभाषित नहीं हैं परंतु समझौते में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो संदर्भ के प्रतिकूल न हो, समझौते में उन्हें सौंपा गया है।

2.2

इस टीओआर (TOR) में अनुच्छेदों (Articles), खंडों (Clauses) एवं अनुसूचियों (Schedules) के संदर्भ, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न करे, समझौते के अनुच्छेदों, खंडों एवं अनुसूचियों के संदर्भ माने जाएंगे, तथा पैराग्राफ के संदर्भ इस टीओआर (TOR) के पैराग्राफ के संदर्भ माने जाएंगे।

2.3

समझौते के खंड 1.2, 1.3 एवं 1.4 में उल्लिखित निर्वचन के नियम, यथोचित परिवर्तनों सहित (mutatis mutandis), इस टीओआर (TOR) पर लागू होंगे।

3 स्वतंत्र अभियंता की भूमिका एवं कार्य (Role and functions of the Independent Engineer)

3.1 स्वतंत्र अभियंता की भूमिका एवं कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) पैराग्राफ 4 में निर्धारित मास्टर प्लान, डिज़ाइन, आरेखण (drawings) एवं दस्तावेज़ों की समीक्षा;

(ख) पैराग्राफ 5 में निर्धारित निर्माण कार्यों की समीक्षा, निरीक्षण एवं निगरानी;

(ग) निर्माण पूर्णता के परीक्षणों (Tests on completion) की समीक्षा एवं साक्षी होना तथा पूर्णता प्रमाणपत्र (Completion Certificate) जारी करने में प्राधिकरण की सहायता, जैसा कि पैराग्राफ 5 में निर्धारित है;

(घ) पैराग्राफ 6 में निर्धारित ओ&एम की समीक्षा, निरीक्षण एवं निगरानी;

(ङ) पैराग्राफ 7 में निर्धारित विनिवेश आवश्यकताओं (Divestment Requirements) की समीक्षा, निरीक्षण एवं निगरानी;

(च) समझौते के अंतर्गत आवश्यकतानुसार, किसी भी कार्य या सेवा की लागत और/या उनकी युक्तियुक्तता का निर्धारण;

(छ) समझौते के अंतर्गत आवश्यकतानुसार, किसी कर्तव्य या दायित्व के निष्पादन हेतु अवधि, या उसके किसी विस्तार का निर्धारण;

(ज) पैराग्राफ 9 में निर्धारित विवादों के समाधान में पक्षकारों की सहायता करना; और

(झ) समझौते के अनुसार अन्य सभी कर्तव्यों एवं कार्यों का निर्वहन।

3.2 स्वतंत्र अभियंता अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्पक्ष, तटस्थ एवं कुशल तरीके से करेगा, जो व्यावसायिक अखंडता के उच्चतम मानकों एवं उत्तम उद्योग व्यवहार (Good Industry Practice) के अनुरूप हो।

4 विकास अवधि (Development Period)

4.1 विकास अवधि के दौरान, स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मास्टर प्लान, डिज़ाइन एवं आरेखणों की, सहायक आंकड़ों सहित, विस्तृत समीक्षा करेगा, जिसमें भू-तकनीकी एवं जल-वैज्ञानिक अन्वेषण (geo-technical and hydrological investigations), बॉरो क्षेत्रों एवं खदान स्थलों से सामग्रियों की विशेषताएं, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण (topographical surveys) एवं यातायात सर्वेक्षण शामिल हैं। स्वतंत्र अभियंता ऐसी समीक्षा को पूर्ण करेगा तथा ऐसे मास्टर प्लान, विकास योजना (Development Plan) एवं आरेखणों की प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां/निरीक्षण प्राधिकरण एवं रियायतग्राही को भेजेगा। विशेष रूप से, ऐसी टिप्पणियों में यह उल्लेख होगा कि मास्टर प्लान, विकास योजना एवं ऐसे आरेखण परियोजना के कार्यक्षेत्र (Scope of the Project) तथा विशिष्टियों एवं मानकों (Specifications and Standards) के अनुरूप हैं या नहीं।

4.2 इस चरण में स्वतंत्र अभियंता के कार्यक्षेत्र का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है:

4.2.1 सभी डिज़ाइन, आरेखण, विशिष्टियों एवं खरीद दस्तावेज़ों की समीक्षा:

(क) डिज़ाइन आधार (design basis);

(ख) डिज़ाइन को स्वीकृत मास्टर प्लान के अनुरूप होना चाहिए;

(ग) डिज़ाइन, आरेखण, मात्राओं एवं लागत पर टिप्पणियां प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएंगी;

(घ) सभी डिज़ाइन एवं विशिष्टियों की विकास मानकों एवं आवश्यकताओं के अनुसार समीक्षा की जाएगी;

(ङ) रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत विभिन्न खरीद दस्तावेज़ों की मात्रा सूची (bill of quantities) में सभी मदों की सूची एवं मात्राओं का सत्यापन करना तथा आवश्यकता होने पर, मास्टर प्लान से किसी भी विचलन सहित वित्तीय प्रभाव के साथ उसमें संशोधन का प्रस्ताव करना।

4.2.2 रियायतग्राही द्वारा कार्यों एवं वाणिज्यिक अनुबंधों के प्रदाय (award) की समीक्षा:

(क) अनुबंध दस्तावेज़ की तकनीकी (डिज़ाइन, निर्माण, पूर्णता एवं कमीशनिंग) एवं वाणिज्यिक शर्तों हेतु समीक्षा की जाएगी;

(ख) ठेकेदारों की क्षमता पर समीक्षा एवं टिप्पणी;

(ग) रियायतग्राही द्वारा अपनाई गई निविदा (tendering) एवं अनुबंध प्रदाय की प्रक्रिया की समीक्षा।

4.3 स्वतंत्र अभियंता प्राधिकरण द्वारा भेजे गए किसी भी संशोधित आरेखण या सहायक दस्तावेज़ की समीक्षा करेगा तथा ऐसे आरेखण या दस्तावेज़ प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

4.4 स्वतंत्र अभियंता अनुसूची ज के अनुसार आरेखणों की समीक्षा करेगा तथा ऐसे आरेखण प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां प्राधिकरण एवं रियायतग्राही को प्रस्तुत करेगा।

4.5 स्वतंत्र अभियंता विस्तृत डिज़ाइन, निर्माण पद्धति, गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं तथा प्राधिकरण द्वारा भेजी गई खरीद, अभियांत्रिकी एवं निर्माण समय-सारणी की समीक्षा करेगा, जो रियायतग्राही द्वारा तैयार की गई है, तथा इसकी प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा।

4.6 प्राधिकरण के संदर्भ पर, स्वतंत्र अभियंता एयरपोर्ट के संबंधित चरण (Phase) के निर्माण हेतु ईपीसी अनुबंध या किसी अन्य अनुबंध की समीक्षा एवं टिप्पणी करेगा, तथा प्राधिकरण से ऐसा संदर्भ प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा।

5 निर्माण अवधि (Construction Period)

5.1 निर्माण अवधि के दौरान इसकी समीक्षा एवं टिप्पणियों हेतु स्वतंत्र अभियंता को प्राप्त मास्टर प्लान, विकास योजना, आरेखण एवं दस्तावेज़ों के संबंध में, पैराग्राफ 4 के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों सहित (mutatis mutandis) लागू होंगे।

5.2 स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट की निम्नलिखित के संबंध में समीक्षा करेगा तथा ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां प्राधिकरण को भेजेगा:

(क) स्वीकृत मास्टर प्लान, विकास योजना, आरेखण, मानकों एवं विशिष्टियों का अनुपालन;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि रियायतग्राही द्वारा तैयार रिपोर्ट मास्टर प्लान, विकास योजना एवं समझौते की सभी आवश्यकताओं के अनुरूप हो;

(ग) कार्यों की मात्रा एवं पूर्णता हेतु समय-सीमा की समीक्षा एवं आकलन;

(घ) मानकों एवं विशिष्टियों के अनुसार आवश्यकताओं के संबंध में रिपोर्ट में उल्लिखित सभी विकास कार्यों की भौतिक रूप से मौके पर समीक्षा एवं सत्यापन;

(ङ) कार्यों की गुणवत्ता पर टिप्पणी करना तथा किसी भी कार्य या कार्य के भाग की पहचान करना जिसे कार्य पूर्ण होने से पहले सुधारने की आवश्यकता हो; और

(च) लागत एवं समय-सारणी को समाहित करने वाला परियोजना नियंत्रण दृष्टिकोण अपनाना, संसाधनों की पर्याप्तता, संभावित प्रवृत्तियों (नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों) का पूर्वानुमान लगाना तथा दावों की समीक्षा करना जो स्वीकृत निर्माण लागत को प्रभावित कर सकते हैं।

5.3 स्वतंत्र अभियंता प्रत्येक माह एक बार निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगा, अधिमानतः रियायतग्राही से मासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात, परंतु किसी भी स्थिति में प्रत्येक माह की 20वीं (बीसवीं) तारीख से पहले, तथा ऐसे निरीक्षण की एक रिपोर्ट ("निरीक्षण रिपोर्ट") तैयार करेगा जिसमें अपनाई गई कार्य पद्धति, उपयोग की गई सामग्रियों एवं उनके स्रोतों सहित निर्माण की स्थिति, प्रगति, गुणवत्ता एवं सुरक्षा का सिंहावलोकन (overview) तथा परियोजना के कार्यक्षेत्र एवं विशिष्टियों एवं मानकों के साथ निर्माण कार्यों की अनुरूपता (conformity) निर्धारित होगी। निरीक्षण रिपोर्ट के एक अलग खंड में, स्वतंत्र अभियंता एयरपोर्ट के निर्माण में उसके द्वारा देखी गई त्रुटियों, दोषों या कमियों का व्यक्तिगत विस्तार से वर्णन करेगा। स्वतंत्र अभियंता निरीक्षण के 7 (सात) दिनों के भीतर अपनी निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति प्राधिकरण एवं रियायतग्राही को भेजेगा।

5.4 यदि किसी त्रुटि, दोष या कमी के कारण ऐसे निरीक्षण की आवश्यकता हो, तो स्वतंत्र अभियंता माह में एक से अधिक बार भी एयरपोर्ट का निरीक्षण कर सकता है।

5.5 यह निर्धारित करने हेतु कि निर्माण कार्य विशिष्टियों एवं मानकों के अनुरूप हैं, स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही से यह अपेक्षा करेगा कि वह गुणवत्ता आश्वासन हेतु उत्तम उद्योग व्यवहार के अनुसार स्वतंत्र अभियंता द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले नमूना आधार (sample basis) पर परीक्षण कराए या करवाए। इस पैराग्राफ 5.5 के प्रयोजन हेतु, संरचनाओं, भवनों एवं उपकरणों ("गुणवत्ता नियंत्रण मैनुअल") के संबंध में प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट संबंधित मैनुअल में उल्लिखित परीक्षण, या उसमें कोई संशोधन/प्रतिस्थापन, गुणवत्ता आश्वासन हेतु उत्तम उद्योग व्यवहार के अनुरूप परीक्षण माने जाएंगे। स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही को यह सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करेगा कि परीक्षण निष्पक्ष एवं कुशल तरीके से किए जाएं, तथा परिणामों की निगरानी एवं समीक्षा करेगा।

5.6 पैराग्राफ 5.5 के अंतर्गत स्वतंत्र अभियंता द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले परीक्षणों का नमूना आकार, गुणवत्ता नियंत्रण मैनुअल में प्रत्येक श्रेणी या प्रकार के परीक्षण हेतु निर्धारित मात्रा या परीक्षणों की संख्या का 10% (दस प्रतिशत) होगा, बशर्ते कि स्वतंत्र अभियंता, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, कुछ श्रेणियों या प्रकार के परीक्षणों हेतु उपरोक्त नमूना आकार को 10% (दस प्रतिशत) तक बढ़ा सकता है।

5.7 पैराग्राफ 5.5 में उल्लिखित परीक्षणों का समय, तथा उनके परिणामों की स्वीकृति/अस्वीकृति हेतु मानदंड, स्वतंत्र अभियंता द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण मैनुअल के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। परीक्षण यादृच्छिक नमूना आधार (random sample basis) पर किए जाएंगे तथा रियायतग्राही द्वारा अपने स्वयं के गुणवत्ता आश्वासन हेतु उत्तम उद्योग व्यवहार के अनुसार किए जाने वाले परीक्षणों के अतिरिक्त एवं उनसे स्वतंत्र होंगे।

5.8 यदि रियायतग्राही किसी दोष या कमी को हटाने या सुधारने हेतु कोई सुधारात्मक कार्य करता है, तो स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही से यह अपेक्षा करेगा कि वह यह निर्धारित करने हेतु परीक्षण कराए या करवाए कि क्या ऐसे सुधारात्मक कार्यों ने निर्माण कार्यों को विशिष्टियों एवं मानकों के अनुरूप ला दिया है, तथा इस पैराग्राफ 5 के प्रावधान ऐसे परीक्षणों पर लागू होंगे।

5.9 यदि रियायतग्राही किसी चरण माइलस्टोन (Phase Milestone) को प्राप्त करने में विफल रहता है, तो स्वतंत्र अभियंता निर्माण की प्रगति की समीक्षा करेगा तथा किसी भी संभावित विलंब की पहचान करेगा। यदि स्वतंत्र अभियंता यह निर्धारित करता है कि समझौते में निर्दिष्ट समय के भीतर एयरपोर्ट का पूर्ण होना संभव नहीं है, तो वह, प्राधिकरण के माध्यम से, रियायतग्राही से यह अपेक्षा करेगा कि वह 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्रगति में तेजी लाने हेतु प्रस्तावित कदमों तथा उस अवधि को इंगित करे जिसके भीतर सीओडी प्राप्त किया जाएगा। प्राधिकरण से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, स्वतंत्र अभियंता इसकी समीक्षा करेगा तथा तुरंत अपनी टिप्पणियां प्राधिकरण को भेजेगा।

5.10 यदि निर्माण अवधि के दौरान किसी भी समय, स्वतंत्र अभियंता यह निर्धारित करता है कि रियायतग्राही ने निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों एवं उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा हेतु पर्याप्त व्यवस्था नहीं की है, या कोई कार्य इस प्रकार किया जा रहा है जो श्रमिकों एवं उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को खतरे में डालता है, तो वह प्राधिकरण को तुरंत एक सिफारिश करेगा, जिसमें निर्माण कार्यों के उस हिस्से या पूरे हिस्से की पहचान की जाएगी जिसे उस संबंध में सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निलंबित किया जाना चाहिए।

5.11 यदि रियायतग्राही निलंबित कार्यों एवं उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कोई सुधारात्मक उपाय करता है, तो प्राधिकरण, लिखित सूचना द्वारा, स्वतंत्र अभियंता से ऐसे कार्यों का निरीक्षण करने की अपेक्षा कर सकता है, और ऐसी सूचना प्राप्त होने के 3 (तीन) दिनों के भीतर, स्वतंत्र अभियंता निलंबित कार्यों का निरीक्षण करेगा तथा प्राधिकरण को तुरंत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह सिफारिश की जाएगी कि क्या प्राधिकरण द्वारा ऐसा निलंबन रद्द किया जाना चाहिए या नहीं।

5.12 यदि निर्माण कार्यों का निलंबन ऐसे कारणों से है जो रियायतग्राही को आरोपित नहीं किए जा सकते, तो स्वतंत्र अभियंता फेज़ 1 तथा उसके पश्चात के चरणों हेतु चरण पूर्णता समय-सारणी (Phase Completion Schedule) में निर्धारित तिथियों के विस्तार की सिफारिश करेगा, जिसका रियायतग्राही युक्तियुक्त रूप से हकदार है, तथा इसकी सूचना प्राधिकरण को देगा।

5.13 स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही द्वारा किए जाने वाले सभी परीक्षणों का साक्षी बनेगा तथा अनुसूची ज में निर्दिष्ट परीक्षणों के परिणाम के आधार पर पूर्णता या अनंतिम पूर्णता (Provisional Completion), जैसा भी मामला हो, पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस पैराग्राफ 5.13 के अंतर्गत तथा इससे संबंधित सभी मामलों में अपने कार्यों का निर्वहन करने हेतु, स्वतंत्र अभियंता अनुच्छेद 14 एवं अनुसूची ज के प्रावधानों के अनुसार एवं उनके अनुरूप कार्य करेगा।

5.14 प्राधिकरण के संदर्भ पर, स्वतंत्र अभियंता अनुच्छेद 16 में निर्धारित सूचना, कार्यों एवं सेवाओं की लागत का निष्पक्ष एवं युक्तियुक्त आकलन करेगा तथा प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को भुगतान हेतु ऐसी लागतों की युक्तियुक्तता प्रमाणित करेगा।

6 परिचालन अवधि (Operation Period)

6.1 परिचालन अवधि के दौरान इसकी समीक्षा एवं टिप्पणियों हेतु स्वतंत्र अभियंता को प्राप्त आरेखणों, दस्तावेजों एवं रिपोर्ट के संबंध में, पैराग्राफ 4 के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

6.2 स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रखरखाव कार्यक्रम (annual maintenance programme) की समीक्षा करेगा तथा रखरखाव कार्यक्रम प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां प्राधिकरण एवं रियायतग्राही को भेजेगा।

6.3 स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत मासिक एवं त्रैमासिक स्थिति रिपोर्ट की समीक्षा करेगा तथा ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां प्राधिकरण एवं रियायतग्राही को भेजेगा।

6.4 स्वतंत्र अभियंता प्रत्येक माह एक बार एयरपोर्ट का निरीक्षण करेगा, अधिमानतः रियायतग्राही से मासिक एवं त्रैमासिक स्थिति रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात, परंतु किसी भी स्थिति में प्रत्येक माह की 20वीं (बीसवीं) तारीख से पहले, तथा ओ & एम निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें मुख्य प्रदर्शन संकेतकों (Key Performance Indicators), रखरखाव आवश्यकताओं एवं सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ इसकी अनुरूपता सहित ओ & एम की स्थिति, गुणवत्ता एवं सुरक्षा का सिंहावलोकन प्रस्तुत किया जाएगा। ओ & एम निरीक्षण रिपोर्ट के एक अलग खंड में, स्वतंत्र अभियंता एयरपोर्ट के ओ & एम में उसके द्वारा देखी गई त्रुटियों, दोषों या कमियों का युक्तियुक्त विस्तार से वर्णन करेगा। स्वतंत्र अभियंता निरीक्षण के 7 (सात) दिनों के भीतर अपनी ओ & एम निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति प्राधिकरण एवं रियायतग्राही को भेजेगा।

6.5 यदि किसी त्रुटि, दोष या कमी के कारण ऐसे निरीक्षण की आवश्यकता हो, तो स्वतंत्र अभियंता माह में एक से अधिक बार भी एयरपोर्ट का निरीक्षण कर सकता है।

6.6 स्वतंत्र अभियंता अपनी ओ & एम निरीक्षण रिपोर्ट में, यदि कोई हो, उन परीक्षणों को निर्दिष्ट करेगा जिन्हें रियायतग्राही यह निर्धारित करने के प्रयोजन हेतु कराए या करवाए कि क्या एयरपोर्ट रखरखाव आवश्यकताओं के अनुरूप है। वह ऐसे परीक्षणों के परिणामों तथा इस संबंध में रियायतग्राही द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों, यदि कोई हों, की निगरानी एवं समीक्षा करेगा।

6.7 अनुसूची 1 के पैराग्राफ 3 में उल्लिखित किसी दोष या कमी के संबंध में, स्वतंत्र अभियंता, उत्तम उद्योग व्यवहार के अनुरूप, विशिष्टियों एवं मानकों के संदर्भ में विचलन या क्षरण (deterioration) की स्वीकार्य सीमा (permissible limit) निर्दिष्ट करेगा तथा स्वीकार्य सीमा से परे किसी भी विचलन या क्षरण की मरम्मत या सुधार हेतु समय-सीमा भी निर्दिष्ट करेगा।

6.8 स्वतंत्र अभियंता यह निर्धारित करेगा कि क्या समझौते के अनुसार मरम्मत या सुधारात्मक कार्यों को पूर्ण करने में कोई विलंब हुआ है, तथा ऐसे विलंब हेतु देय, यदि कोई हो, हर्जाना (Damages) भी निर्धारित करेगा।

6.9 स्वतंत्र अभियंता, यातायात में व्यवधान को न्यूनतम करने तथा उत्तम उद्योग व्यवहार के अनुसार ऐसे रखरखाव/मरम्मत को पूर्ण करने हेतु आवश्यक समय को ध्यान में रखते हुए, रखरखाव/मरम्मत हेतु एयरपोर्ट बंद करने के रियायतग्राही के अनुरोध की जांच करेगा।

6.10 यदि रियायतग्राही एयरपोर्ट में किए जाने वाले किसी प्रस्तावित संशोधन की सूचना प्राधिकरण एवं स्वतंत्र अभियंता को देता है, तो स्वतंत्र अभियंता इसकी समीक्षा करेगा तथा प्रस्ताव प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां प्राधिकरण एवं रियायतग्राही को भेजेगा।

6.11 स्वतंत्र अभियंता, कम से कम प्रत्येक माह में एक बार, रियायतग्राही द्वारा स्थापित प्रणालियों की सटीकता की जांच हेतु उनका ऑडिट करेगा।

6.12 स्वतंत्र अभियंता रियायत अवधि (Concession Period) (विस्तार सहित, यदि कोई हो) की समाप्ति पर रियायतग्राही से प्राधिकरण को परियोजना परिसंपत्तियों (Project Assets) के हस्तांतरण में सहायता प्रदान करेगा तथा समझौते की शर्तों के अनुसार रियायतग्राही को निहित प्रमाणपत्र (Vesting Certificate) जारी करने हेतु आवश्यक सभी गतिविधियों को करने में प्राधिकरण की सहायता करेगा।

7 समाप्ति (Termination)

7.1 किसी भी समय, समाप्ति (Termination) से 90 (नब्बे) दिन पूर्व से अनधिक, परंतु ऐसी समाप्ति से 15 (पंद्रह) दिन पूर्व से अन्यून, स्वतंत्र अभियंता, रियायतग्राही के एक प्रतिनिधि की उपस्थिति में, खंड 35.1 में निर्धारित विनिवेश आवश्यकताओं (Divestment Requirements) के साथ रियायतग्राही के अनुपालन को निर्धारित करने हेतु एयरपोर्ट का निरीक्षण करेगा तथा, यदि आवश्यक हो, ऐसे अनुपालन को निर्धारित करने हेतु रियायतग्राही की लागत पर परीक्षण करवाएगा। यदि स्वतंत्र अभियंता यह निर्धारित करता है कि एयरपोर्ट की स्थिति ऐसी है कि उसकी मरम्मत एवं सुधार हेतु खंड 35.2 में निर्धारित राशि से अधिक की राशि आवश्यक होगी, तो वह एस्करो खाते (Escrow Account) में आवश्यक राशि की अवधारण (retention) तथा उसकी अवधारण अवधि की सिफारिश करेगा।

7.2 स्वतंत्र अभियंता समाप्ति के पश्चात 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के दौरान प्रत्येक 15 (पंद्रह) दिनों में एक बार एयरपोर्ट का निरीक्षण करेगा ताकि अनुच्छेद 36 के अंतर्गत उसमें निर्दिष्ट दोषों या कमियों के संबंध में रियायतग्राही के दायित्व को निर्धारित किया जा सके। यदि स्वतंत्र अभियंता को कोई ऐसा दोष या कमी पाई जाती है, तो वह व्यक्तिगत विस्तार से एक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा इसे तुरंत प्राधिकरण एवं रियायतग्राही को भेजेगा।

8 लागत एवं समय का निर्धारण (Determination of costs and time)

8.1 स्वतंत्र अभियंता समझौते के अंतर्गत उसके द्वारा निर्धारित की जाने वाली लागतों, और/या उनकी व्यक्तिगतता का निर्धारण करेगा।

8.2 स्वतंत्र अभियंता समझौते के अंतर्गत उसके द्वारा निर्धारित की जाने वाली अवधि, या उसके किसी विस्तार का निर्धारण करेगा।

9 विवाद समाधान में सहायता (Assistance in Dispute resolution)

9.1 किसी विवाद (Dispute) की स्थिति में किसी भी पक्षकार द्वारा आह्वान किए जाने पर, स्वतंत्र अभियंता मध्यस्थता करेगा तथा पक्षकारों को सौहार्दपूर्ण समझौते (amicable settlement) तक पहुंचने में सहायता करेगा।

9.2 समझौते के किसी प्रावधान में निर्धारित उत्तम उद्योग परिपाटी (Good Industry Practice) के अर्थ, कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति के संबंध में पक्षकारों के बीच किसी असहमति की स्थिति में, स्वतंत्र अभियंता उत्तम उद्योग व्यवहार एवं प्रामाणिक साहित्य पर निर्भर करते हुए एक तर्कसंगत लिखित कथन जारी करके ऐसे अर्थ, कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति को निर्दिष्ट करेगा।

10 अन्य कर्तव्य एवं कार्य (Other duties and functions)

स्वतंत्र अभियंता समझौते में निर्दिष्ट अन्य सभी कर्तव्यों एवं कार्यों का निर्वहन करेगा।

11 विविध (Miscellaneous)

11.1 स्वतंत्र अभियंता अपने निरीक्षण के कार्यक्रम की सूचना प्राधिकरण एवं रियायतग्राही को देगा, जो अपने विवेकाधिकार पर, निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहने हेतु अपने-अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं।

11.2 स्वतंत्र अभियंता को प्राप्त मास्टर प्लान, सभी आरेखणों एवं दस्तावेजों की कम से कम 1 (एक) प्रति, जिसमें 'यथा-निर्मित' (as-built) आरेखण शामिल हैं, अपनी सुरक्षित अभिरक्षा (safe custody) में रखेगा।

11.3 अपने कार्यभार को पूर्ण करने पर, स्वतंत्र अभियंता मास्टर प्लान, सभी आरेखणों, दस्तावेजों, परीक्षणों के परिणामों एवं अन्य संबंधित अभिलेखों का उचित रूप से वर्गीकरण एवं सूचीकरण करेगा, तथा उन्हें प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति को सौंपेगा, तथा उसकी लिखित प्राप्ति (written receipt) प्राप्त करेगा। उक्त दस्तावेजों की 2 (दो) प्रतियां उनके संपादन योग्य डिजिटल प्रारूप (editable digital format) में या ऐसे अन्य माध्यम या तरीके से भी प्रदान की जाएंगी जो प्राधिकरण को स्वीकार्य हो।

11.4 जहां भी स्वतंत्र अभियंता द्वारा सेवाओं की डिलीवरी हेतु कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई है, स्वतंत्र अभियंता उत्तम उद्योग व्यवहार के अनुसार अपने कार्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक कुशलता एवं तात्कालिकता के साथ कार्य करेगा।

अनुसूची ण (O)
एस्करो समझौता (ESCROW AGREEMENT)

(खंड 28.1 देखें)

यह एस्करो समझौता ("समझौता") [] में इस [] दिन, [], 20[] को निष्पादित किया गया है

निम्नलिखित के मध्य एवं द्वारा (BY AND AMONGST):

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित एक कंपनी, जिसका कॉर्पोरेट पहचान संख्या U45200MH2007PTC169174 है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय एयरपोर्ट निदेशक कार्यालय, टर्मिनल 1-B, CSI एयरपोर्ट, सांताक्रुज़, मुंबई – 400 099, महाराष्ट्र में है (इसके पश्चात "रियायतग्राही" के रूप में संदर्भित, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी, अनुज्ञप्त समनुदेशिती (permitted assigns) एवं प्रतिस्थापी शामिल होंगे);

तथा

[] (ऋणदाताओं के प्रतिनिधि का नाम एवं विवरण दर्ज करें) जिसका पंजीकृत कार्यालय [] पर है, वरिष्ठ ऋणदाताओं (Senior Lenders) की ओर से एवं उनके निधिपूर्वक प्राधिकृत अभिकर्ता (duly authorised agent) के रूप में इस समझौते से संबंधित मामलों के संबंध में कार्य कर रहा है (इसके पश्चात "ऋणदाताओं का प्रतिनिधि" के रूप में संदर्भित, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी एवं समनुदेशिती शामिल होंगे);

तथा

[] (एस्करो बैंक का नाम एवं विवरण दर्ज करें), जिसका पंजीकृत कार्यालय [] पर तथा अन्य स्थानों के साथ-साथ एक शाखा कार्यालय [] पर है (इसके पश्चात "एस्करो बैंक" के रूप में संदर्भित, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी एवं समनुदेशिती शामिल होंगे);

तथा

सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित एक कंपनी, जिसका कॉर्पोरेट पहचान संख्या U99999MH1970SGC014574 है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय निर्मल, दूसरी मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400 021, महाराष्ट्र में है, जिसका प्रतिनिधित्व इसके उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (Vice Chairman & Managing Director) द्वारा किया जा रहा है (इसके पश्चात "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी एवं समनुदेशिती शामिल होंगे)।

जबकि (WHEREAS):

क. प्राधिकरण ने रियायतग्राही के साथ 8 जनवरी, 2018 को महाराष्ट्र राज्य में नवी मुंबई स्थित एयरपोर्ट हेतु एक रियायत समझौता ("रियायत समझौता") संपन्न किया है, रियायत समझौते में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार, जिसकी एक प्रति इसके साथ संलग्नक क के रूप में संलग्न है तथा इस समझौते का भाग बनती है।

ख. वरिष्ठ ऋणदाताओं ने वित्तपोषण समझौतों (Financing Agreements) में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार परियोजना को वित्तपोषित करने हेतु सहमति दी है।

ग. रियायत समझौते के अंतर्गत रियायतग्राही को, अन्य बातों के साथ-साथ, इसमें निर्धारित शर्तों पर एक एस्करो खाता स्थापित करना अपेक्षित है।

अतः अब, उपरोक्त तथा इस समझौते में निर्धारित संबंधित वचनों (covenants) एवं करारों (agreements) के प्रतिफल में, जिनकी प्राप्ति एवं पर्याप्तता को स्वीकार किया जाता है, तथा इसके द्वारा विधिक रूप से बाध्य होने के आशय से, पक्षकार निम्नलिखित के लिए सहमत होते हैं:

1. परिभाषाएं एवं व्याख्या (DEFINITIONS AND INTERPRETATION)

1.1 परिभाषाएं (Definitions)

इस समझौते में, निम्नलिखित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का, जब तक संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, वही अर्थ होगा जो नीचे उन्हें क्रमशः सौंपा गया है:

"समझौता" (Agreement) का अर्थ है यह एस्करो समझौता तथा यहां निहित प्रावधानों के अनुसार किया गया इसका कोई भी संशोधन;

"रियायत समझौता" (Concession Agreement) का अर्थ है उपर्युक्त प्रस्तावना क में संदर्भित तथा संलग्नक क के रूप में इसके साथ संलग्न रियायत समझौता, तथा इसमें इसके सभी प्रस्तावनाएं (Recitals) एवं अनुसूचियां (Schedules) तथा इस संबंध में निहित प्रावधानों के अनुसार इसमें किए गए कोई भी संशोधन शामिल होंगे;

"रियायतग्राही" (Concessionaire) का अर्थ है उपर्युक्त प्रस्तावनाओं में रियायतग्राही के रूप में संदर्भित व्यक्ति;

"उपचार अवधि" (Cure Period) का अर्थ है रियायतग्राही द्वारा इस समझौते के किसी प्रावधान के किसी उल्लंघन या व्यतिक्रम (default) को उपचारित करने हेतु इस समझौते में निर्दिष्ट अवधि, तथा यह उस तिथि से प्रारंभ होगी जिस दिन प्राधिकरण या ऋणदाताओं के प्रतिनिधि द्वारा, जैसा भी मामला हो, रियायतग्राही को ऐसी सूचना में निर्दिष्ट उल्लंघन या व्यतिक्रम को उपचारित करने हेतु अनुरोध करते हुए एक सूचना (notice) दी जाती है;

"एस्करो खाता" (Escrow Account) का अर्थ है इस समझौते के अंतर्गत एवं इसके अनुसार स्थापित एक एस्करो खाता, तथा इसमें उप-खाते (Sub-Accounts) शामिल होंगे;

"एस्करो बैंक" (Escrow Bank) का अर्थ है उपर्युक्त प्रस्तावनाओं में एस्करो बैंक के रूप में संदर्भित बैंक;

"एस्करो व्यतिक्रम" (Escrow Default) का वही अर्थ होगा जो खंड 6.1.1 में इसे सौंपा गया है;

"क्षतिपूर्तिग्राही पक्षकार" (Indemnified Party) का वही अर्थ होगा जो खंड 9.2 में इसे सौंपा गया है;

"क्षतिपूर्ति देने वाला पक्षकार" (Indemnifying Party) का वही अर्थ होगा जो खंड 9.2 में इसे सौंपा गया है;

"ऋणदाताओं का प्रतिनिधि" (Lenders' Representative) का अर्थ है उपर्युक्त प्रस्तावनाओं में ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के रूप में संदर्भित व्यक्ति;

"पक्षकार" (Parties) का अर्थ है सामूहिक रूप से इस समझौते के पक्षकार तथा "पक्षकार" (Party) का अर्थ है इस समझौते के पक्षकारों में से कोई भी एक;

"भुगतान तिथि" (Payment Date) का अर्थ है, खंड 4.1 में निर्दिष्ट किसी भुगतान के संबंध में, ऐसे भुगतान हेतु निर्दिष्ट तिथि(यां); तथा

"उप-खाते" (Sub-Accounts) का अर्थ है एस्करो खाते के संबंधित उप-खाते, जिनमें खंड 4.1 में निर्दिष्ट धनराशि प्रत्येक माह जमा की जाएगी तथा देय होने पर भुगतान की जाएगी, और यदि किसी माह में देय न हो तो उस माह में आनुपातिक रूप से विनियोजित (appropriated) की जाएगी तथा संबंधित उप-खातों में रखी जाएगी तथा भुगतान तिथि(यों) पर उसमें से भुगतान की जाएगी।

1.2 व्याख्या (Interpretation)

1.2.1 ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के संदर्भ, जब तक संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से एवं उनके लिए कार्य कर रहे ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के संदर्भ माने जाएंगे।

1.2.2 इस समझौते में बड़े अक्षरों से आरंभ होने वाले तथा परिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो यहां उन्हें सौंपा गया है, तथा इस समझौते में प्रयुक्त परंतु यहां परिभाषित नहीं किए गए, परंतु रियायत समझौते में परिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का, जब तक संदर्भ के प्रतिकूल न हो, वही अर्थ होगा जो रियायत समझौते में उन्हें सौंपा गया है।

1.2.3 खंडों के संदर्भ, जब तक अन्यथा कहा न गया हो, इस समझौते के खंडों के संदर्भ हैं।

1.2.4 रियायत समझौते के खंड 1.2, 1.3 एवं 1.4 में उल्लिखित व्याख्या के नियम इस समझौते पर यथोचित परिवर्तनों सहित (mutatis mutandis) लागू होंगे।

2. एस्करो खाता (ESCROW ACCOUNT)

2.1 एस्करो बैंक का न्यासी (trustee) के रूप में कार्य करना

2.1.1 रियायतग्राही इसके द्वारा एस्करो बैंक को इस संबंध में प्राधिकरण, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि एवं रियायतग्राही हेतु न्यासी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करता है, तथा एस्करो बैंक को यहां की शर्तों द्वारा एस्करो बैंक को विशेष रूप से सौंपे गए ऐसे अधिकारों, शक्तियों, प्राधिकारों एवं विवेकाधिकार का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, साथ ही ऐसे सभी अधिकार, शक्तियां, प्राधिकार एवं विवेकाधिकार जो युक्तियुक्त रूप से इसके आनुषंगिक (incidental) हों, तथा एस्करो बैंक इसकी शर्तों के अनुसरण में ऐसी नियुक्ति स्वीकार करता है।

2.1.2 रियायतग्राही इसके द्वारा यह घोषणा करता है कि एस्करो खाते में सभी अधिकार, स्वत्व (title) एवं हित एस्करो बैंक में निहित होंगे तथा प्राधिकरण, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि एवं रियायतग्राही हेतु न्यास (trust) में रखे जाएंगे, तथा इस समझौते की शर्तों के अनुसार लागू किए जाएंगे। प्राधिकरण, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि एवं रियायतग्राही के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति इसके अंतर्गत हितग्राहियों (beneficiaries) के रूप में, या इस समझौते के अंतर्गत तृतीय पक्ष हितग्राहियों (third party beneficiaries) के रूप में कोई अधिकार नहीं रखेगा।

2.2 एस्करो बैंक की स्वीकृति (Acceptance of Escrow Bank)

एस्करो बैंक इसके द्वारा ऐसा कार्य करने तथा इस समझौते के प्रावधानों के अनुसरण में एस्करो बैंक को प्रदान की जाने वाली एवं उसके पास धारित की जाने वाली सभी भुगतान राशियों एवं अन्य राशियों को स्वीकार करने हेतु सहमत होता है। एस्करो बैंक इस समझौते की अवधि के दौरान एस्करो खाते को धारित एवं सुरक्षित रखेगा तथा एस्करो खाते में राशि को रियायतग्राही, वरिष्ठ ऋणदाताओं या प्राधिकरण द्वारा

एस्करो बैंक के पास जमा की गई धनराशि के रूप में मानेगा। इस समझौते के अंतर्गत अपने कार्यों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते समय, एस्करो बैंक प्राधिकरण, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि एवं रियायतग्राही या उनके नामिती, उत्तराधिकारी या समनुदेशिती के हित में तथा उनके अभिकर्ता (agent) के रूप में, इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार, न्यास में कार्य करेगा।

2.3 एस्करो खाते की स्थापना एवं संचालन (Establishment and operation of Escrow Account)

2.3.1 इस समझौते की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर, तथा किसी भी स्थिति में नियत तिथि (Appointed Date) से पूर्व, रियायतग्राही एस्करो बैंक की [____] (शाखा का नाम) शाखा में एस्करो खाता खोलेगा एवं स्थापित करेगा। एस्करो खाता रुपयों में अंकित (denominated) होगा।

2.3.2 एस्करो बैंक इस समझौते की शर्तों तथा अपनी सामान्य प्रथाओं एवं लागू विनियमों के अनुसार एस्करो खाते का रखरखाव करेगा, तथा उक्त खाते में शेष राशि पर समय-समय पर समान ग्राहकों को देय अधिकतम ब्याज दर का भुगतान करेगा।

2.3.3 एस्करो बैंक एवं रियायतग्राही, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के साथ परामर्श करने के पश्चात, एस्करो खाते हेतु विस्तृत जनादेशों (mandates), नियमों एवं शर्तों तथा संचालन प्रक्रियाओं पर सहमत होंगे, परंतु इस समझौते तथा ऐसे जनादेशों, नियमों एवं शर्तों, या प्रक्रियाओं के बीच किसी टकराव या असंगति की स्थिति में, यह समझौता अभिभावी (prevail) होगा।

2.4 एस्करो बैंक की फीस (Escrow Bank's fee)

एस्करो बैंक, एस्करो बैंक एवं रियायतग्राही के बीच सहमत राशि तथा समय पर अपनी फीस एवं व्यय प्राप्त करने का हकदार होगा। ऐसी फीस एवं व्यय ओ&एम व्ययों (O&M Expenses) का भाग होंगे तथा खंड 4.1 के अनुसार एस्करो खाते से विनियोजित किए जाएंगे।

2.5 पक्षकारों के अधिकार (Rights of the parties)

रियायत समझौते में अन्यथा प्रदत्त होने के अतिरिक्त, एस्करो खाते में रखी गई धनराशि में प्राधिकरण, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि एवं रियायतग्राही के अधिकार पूर्णतः इस समझौते में निर्धारित हैं तथा प्राधिकरण, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि एवं रियायतग्राही का एस्करो खाते में धनराशि के विरुद्ध या उस पर कोई अन्य अधिकार नहीं होगा।

2.6 रियायतग्राही का प्रतिस्थापन (Substitution of the Concessionaire)

पक्षकार इसके द्वारा स्वीकार करते हैं तथा सहमत होते हैं कि प्रतिस्थापन समझौते (Substitution Agreement) के अनुसरण में नामित कंपनी (Nominated Company) के साथ रियायतग्राही के प्रतिस्थापन पर, इस समझौते के प्रयोजनों हेतु यह माना जाएगा कि नामित कंपनी इसकी एक पक्षकार है तथा नामित कंपनी को तदनुसार, नामित कंपनी के साथ रियायतग्राही के प्रतिस्थापन की तिथि से एवं

उससे प्रभावी रूप से, इस समझौते के अंतर्गत रियायतग्राही के अधिकारों एवं दायित्वों का उत्तराधिकारी (succeeded) माना जाएगा।

3. एस्करो खाते में जमा (DEPOSITS INTO ESCROW ACCOUNT)

3.1 रियायतग्राही द्वारा जमा (Deposits by the Concessionaire)

3.1.1 रियायतग्राही सहमत होता है तथा वचन देता है कि वह निम्नलिखित अंतर्वाह (inflows) एवं प्राप्तियों को एस्करो खाते में जमा करेगा या करवाएगा:

(क) परियोजना के संबंध में बैंकों, अन्य ऋणदाताओं, शेयरधारकों, बीमा कंपनियों या किसी अन्य व्यक्ति से या अन्यथा प्राप्त सभी धनराशि;

(ख) एयरपोर्ट, परियोजना, परियोजना सुविधाओं और/या परियोजना परिसंपत्तियों के संबंध में या उससे संबंधित सभी शुल्क (Fee) एवं अन्य राजस्व, जिसमें किसी भी किराए, जमा, पूंजीगत प्राप्तियों (capital receipts), बीमा दावों आदि की आय शामिल है; तथा

(ग) किसी बकाया प्रीमियम की कटौती के पश्चात प्राधिकरण द्वारा किए गए सभी भुगतान;

बशर्ते कि वरिष्ठ ऋणदाता वित्तपोषण समझौतों में इस संबंध में निहित स्पष्ट प्रावधानों के अनुसार ईपीसी ठेकेदार को सीधे संवितरण (direct disbursements) कर सकते हैं।

3.1.2 रियायतग्राही किसी भी समय, अपनी अन्य निधियों को एस्करो खाते में जमा कर सकता है, बशर्ते कि इस समझौते के प्रावधान ऐसी जमाराशियों पर लागू होंगे।

3.2 प्राधिकरण द्वारा जमा (Deposits by the Authority)

प्राधिकरण सहमत होता है तथा वचन देता है कि, जैसे ही देय एवं भुगतान योग्य हो, वह एस्करो खाते में निम्नलिखित जमा करेगा और/या क्रेडिट करेगा:

(क) रियायत समझौते के अंतर्गत अपने अधिकारों के प्रयोग में प्राधिकरण द्वारा संगृहीत सभी शुल्क (Fee);

(ख) किसी बकाया रियायत शुल्क (Concession Fee) एवं प्रीमियम की कटौती के पश्चात प्राधिकरण द्वारा किए गए सभी भुगतान; तथा

(ग) समाप्ति भुगतान (Termination Payments):

बशर्ते कि, खंड 4.1.1 के प्रावधानों के होते हुए भी, प्राधिकरण उपर्युक्त राशियों में से, रियायतग्राही द्वारा उसे देय एवं भुगतान योग्य किसी भी रियायत शुल्क एवं प्रीमियम को विनियोजित करने का हकदार होगा तथा शेष बची राशि एस्करो खाते में जमा की जाएगी।

3.3 वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा जमा (Deposits by Senior Lenders)

ऋणदाताओं का प्रतिनिधि सहमत होता है, पुष्टि करता है तथा वचन देता है कि वरिष्ठ ऋणदाता परियोजना के संबंध में या उससे संबंधित उनके द्वारा किए गए सभी संवितरण एस्करो खाते में जमा करेंगे और/या क्रेडिट करेंगे, बशर्ते कि इस समझौते में विपरीत निहित किसी भी बात के होते हुए भी, वरिष्ठ ऋणदाता वित्तपोषण समझौतों में इस संबंध में निहित स्पष्ट प्रावधानों के अंतर्गत एवं उसके अनुसार EPC ठेकेदार को सीधे भुगतान करने के हकदार होंगे।

3.4 जमाराशियों पर ब्याज (Interest on deposits)

एस्करो बैंक सहमत होता है तथा वचन देता है कि एस्करो खाते के शेष पर उपार्जित (accruing) सभी ब्याज एस्करो खाते में जमा किया जाएगा, बशर्ते कि एस्करो बैंक रियायतग्राही से एस्करो खाते के संबंध में उसे देय फीस एवं व्यय को उसमें से विनियोजित करने का हकदार होगा तथा शेष बची राशि को एस्करो खाते में क्रेडिट करेगा।

4. एस्करो खाते से आहरण (WITHDRAWALS FROM ESCROW ACCOUNT)

4.1 आहरण (Withdrawals)

4.1.1 प्रत्येक माह के आरंभ में, या ऋणदाताओं के प्रतिनिधि एवं रियायतग्राही द्वारा लिखित निर्देशों द्वारा निर्धारित ऐसे कम अंतरालों पर, एस्करो बैंक एस्करो खाते से राशि आहरित करेगा तथा उन्हें निम्नलिखित क्रम में विनियोजित करेगा, ऐसी राशियों को संबंधित उप-खातों में जमा करके, देय भुगतान करने हेतु, तथा यदि ऐसे भुगतान किसी माह में देय न हों, तो ऐसी धनराशि को ऐसे उप-खातों में रखते हुए तथा भुगतान तिथि(यों) पर उसमें से भुगतान करते हुए:

(क) वैधानिक भुगतान, एयरपोर्ट के लिए एवं उसके संबंध में रियायतग्राही द्वारा देय एवं भुगतान योग्य सभी कर (Taxes);

(ख) एयरपोर्ट के विकास से संबंधित सभी भुगतान, वित्तपोषण समझौतों में निर्धारित शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन एवं उनके अनुसार;

(ग) O&M व्यय, वित्तपोषण समझौतों में निर्धारित सीमा (ceiling), यदि कोई हो, के अधीन, लागू कानूनों, लागू अनुज्ञप्तियों (Applicable Permits) एवं उत्तम उद्योग व्यवहार के अनुसार;

(घ) रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण, या किसी नामित GOI एजेंसी द्वारा किए गए O&M व्यय एवं अन्य लागतें एवं व्यय, तथा प्राधिकरण द्वारा देय एवं भुगतान योग्य के रूप में प्रमाणित;

(ङ) प्राधिकरण को देय एवं भुगतान योग्य रियायत शुल्क एवं प्रीमियम;

(च) एक लेखा वर्ष (Accounting Year) में देय ऋण सेवा (Debt Service) का मासिक आनुपातिक प्रावधान;

(छ) रियायत समझौते के खंड 12.9 के अनुसार सॉफ्ट लोन (Soft Loan) की वार्षिक किश्त;

(ज) रियायत समझौते के अनुसरण में और/या रियायत समझौते के अंतर्गत रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को देय एवं भुगतान योग्य के रूप में प्रमाणित हर्जाने (Damages) के अनुसार देय एवं भुगतान योग्य सभी भुगतान;

(झ) अधीनस्थ ऋण (Subordinated Debt) के संबंध में, एक लेखा वर्ष में देय ऋण सेवा भुगतानों का मासिक आनुपातिक प्रावधान;

(ञ) वित्तपोषण समझौतों में निर्धारित कोई आरक्षित (reserve) आवश्यकताएं; तथा

(ट) शेष राशि, यदि कोई हो, रियायतग्राही के निर्देशों के अनुसार।

4.1.2 प्रत्येक लेखा वर्ष के आरंभ से 60 (साठ) दिन पूर्व से अनधिक, रियायतग्राही, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि की पूर्व लिखित स्वीकृति के साथ, एस्क्रो बैंक को इस खंड 4.1 में निर्धारित प्रत्येक भुगतान दायित्व हेतु संभावित रूप से आवश्यक राशि का विवरण प्रदान करेगा, बशर्ते कि ऐसी राशि को बाद में, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि की पूर्व लिखित स्वीकृति से, संशोधित किया जा सकता है, यदि वर्ष के दौरान प्राप्त नई जानकारी ऐसा संशोधन आवश्यक बनाती है।

4.2 समाप्ति पर आहरण (Withdrawals upon Termination)

रियायत समझौते की समाप्ति पर, एस्क्रो खाते के क्रेडिट में शेष सभी राशियां, इस समझौते में विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित क्रम में विनियोजित एवं व्यवहृत की जाएंगी:

(क) वेतन बकाया एवं वैधानिक भुगतान, एयरपोर्ट के लिए एवं उसके संबंध में रियायतग्राही द्वारा देय एवं भुगतान योग्य सभी कर;

(ख) अधीनस्थ ऋण एवं बीमा कवर (Insurance Cover) को छोड़कर देय ऋण (Debt Due) का 90% (नब्बे प्रतिशत);

(ग) बकाया रियायत शुल्क एवं प्रीमियम;

(घ) बकाया सॉफ्ट लोन तथा रियायत समझौते की समाप्ति की तिथि तक रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को भुगतान की जाने वाली अन्य सभी बकाया राशियां;

- (ड) प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित वे सभी भुगतान और हर्जाने, जो रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य हैं;
- (च) रियायत करार के अनुच्छेद 36 में उल्लिखित दोषों और त्रुटियों के दायित्व से उत्पन्न होने वाली, या उससे संबंधित, प्रतिधारण (retention) राशियां और भुगतान;
- (छ) बकाया ऋण सेवा (Debt Service), जिसमें बकाया ऋण (Debt Due) का शेष भाग शामिल है;
- (ज) बकाया अधीनस्थ ऋण (Subordinated Debt);
- (झ) उपगत या उपचित परिचालन एवं रखरखाव (O&M) व्यय;
- (ञ) रियायत करार के अंतर्गत किए जाने आवश्यक कोई अन्य भुगतान; और
- (ट) यदि कोई शेष राशि हो, तो रियायतग्राही के निर्देशों के अनुसार:

बशर्ते कि इस खंड 4.2 के उप-खंड (क) में उल्लिखित संवितरण, प्राधिकरण द्वारा निहित प्रमाणपत्र (Vesting Certificate) जारी किए जाने के बाद ही किए जाएंगे।

4.3 अपर्याप्त धन का एप्लीकेशन (Application of insufficient funds)

एस्क्रो खाते में उपलब्ध निधियों का उपयोग, यथास्थिति खंड 4.1 और 4.2 में निर्धारित प्राथमिकता के क्रम में किया जाएगा। यदि उपलब्ध निधि सभी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं है, तो एस्करो बैंक ऐसी निधि का उपयोग प्राथमिकता के उसी क्रम में, उसके समाप्त होने तक करेगा।

4.4 बीमा आय का अनुप्रयोग (Application of insurance proceeds)

इस करार में किसी बात के होते हुए भी, जीवन और चोट (life and injury) को छोड़कर सभी बीमा दावों से प्राप्त आय एस्करो खाते में जमा और/या उसमें क्रेडिट की जाएगी तथा हवाईअड्डे की किसी आवश्यक मरम्मत, पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन, प्रतिस्थापन अथवा सुधार हेतु उपयोग में लाई जाएगी, और यदि कोई शेष राशि बचती है, तो उसे वित्तपोषण करारों (Financing Agreements) में इस संबंध में निहित प्रावधानों के अनुसार लागू किया जाएगा।

4.5 निलंबन के दौरान आहरण (Withdrawals during Suspension)

इस करार में विपरीत किसी बात के होते हुए भी, रियायत करार के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत निलंबन (Suspension) की अवधि के दौरान प्राधिकरण रियायतग्राही के सभी अथवा किन्हीं अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा। ऐसी अवधि के दौरान प्राधिकरण द्वारा एस्करो बैंक को दिए गए किसी भी निर्देश का अनुपालन इस प्रकार किया जाएगा मानो वह निर्देश इस करार के अंतर्गत रियायतग्राही द्वारा ही दिया गया हो, और इसके अंतर्गत प्राधिकरण की सभी कार्रवाइयां रियायतग्राही की ओर से और उसके लिए की गई मानी जाएंगी।

5. एस्करो बैंक की बाध्यताएं (OBLIGATIONS OF THE ESCROW BANK)

5.1 निधियों का पृथक्करण (Segregation of funds)

इस करार के अंतर्गत एस्करो बैंक द्वारा प्राप्त धनराशि और अन्य संपत्ति, जब तक इस करार के अनुसार उपयोग या लागू नहीं की जाती, एस्करो बैंक द्वारा उन प्रयोजनों के लिए न्यास (trust) में रखी जाएगी जिनके लिए वे प्राप्त हुई थीं, तथा एस्करो बैंक की अन्य निधियों और संपत्ति से पृथक (segregated) रखी जाएंगी।

5.2 शेष धनराशि की अधिसूचना (Notification of balances)

प्रत्येक भुगतान तिथि (Payment Date) से 7 (सात) कार्यदिवस पूर्व (और इस प्रयोजन हेतु एस्करो बैंक संबंधित भुगतान तिथियों के संबंध में रियायतग्राही और/अथवा ऋणदाताओं के प्रतिनिधि (Lenders' Representative) की पुष्टि पर भरोसा करने का हकदार होगा), एस्करो बैंक, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि को ठीक पूर्ववर्ती कार्यदिवस के कारोबार की समाप्ति पर एस्करो खाते और उप-खातों (Sub-Accounts) में शेष राशियों की सूचना देगा।

5.3 संचार और सूचनाएँ (Communications and notices)

इसके अंतर्गत अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन में, एस्करो बैंक:

- (क) अपनी ओर से किसी दुर्भावना या घोर लापरवाही के अभाव में, तथ्य के ऐसे किसी भी विषय के संबंध में, जो व्यक्तिगत रूप से रियायतग्राही की जानकारी में होने की अपेक्षा की जा सकती है, रियायतग्राही द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र पर भरोसा कर सकता है;
- (ख) अपनी ओर से किसी दुर्भावना या घोर लापरवाही के अभाव में, किसी संचार या दस्तावेज़ की प्रामाणिकता पर भरोसा कर सकता है, जिसे वह प्रामाणिक मानता है;
- (ग) एस्करो बैंक के रूप में रियायतग्राही से, या इसके अंतर्गत अथवा इसके संबंध में किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त किसी सूचना या दस्तावेज़ की एक प्रति, प्राप्ति के 5 (पांच) कार्यदिवसों के भीतर ऋणदाताओं के प्रतिनिधि को देगा; और
- (घ) ऋणदाताओं के प्रतिनिधि से इसके संबंध में प्राप्त किसी सूचना या दस्तावेज़ की एक प्रति, प्राप्ति के 5 (पांच) कार्यदिवसों के भीतर रियायतग्राही को देगा।

5.4 कोई सेटऑफ नहीं (No set off)

एस्करो बैंक सहमत है कि वह एस्करो खाते में जमा राशियों के संबंध में सेट-ऑफ (set off), बैंकर के धारणाधिकार (banker's lien) या किसी अन्य अधिकार अथवा उपचार का दावा या प्रयोग नहीं करेगा। एस्करो बैंक द्वारा यह स्वीकार और सहमत किया जाता है कि एस्करो बैंक के पास एस्करो खाते में रखी धनराशि और संपत्तियां एस्करो बैंक की परिसंपत्तियों का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी तथा न्यास संपत्ति (trust property) होने के नाते, एस्करो बैंक के दिवालियापन या परिसमापन (liquidation) की स्थिति में, ऐसे दिवालियापन या परिसमापन में एस्करो बैंक की परिसंपत्तियों से पूर्णतः बाहर रखी जाएंगी।

5.5 विनियामक अनुमोदन (Regulatory approvals)

एस्करो बैंक, एस्करो खाता स्थापित करने और संचालित करने हेतु आवश्यक सभी नियामकीय अनुमोदन (regulatory approvals) प्राप्त करने तथा उसके पश्चात उन्हें बनाए रखने और उनका अनुपालन करने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। एस्करो बैंक यह निरूपित और आश्वासित करता है कि उसे ऐसा कोई कारण ज्ञात नहीं है जिससे ऐसे नियामकीय अनुमोदन सामान्यतः एस्करो बैंक को प्रदान न किए जाएं।

6. एस्करो डिफाल्ट (ESCROW DEFAULT)

6.1 एस्करो डिफाल्ट

6.1.1 निम्नलिखित घटनाएं रियायतग्राही द्वारा व्यतिक्रम ("एस्करो व्यतिक्रम" / "Escrow Default") की घटना गठित करेंगी, जब तक कि ऐसा व्यतिक्रम फोर्स मेज्योर (Force Majeure) के परिणामस्वरूप या प्राधिकरण अथवा ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के किसी कार्य या चूक के परिणामस्वरूप उत्पन्न न हुआ हो:

(क) रियायतग्राही यहां प्रावधानित अनुसार किसी प्राप्ति (receipts) को एस्करो खाते में जमा न करके इस करार का उल्लंघन करता है, और ऐसे उल्लंघन को 5 (पांच) कार्यदिवसों की सुधार अवधि (Cure Period) के भीतर उस राशि को एस्करो खाते में जमा करके सुधारने में विफल रहता है;

(ख) रियायतग्राही, इस करार की शर्तों के उल्लंघन में एस्करो बैंक से रियायतग्राही के किसी खाते में निधि अंतरित करवाता है और ऐसे उल्लंघन को, 5 (पांच) कार्यदिवसों की सुधार अवधि के भीतर, संबंधित निधि को एस्करो खाते या उस उप-खाते में जमा करके सुधारने में विफल रहता है जिसमें ऐसा अंतरण किया जाना चाहिए था; अथवा

(ग) रियायतग्राही इस करार के प्रावधानों का कोई अन्य उल्लंघन करता है या उसका कारण बनता है और 5 (पांच) कार्यदिवसों की सुधार अवधि के भीतर उसे सुधारने में विफल रहता है।

6.1.2 एस्करो डिफाल्ट की घटना होने पर, उसके परिणामों का निपटान रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

7. एस्करो करार की समाप्ति (TERMINATION OF ESCROW AGREEMENT)

7.1 एस्करो करार की अवधि (Duration of the Escrow Agreement)

7.1.1 यह करार तब तक पूर्ण रूप से प्रभावी और लागू रहेगा जब तक रियायतग्राही द्वारा वरिष्ठ ऋणदाताओं (Senior Lenders) से प्राप्त ऋण, गारंटी अथवा वित्तीय सहायता के संबंध में कोई राशि अग्रिम की जानी शेष है या बकाया है, अथवा प्राधिकरण के प्रति उसके किसी दायित्व का निर्वहन किया जाना शेष है, जब तक कि इसे सभी पक्षकारों की सहमति से या अन्यथा इस करार के प्रावधानों के अनुसार पहले समाप्त न कर दिया जाए।

7.1.2 उपरोक्त खंड 7.1.1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपरोक्त खंड 7.1.1 के अनुसार एस्क्रो करार की समाप्ति के साथ-साथ, रियायतग्राही एतद्वारा निम्नलिखित संशोधनों के अधीन, उसी प्रारूप में एक नया एस्क्रो करार निष्पादित करने हेतु सहमत होता है:

- (क) ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के स्थान पर, एस्क्रो करार के एक पक्षकार के रूप में प्राधिकरण या उसके किसी नामिती (nominee) को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) उपरोक्त (a) के अनुसार एस्क्रो करार का पक्षकार बनने वाला प्राधिकरण या उसका कोई नामिती, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के नाम में निहित सभी कार्यों का निष्पादन और उन्हें करेगा;
- (ग) वरिष्ठ ऋणदाताओं और वित्तपोषण करारों तथा अन्य संबंधित शब्दों के सभी संदर्भों को प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार संशोधित किया जाएगा;
- (घ) ऐसा कोई भी एस्क्रो करार, रियायत करार की समाप्ति के बाद ही समाप्त किया जाएगा, और खंड 36.2 के अनुसार एस्क्रो खाते में रोकी जाने वाली किसी भी राशि की अवधि के लिए, कम से कम उतनी अवधि तक वैध रहेगा; और
- (ङ) ऐसे अन्य परिवर्तन और संशोधन, जो प्राधिकरण द्वारा उस समय निर्देशित किए जाएं।

7.1.3 उपरोक्त खंड 7.1.1 के अनुसार एस्क्रो करार की समाप्ति के 24 घंटों की अधिकतम अवधि के भीतर उपरोक्त खंड 7.1.2 के अनुसार एस्क्रो करार का निष्पादन न होना, रियायत करार के अंतर्गत रियायतग्राही का व्यतिक्रम माना जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप प्राधिकरण को रियायत करार की समाप्ति के अधिकार सहित उपलब्ध उपचार प्राप्त होंगे।

7.2 एस्क्रो बैंक का प्रतिस्थापन (Substitution of Escrow Bank)

7.2.1 रियायतग्राही, एस्क्रो बैंक, प्राधिकरण और ऋणदाताओं के प्रतिनिधि को कम से कम 45 (पैंतालीस) दिनों की पूर्व सूचना देकर, इस करार को समाप्त कर सकेगा और एक नया एस्क्रो बैंक नियुक्त कर सकेगा, बशर्ते कि नया एस्क्रो बैंक ऋणदाताओं के प्रतिनिधि को स्वीकार्य हो और एस्क्रो खाते में जमा राशियों को उत्तरवर्ती (successor) एस्क्रो बैंक के पास स्थापित नए एस्क्रो खाते में अंतरित करने के लिए ऋणदाताओं के प्रतिनिधि की संतुष्टि के अनुरूप व्यवस्थाएं की जाएं।

7.2.2 इस करार की समाप्ति, प्रतिस्थापी (substitute) एस्क्रो बैंक के साथ एस्क्रो करार के प्रभाव में आने पर ही प्रभावी होगी।

7.3 एस्क्रो खाते का बंद होना (Closure of Escrow Account)

रियायत करार और वित्तपोषण करारों (जिसमें खंड 4.2 में उल्लिखित भुगतान शामिल हैं) के अंतर्गत रियायतग्राही द्वारा सभी बकाया राशियों का भुगतान किए जाने पर या उसके बाद, रियायतग्राही और ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के अनुरोध पर, और ऐसे भुगतानों की प्राप्ति की पुष्टि होने पर, एस्क्रो बैंक एस्क्रो खाता और उप-खाते बंद करेगा तथा उसके क्रेडिट में शेष कोई भी राशि रियायतग्राही को भुगतान करेगा। इसके अंतर्गत एस्क्रो खाता बंद होने पर, एस्क्रो करार समाप्त माना जाएगा।

8. पूरक एस्करो करार (SUPPLEMENTARY ESCROW AGREEMENT)

8.1 पूरक एस्करो करार (Supplementary Escrow Agreement)

ऋणदाताओं का प्रतिनिधि और रियायतग्राही, एस्करो बैंक के साथ एक अनुपूरक एस्करो करार (supplementary escrow agreement) में प्रवेश करने के हकदार होंगे, जो अन्य बातों के साथ-साथ, खंड 4.1.1 के अनुसरण में उप-खातों से आहरण (withdrawals) हेतु विस्तृत प्रक्रियाएं और दस्तावेजीकरण उपलब्ध कराएगा, तथा इस करार के अंतर्गत शामिल न किए गए विषयों को कवर करेगा, जैसे वरिष्ठ ऋणदाताओं और अधीनस्थ ऋण के ऋणदाताओं के अधिकार और दायित्व, अतिरिक्त निधियों का निवेश, इस करार के उल्लंघन की स्थिति में अथवा एस्करो व्यतिक्रम की घटना पर रियायतग्राही द्वारा आहरण पर प्रतिबंध, एस्करो खाते के संचालन और उससे आहरण से संबंधित प्रक्रियाएं, रिपोर्टिंग आवश्यकताएं और उससे संबंधित कोई भी आनुषंगिक विषय, बशर्ते कि ऐसा अनुपूरक एस्करो करार इस करार से असंगत कोई प्रावधान न रखे, और इस करार तथा ऐसे अनुपूरक एस्करो करार के प्रावधानों के बीच किसी टकराव या असंगति की स्थिति में, इस करार के प्रावधान अभिभावी (prevail) होंगे।

9. क्षतिपूर्ति (INDEMNITY)

9.1 सामान्य क्षतिपूर्ति (General indemnity)

9.1.1 रियायतग्राही, प्राधिकरण, एस्करो बैंक और वरिष्ठ ऋणदाताओं को, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के माध्यम से कार्य करते हुए, इस करार के अंतर्गत रियायतग्राही के किसी दायित्व के उल्लंघन के कारण, अथवा रियायतग्राही द्वारा लागू कानूनों (Applicable Laws) और लागू परमिटों (Applicable Permits) का अनुपालन करने में विफलता के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी और सभी कार्यवाहियों, कार्रवाइयों और तृतीय पक्ष के दावों से, किसी भी हानि, क्षति, लागत और व्यय के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा, बचाव करेगा और उन्हें निर्दोष रखेगा (indemnify, defend and hold harmless)।

9.1.2 प्राधिकरण, रियायतग्राही को, प्राधिकरण द्वारा इस करार के अंतर्गत अपने किसी दायित्व को पूरा करने में विफलता के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी और सभी कार्यवाहियों, कार्रवाइयों और तृतीय पक्ष के दावों से, जो रियायत करार अथवा इस करार के अंतर्गत रियायतग्राही के दायित्वों के निष्पादन को तात्त्विक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हो, किसी भी हानि, क्षति, लागत और व्यय के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा, बचाव करेगा और निर्दोष रखेगा, सिवाय ऐसी किसी हानि, क्षति, लागत और व्यय के जो प्राधिकरण, उसके अधिकारियों, सेवकों और अभिकर्ताओं द्वारा अपने विधिसम्मत कृत्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों से उत्पन्न हो।

9.1.3 एस्करो बैंक, रियायतग्राही को, एस्करो बैंक द्वारा इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफलता के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी और सभी कार्यवाहियों, कार्रवाइयों और तृतीय पक्ष के दावों से, जो रियायत करार के अंतर्गत रियायतग्राही के दायित्वों के निष्पादन को तात्त्विक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हो, किसी भी हानि, क्षति, लागत और व्यय के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा, बचाव करेगा और निर्दोष रखेगा, सिवाय ऐसी किसी हानि, क्षति, लागत और व्यय के जो एस्करो बैंक, उसके

अधिकारियों, सेवकों और अभिकर्ताओं द्वारा अपने विधिसम्मत कृत्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों से उत्पन्न हो।

9.2 दावों की सूचना और कंटेस्ट (Notice and contest of claims)

यदि इसके किसी पक्षकार को किसी तृतीय पक्ष से ऐसा कोई दावा प्राप्त होता है जिसके संबंध में वह खंड 9.1 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का लाभ पाने का हकदार है अथवा जिसके संबंध में वह प्रतिपूर्ति (reimbursement) पाने का हकदार है ("क्षतिपूर्ति पक्षकार" / "Indemnified Party"), तो वह दावे की प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, इसके अंतर्गत ऐसे दावे के लिए क्षतिपूर्ति करने हेतु उत्तरदायी दूसरे पक्षकार ("क्षतिपूर्तिकर्ता पक्षकार" / "Indemnifying Party") को सूचित करेगा, और क्षतिपूर्तिकर्ता पक्षकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उस दावे का निपटान या भुगतान नहीं करेगा, तथा ऐसा अनुमोदन अनुचित रूप से रोका या विलंबित नहीं किया जाएगा। यदि क्षतिपूर्तिकर्ता पक्षकार उस दावे का विरोध या उस पर विवाद करना चाहता है, तो वह क्षतिपूर्ति पक्षकार के नाम पर कार्यवाही संचालित कर सकता है और उसके विरोध में शामिल सभी लागतें वहन करेगा। क्षतिपूर्ति पक्षकार किसी भी दावे के विरोध में सभी सहयोग और सहायता प्रदान करेगा तथा क्षतिपूर्तिकर्ता पक्षकार द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित ऐसे सभी लेखों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा।

10. विवाद का समाधान (DISPUTE RESOLUTION)

10.1 विवाद का समाधान (Dispute resolution)

10.1.1 इस करार से उत्पन्न होने वाला या इससे संबंधित कोई भी विवाद, मतभेद या दावा, जिसका सौहार्दपूर्ण रूप से समाधान नहीं होता, अंततः मध्यस्थता (arbitration) के संदर्भ द्वारा तय किया जाएगा, जिसके लिए विवाद के प्रत्येक पक्षकार के एक-एक नामिती वाला एक मध्यस्थ मंडल (Board of Arbitrators) नियुक्त किया जाएगा, और जहां ऐसे नामितियों की संख्या सम (even) है, वहां नामिती ऐसे मंडल के लिए एक अन्य व्यक्ति का चुनाव करेंगे। ऐसी मध्यस्थता, नियमों (Rules) के अनुसार आयोजित की जाएगी, और मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) के प्रावधानों के अधीन होगी।

10.1.2 मध्यस्थगण एक तर्कसंगत निर्णय (reasoned award) जारी करेंगे और ऐसा निर्णय पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थान राज्य की राजधानी होगा और मध्यस्थता की भाषा अंग्रेज़ी होगी।

11. विविध प्रावधान (MISCELLANEOUS PROVISIONS)

11.1 शासी कानून और क्षेत्राधिकार (Governing law and jurisdiction)

इस करार का निर्वचन और व्याख्या भारत के कानूनों के अनुसार की जाएगी और वह उनके द्वारा शासित होगा, तथा इस करार से उत्पन्न होने वाले या इससे संबंधित सभी विषयों पर राज्य के न्यायालयों का अधिकारक्षेत्र होगा।

11.2 संप्रभु प्रतिरक्षा की छूट (Waiver of sovereign immunity)

प्राधिकरण बिना शर्त और अप्रतिसंहरणीय (unconditionally and irrevocably) रूप से:

- (क) सहमत है कि इस करार का निष्पादन, परिदान (delivery) और पालन, उसके द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु किए गए और निष्पादित वाणिज्यिक कृत्य गठित करते हैं;
- (ख) सहमत है कि यदि इस करार के संबंध में अथवा इस करार द्वारा परिकल्पित किसी लेन-देन के संबंध में किसी अधिकारक्षेत्र में उसके या उसकी परिसंपत्तियों, संपत्ति या राजस्व के विरुद्ध कोई कार्यवाही लाई जाती है, तो प्राधिकरण अपनी परिसंपत्तियों के संबंध में ऐसी कार्यवाहियों से (चाहे संप्रभुता के आधार पर हो या अन्यथा) किसी उन्मुक्ति (immunity) का दावा स्वयं या अपनी ओर से नहीं करेगा;
- (ग) उन्मुक्ति के किसी भी अधिकार का त्याग करता है जो उसे या उसकी परिसंपत्तियों, संपत्ति या राजस्व को अब प्राप्त है, भविष्य में प्राप्त हो सकता है, अथवा जो किसी अधिकारक्षेत्र के अंतर्गत उसे प्रदत्त किया जा सकता हो; और
- (घ) अपने विरुद्ध किसी निर्णय या अधिनिर्णय (award) के प्रवर्तन के संबंध में, ऐसी किसी कार्यवाही में किसी अनुतोष (relief) दिए जाने अथवा किसी अधिकारक्षेत्र में किसी प्रक्रिया के जारी किए जाने हेतु (जिसमें ऐसी कार्यवाहियों के संबंध में उसके विरुद्ध अथवा किसी परिसंपत्ति, संपत्ति या राजस्व के संबंध में, उनके उपयोग या आशयित उपयोग पर ध्यान दिए बिना, कोई आदेश या निर्णय बनाना, प्रवर्तित करना या निष्पादित करना शामिल है) सहमति देता है।

11.3 करारों की प्राथमिकता (Priority of agreements)

रियायत करार और इस करार के बीच किसी टकराव की स्थिति में, रियायत करार में निहित प्रावधान इस करार पर अभिभावी होंगे।

11.4 शर्तों में बदलाव (Alteration of terms)

इस करार में सभी परिवर्धन, संशोधन, फेरबदल और विचलन, तभी प्रभावी और बाध्यकारी होंगे जब वे लिखित रूप में हों और पक्षकारों के सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित हों।

11.5 छूट (Waiver)

11.5.1 इस करार के अंतर्गत किसी प्रावधान या दायित्वों के अनुपालन और पालन में किसी अन्य पक्षकार द्वारा किए गए व्यतिक्रम का किसी पक्षकार द्वारा अधित्याग (waiver):

- (क) इसके किसी अन्य या बाद के व्यतिक्रम अथवा इस करार के अंतर्गत अन्य प्रावधानों या दायित्वों के अधित्याग के रूप में संचालित या निर्वचित नहीं किया जाएगा;
- (ख) तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह लिखित रूप में न हो और पक्षकार के सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित न किया गया हो; और

(ग) किसी भी प्रकार से इस करार की वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगा।

11.5.2 किसी पक्षकार द्वारा किसी अवसर पर इस करार की शर्तों, निबंधनों और प्रावधानों अथवा उसके अंतर्गत किसी दायित्व के पालन पर बल न देना, अथवा किसी पक्षकार द्वारा किसी अन्य पक्षकार को दिया गया समय या अन्य रियायत, ऐसे उल्लंघन का अधित्याग अथवा किसी विचलन की स्वीकृति अथवा इसके अंतर्गत किसी ऐसे अधिकार का परित्याग नहीं माना जाएगा।

11.6 कोई तीसरा पक्ष लाभार्थी नहीं (No third party beneficiaries)

यह करार केवल पक्षकारों के लाभ के लिए है और इसके अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

11.7 उत्तरजीविता (Survival)

11.7.1 इस करार की समाप्ति:

(क) पक्षकारों को इसके अंतर्गत उन दायित्वों से मुक्त नहीं करेगी जो स्पष्ट रूप से या विवक्षा (implication) से समाप्ति के बाद भी जीवित (survive) रहते हैं; और

(ख) सिवाय जहां इस करार के किसी प्रावधान में किसी पक्षकार के दायित्व को स्पष्ट रूप से सीमित करते हुए अन्यथा प्रावधान किया गया हो, किसी पक्षकार को ऐसी समाप्ति के प्रभावी होने से पूर्व अथवा ऐसी समाप्ति से उत्पन्न होने वाले, उस पक्षकार के कार्यों या चूकों के कारण दूसरे पक्षकार को हुई हानि या क्षति हेतु किसी दायित्व या उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करेगी।

11.7.2 इस करार के निरसन, समाप्ति या अवसान (expiration) के बाद जीवित रहने वाले सभी दायित्व, ऐसी समाप्ति या इस करार की समाप्ति-तिथि के बाद केवल 3 (तीन) वर्षों की अवधि तक ही जीवित रहेंगे।

11.8 पृथक्करण (Severability)

यदि किसी भी कारण से, इस करार का कोई प्रावधान अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय हो जाता है अथवा किसी सक्षम अधिकारक्षेत्र के न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय घोषित किया जाता है, तो शेष प्रावधानों की वैधता, विधिमान्यता या प्रवर्तनीयता किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी, और पक्षकार ऐसे अमान्य, अप्रवर्तनीय या अवैध प्रावधानों के स्थान पर, उस अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय प्रावधान के यथासंभव निकटतम, एक या अधिक प्रावधानों पर सहमत होने हेतु सद्भावपूर्वक (good faith) वार्ता करेंगे। ऐसे किसी भी प्रावधान पर सहमति न बन पाना, इस करार के खंड 10.1 अथवा अन्यथा के अंतर्गत विवाद समाधान का विषय नहीं होगा।

11.9 उत्तराधिकारी और असाइन (Successors and assigns)

यह करार पक्षकारों तथा उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और अनुज्ञात समनुदेशितियों (permitted assigns) पर बाध्यकारी होगा और उनके लाभ के लिए प्रवर्तित होगा।

11.10 सूचनाएं (Notices)

इस करार के अंतर्गत दी जाने वाली या की जाने वाली सभी सूचनाएं या अन्य संचार लिखित रूप में होंगे और या तो व्यक्तिगत रूप से परिदत्त किए जाएंगे अथवा कूरियर या पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजे जाएंगे, जिसकी अतिरिक्त प्रति फैक्स या ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी। प्रत्येक पक्षकार का सेवा-पता, उसका फैक्स नंबर और ई-मेल पता, हस्ताक्षर पृष्ठों पर उसके नाम के अंतर्गत दिया गया है। कोई सूचना उसकी वास्तविक प्राप्ति पर प्रभावी होगी, सिवाय इसके कि जहां वह किसी कार्यदिवस को सायं 5.30 बजे के बाद, अथवा ऐसे दिन जो कार्यदिवस नहीं है, प्राप्त होती है, वहां ऐसी सूचना वास्तविक प्राप्ति की तिथि के तुरंत अगले कार्यदिवस को प्राप्त हुई मानी जाएगी। पूर्वगामी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, फैक्स या ई-मेल द्वारा कोई सूचना या संचार देने या करने वाला पक्षकार, उसकी एक प्रति तत्काल व्यक्तिगत रूप से परिदत्त करेगा, अथवा ऐसी सूचना या संचार के पत्रादेशिनी (addressee) को कूरियर या पंजीकृत डाक द्वारा भेजेगा। एतद्वारा यह सहमत और स्वीकार किया जाता है कि कोई भी पक्षकार, सूचना द्वारा, उस पते को परिवर्तित कर सकता है जहां उसे ऐसी सूचनाएं और संचार परिदत्त या डाक द्वारा भेजे जाने हैं। ऐसा परिवर्तन तभी प्रभावी होगा जब सभी पक्षकारों को इसकी सूचना प्राप्त हो जाए।

11.11 भाषा (Language)

इस करार के अंतर्गत अथवा इसके संबंध में सभी सूचनाएं, प्रमाणपत्र, पत्राचार और कार्यवाहियां अंग्रेज़ी भाषा में होंगी।

11.12 अधिकृत प्रतिनिधि (Authorised representatives)

प्रत्येक पक्षकार, लिखित सूचना द्वारा, अपने-अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि नामित करेगा, जिनके माध्यम से ही सभी संचार किए जाएंगे। इसका कोई भी पक्षकार, इसी प्रकार की सूचना द्वारा, ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि को हटाने और/अथवा प्रतिस्थापित करने अथवा नई नियुक्ति करने का हकदार होगा।

11.13 मूल दस्तावेज (Original Document)

यह करार चार प्रतिरूपों (counterparts) में निष्पादित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक, निष्पादित और परिदत्त किए जाने पर, इस करार का एक मूल गठित करेगा।

IN WITNESS WHEREOF THE PARTIES HAVE EXECUTED AND DELIVERED THIS AGREEMENT AS OF THE DATE FIRST ABOVE WRITTEN.

जिसके साक्ष्य में पक्षकारों ने इस करार को ऊपर प्रथमतः लिखित तिथि को निष्पादित और परिदत्त किया है।

रियायतग्राही, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की सामान्य मुद्रा (common seal), निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प के अनुसरण में, ... माह 20..... के दिन को हुई निदेशक मंडल की बैठक में चस्पा की गई है, जो की उपस्थिति में, निदेशक जिसने इसके साक्ष्य में इन उपस्थापनाओं पर हस्ताक्षर किए हैं, और कंपनी सचिव/प्राधिकृत अधिकारी, जिसने इसके साक्ष्य में उसी पर प्रति-हस्ताक्षर किए हैं, की उपस्थिति में चस्पा की गई है:

वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से और उनकी तरफ से, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि [] द्वारा हस्ताक्षरित, मुद्रांकित और परिदत्त:

(हस्ताक्षर) / (नाम) / (पदनाम) / (पता) / (फैक्स नंबर) / (ई-मेल पता)

एस्क्रो बैंक [] की ओर से और उनकी तरफ से हस्ताक्षरित, मुद्रांकित और परिदत्त, द्वारा:

प्राधिकरण, सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड की ओर से और उनकी तरफ से हस्ताक्षरित, मुद्रांकित और परिदत्त, द्वारा:

उपस्थिति में: 1.

2.

अनुसूची त (P)
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स का पैनल
(खण्ड 30.2.1 देखें)

1 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स का पैनल (Panel of Chartered Accountants)

करार के खंड 30.2.1 के प्रावधानों के अनुसरण में, प्राधिकरण और रियायतग्राही, भारत में अपने पंजीकृत कार्यालय रखने वाली 5 (पांच) प्रतिष्ठित चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों की एक पारस्परिक रूप से सहमत सूची ("चार्टर्ड एकाउंटेंटों का पैनल") तैयार करेंगे। ऐसे पैनल की तैयारी और इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के मानदंड इस अनुसूची P में निर्धारित अनुसार होंगे।

2 इम्पैनेलमेंट के लिए आमंत्रण (Invitation for Empanelment)

2.1 प्राधिकरण, निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंटों की सभी प्रतिष्ठित फर्मों से प्रस्ताव आमंत्रित करेगा, अर्थात:

- (क) फर्म ने कंपनी अधिनियम, 1956 (जिसमें इसका कोई भी पुनःअधिनियमन या संशोधन शामिल है) के अंतर्गत पंजीकृत कम से कम एक सौ कंपनियों के वार्षिक लेखाओं का सांविधिक अंकेक्षण (statutory audit) किया हो, जिनमें से कम से कम दस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (public sector undertakings) होने चाहिए;
- (ख) फर्म में कम से कम 5 (पांच) अभ्यासरत चार्टर्ड एकाउंटेंट हों, जिनमें से प्रत्येक को इस पेशे में न्यूनतम 10 (दस) वर्षों का अनुभव हो;
- (ग) फर्म या उसका कोई भी भागीदार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) अथवा प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या काली सूची में नहीं डाला गया हो; और
- (घ) फर्म का राज्य में अथवा किसी सत्रिकट राज्य में, ऐसे राज्य में कार्यरत कम से कम 2 (दो) अभ्यासरत चार्टर्ड एकाउंटेंटों वाला कार्यालय हो।

2.2 पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली इच्छुक फर्मों को अपनी क्षमता का एक विवरण प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उसके यहां कार्यरत सभी अभ्यासरत चार्टर्ड एकाउंटेंटों का बायोडेटा भी शामिल हो। विशेष रूप से, प्रत्येक फर्म को पिछले 5 (पांच) लेखा वर्षों (Accounting Years) में से किसी में ऐसी फर्म द्वारा जिन कंपनियों के वार्षिक लेखा-परीक्षित किए गए हैं, जिनका वार्षिक कारोबार रु. 25,00,00,000 (पच्चीस करोड़ रुपये) से अधिक हो, उनके नामों से संबंधित वर्षवार जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

3 मूल्यांकन और चयन (Evaluation and Selection)

3.1 प्रत्येक फर्म द्वारा प्रस्तुत जानकारी की प्राधिकरण द्वारा संवीक्षा (scrutiny) और मूल्यांकन किया जाएगा तथा अनुच्छेद 2.2 में उल्लिखित कंपनियों के प्रत्येक वार्षिक अंकेक्षण के लिए 1 (एक) अंक प्रदान

किया जाएगा। (उदाहरण के लिए, जिस फर्म ने किसी ऐसी कंपनी के वार्षिक लेखाओं का अंकेक्षण 5 (पांच) वर्षों तक किया है, उसे 5 (पांच) अंक प्रदान किए जाएंगे)।

3.2 प्राधिकरण, प्रत्येक पात्र फर्म द्वारा प्राप्त अंकों सहित सभी पात्र फर्मों की एक सूची तैयार करेगा, तथा सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली 5 (पांच) फर्मों की पहचान करके उन्हें चार्टर्ड एकाउंटेंटों के प्रारूप पैनल (draft Panel) में सम्मिलित किया जाएगा।

4 रियायतग्राहियों के साथ परामर्श (Consultation with the Concessionaire)

प्राधिकरण, फर्मों की उपर्युक्त सूची, संवीक्षा और टिप्पणियों (यदि कोई हों) हेतु रियायतग्राही को प्रेषित करेगा। रियायतग्राही, यह सुनिश्चित करने हेतु कि फर्मों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है, प्राधिकरण के संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा करने का हकदार होगा, और वह उपर्युक्त पैनल प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हों, प्राधिकरण को भेजेगा।

5 परस्पर सहमत पैनल (Mutually Agreed Panel)

5.1 प्राधिकरण, रियायतग्राही की टिप्पणियों सहित सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद, 5 (पांच) फर्मों का एक पैनल अंतिम रूप देगा और गठित करेगा, जिसे चार्टर्ड एकाउंटेंटों का पारस्परिक रूप से सहमत पैनल माना जाएगा।

5.2 चार्टर्ड एकाउंटेंटों के पारस्परिक रूप से सहमत पैनल की तैयारी की तारीख से प्रत्येक 5 (पांच) वर्ष पूर्ण होने पर, अथवा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच सहमत ऐसी किसी पूर्व अवधि पर, इस अनुसूची P के प्रावधानों के अनुसार एक नया पैनल तैयार किया जाएगा।

अनुसूची थ (SCHEDULE Q)
वेस्टिंग प्रमाण पत्र (VESTING CERTIFICATE)
(खण्ड 35.4 देखें)

1. सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड, जिसका प्रतिनिधित्व इसके उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ("प्राधिकरण") द्वारा किया जा रहा है, महाराष्ट्र राज्य में नवी मुंबई स्थित हवाई अड्डे हेतु प्राधिकरण और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ("रियायतग्राही") के बीच निष्पादित दिनांक 8 जनवरी, 2018 के रियायत करार ("करार") का संदर्भ लेता है।

2. प्राधिकरण एतद्वारा करार के खंड 35.1 में निर्धारित विनिवेश आवश्यकताओं (Divestment Requirements) के रियायतग्राही द्वारा अनुपालन और पूर्ति को इस आधार पर स्वीकार करता है कि इस निहित प्रमाणपत्र (Vesting Certificate) के जारी होने पर, प्राधिकरण को हवाई अड्डे के संबंध में रियायतग्राही का सारा हक और हित अर्जित करने वाला माना जाएगा, तथा वह किसी भी भार, प्रभार और धारणाधिकार (encumbrances, charges and liens) से मुक्त होकर प्राधिकरण में निहित (vested) माना जाएगा।

3. उपर्युक्त के प्रतिकूल इसमें अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, इस निहित प्रमाणपत्र की यह एक शर्त होगी कि इसमें अंतर्विष्ट किसी भी बात का निर्वचन या व्याख्या, विनिवेश आवश्यकताओं में किसी भी दोष या त्रुटि को सुधारने और उसका निवारण करने के रियायतग्राही के दायित्व के अधित्याग के रूप में, अथवा रियायतग्राही को उसी संबंध में किसी भी प्रकार से मुक्त करने के रूप में नहीं की जाएगी।

इसे [] दिन [माह] 20[] को [स्थान] में हस्ताक्षरित किया गया।

रियायतग्राही की ओर से सहमत, स्वीकृत और हस्ताक्षरित — रियायतग्राही की ओर से

प्राधिकरण की ओर से हस्ताक्षरित, मुद्रांकित और परिदत्त — प्राधिकरण की ओर से

(हस्ताक्षर) / (नाम) / (पदनाम) / (पता)

उपस्थिति में: 1.

2.

अनुसूची द (SCHEDULE R)
प्रतिस्थापन करार (SUBSTITUTION AGREEMENT)
(खण्ड 37.3.1 देखें)

यह प्रतिस्थापन करार ("करार") [] में [] माह 20[] के [] दिन को निम्नलिखित के बीच और मध्य निष्पादित किया गया है:

द्वारा और मध्य (BY AND AMONGST)

सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित एक कंपनी, जिसका कॉर्पोरेट पहचान क्रमांक U99999MH1970SGC014574 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय निर्मल, दूसरी मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400 021, महाराष्ट्र में स्थित है, जिसका प्रतिनिधित्व इसके उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा किया जा रहा है (इसके बाद "प्राधिकरण" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो, इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे);

तथा

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित एक कंपनी, जिसका कॉर्पोरेट पहचान क्रमांक U45200MH2007PTC169174 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय एयरपोर्ट डायरेक्टर का कार्यालय, टर्मिनल 1-बी, सीएसआई एयरपोर्ट, सांताक्रुज़, मुंबई – 400 099, महाराष्ट्र में स्थित है (इसके बाद "रियायतग्राही" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो, इसके उत्तराधिकारी, अनुज्ञात समनुदेशिनी और प्रतिस्थापी शामिल होंगे);

तथा

[] (ऋणदाताओं के प्रतिनिधि का नाम और विवरण दर्ज करें), जिसका पंजीकृत कार्यालय [] में स्थित है, जो इस करार से उत्पन्न होने वाले अथवा इससे संबंधित विषयों के संबंध में वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से और उनकी तरफ से उनके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है (इसके बाद "ऋणदाताओं का प्रतिनिधि" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो, इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे)।

जबकि (WHEREAS):

क. प्राधिकरण ने रियायतग्राही के साथ, महाराष्ट्र राज्य में नवी मुंबई स्थित हवाई अड्डे हेतु, रियायत करार में निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार दिनांक 8 जनवरी, 2018 का एक रियायत करार ("रियायत करार") निष्पादित किया है, जिसकी एक प्रति इसके साथ संलग्न कर अनुबंध A के रूप में चिह्नित की गई है, जो इस करार का भाग है।

ख. वरिष्ठ ऋणदाताओं ने वित्तपोषण करारों में निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार परियोजना को वित्तपोषित करने हेतु सहमति दी है।

ग. वरिष्ठ ऋणदाताओं ने, इस करार और रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार, रियायतग्राही के किसी नामित कंपनी (Nominated Company) को समनुदेशन, अंतरण और प्रतिस्थापन के माध्यम से अपने हितों को सुरक्षित करने हेतु प्राधिकरण से इस प्रतिस्थापन करार में प्रवेश करने का अनुरोध किया है।

घ. परियोजना के क्रियान्वयन को, जिसमें उसका वित्तपोषण, निर्माण, परिचालन और रखरखाव शामिल है, संभव बनाने हेतु, प्राधिकरण ने रियायत को इसमें निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार किसी नामित कंपनी को अंतरित और समनुदेशित करने हेतु सहमति दी है और वचनबद्ध हुआ है, जो

इस करार और रियायत करार में निर्धारित हैं।

अतः अब, इसके प्रतिफलस्वरूप (NOW, THEREFORE), पूर्वगामी तथा इस करार में निर्धारित पक्षकारों के संबंधित वाचनों (covenants) और करारों के प्रतिफल में, जिनकी प्राप्ति और पर्याप्तता एतद्वारा स्वीकार की जाती है, तथा एतद्वारा विधितः बाध्य होने के आशय से, पक्षकार निम्नलिखित रूप से सहमत होते हैं:

1 परिभाषाएं और व्याख्या

1.1 परिभाषाएं

इस प्रतिस्थापन करार में, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जब तक संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो, वही अर्थ होगा जो नीचे उनके सामने क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है:

"करार" का अर्थ है यह प्रतिस्थापन करार और इसमें अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार किया गया इसका कोई भी संशोधन;

"रियायतग्राही" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे पूर्वगामी वर्णनों (Recitals) में रियायतग्राही के रूप में संदर्भित किया गया है;

"रियायत करार" का वही अर्थ होगा जो वर्णन A में इसे निर्दिष्ट किया गया है;

"वित्तीय व्यतिक्रम" (Financial Default) का अर्थ है वित्तपोषण करारों के निबंधनों और शर्तों के किसी तात्त्विक उल्लंघन की घटना अथवा रियायतग्राही द्वारा न्यूनतम 3 (तीन) माह की अवधि के लिए ऋण सेवा (Debt Service) में सतत व्यतिक्रम;

"क्षतिपूर्ति पक्षकार" (Indemnified Party) का वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 7.2 में इसे निर्दिष्ट किया गया है;

"क्षतिपूर्तिकर्ता पक्षकार" (Indemnifying Party) का वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 7.2 में इसे निर्दिष्ट किया गया है;

"ऋणदाताओं का प्रतिनिधि" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे पूर्वगामी वर्णनों में ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के रूप में संदर्भित किया गया है;

"नामित कंपनी" (Nominated Company) का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 1956 (जिसमें इसका कोई भी पुनःअधिनियमन या संशोधन शामिल है) के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित एक कंपनी, जिसे वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से ऋणदाताओं के प्रतिनिधि द्वारा चयनित किया गया है, और जिसे इस करार में प्रावधानित अनुसार रियायत के समनुदेशन/अंतरण हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तावित किया गया है;

"वित्तीय व्यतिक्रम की सूचना" (Notice of Financial Default) का वही अर्थ होगा जो खंड 3.2.1 में इसे निर्दिष्ट किया गया है; और

"पक्षकार" का अर्थ है सामूहिक रूप से इस करार के पक्षकार, तथा "पक्षकार" का अर्थ इस करार के पक्षकारों में से कोई एक होगा।

1.2 व्याख्या (Interpretation)

1.2.1 ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के संदर्भों का, जब तक संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो, अर्थ वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से और उनकी तरफ से कार्य करने वाले ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के संदर्भों से होगा।

1.2.2 खंडों (Clauses) के संदर्भ, जब तक अन्यथा न कहा गया हो, इस करार के खंडों के संदर्भ हैं।

1.2.3 इस करार में बड़े अक्षर से आरंभ होने वाले तथा परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो इसमें उन्हें निर्दिष्ट किया गया है, तथा इस करार में उपयोग किए गए किंतु इसमें परिभाषित न किए गए, किंतु रियायत करार में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जब तक संदर्भ के विपरीत न हो,

वही अर्थ होगा जो उन्हें रियायत करार में निर्दिष्ट किया गया है।

1.2.4 रियायत करार के खंड 1.2, 1.3 और 1.4 में निर्धारित निर्वचन के नियम, आवश्यक परिवर्तनों सहित (mutatis mutandis), इस करार पर लागू होंगे।

2 समनुदेशन (ASSIGNMENT)

2.1 समनुदेशन

रियायतग्राही एतद्वारा, वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा वित्तपोषण करारों के अंतर्गत किए गए वित्तपोषण के संबंध में प्रतिभूति (security) के रूप में, इस करार और रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार, रियायत

में अपने हक, स्वत्व और हित को ऋणदाताओं के प्रतिनिधि को और उसके पक्ष में समनुदेशित करने हेतु सहमत होता है।

बशर्ते कि, यदि रियायतग्राही का व्यतिक्रम, खंड 12.5.2 के अनुसार चरण I (Phase I) के 40% तक चरण मील के पत्थर (Phase Milestone) को प्राप्त करने में रियायतग्राही की, उसे आरोपणीय किसी कारण या वजह से विफलता के परिणामस्वरूप हुआ है, और उसे इसके निबंधनों के अनुसार सुधारा नहीं गया है, तो ऐसा कोई भी समनुदेशन ऋणदाताओं के प्रतिनिधि द्वारा बाध्यकारी या प्रवर्तनीय नहीं होगा।

3 रियायतग्राही का प्रतिस्थापन (SUBSTITUTION OF THE CONCESSIONAIRE)

3.1 प्रतिस्थापन के अधिकार (Rights of substitution)

3.1.1 खंड 2.1 के अनुसार समनुदेशित हक, स्वत्व और हित के अनुसरण में, ऋणदाताओं का प्रतिनिधि, इस करार और रियायत करार के प्रावधानों के अंतर्गत और उनके अनुसार, प्राधिकरण द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी नामित कंपनी द्वारा रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने का हकदार होगा।

3.1.2 प्राधिकरण एतद्वारा, इस करार के अनुसार ऋणदाताओं के प्रतिनिधि द्वारा चयनित नामित कंपनी के पक्ष में, रियायत करार पर पृष्ठांकन (endorsement) द्वारा रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने हेतु सहमत होता है। वरिष्ठ ऋणदाता या ऋणदाताओं का प्रतिनिधि, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, रियायतग्राही के रूप में हवाई अड्डे का परिचालन और रखरखाव करने के हकदार नहीं होंगे।

3.1.3 इस करार या रियायत करार में अन्यत्र अंतर्विष्ट विपरीत किसी बात के होते हुए भी, पक्षकार एतद्वारा सहमत होते हैं कि यदि ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के माध्यम से कार्य करने वाले वरिष्ठ ऋणदाता, इस करार के निबंधनों के अनुसार, किसी नामित कंपनी की पहचान करने अथवा उसके द्वारा रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो प्राधिकरण को रियायतग्राही को इस प्रकार प्रतिस्थापित करने का अधिकार होगा कि प्राधिकरण इस करार के प्रयोजनों हेतु एक नामित कंपनी होगा, तथा नामित कंपनी का कोई भी संदर्भ प्राधिकरण को निर्दिष्ट माना जाएगा और प्रतिस्थापन करार के अन्य सभी निबंधन और शर्तें तदनुसार निर्वचित की जाएंगी।

3.2 वित्तीय चूक होने पर प्रतिस्थापन (Substitution upon occurrence of Financial Default)

3.2.1 उपर्युक्त खंड 2.1 के प्रावधानों के अधीन, किसी वित्तीय व्यतिक्रम की घटना होने पर, ऋणदाताओं का प्रतिनिधि रियायतग्राही को इसके विवरण सहित एक सूचना ("वित्तीय व्यतिक्रम की सूचना") जारी कर सकता है, तथा जानकारी और अभिलेख हेतु उसकी एक प्रति प्राधिकरण को भेज सकता है। इस खंड 3.2 के अंतर्गत वित्तीय व्यतिक्रम की सूचना, ऐसे वित्तीय व्यतिक्रम का निश्चयक साक्ष्य होगी और वह रियायतग्राही पर अंतिम तथा बाध्यकारी होगी

3.2.2 इसके तहत वित्तीय चूक की सूचना (Notice of Financial Default) जारी होने पर, ऋणदाता प्रतिनिधि (Lenders' Representative), इस समझौते या वित्तपोषण समझौतों के तहत अपने किसी भी अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार नामांकित कंपनी (Nominated Company) द्वारा रियायतग्राही (Concessionaire) को प्रतिस्थापित कर सकता है।

3.2.3 ऋणदाता प्रतिनिधि द्वारा वित्तीय चूक की सूचना जारी करने के बाद किसी भी समय, वह सूचना द्वारा प्राधिकरण (Authority) से रियायतग्राही के सभी अधिकारों को निलंबित करने तथा रियायत समझौते के अनुच्छेद 33 के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे के संचालन और रखरखाव का दायित्व संभालने की मांग कर सकता है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, प्राधिकरण रियायत समझौते के प्रावधानों के तहत और उनके अनुसार निलंबन (Suspension) की कार्रवाई करेगा। नामांकित कंपनी द्वारा प्रतिस्थापन किए जाने पर निलंबन रद्द कर दिया जाएगा, और यदि ऐसा प्रतिस्थापन ऐसे निलंबन की तारीख से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर पूरा नहीं होता है, तो प्राधिकरण रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार समाप्ति सूचना (Termination Notice) जारी करके रियायत समझौते को तत्काल समाप्त कर सकता है; बशर्ते कि ऋणदाता प्रतिनिधि और रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर, प्राधिकरण उपरोक्त 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि को 90 (नब्बे) दिनों से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ा सकता है। प्राधिकरण इसके तहत निलंबन की तारीख से 270 (दो सौ सत्तर) दिनों के बाद किसी भी समय ऋणदाता प्रतिनिधि से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, रियायत समझौते को तत्काल समाप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत होता है और वचनबद्ध होता है।

3.3 रियायतग्राही की चूक होने पर प्रतिस्थापन (Substitution upon occurrence of Concessionaire's Default)

3.3.1 उपरोक्त खंड 2.1 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही की चूक (Concessionaire's Default) की स्थिति उत्पन्न होने पर, प्राधिकरण एक सूचना द्वारा ऋणदाता प्रतिनिधि को समाप्ति सूचना जारी करने के अपने इरादे से अवगत कराएगा और नामांकित कंपनी द्वारा रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने का इरादा बताते हुए अभ्यावेदन (representation) देने के लिए ऋणदाता प्रतिनिधि को 15 (पंद्रह) दिनों का समय प्रदान करेगा।

3.3.2 यदि ऋणदाता प्रतिनिधि खंड 3.3.1 में निर्दिष्ट 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि के भीतर प्राधिकरण को यह बताते हुए अभ्यावेदन देता है कि वह नामांकित कंपनी द्वारा रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने का इरादा रखता है, तो ऋणदाता प्रतिनिधि ऐसे अभ्यावेदन की तारीख से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि के भीतर इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार नामांकित कंपनी द्वारा रियायतग्राही का प्रतिस्थापन करने और उसे पूरा करने का हकदार होगा, और प्राधिकरण उपरोक्त 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि के लिए या तो समाप्ति (Termination) को रोके रखेगा या निलंबन (Suspension) करेगा; बशर्ते कि ऋणदाता प्रतिनिधि और रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर, प्राधिकरण उपरोक्त 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि को 90 (नब्बे) दिनों से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ाएगा; आगे यह भी शर्त है

कि ऋणदाता प्रतिनिधि, किसी भी समय, इसके तहत अपने अभ्यावेदन को वापस ले सकता है, और ऐसे वापस लेने पर रियायतग्राही इसके प्रावधानों के अनुसार इस समझौते को समाप्त कर सकता है।

3.4 प्रतिस्थापन की प्रक्रिया (Procedure for substitution)

3.4.1 प्राधिकरण और रियायतग्राही इसके द्वारा सहमत हैं कि वित्तीय चूक की सूचना की तारीख या यथास्थिति खंड 3.3.2 के तहत प्राधिकरण को अभ्यावेदन की तारीख को या उसके बाद, ऋणदाता प्रतिनिधि, वरिष्ठ ऋणदाताओं (Senior Lenders) के किसी भी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नामांकित कंपनी द्वारा रियायत समझौते के तहत प्राधिकरण के प्रति और वित्तपोषण समझौतों के तहत वरिष्ठ ऋणदाताओं के प्रति रियायतग्राही की देनदारियों और दायित्वों को ग्रहण करने पर नामांकित कंपनी को रियायत सहित हवाई अड्डे के अधिग्रहण और हस्तांतरण के लिए निजी बातचीत या सार्वजनिक नीलामी या निविदाओं द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित, बातचीत और प्राप्त कर सकता है।

3.4.2 रियायतग्राही के स्थान पर प्रतिस्थापन के लिए पात्र होने हेतु, नामांकित कंपनी को उन पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक होगा जो प्राधिकरण द्वारा रियायत के आवंटन के लिए बोलीदाताओं को सूचीबद्ध करने के लिए निर्धारित किए गए थे; बशर्ते कि ऋणदाता प्रतिनिधि प्राधिकरण से यह अभ्यावेदन कर सकता है कि परियोजना के हित में ऐसे सभी या किसी भी मानदंड को समाप्त/छूट (waived) दिया जा सकता है, और यदि प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि ऐसी छूट से परियोजना पर कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव (Material Adverse Effect) नहीं पड़ेगा, तो वह ऐसे सभी या किसी भी पात्रता मानदंड को छूट दे सकता है।

3.4.3 नामांकित कंपनी के चयन पर, ऋणदाता प्रतिनिधि प्राधिकरण से निम्नलिखित अनुरोध करेगा: (क) रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे के निर्माण, संचालन और रखरखाव के अधिकार को नामांकित कंपनी को हस्तांतरित करने के लिए सहमति व्यक्त करना; (ख) शेष निर्माण अवधि या रियायत अवधि के लिए, उन्हीं नियमों और शर्तों पर नामांकित कंपनी को प्रासंगिक रियायत को हस्तांतरित और पृष्ठांकित करना; और (ग) ऋणदाता प्रतिनिधि और नामांकित कंपनी के साथ उन्हीं शर्तों पर एक प्रतिस्थापन समझौता (Substitution Agreement) करना जैसा कि इस समझौते में निहित है।

3.4.4 यदि प्राधिकरण को इस समझौते के अनुसार नामांकित कंपनी के पक्ष में रियायत के हस्तांतरण पर कोई आपत्ति है, तो वह ऋणदाता प्रतिनिधि द्वारा दिए गए प्रस्ताव की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर ऋणदाता प्रतिनिधि की सुनवाई के बाद एक तर्कसंगत आदेश (reasoned order) जारी करेगा। यदि प्राधिकरण द्वारा ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती है, तो नामांकित कंपनी को स्वीकृत माना जाएगा। प्राधिकरण उसके बाद नामांकित कंपनी की स्वीकृति/माना गया स्वीकृति (deemed acceptance) के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर रियायत को हस्तांतरित और पृष्ठांकित करेगा; बशर्ते कि प्राधिकरण द्वारा ऐसी आपत्ति की स्थिति में, ऋणदाता प्रतिनिधि किसी अन्य नामांकित कंपनी का प्रस्ताव कर सकता है, जिसके बाद रियायतग्राही के स्थान पर ऐसी नामांकित कंपनी के प्रतिस्थापन के लिए इस खंड 3.4 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

3.4.5 नामांकित कंपनी को इसके तहत रियायत का हस्तांतरण, इस समझौते और रियायत समझौते में किसी भी विपरीत बात के बावजूद, नामांकित कंपनी को रियायतग्राही की इक्विटी का कम से कम 74% (चौहत्तर प्रतिशत) हस्तांतरित करके किया जा सकता है, और इसके तहत ऐसे हस्तांतरण पर, रियायतग्राही को इस समझौते और रियायत समझौते के प्रावधानों के तहत नामांकित कंपनी माना जाएगा।

3.5 चयन का बाध्यकारी होना (Selection to be binding)

नामांकित कंपनी के चयन में ऋणदाता प्रतिनिधि और प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और रियायतग्राही पर बाध्यकारी होगा। रियायतग्राही अंतिम रूप से सहमत होता है और नामांकित कंपनी के पक्ष में रियायत के हस्तांतरण/असाइनमेंट सहित इस समझौते के अनुसरण में की गई ऋणदाता प्रतिनिधि या वरिष्ठ ऋणदाताओं या प्राधिकरण की कार्यवाहियों को चुनौती देने के किसी भी अधिकार का त्याग (waive) करता है। रियायतग्राही सहमत होता है और पुष्टि करता है कि उसके पास परियोजना की परिसंपत्तियों या रियायतग्राही के शेयरों के पुनर्मूल्यांकन की मांग करने का कोई अधिकार नहीं होगा। पक्षों द्वारा इसके द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि ऋणदाता प्रतिनिधि के अधिकार अपरिवर्तनीय हैं और किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष किसी भी कार्यवाही में इसका विरोध नहीं किया जाएगा और रियायतग्राही के पास प्राधिकरण या ऋणदाता प्रतिनिधि को ऋणदाता प्रतिनिधि द्वारा अनुरोध किए गए अनुसार प्रतिस्थापन और पृष्ठांकन द्वारा रियायत के हस्तांतरण को प्रभावी करने या कराने से रोकने, बाधित करने या प्रतिबंधित करने का कोई अधिकार या उपचार नहीं होगा।

4. परियोजना समझौते (PROJECT AGREEMENTS)

4.1 परियोजना समझौतों में नामांकित कंपनी का प्रतिस्थापन

रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा और प्राप्त करेगा कि प्रत्येक परियोजना समझौते में ऐसे प्रावधान शामिल हों जो नामांकित कंपनी द्वारा रियायत समझौते के तहत रियायतग्राही की देनदारियों और दायित्वों को ग्रहण करने की स्थिति में, नामांकित कंपनी को रियायतग्राही के स्थान पर और प्रतिस्थापन के रूप में ऐसे परियोजना समझौते में कदम रखने (step into) का हकदार बनाते हैं।

5. रियायत समझौते की समाप्ति (TERMINATION OF CONCESSION AGREEMENT)

5.1 वित्तीय चूक होने पर समाप्ति:

वित्तीय चूक की सूचना जारी होने के बाद किसी भी समय, ऋणदाता प्रतिनिधि लिखित सूचना द्वारा प्राधिकरण से रियायत समझौते को तत्काल समाप्त करने की मांग कर सकता है, और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, प्राधिकरण रियायत समझौते के अनुच्छेद 34 के प्रावधानों के तहत और उनके अनुसार समाप्ति की कार्यवाही करेगा।

5.2 नामांकित कंपनी का चयन न होने पर समाप्ति:

यदि खंड 3.3.2 में निर्धारित 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि या उसके किसी विस्तार के भीतर प्राधिकरण को स्वीकार्य किसी नामांकित कंपनी का चयन और सिफारिश ऋणदाता प्रतिनिधि द्वारा नहीं की जाती है, तो प्राधिकरण इसके प्रावधानों के अनुसार रियायत समझौते को तत्काल समाप्त कर सकता है।

5.3 देय ऋण की वसूली (Realisation of Debt Due):

प्राधिकरण और रियायतग्राही इसके द्वारा स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि, अपने किसी भी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऋणदाता प्रतिनिधि रियायतग्राही से किसी अन्य संदर्भ या सहमति के बिना, रियायत समझौते की समाप्ति पर देय ऋण (Debt Due) प्राप्त करने का हकदार है। देय ऋण की वसूली के लिए, ऋणदाता प्रतिनिधि रियायत समझौते और एस्करो समझौते के प्रावधानों के अनुसार एस्करो खाते (Escrow Account) से अपना दावा करने का हकदार होगा।

6. समझौते की अवधि (DURATION OF THE AGREEMENT)

6.1 समझौते की अवधि:

यह समझौता इसकी तारीख से लागू होगा और निम्नलिखित घटनाओं में से जो भी पहले हो, समाप्त हो जाएगा:

(क) समझौते की समाप्ति; या

(ख) वित्तपोषण समझौतों के तहत वरिष्ठ ऋणदाताओं को कोई राशि अग्रिम देना शेष न रहे और कोई राशि बकाया न हो।

7. क्षतिपूर्ति (INDEMNITY)

7.1 सामान्य क्षतिपूर्ति:

7.1.1 रियायतग्राही इस समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व के रियायतग्राही द्वारा उल्लंघन के कारण या लागू कानूनों (Applicable Laws) और लागू परमिटों (Applicable Permits) का पालन करने में रियायतग्राही की विफलता के कारण होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान, क्षति, लागत और व्यय के लिए प्राधिकरण और ऋणदाता प्रतिनिधि को सभी कार्यवाहियों, कार्रवाइयों और तीसरे पक्ष के दावों से क्षतिपूर्ति करेगा, बचाव करेगा और उन्हें हानिरहित रखेगा।

7.1.2 प्राधिकरण रियायतग्राही को इस समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने में प्राधिकरण की विफलता से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और व्यय के लिए सभी

कार्यवाहियों, कार्यवाइयों और तीसरे पक्ष के दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा, बचाव करेगा और हानिरहित रखेगा, जो रियायत समझौते या इस समझौते के तहत रियायतग्राही के दायित्वों के प्रदर्शन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, इसके अलावा प्राधिकरण, उसके अधिकारियों, सेवकों और एजेंटों द्वारा उनके कानूनी कार्यों के निर्वहन में किए गए कृत्यों से उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि, क्षति, लागत और व्यय को छोड़कर।

7.1.3 ऋणदाता प्रतिनिधि रियायतग्राही को इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में ऋणदाता प्रतिनिधि की विफलता से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और व्यय के लिए सभी कार्यवाहियों, कार्यवाइयों और तीसरे पक्ष के दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा, बचाव करेगा और हानिरहित रखेगा, जो रियायत समझौते के तहत रियायतग्राही के दायित्वों के प्रदर्शन को भौतिक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

7.2 दावों की सूचना और विरोध:

यदि इसके किसी भी पक्ष को किसी तीसरे पक्ष से ऐसा दावा प्राप्त होता है जिसके संबंध में वह खंड 7.1 के तहत क्षतिपूर्ति के लाभ का हकदार है या जिसके संबंध में वह पुनर्भुगतान का हकदार है ('क्षतिपूर्त पक्ष'), तो वह दावा प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर इसके तहत ऐसे दावे की क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार अन्य पक्ष ('क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष') को सूचित करेगा और क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष की पूर्व स्वीकृति के बिना दावे का निपटान या भुगतान नहीं करेगा, ऐसी स्वीकृति अनुचित रूप से नहीं रोकी जाएगी या देरी नहीं की जाएगी। यदि क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष दावे का विरोध या विवाद करना चाहता है, तो वह क्षतिपूर्त पक्ष के नाम पर कार्यवाही संचालित कर सकता है और उसका विरोध करने में शामिल सभी लागतों को वहन करेगा। क्षतिपूर्त पक्ष किसी भी दावे का विरोध करने में पूरा सहयोग और सहायता प्रदान करेगा और ऐसे सभी लेखों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा जिनकी क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष यथोचित रूप से मांग कर सकता है।

8. विवाद समाधान (DISPUTE RESOLUTION)

8.1 विवाद समाधान:

8.1.1 इस समझौते से उत्पन्न या इसके संबंध में कोई भी विवाद, अंतर या दावा जिसे सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं किया जाता है, उसे मध्यस्थों के एक बोर्ड के माध्यम से मध्यस्थता संदर्भित करके तय किया जाएगा, जिसमें प्राधिकरण, रियायतग्राही और ऋणदाता प्रतिनिधि का एक-एक नामित व्यक्ति शामिल होगा। ऐसी मध्यस्थता नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी, और मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) के प्रावधानों के अधीन होगी।

8.1.2 मध्यस्थ एक तर्कसंगत पंचाट (reasoned award) जारी करेंगे और ऐसा पंचाट पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थान राज्य की राजधानी होगा और मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

9. विविध प्रावधान (MISCELLANEOUS PROVISIONS)

9.1 लागू कानून और क्षेत्राधिकार:

यह समझौता भारत के कानूनों के अनुसार अर्थान्वित (construed) और व्याख्यायित किया जाएगा और उन्हीं द्वारा शासित होगा, और राज्य की अदालतों के पास इस समझौते से उत्पन्न या उससे संबंधित सभी मामलों पर क्षेत्राधिकार होगा।

9.2 संप्रभु उन्मुक्ति का परित्याग (Waiver of sovereign immunity):

प्राधिकरण, बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से:

(क) सहमति व्यक्त करता है कि उसके द्वारा इस समझौते का निष्पादन, वितरण और प्रदर्शन वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किए गए और निष्पादित वाणिज्यिक कृत्यों का गठन करता है;
(ख) सहमत है कि यदि इस समझौते या इस समझौते द्वारा परिकल्पित किसी भी लेनदेन के संबंध में किसी भी क्षेत्राधिकार में उसके या उसकी परिसंपत्तियों, संपत्ति या राजस्व के खिलाफ कोई कार्यवाही लाई जाती है, तो प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से उसकी परिसंपत्तियों के संबंध में ऐसी कार्यवाहियों से किसी भी उन्मुक्ति (चाहे संप्रभुता के कारण या अन्यथा) का दावा नहीं किया जाएगा;

(ग) उन्मुक्ति के किसी भी अधिकार का त्याग करता है जो उसके या उसकी परिसंपत्तियों, संपत्ति या राजस्व के पास अब है या भविष्य में प्राप्त हो सकता है;

(घ) सामान्य रूप से ऐसी किसी भी कार्यवाही में उसके खिलाफ किसी भी निर्णय या पंचाट के प्रवर्तन के संबंध में सहमति देता है।

9.3 समझौतों की प्राथमिकता (Priority of agreements):

रियायत समझौते और इस समझौते के बीच किसी भी टकराव की स्थिति में, रियायत समझौते में निहित प्रावधान इस समझौते पर प्रभावी (prevail) होंगे।

9.4 शर्तों में परिवर्तन:

इस समझौते में सभी परिवर्धन, संशोधन, रूपांतरण और परिवर्तन केवल तभी प्रभावी और बाध्यकारी होंगे जब वे लिखित रूप में हों और पक्षों के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित हों।

9.5 परित्याग (Waiver):

9.5.1 किसी भी पक्ष द्वारा इस समझौते के किसी प्रावधान के पालन और प्रदर्शन में दूसरे पक्ष द्वारा की गई चूक का परित्याग लिखित रूप में होना चाहिए और प्रभावी होगा।

9.5.2 किसी भी अवसर पर किसी पक्ष द्वारा न तो इस समझौते या उसके तहत किसी भी दायित्व के नियम, शर्तों और प्रावधानों के निष्पादन पर जोर देने में विफलता और न ही किसी अन्य पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिए गए समय या अन्य प्रोत्साहन को ऐसे उल्लंघन में छूट या किसी परिवर्तन की स्वीकार्यता या किसी ऐसे अधिकार के परित्याग के रूप में माना या माना जाएगा।

9.6 कोई तृतीय-पक्ष लाभार्थी नहीं (No third party beneficiaries)

यह समझौता केवल पक्षकारों के लाभ के लिए है और इसके तहत किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

9.7 उत्तरजीविता (Survival)

9.7.1 इस समझौते की समाप्ति:

(क) पक्षकारों को इसके तहत ऐसे किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं करेगी जो स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से इसकी समाप्ति के बाद भी बने रहते हैं; और

(ख) इस समझौते के किसी भी प्रावधान में विशेष रूप से किसी भी पक्षकार के दायित्व को सीमित करने के प्रावधान को छोड़कर, ऐसी समाप्ति के प्रभावी होने से पूर्व किसी पक्षकार के कृत्यों या लोपों से उत्पन्न होने वाले या ऐसी समाप्ति से उत्पन्न होने वाले दूसरे पक्षकार की हानि या क्षति के लिए किसी भी पक्षकार को दायित्वों या देनदारियों से मुक्त नहीं करेगी।

9.7.2 इस समझौते के रद्द होने, व्यपगत होने या समाप्त होने के बाद बने रहने वाले सभी दायित्व ऐसी समाप्ति या इस समझौते की समाप्ति की तिथि के बाद केवल 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए ही बने रहेंगे।

9.8 पृथक्करणीयता (Severability)

यदि किसी भी कारण से इस समझौते का कोई भी प्रावधान अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय है या बन जाता है अथवा किसी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय या किसी अन्य निकाय द्वारा अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय घोषित किया जाता है, तो शेष प्रावधानों की वैधता, वैधानिकता या प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी, और पक्षकार सद्भावपूर्वक बातचीत करेंगे ताकि ऐसे अमान्य, अप्रवर्तनीय या अवैध प्रावधानों के स्थान पर एक या अधिक प्रावधानों को प्रतिस्थापित करने पर सहमति बन सके, जो ऐसे अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय प्रावधान के यथासंभव व्यावहारिक हो। किसी ऐसे प्रावधान पर सहमत होने में विफलता इस समझौते के खंड 8 या अन्यथा के तहत विवाद समाधान के अधीन नहीं होगी।

9.9 उत्तराधिकारी और समनुदेशिती (Successors and assigns)

यह समझौता पक्षकारों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों तथा अनुमत समनुदेशितियों (permitted assigns) पर बाध्यकारी होगा और उनके लाभ के लिए लागू होगा।

9.10 सूचनाएं (Notices)

इस समझौते के तहत दी जाने वाली या की जाने वाली सभी सूचनाएं या अन्य संचार लिखित रूप में होंगे, या तो व्यक्तिगत रूप से वितरित किए जाएंगे या कूरियर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाएंगे, जिसकी एक अतिरिक्त प्रति फैक्स या ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी। प्रत्येक पक्षकार की तामील (service) का पता, उसका फैक्स नंबर और ई-मेल पता इसके हस्ताक्षर पृष्ठों पर उसके नाम के नीचे दिया गया है। कोई सूचना उसकी वास्तविक प्राप्ति पर प्रभावी होगी, सिवाय इसके कि जहां यह किसी भी दिन शाम 5.30 (साढ़े पांच) बजे के बाद या सार्वजनिक अवकाश के दिन प्राप्त होती है, तो सूचना वास्तविक प्राप्ति की तिथि के बाद के पहले कार्य दिवस पर प्राप्त मानी जाएगी। पूर्वगामी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, फैक्स या ई-मेल द्वारा सूचना या संचार देने वाला या करने वाला पक्षकार उसकी एक प्रति व्यक्तिगत रूप से तुरंत वितरित करेगा, या ऐसी सूचना या संचार के प्राप्तकर्ता को कूरियर या पंजीकृत डाक द्वारा भेजेगा। इसके द्वारा यह सहमति व्यक्त की जाती है और स्वीकार किया जाता है कि कोई भी पक्षकार सूचना देकर उस पते को बदल सकता है जिस पर उसे ऐसी सूचनाएं और संचार वितरित या प्रेषित किए जाने हैं। ऐसा परिवर्तन तब प्रभावी होगा जब सभी पक्षकारों को इसकी सूचना मिल जाएगी।

9.11 भाषा (Language)

इस समझौते के तहत या इसके संबंध में सभी सूचनाएं, प्रमाण पत्र, पत्राचार और कार्यवाहियां अंग्रेजी में होंगी।

9.12 अधिकृत प्रतिनिधि (Authorised representatives)

प्रत्येक पक्षकार, लिखित सूचना द्वारा, अपने संबंधित अधिकृत प्रतिनिधियों को मनोनीत करेगा जिनके माध्यम से केवल सभी संचार किए जाएंगे। इसके तहत एक पक्षकार समान सूचना देकर ऐसे अधिकृत प्रतिनिधि को हटाने और/या प्रतिस्थापित करने अथवा नई नियुक्ति करने का हकदार होगा।

9.13 मूल दस्तावेज (Original Document)

यह समझौता तीन प्रतिरूपों (counterparts) में निष्पादित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक को निष्पादित और वितरित किए जाने पर इस समझौते का मूल माना जाएगा।

इसके साक्ष्य के रूप में पक्षकारों ने ऊपर लिखित पहली तारीख को इस समझौते को निष्पादित और वितरित किया है।

रियायतग्राही (Concessionaire) की सामान्य मुहर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा ... तिथि ... 20... को आयोजित अपनी बैठक में पारित संकल्प के अनुसरण में लगाई गई है, यहाँ ... निदेशक की उपस्थिति में संलग्न की गई है, जिन्होंने इसके प्रतीक के रूप में इन प्रस्तुतियों पर हस्ताक्षर किए हैं और ... कंपनी सचिव / अधिकृत अधिकारी जिन्होंने इसके प्रतीक के रूप में प्रतिहस्ताक्षर किए हैं:

(हस्ताक्षर)
(नाम)
(पदनाम)
(पता)

वरिष्ठ ऋणदाताओं (SENIOR LENDERS) की ओर से और उनके लिए ऋणदाता प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए गए, मुहरबंद और वितरित किए गए:

(हस्ताक्षर)
(नाम)
(पदनाम)

प्राधिकरण, शहर एवं औद्योगिक विकास निगम महाराष्ट्र लिमिटेड की ओर से और उनके लिए हस्ताक्षर किए गए, मुहरबंद और वितरित किए गए:

द्वारा:

(हस्ताक्षर)
(नाम)
(पदनाम)
(पता)
(फैक्स
(ई-मेल पता)

सं.)

उपस्थिति में:

1. (हस्ताक्षर)
2. (हस्ताक्षर)

अनुसूची ध (SCHEDULE S)

शेयरधारक समझौता (SHAREHOLDERS AGREEMENT)

(खंड 5.4.1 देखें)

यह शेयरधारक समझौता ("समझौता") वर्ष 201... के ... दिन को निम्नलिखित के बीच निष्पादित किया गया है:

द्वारा और निम्नलिखित के बीच:

सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी है, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या U99999MH1970SGC014574 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय निर्मल, दूसरी मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021, महाराष्ट्र में स्थित है, जिसका प्रतिनिधित्व इसके उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा किया जा रहा है (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" (Authority) कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ इसके प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे);

तथा

मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी है, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या U45200MH2006PTC160164 है, और जिसका पंजीकृत कार्यालय एयरपोर्ट डायरेक्टर का कार्यालय, टर्मिनल-1बी, सीएसआई एयरपोर्ट, मुंबई 400 099, महाराष्ट्र में स्थित है (जिसे इसके बाद "प्रवर्तक" (Promoter) कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ इसके प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिनी शामिल होंगे);

तथा

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या U45200MH2007PTC169174 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय एयरपोर्ट डायरेक्टर का कार्यालय, टर्मिनल 1-बी, सीएसआई एयरपोर्ट, सांताक्रूज़, मुंबई 400 099, महाराष्ट्र में स्थित है (जिसे इसके बाद "रियायतग्राही" (Concessionaire) कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ इसके प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी, अनुमत समनुदेशिनी और प्रतिस्थानी शामिल होंगे);

प्रवर्तक, प्राधिकरण और रियायतग्राही को इसके बाद सामूहिक रूप से "**पक्षकार**" और व्यक्तिगत रूप से "**पक्षकार**" कहा गया है। प्रवर्तक और प्राधिकरण को सामूहिक रूप से "**शेयरधारक**" कहा गया है।

जबकि (WHEREAS):

क. भारत सरकार ("GOI") ने अपने पत्र संख्या AV.24011/1/95-VB (Vol. VI) दिनांक 6 जुलाई, 2007 ("भारत सरकार की स्वीकृति") के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी ("PPP") के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य में नवी मुंबई में सार्वजनिक उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना के लिए उसमें निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अधीन अपनी स्वीकृति प्रदान की थी, और इस समझौते में निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार हवाई अड्डे की स्थापना करने का संकल्प लिया था।

ख. भारत सरकार की स्वीकृति के आधार पर, महाराष्ट्र सरकार ("GOM") ने अपने शासन निर्णय संख्या CID-3307/1541/Pra. Kra-144/07/Na Vi-10 दिनांक 30 जुलाई, 2008 ("महाराष्ट्र सरकार की स्वीकृति") के माध्यम से परियोजना (जैसा कि नीचे परिभाषित है) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी, और परियोजना के विकास, संचालन और रखरखाव के उद्देश्यों के लिए प्राधिकरण को एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया।

ग. उपर्युक्त भारत सरकार की स्वीकृति, महाराष्ट्र सरकार की स्वीकृति और अन्य लागू अनुमतियों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने DBFOT (डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण, संचालन और हस्तांतरण) आधार पर हवाई अड्डे के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए तकनीकी और वाणिज्यिक निबंधनों और शर्तों को निर्धारित करते हुए, अपने योग्यता अनुरोध (RFQ) संख्या CIDCO/T&C/NMIA/01/2013-14 दिनांक 5 फरवरी, 2014, समय-समय पर यथा संशोधित (सामूहिक रूप से, "योग्यता अनुरोध" या "RFQ") द्वारा आवेदन आमंत्रित किए।

घ. RFQ के अनुसरण में और RFQ में निर्धारित तकनीकी और वित्तीय मानदंडों की पूर्ति तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त होने के आधार पर, आवेदकों को परियोजना के लिए बोली के अगले चरण में भाग लेने के लिए पूर्व-अर्हता प्राप्त घोषित किया गया था।

ङ. प्राधिकरण ने ऐसे पूर्व-अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं से पत्र संख्या CIDCO/T&C/NMIA/01/2013-14 दिनांक 4 मई, 2016 ("प्रस्ताव अनुरोध" या "RFP") द्वारा जारी प्रस्ताव अनुरोध में निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार अपनी वाणिज्यिक बोली प्रदान करने का आह्वान किया।

च. पूर्व-अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं से प्राप्त बोलियों के मूल्यांकन के बाद, प्राधिकरण ने बोलीदाता मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ("पसंदीदा बोलीदाता") की बोली को स्वीकार कर लिया, और पसंदीदा बोलीदाता को अपना पुरस्कार पत्र (LOA) संख्या CIDCO/MD/NMIA/051 दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 ("LOA") जारी किया, जिसमें पसंदीदा बोलीदाता से अन्य बातों के साथ-साथ एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के माध्यम से RFP की शर्तों के अनुसार इस रियायत समझौते को निष्पादित करने की आवश्यकता थी।

छ. पसंदीदा बोलीदाता ने कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रियायतग्राही के रूप में एक विशेष प्रयोजन वाहन को प्रवर्तित और निगमित किया है, और प्राधिकरण से रियायतग्राही को उस संस्था के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया है, जो LOA के तहत पसंदीदा बोलीदाता के दायित्वों को निभाएगी और अधिकारों का प्रयोग करेगी, जिसमें परियोजना के कार्यान्वयन,

संचालन और रखरखाव को शुरू करने के लिए इस रियायत समझौते में प्रवेश करने का दायित्व शामिल है।

ज. RFP के भाग के रूप में, यह परिकल्पना की गई थी कि प्राधिकरण इस शेयरधारक समझौते में निर्धारित निबंधनों और शर्तों पर गैर-हस्तांतरणीय प्राधिकरण शेयर (जैसा कि इसके बाद परिभाषित किया गया है) धारण करेगा।

झ. इसलिए, प्राधिकरण और प्रवर्तक इस समझौते में, रियायतग्राही के शेयरधारकों के रूप में अपनी परस्पर क्षमता में संबंधों को नियंत्रित करने वाले निबंधनों और शर्तों को निर्धारित करने तथा रियायतग्राही के प्रबंधन और कामकाज तथा उससे जुड़े अन्य मामलों के संबंध में अपने संबंधित अधिकारों और दायित्वों को दर्ज करने के इच्छुक हैं।

अब इसलिए, पूर्वगामी और इस समझौते में निर्धारित संबंधित प्रसंविदाओं (covenants) और करारों के विचारार्थ, जिनकी प्राप्ति और पर्याप्तता को इसके द्वारा स्वीकार किया जाता है, और इसके द्वारा कानूनी रूप से बाध्य होने का इरादा रखते हुए, पक्षकार निम्नानुसार सहमत हैं:

1. परिभाषाएं और व्याख्याएं (DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS)

1.1 परिभाषाएं (Definitions)

इस समझौते में, (किसी भी प्रस्तावना, अनुलग्नक, अनुसूची या संलग्न प्रदर्श सहित), जहां संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:

"समझौता" (Agreement): का अर्थ यह शेयरधारक समझौता होगा;

"प्रभावित पक्षकार" (Affected Party): का अर्थ इसके खंड 11.3 के तहत शब्द को दिया गया अर्थ है;

"वैकल्पिक निदेशक" (Alternate Director): का अर्थ इसके खंड 5.7.1 के तहत शब्द को दिया गया अर्थ है;

"प्राधिकरण का शेयर" (Authority's Share): का अर्थ रियायतग्राही के कुल चुकता इक्विटी शेयरों में से 26% (छब्बीस प्रतिशत) इक्विटी शेयर हैं, जिनका अंकित मूल्य रु. 10/- (रुपये दस) प्रत्येक है, जो प्राधिकरण और/या उसके नामांकित व्यक्ति को जारी किए गए हैं;

"निदेशक मंडल" या "बोर्ड" (Board of Director(s) / Board): का अर्थ रियायतग्राही का निदेशक मंडल है;

"अध्यक्ष" (Chairman): का अर्थ कंपनी के बोर्ड का अध्यक्ष है;

"चार्टर दस्तावेज" (Charter Documents): का अर्थ रियायतग्राही का ज्ञापन (Memorandum of Association) और अंतरनियम (Articles of Association) है, जिसमें कानून द्वारा अनुमत सीमा तक इस समझौते के निबंधनों और शर्तों को उचित और सुसंगत रूप से शामिल किया गया है;

"कंपनी अधिनियम" (Companies Act): का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 है, जिसमें कंपनी अधिनियम, 1956 के निरसित प्रावधानों के लिए इसका कोई पुनः अधिनियमन या संशोधन शामिल है, और अन्यथा कंपनी अधिनियम, 1956;

"रियायत समझौता" (Concession Agreement): का अर्थ परियोजना के संबंध में प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच निष्पादित किया गया रियायत समझौता होगा;

"परिणामी हानि" (Consequential Loss): का अर्थ इसके खंड 11.14 के तहत शब्द को दिया गया अर्थ है;

"पालन विलेख" (Deed of Adherence): का अर्थ इसके खंड 3.3.1 के तहत शब्द को दिया गया अर्थ है;

"व्यतिक्रमी पक्षकार" (Defaulting Party): का अर्थ इसके खंड 8.2.1 के तहत शब्द को दिया गया अर्थ है;

"निदेशक" (Director): का अर्थ रियायतग्राही के निदेशक मंडल का एक निदेशक है;

"प्रभावी तिथि" (Effective Date): का अर्थ इसके खंड 2 के तहत शब्द को दिया गया अर्थ है;

"इक्विटी शेयर" (Equity Shares): का अर्थ समान मतदान अधिकार वाले रियायतग्राही के रु. 10/- (रुपये दस) प्रत्येक अंकित मूल्य के पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर हैं;

"महाराष्ट्र सरकार" (GOM): का अर्थ प्रस्तावना ख (Recital B) में इसे दिया गया अर्थ है;

"सरकारी संकल्प" (Government Resolutions): का अर्थ परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के संबंध में नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी शासन निर्णय संख्या: CID-1812/फाइल सं. 274/UD-10 दिनांक 1 मार्च 2014, सहपठित CID-1812/फाइल सं. 274/UD-10 दिनांक 28 मई 2014, तथा राजस्व एवं वन विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी निर्णय संख्या: LQN-05/2014/फाइल सं. 39/A-2 दिनांक 16 जून 2014 एवं RPA 2014/फाइल सं. 52/R-3 दिनांक 25 जून 2014 है;

"LOA": का अर्थ प्रस्तावना च (Recital F) में इसे दिया गया अर्थ है;

"प्रबंध निदेशक" (Managing Director): का अर्थ रियायतग्राही का पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक है;

"मूल निदेशक" (Original Director): का अर्थ इसके खंड 5.7.1 के तहत शब्द को दिया गया अर्थ है;

"यथानुपात शेयर" (Pro Rata Shares): का अर्थ किसी भी शेयरधारक के संबंध में वह अनुपात है जो ऐसे शेयरधारक द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या का सभी शेयरधारकों द्वारा धारित कुल इक्विटी शेयरों की संख्या से है;

"परियोजना" (Project): का अर्थ प्रस्तावना क (Recital A) में इसे दिया गया अर्थ है;

"प्रवर्तक" (Promoter): का अर्थ इस समझौते के पक्षकारों की सूची में इसे दिया गया अर्थ है;

"प्रवर्तक का समझौता" (Promoter's Agreement): का अर्थ इसके खंड 4.2.4 के तहत शब्द को दिया गया अर्थ है;

"स्वामित्व सूचना" (Proprietary Information): का अर्थ इसके खंड 9.1 के तहत शब्द को दिया गया अर्थ है;

"आरक्षित मामले" (Reserved Matters): का अर्थ नीचे दी गई किसी भी मद से संबंधित मामला/मामले हैं:

(क) ज्ञापन के प्रावधानों में परिवर्तन या वृद्धि करना;

(ख) अंतरनियम (Articles of Association) में परिवर्तन या वृद्धि करना;

(ग) रियायतग्राही का नाम बदलना;

(घ) रियायतग्राही के स्वयं के शेयरों या निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को खरीदना/बाय-बैक करना;

(ङ) स्वेट इक्विटी शेयर जारी करना;

(च) गैर-सदस्यों को पूर्व-क्रयाधिकार (pre-emptive rights) के साथ या बिना आगे शेयर जारी करना अथवा ऋणों या डिबेंचरों को शेयरों में परिवर्तित करना;

(छ) रियायतग्राही की शेयर पूंजी में परिवर्तन (वृद्धि या कमी) करना;

(ज) शेयरधारकों के अलावा अन्य व्यक्तियों को इक्विटी शेयर स्थानांतरित करना;

(झ) रियायतग्राही के पंजीकृत कार्यालय को उस राज्य की सीमाओं से बाहर ले जाना जहां यह स्थित है;

(ञ) व्यवसाय की कोई नई लाइन शुरू करना;

(ट) उस शहर, कस्बे या गांव के अलावा किसी अन्य स्थान पर रजिस्टर और रिटर्न रखना जिसमें पंजीकृत कार्यालय स्थित है;

(ठ) [निरसित/हटाया गया];

(ड) किसी निदेशक या उसके रिश्तेदार या भागीदार या फर्म या निजी कंपनी को अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, प्रबंधक, बैंकर, या डिबेंचर-धारकों के ट्रस्टी को छोड़कर लाभ का पद धारण करने के लिए सहमति देना;

(ढ) किसी संबंधित पक्षकार लेन-देन (Related Party Transaction) में प्रवेश करना;

(ण) रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार वित्तीय पैकेज में स्वीकृत सीमाओं से अधिक ऋण लेना, और उसकी शर्तें;

(त) कोई बंधक बनाना और/या रियायतग्राही के उपक्रम के किसी हिस्से या पूरे हिस्से अथवा किसी परियोजना परिसंपत्ति को बेचना या स्थानांतरित करना;

(थ) कंपनी अधिनियम के प्रावधानों से भिन्न लेखा परीक्षकों (Auditors) की नियुक्ति करना;

(द) अंतर-कॉर्पोरेट-ऋण और निवेश करना या गारंटी/सुरक्षा प्रदान करना आदि, यदि उसकी कुल राशि

रियायतग्राही की चुकता शेयर पूंजी की 10% (दस प्रतिशत) की सीमा से अधिक है;
(ध) रियायतग्राही को समाप्त (wind-up) करने के लिए न्यायालय में आवेदन करना;
(न) स्वेच्छा से रियायतग्राही को समाप्त करना;

(प) चरण I के बाद परियोजना का कोई और विकास/क्षमता संवर्धन करना;

(फ) रियायतग्राही के समापन से संबंधित विभिन्न अन्य मामले;
(ब) कोई अन्य मामला जिसे कंपनी अधिनियम, या उसके किसी पुनः अधिनियमन या संशोधन द्वारा, रियायतग्राही के शेयरधारकों के विशेष संकल्प द्वारा पारित होना आवश्यक है;

"प्रस्ताव अनुरोध" या "RFP": का अर्थ प्रस्तावना ङ (Recital E) में इसे दिया गया अर्थ है;

"योग्यता अनुरोध" या "RFQ": का अर्थ प्रस्तावना ग (Recital C) में इसे दिया गया अर्थ है;

"शेयरधारक" (Shareholder(s)): का अर्थ इस समझौते के पक्षकारों की सूची में इसे दिया गया अर्थ है;

"शेयरधारक समझौता" या "समझौता": का अर्थ यह शेयरधारक समझौता है;

"तृतीय पक्षकार" (Third Party): का अर्थ ऐसी कोई भी संस्था है जो इस समझौते की पक्षकार नहीं है;

"हस्तांतरण / अंतरण" (Transfer): में शामिल होंगे (i) लागू कानूनों के संचालन द्वारा, अदालती आदेश द्वारा, न्यायिक प्रक्रिया द्वारा, या जब्ती, लेवी या कुर्की द्वारा सीमा के बिना ऐसी प्रतिभूतियों या मतदान हितों या उसमें किसी भी हित का कोई हस्तांतरण या अन्य निपटान; (ii) किसी समझौते, व्यवस्था, विलेख या समझ के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों या उसमें किसी भी हित की कोई बिक्री, समनुदेशन, उपहार, दान, मोचन, रूपांतरण या अन्य निपटान, जिसके द्वारा ऐसी प्रतिभूतियों का कानूनी शीर्षक या लाभकारी स्वामित्व एक संस्था से दूसरी संस्था में या अलग कानूनी क्षमता में उसी संस्था को जाता है, चाहे मूल्य के लिए हो या न हो; (iii) ऐसी प्रतिभूतियों या उसमें किसी भी हित अथवा सुरक्षा का प्रभाव रखने वाले किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार या प्राथमिकता पर किसी भी भार (चाहे बंधक, गिरवी, धारणाधिकार, दृष्टिबंधक या अन्यथा) या प्रभार का निर्माण।

1.2 व्याख्याएं (Interpretations)

1.2.1 बड़े अक्षरों से शुरू होने वाले और इस समझौते में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो यहाँ दिया गया है, और इस समझौते में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं, लेकिन संदर्भ के अनुसार रियायत समझौते या कंपनी अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो रियायत समझौते या कंपनी अधिनियम में दिया गया है।

1.2.2 खंडों के संदर्भ, जब तक अन्यथा न कहा गया हो, इस समझौते के खंडों के संदर्भ हैं।

1.2.3 रियायत समझौते के खंड 1.2, 1.3 और 1.4 में बताए गए व्याख्या के नियम, आवश्यक परिवर्तनों सहित (mutatis mutandis), इस समझौते पर लागू होंगे।

2. प्रभावी तिथि (EFFECTIVE DATE)

खंड 2, 3, 7, 9 और 10 के प्रावधानों को छोड़कर, जो इसके निष्पादन के तुरंत बाद प्रभावी हो जाएंगे, इस समझौते के प्रावधान प्राधिकरण के संतोषजनक रूप से निम्नलिखित कार्रवाइयों के पूरा होने पर प्रभावी होंगे (ऐसी तिथि प्रभावी तिथि "Effective Date" होगी):

(क) प्रवर्तक यह सुनिश्चित करेगा कि रियायतग्राही की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी रु. 50,00,00,000/- (पचास करोड़ रुपये) है, जो रु. 10/- (दस रुपये) प्रत्येक अंकित मूल्य के 5,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है;

(ख) प्रवर्तक यह प्राप्त करेगा कि रियायतग्राही ने इस समझौते के खंड 3 के अनुसार इक्विटी शेयर जारी और आवंटित किए हैं;

(ग) रियायतग्राही ने इस समझौते की शर्तों को दर्शाने के लिए, आवश्यकतानुसार, रियायतग्राही के चार्टर दस्तावेजों में संशोधन के लिए, रियायतग्राही के शेयरधारकों की एक असाधारण सामान्य बैठक में, विशेष संकल्प के माध्यम से संकल्प पारित किया होगा; और

(घ) रियायतग्राही ने प्राधिकरण को ऐसे सभी संकल्पों और/या इस खंड में परिकल्पित कार्रवाइयों के निष्पादन को साबित करने वाले किसी भी अन्य दस्तावेज की एक प्रमाणित प्रति वितरित की होगी और प्रवर्तक ने रियायतग्राही से वितरित करवाई होगी।

3. पूंजी संरचना (CAPITAL STRUCTURE)

3.1 शेयरधारिता संरचना (Shareholding Structure)

3.1.1 प्रवर्तक यह प्राप्त करेगा कि रियायतग्राही ने प्रभावी तिथि पर, लागू कानूनों के अनुपालन में, निम्नलिखित तरीके से रियायतग्राही के सबस्क्राइब किए गए और पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर जारी किए हैं:

शेयरधारक (Shareholder)	इक्विटी शेयर पूंजी में शेयरधारिता का प्रतिशत
प्रवर्तक, यानी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	74%
प्राधिकरण और/या उसका नामांकित व्यक्ति	26%

3.1.2 प्रवर्तक और रियायतग्राही इसके द्वारा रियायतग्राही से यह सुनिश्चित कराने के लिए सहमत होते हैं और वचन देते हैं कि रियायतग्राही की जारी, सबस्क्राइब की गई और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में प्राधिकरण और/या उसके नामांकित व्यक्ति की शेयरधारिता रियायत समझौते की अवधि के दौरान किसी भी समय 26% (छब्बीस प्रतिशत) से नीचे नहीं जाएगी।

3.2 प्राधिकरण के शेयर का निर्गमन (Issuance of the Authority's Share)

3.2.1 रियायतग्राही इसके द्वारा जारी और आवंटित करने का वचन देता है, और प्रवर्तक इसके द्वारा रियायतग्राही को इस समझौते के निष्पादन के साथ ही या उससे पहले, ऐसे प्राधिकरण शेयर के अंकित मूल्य के बराबर प्रतिफल के लिए प्राधिकरण को प्राधिकरण शेयर जारी और आवंटित कराने, और प्राधिकरण शेयर का प्रतिनिधित्व करने वाला शेयर प्रमाण पत्र प्राधिकरण को वितरित करने के लिए सहमत होता है।

3.2.2 रियायतग्राही कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक सभी फाइलिंग करेगा और प्राधिकरण के शेयर के निर्गमन के संबंध में लागू कानूनों की अन्य सभी आवश्यकताओं का पालन करेगा।

3.2.3 पक्षकार सहमत हैं कि प्राधिकरण के नामांकित निदेशक को कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकों में सकारात्मक वोट (affirmative vote) का अधिकार होगा, और प्राधिकरण को आरक्षित मामलों के संबंध में शेयरधारकों की सामान्य बैठक में सकारात्मक वोट का अधिकार होगा। इस समझौते के तहत प्राधिकरण के अधिकार किसी भी अन्य अधिकार के अतिरिक्त होंगे जो प्राधिकरण के पास रियायत समझौते या किसी अन्य परियोजना समझौते के तहत हो सकते हैं।

3.2.4 पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि प्राधिकरण के शेयर के पास, जब तक कि इस समझौते के तहत अन्यथा न कहा गया हो, लाभांश और अन्य सभी मामलों के संबंध में इक्विटी शेयरों के समान अधिकार और विशेषाधिकार होंगे।

3.3 हस्तांतरण प्रतिबंध (Transfer Restrictions)

3.3.1 कोई भी शेयरधारक (प्राधिकरण के अलावा), इस समझौते के प्रावधानों के अधीन और लागू कानूनों के अनुपालन में, अपने सभी या किसी भी इक्विटी शेयर या इस समझौते के तहत अपने अधिकारों को किसी तीसरे पक्षकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्थानांतरित (Transfer) कर सकता है, बशर्ते कि (क) ऐसा हस्तांतरण रियायतग्राही को रियायत समझौते का उल्लंघन करने का कारण न बने; (ख) ऐसा तृतीय पक्ष खरीदार इस समझौते के निबंधनों और शर्तों से बाध्य होने के लिए सहमत हो और वचन दे तथा संलग्न प्रारूप ("पालन विलेख" / Deed of Adherence) के अनुसार पालन विलेख निष्पादित करे।

3.3.2 पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि, जैसा कि इसमें अन्यथा स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की गई है, प्राधिकरण किसी भी समय प्राधिकरण के शेयर को स्थानांतरित करने का हकदार नहीं होगा, केवल तब के अलावा जब प्राधिकरण की कोई उत्तराधिकारी संस्था रियायत समझौते के तहत प्राधिकरण के अधिकारों और दायित्वों को ग्रहण करती है।

3.3.3 यदि प्रवर्तक मुख्य रूप से रियायतग्राही में इक्विटी शेयर धारण करने के उद्देश्यों के लिए स्थापित एक विशेष प्रयोजन वाहन है (ऐसा प्रवर्तक "प्रवर्तक SPV" होने के नाते), तो ऐसे प्रवर्तक SPV में किसी भी शेयरधारिता का हस्तांतरण इस समझौते के उद्देश्यों के लिए प्रवर्तक SPV द्वारा इक्विटी शेयरों का अप्रत्यक्ष हस्तांतरण माना जाएगा और इस समझौते में निर्धारित शेयरों के हस्तांतरण पर प्रतिबंधों के अधीन

होगा, जिसमें किसी तीसरे पक्ष के अंतरायी (transferee) द्वारा पालन विलेख के निष्पादन की आवश्यकता शामिल है।

3.3.4 पक्षकार इसके द्वारा निम्नानुसार सहमत होते हैं:

(क) यदि प्रवर्तक एकल बोलीदाता है, तो प्रवर्तक के पास चरण I COD की 7वीं (सातवीं) वर्षगांठ तक रियायतग्राही के सबस्क्राइब किए गए और चुकता इक्विटी शेयरों का कम से कम 51% (इक्यावन प्रतिशत) हिस्सा रहेगा;

(ख) [हटाया गया / निरसित]

(ग) रियायत अवधि के दौरान किसी भी समय:

- (i) कोई भी अनुसूचित एयरलाइन (scheduled airline), कार्गो एयरलाइन और/या उनके संबंधित सहयोगी (Associates), रियायतग्राही की सबस्क्राइब की गई और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 26% (छब्बीस प्रतिशत) से अधिक धारित नहीं करेंगे;
- (ii) किसी अनुसूचित एयरलाइन, कार्गो एयरलाइन और उनके सहयोगियों द्वारा रियायतग्राही में किसी भी शेयरधारिता के बावजूद, ऐसी किसी भी संस्था को रियायतग्राही के प्रबंधन या नियंत्रण का कोई अधिकार नहीं होगा।

3.4 परियोजना प्रभावित व्यक्ति (Project Affected Persons)

3.4.1 प्रवर्तक (Promoter) और रियायतग्राही (Concessionaire) इसके द्वारा परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (Project Affected Persons) को प्राधिकरण के शेयरों (Authority's Shares) में लाभकारी हित (beneficial interest) सरकारी संकल्पों (Government Resolutions) की आवश्यकताओं के अनुपालन में, उचित तरीके और रूप में, प्रदान करने के प्राधिकरण के अधिकार को स्वीकार करते हैं। इस संबंध में, प्रवर्तक और रियायतग्राही यह स्वीकार करते हैं कि प्राधिकरण ने परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पक्ष में प्राधिकरण के शेयरों में लाभकारी हित के अनुदान और जारी करने का प्रावधान और संचालन करने के लिए सरकारी संकल्पों के अनुसरण में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के साथ एक निश्चित व्यवस्था/करार किया है/प्रवेश किया है।

3.4.2 प्रवर्तक और रियायतग्राही इसके द्वारा लागू कानूनों (Applicable Laws) के तहत आवश्यक सभी कार्रवाई करने और ऐसे सभी कार्यों को निष्पादित करने के लिए सहमत हैं, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुरोध किया जाए, ताकि ऊपर संदर्भित सरकारी संकल्पों के तहत इसके दायित्वों को प्रभावी बनाया जा सके।

3.4.3 प्राधिकरण रियायतग्राही में एक शेयरधारक के रूप में अपनी क्षमता में, परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में, लागू कानूनों के तहत एक शेयरधारक को उपलब्ध सभी अधिकारों का प्रयोग करने और ऐसे सभी कार्यों को निष्पादित करने का हकदार होगा।

3.4.4 प्रवर्तक और रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेंगे कि रियायतग्राही में प्राधिकरण और/या इसके नामित व्यक्ति की शेयरधारिता इस समझौते की शर्तों के अनुसार रियायत अवधि (Concession Period) के दौरान किसी भी समय इक्विटी शेयर पूंजी (Equity Share capital) के 26% (छब्बीस प्रतिशत) के बराबर बनी रहेगी।

3.5 रियायतग्राही का पूंजीकरण (Capitalisation of the Concessionaire)

3.5.1 रियायतग्राही की इक्विटी शेयर पूंजी ऊपर खंड 3.1 में निर्दिष्ट अनुपात में होगी, और बोर्ड द्वारा निर्धारित किए अनुसार एक या अधिक किस्तों (tranches) में पूंजीकृत की जा सकती है। ऊपर खंड 3 की शर्तों के अधीन, प्राधिकरण और/या इसके नामित व्यक्ति का योगदान रियायत अवधि के दौरान किसी भी समय ₹ 430,00,00,000/- (रुपये चार सौ तीस करोड़) से अधिक नहीं होगा और ऐसा योगदान रियायत समझौते के खंड 12.9 के अनुसार होगा।

3.5.2 अन्यत्र निहित इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, प्रवर्तक इसके द्वारा सहमत होता है और वचन देता है तथा रियायतग्राही से यह सुनिश्चित करवाता है कि खंड 3.5.1 में निर्दिष्ट के अलावा रियायतग्राही का सभी पूंजीकरण (यदि कोई हो) विमोचनीय वरीयता शेयरों (redeemable preference shares), परिवर्तनीय वरीयता शेयरों (convertible preference shares), परिवर्तनीय डिबेंचर (convertible debentures), मतदान अधिकारों के बिना इक्विटी शेयरों, हाइब्रिड उपकरणों (hybrid

instruments), या पक्षों के बीच समय-समय पर सहमत किसी अन्य तरीके से और लागू कानूनों के अनुसार होगा, लेकिन ऐसे सभी मामलों में प्राधिकरण पर बिना किसी दायित्व/सहारे (recourse) के होगा।

3.5.3 पक्ष इसके द्वारा वचन देते हैं और सहमत होते हैं कि प्राधिकरण रियायतग्राही में भविष्य के पूंजीकरण (यदि कोई हो) के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि निवेश (infuse) करने के लिए बाध्य नहीं होगा। प्राधिकरण इस खंड 3.5 के अनुसार प्राधिकरण के शेयरों को सब्सक्राइब करेगा और भविष्य के किसी भी या सभी पूंजीकरणों को सब्सक्राइब करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

3.5.4 आरक्षित मामलों (Reserved Matters) के संबंध में प्राधिकरण के सकारात्मक मतदान अधिकारों (affirmative voting rights) के अधीन, रियायतग्राही द्वारा किसी भी प्रकार या श्रेणी की किसी भी प्रतिभूति (जिसमें बिना किसी सीमा के, कोई भी इक्विटी शेयर शामिल हैं) की कोई भी जारीवट, शेयरधारकों को उनके आनुपातिक शेयर (Pro Rata Share) के अनुपात में सदस्यता के लिए प्रस्तावित की जाएगी।

3.6 रियायत समझौते की समाप्ति पर हस्तांतरण (Transfer upon Termination of Concession Agreement)

वरीयता प्राप्त बोलीदाता (Preferred Bidder) और प्राधिकरण (या इसके नामित व्यक्ति) को छोड़कर रियायतग्राही के सभी शेयरधारक, रियायत समझौते के निर्धारण या समय से पूर्व समाप्ति (early termination) पर, समाप्ति भुगतान (Termination Payment) की प्राप्ति के एवज में, रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार, रियायतग्राही में अपनी संपूर्ण शेयरधारिता प्राधिकरण को हस्तांतरित कर देंगे।

4. रियायतग्राही का दायरा और उद्देश्य (SCOPE AND OBJECTIVE OF THE CONCESSIONAIRE)

4.1 रियायतग्राही का उद्देश्य (Purpose of the Concessionaire)

रियायतग्राही का उद्देश्य रियायत समझौते में निहित प्रावधानों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, रियायतग्राही के दायित्वों को निभाना और अधिकारों का प्रयोग करना है।

4.2 शेयरधारकों की प्रतिबद्धताएं (Shareholder Commitments)

4.2.1 प्रत्येक शेयरधारक इसके द्वारा प्रत्येक अन्य शेयरधारक और रियायतग्राही के साथ सहयोग करने, तथा रियायतग्राही की सफलता को बढ़ावा देने के लिए उस सीमा तक अपने उचित प्रयासों का उपयोग करने के लिए सहमत होता है जिस सीमा तक उसके पास ऐसा करने का अधिकार और क्षमता है। हालांकि, शर्त यह है कि पक्ष इसके द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि प्राधिकरण की जिम्मेदारियां और दायित्व रियायत समझौते में स्पष्ट रूप से निर्धारित मामलों तक ही सीमित होंगे। आगे यह शर्त है कि इस खंड 4.2.1 में निहित किसी भी बात का अर्थ प्राधिकरण पर रियायत समझौते में स्पष्ट रूप से निर्धारित के अलावा कोई दायित्व उत्पन्न करने के रूप में नहीं लगाया जाएगा, न ही यह प्राधिकरण के किसी संयुक्त और कई देयता (joint and several liability) को दर्शाएगा।

4.2.2 प्रत्येक शेयरधारक इसके द्वारा अन्य शेयरधारकों के प्रति और रियायतग्राही के लाभ के लिए वचन देता है:

(क) इस समझौते और चार्टर दस्तावेजों (Charter Documents) के सभी प्रावधानों का पालन और अवलोकन करना; और

(ख) आरक्षित मामलों के संबंध में प्राधिकरण के सकारात्मक वोट के अधिकार (जिसका प्रयोग प्राधिकरण के किसी नामित व्यक्ति के माध्यम से किया जा सकता है) के अधीन, और पूर्वाग्रह के बिना, यह सुनिश्चित करना कि (i) शेयरधारक के रूप में उसकी क्षमता में उसका प्रतिनिधित्व करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, और (ii) इस समझौते की शर्तों के तहत निदेशक (Director) के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, शेयरधारकों या रियायतग्राही के बोर्ड की किसी भी बैठक में वोट देने की शक्ति का प्रयोग करेगा या करवाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रियायतग्राही के मामलों का संचालन रियायत समझौते के अनुसार हो और इस समझौते को पूर्ण प्रभाव दिया जा सके, और इसी तरह यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी ऐसा प्रस्ताव पारित न हो जो रियायत समझौते और/या इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार न हो; हालांकि, शर्त यह है कि इस समझौते में किसी भी प्रावधान द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित या अन्यथा परिकल्पित के अलावा, प्रत्येक शेयरधारक को उस इक्विटी शेयर के प्रतिशत के संबंध में वोट देने के तरीके पर पूर्ण विवेक होगा जो ऐसा शेयरधारक रखता है या रियायतग्राही के संचालन में कार्य करने के लिए ऐसे शेयरधारक द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को कैसे निर्देशित किया जाए, जो केवल लागू कानूनों के अधीन होगा।

4.2.3 यदि खंड 5.2 के अनुसरण में किसी शेयरधारक द्वारा नामित कोई निदेशक, किसी भी कारण से इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार अपने विवेक का प्रयोग करने से इनकार करता है, तो ऐसा शेयरधारक तुरंत ऐसे निदेशक को प्रतिस्थापित (substitute) करने के लिए अपनी शक्ति या नियंत्रण के भीतर सभी कार्रवाई करेगा।

4.2.4 पक्ष सहमत हैं कि चार्टर दस्तावेज, लागू कानूनों के तहत अनुमेय सीमा तक, इस समझौते के प्रावधानों को शामिल करेंगे, जिसमें प्राधिकरण के सकारात्मक वोट के अधिकार को सीमित किए बिना शामिल है, और जिस सीमा तक चार्टर दस्तावेज समझौते के साथ असंगत हैं, शेयरधारक ऐसी किसी भी असंगति को दूर करने के लिए लागू कानून के तहत अनुमेय सीमा तक चार्टर दस्तावेजों में संशोधन सुनिश्चित करने के लिए रियायतग्राही के शेयरधारकों के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा, पक्ष यह भी सहमत हैं कि प्रवर्तक रियायतग्राही के शेयरधारकों के रूप में अपने अंतर-संबंधों को विनियमित करने के लिए आपस में कोई भी समझौता ('प्रवर्तक समझौता' / Promoter's Agreement) कर सकते हैं, शर्त यह है कि ऐसे प्रवर्तक समझौते के प्रावधान इस समझौते के प्रावधानों के विपरीत या असंगत नहीं होंगे, या इस समझौते और/या रियायत समझौते के तहत प्राधिकरण के हित के लिए किसी भी तरह से हानिकारक नहीं होंगे और लागू कानूनों के तहत अनुमेय होंगे। पक्षों के बीच इसके द्वारा स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि प्रवर्तक समझौते और इस समझौते के बीच संघर्ष या असंगति की स्थिति में, इस समझौते के प्रावधान प्राथमिकता लेंगे।

4.2.5 प्रवर्तक इसके द्वारा रियायतग्राही के साथ परियोजना से संबंधित सभी दायित्वों और देनदारियों के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग जिम्मेदार होने का वचन देता है, जब तक कि रियायत समझौते के अनुसार परियोजना के लिए वित्तीय समापन (Financial Close) प्राप्त नहीं हो जाता।

5. प्रबंधन और निदेशक मंडल (MANAGEMENT AND THE BOARD OF DIRECTORS)

5.1 प्रबंधन (Management)

रियायतग्राही का प्रबंधन और संचालन बोर्ड के समग्र अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के तहत किया जाएगा। बोर्ड के पास रियायतग्राही और परियोजना के विकास और प्रबंधन के संबंध में समग्र अधिकार होगा। रियायतग्राही के अधिकारियों के पास निदेशक मंडल द्वारा निर्दिष्ट अधिकार और जिम्मेदारियां होंगी, जो चार्टर दस्तावेजों और इस समझौते के अनुकूल हों।

5.2 बोर्ड की संरचना (Composition of the Board)

5.2.1 बोर्ड की संरचना निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी:

(क) प्राधिकरण हर समय प्राधिकरण के शेयर के अनुपात में रियायतग्राही के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी पसंद के व्यक्ति (व्यक्तियों) को नामित करने का हकदार होगा, और ऐसे नामांकन पर, रियायतग्राही लागू कानूनों के अनुसार ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) को गैर-निवृत्त निदेशक (non-retiring Director) के रूप में नियुक्त करेगा।

(ख) प्राधिकरण के अलावा अन्य शेयरधारकों को आनुपातिक शेयर (Pro-Rata Share) के आधार पर शेष निदेशकों को नामित करने का अधिकार है। शर्त यह है कि यदि कोई शेयरधारक कोई अनुसूचित एयरलाइंस, कार्गो एयरलाइंस और/या उनके संबंधित सहयोगी (Associates) हैं, तो ऐसा शेयरधारक रियायतग्राही के बोर्ड में किसी भी निदेशक को नियुक्त करने का हकदार नहीं होगा।

(ग) अध्यक्ष (Chairman), प्रबंध निदेशक (Managing Director) और पूर्णकालिक निदेशक (Whole-time Director) रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे और अपनी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार पद धारण करेंगे।

5.2.2 शेयरधारक इसके द्वारा रियायतग्राही में अपनी संबंधित शेयरधारिता पर इस तरह से वोट देने के लिए स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं ताकि समय-समय पर निदेशकों के रूप में प्राधिकरण और प्रवर्तक के नामित व्यक्ति (व्यक्तियों) की नियुक्ति सुनिश्चित की जा सके।

5.3 अध्यक्ष (Chairman)

पक्ष इसके द्वारा वचन देते हैं और सहमत होते हैं कि प्रवर्तक को रियायतग्राही के अध्यक्ष को नामित करने का अधिकार है, जो बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह एक कार्यकारी अध्यक्ष (executive Chairman) हो सकता है। अध्यक्ष कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शक्तियों का प्रयोग करेगा और परियोजना के सफल कार्यान्वयन की देखरेख करेगा।

5.4 प्रबंध निदेशक (Managing Director)

5.4.1 प्रवर्तक रियायतग्राही के प्रबंध निदेशक को भी नामित करेगा, जिसे बोर्ड के प्रस्ताव के बाद बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

5.4.2 प्रबंध निदेशक रियायतग्राही के दैनिक प्रबंधन और परियोजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा। प्रबंध निदेशक बोर्ड के समग्र अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

5.5 योग्यता (Qualification)

निदेशकों को रियायतग्राही में कोई योग्यता शेयर (qualification shares) रखने की आवश्यकता नहीं है।

5.6 त्यागपत्र और निष्कासन (Resignation and removal)

जहां लागू कानूनों या चार्टर दस्तावेजों के तहत किसी निदेशक को पद छोड़ना आवश्यक है, उसे छोड़कर, किसी भी निदेशक को उस अवधि के दौरान नहीं हटाया जाएगा जिसके लिए उसे बोर्ड में उसकी नियुक्ति की सिफारिश करने वाले शेयरधारक की सहमति के बिना चुना गया था। पूर्वगामी के होते हुए भी, एक शेयरधारक ऐसे शेयरधारक द्वारा नामित किसी भी निदेशक को किसी भी कारण से हटाने, प्रतिस्थापन या वापस बुलाने की मांग कर सकता है और ऐसा निदेशक हटाने, प्रतिस्थापन या वापस बुलाने के निर्देश से बाध्य होगा। प्रत्येक शेयरधारक ऐसे निष्कासन को प्रभावी बनाने के लिए और यदि आवश्यक हो तो उसके पक्ष में वोट देने के लिए रियायतग्राही के शेयरधारकों की बैठक बुलाने में अन्य शेयरधारकों के साथ सहयोग करने के लिए सहमत है।

5.7 वैकल्पिक निदेशक (Alternate Director)

5.7.1 प्रबंध निदेशक के अलावा एक निदेशक ("मूल निदेशक" / Original Director), किसी भी समय और समय-समय पर मूल निदेशक के वैकल्पिक ("वैकल्पिक निदेशक" / Alternate Director) के रूप में कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने का हकदार होगा (और शेयरधारक यह सुनिश्चित करेंगे कि बोर्ड ऐसे व्यक्ति को उसके वैकल्पिक निदेशक के रूप में नियुक्त करे) और ऐसे वैकल्पिक निदेशक की नियुक्ति को समाप्त करने का निर्देश देने का हकदार होगा।

5.7.2 वैकल्पिक निदेशक, इस तरह के पद पर रहते हुए, बोर्ड या उसकी किसी समिति की बैठकों के नोटिस प्राप्त करने का हकदार होगा, जिसमें मूल निदेशक को नियुक्त किया गया है, और ऐसी किसी भी बैठक में उपस्थित होने और निदेशक के रूप में वोट देने का हकदार होगा जिसमें मूल निदेशक उपस्थित नहीं है और सामान्य रूप से सभी शक्तियों, अधिकारों (खंड 5.7.1 में यथा उपबंधित वैकल्पिक निदेशक नियुक्त करने के अधिकार के अलावा), कर्तव्यों और अधिकारों का प्रयोग करने तथा मूल निदेशक के सभी कार्यों को निष्पादित करने का हकदार होगा। इसके अलावा, ऐसा वैकल्पिक निदेशक कोरम (quorum) गठित करने के उद्देश्य से गिना जाने, वोट का प्रयोग करने और बोर्ड या उसकी किसी समिति की किसी भी बैठक में मूल निदेशक की ओर से एक लिखित प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने का हकदार होगा और लागू कानूनों द्वारा अनुमत सीमा तक उसके हस्ताक्षर, वोट, उपस्थिति और सहमति को उसकी स्वयं

की (जैसे कि वह अपने अधिकार में एक निदेशक है) और मूल निदेशक की सहमति माना जाएगा जिसके लिए वह एक वैकल्पिक निदेशक है।

5.8 रिक्ति (Vacancy)

यदि किसी भी कारण से ऐसे किसी पद में रिक्ति होती है, या कोई निदेशक उस स्थान से लगातार 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है जहां बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं और उसके स्थान पर कोई वैकल्पिक निदेशक नियुक्त नहीं किया गया है, तो ऐसे निदेशक को नामित करने वाला शेयरधारक एक प्रतिस्थानी निदेशक (replacement Director) को नामित करने का हकदार होगा, और शेयरधारक ऐसे निदेशक को हटाने और ऐसे प्रतिस्थानी निदेशक के चुनाव के लिए सर्वसम्मति से अपने शेयरों पर वोट देने के लिए सहमत हैं।

5.9 बोर्ड बैठक के संचालन का तरीका (Mode of conduct of Board meeting)

बोर्ड की बैठकें भारत में ऐसे स्थानों पर प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएंगी जैसा कि बोर्ड निर्धारित कर सकता है, और ऐसा कोई निर्धारण न होने पर, रियायतग्राही के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएंगी। जब भी लागू कानूनों के तहत अनुमति दी जाती है, एक निदेशक टेलीफोन, ऑडियो और/या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या किसी अन्य संचार सुविधाओं के माध्यम से बोर्ड की बैठक या बोर्ड की किसी समिति/उप-समिति की बैठक में भाग ले सकता है, और इस तरह के साधनों द्वारा ऐसी बैठक में भाग लेने वाले निदेशक को इस समझौते के उद्देश्यों के लिए उस बैठक में उपस्थित माना जाएगा। बोर्ड या उसकी कोई भी समिति या उप-समिति, रियायतग्राही की सामान्य बैठक (General Meeting) में प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किए बिना कभी भी आरक्षित मामलों में से किसी से भी नहीं निपटेगी। किसी भी आरक्षित मामले (Reserved Matters) को किसी भी समय बोर्ड या उसकी किसी समिति और/या उप-समिति को सौंपित/प्रत्यायोजित (delegated) नहीं किया जाएगा।

5.10 बैठक के लिए नोटिस और एजेंडा (Notice and Agenda for meeting)

5.10.1 जब तक कि सभी निदेशकों द्वारा नोटिस की आवश्यकता को माफ न कर दिया जाए, बोर्ड की बैठकों का न्यूनतम 14 (चौदह) दिनों का लिखित नोटिस (या ऐसा छोटा समय जैसा कि सभी निदेशक सहमत हों) सभी निदेशकों और उनके वैकल्पिक निदेशकों को दिया जाएगा। बोर्ड की बैठक के प्रत्येक नोटिस में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रासंगिक बैठक में चर्चा किए जाने वाले मामलों का पर्याप्त विवरण देते हुए एक एजेंडा शामिल होगा, और इसके साथ सभी आवश्यक लिखित जानकारी संलग्न होगी।

5.10.2 बोर्ड केवल निदेशकों को दिए गए नोटिस के साथ आए एजेंडे में निर्धारित व्यवसाय का ही संचालन करेगा। हालांकि, शर्त यह है कि सभी निदेशकों की सर्वसम्मति से सहमति के साथ, और प्राधिकरण द्वारा नामित निदेशक की उपस्थिति और पक्ष में वोट देने के साथ, बोर्ड ऐसे व्यवसाय का संचालन कर सकता है जो एजेंडे में निर्धारित नहीं है।

5.11 बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम (Quorum for Board meetings)

5.11.1 बोर्ड की बैठकों या उसके किसी स्थगन (adjournment) के लिए कोरम में अनिवार्य रूप से प्राधिकरण द्वारा नामित कम से कम 1 (एक) निदेशक शामिल होगा, जब तक कि बोर्ड की किसी विशेष बैठक या उसके किसी स्थगन के लिए प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में छूट न दी गई हो।

5.11.2 उन बैठकों में निपटाए गए व्यवसाय के सभी सामान या लिए गए निर्णय जहां कोरम इस प्रकार गठित नहीं है, शून्य और अमान्य (null and void) होंगे।

5.12 बोर्ड की समितियां (Committees of the Board)

यदि बोर्ड एक समिति या उप-समिति का गठन करना आवश्यक पाता है, तो बोर्ड ऐसी समिति या उप-समिति की शक्तियों (दायरा, समाप्ति, संशोधन और उसे वापस लेने सहित) को निर्धारित करेगा। समिति या उप-समिति बोर्ड के अधीक्षण के अधीन और अधीन होगी। इसमें निहित इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण को बोर्ड द्वारा गठित प्रत्येक समिति और उप-समिति में अपने नामित व्यक्ति को नामित करने का अधिकार है।

5.13 निर्णय (Decisions)

5.13.1 कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, निदेशक मंडल का एक प्रस्ताव उस बैठक में उपस्थित निदेशकों के साधारण बहुमत के सकारात्मक वोट द्वारा अपनाया जाएगा, जिसमें निदेशक मंडल का कोरम मौजूद हो।

5.13.2 रियायतग्राही या उसका कोई निदेशक, अधिकारी, एजेंट या प्रतिनिधि सामान्य बैठक में ऐसे मामले पर प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी आरक्षित मामले को नहीं उठाएगा, और रियायतग्राही या उसके किसी निदेशक, अधिकारी, एजेंट या प्रतिनिधि द्वारा ऐसे पूर्व अनुमोदन के बिना किया गया कोई भी कार्य शून्य और अमान्य होगा।

5.14 सर्कुलेशन द्वारा प्रस्ताव (Resolution by circulation)

लागू कानूनों के अधीन और आरक्षित मामलों के अलावा अन्य मामलों के लिए, बोर्ड के प्रस्ताव सर्कुलेशन द्वारा पारित किए जा सकते हैं, यदि प्रस्ताव प्रारूप में, आवश्यक कागजात (यदि कोई हो) के साथ, सभी निदेशकों (जो भारत में हों या भारत से बाहर) को प्रसारित किया गया है और निदेशकों के बहुमत द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। ऐसे प्रस्तावों पर निदेशकों द्वारा एकल दस्तावेज के रूप में या प्रतियों (counterparts) में हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।

5.15 प्राधिकरण / अधिकार (Authority)

जब तक कि बोर्ड द्वारा अन्यथा अधिकृत न किया जाए, निदेशकों में से किसी को भी व्यक्तिगत रूप से रियायतग्राही को बाध्य करने का अधिकार नहीं होगा।

5.16 निदेशकों की अयोग्यता (Disqualification of Directors)

लागू कानूनों के अधीन, किसी निदेशक को किसी अन्य कॉर्पोरेट निकाय का अधिकारी, निदेशक या शेयरधारक होने के कारण सेवा करने के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा।

5.17 निरीक्षण और जानकारी (Inspection and information)

5.17.1 रियायतग्राही, चरण 1 सीओडी (Phase 1 COD) के प्रभावी होने से, शेयरधारकों (यानी प्राधिकरण और प्रवर्तक) को, प्रत्येक माह के पूरा होने के 7 (सात) दिनों के भीतर, रियायत समझौते की अनुसूची K में निर्धारित प्रारूप में एक विवरण प्रस्तुत करेगा, साथ ही अन्य सभी विवरण भी देगा जो प्राधिकरण या प्रवर्तक द्वारा उचित रूप से मांगे जाएं।

5.17.2 रियायतग्राही अपनी सभी प्राप्तियों (हवाई अड्डे और/या इसके उपयोग से या उसके खाते से प्राप्त/एकत्रित सभी सकल राजस्व / Gross Revenue और अन्य राजस्व सहित), आय, व्यय, भुगतान (एस्करो खाते / Escrow Account से भुगतान सहित), परिसंपत्तियों और देनदारियों को दर्ज करने वाली लेखा पुस्तकें, रियायत समझौते, अच्छी उद्योग प्रथाओं (Good Industry Practice), लागू कानूनों और लागू परमिटों के अनुसार बनाए रखेगा। रियायतग्राही अपने तुलन पत्र (balance sheet), नकद प्रवाह विवरण (cash flow statement) और लाभ और हानि खाते (profit and loss account) की 2 (दो) प्रतियां, अपने वैधानिक लेखा परीक्षकों (Statutory Auditors) की एक रिपोर्ट के साथ (लागू कानूनों के अनुसार लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार), उस लेखा वर्ष के बंद होने के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर प्रदान करेगा जिससे वे संबंधित हैं। प्राधिकरण और प्रवर्तक को, या तो स्वयं या अपने किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, कार्यालय समय के दौरान रियायतग्राही के अभिलेखों का निरीक्षण करने और लेखा पुस्तकों के प्रासंगिक उद्धरणों की प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार है, जो वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित हों।

5.17.3 रियायतग्राही, किसी लेखा वर्ष की प्रत्येक तिमाही के बंद होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, प्राधिकरण और प्रवर्तक को पिछली तिमाही के संबंध में अपने अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (unaudited financial results) प्रस्तुत करेगा, जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा त्रैमासिक परिणामों के प्रकाशन के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) द्वारा निर्धारित तरीके और प्रारूप में होंगे।

5.17.4 प्रत्येक वर्ष के मई के 31 (इकतीसवें) दिन या उससे पहले, रियायतग्राही प्राधिकरण और प्रवर्तक को, पिछले लेखा वर्ष के लिए, अपने वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित एक विवरण प्रदान करेगा, जिसमें (a) हवाई अड्डे का उपयोग करने वाले और शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी उपयोगकर्ताओं (Users) की प्रत्येक श्रेणी के लिए यातायात गणना (traffic count), (b) लिया गया और प्राप्त किया गया शुल्क, हवाई अड्डे से प्राप्त सकल राजस्व और अन्य राजस्व, और (c) ऐसी अन्य जानकारी जिसका प्राधिकरण या प्रवर्तक उचित रूप से अनुरोध कर सकते हैं, पर संक्षिप्त जानकारी दी गई हो।

6. शेयरधारकों के अधिकार और दायित्व (SHAREHOLDERS' RIGHTS AND OBLIGATIONS)

6.1 सामान्य बैठक और शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता वाले मामले (General meeting and matters requiring the approval of Shareholders)

6.1.1 बोर्ड जब भी उचित समझे, रियायतग्राही की सामान्य बैठक (General Meeting) बुला सकता है। यदि कंपनी अधिनियम और चार्टर दस्तावेजों के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही के शेयरधारकों द्वारा मांग की जाती है, तो बोर्ड एक सामान्य बैठक बुलाने के लिए आगे बढ़ेगा।

6.1.2 इस समझौते और चार्टर दस्तावेजों में निहित इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण के अधिकृत प्रतिनिधि के सकारात्मक वोट द्वारा अनुमोदित किए बिना, आरक्षित मामले के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा और कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पक्ष विशेष रूप से सहमत हैं कि आरक्षित मामलों से संबंधित प्रस्ताव केवल शेयरधारकों की बैठक में पारित किया जाएगा न कि सर्कुलेशन के माध्यम से।

6.1.3 शेयरधारकों की किसी भी बैठक या उसके किसी स्थगन के लिए कोरम में अनिवार्य रूप से प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि शामिल होगा, यदि ऐसी बैठक में किसी आरक्षित मामले पर विचार किया जाना है, और ऐसी बैठक में किसी भी आरक्षित मामले पर विचार नहीं किया जाएगा यदि प्राधिकरण का प्रतिनिधि ऐसी बैठक में उपस्थित नहीं है, जब तक कि शेयरधारकों की किसी विशेष बैठक या उसके किसी स्थगन के लिए प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में छूट न दी गई हो।

6.1.4 उन बैठकों में निपटाए गए व्यवसाय के सभी सामान या लिए गए निर्णय जहां कोरम इस प्रकार गठित नहीं है, शून्य और अमान्य होंगे।

7. वचनबद्धताएं, प्रतिनिधित्व और वारंटियां (UNDERTAKINGS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES)

7.1 प्रत्येक प्रवर्तक इसके द्वारा प्राधिकरण, रियायतग्राही के लाभ के लिए वारंटी देता है और प्रतिनिधित्व करता है कि:

(क) यह कानून के तहत विधिवत गठित और वैध रूप से मौजूदा है और इसके पास इस समझौते को निष्पादित करने और इसके नियमों, शर्तों और प्रावधानों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कानूनी शक्ति और अधिकार हैं;

(ख) प्रवर्तक द्वारा इस समझौते का निष्पादन और वितरण सभी आवश्यक कॉर्पोरेट और अन्य कार्रवाई द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया है, और यह किसी भी अन्य समझौते या साधन के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करेगा या चूक का गठन नहीं करेगा, जिसका वह एक पक्ष है या जिसके द्वारा वह बाध्य हो सकता है;

(ग) यह समझौता और इसके द्वारा परिकल्पित लेनदेन के संबंध में दर्ज किए गए और किए गए अन्य सभी समझौते और लिखित दायित्व, जिसमें वह एक पक्ष है, प्रवर्तक के वैध और कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्वों का गठन करते हैं या निष्पादन और वितरण के बाद गठित करेंगे, जो इसकी संबंधित शर्तों के अनुसार इसके खिलाफ लागू करने योग्य हैं, जो लागू दिवालियापन, दिवाला, पुनर्गठन

और लेनदारों के अधिकारों के प्रवर्तन को सामान्य रूप से प्रभावित करने वाले अन्य कानूनों के उपचार के प्रवर्तन के अधीन हैं और विशिष्ट प्रदर्शन या अन्य न्यायसंगत उपचार का आदेश देने वाली डिक्री देने के संबंध में न्यायालय के विवेकपूर्ण अधिकार के अधीन हैं;

(घ) यह दिवालिया नहीं है और इसके द्वारा या इसके खिलाफ कोई दिवाला कार्यवाही शुरू नहीं की गई है, न ही धमकी दी गई है या लंबित है;

(ङ) इसने सभी सामग्री के संबंध में लागू कानूनों का अनुपालन किया है और किसी भी जुर्माना, दंड, निषेधाज्ञा राहत या किसी अन्य नागरिक या आपराधिक देनदारियों के अधीन नहीं रहा है, जिसका कुल मिलाकर इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को निभाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव (Material Adverse Effect) पड़ता है या पड़ सकता है; और

(च) किसी भी अदालत, आयोग, मध्यस्थ या सरकारी प्राधिकरण के समक्ष या उसके द्वारा कानून, इकिटी में या अन्यथा, चाहे वह नागरिक हो या आपराधिक प्रकृति का हो, इसके खिलाफ लिखित रूप में कोई कार्रवाई, मुकदमा, दावा, कार्यवाही या जांच लंबित या प्रवर्तक के सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार धमकी नहीं दी गई है, और ऐसी किसी भी अदालत, आयोग, मध्यस्थ या सरकारी प्राधिकरण के कोई बकाया निर्णय, डिक्री या आदेश नहीं हैं, जो इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को निभाने की इसकी क्षमता को महत्वपूर्ण और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं।

7.2 प्रवर्तक और रियायतग्राही में से प्रत्येक इसके द्वारा प्राधिकरण के लाभ के लिए अपरिवर्तनीय रूप से वचन देता है, वारंटी देता है और प्रतिनिधित्व करता है कि:

(क) इस समझौते और रियायत समझौते के तहत प्राधिकरण में निहित अधिकारों को प्रवर्तक या रियायतग्राही द्वारा किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी भी कार्य द्वारा संक्षिप्त, निरस्त या किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया जाएगा; और

(ख) रियायतग्राही में इकिटी का कोई भी विनिवेश (divestment) इसमें प्राधिकरण के अधिकारों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा और रियायतग्राही के उत्तराधिकारी, समनुदेशिती (assigns) और प्रतिस्थापकी (substitutes) ऐसे वचन से बाध्य होंगे।

7.3 प्राधिकरण इसके द्वारा रियायतग्राही और प्रवर्तक के लाभ के लिए वारंटी देता है और प्रतिनिधित्व करता है कि उसके पास इस समझौते को निष्पादित करने और इसके नियमों, शर्तों और प्रावधानों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कानूनी शक्ति और अधिकार हैं।

8. समाप्ति (TERMINATION)

8.1 समाप्ति (Termination)

पक्ष सहमत हैं कि यदि कोई शेयरधारक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रियायतग्राही के किसी भी इकिटी शेयर को धारण करना बंद कर देता है, तो यह समझौता ऐसे शेयरधारक के संबंध में स्वतः समाप्त हो जाएगा। हालांकि, शर्त यह है कि गोपनीयता (खंड 9) और विवाद समाधान (खंड 10) से संबंधित इस

समझौते के तहत ऐसे शेयरधारक के दायित्व और इस समझौते के ऐसे अन्य प्रावधान जो अपनी प्रकृति से जीवित रहने के लिए बने हैं, इस समझौते की किसी भी समाप्ति के बाद भी जीवित रहेंगे।

8.2 कारण से समाप्त करने का अधिकार (Right to terminate for cause)

8.2.1 किसी शेयरधारक ("चूक करने वाला पक्ष" / Defaulting Party) की ओर से इस समझौते के नियमों और शर्तों या इसमें निर्धारित किसी भी नियम, प्रतिनिधित्व, वारंटी या समझौते के किसी महत्वपूर्ण उल्लंघन ("महत्वपूर्ण उल्लंघन" / Material Breach) की स्थिति में, कोई अन्य शेयरधारक ("गैर-चूककर्ता पक्ष" / Non-Defaulting Party) चूक करने वाले पक्ष को कथित उल्लंघन का लिखित नोटिस ("उल्लंघन नोटिस" / Breach Notice) दे सकता है।

8.2.2 एक समाप्ति घटना ("समाप्ति घटना" / Termination Event) घटी मानी जाएगी यदि ऐसा महत्वपूर्ण उल्लंघन, यदि उचित रूप से ठीक करने में सक्षम है, तो उल्लंघन नोटिस प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर ("क्यूर अवधि" / Cure Period) चूक करने वाले पक्ष द्वारा ठीक नहीं किया जाता है, या यदि ऐसा महत्वपूर्ण उल्लंघन उचित रूप से ठीक करने में सक्षम नहीं है, तो उल्लंघन नोटिस जारी होने के तुरंत बाद घटी मानी जाएगी।

8.2.3 प्रवर्तक की ओर से समाप्ति घटना के घटित होने पर, प्राधिकरण, अपने विवेक से, प्रवर्तक से उसके द्वारा धारित सभी (लेकिन सभी से कम नहीं) इक्विटी शेयरों को प्राधिकरण को हस्तांतरित करने की मांग कर सकता है, जो इक्विटी शेयरों के बाजार मूल्य या उसके अंकित मूल्य (par value) के 25% (पच्चीस प्रतिशत) में से जो भी कम हो, पर होगा और ऐसे शेयरों का हस्तांतरण इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा नोटिस की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर रियायतग्राही के पंजीकृत कार्यालय में होगा।

9. गोपनीयता (CONFIDENTIALITY)

9.1 पक्ष इसके द्वारा स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि उनमें से प्रत्येक के पास ऐसी जानकारी है और रहेगी जो उनके द्वारा बनाई गई, खोजी गई, विकसित की गई या अन्यथा जानी गई और स्वामित्व में है, जिस जानकारी का उस व्यवसाय में वाणिज्यिक मूल्य है जिसमें वे लगे हुए हैं या संलग्न हो सकते हैं (पूर्वोक्त जानकारी को इसके बाद "स्वामित्व जानकारी" / Proprietary Information कहा गया है)। पक्ष सहमत हैं कि इस समझौते की शर्तों के दौरान और इसके समापन या समाप्ति के बाद, उनमें से प्रत्येक दूसरी पार्टी से प्राप्त सभी स्वामित्व जानकारी को गोपनीय रखेगा, और वे दूसरी पार्टी (पक्षों) की लिखित सहमति के बिना किसी भी ऐसी स्वामित्व जानकारी या उससे सीधे संबंधित किसी भी चीज़ का उपयोग या खुलासा नहीं करेंगे।

9.2 किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति की स्थिति में, पक्ष तुरंत, ऐसी स्वामित्व जानकारी के मालिक के निर्देश पर, ऐसी पार्टी के स्वामित्व वाली स्वामित्व जानकारी से संबंधित किसी भी प्रकृति के सभी दस्तावेजों और डेटा का उपयोग बंद कर देंगे, नष्ट कर देंगे या मालिक को वापस कर देंगे, और किसी भी विवरण के दस्तावेज या डेटा या किसी भी विवरण की प्रतिकृति जिसमें कोई स्वामित्व जानकारी शामिल है या उससे संबंधित है, किसी और को नहीं रखेंगे या नहीं देंगे।

9.3 हालाँकि, यह खंड उस जानकारी पर लागू नहीं होगा जो:

- (क) किसी भी पक्ष की गलती के बिना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है या हो जाती है;
- (ख) प्रकटीकरण से पहले गैर-गोपनीय आधार पर किसी भी पक्ष को ज्ञात थी;
- (ग) स्वामित्व जानकारी के उपयोग के बिना किसी भी पक्ष द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित की गई है;
- (घ) बिना किसी प्रतिबंध के तीसरे पक्ष (Third Party) को मालिक द्वारा खुलासा किया जाता है;
- (ङ) तृतीय पक्ष अंतरितियों (Third Party transferees) को प्रकटीकरण की अनुमति देने वाले अन्य प्रावधानों के अनुसार खुलासा किया जाता है, बशर्ते कि प्राप्तकर्ता केवल उसी उद्देश्य के लिए जानकारी का उपयोग करने के लिए गोपनीयता उपक्रम (confidentiality undertaking) निष्पादित करे;
- (च) लागू कानूनों की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए खुलासा किया जाता है, जिसमें रियायतग्राही या किसी संस्था के स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग की कोई आवश्यकताएं शामिल हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इक्विटी शेयर रखती है;
- (छ) पक्षों के किसी भी सलाहकार (कानूनी, वित्तीय, तकनीकी या अन्यथा) को खुलासा किया जाता है, बशर्ते कि प्राप्तकर्ता केवल बताए गए उद्देश्य के लिए जानकारी का उपयोग करने के लिए एक गोपनीयता उपक्रम निष्पादित करे।

9.4 शेयरधारक एक-दूसरे के साथ और रियायतग्राही के साथ सहमत होते हैं कि वे अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेंगे और रियायतग्राही से उसके सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करवाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रियायतग्राही के व्यवसाय के संबंध में खुलासा की गई सभी जानकारी, जो अन्यथा सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं है, गोपनीय रखी जाएगी और उसका खुलासा नहीं किया जाएगा।

10. शासी कानून और क्षेत्राधिकार की सहमति, मध्यस्थता (GOVERNING LAW AND CONSENT TO JURISDICTION, ARBITRATION)

10.1 शासी कानून (Governing Law)

यह समझौता और इसके अर्थनिर्वचन (interpretation) के सभी प्रश्नों का अर्थ भारत के कानूनों के अनुसार लगाया जाएगा।

10.2 क्षेत्राधिकार (Jurisdiction)

खंड 10.3 के अधीन, राज्य के न्यायालयों के पास इस समझौते पर विशेष क्षेत्राधिकार (exclusive jurisdiction) होगा।

10.3 मध्यस्थता (Arbitration)

10.3.1 पक्ष सहमत हैं कि वे पक्षों के बीच इस समझौते (इसके अर्थनिर्वचन सहित) के तहत या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे, विवाद, अंतर या असहमति ("विवाद" / Disputes) को सद्भावनापूर्ण परामर्श (good faith consultation) के माध्यम से हल करने का प्रयास करेंगे, और एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को इस तरह के परामर्श के लिए लिखित अनुरोध देने के तुरंत बाद ऐसा परामर्श शुरू होगा; शर्त यह है कि यदि ऐसे सद्भावनापूर्ण परामर्शों के परिणामस्वरूप ऐसे परामर्श शुरू होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर विवाद का समाधान नहीं हुआ है, तो खंड 10.3.2 के प्रावधान लागू होंगे।

10.3.2 कोई भी विवाद, जिसे सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं किया गया है, क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ (sole arbitrator) के संदर्भ द्वारा अंतिम रूप से तय किया जाएगा। ऐसी मध्यस्थता नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी, और मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) के प्रावधानों के अधीन होगी।

10.3.3 मध्यस्थ एक कारण सहित निर्णय (reasoned award) जारी करेगा और ऐसा निर्णय अंतिम होगा और पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थान राज्य की राजधानी होगा और मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

10.3.4 यह समझौता और पक्षों के अधिकार और दायित्व पूर्ण प्रभाव में रहेंगे, इसके तहत किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही में निर्णय आने तक।

11. विविध (MISCELLANEOUS)

11.1 सूचनाएं (Notices)

इस समझौते के तहत दी जाने वाली या की जाने वाली सभी सूचनाएं या अन्य संचार लिखित रूप में होंगे, और उन्हें व्यक्तिगत रूप से वितरित किया जाएगा अथवा कूरियर या पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा, जिसकी एक अतिरिक्त प्रति फ़ैक्स (फ़ैक्सिमिल) या ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी। प्रत्येक पक्ष का सेवा-पता, फ़ैक्स नंबर और ई-मेल पता इसके हस्ताक्षर पृष्ठों पर उसके नाम के नीचे दिया गया है। कोई भी सूचना उसकी वास्तविक प्राप्ति पर प्रभावी होगी, सिवाय इसके कि जहां यह किसी भी दिन शाम 5.30 (साढ़े पांच) बजे के बाद, या सार्वजनिक अवकाश के दिन प्राप्त होती है, तो ऐसी सूचना वास्तविक प्राप्ति की तिथि के बाद वाले पहले कार्य दिवस पर प्राप्त हुई मानी जाएगी। पूर्वाग्रह के बिना, फ़ैक्स या ई-मेल द्वारा सूचना या संचार देने वाला पक्ष उसकी एक प्रति व्यक्तिगत रूप से या कूरियर/पंजीकृत डाक से तुरंत प्राप्तकर्ता को भेजेगा। इसके द्वारा यह सहमति व्यक्त की जाती है कि कोई भी पक्ष सूचना देकर उस पते को बदल सकता है जिस पर उसे ऐसी सूचनाएं और संचार भेजे जाने हैं। ऐसा परिवर्तन तब प्रभावी होगा जब सभी पक्षों को इसकी सूचना मिल जाएगी।

11.2 फ़ोर्स मेज्योर (Force Majeure)

इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, पक्षों के बीच यह स्पष्ट रूप से सहमति बनी है कि इस समझौते के तहत किसी भी पक्ष को अप्रत्याशित घटना (फ़ोर्स मेज्योर) के कारण या उसके एवज में कोई राहत प्रदान नहीं की जाएगी।

11.3 दायित्वों का विशिष्ट निष्पादन (Specific performance of obligations)

इस समझौते के पक्ष सहमत हैं कि, लागू कानूनों (Applicable Laws) के तहत अनुमत सीमा तक, इस समझौते के तहत पक्षों के अधिकार और दायित्व विशिष्ट निष्पादन (Specific Performance) के अधिकार के अधीन होंगे और चूक करने वाले पक्ष (Defaulting Party) के विरुद्ध विशेष रूप से लागू किए जा सकते हैं। पक्ष स्वीकार करते हैं कि इस समझौते के प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन प्रतिकूल रूप से प्रभावित पक्ष ("प्रभावित पक्ष" / Affected Party) को तत्काल अपूरणीय क्षति पहुंचाएगा, जिसके लिए हर्जाने के रूप में देय कोई भी मुआवजा पर्याप्त उपाय नहीं होगा। तदनुसार, पक्ष सहमत हैं कि प्रभावित पक्ष किसी अन्य पक्ष द्वारा इस तरह के उल्लंघन या उल्लंघन की धमकी की स्थिति में सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय से तत्काल और स्थायी निषेधाज्ञा (Injunctive Relief), विशिष्ट निष्पादन या किसी अन्य न्यायसंगत राहत का हकदार होगा। पक्ष सहमति देते हैं कि प्रभावित पक्ष (i) वास्तविक नुकसान साबित करने की आवश्यकता, या (ii) बांड या अन्य प्रतिभूति जमा किए बिना ऐसी निषेधाज्ञा, विशिष्ट निष्पादन या अन्य न्यायसंगत राहत का हकदार होगा। इसमें निहित कुछ भी कानून या साम्या (Equity) में प्रभावित पक्ष के किसी भी उपचार के अधिकार को सीमित नहीं करेगा, जिसमें चूककर्ता पक्ष से नुकसान की वसूली भी शामिल है।

11.4 संपूर्ण समझौता (Entire Agreement)

11.4.1 खंड 11.4.2 के प्रावधानों के अधीन, यह समझौता, इसके सभी अनुलग्नकों (Annexures), अनुसूचियों (Schedules), प्रदर्शों (Exhibits) और संलग्नकों के साथ, इस समझौते की विषय वस्तु के संबंध में पक्षों के बीच संपूर्ण समझौते और समझ का प्रतिनिधित्व करता है और पक्षों के बीच हुए किसी भी पूर्व लिखित या मौखिक समझौते या समझ को रद्द/अतिक्रमित करता है।

11.4.2 इसमें निहित कोई भी बात निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगी:

(क) रियायत समझौते (Concession Agreement) के प्रावधानों को प्रभावित करना;

(ख) प्रवर्तक (Promoter) को रियायतग्राही (Concessionaire) में अपनी शेयरधारिता के संबंध में कोई अन्य अंतर-से (inter-se) व्यवस्था करने से रोकना, प्रविशर्त कि ऐसी कोई भी व्यवस्था इस समझौते के तहत या रियायत समझौते के तहत प्राधिकरण (Authority) के अधिकारों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि रियायत समझौते और इस समझौते के प्रावधानों के बीच संघर्ष की स्थिति में, रियायत समझौते के प्रावधान ही मान्य/प्रभावी होंगे।

11.5 संशोधन (Amendments)

इस समझौते के किसी भी प्रावधान का कोई भी संशोधन, परिवर्तन या छूट केवल तब प्रभावी होगी जब वह लिखित रूप में हो और प्रत्येक पक्ष के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित हो।

11.6 पृथक्करणीयता (Severability)

यदि इस समझौते का कोई अनुच्छेद, खंड, अनुभाग या पैराग्राफ, या इसका कोई भाग, या इससे संलग्न/संबद्ध कोई समझौता या दस्तावेज अवैध, सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी अदालत द्वारा अवैध घोषित, या वर्तमान या भविष्य के लागू कानूनों के तहत अप्रवर्तनीय है, तो पक्षों का यह इरादा है कि शेष समझौता या दस्तावेज इससे प्रभावित नहीं होगा, जब तक कि ऐसे प्रावधान को हटाने से यह समझौता किसी पक्ष के लिए प्रतिकूल न हो जाए; ऐसी स्थिति में पक्ष सद्भाव से उन परिवर्तनों पर बातचीत करेंगे जो उस प्रावधान के तहत लाभों और दायित्वों को सर्वोत्तम रूप से बनाए रखें।

11.7 प्रतिरूप (Counterparts)

यह समझौता दो या दो से अधिक प्रतिरूपों (Counterparts) में निष्पादित किया जा सकता है, और प्रत्येक पक्ष द्वारा समान या अलग-अलग प्रतिरूपों पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, लेकिन ये सभी प्रतिरूप मिलकर एक ही विलेख/दस्तावेज माने जाएंगे।

11.8 अधिकार-त्याग / छूट (Waivers)

किसी भी पक्ष द्वारा इस समझौते के उल्लंघन या किसी अन्य पक्ष द्वारा चूक के संबंध में कार्रवाई करने में विफलता, उस पक्ष के समझौते के किसी भी प्रावधान को लागू करने या ऐसे उल्लंघन/चूक या किसी भी

आगामी उल्लंघन के संबंध में कार्रवाई करने के अधिकार का त्याग (Waiver) नहीं माना जाएगा। किसी पक्ष द्वारा इस समझौते के किसी प्रावधान के उल्लंघन या अनुपालन में विफलता की छूट को उस प्रावधान की निरंतर छूट, या किसी अन्य उल्लंघन की छूट नहीं माना जाएगा।

11.9 कोई एजेंसी नहीं (No agency)

यह समझौता किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष के कानूनी प्रतिनिधि या एजेंट के रूप में गठित नहीं करेगा, ना ही किसी पक्ष के पास दूसरे पक्ष के नाम पर या उसकी ओर से कोई देनदारी या दायित्व मानने, बनाने या उत्पन्न करने का अधिकार या प्राधिकार होगा।

11.10 कोई तृतीय-पक्ष लाभार्थी नहीं (No third party beneficiaries)

इस समझौते में व्यक्त या उल्लिखित कुछ भी इसके पक्षों (और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों व अनुमत समनुदेशितों) के अलावा किसी भी संस्था को इस समझौते या इसमें निहित किसी भी प्रावधान के तहत कोई कानूनी या न्यायसंगत अधिकार, उपचार या दावा देने के लिए अभिप्रेत नहीं है।

11.11 एक-दूसरे से तथा रियायतग्राही से पक्षों की स्वतंत्रता (Independence of the Parties with respect of each other and of the Concessionaire)

पक्ष स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रहेंगे। किसी भी पक्ष को दूसरे का एजेंट नहीं माना जाएगा, ना ही उनके पास दूसरे पक्ष या रियायतग्राही की ओर से कोई अनुबंध/दायित्व करने या कोई वारंटी या प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा।

11.12 निष्पक्ष एवं व्यावसायिक संबंध (Arms' length)

एक तरफ प्रत्येक पक्ष और दूसरी तरफ रियायतग्राही के बीच सभी संबंध स्वतंत्र, निष्पक्ष (Arms' length) और प्रतिस्पर्धी शर्तों पर संचालित किए जाएंगे।

11.13 बाधा / ऋणभार (Encumbrance)

पक्ष सहमत हैं कि प्रवर्तक (Promoter) वित्तपोषण समझौतों (Financing Agreements) के तहत वरिष्ठ ऋणदाताओं (Senior Lenders) के पक्ष में या उनके लाभ के लिए और/या हवाई अड्डे के लिए कार्यशील पूंजी व्यवस्था (Working Capital Arrangements) के अलावा रियायतग्राही में अपनी शेयरधारिता पर कोई प्रभार/विबंध (Encumbrance) बनाने के हकदार नहीं होंगे।

11.14 परिणामी नुकसान (Consequential Loss)

इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, किसी भी स्थिति में कोई भी पक्ष, उसके अधिकारी, कर्मचारी या एजेंट किसी अन्य पक्ष के प्रति इस समझौते से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणामी नुकसान (Consequential Loss) के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे (अनुबंध, क्षतिपूर्ति, वारंटी या अपकृत्य/टॉर्ट के आधार पर)। इस प्रावधान के उद्देश्यों के लिए, "परिणामी नुकसान" का अर्थ है कोई भी अप्रत्यक्ष या परिणामी नुकसान (लाभ की हानि, राजस्व की हानि, अनुबंध की हानि, साख की हानि, अन्य

समझौतों के तहत देयता, या तीसरे पक्षों के प्रति देयता सहित) जो ऐसे उल्लंघन के परिणामस्वरूप हुआ हो; तथा इसमें पीड़ित पक्ष के ऋणदाताओं या लेनदारों को समय-समय पर किसी भी राशि का भुगतान या पुनर्भुगतान शामिल है, लेकिन उत्तरदायी पक्ष, उसके अधिकारियों, कर्मचारियों या एजेंटों की लापरवाही के परिणामस्वरूप होने वाली मृत्यु या व्यक्तिगत चोट शामिल नहीं है।

साक्ष्य के रूप में (IN WITNESS WHEREOF) पक्षकारों ने ऊपर लिखी गई तिथि के अनुसार इस समझौते का निष्पादन और वितरण किया है।

रियायतग्राही की सामान्य मुहर को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 20..... को आयोजित अपनी बैठक में पारित संकल्प के अनुसार संलग्न किया गया है, निदेशक की उपस्थिति में इन प्रस्तुतियों पर हस्ताक्षरित किया गया है और कंपनी सचिव/प्राधिकृत अधिकारी जिसने 'उसके प्रतीक में उसी पर प्रतिहस्ताक्षर किए हैं:

हस्ताक्षर (Signature): _____

नाम (Name): _____

पदनाम (Designation): _____

पता (Address): _____

फैक्स नं (Fax No.): _____

ई-मेल (e-mail): _____

महाराष्ट्र नगर एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की ओर से, प्राधिकरण द्वारा, प्राधिकरण की ओर से हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित:

हस्ताक्षर (Signature): _____

नाम (Name): _____

पदनाम (Designation): _____

पता (Address): _____

फैक्स नं (Fax No.): _____

ई-मेल (e-mail): _____

मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, प्रवर्तक (Promoter) की ओर से हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित:

हस्ताक्षर (Signature): _____

नाम (Name): _____

पदनाम (Designation): _____

की उपस्थिति में (In the presence of):

- 1.
- 2.

अनुलग्नक

अनुसूची - एस

अनुपालन विलेख (DEED OF ADHERENCE)

यह अनुपालन विलेख ("Deed") [] में इस _____ दिन _____ 20__ को निष्पादित किया गया है:

द्वारा: [], जो भारत के कानूनों के तहत निगमित एक कंपनी/निगम निकाय है, जिसका पंजीकृत कार्यालय [] पर स्थित है (जिसे "अंतरिती" / "Transferee" कहा गया है)।

जबकि (WHEREAS):

क. प्राधिकरण, प्रवर्तक और रियायतग्राही के बीच 8 जनवरी, 2018 के शेयरधारक समझौते ("Shareholders' Agreement") द्वारा, शेयरधारक रियायतग्राही के शेयरधारकों के रूप में अपने अधिकारों और देनदारियों के पारस्परिक वितरण/विनियमन पर सहमत हुए थे।

ख. शेयरधारक समझौते के खंड 3.2.1 (ii) में यह आवश्यक है कि किसी शेयरधारक द्वारा किसी तीसरे पक्ष को इक्विटी पूंजी में शेयरों के हस्तांतरण के साथ-साथ, ऐसा तीसरा पक्ष इस विलेख का निष्पादन करेगा और शेयरधारक समझौते से बाध्य होगा।

अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्ष्य देता है (NOW THIS DEED WITNESSETH AS FOLLOWS):

1. परिभाषाएं और व्याख्या (Definitions and Interpretation)

इस विलेख में प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित पंजीकृत शब्दों के वही अर्थ होंगे जो शेयरधारक समझौते में दिए गए हैं।

2. वचनबद्धताएं (Undertakings)

अंतरिती इसके द्वारा स्वीकार करता है कि उसे शेयरधारक समझौते, रियायत समझौते और अन्य परियोजना समझौतों की एक प्रति प्राप्त हुई है, तथा उसने इसे पढ़ और समझ लिया है; और यह पुष्टि करता है कि वह शेयरधारक समझौते के सभी प्रावधानों से उसी तरह बाध्य होगा जैसे कि वह इसका मूल पक्ष था।

3. शासी कानून (Governing Law)

यह विलेख भारत के कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्यायित होगा। मध्यस्थता और अन्य नियमों के संबंध में शेयरधारक समझौते की शर्तें इस विलेख में शामिल मानी जाएंगी।

नाम और पदनाम (Name and Title): _____

उपस्थिति में (In the presence of):

गवाह 1: _____

गवाह 2: _____

अनुसूची न (SCHEDULE T)

सीएनएस/एटीएम समझौता (CNS/ATM AGREEMENT)

(खंड 19.2.1 देखें)

[उपयुक्त मूल्य के स्टॉप पेपर पर निष्पादित किया जाना है]

[नोट: यह प्रारूप एएआई (AAI) के अनुमोदन और उसके निष्पादन के समय दिए गए संशोधनों के अधीन होगा।]

यह सीएनएस/एटीएम समझौता ("समझौता") _____ के इस _____ दिन _____ 20____ को निष्पादित किया गया:

किनके बीच:

भारतीय विमानपतन प्राधिकरण (Airports Authority of India), जो भारतीय विमानपतन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत स्थापित है, जिसका मुख्य कार्यालय राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली - 110003 में है और जिसका प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष द्वारा किया जाता है (जिसे इसके बाद "एएआई" कहा गया है);

तथा

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी है (सीआईएन: U45200MH2007PTC169174), जिसका पंजीकृत कार्यालय टर्मिनल

1-बी, सीएसआई एयरपोर्ट, सांताक्रूज़, मुंबई 400099 में है (जिसे इसके बाद "एयरपोर्ट कंपनी" कहा गया है)।

जबकि (WHEREAS):

क. सिडको (CIDCO) ने उड़ान संचालन के लिए हवाई अड्डे के डिजाइन, विकास, वित्तपोषण, निर्माण और संचालन के लिए एयरपोर्ट कंपनी के साथ 8 जनवरी 2018 को एक रियायत समझौता दर्ज किया है।

ख. भारतीय विमानपतन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अनुसार, एएआई भारतीय हवाई क्षेत्र में और भारत के सभी नागरिक हवाई अड्डों पर हवाई यातायात सेवाएं (Air Traffic Services) प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है; तदनुसार सीएनएस/एटीएम सेवाएं रियायत समझौते में 'आरक्षित सेवा' (Reserved Service) के रूप में वर्गीकृत हैं।

ग. एएआई अधिनियम और रियायत समझौते के अनुसार, एएआई इस समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों पर हवाई अड्डे पर हवाई यातायात सेवाएं प्रदान करेगा।

1. परिभाषाएं और व्याख्या (DEFINITIONS AND INTERPRETATION)

1.1 परिभाषाएं (Definitions)

इस समझौते में, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ इस प्रकार होंगे:

- "एएआई अधिनियम" (AAI Act): ऊपर प्रस्तावना (Recital B) में दिया गया अर्थ।
- "एएआई कमीशनिंग सेवाएं" (AAI Commissioning Services): खंड 4.3 के अनुसार एएआई द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं।
- "एएआई उपकरण" (AAI Equipment): प्रासंगिक आईसीएओ (ICAO) अनुलग्नकों के अनुसार एएआई सेवाओं को सक्षम करने के लिए आवश्यक उपकरण।
- "एएआई परिचालन सेवाएं" (AAI Operative Services): खंड 5.1 के अनुसार प्रदान की जाने वाली सेवाएं।
- "एएआई पूर्व-कमीशनिंग सेवाएं" (AAI Pre-Commissioning Services): खंड 3.2 के अनुसार प्रदान की जाने वाली सेवाएं।
- "एएआई सेवाएं" (AAI Services): पूर्व-कमीशनिंग, कमीशनिंग और परिचालन सेवाओं का सामूहिक रूप।
- "प्रभावित पक्ष" (Affected Party): खंड 9.1 में दिया गया अर्थ।
- "संबद्ध / सहबद्ध" (Affiliate): किसी पक्ष की सहायक कंपनी या नियंत्रक इकाई।
- "एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम" (Airfield Lighting System): प्रस्तावित विमान संचालन और एयरोड्रम श्रेणी के लिए आवश्यक रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एप्रोच लाइटिंग सिस्टम।

- "हवाईअड्डा / एयरपोर्ट" (Airport): नवी मुंबई, महाराष्ट्र में चरणों में विकसित किया जाने वाला ग्रीनफील्ड घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
- "एयरपोर्ट कंपनी के कमीशनिंग दायित्व": खंड 4.2 के अनुसार दायित्व।
- "एयरपोर्ट कंपनी के उपकरण": अनुसूची 1 के भाग। में सूचीबद्ध वस्तुएं।
- "एयरपोर्ट कंपनी के दायित्व": पूर्व-कमीशनिंग, कमीशनिंग और परिचालन दायित्व।
- "हवाईअड्डा खोलने की तिथि" (Airport Opening Date): वह तिथि जिस दिन चरण I (Phase I) का वाणिज्यिक संचालन शुरू होता है।
- "हवाईअड्डा खोलने की लक्षित तिथि" (Airport Opening Target Date): नियत तिथि (Appointed Date) के तुरंत बाद 1245वां दिन।
- "शिकागो कन्वेंशन" (Chicago Convention): 1944 का अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सम्मेलन (अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय)।
- "स्वीकृति / क्लीयरेंस" (Clearance): भारत सरकार (GOI) या नागरिक उड्डयन मंत्रालय से प्राप्त कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र, लाइसेंस या अनुमति।
- "सीएनएस/एटीएम सेवाएं" (CNS/ATM Services): संचार, नौवहन और निगरानी तथा हवाई यातायात प्रबंधन सेवाएं (Communication, Navigation and Surveillance and Air Traffic Management Services)।
- "रियायत समझौता" (Concession Agreement): प्रस्तावना A में उल्लेखित समझौता।
- "बकाया ऋण" (Debt Due): रियायत समझौते में दिया गया अर्थ।
- "डीजीसीए" (DGCA): नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, भारत सरकार (Director General of Civil Aviation)।
- "प्रभावी तिथि" (Effective Date): खंड 2.3 में दिया गया अर्थ।
- "ईपीसी ठेकेदार / अनुबंध" (EPC Contractors / Contracts): इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण अनुबंध।
- "विस्तार" (Expansion): मास्टर प्लान के अनुसार हवाई अड्डे की सुविधाओं का विस्तार।
- "सुविधा / परिसर" (Facility): एयर ट्राफिक सर्विसेज कॉम्प्लेक्स जिसमें कंट्रोल टावर, टेक्निकल ब्लॉक, ऑफिस और रडार भवन शामिल हैं।
- "वित्तीय समापन" (Financial Close): वित्तपोषण समझौतों के निष्पादन और शर्तों की पूर्ति की तिथि।

- "भारत सरकार" (GOI): का अर्थ भारत सरकार और नागर विमानन मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण और निर्देशन में इसकी कोई भी विधिवत एजेंसी, प्राधिकरण (किसी भी विनियामक प्राधिकरण सहित), विभाग, निरीक्षणालय, मंत्रालय या सांविधिक व्यक्ति (चाहे स्वायत्त हो या नहीं)।
- "आईसीएओ" (ICAO): शिकागो कन्वेंशन या इसके परवर्ती द्वारा निर्मित अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (International Civil Aviation Organisation)।
- "घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया" (Incident Reporting Procedure): आपात स्थिति और घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए सहमति योग्य प्रक्रिया।
- "हानि" (Loss) का अर्थ है कोई भी हानि, देनदारी, लागत, व्यय, दावे, कार्यवाही, कार्रवाई, मांग, दायित्व, कमी, मुकदमे, निर्णय, निषेधाज्ञा, पुरस्कार या क्षति:
- "मास्टर प्लान" (Master Plan): रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार तैयार योजना।
- "कार्यालय आवास" का अर्थ इस समझौते की अनुसूची 2 में निर्धारित आवास और कार पार्किंग स्थान है;
- "परिचालन रिपोर्टिंग" प्रक्रिया का अर्थ एएआई सेवाओं और हवाईअड्डा कंपनी के दायित्वों से संबंधित प्रावधानों के दिन-प्रतिदिन के निर्वहन के बारे में जानकारी के संचार के लिए समय-समय पर एएआई और हवाईअड्डा कंपनी द्वारा सहमत प्रक्रिया है;
- "कार्मिक" का अर्थ एएआई सेवाओं और सीएनएस/एटीएम सेवाओं का प्रदर्शन करने वाले एएआई कार्मिक हैं;
- "चरण I" का अर्थ है कि हवाईअड्डे के चरण I का डिजाइन, वित्तपोषण, निर्माण, पूरा होना और कमीशनिंग, जैसा कि रियायत समझौते में प्रदान किया गया है,
- "चरण {कमीशनिंग तिथि}" का अर्थ है वह तारीख जिस पर चरण 1 कमीशनिंग अवधि शुरू होगी, जो खंड 4.1 के अनुसार हवाईअड्डा कंपनी द्वारा एएआई को अधिसूचित की गई है;
- "चरण I कमीशनिंग अवधि" का अर्थ है चरण I कमीशनिंग तिथि से शुरू होकर 3 (तीन) महीने की अवधि।
- "आरईएसए / रनवे एंड सेफ्टी एरिया" (RESA): का अर्थ है विस्तारित रनवे केंद्र रेखा के सममित क्षेत्र और पट्टी के अंत से सटे क्षेत्र, जिसका मुख्य उद्देश्य रनवे को अंडरशूटिंग या ओवररनिंग करने वाले हवाई जहाज को नुकसान के जोखिम को कम करना है।
- "मार्ग नौवहन सुविधा शुल्क" (Route Navigation Facilities Charges - RNFC): एएआई द्वारा एयरलाइंस पर लगाया जाने वाला शुल्क।
- "अनुसूचित कमीशनिंग तिथि" का अर्थ खंड 4.1 में दिया गया है;
- "सुरक्षा" में कोई भी बंधक, गिरवी, ग्रहणाधिकार, सुरक्षा हित या अन्य प्रभार या बाधा शामिल है जो काफी हद तक समान आर्थिक प्रभाव का है;

"वरिष्ठ ऋणदाता" का अर्थ है बैंक, वित्तीय संस्थान, ऋण-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और इसी तरह के निकाय जिनके ऋण वित्तपोषण के लिए वित्तपोषण समझौतों के तहत देय हैं (जिसमें इन उद्देश्यों के लिए कोई पुनर्वित्त शामिल होगा) चरण और/या कोई विस्तार, 'बशर्ते कि अनुसूची 5 विस्तार चरण के ऋणदाताओं पर लागू नहीं होगी;

"साइट" का अर्थ वह भूमि है जिस पर हवाईअड्डा कंपनी को रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार हवाईअड्डे का निर्माण किया जाना है;

- "टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग शुल्क" (Terminal Navigational Landing Charges - TNLC): सीएनएस/एटीएम सेवाओं के लिए शुल्क।

1.2 व्याख्या (Interpretation)

इस समझौते में सिवाय उस सीमा तक जहां संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित है:

1.2.1 बड़े अक्षरों से शुरू होने वाले शब्दों के वही अर्थ होंगे जो इस समझौते या रियायत समझौते में दिए गए हैं।

1.2.2 खंडों (Clauses) के संदर्भ इस समझौते के खंडों से हैं।

1.2.3 रियायत समझौते के निर्वचन नियम (Rules of interpretation) यथोचित परिवर्तनों सहित (mutatis mutandis) लागू होंगे।

1.2.4 "निर्णय/न्यायनिर्णयन" में भारतीय क्षेत्राधिकार में अंतिम और बाध्यकारी कोई भी आदेश या निर्णय शामिल है।

1.2.5 "कानून" में सामान्य कानून, भारत का संविधान, अधिनियम, नियम, अधिसूचनाएं और दिशानिर्देश शामिल हैं।

1.2.6

शब्द "लिखित" (written) और "लिखित रूप में" (in writing) के अंतर्गत फ़ैक्स संचार (facsimile transmission) तथा किसी मूर्त एवं स्थायी रूप से दृश्यमान रूप में कार्यों को पुनरुत्पादित करने के सभी साधन शामिल हैं।

2. पूर्ववर्ती शर्तें (CONDITIONS PRECEDENT)

2.1 सेवाओं के लिए पूर्ववर्ती शर्तें (Conditions Precedent to Services)

इस समझौते के प्रावधान (खंड 1, 2, 10 से 12 और 14 सहित अन्य, जो इस समझौते की तिथि से ही पक्षों पर बाध्यकारी होंगे) निम्नलिखित पूर्ववर्ती शर्तों के पूर्ण रूप से संतुष्ट होने की तिथि से प्रभावी और पक्षों पर बाध्यकारी होंगे:

(क) एएआई (AAI) को एयरपोर्ट कंपनी से यह अपरिवर्तनीय सूचना प्राप्त होना कि रियायत समझौता (Concession Agreement) सभी पक्षों द्वारा निष्पादित और वितरित कर दिया गया है तथा उसमें निर्धारित सभी पूर्ववर्ती शर्तें पूरी हो चुकी हैं या छूट दी गई हैं, और यह सूचना पक्षों पर अंतिम एवं बाध्यकारी होगी;

(ख) एएआई को एयरपोर्ट कंपनी से यह अपरिवर्तनीय सूचना प्राप्त होना कि ईपीसी अनुबंध (EPC Contracts) सभी पक्षों द्वारा निष्पादित और वितरित कर दिए गए हैं तथा उसमें निर्धारित सभी पूर्ववर्ती शर्तें (इस समझौते से संबंधित किसी पूर्ववर्ती शर्त को छोड़कर) पूरी हो चुकी हैं या छूट दी गई हैं, और यह सूचना पक्षों पर अंतिम एवं बाध्यकारी होगी;

(ग) एएआई को एयरपोर्ट कंपनी से यह अपरिवर्तनीय सूचना प्राप्त होना कि वित्तीय समापन (Financial Close) हो चुका है, और यह सूचना पक्षों पर अंतिम एवं बाध्यकारी होगी,

बशर्ते कि एएआई और एयरपोर्ट कंपनी के बीच लिखित समझौते द्वारा किसी भी ऐसी पूर्ववर्ती शर्त में छूट दी जा सकती है।

2.2 पूर्ववर्ती शर्तों का गैर-अनुपालन (Non-fulfilment of Conditions Precedent)

2.2.1 गैर-अनुपालन पर समाप्ति (Termination on Non-fulfilment)

यदि खंड 2.1 में निर्धारित पूर्ववर्ती शर्तें इस समझौते की तिथि के बाद ([•]) महीनों की तिथि तक पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होती हैं या छूट नहीं दी जाती हैं, तो एयरपोर्ट कंपनी और एएआई को, खंड 2.2.2 के अधीन रहते हुए, दूसरे पक्ष को 21 (इक्कीस) दिनों का लिखित नोटिस देकर इस समझौते को समाप्त करने का अधिकार होगा और ऐसे नोटिस की समाप्ति पर यह समझौता समाप्त हो जाएगा, बशर्ते कि यदि नोटिस अवधि के दौरान पूर्ववर्ती शर्तें पूरी हो जाती हैं या छूट दे दी जाती हैं तो समझौता खंड 2.1 के तहत विचार किए गए अनुसार लागू होगा।

2.2.2 पूर्ति के लिए समय-विस्तार (Extension of Time for Fulfilment)

खंड 2.2.1 में निर्दिष्ट तिथि से पूर्व किसी भी समय, पक्षों को आपसी सहमति से पूर्ववर्ती शर्तों की संतुष्टि या छूट के लिए तिथि को आगे 3 (तीन) महीनों तक बढ़ाने का अधिकार होगा।

2.3 प्रभावी तिथि (Effective Date)

खंड 2.1 के अधीन रहते हुए, यह समझौता पक्षों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि ("प्रभावी तिथि") से प्रभावी होगा।

3. सेवाओं का दायरा - कमीशनिंग पूर्व चरण (SCOPE OF SERVICES - PRE-COMMISSIONING PHASE)

3.1 एयरपोर्ट कंपनी की कमीशनिंग-पूर्व बाध्यताएं (Airport Company's Pre-Commissioning Obligations)

वित्तीय समापन (Financial Close) के बाद, एयरपोर्ट कंपनी:

(क) चरण 1 कमीशनिंग तिथि से कम से कम 180 (एक सौ अस्सी) दिन पहले अपने स्वयं के खर्च पर सुविधा (Facility) का डिजाइन और निर्माण करेगी, एयर कंडीशनिंग के प्रावधान को छोड़कर जो चरण 1 कमीशनिंग तिथि से 90 (नब्बे) दिन पहले प्रदान किया जाएगा;

(ख) स्थल (Site) पर, या यदि हवाई अड्डे के पहुँच मार्ग से संबंधित आवश्यकता हो तो स्थल से बाहर, अपने स्वयं के खर्च पर एयरपोर्ट कंपनी के उपकरणों का डिजाइन, अधिग्रहण और स्थापना करेगी, जिनका स्वामित्व एयरपोर्ट कंपनी के पास होगा। एएआई एयरपोर्ट कंपनी के उपकरणों के परीक्षण और/या कमीशनिंग के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जो कि एयरपोर्ट कंपनी की जिम्मेदारी होगी। यदि एयरपोर्ट कंपनी द्वारा आवश्यकता हो, तो एयरपोर्ट कंपनी एएआई के साथ कैलिब्रेशन उड़ानों (calibration flights) का समन्वय करेगी ताकि एयरपोर्ट कंपनी अपने उपकरणों का अंशांकन (calibration) कर सके;

(ग) सुविधा के संचालन के लिए आवश्यक और आपस में सहमत पानी, बिजली और एयर-कंडीशनिंग, टेलीफोन, क्रैश अलार्म और अन्य सेवा माध्यमों का प्रावधान अपने खर्च पर स्थापित करेगी;

(घ) यह सुनिश्चित करेगी कि एयरपोर्ट कंपनी के उपकरण चरण 1 कमीशनिंग तिथि तक, या हवाई अड्डे के किसी भी विस्तार के लिए आवश्यक किसी भी अतिरिक्त एयरपोर्ट कंपनी उपकरणों के मामले में, भावी कमीशनिंग तिथि तक, उसके अपने खर्च पर स्थापित, परीक्षण और कमीशन किए जाएं;

(ङ) एएआई उपकरणों और एयरपोर्ट कंपनी के उपकरणों के बीच इंटरफेस की पहचान एएआई के समक्ष करेगी; और

(च) एएआई को हवाई अड्डे या उसके कर्मियों, वाहनों और एजेंटों तक ऐसी पहुँच प्रदान करेगी जो एएआई को एएआई की कमीशनिंग-पूर्व सेवाओं के निष्पादन के लिए तर्कसंगत रूप से आवश्यक हो;

(छ) एयरपोर्ट कंपनी रनवे का डिजाइन तैयार करने और विभिन्न सीएनएस/एटीएम (CNS/ATM) सुविधाओं के स्थान की योजना बनाने से पहले, भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) या उनके द्वारा अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निकटतम भौगोलिक केंद्र से [30] समुद्री मील (Nautical Miles - NMs) के क्षेत्र का सर्वेक्षण कराएगी। उपर्युक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट एएआई को सीएनएस/एटीएम सुविधाओं की स्थिति को अंतिम रूप देने तथा विभिन्न संरचनाओं आदि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने के लिए एएआई की सहमति प्राप्त करते समय सौंपी जाएगी।

3.2 एएआई कमीशनिंग-पूर्व सेवाएं (AAI Pre-Commissioning Services)

वित्तीय समापन के बाद, एएआई:

(क) सुविधा में, स्थल पर, या यदि हवाई अड्डे के पहुँच मार्ग से संबंधित आवश्यकता हो तो स्थल से बाहर एएआई उपकरणों का डिजाइन, खरीद और स्थापना करेगा, जिनका स्वामित्व एएआई के पास होगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि एएआई उपकरण चरण 1 कमीशनिंग तिथि या भावी कमीशनिंग तिथि तक स्थापित, परीक्षण और कमीशन किए जाएं। यदि एयरपोर्ट कंपनी एएआई से आईसीएओ (ICAO) अनुबंधों और दस्तावेजों में निर्धारित आवश्यकताओं से अधिक एएआई उपकरणों को उन्नत (upgrade) करने की मांग करती है, तो ऐसे उपकरणों के उन्नयन की लागत एयरपोर्ट कंपनी द्वारा वहन की जाएगी;

(ग) एएआई और एयरपोर्ट कंपनी के उपकरणों और इंटरफेस के बीच समन्वय और अनुकूलता (compatibility) सुनिश्चित करेगा। किसी भी पक्ष द्वारा इंटरफेस की आवश्यकता के संबंध में, उक्त इंटरफेस की लागत एयरपोर्ट कंपनी द्वारा वहन की जाएगी;

(घ) यदि एयरपोर्ट कंपनी द्वारा आवश्यकता हो, तो एयरपोर्ट कंपनी के खर्च पर, एयरपोर्ट कंपनी के उपकरणों के संबंध में ईपीसी ठेकेदारों द्वारा आयोजित किसी भी बेंचमार्क परीक्षण में भाग लेगा;

(ङ) एयरपोर्ट कंपनी के खर्च पर नक्शे, चार्ट, सर्वेक्षण, आईएएल (IAL) प्रक्रिया तैयार करेगा, स्थल का दौरा करेगा और संबद्ध कार्य करेगा।

3.3 समन्वय (Co-ordination)

एएआई और एयरपोर्ट कंपनी यह स्वीकार करते हैं कि, इस समझौते के खंड 3.1, 3.2, 3.4, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 और 5.3 के तहत अपने दायित्वों का अनुपालन करने के लिए, प्रत्येक पक्ष को दूसरे के साथ समन्वय करने की आवश्यकता होगी और उस प्रभाव के लिए:

(क) वित्तीय समापन के बाद पहले महीने से शुरू करते हुए, पक्ष एक संयुक्त समन्वय समिति-सीएनएस/एटीएम ("JCC-CNS/ATM") की स्थापना करेंगे, जो [बेलापुर, नवी मुंबई] में त्रैमासिक आधार पर या जेसीसी-सीएनएस/एटीएम के किसी भी सदस्य द्वारा बुलाए जाने की आवश्यकता होने पर अधिक नियमित आधार पर बैठक करेगी;

(ख) जेसीसी की अध्यक्षता एयरपोर्ट कंपनी द्वारा की जाएगी;

(ग) जेसीसी-सीएनएस/एटीएम में 4 (चार) सदस्य शामिल होंगे, जिसमें प्रत्येक पक्ष 2 (दो) सदस्यों को नामित और नियुक्त करेगा। यह माना जाएगा कि पक्षों ने जेसीसी-सीएनएस/एटीएम के समक्ष रखे जाने वाले सभी मामलों के संबंध में संबंधित पक्ष का प्रतिनिधित्व करने और उन्हें बाध्य करने का पूरा अधिकार सदस्यों को सौंपा है। समिति के सदस्य अपनी ओर से बैठक में भाग लेने के लिए सदस्यों के वैकल्पिक नामों को नामित और प्रस्तावित भी कर सकते हैं;

(घ) यदि जेसीसी-सीएनएस/एटीएम किसी भी मामले पर पक्षों के लिए संतोषजनक तरीके से निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ है, तो कोई भी पक्ष, प्रथम दृष्टया, ऐसे मामले को एयरपोर्ट कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एएआई के अध्यक्ष को संदर्भित करने का हकदार होगा। यदि उपर्युक्त वरिष्ठ अधिकारी मामला उन्हें संदर्भित किए जाने की तिथि से 15 (पंद्रह) कार्य दिवसों के भीतर मामले को हल करने में असमर्थ रहते हैं, तो कोई भी पक्ष खंड 12 के तहत समाधान के लिए मामला संदर्भित करने का हकदार होगा।

3.4 एएआई के सामान्य दायित्व (AAI's General Obligations)

एएआई इस समझौते के निष्पादन के संबंध में:

(क) ईपीसी ठेकेदारों को और ऐसे समय पर जानकारी प्रदान करेगा और उनके साथ बातचीत करेगा ताकि ईपीसी ठेकेदार हवाई अड्डे के निर्माण के साथ-साथ समय पर, व्यवस्थित, तार्किक और सुसंगत तरीके से सुविधा और कार्यालय आवास का डिजाइन और निर्माण पूरा कर सकें;

(ख) उत्तम उद्योग पद्धतियों (Good Industry Practice) के अनुसार अपने कार्य स्थल पर सुरक्षा और कार्यों की देखभाल के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा;

(ग) किसी भी कारण से हुई देरी के कारण सुविधा और/या कार्यालय आवास के संबंध में आवश्यक किसी भी पुनः-कार्यक्रम (reprogramming) में ईपीसी ठेकेदार का सहयोग करेगा;

(घ) सुविधा और/या कार्यालय आवास के संबंध में प्रगति में तेजी लाने के लिए ईपीसी ठेकेदार द्वारा अपनाए गए किसी भी त्वरण उपायों (acceleration measures) में ईपीसी ठेकेदार का सहयोग करेगा; और

(ङ) सुविधा और/या कार्यालय आवास के डिजाइन या निष्पादन के कारण उत्पन्न आवश्यकता पर या यदि कोई असुरक्षित स्थिति मौजूद है या परिणामी होने की संभावना है, या यदि स्थल पर परिस्थितियों के कारण आवश्यक है, या यदि रियायत समझौते के अनुसार भारत सरकार की किसी कार्रवाई के कारण आवश्यक है, तो एयरपोर्ट कंपनी के आदेश पर सुविधा और/या कार्यालय आवास में कार्य निलंबित कर देगा।

4. सेवाओं का दायरा - कमीशनिंग चरण (SCOPE OF SERVICES - COMMISSIONING PHASE)

4.1 चरण I कमीशनिंग अवधि और भावी कमीशनिंग अवधि का प्रारंभ (Commencement of Phase I Commissioning Period and Future Commissioning Period)

4.1.1 एयरपोर्ट कंपनी, यथाशीघ्र व्यावहारिक रूप से और वित्तीय समापन से 365 (तीन सौ पैसठ) दिनों की तिथि तक, एएआई को उस तिथि की अधिसूचना देगी जिस पर एयरपोर्ट कंपनी चरण 1 कमीशनिंग अवधि शुरू होने की उम्मीद करती है ("अनुसूचित कमीशनिंग तिथि")।

4.1.2 एयरपोर्ट कंपनी उपरोक्त खंड 4.1.1 के अनुसार एएआई को अधिसूचित अनुसूचित कमीशनिंग तिथि से कम से कम 180 (एक सौ अस्सी) दिन पहले एएआई को उस तिथि की फिर से अधिसूचना देगी जिस पर एयरपोर्ट कंपनी चरण 1 कमीशनिंग तिथि होने की उम्मीद करती है और अनुसूचित कमीशनिंग तिथि तदनुसार संशोधित की जाएगी।

4.1.3 एयरपोर्ट कंपनी एएआई को उस तिथि से कम से कम 365 (तीन सौ पैसठ) दिन पहले सूचित करेगी जिस पर एयरपोर्ट कंपनी किसी भावी कमीशनिंग तिथि होने की उम्मीद करती है।

4.2 एयरपोर्ट कंपनी की कमीशनिंग बाध्यताएं (Airport Company's Commissioning Obligations)

4.2.1 चरण 1 कमीशनिंग तिथि या भावी कमीशनिंग तिथि, जो भी स्थिति हो, से कम से कम 30 (तीस) दिन पहले, एयरपोर्ट कंपनी एएआई को लिखित रूप में पुष्टि करेगी कि:

(क) चरण 1 के संबंध में रनवे, टैक्सिवे, एप्रन और अप्रोच का निर्माण चरण 1 कमीशनिंग अवधि तक प्रासंगिक आईसीएओ (ICAO) / ओएसीआई (OACI) अनुबंधों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे पर प्रस्तावित विमान संचालन के लिए उपयुक्त रूप में किया जाएगा और हवाई अड्डा उद्घाटन तिथि तक विमान संचालन के लिए उपलब्ध होगा;

(ख) रनवे के लिए स्ट्रिप्स, शोल्डर, स्टॉप वे और रेसा (RESA) तथा टैक्सिवे के लिए स्ट्रिप्स और शोल्डर का निर्माण चरण 1 कमीशनिंग अवधि तक किया जाएगा और उसके बाद प्रस्तावित विमान संचालन के लिए प्रासंगिक आईसीएओ अनुबंधों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार उनका रखरखाव किया जाएगा;

(ग) चरण 1 कमीशनिंग अवधि से, हवाई अड्डे के बाधा सीमा पृष्ठों (obstacle limitation surfaces) और अप्रोच तथा टेक-ऑफ क्षेत्र को बाधाओं से मुक्त रखा जाएगा या बाधाओं को नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) की वेबसाइट पर भारत सरकार के राजपत्र SO84E में निहित प्रासंगिक आईसीएओ अनुबंधों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार अनुमेय सीमाओं तक सीमित रखा जाएगा, जिसके लिए संरचनाओं के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की स्वीकृति के लिए एएआई से संपर्क किया जाएगा;

(घ) चरण 1 कमीशनिंग अवधि से, प्रासंगिक आईसीएओ अनुबंधों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार बचाव और अग्निशमन सेवाओं की उपयुक्त श्रेणी उपलब्ध कराई जाएगी;

(ड) चरण 1 कमीशनिंग तिथि से, एयरपोर्ट कंपनी फायर वॉच टावर में पर्याप्त स्थान प्रदान करेगी ताकि एएआई के कर्मियों किसी भी आकस्मिक स्थिति में सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करने के लिए एक वैकल्पिक सुविधा स्थापित कर सकें;

(च) हवाई अड्डा उद्घाटन तिथि से, परिचालन क्षेत्र में और उसके आसपास पक्षी/पशु उपद्रव को रोकने के लिए हवाई अड्डे पर उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।

4.2.2 चरण 1 कमीशनिंग अवधि या भावी कमीशनिंग अवधि के दौरान, जैसा भी मामला हो, एयरपोर्ट कंपनी:

(क) चरण 1 कमीशनिंग अवधि या भावी कमीशनिंग अवधि के प्रारंभ होने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर, एएआई को लिखित रूप में पुष्टि करेगी कि एयरपोर्ट कंपनी के उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना कर दी गई है। एयरपोर्ट कंपनी एएआई को लिखित रूप में यह भी पुष्टि करेगी कि हवाई अड्डा उद्घाटन तिथि तक चरण 1 के लिए आवश्यक ऐसे उपकरणों का परीक्षण किया जा चुका है और संचालन के लिए स्वीकृत कर दिया गया है;

(ख) एएआई को उसके कर्मियों, वाहनों और एजेंटों के लिए हवाई अड्डे तक ऐसी पहुँच प्रदान करेगी जो एएआई को एएआई की कमीशनिंग सेवाओं के निष्पादन के लिए तर्कसंगत रूप से आवश्यक हो;

(ग) एएआई को एएआई कमीशनिंग सेवाओं को निष्पादित करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त विद्युत शक्ति और पानी की निरंतर आपूर्ति प्रदान करेगी;

(घ) उस सीमा तक जहां एएआई यह निर्धारित करता है कि, हवाई अड्डे के विस्तार के परिणामस्वरूप, हवाई अड्डे पर विद्युत शक्ति की अतिरिक्त स्टैंडबाय आपूर्ति की आवश्यकता है, एएआई अपनी अतिरिक्त आवश्यकताओं के बारे में एयरपोर्ट कंपनी को सूचित करेगा और पक्ष एएआई द्वारा आवश्यक अतिरिक्त स्टैंडबाय आपूर्ति के संबंध में चर्चा करने और सहमति तक पहुंचने के लिए बैठक करेंगे;

(ड) एएआई और/या उसके कर्मियों को ऐसी जानकारी प्रदान करेगी जो एएआई कमीशनिंग सेवाओं के निष्पादन के लिए तर्कसंगत रूप से आवश्यक हो;

(च) एएआई को अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए परिवहन और आवास (कार्यालय, आवासीय और नेविगेशनल एड्स/राडार के लिए भवन) प्रदान करेगी; और

(छ) एटीसी (ATC) में एसटीडी (STD) सुविधा के साथ एएआई को सीधा टेलीफोन प्रदान करेगी।

4.3 एएआई कमीशनिंग सेवाएं (AAI Commissioning Services)

4.3.1 चरण 1 कमीशनिंग अवधि और किसी भी भावी कमीशनिंग अवधि के दौरान, और एयरपोर्ट कंपनी द्वारा निर्धारित हवाई अड्डा संचालन परीक्षणों के दौरान एएआई:

(क) खंड 4.2.1 के अनुसार एयरपोर्ट कंपनी से प्राप्त नोटिस की प्राप्ति के 14 (चौदह) दिनों के भीतर एयरपोर्ट कंपनी को लिखित रूप में पुष्टि करेगा कि सभी एएआई उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना

कर दी गई है और एएआई उपकरण ईपीसी ठेकेदारों द्वारा प्रदान किए गए उपकरणों के साथ अनुकूल हैं;

(ख) सभी एएआई उपकरणों का परीक्षण और कमीशन करेगा ताकि वे पूरी तरह से चालू हो जाएं;

(ग) एएआई उपकरणों को आवश्यक सीमा तक एएआई द्वारा संचालित किसी भी प्रासंगिक हवाई नेविगेशन और मौसम विज्ञान उपकरण और प्रणालियों के साथ तथा एयरपोर्ट कंपनी के उपकरणों के साथ एकीकृत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। एयरपोर्ट कंपनी के उपकरणों के साथ ऐसे एकीकरण की कोई भी लागत एयरपोर्ट कंपनी द्वारा वहन की जाएगी;

(घ) एएआई उपकरणों को कमीशन करने के लिए आवश्यक कैलिब्रेशन उड़ानें (calibration flights) संचालित करेगा और व्यावहारिक सीमा तक, एयरपोर्ट कंपनी को उसी समय अपने उपकरणों का अंशांकन करने में सक्षम बनाने के लिए उन उड़ानों का समन्वय करेगा। एएआई एयरपोर्ट कंपनी के उपकरणों को कैलिब्रेट करने के लिए एयरपोर्ट कंपनी द्वारा उठाए गए खर्च के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। एयरपोर्ट कंपनी के उपकरणों को कैलिब्रेट करने के लिए एएआई द्वारा किया गया खर्च एयरपोर्ट कंपनी से वसूल किया जाएगा;

(ङ) जहाँ उपयुक्त हो, हवाई अड्डे को कमीशन करने के लिए आवश्यक किसी भी जाँच और प्रक्रियाओं के निष्पादन में एयरपोर्ट कंपनी और डीजीसीए (DGCA) की सहायता करेगा;

(च) आईसीएओ अनुबंधों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार हवाई अड्डे पर तथा हवाई अड्डे के आसपास के हवाई क्षेत्र में विमान के सुरक्षित, त्वरित और व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक एएआई सेवाओं से संबंधित ऐसी सभी प्रक्रियाओं, नियमावलियों (manuals) और चार्टों को तैयार और प्रकाशित करेगा;

(छ) आईसीएओ अनुबंधों और दस्तावेजों के अनुसार तथा समग्र हवाई क्षेत्र प्रबंधन, रक्षा आवश्यकताओं और उड़ान सूचना क्षेत्र (FIR) के अनुरूप एयरपोर्ट कंपनी के साथ ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया (Operating Reporting Procedure) और घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया (Incident Reporting Procedure) पर आपस में सहमति व्यक्त करेगा; और

(ज) हवाई अड्डे पर किसी भी परीक्षण संचालन के दौरान एयरपोर्ट कंपनी और अन्य एजेंसियों को ऐसी सहायता प्रदान करेगा जो तर्कसंगत रूप से आवश्यक हो।

4.3.2 एएआई, एएआई कमीशनिंग सेवाओं के निष्पादन के दौरान, यह सुनिश्चित करने के लिए ईपीसी ठेकेदारों को ऐसी तर्कसंगत सहायता प्रदान करेगा जो एएआई उपकरणों को एयरपोर्ट कंपनी के उपकरणों के साथ पर्याप्त रूप से एकीकृत करने के लिए आवश्यक हो।

4.3.3 खंड 4.3.1 के अनुसार एएआई कमीशनिंग सेवाओं के निष्पादन के बाद और चरण 1 कमीशनिंग अवधि या भावी कमीशनिंग अवधि के अंत से पहले, जैसी भी स्थिति हो, एएआई एयरपोर्ट कंपनी को लिखित रूप में पुष्टि करेगा कि एएआई उपकरण पूरी तरह से चालू हैं और एयरपोर्ट कंपनी के उपकरणों के साथ एकीकृत हैं और एएआई उपकरण ऐसे हैं कि एएआई प्रासंगिक आईसीएओ अनुबंधों और

दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निर्धारित प्रासंगिक मानकों के अनुसार एएआई परिचालन सेवाएं निष्पादित कर सकता है।

5. सेवाओं का दायरा - संचालन चरण (SCOPE OF SERVICES - OPERATION PHASE)

5.1 एएआई परिचालन सेवाएं (AAI Operative Services)

एएआई, प्रासंगिक आईसीएओ अनुबंधों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निर्धारित प्रासंगिक मानकों के अनुसार, हवाई अड्डा उद्घाटन तिथि से और उसके बाद एक पाली (shift) के संचालन के साथ शुरुआत करेगा:

- (क) अनुसूची 3 में यथा परिभाषित सीएनएस/एटीएम (CNS/ATM) सेवाएं त्रैमासिक लागत वसूली के आधार पर प्रदान करेगा, और एएआई एवं एयरपोर्ट कंपनी के बीच आपसी सहमति के आधार पर बहु-पाली संचालन को पूरा करने के लिए अपनी सीएनएस/एटीएम सेवाओं का विस्तार करेगा;
- (ख) एएआई उपकरणों के आवधिक उड़ान अंशांकन (periodic flight calibration) और अन्य परीक्षणों का आयोजन करने सहित एएआई उपकरणों का रखरखाव करेगा;
- (ग) समय-समय पर एएआई उपकरणों को उन्नत (upgrade) करेगा (i) कम से कम प्रासंगिक आईसीएओ अनुबंधों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए;
- (घ) हवाई अड्डे पर प्रासंगिक सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करने के लिए एएआई को सक्षम बनाने हेतु समय-समय पर आवश्यक ऐसे उपकरणों की खरीद करेगा;
- (ङ) एयरपोर्ट कंपनी द्वारा हवाई अड्डे पर आवश्यक संशोधन/विस्तार/उन्नयन के कारणों से एयरपोर्ट कंपनी की परिचालन सुविधा के लिए एयरपोर्ट कंपनी के खर्च पर एएआई उपकरणों को स्थानांतरित (relocate) करेगा, बशर्ते कि इस प्रकार के स्थानांतरण से एयरपोर्ट कंपनी के दायित्वों और/या हवाई अड्डे के सुचारू संचालन पर प्रभाव न पड़े;
- (च) हवाई यातायात के सुरक्षित, त्वरित और व्यवस्थित प्रवाह के लिए आवश्यक ऐसी प्रक्रियाओं की समय-समय पर समीक्षा करेगा;
- (छ) एयरपोर्ट कम्युनिटी नेटवर्क के माध्यम से समय-समय पर सहमति के अनुसार सहमत प्रारूप, आवृत्ति और वितरण की विधि में दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आवाजाही के लिए एयरपोर्ट कंपनी को हवाई यातायात आवाजाही के सभी आंकड़े (statistics) प्रदान करेगा;
- (ज) ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया और घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया के तहत यथा आवश्यक ऐसी जानकारी प्रदान करेगा और रिकॉर्ड रखेगा तथा सीएनएस/एटीएम सेवा में खराबी (breakdown) सहित एयरपोर्ट कंपनी और वैमानिकों (airmen) को नोटिस जारी करेगा;
- (झ) हवाई अड्डा जाने वाले यातायात को सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करने के लिए यदि आवश्यक हो तो एयरपोर्ट कंपनी के खर्च पर ऐसे एन-रूट (en-route) उपकरण प्रदान करेगा।

5.2 एटीएम-एन-रूट और अन्य सेवाएं (ATM-En-route and Other Services)

यदि एएआई को आवश्यकता होती है, तो वह एयरपोर्ट कंपनी की पूर्व सहमति प्राप्त करने के अधीन (जिसे अनुचित रूप से नहीं रोका जाएगा), एन-रूट हवाई नेविगेशन सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक किसी भी उपकरण या सुविधाओं को हवाई अड्डे या स्थल पर स्थापित कर सकता है। हवाई अड्डे पर ऐसे उपकरण या अन्य सुविधाओं को स्थापित करने में, एएआई हवाई अड्डे के सामान्य संचालन में किसी भी व्यवधान से बचने के लिए उचित उपाय करेगा। सीधे तौर पर एयरपोर्ट कंपनी के कारण होने वाली कार्रवाइयों से हवाई अड्डे के सामान्य संचालन में उत्पन्न किसी भी व्यवधान के लिए एएआई को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। एएआई यह सुनिश्चित करेगा कि उनके द्वारा निर्मित, संचालित या बनाए रखे गए सभी भवन, कार्य या सुविधाएं (यदि कोई हों) समय-समय पर डिजाइन और वास्तुकला दिशानिर्देशों और मास्टर प्लान के अनुरूप हों।

5.3 एयरपोर्ट कंपनी के परिचालन दायित्व (Airport Company's Operative Obligations)

हवाईअड्डा उद्घाटन तिथि के बाद, एयरपोर्ट कंपनी:

(क) यह सुनिश्चित करेगी कि चरण 1 के लिए रनवे, टैक्सिवे, एप्रन और अप्रोच का निर्माण किया गया है और प्रासंगिक आईसीएओ अनुबंधों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे पर प्रस्तावित विमान संचालन के लिए उपयुक्त रूप में उनका रखरखाव किया जाएगा और वे विमान संचालन के लिए उपलब्ध हैं;

(ख) यह सुनिश्चित करेगी कि चरण 1 के लिए रनवे के लिए स्ट्रिप्स, शोल्डर, स्टॉप वे और रेसा (RESA) तथा टैक्सिवे के लिए स्ट्रिप्स और शोल्डर का निर्माण किया गया है और प्रासंगिक आईसीएओ अनुबंधों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार प्रस्तावित विमान संचालन के लिए उनका रखरखाव किया जाएगा;

(ग) यह सुनिश्चित करेगी कि हवाई अड्डे के बाधा सीमा पृष्ठों (obstacle limitation surfaces) और अप्रोच तथा टेक-ऑफ क्षेत्र को बाधाओं से मुक्त रखा जाएगा या बाधाओं को नागर विमानन मंत्रालय (MoCA) की वेबसाइट पर भारत सरकार के राजपत्र SO84E में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमेय सीमाओं तक सीमित रखा जाएगा, जिसके लिए संरचनाओं के एनओसी (NOC) की स्वीकृति हेतु एएआई से संपर्क किया जाएगा;

(घ) यह सुनिश्चित करेगी कि विभिन्न सीएनएस/एटीएम उपकरणों/सुविधाओं के लिए एएआई द्वारा चिह्नित संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्रों (sensitive and critical areas) को किसी भी बाधा से मुक्त रखा जाएगा और इन क्षेत्रों में किसी भी ऐसी बाधा की अनुमति नहीं दी जाएगी जो इन उपकरणों/सुविधाओं के कामकाज में बाधा डाल सकती है और विमान संचालन की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगी कि बचाव और अग्निशमन सेवाओं की उपयुक्त श्रेणी प्रासंगिक आईसीएओ अनुबंधों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी और बनाए रखी जाएगी;

(च) यह सुनिश्चित करेगी कि परिचालन क्षेत्र में और उसके आसपास पक्षी/पशु उपद्रव को रोकने के लिए हवाई अड्डे पर उपयुक्त व्यवस्था की गई है;

(छ) निम्नलिखित घटनाओं से निपटने के लिए हवाई अड्डे पर उपयुक्त आकस्मिक व्यवस्थाएं (contingency arrangements) मौजूद होना सुनिश्चित करेगी:

(i) रनवे से विकलांग/क्षतिग्रस्त विमान को हटाना;

(ii) विमान या हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी;

(iii) हवाईअड्डे के आसपास और निकट क्षेत्र में विमान दुर्घटनाएं;

(iv) गैर-अनुसूचित विमान का हवाई अड्डे पर उतरने के लिए मजबूर होना;

(v) हवाई अड्डे पर आग लगना;

(vi) प्राकृतिक आपदाएं और विपत्तियां;

(vii) हवाईअड्डे और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक अशांति;

(viii) नागर विमानन में गैर-कानूनी हस्तक्षेप से निपटने के लिए अपहरण-रोधी उपाय (anti-hijacking measures);

(ix) टर्मिनल भवन या हवाईअड्डे के किसी भी परिचालन क्षेत्र पर उग्रवादी हमला;

(ज) यह सुनिश्चित करेगी कि आपातकालीन सेवाओं (अग्निशामक, चिकित्सा और पुलिस) और हवाईअड्डा प्रबंधक से सुविधा को जोड़ने के लिए आपातकालीन अलार्म घंटी स्थापित की गई है;

(झ) एएआई को एएआई की परिचालन सेवाओं के निष्पादन के लिए उसके कर्मियों, वाहनों और एजेंटों के लिए हवाई अड्डे और सभी परिचालन क्षेत्रों में ऐसी पहुँच प्रदान करेगी जो एएआई द्वारा तर्कसंगत रूप से आवश्यक हो;

(ञ) एयरपोर्ट कंपनी के खर्च पर एएआई को प्रदान करेगी:

(i) एएआई परिचालन सेवाओं को निष्पादित करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त विद्युत शक्ति और पानी की निरंतर आपूर्ति;

(ii) एएआई परिचालन सेवाओं को निष्पादित करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधा। प्रदान किए जाने वाले परिवहन की संख्या का निर्णय एयरपोर्ट कंपनी और एएआई द्वारा आपसी सहमति से किया जाएगा;

(iii) एटीसी (ATC) में ईपीएबीएक्स (EPABX) एक्सटेंशन, एसटीडी सुविधा वाला ऑटो टेलीफोन, फैक्स, हॉटलाइन, सेल फोन;

(ट) उस सीमा तक जहां एएआई यह निर्धारित करता है कि, हवाई अड्डे के विस्तार के परिणामस्वरूप, हवाई अड्डे पर बिजली की अतिरिक्त स्टैंडबाय आपूर्ति की आवश्यकता है, एएआई एयरपोर्ट कंपनी को अपनी अतिरिक्त आवश्यकताओं के बारे में सूचित करेगा और पक्ष एएआई द्वारा आवश्यक अतिरिक्त स्टैंडबाय आपूर्ति के संबंध में चर्चा करने और समझौते तक पहुंचने के लिए बैठक करेंगे;

(ठ) एएआई और/या उसके कर्मियों को ऐसी जानकारी प्रदान करेगी जो एएआई की परिचालन सेवाओं के निष्पादन के लिए तर्कसंगत रूप से आवश्यक हो;

(ड) एएआई सेवाओं के प्रावधान में हवाई अड्डे पर तैनात एएआई के कर्मियों और एजेंटों के लिए कार्यालय, आवासीय आवास और नेविगेशनल एड्स/राडार सुविधा के लिए भवनों को हर समय उपलब्ध कराएगी;

(ढ) अपने खर्च पर, एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम (Airfield Lighting System), मुख्य और स्टैंडबाय पावर सप्लाई सिस्टम का रखरखाव प्रासंगिक आईसीएओ अनुबंधों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निर्धारित मानकों के अनुसार करेगी;

(ण) यह सुनिश्चित करेगी कि उसके कर्मचारी और एजेंट, ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार, एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम में किसी भी विफलता या दोष और एएआई को एयरपोर्ट कंपनी के किसी भी उपकरण की अनुपलब्धता की रिपोर्ट जैसे ही उन्हें ऐसी विफलता या दोष के बारे में पता चलता है, तुरंत करें;

(त) आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, एयरपोर्ट कंपनी द्वारा प्रदान की गई किसी भी बुनियादी ढांचे या सुविधाओं के किसी भी प्रस्तावित बंद होने या वापस लेने की सूचना एएआई को ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार देगी जो समय-समय पर संशोधित रूप में लिखित रूप में पक्षों के बीच आपसी सहमति से तय की गई है;

(थ) एएआई के निर्देश पर, एयरपोर्ट कंपनी के खर्च पर, रनवे या आवाजाही क्षेत्रों (movement areas) से किसी भी बाधा को हटाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उसके कर्मचारी और एजेंट ऐसी किसी भी बाधा के बारे में पता चलने पर ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया या घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, के अनुसार एएआई को सूचित करें;

(द) एयरपोर्ट कंपनी के खर्च पर, हवाई अड्डे पर परिवर्तन या संशोधन के कारणों से एएआई उपकरणों को स्थानांतरित करेगी;

(ध) उन्नयन या विस्तार के मामले में, एयरपोर्ट कंपनी एएआई उपकरणों की कुल लागत वहन करेगी जो आईसीएओ सिफारिशों से अधिक है और जो एयरपोर्ट कंपनी द्वारा अनुरोधित है;

(न) विमान के आने के अनुमानित समय (ETA) की प्राप्ति पर विमान के लिए पार्किंग बे और एयरो ब्रिज आवंटित करेगी और एएआई को सूचित करेगी तथा एएआई तदनुसार विमान का मार्गदर्शन करेगा।

6. सुविधा में परिवर्तन (VARIATIONS TO THE FACILITY)

6.1 परिवर्तन के लिए अनुरोध (Request for Variation)

यदि एएआई को प्रभावी तिथि के बाद सुविधा और/या कार्यालय आवास में किसी भी बदलाव या परिवर्तन की आवश्यकता होती है, तो वह एयरपोर्ट कंपनी को ऐसे परिवर्तनों या बदलावों के पूर्ण विवरण और ऐसे बदलाव या परिवर्तन के कारणों के साथ लिखित रूप में सूचित करेगा।

6.2 एयरपोर्ट कंपनी की लागत को प्रभावित न करने वाले परिवर्तन (Variations Not Affecting Airport Company's Costs)

यदि खंड 6.1 के अनुसार एएआई द्वारा अनुरोधित परिवर्तन या बदलाव चरण 1 को प्रभावित, विलंबित या बाधित नहीं करेंगे, तो एयरपोर्ट कंपनी परिवर्तन को लागू करने के लिए ऐसे कदम उठाएगी जो तर्कसंगत रूप से आवश्यक हों।

7. राजस्व और शुल्क (REVENUES AND CHARGES)

7.1 मार्ग नेविगेशन सुविधा शुल्क (Route Navigation Facilities Charges - RNFC)

एएआई, प्रासंगिक सेवाओं के निष्पादन के एवज में, सीधे एयरलाइंस से मार्ग नेविगेशन सुविधा शुल्क ("आरएनएफसी" / RNFC) वसूल करने का हकदार होगा और एयरपोर्ट कंपनी ऐसे शुल्कों के संबंध में कोई देनदारी नहीं उठाएगी।

7.2 टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क (Terminal Navigation Landing Charges - TNLC)

एयरलाइंस द्वारा देय टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क ("टीएनएलसी" / TNLC) सीधे एयरलाइंस द्वारा एएआई को दिया जाएगा और एयरपोर्ट कंपनी ऐसे शुल्कों के संबंध में कोई देनदारी नहीं उठाएगी।

7.3 संग्रहण (Collection)

एएआई द्वारा मार्ग नेविगेशन सुविधा शुल्क या टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क एकत्र करने में विफलता और/या किसी भी एयरलाइन द्वारा भुगतान न करने पर, एएआई को एएआई सेवाओं के निष्पादन या खंड 7.4 में निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के उसके दायित्व से किसी भी तरह से छूट नहीं मिलेगी। बशर्ते कि किसी विशिष्ट एयरलाइन (एयरलाइंस) द्वारा एएआई को मार्ग नेविगेशन सुविधा शुल्क और/या टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क का बार-बार भुगतान न करने की स्थिति में, एएआई के पास ऐसी एयरलाइन (एयरलाइंस) को एएआई सेवाएं प्रदान न करने के सभी अधिकार होंगे और इस समझौते में प्रदान किए गए अनुसार, यह एएआई की ओर से एएआई सेवाओं के निष्पादन में चूक नहीं माना जाएगा।

7.4 सीएनएस-एटीएम सेवा शुल्क (CNS-ATM Service Charges)

खंड 5.1 में उल्लिखित सीएनएस-एटीएम सेवाओं का प्रावधान लागत वसूली के आधार पर होगा। एयरपोर्ट कंपनी सीएनएस/एटीएम की त्रैमासिक अनुमानित लागत अग्रिम रूप से जमा करेगी...

7.5 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा देय किराया शुल्क (Rental Fee Payable by AAI)

आवासीय आवास (residential accommodation) को छोड़कर, अनुसूची 2 में यथानिर्धारित सुविधा (Facility) और कार्यालय स्थान (Office Accommodation) प्रदान करने के प्रतिफल के रूप में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा एयरपोर्ट कंपनी को कोई किराया शुल्क देय नहीं होगा।

8. सेवाओं के मानक और निष्पादन में विफलता (STANDARDS OF SERVICES AND FAILURE TO PERFORM)

8.1 सेवाओं के मानक (Standards of Services)

8.1.1 प्रासंगिक आईसीएओ (ICAO) अनुबंधों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निर्धारित प्रासंगिक मानकों के अनुसार एएआई (AAI) हर समय एएआई सेवाओं (AAI Services) का प्रावधान करेगा और एयरपोर्ट कंपनी से कार्य निक्षेप (work deposit) के माध्यम से एएआई सेवाओं या एएआई उपकरणों (AAI Equipment) के प्रावधान के संबंध में सभी व्यय वहन करने की अपेक्षा करेगा।

8.1.2 एएआई यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मिक/कार्मिक (Personnel), यदि आवश्यक हो तो, एयरपोर्ट कंपनी द्वारा किसी भी समय शुरू किए गए किसी भी गुणवत्ता सुधार उपायों में एयरपोर्ट कंपनी की लागत पर भाग लेंगे, और रियायत समझौते (Concession Agreement) द्वारा आवश्यक सेवा स्तर मानकों को प्राप्त करने और बनाए रखने में एयरपोर्ट कंपनी की सहायता करेंगे।

8.2 अनाक्षेप / गैर-हस्तक्षेप (Non-Interference)

एएआई हस्तक्षेप नहीं करेगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कार्मिक और एजेंट हवाई अड्डे के डिजाइन, निर्माण, कमीशनिंग, समापन, विकास, वित्तपोषण और/या रखरखाव में हस्तक्षेप, बाधा या किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न करें; तथा हवाई अड्डा उद्घाटन तिथि (Airport Opening Date) या उससे पूर्व आंशिक कमीशनिंग के पश्चात, एएआई सेवाओं के प्रावधान के लिए यथा आवश्यक को छोड़कर, हवाई अड्डे के संचालन में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप या बाधा न डालें।

8.3 क्षतिपूर्ति (Indemnity)

8.3.1 प्रत्येक पक्षकार क्षतिग्रस्त पक्षकार और उसके ठेकेदारों, प्रमुखों और एजेंटों द्वारा या उनके विरुद्ध किसी भी पक्षकार के दायित्वों के निष्पादन (चाहे कार्य या लोप द्वारा) से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पूर्णतः या अंशतः उत्पन्न होने वाले (अपरिहार्य घटना/बल प्रयोग/Force Majeure की घटना को छोड़कर) नुकसान, लागत, व्यय, दायित्व या क्षति के बराबर सभी भुगतानों से, जिसमें व्यक्तियों की चोट या मृत्यु के दावे या संपत्ति के नुकसान या क्षति के दावे शामिल हैं, दूसरे पक्षकार और उसके ठेकेदारों, प्रमुखों और एजेंटों को क्षतिपूर्ति करेगा, उनका बचाव करेगा और उन्हें हानिरहित रखेगा।

8.3.2 पक्षकारों का आशय है कि इस समझौते में निहित अधिकार, दायित्व और देनदारियां इस समझौते से या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले पक्षकारों के अधिकारों, दायित्वों और देनदारियों का एक व्यापक विवरण होंगी। तदनुसार, इस समझौते में और इसके अनुसरण में निष्पादित किसी भी दस्तावेज में स्पष्ट रूप से बताए गए उपचार, इस समझौते से या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाली एक-दूसरे के प्रति देनदारियों के लिए पक्षकारों के एकमात्र और अनन्य उपचार होंगे, जिसमें इसके संबंध में दी गई कोई भी प्रस्तुति (representation), वारंटी या वचनबद्धता (undertaking) शामिल है, चाहे कानून या इक्विटी में अन्यथा कोई भी उपचार उपलब्ध हो।

9. फोर्स मेज्योर (FORCE MAJEURE)

9.1 फोर्स मेज्योर (Force Majeure)

यह खंड 9 तब लागू होगा यदि किसी पक्षकार ("प्रभावित पक्षकार") द्वारा इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का निष्पादन अनुसूची 4 में यथा परिभाषित अपरिहार्य घटना (Force Majeure) के कारण पूर्णतः या अंशतः निवारित, बाधित या विलंबित होता है।

9.2 फोर्स मेज्योर के परिणाम (Consequences of Force Majeure)

9.2.1 निष्पादन दायित्व (Performance Obligation): प्रभावित पक्षकार इस समझौते के तहत या इसके अनुसरण में किसी भी दायित्व का अनुपालन करने में विफलता या अनुपालन में देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, और उसे उस सीमा तक अपने दायित्वों का निष्पादन करने की आवश्यकता नहीं होगी जिस सीमा तक ऐसी विफलता या देरी प्रत्यक्ष रूप से अपरिहार्य घटना (Force Majeure) की किसी घटना के कारण हुई है, और विशेष रूप से, लेकिन बिना किसी सीमा के, ऐसे दायित्वों के निष्पादन के लिए दी गई समयावधि को तदनुसार बढ़ा दिया जाएगा।

9.2.2 अधिसूचना (Notification): यदि प्रभावित पक्षकार यह दावा करता है कि उसे अपरिहार्य घटना की किसी घटना के कारण इस समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने से रोका गया है, तो वह दावे का आधार और परिणामों का उल्लेख करते हुए, व्यावहारिक रूप से शीघ्र से शीघ्र लिखित रूप में अन्य पक्षकारों को सूचित करेगा।

9.2.3 शमन (Mitigation): प्रभावित पक्षकार अपरिहार्य घटना के प्रभाव को कम (mitigate) करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा।

10. अवधि और समाप्ति (TERM AND TERMINATION)

10.1 समझौते की अवधि (Term of the Agreement)

यह समझौता प्रभावी तिथि (Effective Date) से वैध और प्रभावी होगा और निम्नलिखित घटनाओं में से जो भी पहले हो, समाप्त हो जाएगा:

(क) समय बीतने (efflux of time) के कारण रियायत समझौते की समाप्ति; या

(ख) एयरपोर्ट कंपनी की चूक/व्यतिक्रम (Airport Company's Default) के कारण रियायत समझौते की समाप्ति; या

(ग) प्राधिकरण की चूक/व्यतिक्रम (Authority's Default) के कारण रियायत समझौते की समाप्ति; या

(घ) इस समझौते के खंड 10.2 या 10.3 के अनुसार समाप्ति; या

(ङ) पक्षकारों की परस्पर सहमति द्वारा इस समझौते की समाप्ति।

10.2 एयरपोर्ट कंपनी की समाप्ति की घटनाएं (Airport Company's Termination Events)

एएआई एयरपोर्ट कंपनी को समाप्ति का नोटिस जारी करने का हकदार होगा, यदि:

(क) एयरपोर्ट कंपनी इस समझौते के तहत उसे देय किसी भी राशि का भुगतान नियत समय पर करने में विफल रहती है और एएआई से व्यतिक्रम/चूक को निर्दिष्ट करने वाले और उसे सुधारने की आवश्यकता वाले नोटिस की प्राप्ति के 20 (बीस) दिनों के भीतर इस विफलता को सुधारा नहीं जाता है;

(ख) एयरपोर्ट कंपनी के समापन (liquidation), दिवाला (bankruptcy) या विघटन (dissolution) के लिए कोई आदेश दिया जाता है या कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसे उसके बाद 90 (नब्बे) दिनों के भीतर मुक्त/दिसचार्ज नहीं किया जाता है या, जैसा भी मामला हो, रद्द नहीं किया जाता है;

(ग) एयरपोर्ट कंपनी इस समझौते में किसी भी दायित्व (धन का भुगतान करने के दायित्व को छोड़कर) का पालन करने या निष्पादित करने में इस सीमा तक विफल रहती है जिसका एएआई के अधिकारों और दायित्वों पर महत्वपूर्ण और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यदि सुधार संभव है, तो ऐसी विफलता एएआई से व्यतिक्रम निर्दिष्ट करने वाले और सुधार की मांग करने वाले नोटिस की प्राप्ति के बाद 7 (सात) दिनों की अवधि तक जारी रहती है। शर्त यह है कि यदि ऊपर (a), (b) और/या (c) में निर्धारित घटनाएं और/या परिस्थितियां अपरिहार्य घटना (Force Majeure) का परिणाम और/या परिणाम हैं, तो एएआई ऐसा समाप्ति नोटिस जारी करने का हकदार नहीं होगा।

(घ) रियायत समझौते के तहत, भारत सरकार (GOI) द्वारा उसमें इस समझौते को समाप्त करने का निर्देश दिया जाता है;

(ङ) यदि रियायत समझौता समाप्त हो जाता है;

और प्रत्येक मामले में यह भी शर्त है कि भारत सरकार (GOI), (राज्य का नाम) सरकार या एएआई द्वारा एयरपोर्ट कंपनी द्वारा समय पर उपचारात्मक कार्रवाई को नहीं रोका गया है।

10.3 एएआई समाप्ति की घटनाएं (AAI Termination Events)

रियायत समझौते में उपयुक्त संशोधनों के अधीन, यदि लागू कानून एयरपोर्ट कंपनी को सीएनएस/एटीएम सेवाएं (CNS/ATM Services) निष्पादित करने की अनुमति देता है, तो एयरपोर्ट कंपनी एएआई को समाप्ति का नोटिस जारी करने की हकदार होगी।

10.4 समाप्ति नोटिस का प्रभाव (Effect of a Termination Notice)

यदि एएआई या एयरपोर्ट कंपनी द्वारा इस खंड 10 के अनुसरण में समाप्ति का नोटिस दिया जाता है, तो समाप्ति नोटिस की तिथि के 90 (नब्बे) दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी समय, जब तक कि नोटिस जारी करने के कारण बनी परिस्थितियों को पूरी तरह से सुधारा न गया हो या वे लागू न रह गई हों, नोटिस जारी करने वाला पक्षकार तत्काल प्रभाव से इस समझौते को समाप्त कर सकता है।

10.5 समाप्ति के परिणाम (Consequences of Termination)

10.5.1 यदि यह समझौता एयरपोर्ट कंपनी द्वारा इस खंड 10.3 के अनुसरण में समाप्त होता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि एएआई सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण हवाई अड्डे का संचालन बंद न हो, एएआई भारत सरकार (GOI) को एएआई अधिनियम, 1994 की धारा 38 के अनुसार तुरंत कार्रवाई करने में सक्षम बनाने के लिए परस्पर सहमत शर्तों पर "जैसा है जहां है" की स्थिति में एएआई सेवाओं के निष्पादन में एएआई द्वारा तैयार किए गए सभी एएआई उपकरण, नियमावली/मैनुअल, चार्ट और अन्य ज्ञापनों को भारत सरकार को तुरंत सौंप देगा। एएआई उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

10.5.2 इसके बाद, एयरपोर्ट कंपनी का यह एकमात्र विवेक होगा कि वह हवाई अड्डे में एएआई द्वारा प्रदान की जाने वाली एएआई सेवाओं के समकक्ष सेवाएं किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से प्रदान करवाने के लिए उचित कदम उठाने हेतु भारत सरकार से परामर्श करे। एएआई उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एयरपोर्ट कंपनी को सभी संचालन/सहयोग प्रदान करेगा।

10.5.3 यह इस समझौते के तहत उपलब्ध किसी भी पक्षकार के अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

11. समनुदेशन / अंतरण (ASSIGNMENT)

11.1 एएआई द्वारा समनुदेशन (Assignment by AAI)

इसमें किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, एएआई एयरपोर्ट कंपनी की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस समझौते के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार या दायित्व को समनुदेशित या अन्यथा स्थानांतरित नहीं करेगा, बशर्ते कि एएआई के अधिकारों या दायित्वों का ऐसा समनुदेशन या हस्तांतरण कानून के अधिनियमन के अनुसरण में हो। ऐसा समनुदेशिनी (assignee) या अंतरिनी (transferee) इस समझौते के नियमों और शर्तों से बाध्य होगा।

11.2 एयरपोर्ट कंपनी द्वारा समनुदेशन (Assignment by the Airport Company)

इसमें किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, लेकिन खंड 14.6 के अधीन, एयरपोर्ट कंपनी एएआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस समझौते के तहत अपने अधिकारों या दायित्वों के सभी या किसी भी हिस्से को समनुदेशित या अन्यथा स्थानांतरित नहीं करेगी, हालांकि, एयरपोर्ट कंपनी ऐसी पूर्व लिखित सहमति के बिना, लेकिन एएआई को पूर्व लिखित नोटिस देकर निम्नलिखित कार्य कर सकती है:

(क) इसके तहत अपने सभी या लगभग सभी अधिकारों और दायित्वों को अपने सहयोगी (Affiliate) को स्थानांतरित करना;

(ख) रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार एयरपोर्ट कंपनी में स्वामित्व हितों के खरीदार को अपने सभी या किसी भी हिस्से के अधिकारों और दायित्वों को स्थानांतरित करना;

(ग) वरिष्ठ ऋणदाताओं (Senior Lenders) को, किसी भी वित्तपोषण समझौते (Financing Agreements) के तहत देय राशियों के लिए संपार्श्विक सुरक्षा (collateral security) के रूप में इस समझौते के तहत एयरपोर्ट कंपनी के अधिकारों को स्थानांतरित करना, जिसके तहत एयरपोर्ट कंपनी ने धन उधार लिया है; या

(घ) रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार इसके तहत अपने सभी या लगभग सभी अधिकारों और दायित्वों को भारत सरकार (GOI) को स्थानांतरित करना।

12. विवाद समाधान (DISPUTE RESOLUTION)

12.1 बातचीत और सुलह (Negotiation and Conciliation)

पक्षकार इस समझौते से उत्पन्न, इसके संबंध में या इसके संदर्भ में पक्षकारों के बीच किसी भी विवाद, अंतर, दावे, प्रश्न या विवाद ("विवाद") को बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्वक निपटाने के लिए अपने संबंधित उचित प्रयासों का उपयोग करेंगे।

12.2 मध्यस्थ को संदर्भ (Reference to Arbitrator)

विवादों के निपटारे के संबंध में प्रासंगिक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण कानून में निहित किसी भी बात के अधीन, कोई भी विवाद जिसे पक्षकार किसी एक पक्षकार द्वारा दूसरे को विवाद के अस्तित्व के लिखित नोटिस के 60 (साठ) दिनों के भीतर (या ऐसी लंबी अवधि जैसा कि पक्षकार सहमत हों) खंड 12.1 के अनुसार हल करने में असमर्थ हैं, उसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 ("मध्यस्थता अधिनियम") और/या इसके किसी वैधानिक संशोधन के अनुसार और मध्यस्थता अधिनियम के अनुसार नियुक्त 3 (तीन) मध्यस्थों द्वारा अंकिट्रल नियमों ("मध्यस्थता नियम" / UNCITRAL Rules) के अनुसार मध्यस्थता द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित किया जाएगा।

12.3 विविध (Miscellaneous)

मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा। प्रत्येक पक्षकार मध्यस्थता नियमों के अनुसार मध्यस्थता के व्यय का भुगतान करेगा और लागतों के लिए अंतिम दायित्व मध्यस्थता निर्णय (arbitral award) के नियमों के अनुसार होगा। कोई भी मध्यस्थ किसी भी पक्षकार का वर्तमान या पूर्व कर्मचारी या एजेंट, या परामर्शदाता या वकील नहीं होगा या किसी भी तरह से पक्षकारों से संबंधित या निकटता से जुड़ा नहीं होगा। मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

12.4 निर्णय / पंचाट (Decision/Award)

इस खंड 12 के अनुसरण में नियुक्त मध्यस्थ अधिकरण का कोई भी निर्णय या पंचाट/पुरस्कार पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। पक्षकार किसी सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय या अधिकरण द्वारा ऐसे पंचाट की अपील या समीक्षा के किसी भी अधिकार को त्यागते हैं, जहां तक कि ऐसा त्याग वैध रूप से किया जा सकता है। पक्षकार सहमत हैं कि किया गया कोई भी मध्यस्थता पंचाट संबंधित पक्षकार की संपत्तियों के विरुद्ध पक्षकारों द्वारा लागू किया जा सकता है, चाहे वे संपत्तियां कहीं भी स्थित हों या पाई जाएं, और किसी भी मध्यस्थता पंचाट पर निर्णय (जहां भी आवश्यक हो) इसके सक्षम अधिकार क्षेत्र के किसी भी न्यायालय द्वारा दर्ज किया जा सकता है। पक्षकार किसी भी मध्यस्थता पंचाट के प्रवर्तन के उद्देश्यों के लिए स्पष्ट रूप से ऐसे किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होते हैं।

13. बीमा का रखरखाव (MAINTENANCE OF INSURANCE)

13.1 बीमा प्राप्त करना (Obtaining of Insurance)

एएआई अपनी संपत्ति के नुकसान या क्षति, तीसरे पक्ष के दायित्व, कर्मकार क्षतिपूर्ति नीति (workmen's compensation policy) और उत्तम उद्योग प्रथाओं (Good Industry Practices) के अनुसार आवश्यक या विवेकपूर्ण समझे जाने वाले किसी भी अन्य बीमा को कवर करने के लिए एयरपोर्ट कंपनी से लागत वसूली के आधार पर, कार्य निक्षेप आधार पर हर समय आवश्यक बीमा लागू करेगा और बनाए रखेगा; एयरपोर्ट कंपनी और वरिष्ठ ऋणदाता इस समझौते के तहत एएआई की बीमा पॉलिसियों के तहत सह-बीमाकृत (co-insured) नामंकित होंगे।

13.2 पॉलिसियां (Policies)

खंड 13.1 के तहत प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक बीमा के संबंध में कोई भी बीमा पॉलिसी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, एएआई एयरपोर्ट कंपनी को सूचित करेगा कि ऐसे बीमा प्राप्त कर लिए गए हैं और यदि वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो एयरपोर्ट कंपनी को ऐसे पॉलिसी प्रमाण पत्रों की प्रतियां, बीमा पॉलिसियों की प्रतियां और इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि ऐसे बीमा के संबंध में बीमा प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया है। एएआई द्वारा एयरपोर्ट कंपनी को ऐसे रद्दकरण, संशोधन या गैर-नवीनीकरण का कम से कम 45 (पैंतालीस) दिनों का नोटिस प्रदान किए जाने तक कोई भी बीमा रद्द, संशोधित या समाप्त/लैप्स नहीं होने दिया जाएगा।

13.3 बीमा करने में विफलता का उपचार (Remedy for Failure to Insure)

यदि एएआई उन सभी बीमाओं को प्रभावी करने और लागू रखने में विफल रहता है जिनके लिए वह इसके अनुसरण में जिम्मेदार है, तो एयरपोर्ट कंपनी के पास ऐसे किसी भी बीमा को लागू रखने, और ऐसे प्रीमियम का भुगतान करने तथा एएआई से इसकी लागत वसूल करने का विकल्प होगा।

13.4 बीमा आय का अनुप्रयोग (Application of Insurance Proceeds)

समझौते के तहत एएआई को भुगतान किए गए सभी बीमा दावों का उपयोग भौतिक क्षति से असंबंधित बीमा आय को छोड़कर क्षतिग्रस्त संपत्ति के पुनर्निर्माण के लिए किया जाएगा।

14. विविध प्रावधान (MISCELLANEOUS PROVISIONS)

14.1 सूचनाएं / नोटिस (Notices)

14.1.1 लिखित संचार (Communications in writing): परिचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया (Operating Reporting Procedure) और घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया (Incident Reporting Procedure) के संबंध में छोड़कर, इस समझौते के तहत या इसके संबंध में की जाने वाली कोई भी संचार लिखित रूप में की जाएगी और, जब तक अन्यथा न कहा गया हो, फैक्स या पत्र द्वारा की जा सकती है।

14.1.2 पते (Addresses): इस समझौते के तहत या इसके संबंध में किए जाने वाले या वितरित किए जाने वाले किसी भी संचार या दस्तावेज के लिए प्रत्येक पक्ष का पता और फैक्स नंबर (और विभाग या अधिकारी, यदि कोई हो, जिसके ध्यान के लिए संचार किया जाना है) निम्न अनुसार है:

एयरपोर्ट कंपनी को:

पता: टर्मिनल 1, प्रथम तल, सीएसआई एयरपोर्ट, सांताक्रूज़ (पूर्व), मुंबई - 400 099
फैक्स नं.: +91-22-66851618

ध्यानार्थ: प्रबंध निदेशक (Managing Director)

ईमेल: sanjayreddy@gvk.com

एएआई (AAI) को:

पता: राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली - 110003, भारत

फैक्स नं.: +91-11-24641088

ध्यानार्थ: अध्यक्ष (Chairman)

या कोई भी वैकल्पिक पता, फैक्स नंबर या विभाग या अधिकारी जैसा कि पक्षकार कम से कम 5 (पांच) कार्य दिवसों के नोटिस द्वारा दूसरे पक्ष को सूचित कर सकता है।

14.1.3 डीम्ड डिलिवरी (Deemed Delivery): इस समझौते में अन्यथा प्रदान किए गए के अधीन, इस समझौते के तहत या इसके अनुसरण में किसी भी संचार को प्राप्तकर्ता द्वारा (यदि फैक्स द्वारा भेजा गया है) उस स्थान पर जहां भेजा गया है अगले कार्य दिवस पर या (किसी भी अन्य मामले में) खंड 14.1.2 द्वारा आवश्यक पते पर छोड़े जाने पर या पंजीकृत डाक द्वारा डाक शुल्क पूर्व-भुगतान करके उस पते पर भेजे

जाने के 10 (दस) ऐसे कार्य दिवसों के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा। इन उद्देश्यों के लिए, कार्य दिवस शनिवार, रविवार और राजपत्रित अवकाशों के अलावा अन्य दिन हैं।

14.2 पृथक्करणीयता (Severability)

इस समझौते के पूर्वगामी खंडों या प्रावधानों में से किसी की भी पूर्णतः या अंशतः अमान्यता या अप्रवर्तनीयता, ऐसे अनुभागों या प्रावधानों के शेष की वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगी। यदि इस समझौते का कोई भी महत्वपूर्ण प्रावधान अमान्य या अप्रवर्तनीय ठहराया जाता है, तो पक्षकार ऐसे अमान्य या अप्रवर्तनीय प्रावधान को बदलने के लिए नए प्रावधानों पर सद्भावनापूर्वक तुरंत बातचीत करेंगे ताकि इस समझौते को इसके मूल आशय और प्रभाव के जितना संभव हो सके करीब बहाल किया जा सके।

14.3 संपूर्ण समझौता (Entire Agreement)

यह समझौता, इसकी अनुसूचियों सहित, इस समझौते के विषय के संबंध में एएआई और एयरपोर्ट कंपनी के बीच संपूर्ण समझौते को समाहित करता है और ऐसे विषय के संबंध में लिखित या मौखिक अन्य सभी समझौतों का अतिक्रमण (supersede) करता है।

14.4 संशोधन (Amendment)

कोई भी संशोधन, परिवर्तन या अन्य बदलाव किसी भी पक्षकार पर तब तक बाध्यकारी नहीं होगा जब तक कि दोनों पक्षकारों द्वारा लिखित रूप में सहमति न दी गई हो।

14.5 अतिरिक्त दस्तावेज और कार्रवाइयां (Additional Documents and Actions)

14.5.1 एयरपोर्ट कंपनी वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए 2 (दो) वर्षों की शुरुआती अवधि के लिए डीजीसीए (DGCA) से एयरपोर्ट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए और तत्पश्चात, ठीक पूर्ववर्ती 2 (दो) वर्ष की अवधि के लिए जारी एयरपोर्ट लाइसेंस की समाप्ति से पहले अगले 2 (दो) वर्षों की अवधि के लिए इसके नवीनीकरण हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएगी। समय-समय पर ऐसा लाइसेंस प्राप्त करने, नवीनीकृत करने और बनाए रखने के लिए, एएआई लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा और किसी भी जांच और प्रक्रियाओं के निष्पादन में एयरपोर्ट कंपनी और डीजीसीए की सहायता करेगा तथा सीएनएस-एटीएम सेवाओं के संबंध में डीजीसीए के सभी निर्देशों का अनुपालन करेगा।

14.5.2 प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ऐसे अतिरिक्त दस्तावेजों को निष्पादित करने और सौंपने के लिए सहमत होता है, और ऐसी अतिरिक्त कार्रवाइयां करने और ऐसा सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत होता है जो इस समझौते के अंतर्निहित लेनदेन को पूरा करने और इसके आशय को प्रभावी करने के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हो।

14.6 प्रत्यक्ष समझौता (Direct Agreement)

एएआई, वरिष्ठ ऋणदाताओं के अनुरोध पर, इस समझौते की अनुसूची 5 के रूप में संलग्न प्रारूप में वरिष्ठ ऋणदाताओं के साथ एक प्रत्यक्ष समझौते में प्रवेश करेगा, जिसके तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, एएआई समझौते के तहत अपने समाप्ति के अधिकारों का उपयोग करने के अपने किसी भी इरादे का पूर्व नोटिस देने, ऐसे वरिष्ठ ऋणदाताओं को एयरपोर्ट कंपनी की ओर से चूक/व्यतिक्रम को सुधारने का अधिकार देने, और/या ऐसे वरिष्ठ ऋणदाताओं को कुछ परिस्थितियों में खुद को प्रतिस्थापित करने या इस समझौते के तहत एयरपोर्ट कंपनी के दायित्वों को पूरा करने और लाभों का आनंद लेने के लिए एक तीसरे पक्ष के स्थानापन्न को नियुक्त करने की अनुमति देने पर सहमत होता है।

14.7 विलंब से भुगतान के लिए ब्याज (Interest for Late Payment)

इस समझौते के अनुसरण में किसी पक्षकार को उचित रूप से देय कोई भी राशि जो भुगतान की नियत तिथि के बाद भी अदत्त रहती है, पर ब्याज लगेगा (निर्णय से पहले और बाद दोनों में), ऐसा ब्याज देय तिथि से लेकर उस राशि का पूर्ण भुगतान होने तक दिन-प्रतिदिन के आधार पर समय-समय पर प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक की प्राइम लेंडिंग दर से 2 (दो) प्रतिशत अंक अधिक की दर से अर्जित होगा।

14.8 कोई भागीदारी नहीं (No Partnership)

न तो यह समझौता और न ही कोई अन्य समझौता या व्यवस्था जिसका यह एक हिस्सा बनता है, और न ही ऐसे किसी समझौते या व्यवस्था के तहत पक्षकारों द्वारा अपने संबंधित दायित्वों का निष्पादन, पक्षकारों के बीच साझेदारी का गठन करेगा। किसी भी पक्षकार के पास किसी अन्य पक्षकार को अपने एजेंट या अन्यथा के रूप में बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं होगा (जब तक कि इस समझौते के आधार पर या अन्यथा लिखित रूप में स्पष्ट रूप से प्रदान न किया गया हो और रद्द न किया गया हो)।

14.9 कोई तीसरा पक्ष लाभार्थी नहीं (No Third Party Beneficiary)

यह समझौता इसके पक्षकारों के एकमात्र और अनन्य लाभ के लिए है और, इसके तहत ऋणदाताओं को स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए अधिकारों को छोड़कर, किसी भी तीसरे पक्ष के पक्ष में संविदात्मक संबंध या वाद-कारण (cause of action) का निर्माण नहीं करेगा।

14.10 प्रतिलेख / प्रतियां (Counterparts)

यह समझौता एक या अधिक प्रतिलेखों (counterparts) में निष्पादित किया जा सकता है जिनमें से प्रत्येक को मूल माना जाएगा और वे सभी मिलकर एक ही समझौता माने जाएंगे।

14.11 समय का महत्व (Time is of the Essence)

इस समझौते में समय का विशेष महत्व होगा, उल्लिखित तिथियों, अवधियों या दिन के समय के संबंध में भी और ऐसी किसी भी तिथि, अवधि या दिन के समय के संबंध में भी जिन्हें इस समझौते के अनुसार उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

14.12 समय की गणना (Computation of Time)

इस समझौते में संदर्भित समय भारतीय मानक समय (IST) में है। इस समझौते के तहत निर्धारित या अनुमत समय की किसी भी अवधि की गणना करने में, उस कार्य, घटना या व्यतिक्रम का दिन शामिल होगा जिससे निर्दिष्ट समय की अवधि शुरू होती है। यदि इस प्रकार गणना की गई अवधि का अंतिम दिन कोई कार्य दिवस नहीं है, तो अवधि अगले कार्य दिवस के अंत तक चलेगी।

14.13 शासी भाषा (Governing Language)

वह भाषा जो इस समझौते की व्याख्या को नियंत्रित करती है, अंग्रेजी भाषा है। किसी भी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्ष को दिए जाने वाले सभी नोटिस और अन्य सभी संचार और दस्तावेजीकरण जो किसी भी तरह से इस समझौते से प्रासंगिक हैं और जो इस समझौते के निष्पादन, कार्यान्वयन और समाप्ति से प्रासंगिक हैं, जिसमें किसी भी विवाद समाधान कार्यवाही तक सीमित नहीं है, अंग्रेजी भाषा में होंगे।

14.14 शासी कानून और अधिकार क्षेत्र (Governing Law and Jurisdiction)

यह समझौता भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा और उनके अनुसार अर्थ लगाया जाएगा। नई दिल्ली स्थित न्यायालयों के पास इस समझौते से उत्पन्न या उससे संबंधित सभी मामलों पर अधिकार क्षेत्र होगा।

14.15 एएआई द्वारा वचनबद्धताएं (Covenants by AAI)

एएआई बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से:

(क) सहमत होता है कि, यदि इसके या इसकी संपत्तियों के विरुद्ध इस समझौते या इस समझौते द्वारा परिकल्पित किसी लेनदेन के संबंध में किसी भी अधिकार क्षेत्र में कोई कार्यवाही लाई जाती है, तो स्वयं द्वारा या उसकी ओर से या उसकी संपत्तियों के संबंध में ऐसी कार्यवाहियों से कोई उन्मुक्ति (immunity) का दावा नहीं किया जाएगा;

(ख) किसी भी अधिकार क्षेत्र में ऐसी किसी भी कार्यवाही में इसके विरुद्ध किसी भी निर्णय या पंचाट के प्रवर्तन के संबंध में ऐसी कार्यवाहियों के संबंध में किसी भी राहत की स्वीकृति या किसी भी प्रक्रिया को जारी करने के लिए सामान्य रूप से सहमति देता है (जिसमें ऐसे किसी भी निर्णय या पंचाट का निष्पादन या प्रवर्तन शामिल है)।

इसके साक्ष्य में यह समझौता शुरू में बताई गई तिथि को निष्पादित किया गया है:

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से और उनके लिए हस्ताक्षरित, सील बंद और वितरित

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (नागरिक हवाई अड्डा कंपनी) के निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसरण में एयरपोर्ट कंपनी की सामान्य मुहर (COMMON SEAL)

संलग्न की गई है...

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

उपस्थिति में:

1.

2.

अनुसूची 1 (SCHEDULE 1)

भाग 1: एयरपोर्ट कंपनी के उपकरण (Part 1: Airport Company's Equipment)

1. रनवे (Runway)
2. रनवे लाइटिंग और मार्किंग (Runway lighting and marking)
3. टैक्सीवे (Taxiway)
4. टैक्सीवे लाइटिंग और मार्किंग (Taxiway lighting and marking)
5. साइन-बोर्ड / संकेत (Signage)
6. एप्रन (Apron)
7. एप्रन लाइटिंग और मार्किंग (Apron lighting and marking)
8. सुविधा / फैसिलिटी (Facility)
9. एएआई उपकरणों से संबंधित सिविल कार्य (केवल नींव) (Civil works related to AAI Equipment)
10. पैपी (PAPI) और एप्रोच लाइटिंग
11. एरोड्रोम बीकन (टावर पर) (Aerodrome beacon)
12. लैंडिंग दिन और रात की मार्किंग (Landing day and night marking)
13. पवन दिशा सूचक (प्रकाश युक्त) / विंड डायरेक्शन इंडिकेटर (Wind direction indicator - Lighted)
14. आइसोलेशन बे (Isolation bay)
15. द्वितीयक बिजली आपूर्ति (Secondary power supply)
16. एटीसी (ATC) और एयरपोर्ट फायर ब्रिगेड के बीच हॉट लाइन्स
17. क्रैश बेल, केबल बिछाना और सायरन (Crash bell, cabling and siren)
18. एयरफील्ड लाइटिंग के लिए कंट्रोल पैनल और मॉनिटरिंग सिस्टम

19. दृश्य सहायकों का उन्नयन (भविष्य) (Upgrade visual aids - future)
20. हवाई अड्डे के स्थल के पहुंच मार्गों के अलावा परिचालन क्षेत्र के पहुंच मार्ग
21. नेविगेशन सहायता / रडार (Navigation aids / Radar)
22. एएआई कार्मिकों और उसके एजेंटों के लिए कार्यालय और आवासीय आवास
23. नेविगेशनल एड्स / रडार प्रतिष्ठानों के लिए भवन
24. एटीसी भवन में ईपीएबीएक्स (EPABX) एक्सटेंशन, एसटीडी सुविधा वाला ऑटो टेलीफोन, फैक्स, हॉटलाइन और सेल फोन
25. आईसीएओ विनिर्देश के अनुसार सिग्नल क्षेत्र (Signal area as per ICAO specification)
26. एटीसी टावर में प्रिंटर और इंटरनेट कनेक्शन वाला कंप्यूटर

भाग 2: एएआई उपकरण (Part 2: AAI Equipment)

एएआई प्रासंगिक आईसीएओ अनुसूची और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार सीएनएस-एटीएम उपकरण प्रदान करेगा जैसा कि प्रस्तावित विमान संचालन के लिए आवश्यक है, न्यूनतम निम्नलिखित उपकरण प्रदान किए जाते हैं:

1. सहायक उपकरणों के साथ वीएचएफ संचार सेट (VHF Communication sets with accessories)
2. डीवीओआर/डीएमई या एनडीबी (DVOR/DME or NDB)
3. वॉइस रिकॉर्डर (Voice Recorder)
4. आईएलएस (श्रेणी-1) और एलपी डीएमई (ILS Cat-1 & LP DME)
5. जीपीएस क्लॉक सिस्टम (GPS Clock System)

अनुसूची 2 (SCHEDULE 2)

एएआई कार्मिकों और एएआई उपकरणों के लिए कार्यालय और आवासीय आवास, कार पार्किंग और स्टैंडबाय पावर सप्लाई (Office and residential Accommodation, Car Parking and Standby Power Supply for AAI Personnel and AAI Equipment)

1. नियंत्रण टावर (Control Tower): एयरपोर्ट कंपनी आवश्यकतानुसार विभिन्न एटीएस (ATS) इकाइयों, नेविगेशनल एड्स और रडार भवन को समायोजित करने के लिए 21/32/50 वर्ग मीटर (जैसा भी लागू हो) का क्षेत्र, तकनीकी ब्लॉक उपलब्ध कराएगी।
2. कार्यालय (Offices): एयरपोर्ट कंपनी निर्दिष्ट वर्ग मीटर का क्षेत्र उपलब्ध कराएगी।
3. कार पार्किंग (Car Parking): एयरपोर्ट कंपनी हवाई अड्डे पर 25 (पचीस) कार पार्किंग स्थान उपलब्ध कराएगी।

4. स्टैंडबाय आपूर्ति (Standby Supply): एयरपोर्ट कंपनी एएआई सेवाओं के प्रावधान के लिए एएआई को हवाई अड्डे पर पर्याप्त स्टैंडबाय बिजली क्षमता उपलब्ध कराएगी।

5. एएआई कार्मिकों और उसके एजेंटों के लिए आवासीय आवास।

एएआई कर्मचारियों की ओर से एएआई द्वारा भुगतान किया जाने वाला आवासीय आवास के लिए लाइसेंस शुल्क डीपीई (DPE) दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

अनुसूची 3 (SCHEDULE 3)

सीएनएस/एटीएम सेवाएं (CNS/ATM Services)

एएआई ऐसे हवाई क्षेत्र की पार्श्व और लंबवत सीमाओं के भीतर हवाई क्षेत्र के विन्यास के लिए उपयुक्त के रूप में हवाई अड्डे पर निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगा और उनका समन्वय करेगा:

1. सतह संचलन नियंत्रण (surface movement control) और एप्रन नियंत्रण सेवा सहित एरोड्रोम नियंत्रण सेवा (Aerodrome Control Service);
2. एप्रोच कंट्रोल / एप्रोच रडार कंट्रोल सर्विस (यदि नियोजित हो);
3. एरिया कंट्रोल / एरिया रडार कंट्रोल सर्विस;
4. संबद्ध सेवाएं जैसे वैमानिक मोबाइल सेवा (AMS), वैमानिक फिक्स्ड सेवाएं (AFS), वैमानिक सूचना सेवा (AIS), उड़ान सूचना सेवा (Flight Information Service), परामर्शदात्री सेवा (Advisory Service), सचेतक सेवा (Alerting Service) और खोज एवं बचाव समन्वय सेवाएं (Search & Rescue Coordination Services) आवश्यकतानुसार।

...सब संबंधित आईसीएओ (ICAO) अनुबंधों और दस्तावेजों (समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार और प्रस्तावित विमान परिचालनों के लिए यथा आवश्यक होगा।

अनुसूची 4 (SCHEDULE 4)

फोर्स मेज्योर की परिभाषा (Definition of Force Majeure)

इस समझौते में, "फोर्स मेज्योर" (Force Majeure) का अर्थ किसी भी ऐसे कार्य, घटना या परिस्थिति या कार्यों, घटनाओं और परिस्थितियों के संयोजन से है, जिसका उल्लेख पैराग्राफ (A) में किया गया है, जो प्रभावित पक्ष (Affected Party) के उचित नियंत्रण से परे हैं और जिन्हें प्रभावित पक्ष द्वारा उत्तम उद्योग प्रथाओं (Good Industry Practice) या किसी भी सुविधाओं के निर्माण के संबंध में उचित कौशल और देखभाल के प्रयोग द्वारा रोका नहीं जा सकता था, और जो, या जिनका कोई भी परिणाम, इस समझौते के तहत किसी भी पक्ष द्वारा अपने दायित्वों के प्रदर्शन को पूर्ण या आंशिक रूप से रोकता, बाधित करता या विलंबित करता है।

"फोर्स मेज्योर" में निम्नलिखित घटनाएं और परिस्थितियां इस सीमा तक शामिल हैं कि वे, या उनके परिणाम, उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करते हैं:

क. निम्नलिखित प्रकार के कार्य, घटनाएं या परिस्थितियां:

(i) भारत के भीतर कार्य के निष्पादन या भारत के भीतर वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर नियोजित किसी भी पक्ष या उसके ठेकेदारों, या उनके संबंधित उप-ठेकेदारों, सेवकों या एजेंटों को शामिल करने वाली हड़तालें, तालाबंदी या अन्य औद्योगिक कार्रवाई या श्रम विवाद;

(ii) आकाशीय बिजली, भूकंप, आंधी, चक्रवात, तूफान, बवंडर, बाढ़, प्रक्षालन (washout), भूस्खलन, मृदा अपरदन, धंसाव, सूखा या पानी की कमी, और अन्य असामान्य या अत्यधिक प्रतिकूल मौसम या पर्यावरणीय स्थितियां या तत्वों की कार्रवाई, उल्कापिंड या विमान या अन्य हवाई उपकरणों से गिरने वाली वस्तुएं, पराध्वनिक (supersonic) गति से यात्रा करने वाले विमान या अन्य हवाई उपकरणों के कारण दबाव तरंगों का उत्पन्न होना, आग या विस्फोट, रासायनिक या रेडियोधर्मी संदूषण या आयनकारी विकिरण (उन परिस्थितियों को छोड़कर जहां विस्फोट या संदूषण या विकिरण का स्रोत या कारण प्रभावित पक्ष या प्रभावित पक्ष द्वारा नियोजित या लगे हुए लोगों द्वारा स्थल पर या उसके पास लाया गया है या लाया गया था, जब तक कि यह हवाई अड्डे के किसी भी हिस्से के निर्माण या संचालन के लिए आवश्यक नहीं है या नहीं था);

(iii) हवाई अड्डे पर कोई दुर्घटना;

(iv) हवाईअड्डे के उद्घाटन की तारीख (Airport Opening Date) से पहले होने वाली, किसी भी माध्यम से पारगमन (transit) के दौरान और हवाई अड्डे में शामिल करने के उद्देश्य से की गई माल (cargo) की कोई आकस्मिक हानि या क्षति;

(v) हवाईअड्डे की हानि या गंभीर आकस्मिक क्षति;

(vi) महामारी (epidemic);

(vii) तोड़फोड़ (sabotage), आतंकवाद या ऐसे कृत्यों की धमकी;

(viii) युद्ध का कृत्य (चाहे घोषित हो या अघोषित), आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी शत्रु का कृत्य, नाकेबंदी (blockade), मालबंदी (embargo), क्रांति, दंगा, बम या नागरिक अशांति;

(ix) दैवीय कृत्य (act of God); या

(x) पूर्वगामी के समान प्रकृति का कोई कार्य, घटना या परिस्थिति।

ख. बशर्ते कि निम्नलिखित मामलों या उनके परिणामों में से कोई भी अप्राकृतिक घटना गठित करने या पैदा करने में सक्षम नहीं होगा:

(i) कोई भी भुगतान करने में विफलता या असमर्थता; या

(ii) बाजार की स्थितियों के प्रभाव जब तक कि ऐसी बाजार स्थितियां स्वयं किसी अप्राकृतिक घटना के कारण या उसका परिणाम न हों।

और इसके अलावा यह प्रावधान है कि ऊपर पैराग्राफ (A) में संदर्भित कोई कार्य, घटना या परिस्थिति जो मुख्य रूप से किसी तीसरे पक्ष या तीसरे पक्षों (बिना किसी सीमा के, हवाई अड्डे के निर्माण, ठेकेदार या प्रचालक (प्रचालकों), किसी पक्ष के संबद्ध निकाय (affiliate) या किसी पक्ष या उसके संबद्ध निकाय के उप-ठेकेदारों सहित) को प्रभावित करती है, जो इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन में किसी पक्ष को रोकती, बाधित करती या विलंबित करती है, तो वह इस अनुसूची 4 के तहत संबंधित पक्ष के लिए अप्राकृतिक घटना मानी जाएगी, यदि और जिस सीमा तक वह उस प्रकार या प्रकृति की है जो, यदि वह इस क्लॉज पर निर्भर रहने वाले पक्ष के साथ हुई होती, तो अप्राकृतिक घटना की परिभाषा के अंतर्गत आती।

अनुसूची 5 (SCHEDULE 5)

भारतीय विमानपतन प्राधिकरण प्रत्यक्ष समझौते का प्रारूप (Form of AAI Direct Agreement)

[हवाईअड्डा कंपनी के लेटरहेड पर]

[दिनांक]

[अध्यक्ष],

भारतीय विमानपतन प्राधिकरण (Airports Authority of India),

राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा परिसर,

नई दिल्ली-110003

प्रिय [अध्यक्ष],

हम भारतीय विमानपतन प्राधिकरण ("AAI") और हमारे ("हवाईअड्डा कंपनी") के बीच दिनांक _____ के सीएनएस/एटीएम सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधान के लिए समझौते (CNS/ATM Agreement) का संदर्भ लेते हैं।

जैसा कि सीएनएस/एटीएम समझौते में परिकल्पित है, हवाई अड्डा कंपनी वित्तपोषण समझौतों (Financing Agreements) (जैसा कि सीएनएस/एटीएम समझौते में परिभाषित है और जिनकी प्रतियां आपको सौंपी गई हैं) में प्रवेश करने का प्रस्ताव करती है, जिसके अनुसार सुरक्षित पक्षों (Secured Parties) (नीचे परिभाषित) ने महाराष्ट्र राज्य में नवी मुंबई में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए हवाई अड्डा कंपनी को वित्तपोषण प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है।

ऐसे वित्तपोषण की सुरक्षा के रूप में, हम आपको एतद्वारा सूचित करते हैं कि **II ("डीड") के अनुसार, जिसे कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों ("वरिष्ठ ऋणदाता" / Senior Lenders) के लाभ के लिए ट्रस्टी ("सुरक्षा ट्रस्टी" / Security Trustee) के रूप में II के पक्ष में निष्पादित किया जाना है, हवाई अड्डा कंपनी ने वरिष्ठ ऋणदाताओं के लाभ के लिए सुरक्षा ट्रस्टी को हवाईअड्डा कंपनी की सभी परिसंपत्तियों ("संपार्श्विक" / Collateral) पर एक प्रथम वरीयता सुरक्षा हित प्रदान किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सीएनएस/एटीएम समझौता भी शामिल है।**

सुरक्षा ट्रस्टी के साथ वरिष्ठ ऋणदाताओं को यहां "सुरक्षित पक्ष" (Secured Parties) कहा गया है।

हवाईअड्डा कंपनी अनुरोध करती है कि इस पावती और सहमति ("समझौता") की संलग्न प्रति पर हस्ताक्षर करके और लौटाकर, एएआई (AAI) सुरक्षित पक्षों के लाभ के लिए निम्नलिखित की पुष्टि करे और सहमति दे:

(क) एएआई (AAI):

- (i) डीड की एक प्रति की प्राप्ति स्वीकार करता है;
- (ii) सुरक्षित पक्षों के देय दायित्वों की सुरक्षा के रूप में सीएनएस/एटीएम समझौते में हवाई अड्डा कंपनी के सभी अधिकारों, स्वामित्व और हितों के सुरक्षित पक्षों के लाभ के लिए डीड के तहत एसाइनमेंट (और डीड के तहत एसाइनमेंट न हो सकने की सीमा तक, प्रभार/charge) के लिए सहमति देता है;
- (iii) सहमत है कि ऐसे एसाइनमेंट (या मामला अनुसार प्रभार) सीएनएस/एटीएम समझौते का उल्लंघन नहीं करते हैं या नहीं करेंगे, और
- (iv) सहमत है कि इस समझौते का निष्पादन और सुपुर्दगी सीएनएस/एटीएम समझौते के क्लॉज 11.2 में यथा उपबंधित ऐसे एसाइनमेंट (या मामला अनुसार प्रभार) और भावी एसाइनमेंट के लिए उसकी उचित लिखित सहमति है।

(ख) एएआई सहमत है कि:

- (i) यदि सुरक्षा ट्रस्टी ने हवाई अड्डा कंपनी द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा हितों के अनुसार सीएनएस/एटीएम समझौते के तहत हवाई अड्डा कंपनी के स्थान पर स्वयं को या अपने नामांकित व्यक्ति (designee) को प्रतिस्थापित करने के अपने अधिकारों का प्रयोग करने का विकल्प चुना है, तो, ऐसा सुरक्षा ट्रस्टी या उसका नामांकित व्यक्ति हवाई अड्डा कंपनी के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा, और
- (ii) यदि सुरक्षा ट्रस्टी हवाई अड्डा कंपनी द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा हितों के तहत उपायों के प्रयोग के अनुसार (चाहे फोरक्लोज़र द्वारा या अन्यथा) संपार्श्विक के सभी या किसी भी हिस्से को बेचता है या अन्यथा निपटाता है, तो खरीदार, सुरक्षा ट्रस्टी के अनुरोध पर और एएआई की पूर्व लिखित सहमति से (जिस सहमति को अनुचित रूप से नहीं रोका जाएगा), सीएनएस/एटीएम समझौते के तहत हवाई अड्डा कंपनी के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा, और दोनों में से किसी भी मामले में, प्रतिस्थापित पक्ष सीएनएस/एटीएम समझौते के तहत बेचे गए या निपटाए गए ऐसे संपार्श्विक के संबंध में हवाई अड्डा कंपनी के सभी अधिकारों, स्वामित्व और हितों का उत्तराधिकारी होगा और सीएनएस/एटीएम समझौते का निष्पादन कर सकेगा और लाभों का हकदार होगा मानो वह सीएनएस/एटीएम समझौते के तहत हवाई अड्डा कंपनी हो।

(ग) एएआई सहमत है कि वह सीएनएस/एटीएम समझौते के तहत हवाई अड्डा कंपनी को देय राशि का भुगतान विशेष रूप से सीधे और तत्काल उपलब्ध निधियों के रूप में [स्थल के स्थान का नाम] में ऐसे खाते में जमा करने के लिए करेगा, जैसा कि सुरक्षा ट्रस्टी समय-समय पर निर्देशित कर सकता है (और हवाई अड्डा कंपनी एतद्वारा एएआई को पूर्वोक्त अनुसार ऐसे भुगतान करने के लिए अधिकृत और निर्देशित करती है)। सुरक्षा ट्रस्टी या उसके नामांकित व्यक्ति द्वारा हवाई अड्डा कंपनी द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा हितों के अनुसार अपने अधिकारों के प्रयोग की स्थिति में, एएआई सीएनएस/एटीएम समझौते के तहत एएआई से देय राशि का भुगतान पिछली पंक्ति में निर्दिष्ट खाते में जमा करने के बजाय सीधे सुरक्षा ट्रस्टी को या उसके आदेश पर करने के लिए सुरक्षा ट्रस्टी से प्राप्त किसी भी और सभी लिखित निर्देशों का पालन करेगा (ऐसे भुगतानों के अन्य सभी नियम और शर्तें पिछली पंक्ति में दिए गए अनुसार रहेंगी) और हवाई अड्डा कंपनी को इन राशियों का भुगतान करने के अपने दायित्वों की पूर्ण संतुष्टि में होगा।

(घ) एएआई सहमत है कि वह डीड के अनुसार सुरक्षा ट्रस्टी को हवाई अड्डा कंपनी के वास्तविक और वैध अटॉर्नी के रूप में मान्यता देगा।

(ङ) एएआई सहमत है कि वह सुरक्षा ट्रस्टी को नोटिस जारी किए बिना सीएनएस/एटीएम समझौते को समाप्त नहीं करेगा या इसके तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन को निलंबित नहीं करेगा।

(च) एएआई सहमत है कि सुरक्षा ट्रस्टी किसी भी समय सीएनएस/एटीएम समझौते की शर्तों के अनुरूप ऐसी कार्रवाई करने या कार्रवाई करवाने का हकदार होगा जो उस घटना के निवारण के लिए आवश्यक हो सकती है जिसने नोटिस को जन्म दिया है।

(छ) एएआई सहमत है कि वह ऐसी किसी भी घटना के घटने पर तुरंत सुरक्षा ट्रस्टी को सूचित करेगा जो एएआई को सीएनएस/एटीएम समझौते के क्लॉज 10.2 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार देती है और सुरक्षा ट्रस्टी को प्रदान करेगा (हवाई अड्डा कंपनी को ऐसे नोटिस के जारी होने के साथ ही) ऐसी घटनाओं के घटने के किसी भी नोटिस की एक प्रति जिसमें इसके तहत उपचारात्मक अवधि (cure periods) की समाप्ति से पहले और बाद का कोई भी नोटिस शामिल है।

(ज) यह समझौता भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा और उनके अनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

(झ) इस समझौते से या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद या मतभेद, उसकी प्रकृति की परवाह किए बिना, सीएनएस/एटीएम समझौते के क्लॉज 12 के प्रावधानों के अनुसार विवाद समाधान के लिए संदर्भित किया जाएगा, जिन प्रावधानों को यहां संदर्भ द्वारा शामिल किया गया है और इसका एक हिस्सा बनाया गया है मानो ऐसे प्रावधान यहां पूरी तरह से निर्धारित किए गए थे।

(ञ) सीएनएस/एटीएम समझौते के क्लॉज 14.14 के प्रावधान इस समझौते पर लागू होंगे और संदर्भ द्वारा इसमें शामिल किए गए हैं और इसका एक हिस्सा बनाए गए हैं मानो ऐसे प्रावधान यहां पूरी तरह से निर्धारित किए गए थे।

(ट) यह समझौता बिना किसी अन्य कार्रवाई के उस तारीख को समाप्त हो जाएगा जिस दिन वरिष्ठ ऋणदाताओं का कोई बकाया ऋण (Debt Due) शेष नहीं रहेगा।

(ठ) यह समझौता प्रभावी तिथि (Effective Date) से प्रभावी होगा।

भवदीय,

हवाईअड्डा कंपनी (Airport Company)

द्वारा: _____

नाम: _____

पदनाम: [_____]

भारतीय विमानपतन प्राधिकरण एतद्वारा स्वीकार करता है और आज दिनांक _____ के अनुसार इस समझौते की पूर्वगामी शर्तों से बाध्य होने के लिए सहमत होता है।

द्वारा: _____

नाम: _____

पदनाम: _____

भारतीय विमानपतन प्राधिकरण द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से स्वीकार किया गया और सहमति व्यक्त की गई।

[_____] सुरक्षा ट्रस्टी के रूप में;

द्वारा: _____

नाम: _____

पदनाम: _____

अनुसूची प (SCHEDULE U)

समझौता ज्ञापन (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

(खण्ड 4.1.2(सी)(वी) और खण्ड 4.1.3(एच) देखें)

[उपयुक्त मूल्य के स्टांप पेपर पर निष्पादित किया जाना है]

[नोट: यह मसौदा भारत सरकार को उसकी स्वीकृति के लिए भेजा गया है और इसलिए, यह मसौदा भारत सरकार की स्वीकृति और उसके द्वारा सुझाए गए संशोधनों, यदि कोई हो, के अधीन होगा।]

यह समझौता ज्ञापन ("MoU") आज दिनांक _____ 20____ को _____ में निष्पादित किया गया:

द्वारा

भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के सचिव के माध्यम से कार्य करते हुए (इसके बाद "भारत सरकार / GOI" के रूप में संदर्भित, जिस अभिव्यक्ति में उनके उत्तराधिकारी और समनुदेशी शामिल माने जाएंगे);

और

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या U45200MH2007PTC169174 है और इसका पंजीकृत कार्यालय एयरपोर्ट डायरेक्टर के कार्यालय, टर्मिनल 1-B, सीएसआई एयरपोर्ट, सांताक्रूज़, मुंबई 400 099, महाराष्ट्र में है (इसके बाद "रियायतग्राही / Concessionaire" के रूप में संदर्भित, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी, अनुमति प्राप्त समनुदेशी और प्रतिस्थापकी शामिल होंगे)।

जैसा कि संदर्भ की आवश्यकता हो सकती है, भारत सरकार और रियायतग्राही को इसके बाद संयुक्त रूप से "पक्षों" (Parties) और व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" (Party) के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

जबकि:

क. भारत सरकार ("GOI") ने अपने पत्र संख्या AV 24011/1/95-VB (Vol.VI) दिनांक 6 जुलाई, 2007 ("भारत सरकार की मंजूरी") के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी ("PPP") के माध्यम से महाराष्ट्र

राज्य के नवी मुंबई में सार्वजनिक उपयोग के लिए हवाई अड्डे (जैसा कि रियायत समझौते में परिभाषित है) की स्थापना के लिए उसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन अपनी मंजूरी प्रदान की है।

ख. भारत सरकार की मंजूरी के आधार पर, महाराष्ट्र सरकार ("GOM") ने अपने शासन निर्णय संख्या CID-3307/1541/Pra. Kra-144/07/Na Vi-10 दिनांक 30 जुलाई, 2008 ("महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी") के माध्यम से परियोजना (नीचे परिभाषित) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी, और प्राधिकरण (नीचे परिभाषित) को इसके लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया।

ग. प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन और प्रस्तुतियों के आधार पर, परियोजना के कार्यान्वयन को शुरू करने से पहले आवश्यक लागू अनुमतियां (Applicable Permits) संबंधित सरकारी संस्थाओं से प्राधिकरण को प्रदान की गई थीं।

घ. रियायतग्राही के निगमनाधीन (incorporation) होने पर, प्राधिकरण और रियायतग्राही ने दिनांक 8 जनवरी, 2018 को एक रियायत समझौता ("Concession Agreement") निष्पादित किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन नियमों और शर्तों पर सहमति व्यक्त की गई और प्रावधान किया गया जिनके आधार पर रियायतग्राही DBFOT (डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर) के आधार पर हवाई अड्डे का विकास, संचालन और रखरखाव करेगा।

ङ. भारत सरकार स्वीकार करती है कि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए लागू कानूनों (Applicable Laws) के अनुसार और इसके बाद निर्धारित अनुसार भारत सरकार द्वारा रियायतग्राही को निरंतर सहायता और कुछ अधिकारों के अनुदान की आवश्यकता है, और यह परियोजना के लिए संसाधनों की लामबंदी (mobilisation of resources) के लिए एक आवश्यक पूर्व-शर्त है।

च. रियायतग्राही द्वारा रियायत समझौते में प्रवेश करने के प्रतिफल में और परियोजना के सुचारू संचालन और व्यवहार्यता के लिए, रियायत समझौते के तहत प्राधिकरण के दायित्वों के अलावा, भारत सरकार रियायतग्राही को कुछ सहायता प्रदान करने के लिए सहमत है जैसा कि यहाँ कहा गया है।

अब एतद्वारा निम्नलिखित अनुसार सहमति बनी है:

1. परिभाषाएं और व्याख्या (DEFINITIONS AND INTERPRETATION)

1.1 परिभाषाएं (Definitions)

इस समझौता ज्ञापन (MoU) में, केवल उस सीमा को छोड़कर जहां संदर्भ में अन्यथा आवश्यक हो और जब तक कि नीचे परिभाषित न किया गया हो या अन्यथा इस समझौता ज्ञापन में विशेष रूप से परिभाषित न किया गया हो, इसमें उपयोग किए गए अन्य बड़े अक्षरों वाले शब्दों (और जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं)

लेकिन रियायत समझौते के तहत परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो रियायत समझौते के तहत उस शब्द को दिया गया है:

- **"पशु संगरोध सेवाएं" (Animal Quarantine Services)** का अर्थ संगरोध सेवाएं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) होंगी जैसा कि संलग्न अनुबंध 1 (Annex 1) में निर्धारित किया गया है;
- **"पशु संगरोध सेवा प्रतिनिधि"** का अर्थ पशु संगरोध सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि होगा, जिसे संयुक्त समन्वय समिति में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा;
- **"लागू अनुमतियां" (Applicable Permits)** का अर्थ भारत सरकार या भारत सरकार के किसी भी विभाग/एजेंसी से प्राप्त की जाने वाली और/या उसके बाद इस MoU के अस्तित्व के दौरान परियोजना के संबंध में लागू कानूनों के तहत बनाए रखी जाने वाली सभी मंजूरीयां, लाइसेंस, परमिट, प्राधिकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, सहमतियां, अनुमोदन और छूट होंगी;
- **"मध्यस्थ अधिकरण" (Arbitral Tribunal)** का वही अर्थ है जो नीचे क्लॉज 7.3.3 में दिया गया है;
- **"प्राधिकरण" (Authority)** का अर्थ सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड (सिडको) होगा, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी है, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या U99999MH1970SGC014574 है और इसका पंजीकृत कार्यालय निर्मल, दूसरी मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021, महाराष्ट्र में है और इसका प्रतिनिधित्व इसके उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है;
- **"प्राधिकरण प्रतिनिधि"** का अर्थ प्राधिकरण का अधिकृत प्रतिनिधि होगा;
- **"सीएनएस/एटीएम सेवाएं" (CNS/ATM Services)** का अर्थ हवाई यातायात प्रबंधन के लिए संचार, नौवहन और निगरानी प्रणालियों से संबंधित सेवाएं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) होंगी, जैसा कि संलग्न अनुबंध 2 (Annex 2) में निर्धारित किया गया है;
- **"सीएनएस/एटीएम सेवा प्रतिनिधि"** का अर्थ सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि होगा, जिसे संयुक्त समन्वय समिति में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा;
- **"रियायत समझौता" (Concession Agreement)** का वही अर्थ है जो ऊपर प्रस्तावना D (Recital D) में दिया गया है;
- **"रियायतग्राही" (Concessionaire)** का वही अर्थ है जो पक्षों की सूची में उस शब्द को दिया गया है या कोई अन्य पक्ष जिसे परियोजना के लिए रियायतग्राही के रूप में प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया जा सकता है;
- **"रियायतग्राही प्रतिनिधि"** का अर्थ कम से कम निदेशक पद के प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) से होगा, जिन्हें संयुक्त समन्वय समिति में समय-समय पर रियायतग्राही द्वारा नामित किया जाएगा;
- **"सीमा शुल्क नियंत्रण" (Customs Control)** का अर्थ सीमा शुल्क से संबंधित सेवाएं होंगी जैसा कि संलग्न अनुबंध 3 (Annex 3) में निर्धारित किया गया है;
- **"सीमा शुल्क नियंत्रण प्रतिनिधि"** का अर्थ सीमा शुल्क नियंत्रण सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि होगा, जिसे संयुक्त समन्वय समिति में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा;
- **"डीजीसीए" (DGCA)** का अर्थ नागरिक उड्डयन महानिदेशालय या उसका कोई स्थानापन्न होगा;

- **"प्रभावी तिथि" (Effective Date)** का अर्थ इस MoU के अंतिम पक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की तिथि होगी और ऐसी तिथि रियायत समझौते में उपबंधित नियत तिथि (Appointed Date) से बाद की नहीं होगी;
- **"भारत सरकार / GOI"** का वही अर्थ है जो इस MoU की प्रस्तावना A में दिया गया है;
- **"भारत सरकार की मंजूरी"** का वही अर्थ है जो इस MoU की प्रस्तावना A में दिया गया है;
- **"भारत सरकार की सहायता" (GOI Support)** का अर्थ इस MoU के क्लॉज 2 में दिया गया अर्थ है;
- **"महाराष्ट्र सरकार / GOM"** का वही अर्थ है जो इस MoU की प्रस्तावना B में दिया गया है;
- **"महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी"** का वही अर्थ है जो इस MoU की प्रस्तावना B में दिया गया है;
- **"स्वास्थ्य सेवाएं" (Health Services)** का अर्थ अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाएं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) होंगी जैसा कि संलग्न अनुबंध 4 (Annex 4) में निर्धारित किया गया है;
- **"स्वास्थ्य सेवा प्रतिनिधि"** का अर्थ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि होगा, जिसे संयुक्त समन्वय समिति में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा;
- **"इमिग्रेशन सेवाएं / आब्रजन सेवाएं" (Immigration Services)** का अर्थ लागू कानून के अनुसार आब्रजन सेवाएं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) होंगी जैसा कि संलग्न अनुबंध 5 (Annex 5) में निर्धारित किया गया है;
- **"इमिग्रेशन सेवा प्रतिनिधि"** का अर्थ आब्रजन सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि होगा, जिसे संयुक्त समन्वय समिति में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा;
- **"संयुक्त समन्वय समिति" (Joint Co-ordination Committee)** का वही अर्थ है जो नीचे क्लॉज 4.1.1 में दिया गया है;
- **"मौसम विज्ञान सेवाएं" (Meteorological Services)** का अर्थ मौसम संबंधी सेवाएं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) होंगी, जैसा कि संलग्न अनुबंध 6 (Annex 6) में निर्धारित किया गया है;
- **"मौसम विज्ञान सेवा प्रतिनिधि"** का अर्थ मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि होगा, जिसे संयुक्त समन्वय समिति में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा;
- **"समझौता ज्ञापन / MoU"** या "यह एमओयू" का अर्थ यह समझौता ज्ञापन होगा;
- **"पादप संगरोध सेवाएं" (Plant Quarantine Services)** का अर्थ संगरोध सेवाएं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) होंगी, जैसा कि संलग्न अनुबंध 7 (Annex 7) में निर्धारित किया गया है;
- **"पादप संगरोध सेवा प्रतिनिधि"** का अर्थ पादप संगरोध सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि होगा, जिसे संयुक्त समन्वय समिति में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा;
- **"परियोजना" (Project)** का वही अर्थ है जो रियायत समझौते में दिया गया है;
- **"पीपीपी" (PPP)** का वही अर्थ है जो ऊपर प्रस्तावना A में दिया गया है;
- **"आरक्षित सेवाएं" (Reserved Services)** का वही अर्थ है जो क्लॉज 2.3 में दिया गया है;
- **"सुरक्षा सेवाएं" (Security Services)** का अर्थ सुरक्षा सेवाएं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) होंगी, जैसा कि संलग्न अनुबंध 8 (Annex 8) में निर्धारित किया गया है;

- **"सुरक्षा सेवा प्रतिनिधि"** का अर्थ सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि होगा, जिसे संयुक्त समन्वय समिति में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा;
- **"शेयर्ड टिल अप्रूवल" (Shared Till Approval)** का वही अर्थ है जो नीचे क्लॉज 2.2.1 में दिया गया है; और
- **"अवधि" (Term)** का वही अर्थ है जो क्लॉज 5.1 में दिया गया है।

1.2 व्याख्या के नियम (Rules of Interpretation)

1.2.1 बड़े अक्षरों से शुरू होने वाले और इस समझौता ज्ञापन में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ यहाँ दिया गया है, और इस समझौता ज्ञापन में उपयोग किए गए शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं लेकिन रियायत समझौते में परिभाषित हैं, उनका अर्थ, जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल न हो, वही होगा जो रियायत समझौते में दिया गया है।

1.2.2 खण्डों के संदर्भ, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, इस समझौता ज्ञापन (MoU) के खण्डों के संदर्भ हैं।

1.2.3 रियायत समझौते के खण्ड 1.2, 1.3 और 14 में बताए गए व्याख्या के नियम यथोचित परिवर्तनों सहित (mutatis mutandis) इस एमओयू पर लागू होंगे।

2. भारत सरकार की सहायता (GOI SUPPORT)

प्रभावी तिथि से, भारत सरकार एतद्वारा परियोजना के संबंध में निम्नलिखित सहायता ("भारत सरकार की सहायता") प्रदान करने का वचन देती है:

2.1 लागू अनुमतियाँ (Applicable Permits)

2.1.1 भारत सरकार, रियायतग्राही से लिखित अनुरोध पर और रियायतग्राही द्वारा लागू कानूनों का अनुपालन करने के अधीन, प्रासंगिक वैधानिक अवधि (यदि कोई हो) के भीतर परियोजना के लिए या उसके संबंध में आवश्यक ऐसी लागू अनुमतियाँ रियायतग्राही को प्रदान करने का प्रयास करेगी। पक्ष सहमत हैं कि जहाँ कोई वैधानिक अवधि निर्धारित नहीं है, वहाँ भारत सरकार रियायतग्राही से ऐसा लिखित अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर परियोजना के संबंध में आवश्यक लागू अनुमतियाँ प्रदान करने के लिए सभी उचित प्रयासों का उपयोग करेगी, जो कि रियायतग्राही द्वारा लागू अनुमतियाँ प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्दिष्ट सभी मानदंडों को पूरा करने के अधीन होगा।

2.1.2 रियायतग्राही एतद्वारा वचन देता है कि लागू अनुमतियों के अनुदान में तेजी लाने के लिए, वह लगन से और समयबद्ध तरीके से:

(क) संबंधित अधिकारियों के पास आवेदन तैयार करेगा और दाखिल करेगा, जो लागू कानून के पूर्ण अनुपालन में हों;

(ख) संबंधित अधिकारियों के साथ पूर्वोक्त आवेदनों का अनुवर्ती (follow-up) कार्रवाई करेगा; और

(ग) आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण के सभी अनुरोधों का समयबद्ध तरीके से उत्तर देगा।

2.2 शुल्क के निर्धारण और संशोधन के सिद्धांत (Principles for Determination and Revision of Fees)

2.2.1 नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या F. No. AV 24011/1/95-VB दिनांक 8 दिसंबर, 2014 ("Shared-Till Approval") के माध्यम से हवाई अड्डे के लिए वैमानिक शुल्कों (Aeronautical Charges) के निर्धारण और विनियमन के लिए 30% (तीस प्रतिशत) शेयर्ड-टिल ढांचे को मंजूरी दी है।

2.2.2 वैमानिक शुल्कों को शेयर्ड-टिल मंजूरी, रियायत समझौते की शर्तों और लागू कानूनों के अनुसार विनियमित और निर्धारित/पुनर्निर्धारित किया जाएगा। हालांकि शर्त यह है कि, रियायत समझौते की शर्तों के तहत और उसके अनुसार रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को भुगतान किया गया/देय प्रीमियम, वैमानिक सेवाओं के प्रावधान की लागत के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा और इसके संबंध में कोई पास-थ्रू उपलब्ध नहीं होगा।

2.2.3 वैमानिक शुल्कों के निर्धारण के उद्देश्य से रियायत शुल्क (Concession Fees) को परिचालन व्यय (operating expense) के एक भाग के रूप में माना जाएगा।

2.2.4 हवाईअड्डे के भीतर संप्रभु सेवाएं (sovereign services) प्रदान करने के लिए रियायतग्राही द्वारा किसी भी सरकारी संस्था को या उसकी ओर से किए गए किसी भी भुगतान को वैमानिक शुल्कों के निर्धारण के उद्देश्य से पास-थ्रू (pass through) माना जाएगा।

2.2.5 कहीं भी निहित किसी भी प्रतिकूल बात के बावजूद, रियायतग्राही रियायत समझौते के खण्ड 15.1.1 के अनुसार चरण I सीओडी (चरण I व्यावसायिक संचालन तिथि) से हवाईअड्डे के उपयोगकर्ताओं से आईआरए (AERA - विमानपतन आर्थिक नियामक प्राधिकरण) द्वारा अनुमोदित टैरिफ की प्रारंभिक/तदर्थ (ad-hoc) दरों पर वैमानिक शुल्क लगाने, एकत्र करने और विनियोजित करने का हकदार होगा। टैरिफ की ऐसी प्रारंभिक/तदर्थ दरें आईआरए अधिनियम और मौजूदा आईआरए दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार आईआरए द्वारा वैमानिक शुल्कों के अनुमोदन तक लागू और वैध होंगी। पहले नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ आदेश में स्वीकार्य राजस्व में उचित समायोजन आईआरए अधिनियम और मौजूदा आईआरए दिशानिर्देशों के अनुसार आईआरए के पास रियायतग्राही द्वारा दायर बहु-वर्षीय टैरिफ प्रस्ताव के आधार पर किया जाएगा।

2.2.6 रियायत समझौते के खण्ड 15.1.1 के अनुसार चरण I COD से शुरू होने वाले प्रथम नियंत्रण अवधि (वर्तमान में 5 (पांच) वर्ष) के लिए आईआरए द्वारा अनुमोदित तदर्थ या अंतिम वैमानिक शुल्कों के संबंध में वैमानिक राजस्व की किसी भी कम-वसूली (under-recovery) या अधिक-वसूली (over-recovery) को आगे बढ़ाया जाएगा और समायोजित किया जाएगा, जबकि दूसरी टैरिफ नियंत्रण अवधि में स्वीकार्य वैमानिक राजस्व का निर्धारण करते समय, आईआरए द्वारा समय-समय पर जारी नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार, बशर्ते कि ऐसा कैरी-फॉरवर्ड या समायोजन केवल आईआरए अधिनियम और मौजूदा आईआरए दिशानिर्देशों के अनुसार आईआरए द्वारा निर्धारित वैमानिक राजस्व की कम-वसूली या अधिक-वसूली के संबंध में ही उपलब्ध होगा।

2.2.7 रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार आरक्षित सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मियों के लिए आवास प्रावधान के लिए हुई निर्माण लागत को वैमानिक शुल्क निर्धारित करने के उद्देश्य से पास-थ्रू के रूप में माना जाएगा।

2.2.8 रियायत समझौते के खण्ड 25.2 के अनुसार रियायतग्राही द्वारा भुगतान किए गए पूर्व-परिचालन व्यय (pre-operative expenses) को परियोजना परिसंपत्तियों पर पूंजीकृत (capitalised) किया जाएगा जो वैमानिक शुल्कों के निर्धारण के उद्देश्यों के लिए विनियमित परिसंपत्ति आधार (regulated asset base) का हिस्सा बनेगी।

2.2.9 स्थल के अंदर और बाहर विकास-पूर्व कार्यों से संबंधित सॉफ्ट लोन (Soft Loan), जहां तक यह रियायत समझौते के तहत अनिवार्य लागत का हिस्सा है, को वैमानिक शुल्कों के निर्धारण के लिए 0% पूंजी लागत पर विनियमित परिसंपत्ति आधार में शामिल किया जाएगा।

2.2.10 भूमि विकास कार्यों के लिए सॉफ्ट लोन से अधिक रियायतग्राही द्वारा वहन की गई वृद्धिशील लागत (Incremental costs), यदि कोई हो, रियायत समझौते की शर्तों के तहत अनुमेय सीमा तक, वैमानिक शुल्कों के निर्धारण के लिए आईआरए द्वारा विनियमित परिसंपत्ति आधार में शामिल की जाएगी।

2.3 आरक्षित सेवाएं (Reserved Services)

2.3.1 भारत सरकार पूरे कार्यकाल के दौरान हवाईअड्डे पर निम्नलिखित सेवाएं ("आरक्षित सेवाएं") प्रदान करेगी, या प्रदान करवाएगी:

(क) सीएनएस/एटीएम सेवाएं (CNS/ATM Services);

(ख) सीमा शुल्क नियंत्रण (Customs Control);

(ग) इमिग्रेशन सेवाएं / आव्रजन सेवाएं (Immigration Services);

(घ) पादप संगरोध सेवाएं (Plant Quarantine Services);

(ङ) पशु संगरोध सेवाएं (Animal Quarantine Services);

(च) स्वास्थ्य सेवाएं (Health Services);

(छ) मौसम विज्ञान सेवाएं (Meteorological Services);

(ज) सुरक्षा सेवाएं (Security Services);

(झ) कोई भी अन्य सेवाएं जिन्हें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नामित किया जाए।

2.3.2 भारत सरकार एतद्वारा रियायतग्राही और आरक्षित सेवाएं प्रदान करने वाली प्रत्येक नामित भारत सरकार एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन के निष्पादन को सुरक्षित करने का वचन देती है, जिसमें वे नियम और शर्तें निर्धारित की जाएंगी जिन पर संबंधित नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा आरक्षित सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस संबंध में, रियायतग्राही उपयोगिता लागतों (जैसे बिजली, पानी आदि, जो रियायतग्राही द्वारा वसूल योग्य होंगी, और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार होंगी) को छोड़कर, उनके संबंधित सेवाओं के निष्पादन और उनके वैधानिक कार्यों के निर्वहन के लिए परिचालन क्षेत्रों के लिए आवश्यक कार्यालय उपयोगिताओं के साथ कार्यालय स्थान मुफ्त प्रदान करेगा। नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा बैंक ऑफिस उपयोग के लिए स्थान के संबंध में, रियायतग्राही लागू बाजार दरों के अधिकतम 50% (पचास प्रतिशत) की दर तक स्थान उपयोग शुल्क ले सकता है।

2.3.3 रियायतग्राही उस नामित भारत सरकार एजेंसी की सहमति के बिना हवाईअड्डे पर किसी भी नामित भारत सरकार एजेंसी को दिए गए स्थान और सुविधाओं को कम करने का हकदार नहीं होगा।

- 2.3.4 हवाईअड्डे पर किसी ऐसे विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास की स्थिति में, जिसमें आरक्षित सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए या अन्यथा किसी नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा उपयोग किए जा रहे किसी स्थान या सुविधाओं का स्थानांतरण या पुनर्संरचना शामिल हो, रियायतग्राही नामित भारत सरकार एजेंसी को विधिवत सूचित करेगा तथा रियायतग्राही और वह नामित भारत सरकार एजेंसी, हवाई अड्डे पर ऐसे विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास के परिणामस्वरूप उस नामित भारत सरकार एजेंसी की स्थान संबंधी आवश्यकताओं में अपेक्षित किसी भी परिवर्तन पर चर्चा करेंगे और सहमति बनाएंगे।
- 2.3.5 रियायतग्राही आरक्षित सेवाओं के प्रदाताओं से आवासीय आवास का किराया वसूल करेगा, जिस राशि का भुगतान लागू विधियों/ संबंधित आरक्षित सेवाओं के प्रदाताओं के प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

2.4 भारत सरकार एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन

भारत सरकार एतद्वारा रियायतग्राही और इसके अंतर्गत आरक्षित सेवाएं प्रदान करने वाली प्रत्येक भारत सरकार एजेंसी/विभाग के बीच समझौता ज्ञापन का निष्पादन सुनिश्चित कराने का वचन देती है, जिसमें वे निबंधन और शर्तें निर्धारित होंगी जिन पर संबंधित भारत सरकार एजेंसियों/विभागों द्वारा आरक्षित सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

2.5 द्विपक्षीय हवाई सेवा करार

भारत सरकार के संप्रभु अधिकारों का अतिक्रमण किए बिना या उन्हें किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित किए बिना, भारत सरकार, जहां साध्य हो, सभी विद्यमान हवाई सेवा करारों का नवीकरण करने का प्रयास करेगी और हवाई अड्डे को प्रभावित करने वाले किसी भी विद्यमान हवाई सेवा करार को प्रतिसंहत या समाप्त न करने का प्रयास करेगी। भारत सरकार किसी अन्य राज्य या उसके नामित वाहक(कों) द्वारा ऐसे हवाई सेवा करार के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन करने में विफलता के कारण, या ऐसे हवाई सेवा करार के दूसरे पक्ष द्वारा किए गए उल्लंघन या चूक के परिणामस्वरूप, किसी भी हवाई सेवा करार को प्रतिसंहत या समाप्त करने की हकदार होगी।

2.6 सीमा शुल्क, आप्रवासन और संगरोध

रियायतग्राही लागू विधियों के अनुसार हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क, आप्रवासन और संगरोध प्रक्रियाएं स्थापित करेगा। लागू विधियों के अंतर्गत इस संबंध में आवश्यक लागू अनुमतियां प्राप्त करने के लिए विहित शर्तों की पूर्ति के अधीन रहते हुए, भारत सरकार ऐसी आवश्यक लागू

अनुमतियां प्राप्त करने में रियायतग्राही को सुविधा प्रदान करने तथा भारत सरकार के समक्ष लंबित किसी भी मुद्दे का समाधान करने का प्रयास करेगी।

2.7 सुरक्षा

- 2.7.1 भारत सरकार पुष्टि करती है कि जब तक इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत अन्यथा सहमति न हो, वह नामित भारत सरकार एजेंसी के माध्यम से लागू विधियों के उपबंधों के अनुसार हवाईअड्डे पर संपूर्ण विमानन सुरक्षा प्रदान करेगी। पक्षकार यह स्वीकार करते हैं कि प्रति प्रस्थान यात्री सुरक्षा हेतु लगाए जाने वाले शुल्क तथा उसके संग्रहण और उपयोग को नागर विमानन मंत्रालय (MoCA) द्वारा समय-समय पर जारी लागू दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
- 2.7.2 इस समझौता ज्ञापन के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही हवाईअड्डे की सुरक्षा के संबंध में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) और किसी अन्य नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा स्थापित ऐसे नियमों और विनियमों का अनुपालन करेगा।
- 2.7.3 रियायतग्राही हवाईअड्डे पर सुरक्षा की व्यवस्था हेतु BCAS और किसी अन्य नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित ऐसे सभी सुरक्षा उपकरणों को उपलब्ध कराने और उनका अनुरक्षण करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 2.7.4 हवाईअड्डा भवन, यात्रियों, हवाईअड्डे पर कार्यरत व्यक्तियों तथा हवाईअड्डे पर आने वाले अन्य आगंतुकों और हवाईअड्डे पर विमान, माल-भाड़ा और अन्य संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं बीसीएएस और किसी अन्य नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा यथाविहित होंगी। रियायतग्राही बीसीएएस और किसी अन्य नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा समय-समय पर जारी ऐसी सभी प्रक्रियाओं और निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।
- 2.7.5 रियायतग्राही सभी समय नामित सुरक्षा एजेंसियों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करेगा।

2.8 मौसम विज्ञान सेवा

- 2.8.1 भारत सरकार पुष्टि करती है कि वह भारत मौसम विज्ञान विभाग के माध्यम से या किसी अन्य नामित भारत सरकार एजेंसी के माध्यम से, अंतरराष्ट्रीय हवाई नौवहन हेतु मौसम विज्ञान सेवा पर शिकागो अभिसमय के अनुसरण में समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित पद्धतियों के अनुसार हवाईअड्डे पर मौसम विज्ञान सेवाएं प्रदान कराएगी।
- 2.8.2 भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा या किसी अन्य नामित भारत सरकार एजेंसी के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कार्य तथा इस खंड 2.8 के अंतर्गत रियायतग्राही द्वारा प्रदान की जाने वाली पहुंच और स्थान उत्तम उद्योग पद्धतियों के अनुसार प्रदान किए जाएंगे।

2.9 गैर-भेदभाव

समय-समय पर प्रवृत्त लागू विधियों और अंतरराष्ट्रीय संधि दायित्वों के अधीन रहते हुए, भारत सरकार हवाई अड्डे का उपयोग करने के लिए अनुमत हवाई यातायात के वर्गों या विवरणों के संबंध में गैर-भेदभाव की नीति का पालन करेगी तथा युक्तियुक्त विनियमों के अधीन रहते हुए, हवाई अड्डे पर विमान संचलन पर कोई अनुचित परिसीमा अधिरोपित न करने या हवाई अड्डे की क्षमता को अन्यथा प्रतिबंधित न करने का प्रयास करेगी।

3. रियायतग्राही के दायित्व

3.1 रियायत करार, लागू विधियों और लागू अनुमतियों का अनुपालन

रियायतग्राही सभी समय रियायत करार, लागू विधियों और लागू अनुमतियों के निबंधनों का अनुपालन करेगा। रियायतग्राही एतद्वारा समझता है, अभिस्वीकार करता है और सहमत है कि यदि रियायतग्राही रियायत करार, लागू विधियों या लागू अनुमतियों के किसी भी निबंधन का उल्लंघन करता है या उसमें चूक करता है, तो भारत सरकार इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत अपने भाग का निष्पादन करने के किसी दायित्व के अधीन नहीं होगी।

3.2 सरकारी तंत्रों के साथ समन्वय

रियायतग्राही विस्तृत डिज़ाइन चरण के दौरान संबंधित सरकारी तंत्रों से परामर्श करेगा और ऐसे सरकारी तंत्रों के सुझावों/ अनुरोधों का रियायतग्राही द्वारा सामान्यतः पालन किया जाएगा, जब तक कि उन्हें स्वीकार न करने का कोई अभिभावी कारण न हो। ऐसे मामले में, रियायतग्राही अपने डिज़ाइन को अंतिम रूप देने से पूर्व उक्त कारण उस संबंधित सरकारी तंत्र को सूचित करेगा जिसका सुझाव/ अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया है।

3.3 रक्षा बलों के लिए भूमि

3.3.1 रियायतग्राही अभिस्वीकार करता है और सहमत है कि रक्षा बलों को सभी समय किसी भी प्रकृति के किसी प्रतिबंध या बाधा के बिना हवाई अड्डे और उसकी सभी सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार होगा।

3.3.2 उपर्युक्त खंड 3.3.1 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आपात स्थिति के दौरान हवाई क्षेत्र के आबंटन और बंद किए जाने तथा हवाई अड्डे के उपयोग के संबंध में रक्षा बलों के प्रति रियायतग्राही के दायित्व भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, और उस सीमा तक रियायतग्राही हवाई अड्डे के असैनिक उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के अपने दायित्वों से मुक्त रहेगा।

- 3.3.3 आवश्यकता पड़ने पर उपयोग हेतु स्थल में सैन्य विमानों के लिए एक पृथक पार्किंग क्षेत्र निर्धारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रक्षा बलों की सामरिक आवश्यकता के लिए 16.42 हेक्टेयर भूमि का एक भूखंड निर्धारित किया जाएगा। रक्षा बलों को निर्धारित क्षेत्र के भीतर अपनी लागत पर अपने उपयोग हेतु अपेक्षित सुविधाओं का निर्माण करने का अधिकार होगा।
- 3.3.4 रियायतग्राही हवाईअड्डे पर विमान के संचलन में रक्षा बलों के साथ सहयोग करने और उनकी सहायता करने तथा हवाई अड्डे के उपयोग को सुगम बनाने के लिए सहमत है और इसका वचन देता है।

4. संयुक्त समन्वय समिति

4.1 संयुक्त समन्वय समिति का गठन

- 4.1.1 आरक्षित सेवाओं का सुचारु और दक्ष प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने के लिए, पक्षकार एतद्वारा एक संयुक्त समन्वय समिति ("**संयुक्त समन्वय समिति**") गठित करने का वचन देते हैं और इसके लिए सहमत हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) प्राधिकरण का प्रतिनिधि;
- (ख) नागर विमानन मंत्रालय का प्रतिनिधि;
- (ग) CNS/ATM सेवा प्रतिनिधि;
- (घ) सीमा शुल्क नियंत्रण प्रतिनिधि;
- (ङ) आप्रवासन सेवा प्रतिनिधि;
- (च) मौसम विज्ञान सेवा प्रतिनिधि;
- (छ) सुरक्षा सेवा प्रतिनिधि;
- (ज) पादप संगरोध सेवा प्रतिनिधि;
- (झ) पशु संगरोध सेवा प्रतिनिधि;
- (ञ) स्वास्थ्य सेवा प्रतिनिधि और
- (ट) रियायतग्राही का प्रतिनिधि।

- 4.1.2 प्राधिकरण इस समिति का गठन करेगा और आरक्षित सेवाओं के प्रावधान से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के अधिदेश के साथ बैठकों की अध्यक्षता करेगा। नागर विमानन मंत्रालय और

नामित भारत सरकार एजेंसियों का प्रतिनिधित्व बैठकों में निदेशक और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

4.2 बैठकें और सहायता

- 4.2.1 संयुक्त समन्वय समिति की अध्यक्षता प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाएगी और जब तक पक्षकारों द्वारा बैठक किसी बाद की तिथि को आयोजित करने के लिए अन्यथा सहमति न हो, समिति की बैठक हवाई अड्डे पर या हवाई अड्डे के शहर में प्राधिकरण द्वारा नामित किसी अन्य स्थान पर प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होगी, जिसकी पहली बैठक प्रभावी तिथि से 30 (तीस) दिन(नों) के भीतर होगी।
- 4.2.2 भारत सरकार एतद्वारा परियोजना के कार्यान्वयन, प्रचालन और अनुरक्षण के संबंध में भारत सरकार के नियंत्रण और निदेशन के अधीन संबंधित एजेंसियों, प्राधिकरणों, विभागों, निरीक्षणालयों, मंत्रालयों के साथ संपर्क स्थापित करने में रियायतग्राही को सहायता प्रदान करने का वचन देती है।

5. अवधि और समाप्ति

5.1 अवधि

- 5.1.1 यह समझौता ज्ञापन प्रभावी तिथि से प्रभावी होगा।
- 5.1.2 यह समझौता ज्ञापन किसी भी कारण से रियायत करार के पर्यवसान और/या शीघ्र समाप्ति के साथ स्वतः समाप्त हो जाएगा ("अवधि")।

5.2 समाप्ति

- 5.2.1 यदि रियायत करार के निबंधनों के अनुसार रियायतग्राही द्वारा नियत तिथि प्राप्त नहीं की जाती है, तो यह समझौता ज्ञापन तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगा और प्रभावी नहीं होगा।
- 5.2.2 इस समझौता ज्ञापन के अनुसरण में रियायतग्राही को प्रदत्त अधिकार और लाभ रियायत करार के निबंधनों के अनुसार किसी भी समय हवाई अड्डे का प्रचालन करने वाले रियायतग्राही के किसी भी उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिनी या किसी अन्य व्यक्ति (प्राधिकरण या प्राधिकरण के किसी उत्तराधिकारी सहित) को अंतरित हो जाएंगे और उसके लाभ के लिए प्रभावी होंगे।

6. अभ्यावेदन और वारंटियां

6.1 रियायतग्राही द्वारा

रियायतग्राही एतद्वारा भारत सरकार के प्रति अभ्यावेदन करता है और वारंटी देता है कि रियायत करार के अंतर्गत उसके द्वारा किए गए प्रत्येक अभ्यावेदन और वारंटी, उसमें अंतर्विष्ट रूप और रीति में, इस समझौता ज्ञापन के प्रयोजनों के लिए *यथावश्यक परिवर्तनों सहित* (mutatis-mutandis) सत्य और सही होंगे, जिनमें इस समझौता ज्ञापन के निष्पादन और परिदान के लिए इसकी शक्ति और प्राधिकार तथा अपेक्षित कॉर्पोरेट कार्रवाइयां शामिल हैं, किंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

6.2 भारत सरकार द्वारा

भारत सरकार एतद्वारा रियायतग्राही के प्रति अभ्यावेदन करती है और वारंटी देती है कि उसे इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर इस समझौता ज्ञापन का निष्पादन करने, अपने अधिकारों का प्रयोग करने और अपने कार्यों का निष्पादन करने का अधिकार, शक्ति और प्राधिकार है और उसने इसके लिए आवश्यक सभी कार्रवाइयां कर ली हैं।

7. शासी कानून और विवाद समाधान

7.1 शासी कानून

यह समझौता ज्ञापन (इस खंड 7 सहित) और इसके निर्वचन से संबंधित सभी प्रश्नों का अर्थान्वयन भारत गणराज्य की विधियों के अनुसार किया जाएगा।

7.2 क्षेत्राधिकार

नीचे दिए गए खंड 7.3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस समझौता ज्ञापन से उत्पन्न होने वाले या इससे संबंधित मामलों पर नई दिल्ली के न्यायालयों को अनन्य अधिकारिता प्राप्त होगी।

7.3 विवाद समाधान

- 7.3.1 पक्षकार सहमत हैं कि वे इस समझौता ज्ञापन के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों को सद्भावपूर्ण परामर्श के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करेंगे, और ऐसा परामर्श किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को ऐसे परामर्श हेतु लिखित अनुरोध सौंपे जाने के पश्चात तत्परता से आरंभ होगा। परंतु यदि ऐसे सद्भावपूर्ण परामर्श आरंभ होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर विवाद का समाधान नहीं होता है, तो खंड 7.3.2 के उपबंध लागू होंगे।

- 7.3.2 ईआईए अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई भी विवाद, जिसका पक्षकारों द्वारा सौहार्दपूर्ण निपटान (जैसा कि इसमें ऊपर खंड 7.3.1 के अंतर्गत उपबंधित है) के माध्यम से निपटारा नहीं किया जा सका हो, का अंतिम रूप से निपटारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार माध्यस्थम् द्वारा किया जाएगा।
- 7.3.3 विवादों को 3 (तीन) मध्यस्थों से मिलकर बने अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा। माध्यस्थम् का प्रत्येक पक्षकार एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा, और इस प्रकार नियुक्त दोनों मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ का चयन करेंगे, जो अधिकरण के पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा (जो मिलकर "माध्यस्थम् अधिकरण" कहलाएंगे)। माध्यस्थम् कार्यवाहियां नियमों के अनुसार संचालित की जाएंगी। किसी भी पक्षकार द्वारा अपने मध्यस्थ(थों) को नियुक्त करने में या पक्षकारों द्वारा नियुक्त दोनों मध्यस्थों द्वारा तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करने में विफलता की स्थिति में, उक्त मध्यस्थ(थों) की नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी।
- 7.3.4 ऐसा माध्यस्थम्, जब तक पक्षकारों को अन्यथा स्वीकार्य न हो, दिल्ली, भारत में आयोजित किया जाएगा। ऐसे माध्यस्थम् की सभी कार्यवाहियां अंग्रेज़ी भाषा में होंगी।
- 7.3.5 माध्यस्थम् अधिकरण का/के निर्णय पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा/होंगे।

8. विविध

8.1 सूचना

- 8.1.1 इस समझौता ज्ञापन के निबंधनों के अंतर्गत अपेक्षित या अनुमत या लागू विधियों द्वारा अपेक्षित कोई भी सूचना (जब तक अन्यथा सहमति न हो) लिखित में होगी और संबंधित पक्षकारों को निम्नानुसार व्यक्तिगत रूप से सौंपी जाएगी, यथास्थिति रजिस्ट्रीकृत डाक या हवाई डाक द्वारा, समुचित रूप से पता लिखे लिफाफे में, उचित रूप से डाक में डालकर और पूर्णतः पूर्वदत्त करके भेजी जाएगी या फैक्स द्वारा भेजी जाएगी:

भारत सरकार:

सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार

ई-मेल: [_____]

फैक्स सं.: +91-11-[_____]

रियायतग्राही:

पता: [_____]

ध्यानार्थ: [_____]

ई-मेल: [_____]

फैक्स सं.: +91-[____]-[_____]

या ऐसे अन्य पते या फैक्स संख्या पर, जो इसके अंतर्गत सूचना द्वारा समय-समय पर नामित की जाए।

- 8.1.2 ऐसी कोई भी सूचना अंग्रेज़ी भाषा में होगी और यह माना जाएगा कि वह, यदि हाथ से सौंपी गई हो तो वास्तव में सौंपे जाने के समय, या फैक्स द्वारा भेजे जाने के पश्चात अगले कार्य दिवस को, या किसी अन्य स्थिति में इसमें पूर्व में उपबंधित रीति से डाक द्वारा भेजे जाने के 3 (तीन) दिनों के भीतर दे दी गई है।

8.2 अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेज्योर)

- 8.2.1 कोई भी पक्षकार उस सीमा तक इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत अपने संबंधित दायित्वों के निष्पादन को निलंबित करने या उनसे छूट पाने का हकदार होगा, जिस सीमा तक वह/ वे किसी अप्रत्याशित घटना के कारण ऐसा निष्पादन करने में असमर्थ है/ हैं।
- 8.2.2 जहां कोई पक्षकार अप्रत्याशित घटना के कारण अपने दायित्वों के निलंबन का दावा कर रहा हो, वहां वह अप्रत्याशित घटना के घटित होने के पश्चात तत्परता से, किंतु किसी भी स्थिति में 7 (सात) दिनों के पश्चात नहीं, अन्य पक्षकारों को अप्रत्याशित घटना, उसकी अनुमानित अवधि, प्रभावित दायित्वों और उसके निलंबन के कारणों का पूर्ण विवरण देते हुए लिखित में सूचित करेगा।
- 8.2.3 अप्रत्याशित घटना का दावा करने वाला पक्षकार अप्रत्याशित घटना से निपटने और इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन पर उसके प्रभावों को कम करने के लिए युक्तियुक्त तत्परता बरतेगा। प्रभावित पक्षकार, जैसे ही अप्रत्याशित घटना समाप्त हो जाए और वह उसे निलंबित किए गए दायित्वों का अनुपालन करने से और न रोके, अन्य पक्षकारों को तत्परता से सूचित करेगा और तत्पश्चात यथाशीघ्र ऐसे दायित्वों का अनुपालन पुनः आरंभ करेगा।
- 8.2.4 जहां किसी पक्षकार को किसी अप्रत्याशित घटना के कारण इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत किसी अधिकार का प्रयोग करने या किसी दायित्व का निष्पादन करने से रोका जाता है, वहां उससे प्रभावित दायित्वों के निष्पादन या उस पर निर्भर किसी अधिकार के प्रयोग का समय, निष्पादन को रोकने और/या विलंबित करने वाली अप्रत्याशित घटना के लंबित रहने की अवधि के अनुरूप ऐसी

अतिरिक्त अवधि, या ऐसी अन्य अवधि जिस पर पक्षकारों के बीच सहमति हो, तक बढ़ा दिया जाएगा।

- 8.2.5 इसमें इससे पूर्व अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई अप्रत्याशित घटना घटित होती है और 165 (एक सौ पैसठ) दिनों की अवधि तक जारी रहती है, तो पक्षकार ऐसी अप्रत्याशित घटना के परिणामों तथा उसके प्रभावों को कम करने के लिए की जाने वाली या उन परिस्थितियों में अपनाई जाने वाली कार्यवाही पर चर्चा करने के लिए बैठक करेंगे।

8.3 पृथक्करणीयता

यदि इस समझौता ज्ञापन में अंतर्विष्ट किसी भी निबंधन, शर्त या उपबंध, या उसके किसी भाग को किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी सीमा तक अविधिमान्य, अविधिपूर्ण या अप्रवर्तनीय अवधारित किया जाता है, तो ऐसे निबंधन, शर्तों या उपबंध उस सीमा तक शेष निबंधनों, शर्तों और उपबंधों से पृथक् कर दिए जाएंगे, जो लागू विधि द्वारा अनुमत पूर्णतम सीमा तक विधिमान्य और प्रवर्तनीय बने रहेंगे।

8.4 संपूर्ण करार

यह समझौता ज्ञापन, इसके सभी उपाबंधों सहित, इस समझौता ज्ञापन की विषय-वस्तु के संबंध में पक्षकारों के बीच संपूर्ण करार और सहमति का प्रतिनिधित्व करता है और पक्षकारों के बीच रहे किसी भी पूर्व लिखित या मौखिक करार या सहमति का अधिक्रमण करता है।

8.5 संशोधन

इस समझौता ज्ञापन में कोई भी परिवर्धन, संशोधन या उपांतरण तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि वह लिखित में न हो और पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित न हो।

8.6 समनुदेशन (असाइनमेंट)

इसकी प्रभावी तिथि के पश्चात लागू विधि में किसी ऐसे परिवर्तन के होते हुए भी, जो अन्यथा इस समझौता ज्ञापन के समनुदेशन की अनुमति दे सकता हो, कोई भी पक्षकार इस समझौता ज्ञापन या इसके अंतर्गत या इसके अनुसरण में उत्पन्न होने वाले किसी अधिकार या दायित्व या इसमें किसी लाभ या हित का समनुदेशन नहीं कर सकेगा। परंतु, पूर्वगामी के होते हुए भी, भारत सरकार एतद्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिस्थापन करार के निबंधनों के अनुसरण में चयनित किसी प्रतिस्थापी इकाई या परियोजना के संबंध में प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के रूप में स्वीकार की गई किसी अन्य इकाई के पक्ष में इस समझौता ज्ञापन का अंतरण और नवीयन करने के लिए सहमत है।

8.7 कोई छूट नहीं (No Waiver)

भारत सरकार या प्राधिकरण की ओर से इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार का प्रयोग करने में कोई विफलता, और उसका प्रयोग करने में उनकी ओर से कोई विलंब, उसके अधित्यजन के रूप में प्रवर्तित नहीं होगा, और न ही किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार का कोई एकल या आंशिक प्रयोग उसके किसी अन्य या आगे के प्रयोग या किसी अन्य अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार के प्रयोग को प्रवारित करेगा। जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, इस समझौता ज्ञापन में उपबंधित अधिकार, शक्तियां, विशेषाधिकार और उपचार संचयी हैं और किन्हीं अन्य अधिकारों, शक्तियों, विशेषाधिकारों या उपचारों (चाहे विधि द्वारा उपबंधित हों या अन्यथा) के अपवर्जक नहीं हैं।

अनुलग्नक 1

पशु संगरोध सेवाएं

क. आगमन से पूर्व:

- (i) पशु के आयात हेतु आवेदन प्राप्त होने पर, सभी शेडों और चारा भंडारों की पूरी तरह सफाई की जाती है, उपयुक्त विसंक्रमकों से विसंक्रमित किया जाता है और धूमन भी किया जाता है;
- (ii) सभी पशुओं का परिवहन पशुओं की विभिन्न प्रजातियों के लिए मानकों और अपेक्षाओं के अनुसार उपयुक्त पशु वाहक में किया जाता है;
- (iii) पशुओं के आगमन की निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व पशु वाहक को समुचित रूप से विसंक्रमित किया जाता है;
- (iv) आवश्यक नमूनों के संग्रहण के लिए सभी व्यवस्थाएं की जाती हैं।

ख. प्रवेश स्थल पर आगमन पर:

- (i) आयातक के साथ नियत आगमन के दिन और समय पर, क्षेत्रीय/संगरोध अधिकारी और अन्य कर्मचारी हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं;
- (ii) पशु या उत्पादों की पूरी तरह भौतिक जांच की जाती है;
- (iii) विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य अपेक्षाओं को सुनिश्चित करने के लिए पशुओं या उत्पादों के साथ संलग्न पशु-चिकित्सा प्रमाणपत्र की पूरी तरह जांच की जाती है;

- (iv) यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि पशु नैदानिक रूप से स्वस्थ हैं और परेक्षण के साथ संलग्न स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सही हैं, मामले के अनुसार आयातक एजेंसी को सीमा शुल्क निकासी हेतु अनंतिम संगरोध निकासी प्रमाणपत्र (आयात) या पशु-चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (आयात) जारी किया जाता है;
- (v) आयातित जीवित पशुओं को क्षेत्रीय/संगरोध अधिकारी के पर्यवेक्षण में संगरोध केंद्र पर लाया जाता है;
- (vi) पशुओं की स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी के लिए पशुओं को 30 दिनों तक या भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य प्रोटोकॉल में यथाविनिर्दिष्ट अवधि तक संगरोध में रखा जाता है;
- (vii) पशुधन उत्पादों के मामले में, स्वच्छता आयात परमिट में निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रतिनिधि नमूने लिए जाएंगे और संबंधित प्रयोगशालाओं में उनका परीक्षण किया जाएगा।

अनुलग्नक 2

सीएनएस/एटीएम सेवाएं

भारत सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) या किसी अन्य नामित भारत सरकार एजेंसी के माध्यम से, संपूर्ण अवधि के दौरान, एक पृथक सीएनएस/एटीएम करार के माध्यम से, हवाईअड्डे पर निम्नलिखित सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करेगी या प्रदान कराएगी:

- (क) शिकागो कन्वेंशन के अनुसरण में समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित पद्धतियों के अनुसार और भारत में अन्य हवाईअड्डों पर समान सेवाओं पर लागू निबंधनों पर ही, तथा नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) के निदेशों के अनुपालन में, हवाई अड्डे पर सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान कराना;
- (ख) सीएनएस/एटीएम उपकरणों का आवधिक उड़ान कैलिब्रेशन और परीक्षण करने सहित, सीएनएस/एटीएम उपकरणों का अनुरक्षण कराना;
- (ग) समय-समय पर सीएनएस/एटीएम उपकरणों का उन्नयन कराना (i) न्यूनतम रूप से, वर्तमान यातायात मांग की प्रचालन संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु डीजीसीए द्वारा अधिसूचित नागर विमानन अपेक्षाओं के संबंधित उपबंधों का अनुपालन करने के लिए तथा संबंधित आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों सहित लागू विधियों के अनुसार; और (ii) हवाईअड्डे के विस्तार/ उन्नयन के परिणामस्वरूप;
- (घ) हवाईअड्डे पर सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-समय पर अपेक्षित उपकरण, यथास्थिति, अपनी लागत पर या नामित भारत सरकार एजेंसी की लागत पर क्रय कराना;

- (ड) शिकागो कन्वेंशन के अनुसरण में समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित पद्धतियों के अनुसार और उन्हीं निबंधनों पर, जिन पर AAI भारत में अन्य समान हवाई अड्डों पर प्रदान करता है, हवाई अड्डे पर सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करने हेतु मौसम विज्ञान सुविधाएं उपलब्ध कराना; और
- (च) लागू विधियों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार रनवे पर विमानों के संचलन को सक्षम बनाने के लिए हवाई यातायात को नियंत्रित और विनियमित करने हेतु सशक्त नामित भारत सरकार एजेंसी से कार्य कराना।

अनुलग्नक 3

सीमा शुल्क नियंत्रण

- (क) वॉकथ्रू चैनल पर सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (ख) ग्रीन / रेड चैनल में सामान जांच काउंटरों पर सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (ग) बैगेज मॉल के भीतर बैगेज सहायक / उप आयुक्त की सेवाओं का प्रावधान;
- (घ) निरुद्ध माल के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (ङ) गलत ढंग से संभाले गए सामान के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (च) मूल्यवान वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (छ) पुनः-पोतलदान माल के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (ज) जब्त माल के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (झ) निकास द्वार के निकट गेट अधिकारी द्वारा तैनाती;
- (ञ) निर्यात प्रमाणपत्र जारी करना;
- (ट) सीमा शुल्क के कार्यों के संबंध में संबंधित अधिकारियों की सेवाएं;
- (ठ) एयर इंटेलिजेंस यूनिट।

अनुलग्नक 4

स्वास्थ्य सेवाएं

- (क) पक्षकार एतद्वारा अभिलिखित करते हैं कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) का आशय हवाईअड्डा टर्मिनल पर निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने और निम्नलिखित गतिविधियां करने ("स्वास्थ्य सेवाएं") का प्रयास करना है:

- (i) यात्रियों, आगंतुकों, एयरलाइन कर्मचारियों, भारत सरकार, प्राधिकरण, रियायतग्राही और अन्य संबंधित सरकारी विभागों के कर्मचारियों और अन्य कार्मिकों के लाभ के लिए दिन में सभी समय हवाईअड्डा टर्मिनल भवन और कार्गो परिसर में चिकित्सा सुविधाएं;
 - (ii) डीजीएचएस द्वारा समय-समय पर यथानिर्णीत, हवाई अड्डा टर्मिनल भवन में तैनात किए जाने वाले चिकित्सा अधिकारी और डीजीएचएस के अन्य कार्मिक;
 - (iii) डीजीएचएस समय-समय पर हवाईअड्डे पर/के आसपास चिकित्सा सुविधाओं के कर्मचारियों की संख्या अवधारित करेगा और समय निर्धारित करेगा;
 - (iv) डीजीएचएस हवाईअड्डे पर ऐसे अन्य कार्य भी करेगा, जो केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निदेशित किए जाएं।
- (ख) यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि डीजीएचएस उपर्युक्त खंड (क)(i) में उल्लिखित सभी या किन्हीं स्वास्थ्य सेवाओं और/ या सुविधाओं को प्रदान नहीं करता है, तो रियायतग्राही के प्रति उसका किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नहीं होगा। ऐसे किसी भी दायित्व का एतद्वारा स्पष्ट रूप से अस्वीकरण किया जाता है। रियायतग्राही एतद्वारा स्पष्ट रूप से अभिस्वीकार करता है कि उपर्युक्त खंड (a)(i) में उल्लिखित किसी भी स्वास्थ्य सेवा या सुविधा के प्रदान न किए जाने या आंशिक रूप से प्रदान किए जाने के लिए डीजीएचएस या किसी अन्य सरकारी निकाय के विरुद्ध उसे कोई उपचार उपलब्ध नहीं होगा।

अनुलग्नक 5

आप्रवासन सेवाएं

हवाईअड्डे पर आप्रवासन सुविधा और सेवा प्रदान करना तथा लागू विधियों के अंतर्गत विदेशियों के पंजीकरण से संबंधित कार्य।

अनुलग्नक 6

मौसम विज्ञान सेवाएं

इसमें विमान परिचालन की सुरक्षा हेतु आईसीएओ, अनुबंध 3 और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तकनीकी उपबंधों के साथ-साथ नामित भारत सरकार एजेंसी के मानकों और अनुशंसित पद्धतियों तथा हवाई नौवहन संबंधी अभिसमयों के अनुसार विमानन मौसम सेवाओं का प्रावधान शामिल है।

अनुलग्नक 7

पादप संरक्षण और संगरोध सेवाएं

ये कार्य विनाशकारी कीट एवं नाशीजीव अधिनियम, 1914 और पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 तथा उसके संशोधनों के अंतर्गत देश में ऐसे विदेशी नाशीजीवों और रोगों के प्रवेश के जोखिम को न्यूनतम करने के लिए किए जाते हैं, जो भारतीय कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। ये पद्धतियां अंतरराष्ट्रीय पादप संरक्षण अभिसमय के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत हैं और WTO के स्वच्छता एवं पादप-स्वच्छता करार के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हैं। ऐसे कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) विदेशी नाशीजीवों और रोगों के प्रवेश को रोकने के लिए आयातित कृषि वस्तुओं का निरीक्षण, परीक्षण, उपचार और निर्मुक्ति;
- (ख) निर्यात हेतु अभिप्रेत कृषि वस्तुओं की दृश्य जांच और उपचार;
- (ग) निर्यात हेतु अभिप्रेत कृषि वस्तुओं के लिए पादप-स्वच्छता प्रमाणपत्र जारी करना;
- (घ) आयातित लकड़ी की पैकेजिंग सामग्री का निरीक्षण और उपचार;
- (ङ) प्रवेशोत्तर संगरोध निरीक्षण;
- (च) कृषि वस्तुओं का धूमन/ विसंक्रमण/ कीटाणुशोधन।

अनुलग्नक 8

सुरक्षा सेवाएं

- (क) आईसीएओ के शिकागो कन्वेंशन के अनुबंध 17 के अनुसार, हवाईअड्डा प्रचालकों, एयरलाइन प्रचालकों और एवीएसईसी (एवसेक) उपायों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी उनकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए नामित भारत सरकार एजेंसी के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करना;
- (ख) यह सुनिश्चित करना कि नामित भारत सरकार एजेंसी और सुरक्षा नियंत्रणों का कार्यान्वयन करने वाले उसके व्यक्ति समुचित रूप से प्रशिक्षित हों और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपेक्षित सभी दक्षताएं रखते हों;
- (ग) विमानन सुरक्षा मामलों की योजना और समन्वय;
- (घ) सुरक्षा कर्मचारियों की व्यावसायिक दक्षता और सतर्कता का परीक्षण करने के लिए नामित भारत सरकार एजेंसी के माध्यम से आकस्मिक/डमी जांच करना तथा विभिन्न एजेंसियों की आकस्मिकता

योजनाओं की प्रभावकारिता और प्रचालन संबंधी तैयारी का परीक्षण करने के लिए मॉक अभ्यास करना।

जिसके साक्ष्यस्वरूप पक्षकारों ने इस समझौता ज्ञापन को अपने सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारियों और प्रतिनिधियों द्वारा ऊपर सर्वप्रथम लिखित दिन और वर्ष को निष्पादित कराया है।

द्वारा हस्ताक्षरित

भारत सरकार के लिए और उसकी ओर से द्वारा हस्ताक्षरित	साक्षी:
रियायतग्राही, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से द्वारा हस्ताक्षरित	साक्षी:

अनुसूची फ (SCHEDULE V)

राज्य सरकार सहायता करार

(खंड 4.1.2(घ)(vi) और खंड 4.1.3(i) देखें)

यह राज्य सरकार सहायता करार मुंबई में [] 20[] के [] माह के [] दिन किया गया है

द्वारा और इनके बीच:

महाराष्ट्र के राज्यपाल, जिनका प्रतिनिधित्व प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया जाता है, जिसका प्रधान कार्यालय चौथी मंज़िल, मंत्रालय, मैडम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400 032, महाराष्ट्र में है (जिसे इसमें इसके पश्चात "महाराष्ट्र सरकार" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि वह उसके संदर्भ या अर्थ के विरुद्ध न हो, उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे);

और

सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित एक कंपनी, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या U99999MH1970SGC014574 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय निर्मल, दूसरी मंज़िल, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400 021, महाराष्ट्र में है, जिसका प्रतिनिधित्व इसके उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है (जिसे इसमें इसके पश्चात **"प्राधिकरण"** कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि वह उसके संदर्भ या अर्थ के विरुद्ध न हो, उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे);

और

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अंतर्गत निगमित एक कंपनी, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या U45200MH2007PTC169174 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय एयरपोर्ट निदेशक का कार्यालय, टर्मिनल 1-B, CSI एयरपोर्ट, सांताक्रूज़, मुंबई – 400 099, महाराष्ट्र में है (जिसे इसमें इसके पश्चात **"रियायतग्राही"** कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि वह उसके संदर्भ या अर्थ के विरुद्ध न हो, उसके उत्तराधिकारी, अनुमत समनुदेशिनी और प्रतिस्थापी शामिल होंगे)।

संदर्भ की अपेक्षानुसार, महाराष्ट्र सरकार, प्राधिकरण और रियायतग्राही को इसमें इसके पश्चात सामूहिक रूप से **"पक्षकारगण"** और व्यक्तिगत रूप से **"पक्षकार"** कहा गया है।

जबकि:

- क. भारत सरकार (**"भारत सरकार"**) ने अपने पत्र सं. AV.24011/1/95-VB (Vol.VI) दिनांक 6 जुलाई, 2007 (**"भारत सरकार अनुमोदन"**) द्वारा, उसमें निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अधीन, सार्वजनिक निजी भागीदारी (**"PPP"**) के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य में नवी मुंबई में सार्वजनिक उपयोग हेतु एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया था, और उसमें निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार हवाई अड्डे की स्थापना करने का संकल्प लिया था।
- ख. भारत सरकार अनुमोदन के आधार पर, महाराष्ट्र सरकार (**"महाराष्ट्र सरकार"**) ने अपने शासन निर्णय सं. CID-3307/1541/Pra. Kra-144/07/Na Vi-10 दिनांक 30 जुलाई, 2008 (**"महाराष्ट्र सरकार अनुमोदन"**) द्वारा परियोजना (जैसा कि नीचे परिभाषित है) के कार्यान्वयन का अनुमोदन किया, और परियोजना के विकास, प्रचालन और अनुरक्षण के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया।

- ग. परियोजना के लिए प्रदत्त अनुमोदनों के आधार पर, अधिमानी बोलीदाता के चयन के लिए अंतरराष्ट्रीय बोलियां आमंत्रित की गई थीं, और ऐसी प्रक्रिया के पूर्ण होने के अनुसरण में, अधिमानी बोलीदाता का चयन किया गया और रियायतग्राही को निगमित किया गया, जिसमें अधिमानी बोलीदाता/ निजी प्रतिभागियों की 74% (चौहत्तर प्रतिशत) शेयरधारिता और प्राधिकरण और/या इसके नामितियों की 26% (छब्बीस प्रतिशत) शेयरधारिता है।
- घ. रियायतग्राही के निगमन के पश्चात, प्राधिकरण और रियायतग्राही ने दिनांक 8 जनवरी, 2018 का एक रियायत करार ("**रियायत करार**") किया, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* उन निबंधनों और शर्तों पर सहमति और प्रावधान किया गया, जिन पर रियायतग्राही DBFOT आधार पर हवाई अड्डे का विकास, प्रचालन और अनुरक्षण करेगा।
- ङ. महाराष्ट्र सरकार अभिस्वीकार करती है कि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए, जैसा कि इसमें इसके पश्चात निर्धारित है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्राधिकरण और रियायतग्राही को निरंतर सहायता और कतिपय अधिकार प्रदान किया जाना अपेक्षित है, और यह परियोजना के लिए संसाधन जुटाने की एक अनिवार्य पूर्वपेक्षा है।
- च. रियायतग्राही द्वारा रियायत करार किए जाने के प्रतिफलस्वरूप और रियायतग्राही के सुचारु कार्यकरण और व्यवहार्यता को बढ़ाने के लिए, रियायत करार के अंतर्गत प्राधिकरण के दायित्वों के अतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकार इसमें यथाकथित रूप में रियायतग्राही को कतिपय सहायता प्रदान करने के लिए सहमत है।

अतः अब एतद्वारा निम्नानुसार सहमति की जाती है:

1. परिभाषाएं और व्याख्या

1.1 परिभाषाएं

इस करार में, उस सीमा के सिवाय जहां संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो और जब तक कि नीचे या इस करार में अन्यत्र विशिष्ट रूप से अन्यथा परिभाषित न हो, इसमें प्रयुक्त (और इसमें परिभाषित नहीं) किंतु रियायत करार के अंतर्गत परिभाषित अन्य बड़े अक्षरों वाले शब्दों का वही अर्थ होगा जो रियायत करार के अंतर्गत उस शब्द को दिया गया है:

"**करार**" से यह राज्य सरकार सहायता करार अभिप्रेत होगा;

"**क्लीयरेंस/स्वीकृतियां**" से परियोजना के संबंध में समय-समय पर महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त की जाने वाली और/या उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली अपेक्षित किसी भी प्रकृति की लिखित सहमति, अनुज्ञप्ति, अनुमोदन, परमिट, विनिर्णय, छूट, अनापत्ति प्रमाणपत्र या अन्य प्राधिकार या अनुमति अभिप्रेत है;

"इकाई" से कोई भी व्यक्ति, निगमित निकाय, न्यास, भागीदारी फर्म या व्यक्तियों/ व्यष्टियों का अन्य संगम, चाहे पंजीकृत हो या नहीं, अभिप्रेत है;

"विद्यमान पहुँच और निकास" का वही अर्थ है जो इसमें इसके अंतर्गत खंड 2.1 में उसे दिया गया है;

"भारत सरकार" से भारत सरकार और भारत सरकार के नियंत्रण और निदेशन के अधीन कोई भी एजेंसी, प्राधिकरण (किसी विनियामक प्राधिकरण सहित), विभाग, निरीक्षणालय, मंत्रालय या सांविधिक व्यक्ति (चाहे स्वायत्त हो या नहीं) अभिप्रेत है;

"भारत सरकार का अनुमोदन" का वही अर्थ है जो इसमें इसके अंतर्गत पूर्ववृत्त A में उसे दिया गया है;

"महाराष्ट्र सरकार" से महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के नियंत्रण और निदेशन के अधीन कोई भी एजेंसी, प्राधिकरण (किसी विनियामक प्राधिकरण सहित), विभाग, निरीक्षणालय, मंत्रालय या सांविधिक व्यक्ति (चाहे स्वायत्त हो या नहीं) अभिप्रेत है;

"महाराष्ट्र सरकार का अनुमोदन" का वही अर्थ है जो पाठ ख में उसे दिया गया है;

"सार्वजनिक निजी भागीदारी/पीपीपी" का वही अर्थ है जो पाठ क के अंतर्गत उसे दिया गया है;

"परियोजना" से रियायत करार के अंतर्गत यथाउपबंधित हवाईअड्डे का डिज़ाइन, विकास, निर्माण, आधुनिकीकरण, उन्नयन, वित्तपोषण, प्रबंधन, प्रचालन और अनुरक्षण अभिप्रेत है;

"अवधि" का वही अर्थ है जो इसमें इसके अंतर्गत खंड 3.1 में उसे दिया गया है;

"तृतीय पक्षकार" से ऐसी कोई भी इकाई अभिप्रेत होगी जो इस करार की पक्षकार नहीं है;

"उपयोगिताएं/यूटिलिटीज" से सामूहिक रूप से हवाई अड्डे पर जल, विद्युत और मल-जल निपटान तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु अवसंरचना अभिप्रेत है, और "उपयोगिता" से इनमें से कोई एक अभिप्रेत है।

1.2 व्याख्या के नियम

1.2.1 बड़े अक्षरों से आरंभ होने वाले और इस करार में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो इसमें उन्हें दिया गया है, और इस करार में प्रयुक्त तथा इसमें परिभाषित नहीं किंतु रियायत करार में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जब तक कि वह संदर्भ के विरुद्ध न हो, वही अर्थ होगा जो रियायत करार में उन्हें दिया गया है।

1.2.2 खंडों के प्रति निर्देश, जब तक अन्यथा कथित न हो, इस करार के खंडों के प्रति निर्देश हैं।

1.2.3 रियायत करार के खंड 1.2, 1.3 और 1.4 में कथित निर्वचन के नियम इस करार पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

2. महाराष्ट्र सरकार की सहायता

2.1 हवाईअड्डे तक सतही पहुंच

पक्षकार एतद्वारा अभिस्वीकार करते हैं कि वर्तमान में हवाई अड्डे तक पहुंचने या वहां से निकलने का एकमात्र मार्ग आमरा मार्ग ("**विद्यमान पहुंच और निकास**") है। पक्षकार यह भी अभिस्वीकार करते हैं कि विद्यमान पहुंच और निकास हवाई अड्डे पर बढ़ते यात्री और अन्य यातायात की पूर्ति के लिए अपर्याप्त हो सकता है। पूर्वगामी के आलोक में, महाराष्ट्र सरकार एतद्वारा पुष्टि करती है कि वह हवाई अड्डे पर बढ़ते यात्री और अन्य यातायात के अनुरूप विद्यमान पहुंच और निकास का उन्नयन, आधुनिकीकरण और अनुरक्षण करने का सर्वोत्तम प्रयास करेगी तथा हवाई अड्डे और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए समग्र नगर नियोजन के अनुसार और इस संबंध में रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत ऐसे निविष्टियों, यदि कोई हों, को ध्यान में रखते हुए, जैसा महाराष्ट्र सरकार अपने एकमात्र विवेकाधिकार से उचित समझे, रियायत करार के निबंधनों के अनुसार हवाई अड्डे तक पहुंच और वहां से निकास के लिए सार्वजनिक परिवहन के अतिरिक्त साधनों (जैसे रेलवे/ मेट्रो संपर्क) का विकास करने का युक्तियुक्त प्रयास भी करेगी। इस प्रयोजन के लिए, महाराष्ट्र सरकार और रियायतग्राही सतही पहुंच विकास के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए मास्टर प्लान के विकास के दौरान एक-दूसरे से परामर्श करेंगे।

2.2 उपयोगिताएं/यूटिलिटीज

पक्षकार अभिस्वीकार करते हैं कि भविष्य में, जैसे-जैसे रियायत करार में परिकल्पित रीति से हवाईअड्डे का विकास और विस्तार होगा और समय बीतने के साथ हवाई अड्डे पर यात्री और अन्य यातायात में वृद्धि होगी, उपयोगिताओं की क्षमता का विस्तार करने की आवश्यकता हो सकती है। पूर्वगामी के आलोक में, महाराष्ट्र सरकार एतद्वारा पुष्टि करती है कि वह हवाई अड्डे के विकास और विस्तार को सक्षम बनाने तथा बढ़ते यात्री और अन्य यातायात की पूर्ति के लिए भुगतान आधार पर हवाई अड्डे हेतु उपयोगिताओं की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने का सर्वोत्तम प्रयास करेगी (उस सीमा तक, जिस तक ये सेवाएं सामान्यतः महाराष्ट्र सरकार या उसके विभागों/ एजेंसियों/ महाराष्ट्र सरकार के पर्याप्त स्वामित्व या नियंत्रण वाली इकाइयों द्वारा प्रदान की जाती हैं)। महाराष्ट्र सरकार यह भी पुष्टि करती है कि वह उपयोगिताओं के संबंध में विद्यमान सुविधाओं का अनुरक्षण और विकास करने का सर्वोत्तम प्रयास करेगी (उस सीमा तक, जिस तक इन सेवाओं का अनुरक्षण सामान्यतः महाराष्ट्र सरकार या उसके विभागों/ एजेंसियों/ महाराष्ट्र सरकार के पर्याप्त स्वामित्व या नियंत्रण वाली इकाइयों द्वारा किया जाता है)।

2.3 हवाईअड्डे पर सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी अपेक्षाएं

- 2.3.1 पक्षकार एतद्वारा अभिस्वीकार करते हैं कि हवाईअड्डे में और उसके आसपास स्वच्छता बनाए रखने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे पक्षियों और पशुओं की उपस्थिति से बचा जा सके जो हवाई अड्डे के सुचारु प्रचालन में बाधा डाल सकते हैं और विमान की सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। तदनुसार, महाराष्ट्र सरकार एतद्वारा पुष्टि करती है कि वह ऐसे क्षेत्र में पक्षियों और पशुओं की उपस्थिति के परिणामस्वरूप हवाई अड्डे के प्रचालन में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप या क्षति को रोकने के लिए हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में और उसके चारों ओर स्वच्छता बनाए रखने का प्रयास करेगी।
- 2.3.2 महाराष्ट्र सरकार विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी लागत पर हवाई अड्डे पर सामान्य और नियमित पुलिस व्यवस्था प्रदान करने का दायित्व लेगी। रियायतग्राही महाराष्ट्र सरकार को उक्त कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए अपनी लागत पर हवाई अड्डे पर युक्तियुक्त कार्यालय स्थान उपलब्ध कराएगा।
- 2.3.3 इस करार में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, पक्षकार एतद्वारा स्पष्ट रूप से अभिस्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में और उसके चारों ओर स्वच्छता बनाए रखने से उत्पन्न होने वाली या उसके संबंध में किन्हीं तृतीय पक्षकारों या रियायतग्राही की किन्हीं और सभी कार्यवाहियों, कार्यवाहियों, हानियों, नुकसानों, देयताओं, दावों, लागतों और व्ययों के लिए महाराष्ट्र सरकार न तो उत्तरदायी होगी और न ही दायी होगी।

2.4 क्लीयरेंस/स्वीकृतियां

- 2.4.1 पक्षकार एतद्वारा स्पष्ट रूप से अभिस्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि रियायत करार में विस्तार से निर्धारित रूप में परियोजना को आरंभ करने और कार्यान्वित करने के लिए लागू विधि द्वारा अपेक्षित सभी अनापत्तियां/स्वीकृतियां प्राप्त करना और सभी समय उन्हें बनाए रखना रियायतग्राही का एकमात्र उत्तरदायित्व और दायित्व होगा। इस प्रयोजन के लिए, महाराष्ट्र सरकार, लागू विधि के पूर्ण अनुपालन और अनुसरण में रियायतग्राही द्वारा आवेदन किए जाने पर (परंतु यह कि लागू विधि के अंतर्गत रियायतग्राही ऐसी अनापत्ति/स्वीकृति प्राप्त करने का हकदार हो और रियायतग्राही ने सम्यक प्रक्रिया और समय में अपना आवेदन किया हो), परियोजना के लिए या उसके संबंध में अपेक्षित ऐसी अनापत्तियां/स्वीकृतियां संबंधित सांविधिक अवधि (यदि कोई हो) के भीतर प्रदान करने का प्रयास करेगी, और जहां कोई सांविधिक अवधि विहित नहीं है, वहां महाराष्ट्र सरकार संबंधित आवेदन के सम्यक रूप से पूर्ण होने और लागू विधियों के पूर्ण अनुपालन में प्रस्तुत किए जाने के पश्चात युक्तियुक्त समय के भीतर परियोजना के लिए या उसके संबंध में अपेक्षित ऐसी अनापत्तियां/स्वीकृतियां प्रदान करने का प्रयास करेगी।

- 2.4.2 महाराष्ट्र सरकार सक्षम स्थानीय प्राधिकारी से मास्टर प्लान का अनुमोदन प्राप्त कराने में अपनी पूर्ण सहायता प्रदान करने का भी वचन देती है।
- 2.4.3 अनापत्तियां/स्वीकृतियां प्रदान किए जाने को सुगम बनाने के लिए, महाराष्ट्र सरकार उप सचिव, नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार या उससे ऊपर के पदनाम के रैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित करेगी, जो महाराष्ट्र सरकार के नियंत्रण और निदेशन के अधीन संबंधित एजेंसियों, प्राधिकरणों, विभागों, निरीक्षणालयों, मंत्रालयों के साथ संपर्क स्थापित करने में रियायतग्राही को सहायता प्रदान करेगा।
- 2.4.4 रियायतग्राही एतद्वारा वचन देता है कि अनापत्तियां/स्वीकृतियां प्रदान किए जाने में शीघ्रता लाने के लिए, वह तत्परतापूर्वक और समयबद्ध रीति से: (a) संबंधित प्राधिकारियों के पास लागू विधि के पूर्ण अनुपालन में आवेदन तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा; और (b) संबंधित प्राधिकारियों के साथ उक्त आवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

2.5 राज्य स्तरीय कर और लेवी

रियायतग्राही से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, महाराष्ट्र सरकार निम्नलिखित प्रदान करने का प्रयास करेगी:

- 2.5.1 महाराष्ट्र राज्य में रियायत करार के निष्पादन और परिदान पर उद्ग्रहणीय स्टांप शुल्क के भुगतान से छूट;
- 2.5.2 NMDLR के निबंधनों के अनुसार वर्तमान में उद्ग्रहणीय 'जल संसाधन विकास प्रभारों' का नियत तिथि से अधिकतम 10 (दस) वर्षों की अवधि तक आस्थगन। यदि रियायतग्राही ऐसा कोई अनुरोध करता है, तो रियायतग्राही को ऐसे आस्थगित 'जल संसाधन विकास प्रभारों' का भुगतान नियत तिथि से 11वें वर्ष के आरंभ होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, तिमाही विश्राम आधार पर चक्रवृद्धि, 3% (तीन प्रतिशत) जमा बैंक दर प्रति वर्ष की दर से परिकलित ब्याज सहित करना होगा।

3. अवधि और समाप्ति

3.1 अवधि

- 3.1.1 खंड 2 और खंड 5 के सिवाय, यह करार इसकी सर्वप्रथम लिखित तिथि से प्रभावी होगा।
- 3.1.2 इस करार का खंड 2 और खंड 5 नियत तिथि से विधिमान्य और प्रभावी होंगे।
- 3.1.3 यह करार किसी भी कारण से रियायत करार के पर्यवसान और/या शीघ्र समाप्ति के साथ स्वतः समाप्त हो जाएगा ("अवधि")।

3.2 समाप्ति

- 3.2.1 यदि रियायत करार के निबंधनों के अनुसार रियायतग्राही द्वारा नियत तिथि प्राप्त नहीं की जाती है, तो यह करार तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगा और प्रभावी नहीं होगा।
- 3.2.2 यह करार रियायत करार के साथ सहावसानी होगा।
- 3.2.3 इस करार के अनुसरण में रियायतग्राही को प्रदत्त अधिकार और लाभ रियायत करार के निबंधनों के अनुसार किसी भी समय हवाई अड्डे का प्रचालन करने वाले रियायतग्राही के किसी भी उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती या किसी अन्य व्यक्ति (प्राधिकरण या प्राधिकरण के किसी उत्तराधिकारी सहित) को अंतरित हो जाएंगे और उसके लाभ के लिए प्रभावी होंगे।

4. अभ्यावेदन और वारंटियां

4.1 रियायतग्राही द्वारा

रियायतग्राही एतद्वारा महाराष्ट्र सरकार के प्रति अभ्यावेदन करता है और वारंटी देता है कि रियायत करार के अंतर्गत उसके द्वारा किए गए प्रत्येक अभ्यावेदन और वारंटी, उसमें अंतर्विष्ट रूप और रीति में, इस करार के प्रयोजनों के लिए *यथावश्यक परिवर्तनों सहित* सत्य और सही होंगे, जिनमें इस करार के निष्पादन और परिदान के लिए इसकी शक्ति और प्राधिकार तथा अपेक्षित कॉर्पोरेट कार्रवाइयां शामिल हैं, किंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

4.2 महाराष्ट्र सरकार द्वारा

महाराष्ट्र सरकार एतद्वारा कंपनी के प्रति अभ्यावेदन करती है और वारंटी देती है कि उसे इस करार के अंतर्गत सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर इस करार का निष्पादन करने, अपने अधिकारों का प्रयोग करने और अपने कार्यों का निष्पादन करने का अधिकार, शक्ति और प्राधिकार है, और उसने इसके लिए आवश्यक सभी कार्रवाइयां कर ली हैं।

5. समन्वय तंत्र

इस करार से उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे का समाधान महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित की जाने वाली और मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार की अध्यक्षता वाली एक समन्वय समिति के तंत्र के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें भारत सरकार और अन्य संबंधित पक्षकारों के प्रतिनिधि होंगे।

यह करार महाराष्ट्र राज्य द्वारा किन्हीं दायित्वों के प्रवर्तन के लिए और परिणामस्वरूप रियायतग्राही या किसी पक्षकार द्वारा उपगत नुकसानी/हानियों आदि के लिए महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा।

6. शासी कानून और विवाद समाधान

- 6.1 यह करार (इस खंड 6 सहित) और इसके निर्वचन से संबंधित सभी प्रश्नों का अर्थान्वयन भारत गणराज्य की विधियों के अनुसार किया जाएगा।
- 6.2 पक्षकार सहमत हैं कि वे इस करार के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों को सद्भावपूर्ण परामर्श के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करेंगे, और ऐसा परामर्श किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को ऐसे परामर्श हेतु लिखित अनुरोध सौंपे जाने के पश्चात तत्परता से आरंभ होगा। परंतु यदि ऐसे सद्भावपूर्ण परामर्श आरंभ होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर विवाद का समाधान नहीं होता है, तो खंड 6.3 के उपबंध लागू होंगे।

6.3 मध्यस्थता

- 6.3.1 कोई भी विवाद, जिसका पक्षकारों द्वारा सौहार्दपूर्ण निपटान (जैसा कि इसमें ऊपर खंड 6.2 के अंतर्गत उपबंधित है) के माध्यम से निपटारा नहीं किया जा सका हो, का अंतिम रूप से निपटारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा।
- 6.3.2 विवादों को 3 (तीन) मध्यस्थों से मिलकर बने अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा। माध्यस्थम् का प्रत्येक पक्षकार एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा, और इस प्रकार नियुक्त दोनों मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ का चयन करेंगे, जो अधिकरण के पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा (जो मिलकर "मध्यस्थता अधिकरण" कहलाएंगे)। माध्यस्थम् कार्यवाहियां नियमों के अनुसार संचालित की जाएंगी।
- 6.3.3 ऐसी मध्यस्थता, जब तक पक्षकारों को अन्यथा स्वीकार्य न हो, मुंबई, भारत में आयोजित की जाएगी। ऐसी मध्यस्थता की सभी कार्यवाहियां अंग्रेज़ी भाषा में होंगी।
- 6.3.4 मध्यस्थता अधिकरण का/के निर्णय पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा/होंगे।
- 6.3.5 इस खंड 6 के अधीन रहते हुए, इस करार पर मुंबई के न्यायालयों को अधिकारिता प्राप्त होगी।

7. विविध

7.1 सूचना

- 7.1.1 इस करार के निबंधनों के अंतर्गत अपेक्षित या अनुमत या विधि द्वारा अपेक्षित कोई भी सूचना (जब तक अन्यथा सहमति न हो) लिखित में होगी और संबंधित पक्षकारों को निम्नानुसार व्यक्तिगत रूप से सौंपी जाएगी, यथास्थिति रजिस्ट्रीकृत डाक या हवाई डाक द्वारा, समुचित रूप से पता लिखे लिफाफे में, उचित रूप से डाक में डालकर और पूर्णतः पूर्वदत्त करके भेजी जाएगी या फैक्स द्वारा भेजी जाएगी:

महाराष्ट्र सरकार

पता: चौथी मंज़िल, मंत्रालय (मुख्य), मुंबई – 400 032, महाराष्ट्र

ध्यानार्थ: PS (UD-I), नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार

ई-मेल: psec.ud1@maharashtra.gov.in

फैक्स सं.: +91-22-22026258

प्राधिकरण:

पता: दूसरी मंज़िल, निर्मल, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400 021, महाराष्ट्र

ध्यानार्थ: उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ई-मेल: cidcomdoffice@gmail.com

फैक्स सं.: +91-22-22022509

रियायतग्राही:

पता: टर्मिनल 1, पहली मंज़िल, CSI एयरपोर्ट, सांताक्रूज़ (पूर्व), मुंबई – 400 099, महाराष्ट्र

ध्यानार्थ: प्रबंध निदेशक

ई-मेल: sanjayreddy@gvk.com

फैक्स सं.: +91-22-66851618

या ऐसे अन्य पते या फैक्स संख्या पर, जो इसके अंतर्गत सूचना द्वारा समय-समय पर नामित की जाए।

- 7.1.2 ऐसी कोई भी सूचना अंग्रेज़ी भाषा में होगी और यह माना जाएगा कि वह, यदि हाथ से सौंपी गई हो तो वास्तव में सौंपे जाने के समय, या फैक्स द्वारा भेजे जाने के पश्चात अगले कार्य दिवस को, या किसी अन्य स्थिति में इसमें पूर्व में उपबंधित रीति से डाक द्वारा भेजे जाने के 7 दिनों के भीतर दे दी गई है।

7.2 पृथक्करणीयता

यदि इस करार में अंतर्विष्ट किसी भी निबंधन, शर्त या उपबंध, या उसके किसी भाग को किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी सीमा तक अविधिमान्य, अविधिपूर्ण या अप्रवर्तनीय अवधारित किया जाता है, तो ऐसे निबंधन, शर्तें या उपबंध उस सीमा तक शेष निबंधनों, शर्तों और उपबंधों से पृथक् कर दिए जाएंगे, जो विधि द्वारा अनुमत पूर्णतम सीमा तक विधिमान्य और प्रवर्तनीय बने रहेंगे।

7.3 संपूर्ण करार

यह करार इस करार की विषय-वस्तु के संबंध में पक्षकारों के बीच संपूर्ण करार और सहमति का प्रतिनिधित्व करता है और पक्षकारों के बीच हो सकने वाले / रहे किसी भी पूर्व लिखित या मौखिक करार या सहमति का अधिक्रमण करता है।

7.4 संशोधन

इस करार में कोई भी परिवर्धन, संशोधन या उपांतरण तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि वह लिखित में न हो और सभी पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित न हो।

7.5 समनुदेशन/असाइनमेंट

इसकी तिथि के पश्चात लागू विधि में किसी ऐसे परिवर्तन के होते हुए भी, जो अन्यथा इस करार के समनुदेशन की अनुमति दे सकता हो, कोई भी पक्षकार इस करार या इसके अंतर्गत या इसके अनुसरण में उत्पन्न होने वाले किसी अधिकार या दायित्व या इसमें किसी लाभ या हित का समनुदेशन नहीं कर सकेगा, या इस करार या इसके अंतर्गत या इसके अनुसरण में उत्पन्न होने वाले किसी अधिकार या दायित्व या इसमें किसी लाभ या हित पर कोई प्रतिभूति सृजित नहीं कर सकेगा या उसे बने रहने की अनुमति नहीं दे सकेगा।

7.6 कोई छूट न होना (No Waiver)

महाराष्ट्र सरकार या प्राधिकरण की ओर से इस करार के अंतर्गत किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार का प्रयोग करने में कोई विफलता, और उसका प्रयोग करने में उनकी ओर से कोई विलंब, उसके अधित्यजन के रूप में प्रवर्तित नहीं होगा, और न ही किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार का कोई एकल या आंशिक प्रयोग उसके किसी अन्य या आगे के प्रयोग या किसी अन्य अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार के प्रयोग को प्रवारित करेगा। जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, इस करार में उपबंधित अधिकार, शक्तियां, विशेषाधिकार और उपचार संचयी हैं और किन्हीं अन्य अधिकारों, शक्तियों, विशेषाधिकारों या उपचारों (चाहे विधि द्वारा उपबंधित हों या अन्यथा) के अपवर्जक नहीं हैं।

जिसके साक्ष्यस्वरूप पक्षकारों ने इस करार को अपने सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारियों और प्रतिनिधियों द्वारा ऊपर सर्वप्रथम लिखित दिन और वर्ष को निष्पादित कराया है।

द्वारा हस्ताक्षरित

महाराष्ट्र सरकार के लिए और उसकी ओर से द्वारा हस्ताक्षरित _____	साक्षी:
प्राधिकरण, सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से द्वारा हस्ताक्षरित _____	साक्षी:
रियायतग्राही, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से द्वारा हस्ताक्षरित _____	साक्षी:

अनुसूची ब (SCHEDULE W)

LDS करार

(खंड 4.1.2(c)(vii) और खंड 4.1.3(j) देखें)

[समुचित मूल्य के स्टॉप पेपर पर निष्पादित किया जाए]

**[भूमि विकास कार्य संबंधी प्रत्येक संविदा, जिसका रियायतग्राही के पक्ष में नवीयन किया जाएगा,
के लिए पृथक रूप से निष्पादित किया जाए]**

यह भूमि विकास कार्य प्रतिस्थापन करार ("करार") मुंबई में [] 20[] के [] माह के [] दिन ("प्रतिस्थापन तिथि") किया गया है:

द्वारा और इनके बीच:

सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित एक कंपनी, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या U99999MH1970SGC014574 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय निर्मल, दूसरी मंज़िल, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400 021, महाराष्ट्र में है, जिसका प्रतिनिधित्व इसके उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है (जिसे इसमें इसके पश्चात **"प्राधिकरण"** कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि वह उसके संदर्भ या अर्थ के विरुद्ध न हो, उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे);

और

[_____], [_____] के अंतर्गत निगमित एक [_____], [जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या [_____] है और] जिसका पंजीकृत कार्यालय [_____] में है (जिसे इसमें इसके पश्चात **"ठेकेदार"** कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिनी शामिल समझे जाएंगे);

और

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अंतर्गत निगमित एक कंपनी, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या U45200MH2007PTC169174 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय एयरपोर्ट निदेशक का कार्यालय, टर्मिनल 1-B, CSI एयरपोर्ट, सांताक्रूज़, मुंबई – 400 099, महाराष्ट्र में है (जिसे इसमें इसके पश्चात **"रियायतग्राही"** कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि वह उसके संदर्भ या अर्थ के विरुद्ध न हो, उसके उत्तराधिकारी, अनुमत समनुदेशिनी और प्रतिस्थापी शामिल होंगे)।

संदर्भ के अपेक्षानुसार, प्राधिकरण, ठेकेदार और रियायतग्राही को इसमें इसके पश्चात सामूहिक रूप से **"पक्षकारगण"** और व्यक्तिगत रूप से **"पक्षकार"** कहा गया है।

जबकि:

- क. प्राधिकरण ने [_____] (**"कार्य"**) से संबंधित कतिपय भूमि विकास कार्यों के कार्यान्वयन के लिए ठेकेदार के साथ दिनांक [_____] की एक संविदा (**"मुख्य संविदा"**) निष्पादित की थी, जिसका विवरण, प्रतिस्थापन तिथि की स्थिति के अनुसार उनकी स्थिति सहित, इसके उपाबंध में दिया गया है।
- ख. मुख्य संविदा के निबंधनों के अनुसार कार्यों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया के दौरान, प्राधिकरण ने परियोजना के कार्यान्वयन, विकास, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए रियायतग्राही के साथ दिनांक 8 जनवरी, 2018 का रियायत करार (**"रियायत करार"**) निष्पादित किया।

- ग. रियायत करार की पुरोभाव्य शर्तों में से एक शर्त के अंतर्गत रियायतग्राही से यह अपेक्षित है कि वह मुख्य संविदा का समनुदेशन, प्रतिस्थापन या नवीयन इस रीति से करे कि मुख्य संविदा में प्राधिकरण का स्थान रियायतग्राही द्वारा ले लिया जाए, और प्राधिकरण द्वारा अन्यथा उपबंधित किए जाने के सिवाय, प्राधिकरण के सभी अधिकार, दायित्व, उत्तरदायित्व, देयताएं आदि रियायतग्राही द्वारा प्रतिस्थापन की प्रभावी तिथि से 'जैसा है जहां है' आधार पर ग्रहण किए जाएं।
- घ. ठेकेदार ने मुख्य संविदा में स्वयं को रियायतग्राही से प्रतिस्थापित करने के प्राधिकरण के अधिकार को मान्यता दी है।
- ङ. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, पक्षकार एतद्वारा इसमें अंतर्विष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुसार मुख्य संविदा में प्राधिकरण के स्थान पर रियायतग्राही के प्रतिस्थापन के लिए सहमत हैं, और तदनुसार मुख्य संविदा के निबंधनों को प्रतिस्थापन तिथि से संशोधित और उपांतरित किया जाएगा।

1. परिभाषाएं और व्याख्याएं

1.1 परिभाषाएं

इस करार में, उस सीमा के सिवाय जहां संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो और जब तक कि नीचे या इस करार में अन्यत्र विशिष्ट रूप से अन्यथा परिभाषित न हो, इसमें प्रयुक्त (और इसमें परिभाषित नहीं) किंतु रियायत करार या मुख्य संविदा के अंतर्गत परिभाषित अन्य बड़े अक्षरों वाले शब्दों का वही अर्थ होगा जो रियायत करार या मुख्य संविदा के अंतर्गत उस शब्द को दिया गया है:

"**करार**" से यह भूमि विकास कार्य प्रतिस्थापन संविदा अभिप्रेत है;

"**रियायत करार**" का वही अर्थ है जो ऊपर पूर्ववृत्त B में उसे दिया गया है;

"**मुख्य संविदा**" का वही अर्थ है जो ऊपर पाठ क में उसे दिया गया है, और इसमें सामूहिक रूप से मुख्य संविदा, संविदा की विशेष शर्तें और संविदा की सामान्य शर्तें शामिल होंगी, और किसी अस्पष्टता या विसंगति की स्थिति में, इसका निर्वचन उसके निबंधनों के अनुसार किया जाएगा;

"**परियोजना**" से रियायत करार के निबंधनों के अनुसार 'नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट' का डिज़ाइन, विकास, निर्माण, आधुनिकीकरण, उन्नयन, वित्तपोषण, प्रबंधन, प्रचालन, अनुरक्षण और प्रबंधन अभिप्रेत है;

"**प्रतिस्थापन तिथि**" से पक्षकारों द्वारा इस करार के निष्पादन की तिथि अभिप्रेत है;

"**कार्य**" का वही अर्थ है जो ऊपर पूर्ववृत्त A में उसे दिया गया है।

1.2 व्याख्या के नियम

- 1.2.1 बड़े अक्षरों से आरंभ होने वाले और इस करार में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो इसमें उन्हें दिया गया है, और इस करार में प्रयुक्त तथा इसमें परिभाषित नहीं किंतु रियायत करार या मुख्य संविदा में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जब तक कि वह संदर्भ के विरुद्ध न हो, वही अर्थ होगा जो रियायत करार या मुख्य संविदा में उन्हें दिया गया है।
- 1.2.2 रियायत करार और मुख्य संविदा के बीच परिभाषित शब्दों में विसंगति की स्थिति में, रियायत करार में यथापरिभाषित शब्द, मुख्य संविदा के अंतर्गत परिभाषित ऐसे शब्द पर अभिभावी होगा।
- 1.2.3 खंडों के प्रति निर्देश, जब तक अन्यथा कथित न हो, इस करार के खंडों के प्रति निर्देश हैं।
- 1.2.4 रियायत करार के खंड 1.2, 1.3 और 1.4 में कथित निर्वचन के नियम इस करार पर *यथावश्यक परिवर्तनों सहित* लागू होंगे।

2. मुख्य संविदा में प्रतिस्थापन

2.1 प्राधिकरण का प्रतिस्थापन

पक्षकार एतद्वारा सहमत हैं कि मुख्य संविदा में प्राधिकरण को एतद्वारा प्रतिस्थापन तिथि से रियायतग्राही द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, और नीचे खंड 3 में इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय, मुख्य संविदा का 'जैसा है जहां है' आधार पर प्राधिकरण से रियायतग्राही के पक्ष में नवीयन किया जाता है।

2.2 पुष्टीकरण

- 2.2.1 रियायतग्राही एतद्वारा सहमत है, स्वीकार करता है और पुष्टि करता है, तथा ठेकेदार एतद्वारा अभिस्वीकार करता है, सहमत है और पुष्टि करता है कि इसमें दिए गए निबंधनों के अनुसार मुख्य संविदा का प्राधिकरण से रियायतग्राही के पक्ष में नवीयन किया गया है।
- 2.2.2 रियायतग्राही सभी अधिकारों, दायित्वों, कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों और देयताओं के निष्पादन के संबंध में एक 'नियोक्ता' के रूप में अधिकारों और दायित्वों के निष्पादन से आबद्ध है, और सदैव आबद्ध रहा माना जाएगा, मानो प्रतिस्थापन तिथि से 'जैसा है जहां है' आधार पर मुख्य संविदा में प्राधिकरण के स्थान पर रियायतग्राही को 'नियोक्ता' के रूप में नामित किया गया था और सदैव नामित किया गया हो।
- 2.2.3 ठेकेदार एतद्वारा मुख्य संविदा के सभी प्रयोजनों के लिए रियायतग्राही को अपने 'नियोक्ता' के रूप में स्वीकार करता है और एतद्वारा रियायतग्राही के प्रति अपने सभी अधिकारों, दायित्वों, कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों और देयताओं का निष्पादन करने का वचन देता है, मानो प्रतिस्थापन तिथि

से 'जैसा है जहां है' आधार पर मुख्य संविदा में प्राधिकरण के स्थान पर रियायतग्राही को 'नियोक्ता' के रूप में नामित किया गया था और सदैव नामित किया गया हो।

2.2.4 रियायतग्राही एतद्वारा [] को इंजीनियर के रूप में अभिस्वीकार करता है, पुष्टि करता है और स्वीकार करता है, जो मुख्य संविदा के प्रयोजनों के लिए परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन परामर्शदाता ("PMIC") के रूप में भी कार्य करेगा। रियायतग्राही एतद्वारा मुख्य संविदा के निबंधनों के अनुसार ऐसे इंजीनियर/ PMIC के साथ समन्वय करने, कार्य करने और निष्पादन करने का वचन देता है, मानो मुख्य संविदा में प्राधिकरण के स्थान पर रियायतग्राही को 'नियोक्ता' के रूप में नामित किया गया था और सदैव नामित किया गया हो। ऐसे इंजीनियर/ PMIC के किसी परिवर्तन, फेरबदल या समाप्ति की प्रक्रिया मुख्य संविदा के उपबंधों और ऐसे व्यक्तियों के साथ प्राधिकरण की पृथक व्यवस्थाओं द्वारा शासित होगी।

2.3 निर्मुक्ति और उन्मोचन (Release and Discharge)

2.3.1 नीचे खंड 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रतिस्थापन तिथि से प्राधिकरण का मुख्य संविदा के अंतर्गत ठेकेदार के प्रति कोई दायित्व नहीं रहेगा।

2.3.2 प्रतिस्थापन तिथि से और उसे सम्मिलित करते हुए, तथा इस करार में अंतर्विष्ट पारस्परिक अभ्यावेदनों, वारंटियों और प्रसंविदाओं तथा अन्य उचित और मूल्यवान प्रतिफल (जिसकी प्राप्ति और पर्याप्तता प्रत्येक पक्षकार द्वारा एतद्वारा अभिस्वीकार की जाती है) के प्रतिफलस्वरूप:

(क) प्राधिकरण और ठेकेदार में से प्रत्येक को मुख्य संविदा के संबंध में एक-दूसरे के प्रति आगे के दायित्वों से निर्मुक्त और उन्मोचित किया जाता है, और उसके अंतर्गत एक-दूसरे के विरुद्ध उनके संबंधित अधिकार रद्द किए जाते हैं, परंतु ऐसी निर्मुक्ति और उन्मोचन से ऐसे किसी भी पक्षकार के भुगतानों या अन्य दायित्वों के संबंध में ऐसे किन्हीं अधिकारों, देयताओं या दायित्वों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो प्रतिस्थापन तिथि को या उससे पूर्व प्रोद्भूत हुए हों या देय और संदेय हो गए हों या जिनका निष्पादन देय हो, और ऐसे सभी भुगतान और दायित्व संबंधित पक्षकार द्वारा मुख्य संविदा के निबंधनों के अनुसार संदत्त या निष्पादित किए जाएंगे;

(ख) रियायतग्राही और ठेकेदार में से प्रत्येक एक-दूसरे के प्रति ऐसे कर्तव्य, निष्पादन, देयताएं और दायित्व ग्रहण करते हैं और एक-दूसरे के विरुद्ध ऐसे अधिकार अर्जित करते हैं, जो अपने निबंधनों में मुख्य संविदा में तत्स्थानी प्रत्येक के समान हैं (मानो रियायतग्राही ही प्राधिकरण हो), सिवाय प्रतिस्थापन तिथि को या उससे पूर्व देय और संदेय या निष्पादन हेतु देय भुगतानों या अन्य दायित्वों के संबंध में प्राधिकरण या ठेकेदार के किन्हीं अधिकारों, देयताओं या दायित्वों के; और

(ग) यह करार मुख्य संविदा द्वारा शासित होगा और उसका भाग होगा, तथा मुख्य संविदा को इस करार के अनुसार उपांतरित समझा जाएगा।

2.4 शिकायत निवारण समिति

2.4.1 मुख्य संविदा में, जिसमें संविदा की विशेष शर्तों का खंड 36 और संविदा की सामान्य शर्तों का खंड 67 शामिल है, अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, मुख्य संविदा के निबंधनों के अनुसार कार्यों के कार्यान्वयन में विलंब के कारण उत्पन्न होने वाले किसी विवाद या मतभेद की स्थिति में, यदि वह विलंब:

(क) प्राधिकरण के कारण हुआ हो, तो ठेकेदार, और

(ख) ऐसे किसी कारण से हुआ हो, जो रियायतग्राही के कारण न हो और जिसका निर्माण कार्यों (जैसा कि रियायत करार में परिभाषित है) के निष्पादन पर परिणामी प्रभाव पड़ रहा हो, तो रियायतग्राही,

ऐसे विवाद या मतभेद को शिकायत निवारण समिति के समक्ष उठा सकता है।

2.4.2 शिकायत निवारण समिति [रियायत करार के निष्पादन के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर गठित की जाएगी/ गठित की जा चुकी है], और इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:

(क) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार, अध्यक्ष;

(ख) प्राधिकरण और रियायतग्राही में से प्रत्येक का 1 (एक) नामिती; और

(ग) 1 (एक) स्वतंत्र संविदा विशेषज्ञ और निर्माण कार्यों (अधिमानत: हवाई अड्डों से संबंधित निर्माण कार्यों) से संबंधित 1 (एक) स्वतंत्र विषय विशेषज्ञ, जिनमें से प्रत्येक की पहचान और नामांकन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

2.4.3 उपर्युक्त खंड 2.4.1 के अनुसार कोई विवाद या मतभेद उठाए जाने और उसके सभी समर्थक दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने पर, शिकायत निवारण समिति उठाए गए मुद्दों का विश्लेषण करेगी। शिकायत निवारण समिति पक्षकारों को व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान करके उन्हें अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर देगी।

2.4.4 उठाए गए मुद्दों का विश्लेषण करने और पक्षकारों को सुनने के पश्चात, शिकायत निवारण समिति:

(क) बहुमत के मत से कार्यों के कार्यान्वयन में विलंब के कारण का निर्णय करेगी;

(ख) ऐसे विलंब के उत्तरदायित्व का निर्णय करेगी और उसे समुचित पक्षकार को सौंपेगी; और

(ग) यदि समुचित हो, तो प्राधिकरण को (i) मुख्य संविदा के अंतर्गत कार्यों के पूर्ण होने के समय में, यदि विवाद या मतभेद ठेकेदार द्वारा उठाया गया हो; और (ii) निर्माण अवधि और रियायत अवधि में, यदि विवाद या मतभेद रियायतग्राही द्वारा उठाया गया हो, किसी विस्तार की सिफारिश करेगी।

2.4.5 उपर्युक्त खंड 2.4.4 के अनुसार शिकायत निवारण समिति के निर्णय और सिफारिश के आधार पर, प्राधिकरण, यथास्थिति, मुख्य संविदा के अंतर्गत कार्यों के पूर्ण होने के समय में, या रियायत करार के अंतर्गत निर्माण अवधि और रियायत अवधि में विस्तार प्रदान करने का निर्णय करेगा।

2.4.6 शिकायत निवारण समिति ऐसी किसी अन्य प्रक्रिया या कार्यविधि का अवधारण करने के लिए स्वतंत्र होगी, जो इसमें विशिष्ट रूप से निर्धारित नहीं है किंतु उपर्युक्त खंड 2.4.1 के अनुसार रियायतग्राही द्वारा उठाए गए किसी विवाद या मतभेद पर निर्णय करते समय जिसका अवधारण किया जाना अपेक्षित हो।

2.4.7 शिकायत निवारण समिति उपर्युक्त खंड 2.4.1 के अनुसार कोई विवाद या मतभेद उठाए जाने के 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर खंड 2.4.4 के अंतर्गत अपना निर्णय लेगी और सिफारिश (यदि समुचित हो) करेगी।

2.4.8 यह स्पष्ट किया जाता है कि शिकायत निवारण समिति के समक्ष किसी विवाद या मतभेद का लंबित रहना मुख्य संविदा के अंतर्गत कार्यों के पूर्ण होने के समय या रियायत करार के अंतर्गत निर्माण अवधि या रियायत अवधि के विस्तार का कारण या आधार नहीं होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि एक बार जब इसके निबंधनों के अनुसार, यथास्थिति, मुख्य संविदा के अंतर्गत पूर्ण होने के समय, और/ या निर्माण अवधि और/ या रियायत अवधि का विस्तार कर दिया जाता है, तो न तो मुख्य संविदा के अंतर्गत ठेकेदार और न ही रियायत करार के अंतर्गत रियायतग्राही किसी अन्य प्रकार की राहत, अनुदान, प्रतिकर या अन्यथा का दावा करने का हकदार होगा और न ही प्राधिकरण से उस पर विचार करने की अपेक्षा की जाएगी।

3. निरंतर दायित्व

3.1 भुगतान संबंधी दायित्व

3.1.1 मुख्य संविदा के अंतर्गत प्राधिकरण के स्थान पर रियायतग्राही के प्रतिस्थापन के होते हुए भी, प्राधिकरण मुख्य संविदा के निबंधनों के अनुसार संविदा मूल्य के भुगतान के लिए उत्तरदायी बना रहेगा। इस करार के अनुसरण में प्राधिकरण द्वारा ठेकेदार को किया गया कोई भी भुगतान रियायतग्राही की ओर से है, और रियायत करार में उपबंधित रीति से सॉफ्ट लोन (जैसा कि रियायत करार में परिभाषित है) का भाग होगा।

- 3.1.2 प्राधिकरण के ऐसे निरंतर भुगतान दायित्वों में मुख्य संविदा के अंतर्गत या उसके अनुसरण में अनुज्ञात किन्हीं राशियों के भुगतान का दायित्व भी शामिल समझा जाएगा, जिसमें मुख्य संविदा का भाग बनने वाली संविदा की विशेष शर्तों का खंड 23 तथा मुख्य संविदा का भाग बनने वाली संविदा की सामान्य शर्तों के खंड 36.5, 40, 51 और 70 शामिल हैं, किंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।
- 3.1.3 यदि नियोक्ता, मुख्य संविदा का भाग बनने वाली संविदा की सामान्य शर्तों के खंड 53 के अंतर्गत या अन्यथा, उपर्युक्त खंड 3.1.1 और खंड 3.1.2 में विनिर्दिष्ट राशियों के अतिरिक्त किसी राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी हो जाता है, तो नियोक्ता के कारण कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के मामले के सिवाय, प्राधिकरण ऐसी सभी राशियों के भुगतान के लिए दायी होगा। नियोक्ता के कारण कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के परिणामस्वरूप लागत और राशि में किसी भी वृद्धि के लिए, नियोक्ता प्राधिकरण, रियायत करार और/ या परियोजना का कोई आश्रय लिए बिना ऐसी राशि के भुगतान के लिए एकमात्र और अनन्य रूप से दायी बना रहेगा।

3.2 मुख्य संविदा में संशोधन

उपर्युक्त खंड 3.1 के अनुसार भुगतान संबंधी निरंतर दायित्वों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य संविदा को एतद्वारा निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए संशोधित और उपांतरित किया जाता है:

(क) एक नई परिभाषा का अंतःस्थापन

मुख्य संविदा के खंड 1.1 में वर्णानुक्रम में समुचित स्थान पर एक नई परिभाषा अंतःस्थापित की जाती है:

“प्राधिकरण” से सिडको लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित एक कंपनी, अभिप्रेत है, और संविदा में इसे निगम भी कहा गया है।”

(ख) खंड 60.10 का संशोधन

मुख्य संविदा का भाग बनने वाली संविदा की सामान्य शर्तों का खंड 60.10 एतद्वारा सभी प्रयोजनों और आशयों के लिए संशोधित, उपांतरित और अधिक्रमित किया जाता है:

"60.10 भुगतान हेतु समय

इस खंड, या संविदा के किसी अन्य निबंधन के अनुसरण में इंजीनियर द्वारा जारी किसी भी अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र की, खंड 47 के अधीन रहते हुए, नियोक्ता द्वारा शुद्धता और पर्याप्तता हेतु संवीक्षा और प्रमाणन किया जाएगा। यदि नियोक्ता की कोई टिप्पणी या सिफारिश हो या उसे कोई त्रुटि, गलत या अपर्याप्त बीजक आदि मिले, तो नियोक्ता ऐसे अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र को इंजीनियर से उसकी प्राप्ति के [15 (पंद्रह)] दिनों के भीतर

इंजीनियर को लौटा देगा। तब इंजीनियर, यदि अपेक्षित हो, ठेकेदार से अतिरिक्त दस्तावेज़, स्पष्टीकरण, जानकारी मांगेगा या अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र में समुचित उपांतरण करेगा, और नियोक्ता से प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर संशोधित अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र को, उसके विस्तृत तर्क और समर्थक दस्तावेज़ों सहित, तथा यदि उसने नियोक्ता की किसी टिप्पणी, सिफारिश, प्रतिपुष्टि, अनुरोध आदि को स्वीकार नहीं किया है, तो उसके कारण सहित, नियोक्ता को प्रस्तुत करेगा।

इस खंड, या संविदा के किसी अन्य निबंधन के अनुसरण में इंजीनियर से अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र (संशोधित या अन्यथा) प्राप्त होने पर, नियोक्ता, खंड 47 के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण को ऐसे अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र के अंतर्गत ठेकेदार को देय राशि के 75% तक की राशि का भुगतान, प्राधिकरण द्वारा ऐसी सिफारिश के साथ अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र की प्रतियां और सभी संबंधित दस्तावेज़ और तर्क प्राप्त होने के 7 कार्य दिवसों के भीतर, और 25% की शेष राशि का भुगतान उसके पश्चात 21 कार्य दिवसों के भीतर करने की सिफारिश करेगा। उप-खंड 60.8 में निर्दिष्ट अंतिम भुगतान प्रमाणपत्र के मामले में, प्राधिकरण ऐसे अंतिम भुगतान प्रमाणपत्र की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर भुगतान करेगा। कथित समय के भीतर भुगतान करने में प्राधिकरण की विफलता की स्थिति में, प्राधिकरण ठेकेदार को अनुबंध - A में कथित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा

...उन सभी अदत्त किन्तु देय राशियों पर, उस तिथि से जिस तक उनका भुगतान किया जाना चाहिए था। इस उप-खण्ड के उपबंध खण्ड 69 के अधीन या अन्यथा ठेकेदार की हकदारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हैं।"

(ग) विनिर्दिष्ट संशोधन (Specific Amendment)

मुख्य संविदा में कहीं भी अंतर्विष्ट कोई भी उपबंध, जो मुख्य संविदा के अधीन नियोक्ता द्वारा देय और संदेय किसी राशि के भुगतान से संबंधित हो, सभी प्रयोजनों और आशयों के लिए इस प्रभाव से संशोधित और उपांतरित समझा जाएगा कि ऐसी सभी देय और संदेय राशियों का भुगतान, नियोक्ता से प्रमाणन और सिफारिश प्राप्त होने पर, प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। परन्तु यह कि मुख्य संविदा के अधीन या उसके अनुसरण में ठेकेदार को किसी राशि का भुगतान करने की प्राधिकरण की ऐसी कोई भी बाध्यता उपर्युक्त खण्ड 3.1 की सीमा तक ही सीमित होगी।

3.3 भुगतान और अन्य प्रतिभूतियाँ (Payment and other securities)

- (क) मुख्य संविदा के उपबंधों के अनुपालन में, ठेकेदार ने उसके अधीन नियोक्ता के पक्ष में विभिन्न प्रकार की बैंक गारंटियाँ और प्रतिभूतियाँ प्रदान की हैं, जिनमें क्षतिपूर्ति बंधपत्र, वचन-पत्र और संविदा निक्षेप के बदले बैंक गारंटी सम्मिलित हैं, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
- (ख) उपर्युक्त खण्ड 3.1 के अनुसार भुगतान से संबंधित निरंतर बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए, ठेकेदार द्वारा उसके अधीन नियोक्ता (अब प्राधिकरण) को प्रदान की गई, नियोक्ता के पक्ष में उपर्युक्त निर्दिष्ट सभी बैंक गारंटियाँ और प्रतिभूतियाँ, जिनमें क्षतिपूर्ति बंधपत्र, वचन-पत्र और संविदा निक्षेप के बदले बैंक गारंटी सम्मिलित हैं किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, केवल प्राधिकरण के नाम में ही बनी रहेंगी, और उनमें कोई भी अधिकार, हक या हित, इस करार के अनुसरण में या अन्यथा, रियायतग्राही के पक्ष में अंतरित नहीं किया जाएगा।
- (ग) तथापि, यह उपबंध किया जाता है कि यदि उपर्युक्त खण्ड 3.3.2 के अनुसार प्राधिकरण द्वारा प्रतिधारित बैंक गारंटियों और/या प्रतिभूतियों में से किसी का अवलम्ब लिया जाता है या उसे भुनाया जाता है, तो ऐसे अवलम्ब और भुनाने से प्राप्त राशियाँ प्राधिकरण द्वारा (a) मुख्य संविदा के अधीन ठेकेदार की सभी पालन बाध्यताओं की पूर्ति, और (b) मुख्य संविदा के अधीन ठेकेदार के प्रति रियायतग्राही/नियोक्ता का कोई भुगतान या अन्य बाध्यता बकाया न रहने, में से जो भी बाद में हो, तब तक न्यास में धारित की जाएंगी। प्राधिकरण, इसमें अपनी बाध्यताओं का पालन करते समय उसके द्वारा उपगत राशियों का समायोजन करने के पश्चात्, ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात् शेष राशियाँ रियायतग्राही को निर्मुक्त कर देगा।

3.4 पूर्व अनुमोदन (Prior Approval)

मुख्य संविदा और/या इस करार में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, रियायतग्राही, मुख्य संविदा के अधीन नियोक्ता की अपनी हैसियत में, इस संबंध में प्राधिकरण की पूर्व लिखित सहमति के बिना, निम्नलिखित में से कोई भी प्रदान नहीं करेगा :

- (क) मुख्य संविदा का भाग बनने वाली संविदा की सामान्य शर्तों के खण्ड 44 या उसके किन्हीं अन्य उपबंधों के अनुसार पूर्णता हेतु समय का विस्तार, और
- (ख) मुख्य संविदा का भाग बनने वाली संविदा की सामान्य शर्तों के खण्ड 53 के अनुसार किसी दावे का अथवा उसके किन्हीं अन्य उपबंधों के अनुसार अन्य राशियों का अनुमोदन, सिवाय नियोक्ता के कारण हुए कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन के मद्दे, और ऐसी राशियाँ केवल रियायतग्राही द्वारा ही संदेय होंगी,

जब तक कि इस संबंध में प्राधिकरण की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त न कर ली गई हो।

4. **अभ्यावेदन और वारंटियाँ (REPRESENTATIONS AND WARRANTIES)**

4.1 **सामान्य वारंटियाँ (General Warranties)**

प्रत्येक पक्षकार अन्य पक्षकारों के समक्ष यह अभ्यावेदन करता है और वारंटी देता है कि :

4.1.1 उसे इस करार पर हस्ताक्षर करने, इसे परिदत्त करने और इसके अधीन अपनी बाध्यताओं का पालन करने की पूर्ण शक्ति और प्राधिकार प्राप्त है।

4.1.2 यह करार ऐसे पक्षकार की विधिमान्य, विधिक रूप से आबद्धकर और प्रवर्तनीय बाध्यताओं का गठन करता है।

4.1.3 इस करार के प्राधिकरण, हस्ताक्षर और परिदान के लिए तथा इसके अधीन उसकी सभी बाध्यताओं के पालन के लिए किसी पक्षकार के अधिकारियों या निदेशकों की ओर से आवश्यक सभी कार्रवाइयाँ कर ली गई हैं।

4.1.4 निम्नलिखित के संबंध में आवश्यक कोई भी और सभी सहमतियाँ या अनुमोदन, जिनमें शेयरधारकों के अनुमोदन या शासकीय अनुमोदन सम्मिलित हैं :

(क) इस करार पर हस्ताक्षर और इसका परिदान; और

(ख) इसके अधीन उसकी बाध्यताओं का पालन;

प्राप्त कर लिए गए हैं या प्राप्त कर लिए जाएंगे।

4.1.5 पक्षकारों द्वारा इस करार में प्रवेश, इसका परिदान और पालन, तथा इस करार द्वारा अनुध्यात संव्यवहार, निम्नलिखित से विरोध में नहीं हैं और न होंगे :

(क) कोई लागू विधियाँ;

(ख) उनके संबंधित संविधान संबंधी दस्तावेज़; अथवा

(ग) कोई संविदा या दस्तावेज़ जो उन पर आबद्धकर हो।

4.2 **प्राधिकरण की विनिर्दिष्ट वारंटी (Authority's Specific Warranty)**

प्राधिकरण एतद्वारा रियायतग्राही को वारंटी देता है कि उसने मुख्य संविदा के अधीन अपनी किसी भी बाध्यता का किसी ऐसी रीति से भंग नहीं किया है, जो उसके अधीन 'नियोक्ता' की पालन बाध्यताओं को प्रभावित कर सकती हो।

4.3 ठेकेदार की विनिर्दिष्ट वारंटी (Contractor's Specific Warranty)

- 4.3.1 ठेकेदार एतद्वारा अन्य पक्षकारों को वारंटी देता है कि वह मुख्य संविदा के निबंधनों के अनुसार कार्य करना जारी रखे हुए है और उसने मुख्य संविदा के अधीन अपनी किसी भी बाध्यता का किसी ऐसी रीति से भंग नहीं किया है, जो उसके अधीन 'नियोक्ता' की पालन बाध्यताओं को प्रभावित कर सकती हो।
- 4.3.2 मुख्य संविदा में अंतर्विष्ट ठेकेदार के अन्य सभी अभ्यावेदन और वारंटियाँ, चाहे सामान्य हों या विनिर्दिष्ट, प्रतिस्थापन तिथि को विधिमान्य, आबद्धकर और प्रवर्तनीय हैं तथा मुख्य संविदा की अवधि के दौरान वैसी ही बनी रहेंगी।
- 4.3.3 प्रतिस्थापन तिथि तक, मुख्य संविदा के अधीन ठेकेदार की सभी बाध्यताएँ सम्यक रूप से पूर्ण और पूरी कर दी गई हैं।

5. अन्य उपबंधों की विधिमान्यता (VALIDITY OF OTHER PROVISIONS)

5.1 उत्तरजीविता (Survival)

इसमें अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय, इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात मुख्य संविदा के अधीन नियोक्ता या ठेकेदार के अधिकारों और लाभों को सीमित नहीं करेगी या सीमित करने वाली नहीं समझी जाएगी या उन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

5.2 सम्पूर्ण करार (Entire Agreement)

- 5.2.1 यह करार मुख्य संविदा का अभिन्न अंग है और इसकी विषय-वस्तु के संबंध में पक्षकारों के बीच सम्पूर्ण करार का गठन करता है।
- 5.2.2 एक ओर इस करार के उपबंधों और दूसरी ओर मुख्य संविदा के उपबंधों में किसी असंगति की दशा में, ऐसी असंगति की सीमा तक इस करार के उपबंध अभिभावी होंगे।

6. अवधि और समापन (TERM AND TERMINATION)

6.1 करार की अवधि (Term of the Agreement)

यह करार प्रतिस्थापन तिथि से, तब तक विधिमान्य और प्रभावी रहेगा जब तक कि नीचे खण्ड 6.2 के अनुसार इसका समापन न कर दिया जाए।

6.2 समापन (Termination)

6.2.1 इसमें या मुख्य संविदा में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस करार का समापन निम्नलिखित में से जो भी पहले हो, उस पर हो जाएगा :

- (क) मुख्य संविदा के नियमों के अनुसार कार्यों की पूर्णता और उसके अधीन विहित सभी नियमों और शर्तों की पूर्ति; और
- (ख) इसके अधीन किसी नोटिस या अन्यथा की अपेक्षा के बिना, रियायत करार (Concession Agreement) का समापन।

6.2.2 उपर्युक्त खण्ड 6.2.1(ख) के अनुसार इस करार के समापन की दशा में, निम्नलिखित घटित होगा :

- (क) प्रतिस्थापन तिथि से पूर्व मुख्य संविदा के अधीन प्राधिकरण के साथ विद्यमान ठेकेदार के संबंध के विषय में, उसे उसके मूल रूप में पुनःस्थापित किया जाएगा और रियायतग्राही की इस करार और/या मुख्य संविदा के अधीन कोई भूमिका, शक्ति, प्राधिकार या अन्यथा नहीं रहेगा;
- (ख) इस करार और/या मुख्य संविदा के अनुसरण में रियायतग्राही को प्रदत्त कोई भी अधिकार, प्राधिकरण या ठेकेदार द्वारा कोई कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बिना, स्वतः और तत्काल समाप्त हो जाएंगे;
- (ग) मुख्य संविदा और इस करार के अनुसरण में ठेकेदार द्वारा निष्पादित सभी कार्यों की अवस्थिति, स्थिति और विवरण प्राधिकरण को तत्काल अधिसूचित करना;

- (घ) कार्यो और स्थल का वास्तविक कब्ज़ा, सभी बाधाओं से मुक्त और रहित, तत्काल परिदत्त करना;
- (ङ) कार्यो से संबंधित सुसंगत अभिलेख, रिपोर्टें, बौद्धिक सम्पदा और अन्य अनुज्ञप्तियाँ, तथा समापन की तिथि तक के सम्पूर्ण 'यथानिर्मित' (as built) रेखाचित्र, किसी भी बाधा से मुक्त, परिदत्त और अंतरित करना;
- (च) लागू विधियों के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक सभी लागू अनुज्ञापत्रों को अंतरित और/या परिदत्त करना;
- (छ) ऐसे विलेख, दस्तावेज़, लिखत और अन्य लेख निष्पादित करना, जिनकी प्राधिकरण, संकर्मों में रियायतग्राही के सभी अधिकारों, हक और हित को तथा रियायतग्राही को देय और संदेय सीमा तक बकाया बीमा दावों को प्राप्त करने के अधिकार को, पूर्ण रूप से प्राधिकरण या उसके नामिती को हस्तांतरित करने, विनिहित करने और समनुदेशित करने हेतु अपेक्षा करे;
- (ज) कार्यो में रियायतग्राही के सभी अधिकारों, हक और हित के, सभी बाधाओं से मुक्त, पूर्ण रूप से प्राधिकरण या उसके नामिती को विनिवेशन और समनुदेशन को पूर्ण करने हेतु लागू विधियों के अधीन विहित या अपेक्षित अन्य सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करना।

7. शासी कानून, क्षेत्राधिकार और विवाद समाधान (GOVERNING LAW, JURISDICTION AND DISPUTE RESOLUTION)

7.1 शासी कानून (Governing Law)

भारत के लागू कानूनों द्वारा इस करार की व्याख्या, अर्थान्वयन और शासित किया जाएगा।

7.2 क्षेत्राधिकार (Jurisdiction)

खण्ड 7.3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पक्षकार मुंबई, महाराष्ट्र स्थित न्यायालयों की अनन्य अधिकारिता के अधीन होते हैं।

7.3 विवाद समाधान (Dispute Resolution)

- 7.3.1 संबंधित संविदा के संबंध में इस करार से या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले पक्षकारों के बीच किसी भी विवाद, मतभेद या असहमति (सामूहिक रूप से, "विवाद") का समाधान मुख्य संविदा

का भाग बनने वाली संविदा की सामान्य शर्तों के खण्ड 67 के अनुसार करने का प्रयास किया जाएगा।

7.3.2 पक्षकार इस करार के अनुसरण में प्रारम्भ की गई किसी भी मध्यस्थ कार्यवाही के संचालन में, अधिकतम सीमा तक, शीघ्रता लाने हेतु सद्भावपूर्वक सहयोग करेंगे।

8. विविध (MISCELLANEOUS)

8.1 नोटिस (Notices)

इस करार के अनुसरण में किसी पक्षकार को कोई भी नोटिस, मुख्य संविदा का भाग बनने वाली संविदा की सामान्य शर्तों के खण्ड 68 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार तामील किया जा सकता है। इस संबंध में, ऊपर पक्षकारों की सूची में उल्लिखित पक्षकारों के पते वे स्थान होंगे, जहाँ ऐसे नोटिस उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के नाम से परिदत्त किए जाने अपेक्षित होंगे।

8.2 संशोधन (Amendment)

इस नवीयन करार (Novation Agreement) के संबंध में कोई भी संशोधन, उपांतरण या अधित्यजन तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि वह लिखित रूप में (जिसमें फैक्स प्रेषण द्वारा साक्षित लेख सम्मिलित है) न हो और प्रत्येक पक्षकार द्वारा निष्पादित न किया गया हो, अथवा टैलेक्स या किसी इलेक्ट्रॉनिक संदेश प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के आदान-प्रदान द्वारा पुष्ट न किया गया हो।

8.3 लागत और व्यय (Costs and Expenses)

8.3.1 प्रत्येक पक्षकार इस करार के संबंध में तथा इस करार की बातचीत, तैयारी और निष्पादन के परिणामस्वरूप उपगत अपनी स्वयं की लागत और व्यय (जिसमें विधिक शुल्क सम्मिलित है) का भुगतान करेगा।

8.3.2 खण्ड 8.3.1 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस करार के निष्पादन या परिदान पर संदेय कोई भी स्टाम्प शुल्क रियायतग्राही द्वारा संदेय होगा।

8.4 प्रतिरूप (Counterparts)

यह करार 3 (तीन) प्रतिरूपों में निष्पादित किया जाएगा, जिनमें से सभी को मूल माना जाएगा।

अनुलग्नक (Annex)

कार्यों का विवरण (Details of Works)

[निष्पादन के समय अंतःस्थापित किया जाएगा]

क्र. सं.	कार्यों का विवरण	माइलस्टोन (मुख्य संविदा के अनुसार)	प्रतिस्थापन तिथि को स्थिति
क.			
ख.			
ग.			

क्र. सं.	कार्यों का विवरण	माइलस्टोन (मुख्य संविदा के अनुसार)	प्रतिस्थापन तिथि को स्थिति
घ.			
ड.			

जिसके साक्ष्यस्वरूप, इसके पक्षकारों ने, प्रतिस्थापन तिथि को, इस करार को अपने-अपने सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारियों या प्रतिनिधियों द्वारा सम्यक रूप से निष्पादित और अभिस्वीकृत कराया है।

द्वारा हस्ताक्षरित — प्राधिकरण

[_____]

के लिए और की ओर से

महाराष्ट्र नगर और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (CITY AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF MAHARASHTRA LIMITED)

की उपस्थिति में

[_____]

द्वारा हस्ताक्षरित — रियायतग्राही

[_____]

के लिए और की ओर से

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (NAVI MUMBAI INTERNATIONAL AIRPORT PRIVATE LIMITED)

की उपस्थिति में

[_____]

द्वारा हस्ताक्षरित — ठेकेदार

[_____]

के लिए और की ओर से

[_____]

की उपस्थिति में

[_____]

राजस्व और वन विभाग

मैडम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय,

मुंबई 400 032, दिनांक 30 मई 2016

आदेश

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम।

सं. MUDRANK-2015/U.O.R. 33/C.R. No. 730/M-1.— महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958 (1958 का LX) (जिसे इसमें आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 9 के खण्ड (a) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा शासकीय संकल्प, नगर विकास विभाग सं. CID-3315/(CR-340)/UD-10, दिनांक 27 अप्रैल 2016 के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास से संबंधित, सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लि. (सिडको) द्वारा निष्पादित भूमि के अंतरण के प्रथम लिखत पर, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची I के अनुच्छेद 25 (हस्तांतरण-पत्र) और अनुच्छेद 36 (पट्टा) के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार करती है।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश से और उनके नाम से,

ज्योत्स्ना एम. माडेकर,

डेस्क अधिकारी।